अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त की

वार्षिक रिपोर्ट 1956–57

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त की

वार्षिक रिपोर्ट

१९५६-५७

(छटी रिपोर्ट)

दूसरा भाग

परिशिष्ट

ल० सं० श्रीकान्त

परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट १

तालिका नं० १

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के कमिश्नर के कार्यालय की व्यवस्था को प्रदर्शित करने वाली तालिका

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के कमिश्नर

- निजी सैक्शन
  (निजी मंत्री १, निजी सहायक १
  टाइपिस्ट-क्लर्क १, जमादार १
  चपरासी १)

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के सहायक कमिश्नर
(प्रधान कार्यालय)

- ...ा सैक्शन
  ...न
  ...ारी १
  ... ४
  ...डिवीजन
  ... १
  ...डिवीजन
  ... ३
  ... १
  ...सी १
  ...कार
  ...र: १
  ... १
  ... १)

- सामान्य सैक्शन
  (सैक्शन
  अधिकारी १
  सहायक २
  अपर डिवीजन
  क्लर्क १
  लोअर डिवीजन
  क्लर्क ४
  दफ्तरी १
  चपरासी १)

- विकास सैक्शन I
  (सैक्शन
  अधिकारी १
  सहायक २
  अन्वेक्षक २
  अपर डिवीजन
  क्लर्क १
  लोअर डिवीजन
  क्लर्क ४
  दफ्तरी १
  चपरासी १)

- विकास सैक्शन II
  (सैक्शन
  अधिकारी १
  सहायक २
  अपर डिवीजन
  क्लर्क १
  लोअर डिवीजन
  क्लर्क ३
  दफ्तरी १
  चपरासी १)

- शोध सैक्शन I
  (शोध अधिकारी १
  सहायक १
  अन्वेक्षक २
  ग्राफिस्ट १
  लोअर डिवीजन
  क्लर्क ३
  दफ्तरी १
  चपरासी १)

- शोध सैक्शन II
  (शोध अधिकारी १
  अन्वेक्षक २
  लोअर डिवीजन
  क्लर्क ३
  दफ्तरी १
  चपरासी १)

प्रादेशिक कार्यालय

- ...और राज- ... के लिए ...चित जातियों ... अनुसूचित ...जातियों के ...क सहायक ...र, बड़ौदा
- उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों के प्रादेशिक सहायक कमिश्नर, दिल्ली
- मध्यप्रदेश के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के प्रादेशिक सहायक कमिश्नर, नागपुर
- केरल, मद्रास और मैसूर के लिए अनुसूचित जातियों के प्रादेशिक सहायक कमिश्नर, मद्रास
- बिहार और पश्चिमी बंगाल के लिए अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिमजातियों के प्रादेशिक सहायक कमिश्नर, राँची
- आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों के प्रादेशिक सहायक कमिश्नर, शिलांग
- आन्ध्रप्रदेश और उड़ीसा के लिए अनुसूचित आदिम-जातियों के प्रादेशिक सहायक कमिश्नर, विशाखापटनम्

नोट :—(१) प्रत्येक प्रादेशिक कार्यालय में स्टाफ इस प्रकार है :—
सुपरिटेंडेंट १, अपर डिवीजन क्लर्क २, शीघ्रलिपि-लेखक १, लोअर डिवीजन क्लर्क २, चपरासी ३, चौकीदार-सफैया १

(२) शिलाँग स्थित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के प्रादेशिक सहायक कमिश्नर को स्टाफ कार के लिए एक ड्राइवर भी दिया गया है।

परिशिष्ट

तालिक

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हितों क

आंध्र

समाज कल्याण

(व्यवस्थ

सचिव, समाज कल्य

१. आदिवासी कल्याण का संचालक

निजी सहायक

आदिवासी कल्याण (मुख्यालय) का उपसंचालक जो तेलंगाना क्षेत्र का प्रवास अधिकारी भी है

सहायक संचालक

हिसाब अधिक

२. आदिवासी कल्याण के लिए प्रादेशिक अधिकारी

१. आंध्र प्रदेश

आदिवासी कल्याण का उपसंचालक, विशाखापटनम् (डिप्टी कलेक्टर के पद का) श्रीकाकुलम और विशाखापटनम् एजेन्सियों का अधिकारी

आदिवासी कल्याण के उपसंचालक भद्राचलम (डिप्टी कलेक्टर के पद का) पूर्वी गोदावरी तथा पश्चिमी गोदावरी एजेन्सियों का अधिकारी

२. तेलंगाना प्रदेश

७ विशेष समाज सेवा अधिकारी (डिप्टी कलेक्टर के पद के), योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए क्षेत्रीय स्टाफ

७ समाज सेवा अधि (तहसीलदार के पद

एजेन्सी विकास कार्य को उत्तेजन देने की दृष्टि राज्य में फरवरी, १९५६ में आदिवासी कल्याण का पृथक डायरेक्टरेट स्थापित किया गया, जिसका संचा विभाग का प्रधान है, जो जिले के कलेक्टर के पद का है संचालक की सहायता के लिए एक उप-संचालक (मुख्य लय) है, जो प्रवास अधिकारी भी है और तेलंगाना प्रदे का अधिकारी है। आदिवासी कल्याण के जो अन्य उ संचालक (प्रादेशिक अधिकारी भी हैं, जो डिप्टी कले ग्रेड के हैं और उनमें से एक श्रीकाकुलम् तथा विशा पटनम् एजेन्सी तथा दूसरा पूर्वी गोदावरी और पश्चि गोदावरी एजेन्सी का अधिकारी हैं) आदिवासी कल्य के संचालक की सहायता के लिए मुख्यालय में एक नि सहायक (डिप्टी कलेक्टर के ग्रेड का) एक उप-संचाल तथा एक हिसाब अधिकारी हैं। तेलंगाना प्रदेश (मुख्य

१

नं० २

देख-भाल करने के लिए राज्यों में वैधानिक व्यवस्था को प्रदर्शित करने वाली तालिका

प्रदेश

तथा श्रम विभाग

का व्यौरा)

तथा श्रम विभाग

१. सामाजिक कल्याण का संचालक तथा अनुसूचित जातियां छात्रवृत्ति बोर्ड का मंत्री

निजी सहायक (डिप्टी कलेक्टर के पद का)

सहायक सचिव, अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति बोर्ड

हिसाब अधिकारी

शिशु संरक्षण अधिकारी (पुरुष)

शिशु संरक्षण अधिकारी (स्त्रियां)

२. सहायक कल्याण के लिए प्रादेशिक अधिकारी

लय) के उप-संचालक की सहायता के लिए ७ विशेष सामाजिक सेवा अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर के ग्रेड के तथा ७ समाज-सेवा अधिकारी तहसीलदार के ग्रेड के हैं।

समाज कल्याण का एक पृथक डायरेक्टरेट है, जिसका संचालक विभाग का प्रधान है। इसकी सहायता के लिए एक निजी सहायक, डिप्टी कलेक्टर के ग्रेड का, एक सहायक मंत्री, अनुसूचित जातियाँ छात्रवृत्ति बोर्ड, शिशु संरक्षण अधिकारी (पुरुष) शिशु संरक्षण अधिकारी (स्त्रियां) और एक हिसाब अधिकारी हैं। पुराने आन्ध्र प्रदेश में एक अतिरिक्त जिला कल्याण अधिकारी (गजेटेड) और ११ जिला कल्याण अधिकारी (नान-गजेटेड पद के) हैं। तेलंगाना प्रदेश में ६ विशेष समाज-सेवा अधिकारी (गजेटेड) और ५ समाज सेवा अधिकारी (नान-गजेटेड पद के) हैं।

आसाम

आदिवासी क्षेत्र विभाग

(व्यवस्था का व्यौरा)

सचिव, आदिवासी क्षेत्र विभाग
|
अवर सचिव
|
२ विशेष अधिकारी

यह विभाग एक सचिव की देख-रेख में चलता है
इसका कार्य राज्य के आदिवासी क्षेत्रों (स्वशासित जि
की सामान्य व्यवस्था करना है, जिसमें जिला परिषदों
प्रादेशिक परिषदों की समस्याएं, केन्द्रीय अनुदान से सं
लित विकास योजनाएं और राज्य के गैर-स्वशा
जिलों के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजाति
तथा अन्य पिछड़े वर्गों का सामान्य कल्याण सम्मिलित
इस विभाग को राज्य के "सामाजिक कल्याण" का व
भी सपुर्द कर दिया गया है, जो पहले योजना तथा वि
विभाग द्वारा चलाया जाता था ।

बिहार

कल्याण विभाग

(व्यवस्था का व्यौरा)

सचिव
|
(१) उप सचिव व समाज कल्याण निदेशक

अवर सचिव | अतिरिक्त अवर सचिव | ४ गजेटेड पद के डिविजनल कल्याण पदाधिकारी (डिविजनल कमिश्नरों के नियन्त्रण और अधीक्षण में) | पंजीयक

(डिविजनल कल्याण पदाधिकारी के अधीन:)

१८ जिला हरिजन कल्याण पदाधिकारी (अपने-अपने जिला पदाधिकारियों के नियन्त्रण में)
|
१०७ खण्ड सेवक

५ जिला आदिवासी कल्याण पदाधिकारी (गजेटेड) डिप्टी कमिश्नरों के नियन्त्रण में
|
सहायक जिला आदिवासी कल्याण पदाधिकारी
|
३९४ थाना कल्याण पदाधिकारी

यह विभाग एक सचिव के अधीन काम करता
जिसकी सहायता प्रधान कार्यालय में एक उप-सचिव
समाज कल्याण निदेशक, एक अवर सचिव और एक पंजी
यक करते हैं । राज्य के प्रत्येक डिविजन में एक-ए
के हिसाब से डिविजन की अनुसूचित जातियों के कल्या
की देख-भाल करने के लिए डिविजनल कमिश्नरों
नियन्त्रण और अधीक्षण में गजेटेड पद के ४ डिविज
कल्याण पदाधिकारी हैं और अपने-अपने जिला प
धिकारियों के नियन्त्रण में जिला सारन, चम्पा
मुजफ्फरपुर, पटना, शाहाबाद, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णि
संथाल परगना, सहरसा, रांची पालामऊ, धनबाद औ
सिंहभूम जिले में एक-एक और दरभंगा तथा गया जि
में से प्रत्येक में दो-दो के हिसाब से कुल १८ जिल
कल्याण पदाधिकारी हैं । हजारीबाग में हरिजनों
कल्याण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में डिविजन
कल्याण पदाधिकारियों की सहायता के लिए अंचल अधि
कारी योजना लागू करने से जिला हरिजन कल्याण पद
धिकारी की सेवाओं की आवश्यकता नहीं रही है । कि
जिला हरिजन कल्याण पदाधिकारी अपने काम के अति
रिक्त आदिवासी कल्याण कार्य के भी प्रभारी हैं । जिस
संथाल परगना और छोटा नागपुर डिविजन को छोड़क

(२) पिछड़े वर्ग कल्याण पदाधिकारी

- (पिछड़ी हुई मुस्लिम जातियों के कल्याण की देख-भाल करने के लिए सुपरिन्टेंडेंट का एक गजेटेड पद और ४ सुपरवाइजर के नान-गजेटेड पद पुनः जारी किये गये हैं)
- थारू और धांगरों के कल्याण की देख-भाल करने के लिए विशेष पदाधिकारी

(३) पहाडिया कल्याण पदाधिकारी

- १. खडिया कल्याण पदाधिकारी
  २. ३ कल्याण पदाधिकारी
  ३. सुपरवाइजर, खडिया सहकारी समिति
- ताना भगतों के लिए कल्याण पदाधिकारी

शेष सारे राज्य में हरिजनों के कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में जिला हरिजन कल्याण पदाधिकारियों की सहायता करने के लिए १०७ खण्ड सेवक हैं। कुछ क्षेत्रों में खण्ड सेवक अपने काम के अतिरिक्त अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण कार्य की भी देख-भाल करते हैं। अपने-अपने डिप्टी कमिश्नरों के नियन्त्रण में छोटा नागपुर डिविजन और संथाल परगने के जिलों में से प्रत्येक में हजारीबाग को छोड़कर, जहां कि अंचल अधिकारी योजना लागू हो जाने से जिला आदिवासी कल्याण पदाधिकारी का पद हटा दिया गया है, एक-एक के हिसाब से जिला आदिवासी कल्याण पदाधिकारियों के ५ गजेटेड पद हैं। उनमें से कुछ अनुसूचित जातियों के कल्याण की भी देख-भाल करते हैं। जिला संथाल परगना में नान-गजेटेड पद का एक सहायक जिला आदिवासी कल्याण पदाधिकारी भी है। जिला आदिवासी हरिजन कल्याण पदाधिकारियों की सहायता करने के लिए ३९४ थाना कल्याण पदाधिकारी, जिनमें से प्रत्येक इन प्रदेशों में स्थित एक या दो अनाज के गोलों का प्रभारी है। वे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के अन्य कल्याण सम्बन्धी उपायों की ओर भी ध्यान देते हैं। संथाल परगने के डिप्टी कमिश्नर के अधीन पहाडिया कल्याण के लिए गजेटेड पद का एक विशेष पदाधिकारी भी नियुक्त किया गया है। सिंहभूम जिले में खड़ियों के पुनर्वास की योजना का अधीक्षण करने के लिए एक खडिया कल्याण पदाधिकारी और रांची, सिंहभूम और संथाल परगना जिलों में पुनर्वास की योजनाओं का अधीक्षण करने के लिए एक-एक कल्याण पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार ने ताना भगतों के जिन्होंने भारत के गत स्वतन्त्रता आन्दोलन में महत्वपूर्ण बलिदान दिये थे, कल्याण के लिए भी एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया है। चम्पारण जिले में राज्य के सब से अधिक पिछड़े हुए वर्गों थारू और धांगरों के कल्याण की देख-भाल के लिए पिछड़े वर्गों के लिए एक विशेष पदाधिकारी है। यह पदाधिकारी चम्पारण के जिला पदाधिकारी के अधीन है। राज्य सरकार ने पिछड़ी मुस्लिम जातियों के कल्याण की देख-भाल के लिए अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ एक सुपरिन्टेंडेंट और ४ नान-गजेटेड सुपरवाइजर नियुक्त किये हैं। सिंहभूम जिले में सरकारी खर्च पर बनाई गई खडिया बस्तियों में सहकारी समितियों के संगठन के लिए एक सुपरवाइजर है।

बम्बई

पिछड़े वर्ग विभाग
(व्यवस्था का ब्यौरा)

पिछड़े वर्ग विभाग, सचिवालय के श्रम तथा समाज कल्याण विभाग के प्रशासनात्मक नियन्त्रण में हैं। प्रधान कार्यालय में छड़े वर्ग कल्याण निदेशक की सहायता पिछड़े वर्ग कल्याण के सहायक निदेशक की श्रेणी में एक निजी सहायक द्वारा की जाती । इसके अतिरिक्त पिछड़े वर्ग कल्याण के ३ सहायक निदेशक हैं। यह पद शिक्षा, सहकारिता तथा राजस्व विभागों के श्रेणी १ था २ के उपयुक्त पदाधिकारियों का स्थानान्तरण करके भरे जाते हैं। पुराने बम्बई राज्य के क्षेत्रो में द्वितीय श्रेणी के मामलतदारों पद के २३ पिछड़े वर्ग कल्याण पदाधिकारी हैं जिनमें से प्रत्येक एक जिले का प्रभारी होता है (नासिक तथा डांग जिलों छोड़कर जो कि एक पिछड़े वर्ग कल्याण पदाधिकारी के अधीन है)। महाराष्ट्र और गुजरात के लिए दो प्रादेशिक खानाबदोश ादिमजाति कल्याण पदाधिकारी भी हैं, जोकि विशेषरूप से खानाबदोश आदिमजातियों के कल्याण के लिए नियुक्त किये गये हैं। राने बम्बई राज्य के क्षेत्र में पिछड़े बर्ग विभाग को सामान्यतया कार्य-पालिका का काम नहीं सौपा जाता और इनका काम मुख्यतया म्बद्ध विभागों के काम का पिछड़े वर्गों के कल्याण सम्बन्धी कार्यों के साथ समन्वय स्थापित करना है। किसी क्षेत्र विशेष में किसी ार्यक्रम को क्रियान्वित करना उस विभाग का उत्तरदायित्व है।

विदर्भ प्रदेश में अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण सम्बन्धी कार्य की देख-भाल आदिमजाति कल्याण के प्रभारी ादेशिक पदाधिकारी द्वारा की जाती है, जिसकी सहायता ३ क्षेत्र संगठनकर्त्ता (आदिमजातियों के लिए) एक सुपरवाइजर कुटीर उद्योग लिए और १४ सर्किल संगठनकर्त्ता करते हैं। पिछड़े वर्गों के कल्याण सम्बन्धी कार्य का अधीक्षण एक क्षेत्र संगठनकर्त्ता द्वारा किया ाता है, जिसकी सहायता एक सर्किल संगठनकर्त्ता करता है। अस्पृश्यता-निवारण सम्बन्धी योजनाओं का कार्य विदर्भ प्रदेश के समाज ल्याण के प्रभारी प्रादेशिक पदाधिकारी द्वारा देखा जाता है, जो कि श्रम तथा समाज कल्याण विभाग के ही प्रशासनात्मक नियन्त्रण में । इस काम की देखभाल समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं के निष्पादन के लिये नियुक्त लिये गय समाज कल्याण कर्मचारियों ारा की जाती है।

पुराने सौराष्ट्र राज्य में, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अनुसूचित जातियों के कल्याण सम्बन्धी कार्य की देख-भाल राष्ट्र पिछड़े वर्ग बोर्ड द्वारा की जाती है, जोकि एक स्वायत्तशासी संविहित बोर्ड है। बोर्ड स्वयं तथा लोगों के सहयोग से ऐसे कार्य रता है, जिससे पिछड़े वर्गों की सामाजिक, शिक्षा सम्बन्धी तथा आर्थिक उन्नति हो। सौराष्ट्र पिछड़े वर्ग बोर्ड ने दिसम्बर १९५३ से र्य करना आरम्भ किया और कल्याण सम्बन्धी सारी योजनाएँ बोर्ड के द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं। विभाग का प्रभारी मंत्री बोर्ड प्रधान है। उप-प्रधान गैर-सरकारी सदस्यों में से चुना जाता है। बोर्ड में कुल १५ सदस्य हैं, जिनमें से ११ गैरसरकारी हैं, जो ाने प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं। बोर्ड की बैठक प्रति तीन मास में भविष्य की योजनाओं पर विचार करने के लिए होती है। शिष्ठ कल्याण सम्बन्धी योजनाओं को क्रियान्वित करने की देखभाल के लिए नियुक्त की गई उप-समितियों की बैठकें भी समय-मय पर होती हैं और इस प्रकार गैर-सककारी सदस्य कल्याण सम्बन्धी कार्यों को क्रियान्वित करने के बारे में निकट सम्पर्क में रहते । पिछड़े वर्ग पदाधिकारी इस बोर्ड का सचिव है। वह कार्यालय के प्रशासन तथा विभिन्न कल्याण सम्बन्धी योजनाओं को क्रिया-वित करने की देख-भाल करता है। पिछड़े वर्ग पदाधिकारी की सहायता दो सहायक पिछड़े वर्ग पदाधिकारी, एक योजना अधिकारी, प्रचार पदाधिकारी, और एक गवेषणा पदाधिकारी करते हैं, जो कि सब के सब केन्द्रीय कार्यालय में मामलतदार की श्रेणी के होते हैं ला पदाधिकारियों (पाँच) का अधीक्षण जिला पिछड़े वर्ग पदाधिकारी (पांच) अवैतनिक रूप से करते हैं, क्योंकि वे जिला पंचायत ाधिकारी भी हैं। उनकी सहायता महालकारियों की श्रेणी के सहायक जिला पिछड़े वर्ग पदाधिकारी करते हैं। संचालक कई शिक्षा बन्धी तथा सांस्कृतिक केन्द्र चलाते हैं और इसके अतिरिक्त बोर्ड के ग्राम सम्बन्धी कार्यों की देख-भाल करने के लिए २६ क्षेत्र कार्यकर्त्ता युक्त हैं।

मराठवाड़ा प्रदेश में अनुसूचित आदिमजातियों तथा अनुसूचित जातियों के कल्याण सम्बन्धी कार्य की देखभाल एक विशेष ाज सेवा पदाधिकारी और ४ समाज सेवा पदाधिकारी करते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक जिले का प्रभारी है। ये पदाधिकारी अपने र्मचारियों के साथ जिनमें क्षेत्र कार्यकर्त्ता जैसे समाज सेवा निरीक्षक, समाज सेवा संगठक, सहकारिता निरीक्षक, समाज-सवक आदि म्मलित हैं, अपने-अपने क्षेत्रों में कल्याण सम्बन्धी-योजनाओं की देख-भाल करते हैं।

पिछड़े वर्ग पदाधिकारी, कच्छ पिछड़े वर्ग कल्याण निदेशक के सीधे नियन्त्रण में काम करता है और अनुसूचित आदिम-तियों तथा अनुसूचित जातियों के लिए विभिन्न कल्याण सम्बन्धी योजनाओं के क्रियान्वित करने की देख-भाल करता है।

मध्य प्रदेश

आदिमजाति कल्याण विभाग

※(व्यवस्था का व्यौरा)

(१)

सचिव, आदिमजाति कल्याण
योजना तथा विकास विभाग
और विकास कमिश्नर
|
निदेशक आदिम जाति कल्याण
|
अवैतनिक राज्य संगठनकर्ता
|
दो सहायक निदेशक

२ डिवीजनल संगठनकर्ता — २ संगठनकर्ता प्रकाशन तथा प्रचार के लिए — सुपरवाइजर कुटीरोद्योग

४ क्षेत्र संगठनकर्ता (पिछड़े वर्गों के लिए)
|
४ सर्किल संगठनकर्ता

११ क्षेत्र संगठनकर्ता (आदिमजातियों के लिए)
|
६१ सर्किल संगठनकर्ता

(२)

सचिव, समाज कल्याण, खाद्य,
सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा श्रम
|
समाज कल्याण निदेशक
(अस्पृश्यता निवारण के लिए)

आदिमजाति कल्याण विभाग अनुसूचि
जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण सम्बन्धी
है और सरकार के एक अवर सचिव के अधीन
सहायता एक निदेशक करता है। श्री पी० जी
अवैतनिक राज्य संगठनकर्त्ता, आदिमजाति कल्य
नाओं को क्रियान्वित करने का प्रभारी है। दो
निदेशक तथा दो डिविजनल संगठनकर्त्ता, निदेशक
यता करते हैं। आदिमजातियों के कल्याण सम्ब
११ क्षेत्र संगठनकर्त्ताओं को सौंपे हुए हैं, जिनकी
६१ सर्किल संगठनकर्त्ता करते हैं। प्रकाशन औ
के लिए भी २ संगठनकर्त्ता हैं, कुटीरोद्योग के
सुपरवाइजर है। पिछड़े वर्गों की कल्याण
नाओं को कार्यान्वित करने के अधीक्षण
संगठनकर्त्ताओं को सौंपा हुआ है, जि
सर्किल संगठनकर्त्ता करते हैं।

अस्पृश्यता-निवारण सम्बन्धी यो
समाज कल्याण निदेशक, मध्य प्रदेश, नागपु
रहा है, जो कि सरकार की समाज-कल्य
जनिक स्वास्थ्य और श्रम विभागों के स

※३१ नवम्बर १९५६ से पहले की। आदिमजाति कल्याण विभाग की बाद की व्यवस्था का व्यौरा नहीं दिया

मद्रास

हरिजन कल्याण विभाग

(व्यवस्था का व्यौरा)

सचिव, उद्योग, श्रम
तथा सहकारिता
|
निदेशक, हरिजन कल्याण
|
निजी सहायक
(डिप्टी कलेक्टर के वेतन क्रम में)

७ जिला कल्याण पदाधिकारी (डिप्टी कलेक्टर की श्रेणी से लिए गए, अपने-अपने कलेक्टरों के अधीन काम करते हैं) — विशेष डिप्टी कलेक्टर कल्लरों के सुधार की देख-भाल करने के लिए) — ५ जिला कल्याण पदाधिकारी (वरिष्ठ तहसीलदारों की श्रेणी से लिए गए, अपने-अपने कलेक्टरों के अधीन काम करते हैं)

यह विभाग एक निदेशक के अधीन है
यता डिप्टी कलेक्टर की श्रेणी का एक
करता है। हरिजन कल्याण निदेशक कले
जो मद्रास नगर को छोड़ कर, जहाँ प
काम का प्रभारी है, जिलों में सीधे काम
समन्वय स्थापित करता है। कलेक्टरों के
कल्याण पदाधिकारी करते हैं, जोकि ७
में डिप्टी कलेक्टरों की श्रेणी से लिए जाते
पाँच जिलों में वरिष्ठ तहसीलदारों की श्र
जिले में तहसीलदार की श्रेणी के जिल
धिकारी के अतिरिक्त एक विमुक्त आदि
के सुधार की देख-भाल करने के लिए एक
कलेक्टर हैं। दक्षिण अर्काट जिले के
विमुक्त जातियों की बस्ती का प्रशासन भी
निदेशक ने पुलिस विभाग से अपने हाथ में

९

मैसूर

समाज कल्याण विभाग

(व्यवस्था का व्यौरा)

समाज कल्याण निदेशक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण सम्बन्धी कार्यों को संगठित करने के लिए उत्तरदायी विभाग का अध्यक्ष है और प्रधान कार्यालय में एक सहायक निदेशक उसकी सहायता करता है। इसके अतिरिक्त मैसूर में (मैसूर खण्ड के लिए) और धारवाड में (धारवाड खण्ड के लिए) क्रमशः दो सहायक निदेशक नियुक्त हैं। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी हैं, जिनकी सहायता उनके कार्यवाहक कर्मचारी करते हैं।

हैदराबाद क्षेत्र (गुलबर्गा, रायचूर और बीदर)

प्रत्येक जिले के लिए एक जिला पदाधिकारी है, जिसे विशेष समाज सेवा पदाधिकारी (केवल गुलबर्गा में) अथवा समाज सेवा पदाधिकारी कहते हैं। उनकी सहायता निरीक्षक अथवा संगठनकर्त्ता करते हैं। इसके आगे प्रत्येक दो तालुकों के लिए एक-एक समाज-सेवक अथवा ग्राम-स्तर कार्यकर्त्ता है।

बम्बई क्षेत्र (धारवाड़, बेलगाँम, बीजापुर और उत्तर कनारा)

यहाँ एक जिला पदाधिकारी है, जिसे पिछड़े वर्ग कल्याण पदाधिकारी कहते हैं, जिसकी सहायता सचिवालय के कर्मचारी करते हैं।

दक्षिण कनारा

यहाँ सहायता सम्बन्धी कार्य की देख-भाल कलेक्टर करता है। वह समाज कल्याण निदेशक के लिए उत्तरदायी होता है। एक जिला पदाधिकारी है, जो नान-गजेटेड पद का है और जिसे जिला हरिजन कल्याण पदाधिकारी कहते हैं, जिसके अधीन विशेष राजस्व निरीक्षक है। सहायक महिला कल्याण पदाधिकारी जिसकी सहायता महिला संगठन कर्त्रियाँ करती हैं, सभी जातियों की महिलाओं तथा बच्चों की दशा सुधारने के लिए उत्तरदायी है। यह विशेष बात केवल दक्षिण कनारा में है और यह कार्य राज्य पुनर्गठन के पश्चात् समाज कल्याण निदेशक के नियंत्रण में लाया गया था।

कुर्ग

सहायक विकास कमिश्नर कल्याण सम्बन्धी कार्यों का अधीक्षण करता है और समाज कल्याण निदेशक के प्रति

उत्तरदायी है । एक जिला पदाधिकारी हैं, जिसे पिछड़े वर्गों का कल्याण पदाधिकारी कहते हैं । यह गजेटेड श्रेणी का है और विभिन्न तालुकों में कल्याण सहायक इसकी सहायता करते हैं ।

पुराना मैसूर (बंगलौर, मैसूर, टुमकूर, कोलार, हासन शिमोगा, चित्तलदुर्ग, चिकमगलूर, मंडया और बेल्लारी)

डिप्टी कमिश्नर कल्याण सम्बन्धी कार्यों के प्रभारी हैं और समाज कल्याण निदेशक के प्रति उत्तरदायी हैं । प्रत्येक जिले के लिए जिला पदाधिकारी भी हैं, जिसे दलित वर्गों के लिए विशेष पदाधिकारी भी कहते हैं, जो डिप्टी कमिश्नर की सहायता करता है । तालुकों में अमलदार हैं, जो कल्याण सम्बन्धी कार्यों के प्रभारी हैं और प्रत्येक तालुके में एक-एक विशेष राजस्व निरीक्षक उनकी सहायता करते हैं ।

उड़ीसा

आदिमजाति तथा ग्रामीण कल्याण विभाग

(व्यवस्था का ब्यौरा)

सचिव, आदिमजाति तथा ग्रामीण कल्याण
(इसका पद निदेशक भी है)
|
उप-सचिव, आदिमजाति तथा ग्रामीण कल्याण
(इसका पद उप-निदेशक भी है)
|
अवर सचिव, आदिमजाति तथा ग्रामीण कल्याण
|

अवैतनिक ग्रामीण कल्याण पदाधिकारी (प्रधान कार्यालय में)	सहायक निदेशक, आदिमजाति तथा ग्रामीण कल्याण (प्रधान कार्यालय कोरापुट में)	सहायक निदेशक, आदिमजाति गवेषणा विभाग (प्रधान कार्यालय भुवनेश्वर में)	ग्रामीण कल्याण पदाधिकारी (प्रधान कार्यालय सम्बलपुर में)
जिला कल्याण पदाधिकारी, कटक, पुरी, बालासोर, मयूरभंज	जिला कल्याण पदाधिकारी, फूलबनी, गंजाम, कालाहांडी, कोरापुट	२ गवेषणा पदाधिकारी, १ प्रयोगशाला सहायक, १ फोटोग्राफर	जिला कल्याण पदादिकारी, सम्बलपुर, सुन्दरगढ़, बलांगिर ढेनकनाल, क्योंझर
३ सहायक जिला कल्याण पदाधिकारी	७ सहायक जिला कल्याण पदाधिकारी		५ सहायक कल्याण जिला पदाधिकारी

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों, विमुक्तसु जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की देख-भाल करने वाला विभाग एक सचिव के नियन्त्रण में है, जो इस विभाग का कार्यपालक अध्यक्ष भी है और इसका पद आदिमजाति तथा ग्रामीण कल्याण निदेशक है । सचिवालय तथा निदेशालय को मिलाने की वर्तमान व्यवस्था बहुत सन्तोषजनकरूप से कार्य कर रही है । सचिव की सहायता के लिए १९५४ में उप-निदेशक व उप-सचिव का एक पद बनाया गया था । आदिमजाति तथा ग्रामीण कल्याण विभाग के अवर सचिव को जन-सम्पर्क विभाग के अवर सचिव के कार्य भार से मुक्त कर दिया गया है । ग्रामीण कल्याण पदाधिकारी, जो पहले प्रधान कार्यालय में रहता था, सम्बलपुर में नियुक्त कर दिया गया है ताकि अधिक अच्छा अधीक्षण हो सके । अवैतनिक ग्रामीण कल्याण पदाधिकारी पहले के समान प्रधान कार्यालय में कार्य करता रहा । सहायक निदेशक, आदिमजाति तथा ग्रामीण कल्याण, जो हाल ही में नियुक्त किया गया है, कोरापुट में रहता है । काम अधिक हो जाने के कारण कालाहाँडी, ढेनकनाल, क्योंझर, कोरापुट, सम्बलपुर और कटक के जिलों के लिए सहायक जिला कल्याण पदाधिकारियों के ६ नये पद मंजूर किये गये थे । ग्रामीण कल्याण निरीक्षकों की संख्या पहले उतनी ही रही । कथित वर्ष में सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की सामान्य संख्या

५ ग्रामीण कल्याण निरीक्षक	४ ग्रामीण कल्याण निरीक्षक	५ ग्रामीण कल्याण निरीक्षक
२४ सामाजिक कार्यकर्ता,	४६ सामाजिक कार्यकर्त्ता	३७ सामाजिक कार्यकर्त्ता,
३६ ग्राम कल्याण गाइड	१९ ग्रामीण कल्याण गाइड	२३ ग्राम कल्याण गाइड

काफी बढ़ गई। शिक्षा बिभाग से लेकर सेवाश्रमों में परिवर्तित ३३१ प्राथमिक पाठशालाओं की देख-भाल करने के लिए १७ सामाजिक कार्यकर्त्ता नियुक्त किये गये थे।

पंजाब

कल्याण विभाग

(व्यवस्था का व्यौरा)

पंजाब सरकार का गृह सचिव

कल्याण पदाधिकारी

उप-कल्याण पदाधिकारी	सुपरिन्टेंडेंट,
११ जिला कल्याण पदाधिकारी	कृषि बस्ती,
२४ कल्याण क्षेत्र पदाधिकारी	बीड़ ठेहबारी,
२० सहायक कल्याण पदाधिकारी	जिला करनाल

कल्याण विभाग पंजाब का अध्यक्ष प्रान्तीय असैनिक सेवा के पद का एक गजेटेड पदाधिकारी है, जिसे कल्याण पदाधिकारी, पंजाब कहते हैं। एक उप-कल्याण पदाधिकारी, पंजाब, जो एक गजेटेड पदाधिकारी होता है, उसकी सहायता करता है। कल्याण विभाग का प्रशासन भार पंजाब सरकार के चण्डीगढ़ स्थित गृह-सचिव पर है। ११ जिला कल्याण पदाधिकारी, २४ कल्याण क्षेत्र पदाधिकारी, २० सहायक कल्याण पदाधिकारी और एक सुपरिन्टेंडेंट, कृषि बस्ती, बीड़ ठेहबारी, अनुसूचित जातियों, विमुक्त जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। ये कर्मचारी इन लोगों की दशा का सर्वेक्षण करते हैं, इनकी कठिनाइयों को दूर करने में इनकी सहायता करते हैं और सरकार द्वारा इनकी उन्नति के लिए मंजूर की गई विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित भी करते हैं।

राजस्थान
समाज कल्याण विभाग
(व्यवस्था का ब्यौरा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव
|
समाज कल्याण निदेशक
|

लेखा पदाधिकारी	समाज कल्याण पदाधिकारी	प्रचार पदाधिकारी	समाज शिक्षा पदाधिकारी	गवेषणा पदाधिकारी	सहायक गवेषणा पदाधिकारी	सहायक सांख्यकीय पदाधिकारी	प्रचार सहायक	कल्याण निरीक्षक
(१)	(१)	(१)	(१)	(१)	(२)	(१)	(१)	(२)

डिवीजन जिला स्तर

सहायक निदेशक समाज कल्याण विभाग, राजजस्थान, जयपुर

पद	संख्या
समाज कल्याण पदाधिकारी	(१)
सहायक महिला कल्याण पदाधिकारी	(१)
सुपरवाइजर	(१)
गृह निरीक्षक	(१)
कल्याण निरीक्षक	(१०)
कल्याण कार्यकर्त्ता	(६)
महिला कल्याण कार्यकर्त्रियां	(३)
प्रचारक	(१)
सहायक प्रचारक	(१)

सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग, जोधपुर

पद	संख्या
सहायक महिला कल्याण पदाधिकारी	(१)
प्रचार सहायक	(१)
कल्याण निरीक्षक	(३)
कूप निरीक्षक	(१)
कल्याण कार्यकर्त्ता	(८)
महिला कल्याण कार्यकर्त्रियां	(२)
लेखा निरीक्षक	(१)
प्रचारक	(१)
सहायक प्रचारक	

सहायक निदेशक समाज कल्याण विभाग, भरतपुर

पद	संख्या
सहायक महिला पदाधिकारी	(१)
कल्याण निरीक्षक	(३)
गृह निरीक्षक	(१)
कूप निरीक्षक	(१)
कल्याण कार्यकर्त्ता	(६)
महिला कल्याण कार्यकर्त्री	(१)
प्रचारक	(१)
सहायक प्रचारक	(१)
	(१)

समाज कल्याण विभाग का अध्यक्ष समाज कल्याण का मुख्य सचिव के अधीन है। प्रधान कार्यालय में लेखा धिकारी, महिला कल्याण पदाधिकारी, प्रचार पदाधिकारी सांख्यकीय पदाधिकारी, कल्याण निरीक्षक, लेखा निरीक्षक डिविजनल तथा जिला स्तर पर काम का नियन्त्र[illegible] सहा- बीकानेर और भरतपुर में नियुक्त हैं। सहायक [illegible] निदेशकों पदाधिकारी, प्रचार सहायक, कल्याण निरीक्षक, गृह

लेखा निरीक्षक	फोटोग्राफर तथा कलाकार	उद्योग निरीक्षक	महिला कल्लाण कार्य कर्त्रियां	ओवरसीयर तथा ड्राफ्ट्समैन	चालक
(१)	(१)	(१)	(२)	(१)	(१)

सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग बीकानेर

पद	संख्या
सहायक महिला कल्याण पदाधिकारी	(१)
कल्याण निरीक्षक	(२)
गृह निरीक्षक	(१)
कल्याण कार्यकर्त्ता	(४)
महिला कल्याण कार्यकर्त्रियां	(२)
प्रचारक	(१)
सहायक प्रचारक	(१)

सहायक निदेशक समाज कल्याण विभाग, उदयपुर

पद	संख्या
समाज कल्याण पदाधिकारी	(३)
सहायक प्रचार पदाधिकारी	(१)
सहायक महिला कल्याण पदाधिकारी	(१)
स्कूलों के सुपरवाइजर	(४)
प्रचा८ सहायक	(१)
कल्याण निरीक्षक	(१०)
पुनर्वास निरीक्षक	(२)
कूप निरीक्षक	(८)
कल्याण कार्यकर्त्ता	(६)
महिला कल्याण कार्यकर्त्रियाँ	(२)
सहायक प्रचारक	(१)
ओवरसीयर का डाफ्ट्समैन	(१)
चालक	(१)

निरीक्षक कल्याण निदेशक है। सचिवालय स्तर पर यह विभाग अतिरिक्त पदाधिकारी, गवेषणा पदाधिकारी, समाज कल्य.ण पदासमाज शिक्षा पदाधिकारी, उद्योग निरीक्षक, सहायक और कल्याण कार्यकर्त्ता निदेशक की सहायता करते हैं। यक निदेशक करते हैं, जो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, की सहायता क्षेत्र कर्मचारी, जैसे सहायक महिला कल्याण कार्यकर्त्ता आदि करते हैं।

उत्तर प्रदेश
हरिजन सहायक विभाग
(व्यवस्था का ब्यौरा)

अनुसूचित जातियों, विमुक्त जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण सम्बन्धी कार्य हरिजन सहायक विभाग द्वारा किया जाता है, जो जातियों के कल्याण की योजनाओं में समन्वय स्थापित करता है और उन्हें क्रियान्वित करता है। इस विभाग का अध्यक्ष, सचिव है। हरिजन कल्याण के निदेशक को हरिजन सहायक विभाग का अतिरिक्त सचिव भी कहते हैं। प्रधान कार्यालय में दो उप-निदेशक, तीन सहायक निदेशक, दो हरिजन कल्याण पदाधिकारी (प्रधान कार्यालय) और एक प्रचार पदाधिकारी निदेशक की सहायता करते हैं। दो उप-निदेशक कृत्यों के आधार पर काम करते हैं, और पुनर्वास, शिक्षा सम्बन्धी तथा अन्य साधारण योजनाओं की देख-भाल करते हैं। तीन सहायक निदेशक, उप-निदेशकों के सामान्य दिग्दर्शन में प्रादेशिक आधार पर काम करते हैं। दो हरिजन कल्याण पदाधिकारी (प्रधान कार्यालय) स्थापना, लेखा कार्य और विभागीय नियमावली को तैयार करने आदि की देख-भाल करते हैं।

क्षेत्र कर्मचारियों में ५१ जिला हरिजन कल्याण पदाधिकारी हैं जो राज्य के प्रत्येक जिले में एक-एक हैं। राज्य में विमुक्त जातियों के लिए १० बस्तियां हैं। इनमें से पाँच खीरी जिले में आरम्भ की गई हैं और दो पदाधिकारियों के नियन्त्रण में हैं। अन्य पांच बस्तियां अर्थात् मुजफ्फरनगर में बौरिया बस्ती, रायबरेली में ऐहर बस्ती, फरुखाबाद में तकीपुर बस्ती, खीरी में साहिब गंज बस्ती और मुरादाबाद में काँठ बस्ती, ५ कार्य-निरीक्षकों के अधीन हैं।

कल्याणपुर, कानपुर, फजलपुर, मुरादाबाद और गोरखपुर में प्रबन्धकों के अधीन जिनकी सहायता आवश्यक टैक्निकल तथा अन्य कर्मचारी करते हैं, विमुक्त जातियों की तीन बड़ी-बड़ी सरकारी उन्नयन बस्तियां हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त तीन टैक्निकल प्रशिक्षण केन्द्र हैं, जहाँ इन जातियों के लोगों को विभिन्न व्यवसायों में टैक्निकल तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। ये प्रशिक्षण केन्द्र, बख्शी का तालाब, लखनऊ, नैनीताल और गोरखपुर में स्थित हैं और सुपरिटेंडेंटों के नियन्त्रण में हैं, जिनकी सहायता आवश्यक शिक्षक तथा अन्य कर्मचारी करते हैं।

पश्चिमी बंगाल

आदिमजाति कल्याण विभाग
(व्यवस्था का व्यौरा)

आदिमजाति कल्याण विभाग का कार्य एक आंशिक समय के लिए कार्य करने वाले उप-सचिव, एक सहायक सचिव, एक विशेष पदाधिकारी तथा एक सम्पर्क पदाधिकारी द्वारा किया जाता है। मिदनापुर, वीरभूम, पश्चिमी दीनाजपुर, २४ परगना, बांकुरा और पुरुलिया, जिलों के लिए ६ विशेष पदाधिकारी और मालडा, मिदनापुर, बर्दवान, हुगली, मुर्शिदाबाद, जलपाइगुरी और दार्जिलिंग जिलों में से प्रत्येक के लिए एक-एक नान-गजेटेड पद के ७ आदिमजाति कल्याण पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं। बर्दवान, वीरभूम, भिदनापुर, बांकुरा, मालडा और पश्चिमी दीनाजपुर में आदिमजाति कल्याण के लिए गृह (प्रचार) विभाग के नियन्त्रण में पाँच प्रचार पदाधिकारी भी हैं। यह विभाग केवल समन्वय स्थापित करने के विभाग का काम करता है और इसका कोई अपना निदेशालय नहीं है और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों और पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में सारी कल्याण योजनाओं के निष्पादन की देख-भाल सचिवालय में सम्बन्धित प्रशासन विभागों द्वारा की जाती है।

नये मिलाये गये पुरुलिया जिले में एक हरिजन कल्याण पदाधिकारी और १६ थाना कल्याण पदाधिकारी हैं।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह का प्रशासन
(व्यवस्था का व्यौरा)

आदिवासी आदिमजातियों के कल्याण सम्बन्धी कार्य चीफ कमिश्नर की देख-रेख में होते हैं, जिसके काम में एक डिप्टी कमिश्नर सहायता करता है। चीफ कमिश्नर के कार्यालय में एक सचिव, दो सहायक सचिव और एक विकास पदाधिकारी हैं।

उपरोक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय के मानव विज्ञान विभाग ने पोर्ट ब्लेयर में एक मानव विज्ञान सम्बन्धी उप-केन्द्र स्थापित किया है।

हिमाचल प्रदेश

समाज कल्याण विभाग

(व्यवस्था का व्यौरा)

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की देख-भाल करने के लिए हिमाचल प्रदेश में सितम्बर, १९५५ से एक अलग प्रशासन विभाग खोला गया है। प्रधान कार्यालय में इस विभाग का काम जन-सम्पर्क तथा पर्यटन निदेशक द्वारा जो कि इस विभाग का सहायक सचिव है, अपने काम के अतिरिक्त देखा जाता है। विकास कमिश्नर व अतिरिक्त सचिव (विकास) इस विभाग का सचिव है। सहायक सचिव की सहायता करने के लिए राज्य के प्रधान कार्यालय में, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा एक कल्याण पदाधिकारी नियुक्त किया जा रहा है। जिला स्तर पर जब कभी सम्भव होता है, तो जिला सम्पर्क पदाधिकारियों को उनके डिप्टी कमिश्नर के प्रशासनात्मक नियन्त्रण में अपने-अपने क्षेत्रों में यह काम सौंपा जाता है।

दिल्ली

(व्यवस्था का व्यौरा)

अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की देख-भाल करने के लिए कोई अलग प्रशासन व्यवस्था नहीं है। इन लोगों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाएं राज्य के भिन्न-भिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

लकादीव, मिनिकोय और आमिनदिवि

जानकारी नहीं दी गई

मणीपुर

(व्यवस्था का ब्यौरा)

मणीपुर में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों के हितों की देख-भाल करने के लिए कोई अलग विभाग नहीं है। किन्तु डिप्टी कमिश्नर के अधीन एक आदिमजाति पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। डिप्टी कमिश्नर राज्य का पदेन विकास कमिश्नर भी है। सचिवालय के स्तर पर भी एक आदिमजाति पदाधिकारी सहायक सचिव (आदिमजाति कल्याण) के पद पर काम कर रहा है।

त्रिपुरा

आदिमजाति कल्याण विभाग

(व्यवस्था का ब्यौरा)

परामर्शदाता, आदिमजाति कल्याण, योजना, वित्त, निर्माण तथा भवन और खाद्य तथा संभरण
|
विकास कमिश्नर
(पद अक्तूबर, १९५६ से रिक्त है)
|
सहायक सचिव
|
निदेशक, आदिमजाति कल्याण
(पद अभी तक भरा नहीं गया)
|
उप-निदेशक, आदिमजाति कल्याण
(पद नवम्बर, १९५६ से रिक्त है)

त्रिपुरा में आदिमजाति कल्याण विभाग नामक एक अलग विभाग खोला गया है, जो कि एक परामर्शदाता के पथप्रदर्शन में है। विकास कमिश्नर योजना विभाग में अपने काम के अतिरिक्त इस विभाग का भी प्रभारी है। आदिमजाति कल्याण निदेशालय, जो अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण सम्बन्धी कार्य भी करता है, सीधे विकास कमिश्नर के अधीन है।

परिशिष्ट १

विवरण संख्या ३

विभिन्न राज्यों में राज्य तथा जिला स्तर पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों आदि के लिये कल्याण समितियों। बोर्डों के गठन को बतानेवाली तालिका।

क्रमांक	राज्य का नाम	राज्य स्तर पर	जिला स्तर पर
१	२	३	४
१.	आंध्र प्रदेश	आन्ध्र सरकार ने एक राज्य हरिजन कल्याण समिति बनाई है। ३१ विधान मण्डल के सदस्य और १७ गैर-सरकारी व्यक्ति उसके सदस्य हैं तथा विद्युत एवं समाज कल्याण मंत्री उसके सभापति व समाज कल्याण निदेशक सचिव हैं। इसी प्रकार राज्य स्तर पर पिछड़े वर्ग मंत्रणा समिति तथा विमुक्त जाति मंत्रणा समिति बनाई गई है जिनके क्रमशः ३२ और १२ सदस्य हैं।	आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने श्रीकाकुलम, विशाखा—पटनम्, पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी के जिलों में अनुसूचित आदिमजातियों में स्थानीय नेतृत्व तथा उत्तरदायित्व की भावना पैदा करने की दृष्टि से जून १९५६ में जिला मंत्रणा समितियों के गठन का आदेश दिया। जिले के अधिकारियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण में रुचि रखने वाले और सरकारी व्यक्तियों को इन समितियों का सदस्य मनोनीत किया गया है। जिले के एजेन्ट को समिति का पदेन सभापति नियुक्त किया गया है और उसे जिले के एक विशेष सहायक एजेंट को समिति का पदेन मन्त्री मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है।
२.	आसाम	हरिजन कल्याण के लिए एक राज्य मंत्रणा बोर्ड बनाने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।	राज्य सरकार ने राज्य के मैदानी तथा पहाड़ी जिलों के प्रत्येक सब-डिवीजन में एक सब-डिवीजनल विकास समिति बनाई है। ये समितियां [illegible] सरकारी अनुदानों से सब-डिविजनों के लिये दी गई [illegible] राशियों में से विकास योजनायें बनाती हैं, जैसे [illegible] अपनी सहायता आप करो, ग्रामीण संचार, ग्राम जल सम्भरण आदि और उन्हें स्वीकृति के लिए सरकार के पास भेजती हैं। सरकार भी संविधान के अनुच्छेद २७५ के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के अनुदानों में से तथा राज्य के राजस्व में से उपलब्ध अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण के लिये हाथ में ली गई सम्पूर्ण [illegible] राज्य की विकास योजनाओं को तैयार करती है। सब-

१	२	३	४
			डिवीजनल विकास समितियों तथा सरकार द्वारा तैयार की गई दोनों योजनाओं को आसाम राज्य के विभिन्न स्वायत्तशासी जिलों के मुख्य कार्य-पालिका सदस्यों तथा विधान सभा के आदिमजाति सदस्यों के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जाता है और अनुमोदित किया जाता है। प्रत्येक स्वायत्तशासी जिला परिषद् को उसके क्षेत्राधिकार में विद्यमान विभिन्न विकास योजनाओं जैसे जल सम्भरण, संचार साधनों आदि में सुधार करने के लिये सहायतार्थ अनुदान के रूप में इकट्ठी राशि भी मंजूर की जाती है। मैदानी जिलों के सम्बन्ध में इस प्रकार के अनुदान इन जिलों में से प्रत्येक के डिप्टी कमिश्नर को मंजूर किया जाता है, जिन्हें अपने-अपने जिलों के विधान सभा के स्थानीय आदिमजाति सदस्यों के परामर्श से अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण की विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने का विशेषरूप से निर्देश किया जाता है। इसी प्रकार अस्पृश्यता निवारण के लिये बनाई गई विकास योजनाओं को राज्य की विधान सभा के अनुसूचित जाति सदस्यों के परामर्श से तैयार किया जाता है और अन्तिम रूप दिया जाता है।
३.	बिहार	राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के कल्याण सम्बन्धी सभी विषयों पर सरकार को सलाह देने के लिये राज्य स्तर पर एक अनुसूचित जाति मंत्रणा बोर्ड बनाया है। सरकार ने पिछड़ी मुस्लिम जातियों के कल्याण के लिये भी एक राज्य मंत्रणा बोर्ड बनाया है।	राज्य के प्रत्येक जिले तथा सब-डिवीजन के लिये जिला एवं सब-डिवीजन हरिजन कल्याण बोर्ड हैं। ये बोर्ड जिला तथा सब-डिवीजन के पदाधिकारियों को अनुसूचित जातियों तथा विमुक्त जातियों के कल्याण सम्बन्धी विषयों पर सलाह देते हैं। राज्य के सभी जिलों में पिछड़ी मुस्लिम जातियां मंत्रणा बोर्ड भी बनाये गये हैं। ये बोर्ड पिछड़ी मुस्लिम जातियों के शिक्षा सम्बन्धी विकास के लिये खोले गये हैं। ये बोर्ड मकतबों के कल्याण की व्यवस्था करने के बारे में स्कूलों के निरीक्षकों की सहायता करते हैं।

१	२	३	४
४.	बम्बई	पुराने बम्बई राज्य में पिछड़े वर्गों के कल्याण सम्बन्धी विषयों के बारे में सरकार को सलाह देने के लिये एक पिछड़े वर्ग बोर्ड था । सभापति, उप-सभापति तथा दो पदेन सदस्यों सहित बोर्ड के २५ सदस्य थे । बोर्ड की पदावधि पहले ही समाप्त हो चुकी है और नये बम्बई राज्य में इसके गठन का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है ।	पुराने बम्बई राज्य के प्रत्येक जिले में सर्वतोमुखी ग्राम विकास का कार्य करने के लिये एक जिला विकास बोर्ड बनाया गया है । जिला विकास बोर्डों के अधीन पिछड़े वर्गों की दशा सुधारने के कामों की देखभाल करने के लिये पिछड़े वर्ग कल्याण समितियां नामक उप-समितियाँ बनाई गई हैं । जिला विकास बोर्ड का उप-सभापति, जो कि सरकार द्वारा मनोनीत गण्यमान्य तथा प्रभावशाली गैर-सरकारी व्यक्ति होता है, पिछड़े वर्ग कल्याण समिति का सभापति और जिले का पिछड़े वर्ग कल्याण पदाधिकारी सचिव होता है । पिछड़े वर्ग कल्याण समितियों का कार्य सरकार द्वारा मंजूर कल्याण योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये कार्यक्रम तैयार करना है ।
		पुराने सौराष्ट्र राज्य में एक पिछड़े वर्ग बोर्ड है जो जनता के सहयोग से ऐसे कामों को करने तथा उनमें समन्वय स्थापित करने के लिये बनाया गया है जिससे पिछड़े वर्ग शिक्षा सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से अन्य वर्गों के समान हो सके । बोर्ड में कुल १५ सदस्य हैं जिनमें से ११ गैर-सरकारी व्यक्ति हैं, जो अत्यन्त अनुभवी और प्रतिष्ठित कार्यकर्त्ता हैं ।	भूतपूर्व सौराष्ट्र राज्य में पिछड़े वर्गों के कल्याण की देखभाल करने के लिये सरकार की गैर-सरकारी व्यक्तियों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं और बोर्ड के स्थानीय सदस्यों की जिला कल्याण समितियां बनाई गई थीं । कल्याण समितियां विभिन्न कल्याण योजनाओं की कार्यान्विति का अधीक्षण करती हैं।
			भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के मराठवाड़ा प्रदेश में जो कि अब बम्बई में मिल गया है, समाज सेवा विभाग की सब कल्याण सम्बन्धी योजनाओं के विषय में जिला अधिकारियों को सलाह देने के लिये सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों के जिला समाज सेवा बोर्ड हैं ।
		पुराने कच्छ राज्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा विमुक्त जातियों के सामान्य कल्याण के लिये शिक्षा, घरों के लिये अनुदान और आर्थिक उन्नति, कुओं की मरम्मत तथा निर्माण और अन्य प्रस्तावों के बारे में सरकार को मंत्रणा देने के लिये एक पिछड़े वर्ग मन्त्रणा बोर्ड बनाया गया है । अस्पृश्यता अपराध अधिनियम १९५५ को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करने की देख-भाल करने के लिये भी एक समिति बनाई गई है।	पूर्व कच्छ राज्य और भूतपूर्व मध्य प्रदेश के विदर्भ प्रदेश में जो अब बम्बई में मिल गये हैं, कोई जिला कल्याण समिति नहीं है ।

१	२	३	४
५.	जम्मू और काश्मीर	——————जानकारी नहीं दी गई——————	
६.	केरल	पिछड़ी जातियों की उन्नति के लिये १९५४ में जो मंत्रणा समिति पुनः बनाई गई थी, वही काम करती रही। समिति का काम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण सम्बन्धी सभी विषयों पर सरकार को सलाह देना है। केरल राज्य के निर्माण के पश्चात्, मलाबार से भी ५ सदस्यों को समिति का स्थानापन्न सदस्य चुना गया है। एक उच्च अधिकारों वाला आदिमजाति बोर्ड भी बनाया गया है, जिसमें राज्य सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारी और पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। बोर्ड पहाड़ी पुलयों, मुतुवनों और कादरों की दशा सुधारने के लिये तीन अग्रिम योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। आदिमजाति बोर्ड राज्य में अनुसूचित आदिमजातियों की सामान्य दशा सुधारने के उपाय सुझाने के लिये एक अन्तिम रिपोर्ट भी तैयार कर रहा है। इस समिति में मलाबार से अनुसूचित आदिमजातियों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।	कलक्टरों द्वारा उन्हें पिछड़े वर्गों के कल्याण की योजनाओं के बारे में सलाह देने के लिये जिला मंत्रणा समितियां बनाई गई हैं।
७.	मध्यप्रदेश	——————जानकारी नहीं दी गई——————	
८.	मद्रास	राज्य सरकार ने एक राज्य हरिजन कल्याण समिति बनाई है जिसके २३ सदस्य हैं। विधान सभा के हरिजन सदस्य तथा सामाजिक कार्यकर्त्ता इस समिति के सदस्य हैं। इस समिति की बैठक तीन मास में एक बार राज्य में योग्य जातियों की उन्नति सम्बन्धी विषयों पर चर्चा करने के लिये होती है। राज्य पिछड़े वर्ग समिति अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण सम्बन्धी सभी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देती है।	प्रत्येक जिले में अस्पृश्यता निवारण तथा योग्य जातियों की उन्नति सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिये कलक्टर के सभापतित्व में एक जिला हरिजन कल्याण समिति बनाई गई है।

१	२	३	४
९.	मैसूर	एक केन्द्रीय दलित वर्ग नीति समिति, सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्ति जिसके सदस्य हैं और मुख्य मंत्री सभापति हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों आदि की कल्याण सम्बन्धी सभी नीति विषयक बातों पर चर्चा करती और उन्हें तय करती है।	कल्याण सम्बन्धी कार्यों के विविध पहलुओं पर सलाह देने के लिए जिलों में जिले के डिप्टी कमिश्नर के सभापतित्व में मंत्रणा समितियां और तालुका समितियां बनाई गई हैं। अन्य जातियों के प्रमुख सार्वजनिक व्यक्तियों को इन जिला तथा तालुक समितियों का सदस्य नियुक्त किया जाता है। जिला समितियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के सदस्यों का बहुमत होता है।
१०.	उड़ीसा	शून्य	राज्य सरकार ने सभी जिलों में विकास कार्यक्रमों तथा अन्य कल्याण कार्यों को तैयार करने और क्रियान्वित करने में जिला मजिस्ट्रेटों को सलाह देने और उनकी सहायता करने के लिए एक जिला कल्याण समिति बनाई है। जिला मजिस्ट्रेट समिति का सभापति होता है और जिला कल्याण पदाधिकारी इसका सचिव। विभागों के जिला स्तर के पदाधिकारी, विधान सभा के स्थानीय सदस्य और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण कार्य में रुचि लेने वाले अन्य सार्वजनिक व्यक्ति इनके सदस्य हैं।
११.	पंजाब	राज्य के कल्याण विभाग के लिए अक्तूबर, १९५५ में एक मंत्रणा समिति बनाई गई थी। राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात् यह समाप्त कर दी गई है। इस समिति को पुनः स्थापित करने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।	शून्य
१२.	राजस्थान	राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए एक मन्त्रणा समिति बनाई है।	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की दशा सुधारने सलाह देने तथा उपाय सुझाने के लिए प्र में जिला समाज कल्याण बोर्ड बनाये ग बोर्ड राज्य के पिछड़े वर्गों में प्रचार व हैं और अस्पृश्यता तथा अन्य सामाजि ग्यताओं के निवारण और उनमें से सामाजिक रीति रिवाजों को दूर करने उपयुक्त कार्यवाही करते हैं।

१	२	३	४
१३.	उत्तर प्रदेश	अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा विमुक्त जातियों के सामान्य कल्याण सम्बन्धी विषयों के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए राज्य स्तर पर एक राज्य हरिजन तथा पिछड़े वर्ग कल्याण बोर्ड है।	राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला आयोजन समिति है जिसके साथ हरिजन सहायक उप-समिति नामक एक उप-समिति है। आयोजना समिति का उप-सभापति, जो सामान्यतया कोई गैर-सरकारी व्यक्ति होता है, जिला हरिजन सहायक उपसमिति का सभापति होता है। इन उप-समितियों के काम ये हैं : (१) नगर बोर्डों, नगर क्षेत्र समितियों, विकास बोर्डों, तथा जिला बोर्डों को इन वर्गों के कल्याण की उन्नति के बारे में सलाह देना। (२) जिला स्कूल इन्सपैक्टरों, प्रादेशिक हरिजन कल्याण पदाधिकारियों और जिला आयोजना पदाधिकारियों को वृत्तियां, पुस्तकें आदि खरीदने के लिए अनावर्त्तक सहायता देने और कुओं, घरों, नालियों आदि के निर्माण के लिए अनुदान देने के बारे में सलाह देना, (३) हरिजनों को व्यवसायिक तथा प्राविधिक संस्थाओं में प्रवेश दिलाना और प्रशिक्षण की अवधि में उन्हें वित्तीय सहायता देना, (४) जिलों में कुटीरोद्योगों के अनुदानों तथा उनकी सिफारिशों पर विचार करना
१४.	पश्चिमी बंगाल	शून्य	राज्य के १५ जिलों में से १२ जिलों में आदिम-जाति कल्याण समितियां बनाई गई हैं। आदिम-जाति कल्याण समितियों का काम मुख्यतया अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण के लिए योजनायें तैयार करने और उनके निष्पादन सम्बन्धी विषयों के बारे में जिला पदाधिकारियों को सलाह देना है।
१५.	अन्डमान निकोबर द्वीपसमूह	शून्य	शून्य
१६.	दिल्ली	दिल्ली में अनुसूचित-जातियों के हितों की देख-भाल करने के लिए एक हरिजन कल्याण बोर्ड है। यह बोर्ड विद्यार्थियों के लिए तथा घरों और कुओं के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने में हरिजनों की सहायता करता है। हरिजन कल्याण बोर्ड के द्वारा लघु उद्योगों की सहकारी समितियों और हरिजनों को उनके उद्योगों के विकास के लिए ऋणों की व्यवस्था की गई है। बोर्ड विनोबा-पुरी में एक शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र चला रहा है।	—

१	२	३	४
१७.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों, पिछड़े वर्गों और पिछड़े क्षेत्रों के कल्याण की देख-भाल करने के लिए मार्च, १९५६ में हिमाचल प्रदेश कल्याण मन्त्रणा बोर्ड बनाया गया था। इसमें १९ सदस्य हैं, जिनमें से ८ सदस्य अनुसूचित जातियों के हैं और २ सदस्य आदिमजाति क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिमाचल प्रदेश प्रशासन का सहायक सचिव (कल्याण) एक पदेन सदस्य है और इस बोर्ड का सचिव है।	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों को तैयार करने में जिला प्रशासकों की सहा[यता] करने के लिये हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में जिला मंत्रणा समितियां बनाई गई हैं। इन समितियों की बैठकें प्रतिमास नियमित रूप से होती हैं और वे विभिन्न कार्यक्रमों जैसे शिक्षा, कुटीरोद्योगों, कुओं के निर्माण, घर बनाने आदि के प्रस्तावों पर विचार करती हैं।
१८.	लकादीव और मिनीकौय द्वीप समूह	इन द्वीपों के वासियों के लिए, जिन्हें अनुसूचित आदिमजाति वर्ग में रखा गया है, एक मंत्रणा परिषद् बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।	—
१९.	मणीपुर	मणीपुर के आदिमजाति क्षेत्रों में विकास योजनाओं को तैयार करने और आदिमजाति कल्याण अनुदानों से अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए जून, १९५५ में मणीपुर में आदिमजाति मन्त्रणा बोर्ड बनाया गया था।	—
२०.	त्रिपुरा	आदिमजाति के लोगों के कल्याण सम्बन्धी विषयों पर प्रशासन को सलाह देने के लिए गत वर्ष आदिमजाति मन्त्रणा समिति बनाई गई थी। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए एक समिति बनाने का प्रश्न प्रशासन के विचाराधीन है।	—

संविधान अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिमजातियां आर्डर १९५० तथा १९५१ और अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिमजातियां (संशोधन) आर्डर, १९५६ के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों की संख्या एवं कुल जन-संख्या के साथ उसका प्रतिशत प्रदर्शित करनेवाली तालिका

राज्य/संघीय प्रदेश	कुल जन-संख्या	अनुसूचित जातियों की संख्या तथा कुल जन-संख्या के साथ उसका प्रतिशत		अनुसूचित आदिमजातियों की संख्या तथा कुल जनसंख्या के साथ उसका प्रतिशत	
		१९५० तथा १९५१ के आर्डरों के अनुसार	१९५६ के आर्डर के अनुसार	१९५० तथा १९५१ के आर्डरों के अनुसार	१९५६ के आर्डर के अनुसार
१	२	३	४	५	६
१. आंध्र प्रदेश ...	३,१२,६०,१३३	४४,०६,६१७ (१४.०९)	४४,१५,९९५ (१४.१३)	७,६६,६७९ (२.४५)	११,४९,९१९ (३.६८)
२. आसाम ...	९०,४३,७०७	४,२४,०४४ (४.६८)	४,२४,०४४ (४.६९)	१७,३५,२४५ (१९.१८)	१७,६१,४३४ (१९.४८)
३. बिहार ...	३,८७,८४,१७२	४९,१३,९९० (१२.६६)	४९,१३,९९० (१२.६७)	३८,२७,६७२ (९.८६)	३८,८०,०९७ (१०.००)
४. बम्बई ...	४,८२,६५,२२१	५१,३०,२४५ (१०.६२)	५२,०२,०७७ (१०.७८)	३६,७१,६८६ (७.६०)	३७,४३,४०८ (७.७६)
५. जम्मू तथा काश्मीर	४४,१०,०००	अप्राप्त	१,५६,१३५ (३.५४)	——अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं——	
६. केरल ...	१,३५,४९,११८	१२,५४,३५८ (९.२५)	१२,०७,२९४ (८.९१)	७४,०५६ (०.५४)	१,३४,७५७ (०.९९)
७. मध्य प्रदेश ...	२,६०,७१,६३७	३५,०२,६२० (१३.४३)	३९,१२,२०५ (१५.०१)	३८,५९,६६७ (१४.७९)	४८,४४,१२८ (१८.५८)
८. मद्रास ...	२,९९,७४,९३६	५३,९१,२९६ (१७.९८)	५३,८१,८३६ (१७.९५)	६०,३९३ (०.२०)	१,३६,३७६ (०.४५)
९. मैसूर ...	१,९४,०१,१९३	२५,८९,११५ (१३.३३)	२५,८३,१४२ (१३.३१)	४५,९६४ (०.२३)	८०,४०२ (०.४१)
१०. उड़ीसा ...	१,४६,४५,९४६	२६,३०,७६३ (१७.९५)	२६,२९,२५० (१७.९५)	२९,६७,३३४ (२०.२५)	३०,०९,५८० (२०.५५)
११. पंजाब ...	१,६१,३४,८९०	३०,६२,४४५ (१८.९७)	३४,९०,९८३ (२१.६४)	२,४२९ (०.०१)	२,६६१ (०.०२)
१२. राजस्थान ...	१,५९,७०,७७४	१५,८४,७०६ (९.९१)	२५,०२,२०२ (१५.६७)	३,४८,९२४ (२.१८)	१७,७४,२७८ (११.११)
१३. उत्तरप्रदेश ...	६,३२,१५,७४२	१,१८,५५,३४१ (१८.७५)	१,३१,००,३९८ (२०.७२)	——अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं——	
१४. पश्चिमी बंगाल ...	२६,३०,१९,९२	४८,८५,१६६ (१८.५६)	४७,४३,७१३ (१८.०४)	१३,८६,९८७ (५.२७)	१५,६६,८६८ (५.९६)

राज्य/संघीय प्रदेश	कुल जन-संख्या	अनुसूचित जातियों की संख्या तथा कुल जन-संख्या के साथ उसका प्रतिशत		अनुसूचित आदिमजातियों की संख्या तथा कुल जनसंख्या के साथ उसका प्रतिशत	
		१९५० तथा १९५१ के आर्डरों के अनुसार	१९५६ के आर्डर के अनुसार	१९५० तथा १९५१ के आर्डरों के अनुसार	१९५६ के आर्डर के अनुसार
१	२	३	४	५	६
संघीय प्रदेश					
१. अण्डमन तथा निकोबार द्वीप	३०,९७१	—	—	—	—
२. दिल्ली ...	१७,४४,०७२	२,६८,२३७ (१५.३७) अनुमानित	२,६८,५३० (१५.४०)	अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं	
३. हिमाचल प्रदेश ...	१,०९,४६६	२७,५९,३३५ (२३.३६) अनुमानित	३,१९,९७२ (२८.८४)	अप्राप्त	२७,९२८ (२.५२)
४. लकादीव, मनीकौय, तथा आमिनदिवि द्वीप ...	२१,०३५	अनुसूचित जातियां नहीं हैं		१३,४८६ (६४.११)	१३,४८६ (६४.११)
५. मणिपुर ...	५,७७,६३५	अप्राप्त	२८,६४७ (४.९६)	१,९४,२३९ (३३.६३)	१,९४,२३९ (३३.६३)
६. त्रिपुरा ...	६,३९,०२९	४६,३७१ (७.२५)	४६,६०८ (७.२९)	१,९२,२९३ (३०.०९)	१,९२,२९३ (३०.०९)
योग	३६,११,५१,६६९	५,२२,०४,६४९ (१४.४५)	५,५३,२७,०२१ (१५.३२)	१,९१,४७,०५४ (५.३०)	२,२०,११,८५४ (६.२३)

परिशिष्ट ३

तालिका नं० १

संशोधित व्यवस्था में लोक सभा तथा विधान सभाओं में अनुसूचति जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या को प्रदर्शित करने वाली तालिका

राज्य का नाम	सीटों की कुल संख्या		अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या		अनुसूचित आदिमजातियो के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या	
	लोक सभा	विधान सभाएं	लोक सभा	विधान सभाएं	लोक सभा	विधान सभाएं
१	२	३	४	५	६	७
आंध्र प्रदेश	४३	३०१	६	४३	२	११
आसाम	१२	१०८	१	५	२*	२६
बिहार	५३	३१८	७	४०	५	३२
बम्बई	६६	३९६	७	४३	५	३१
जम्मू तथा काश्मीर	६	७५	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
केरल	१८	१२६	२	११	०	१
मध्य प्रदेश	३६	२८८	५	४३	७	५४
मद्रास	४१	२०५	७	३७	नहीं	१
मैसूर	२६	२०८	३	२८	नहीं	१
उड़ीसा	२०	१४०	४	२५	४	२९
पंजाब	२२	१५४	५	३३	नहीं	नहीं
राजस्थान	२२	१७६	३	२८	२	२०
उत्तर प्रदेश	८६	४३०	१८	८९	नहीं	नहीं
पश्चिमी बंगाल	३६	२५२	६	४५	२	१५
प्रदेश						
अण्डमन तथा निकोबार द्वीप	—	†	—	—	—	—
दिल्ली	५	†	१	—	नहीं	—
हिमाचल प्रदेश	४	**	१	—	नहीं	—
लक्कादीव मिनिकोय द्वीप	—	†	—	—	—	—
मणीपुर	२	**	नहीं	—	१	—
त्रिपुरा	२	**	नहीं	—	१	—
योग	६००	३१७७	७६	४७०	३१	२२१

* एक सीट आसाम के स्वशासित प्रदेश के लिए सुरक्षित है।

† इन संघीय प्रदेशों में विधान सभायें नहीं हैं।

** इन संघीय प्रदेशों में प्रादेशिक परिषदें हैं।

परिशिष्ट ३

तालिका नं० २

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के उन सदस्यों के नाम प्रदर्शित करने वाली तालिका, जो १९५६ के चुनाव में लोक सभा के लिए असुरक्षित स्थानों से चुने गये है

राज्य का नाम	सदस्य का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिमजाति
आंध्र प्रदेश	१—श्री बी० एस० मूर्ति	अनुसूचित जाति
आसाम	२—श्री बेलीराम दास	अनुसूचित जाति
	३—श्री जे० एन० हजारिका	अनुसूचित आदिमजाति
पश्चिमी बंगाल	४—श्री बसन्तकुमार दास	अनुसूचित जाति
	५—श्री रामानन्द दास	अनुसूचित जाति

परिशिष्ट ३

तालिका नं० ३

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के उन सदस्यों की संख्या प्रदर्शित करने वाली तालिका, जो विधान सभाओं के लिए असुरक्षित स्थानों से चुने गये हैं।

राज्य का नाम	विधान सभाएं	
	अनुसूचित जातियाँ	अनुसूचित आदिमजातियाँ
१	२	३
आंध्र प्रदेश	१	—
आसाम	—	२
बिहार	—	२
बम्बई	—	—
केरल	१	—
मद्रास	—	—
मैसूर	—	—
पंजाब	—	—
उत्तर प्रदेश	—	—
पश्चिमी बंगाल	५	—
योग	७	४

परिशिष्ट ३

तालिका नं० ४

राज्य सभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के सदस्यों के नाम प्रदर्शित करनेवाली तालिका

अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिमजाति
१. श्री किशोरी राम (बिहार)	१. श्री आर० थानल्हिरा (आसाम)
२. श्री प्रेमजी थोवनभाई लेऊआ (बम्बई)	२. श्री ठाकुर भानुप्रताप सिंह (मध्य प्रदेश)
३. श्री रामेश्वर राव अग्निभोज (मध्य प्रदेश)	३. श्री थियोडोर बोडरा (बिहार)
४. श्री वी० एम० सुरेन्द्र राम (मद्रास)	
५. श्री रामप्रसाद टम्टा (उत्तरप्रदेश)	

परिशिष्ट ३

तालिका नं० ५

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के उन सदस्यों की संख्या को प्रदर्शित करने वाली तालिका, जो राज्य विधान परिषदों में असुरक्षित स्थानों से चुने गये है

राज्य का नाम	विधान परिषदें	
	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिमजातियां
१	२	३
बिहार	२ (एक नामजद)	१
बम्बई	१	—
मदरास	१ (एक नामजद)	—
मैसूर	२	—
पंजाब	१	—
उत्तरप्रदेश	१	—
योग	८	१

परिशिष्ट ४

केन्द्रीय मंत्री मण्डल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के मंत्रियों, उप-मंत्रियों और सभा-सचिवों के नाम प्रदर्शित करने वाली तालिका

नाम	उपाधि तथा कार्य पद	अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिमजाति
श्री जगजीवन राम	मंत्री, परिवहन तथा रेलवे	अनुसूचित जाति
श्रीमती मार्गाथम चन्द्रशेखर	उपमंत्री, स्वास्थ्य	अनुसूचित जाति
डा० मनमोहन दास	उपमंत्री, शिक्षा	अनुसूचित जाति
श्री जे० एन० हजारिका	सभा-सचिव, विदेश मंत्री से संलग्न	अनुसूचित आदिमजाति

परिशिष्ट ५

विवरण संख्या १

स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए राज्योंद्वारा अपनाये गये वैधानिक तथा कार्यकारी उपायों को प्रदर्शित करने वाली तालिका

क्रमांक	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिए संरक्षण जनसंख्या के आधार पर है		विधान/कार्यपालिका सम्बन्धी उपाय और अधिनियम/नियमों का क्षेत्र
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिमजाति	
१	२	३	४	५
१.	आंध्र	नहीं	नहीं	मद्रास जिला बोर्ड अधिनियम, १९२० की धारा ९ और जिला नगरपालिका अधिनियम, की धारा ७ (२) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिये जिला बोर्ड। नगरपालिका के लिए नियत कुल सदस्य संख्या के १।४ से कम स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं।
	हैदराबाद	नहीं	नहीं	हैदराबाद नगर निगम अधिनियम, १९५० (१९५० का ३६ वाँ) की धारा (२–क) में यह उपबन्ध है कि हैदराबाद निगम तथा सिकन्दराबाद निगम के निर्वाचित सदस्यों में से कम से कम पाँच और तीन अनुसूचित जातियों के सदस्य होने चाहिये। यदि किसी नगर में अनुसूचित जातियों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या धारा (२—क) में दी हुई न्यूनतम संख्या से कम हो तो उस कमी को पूरा करने के लिये सरकार अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को पर्याप्त संख्या में मनोनीत करती है। नगरपालिकाओं में भी हैदराबाद नगर तथा कस्बा समिति अधिनियम, १९५१ (१९५१ का २७ वाँ) की धारा ९ के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिये कम से कम ३ स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं।
	आसाम	हाँ (मैदानी जिलों में नगरपालिका बोर्डों और कस्बा समितियों को छोड़कर)	हाँ	राज्य के स्वायत्तशासी जिलों में स्थानीय निकायों जैसे कि नगर समितियाँ तथा ग्राम परिषदों आदि के गठन और कार्य करने आदि के विषयों पर संविधान की छठी अनुसूची की कण्डिका ३ (१) (ङ) के अन्तर्गत उन जिलों की जिला परिषदें विधान बना सकती हैं मिजो जिला परिषद पहले ही आवश्यक जिला अधिनियम बना चुकी है, उदाहरणार्थ, मिजो जिला (नगर समितियों का प्रशासन) अधिनियम १९५५।

१	२	३	४	५
				आसाम के मैदानी जिलों में आसाम स्थानीय स्वायत्त शासन अधिनियम १९५३ की धारा ५ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिए स्थानीय बोर्डों में उनकी जनसंख्या के अनुसार स्थान सुरक्षित रखने का उपबन्ध है। यद्यपि आसाम नगरपालिका अधिनियम १९२३ में नगरपालिका बोर्डों और नगर समितियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखने का कोई उपबन्ध नहीं है, किन्तु इन संस्थाओं में सदस्यों को मनोनीत करने का उपबन्ध है।
३.	बिहार	नहीं	नहीं	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिये उनकी जनसंख्या के अनुपात से स्थान सुरक्षित रखने के लिए बिहार नगरपालिका विधेयक, १९५५ में आवश्यक उपबन्ध कर दिया गया है। विधेयक बिहार विधान मण्डल की संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा गया है और विधान-मण्डल के अगले सत्र में इस पर विचार होने की सम्भावना है। इसी प्रकार, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से स्थान सुरक्षित रखने के हेतु पटना नगर निगम अधिनियम में संशोधन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। जिला बोर्डों के सम्बन्ध में स्थानीय स्वायत्त शासन अधिनियम में जिला बोर्डों में स्थानाप[illegible] सदस्य चुनकर अनु० जातियों तथा अनु० आदिम जातियों के प्रतिनिधित्व [illegible] का पहले ही उपबन्ध है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों को उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने के लिए स्थानीय स्वायत्त शासन अधिनियम में संशोधन करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।
४.	वम्बई	हाँ	हाँ	बम्बई प्रान्तीय नगर निगम अधिनियम, १९४९ की धारा [illegible] नगर कस्बा अधिनियम, १९२५ की धारा २ (१) (ग) और बम्ब[illegible] बोर्ड अधिनियम १९२३ की धारा ६ में क्रमशः निगम, नगरपालिका[illegible] जिला बोर्डों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों [illegible] जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व का उपबन्ध है। राज्य स[illegible] बम्बई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, १९४७ के अन्तर्गत बनाये गये नग[illegible] स्कूल बोर्डों में इन लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए भी कार्यवा[illegible]
	कच्छ	हाँ	हाँ	बम्बई नगरपालिका कस्बा अधिनियम, १९२५ और बम्ब[illegible] बोर्ड अधिनियम, १९२३ कुछ रूप भेदों के साथ राज्य में अपना लि[illegible] इन अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों में अनुसूचित जा[illegible] अनुसूचित आदिमजातियों के सदस्यों के लिए उनकी जनसंख्या के [illegible] पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का उपबन्ध है, जिसके परिणाम स्वरूप रा[illegible] नगरपालिकाओं और जिला/स्थानीय बोर्डों में इन जातियों तथ[illegible] जातियों के लिए स्थान सुरक्षित रख दिए गए हैं।
५.	केरल (त्रावनकोर-कोचीन)	हां	हां	त्रिवेन्द्रम नगर नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम [illegible] धारा ३ (ग) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए उनकी के अनुपात से स्थान सुरक्षित रखने का उपबन्ध है। इसी प्रकार

१	२	३	४	५
				जिला नगरपालिकाएं और कोचीन नगरपालिकाएं (संशोधन) अधिनियम १९५२ की धारा ३ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के अनुपात से उनके लिए स्थान सुरक्षित रखने का उपबन्ध है।
६.	मध्यप्रदेश	नहीं	नहीं	मध्य प्रान्त और बरार नगरपालिका अधिनियम १९२२ की धारा १० में उपबन्ध है कि एक नगरपालिका समिति सरकार द्वारा निश्चित संख्या में निर्वाचित तथा चुने हुए सदस्यों से बनी होगी और यदि निर्वाचित सदस्यों में कोई अनुसूचित जाति का सदस्य न हो तो चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या बढ़ा दी जायगी ताकि उसमें अनुसूचित जाति के सदस्य को सम्मिलित किया जा सके। नागपुर/जबलपुर निगम अधिनियम की धारा ९ (२) में उपबन्ध है कि नागपुर और जबलपुर के निगमों के सम्बन्ध में यदि निर्वाचित और नियुक्त किये गये सदस्यों में अनुसूचित जाति का सदस्य न हो तो चुने जाने वाले सदस्यों में अनुसूचित जाति का सदस्य भी सम्मिलित होगा।
	मध्य भारत	पता नहीं	पता नहीं	मध्य भारत नगरपालिका अधिनियम, १९५४ की धारा २ (ख) (३) के अन्तर्गत प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है।
	भोपाल	नहीं	नहीं	भोपाल राज्य नगर क्षेत्र अधिनियम १९५४ की धारा ८(३) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों हो पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। यदि इसमें कोई कमी रह जाय तो इसे सरकार द्वारा नाम निर्देशन करके पूरा कर लिया जाता है। भोपाल राज्य नगरपालिका विधेयक, १९५५ में (जो कि राज्य विधान सभा द्वारा पारित होने के पश्चात भारत के राष्ट्र की अनुमति के लिए उन्हें भेजा गया है) भी राज्य की नगरपालिकाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के प्रतिनिधित्व का उपबन्ध है।
	मद्रास	नहीं	नहीं	मद्रास, नगरपालिका अधिनियम १९१९, मद्रास जिला नगरपालिका और मद्रास जिला बोर्ड अधिनियम १९२० में मद्रास निगम, जिलों की नगरपालिका परिषदों और राज्य के जिला बोर्डों में अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए स्थान सुरक्षित रखने का विशेष रूप से उपबन्ध है। इस प्रकार अनुसूचित जातियों के सदस्यों को स्थानीय निकायों के सामान्य स्थानों पर जो कि सब जातियों के लिए खुले हैं, निर्वाचित होने के अवसर के अतिरिक्त अपना प्रतिनिधित्व भी मिला हुआ है। जिला तथा नगरपालिका क्षेत्रों में अनुसूचित आदिमजातियों की जनसंख्या बिलकुल नगण्य है। अतः जिला बोर्डों, नगरपालिका परिषदों और मद्रास निगम में उनके लिए स्थान सुरक्षित रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
	मैसूर	हां	हां	ग्राम पंचायत और जिला बोर्ड अधिनियम, १९५२ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात से स्थान निश्चित करने का उपबन्ध है।

१	२	३	४	५
	कुर्ग	नहीं	नहीं	नगरपालिकाओं और अनुसूचित क्षेत्रों में यदि अनुसूचित जातियों का कोई उम्मीदवार निर्वाचित न हो तो उनके एक सदस्य के नाम निर्देशन के लिए उपबन्ध कर दिया गया है।
९.	उड़ीसा	पता नहीं	पता नहीं	उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम, १९५० और मद्रास स्थानी नियम, १९२० (जैसा कि जिला कोरापुट पर लागू होता है), नग र क नगर पालिकाओं और कोरापुट जिला बोर्ड में क्रमशः अनुसूचित जाति यों तथा अन सूचित आदिमजातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखने का संवि हत उपब है। मद्रास स्थानीय बोर्ड अधिनियम, १९२० की धारा ९ (१) के अन्तर्ग जो कि गंजाम जिला बोर्ड पर लागू होती है, अनुसूचित जातियों के , लिए निर चन द्वारा बोर्ड का सदस्य बनने के लिए स्थान सुरक्षित है।
१०.	पंजाब	हाँ	नहीं	राज्य सरकार ने प्रथम सामान्य निर्वाचन के बाद से दस धान-र्ष की अवधि के लिए स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों के लिये उनकी कार, जनसंख्या के अनुपात से स्थान सुरक्षित रखने का निश्चय किया है।
११.	राजस्थान	नहीं	नहीं	राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में स्थानों के लिए के स कोई उपब स्थान नहीं है, किन्तु प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों त न स था अनुसू आदिमजातियों के लिए एक सदस्य मनोनीत कर देती है। राज का स्थान नग पालिका विधेयक में जो, कि राज्य विधान मण्डल, के विचाराधीन है को उ किसी नग पालिका बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या के दस प्रतिशत तस उनके त श प्रतिनिधि का उपबन्ध कर दिया गया है।
	अजमेर	नहीं	नहीं	अजमेर नगरपालिका विनियम के अन्तर्गत बनाये गये नि यमों में राज की नगरपालिकाओं में अनुसूचित जातियों के लिये स्थान सु रक्षित रखने क उपबन्ध है। इसके फलस्वरूप राज्य की विभिन्न नगरपालि काओं में उन लिए ११ स्थान सुरक्षित रखे गये हैं। जिला बोर्डों में अ नुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिये कोई स्थान सुरक्षित न हीं रखा गया।
१२.	उत्तर प्रदेश	हाँ	राज्य में कोई अनुसूचित आदिमजाति नहीं है	जिला बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, १९४८ की धार ा ५ के अन्त जिला बोर्डों में चुनाव के लिए जिस जिले में चुनाव हो, रहा हो, उसके में रहने वाली अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अ त्यक्ष अनुपात तक अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए स्थान सुरक्षित रख का उपबन्ध है। किन्तु संविधान के लागू होने के बाद से जिला बोर्डों का कोई निर्वाचन नही हुआ है। नगरपालिका बोर्डों, अनुसूचित क्षेत्र और नगर क्षेत्र समितियों मे उत्तर प्रदेश १९५३ के सातवें अधिनियम द्वारा संशोधित नगरपालिका बो अधिनियम १९१६ की धारा ९—(क) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लोगों प्रतिनिधित्व के लिए इसी प्रकार के संरक्षण विद्यमान हैं।

१	२	३	४	५
१३.	पश्चिमी बंगाल	नहीं	नहीं	बंगाल नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, १९५० की धारा २ और बँगाल स्थानीय स्वायत्त शासन(संशोधन) अधिनियम, १९५० की धारा ५ के द्वारा सरकार को राज्य की नगरपालिकाओं तथा जिला बोर्डों में अनुसूचित आदिमजातियों के सदस्यों के लिए स्थान सुरक्षित रखने की शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार सुरक्षित रखे गये स्थानों का अनुपात उन कुल स्थानों की संख्या के अनुपात से, जिन के लिये कि कमिश्नर अथवा सदस्य निर्वाचित होने हैं लगभग वही होगा जो कि स्थानीय निकाय के क्षेत्र की कुल जनसंख्या से अनुसूचित आदिमजातियों की जनसंख्या का होगा।
१४.	दिल्ली	नहीं	नहीं	दिल्ली नगरपालिका निर्वाचन नियम, १९५१ के अन्तर्गत विशेषरूप से बनाये गये द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लिए ६ स्थान सुरक्षित रखे गये हैं जबकि शहादरा नगरपालिका निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत दो स्थान अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए सुरक्षित हैं।
१५.	हिमाचल प्रदेश	नहीं	नहीं	राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिये कोई विशेष कदम नहीं उठाये हैं। परन्तु पंजाब नगरपालिका अधिनियम और पंजाब छोटे नगर अधिनियम, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के राज्य को लागू होते हैं, में उपबन्ध है जिनके अन्तर्गत राज्य सरकार अनुसूचित जातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में नियम बना सकती है।

परिशिष्ट ५

विवरण संख्या २

ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए राज्यों में अपनाये गये वैधानिक तथा कार्यकारी उपायों को प्रदर्शित करने वाली तालिका

क्रमांक	राज्य का नाम	क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिए संरक्षण जनसंख्या के आधार पर है		विधान और अधिनियम/नियमों का क्षेत्र
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिमजाति	
१	२	३	४	५
१.	आंध्र	नहीं	नहीं	मद्रास ग्राम पंचायत अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत पंचायत के [illegible] की कुल सदस्य संख्या के १/५ तक स्थान अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिये सं[illegible] सुरक्षित रखे जाते हैं।
	हैदराबाद	नहीं	नहीं	हैदराबाद पंचायत अधिनियम, १९५१ (१९५१ का ८ वां) [illegible] की धारा ४ के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक स्थान अनुसूचित जाति[illegible] व [illegible] के लिये सुरक्षित रखा जाता है, जिसकी पूर्ति डिप्टी कलक्टर द्वारा नाम नि[illegible] से की जाती है।
२.	आसाम	नहीं	हां (केवल स्वायत्तशासी जिलों में)	राज्य के स्वायत्तशासी जिलों में स्थानीय निकायों, जैसे [illegible] कि नगर समितियों, ग्राम परिषदों, आदि के गठन और कार्य करने के [illegible] विषयों पर संविधान की छठी अनुसूची की कण्डिका ३ (१) (ङ) के अन्तर्गत [illegible] उन जिलों की जिला परिषदें विधान बना सकती हैं। मिजो जिला परिष[illegible]द् पहले ही आवश्यक अधिनियम बना चुकी है, उदाहरणार्थ, लुशाई पहा[illegible]ड़ियाँ जिला (ग्राम परिषद्) अधिनियम १९५३, मिजो जिला (ग्राम परिषद् [illegible] संशोधन) अधिनियम, १९५५।
३.	बिहार	नहीं	नहीं	बिहार पंचायतों का कार्य संचालन और कार्यपालिका समिति [illegible] नियुक्ति अधिनियम, १९४९, के नियम ३१ के अन्तर्गत मुखिया का यह कर्त[illegible]व्य है कि वह अपनी कार्यपालिका समिति इस प्रकार से बनाये जिससे कि [illegible]पंचायत की जनसंख्या के सभी महत्वपूर्ण तत्वों को, अर्थात्, मुसलमानों, हरिज[illegible]नों, आदिवासियो, अथवा पिछड़ी आदिमजातियों, ईसाइयों, पारसियों और [illegible] सिक्खों को जहाँ तक संभव हो उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व [illegible] मल सके। स्थिति को और अधिक सुधारने के लिये बिहार पंचायतराज अ[illegible]धिनियम के एक संशोधक विधेयक में मुखिया की कार्यपालिका समिति के [illegible] कम से कम १/५ सदस्यों को सरकार द्वारा मनोनीत करने का उपबन्ध [illegible] कर दिया गया है। आशा है कि इस उपबन्ध के अधिनियमित होने से वर्तमा[illegible]न अधि-

१	२	३	४	५
				नियम में अनुसूचित आदिमजातियों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में यदि कोई कमी होगी, तो वह दूर हो जायेगी। बिहार पंचायत राज अधिनियम, १९४७ को विहार पंचायतराज (संशोधन) विधेयक १९५५ से संशोधित करने का विचार है जिसमें यह उपबन्ध है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के सदस्यों के लिये, ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में विद्यमान क्षेत्रों की कुल जनसंख्या के अनुपात में क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों की जैसी भी अवस्था हो, जनसंख्या के अनुसार पंचों की कुल संख्या से, यथासम्भव निकटतम संख्या में दस वर्ष के लिये स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे।
४.	बम्बई	नहीं	नहीं	राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों तथा जिला स्थानीय निगमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाने के लिये हिदायतें दे दी हैं।
	सौराष्ट्र	* हाँ	नहीं	१९४९ के ग्राम पंचायत अध्यादेश संख्या ५७ की धारा ८ (२) के अन्तर्गत राज्य की प्रत्येक पंचायत में हरिजन व्यक्ति के लिये एक स्थान सुरक्षित है।
	कच्छ	* हाँ	नहीं	बम्बई ग्राम पंचायत अधिनियम १९३३ को कुछ रूप भेदों के साथ राज्य में स्वीकार कर लिया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों में अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिये उनकी जनसंख्या के अनुपात से पर्याप्त प्रतिनिधित्व का उपबन्ध है।
५.	केरल (त्रावनकोर-कोचीन)	नहीं	नहीं	त्रावनकोर-कोचीन पंचायत दूसरा अधिनियम १९५० की धारा ७ के अनुसार यदि किसी पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के मतदाताओं की संख्या वहां के कुल मतदाताओं की संख्या के ५ प्रतिशत से कम न हो तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिये एक स्थान सुरक्षित रखना होगा।
६.	मध्य प्रदेश	नहीं	नहीं	मध्य प्रान्त और बरार स्थानीय शासन अधिनियम, १९४८ की धारा ६ में उपबन्ध है कि प्रत्येक जनपद सभा में एक अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिये और सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से अधिसूचित क्षेत्रों में आदिमजातियों का एक सदस्य होना चाहिये। यदि वे निर्वाचित न हों, तो धारा में उनके सभा के सदस्यों द्वारा चुने जाने का उपबन्ध है। यदि सभासद् ऐसे व्यक्तियों को न चुन सकें, तो राज्य सरकार एक व्यक्ति को सभा का सदस्य मनोनीत करे। राज्य सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि जनपद सभाओं के चुनाव लड़ने के लिये प्रत्येक उम्मीदवार को जो ५० रुपये जमा करवाने पड़ते हैं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिये उसे घटा कर ५ रुपये कर देना चाहिये। उन्होंने जनपद सभाओं में चुनाव के लिये इन लोगों के बारे में शिक्षा तथा साक्षरता सम्बन्धी योग्यताओं को समाप्त कर दिया है। विलीनीकृत प्रदेशों में अनुसूचित आदिमजातियों की विशेष आवश्यकताओं

* निश्चित सुरक्षित स्थान जनसंख्या के प्रतिशत से भी अधिक है।

१	२	३	४	५
				को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार नें मध्य प्रदेश पंचायत (संशोधन) अधिनियम, १९५० पारित किया। अधिनियम के अन्तर्गत पंचायतों की स्थापना को विनियमित करने के नियम राज्य सरकार के विचाराधीन है। इस अधिनियम के अन्तर्गत पंचायतों की स्थापना इन नियमों को अन्तिम रूप देने के पश्चात् की जायेगी।
	मध्य भारत	नहीं	नहीं	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के सदस्यों को राज्य की ग्राम पंचायतों में मध्य-भारत पंचायत अधिनियम की धारा १० और मध्य भारत नियमों के नियम ७ के अन्तर्गत प्रतिनिधित्व दिया जाता है।
	भोपाल	* हाँ	* हाँ	भोपाल राज्य पंचायतराज अधिनियम, १९५३ में किसी विशेष गाँव सभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों की जन-संख्या के अनुसार राज्य की पंचायतों में उनके लिये स्थान सुरक्षित रखने का उपबन्ध है।
	विन्ध्य प्रदेश	* हाँ	* नहीं	ग्राम पंचायत अध्यादेश, १९४९ की धारा १२ (७) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों को ग्राम पंचायतों में उनकी जन-संख्या के अनुपात से प्रतिनिधित्व देने का उपबन्ध है।
७.	मद्रास	नहीं	नहीं	मद्रास ग्राम पंचायत अधिनियम, १९५० की धारा ८ में ग्राम पंचायतों मे अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिये स्थान सुरक्षित रखने का उपबन्ध है। राज्य सरकार ने अनुसूचित आदिमजातियों के सदस्यों के लिये स्थान सुरक्षित रखने के हेतु मद्रास ग्राम पंचायत अधिनियम, १९५० में संशोधन करने का निश्चय किया है। जिन क्षेत्रों में उनकी जन-संख्या कुल जन-संख्या के पाँच प्रतिशत अथवा दो सौ से कम, जो भी उनके लिये लाभप्रद हो, न हो वहाँ स्थान सुरक्षित रखने का अभिप्राय है। जहाँ अनुसूचित आदिमजातियों की संख्या ५०० से अधिक नहीं होगी, वहाँ उनके लिये एक स्थान, और जहां उनकी जन संख्या ५०० से अधिक होगी वहाँ उनके लिये दो स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे। इस प्रकार सुरक्षित स्थान मद्रास ग्राम पंचायत अधिनियम, १९५० की धारा ६ के अन्तर्गत नियत पंचायत के सदस्यों की स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त होगी। कलक्टर को अपेक्षित सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार देने का विचार है। ऐसी पंचायतों में जहाँ अनुसूचित आदिमजातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या के आधे से अधिक हो, वहाँ उनके लिये कोई स्थान सुरक्षित नहीं रखा जायेगा।
८.	मैसूर	हाँ	हाँ	ग्राम पंचायत तथा जिला बोर्ड अधिनियम,, १९५२ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिए उन की कुल जनसंख्या के अनुपात में स्थान निश्चित करने का उपबन्ध कर दिया गया है।
	कुर्ग	नहीं	नहीं	कुर्ग पंचायतराज विधेयक में, जो कि कुर्ग विधान सभा के [illegible] बजट अधिवेशन में पेश किया जायेगा, अनुसूचित जातियों को उनकी जनसंख्या का उचित ध्यान रखते हुए प्रतिनिधित्व देने के लिये उपबन्ध करने का विचार है।

१	२	३	४	५
उड़ीसा	नहीं	नहीं	नहीं	राज्य में ग्राम पंचायतें अभी बन रही हैं। किन्तु राज्य सरकार का यह दावा है कि यदि आवश्यक हुआ तो इन पंचायतों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिये विधि में उपयुक्त संशोधन करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
१०.	पंजाब	हां	नहीं	पंजाब में, पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, १९५२ की धारा ५ के द्वारा अनुसूचित जातियों को ग्राम पंचायतों में प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। राज्य सरकार ने संविधान के लागू होने से १० वर्ष की अवधि तक ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिये निर्वाचन के सिद्धान्त पर स्थान सुरक्षित रखने का भी निश्चय किया है।
	पैप्सू	नहीं	राज्य में कोई अनुसूचित आदिमजाति नहीं है	राज्य सरकार ने पंचायतों के निदेशक को हिदायतें दी हैं कि वह पंचायतों के चुनाव के समय प्रेरणा द्वारा अनुसूचित जातियों को पर्याप्त स्थान दिलाने का ध्यान रखे। अनुसूचित जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से ग्राम पंचायतों में पूरा प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से राज्य सरकार का पैप्सू पंचायतराज अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने का विचार है।
११.	राजस्थान	नहीं	नहीं	पंचायत अधिनियम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिये स्थानों का कोई उपबन्ध नहीं है। किन्तु, सरकार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिमजातियों में से एक सदस्य को मनोनीत करती है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों पर चुनाव में खड़े होने पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं है।
१२.	उत्तर प्रदेश	हां	राज्य में कोई अनुसूचित आदिम-जाति नहीं है	उत्तर प्रदेश पंचायतराज्य अधिनियम, १९५७ की धारा (७) (१२) में ग्राम सभा में, उस सभा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात से उनके लिये स्थान सुरक्षित रखने का उपबन्ध है।
१३.	पश्चिमी बंगाल	नहीं	नहीं	नहीं
१४.	हिमाचल प्रदेश	नहीं	नहीं	पंचायतराज अधिनियम की धारा १२ में ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व का उपबन्ध है। राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों के सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाने के लिये नियम बनाये हैं। इस सम्बन्ध में प्रत्येक पंचायत के बारे में निश्चित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये डिप्टी कमिश्नरों को आवश्यक हिदायतें दी गई हैं।

परिशि[illegible]

तालिका नं[illegible]

विभिन्न राज्यों में स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजाति[illegible]

क्रम संख्या	राज्य/संघीय प्रदेश का नाम	विभिन्न स्थानीय निकायों में सदस्य के नाते काम करने वालों की संख्या		सदस्य के नाते काम करने वालों की कुल संख्या		राज्य की कुल जन-संख्या में अनुसूचित जातियों की जन-संख्या का प्रतिशत	अनुसूचित जातियां: स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों के संरक्षण का प्रतिशत		अनुसूचित जातियां: स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों द्वारा प्राप्त प्रतिशत	
		१९५१	१९५५	१९५१	१९५५		१९५१	१९५५	१९५१	१९५५
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१.	आंध्र प्रदेश	१३४७	८९६	१०९	७३	१२.४६	२५ से अधिक नहीं		८.१	८.१
	हैदराबाद	२५५६	३४५७	अप्राप्त	३५८	१६.५५	अप्राप्त	अप्राप्त	—	१०.३६
२.	आसाम	अप्राप्त	७८५	अप्राप्त	४४	४.६९	अप्राप्त	२५.२९	अप्राप्त	५७.४७
३.	बम्बई	अप्राप्त	५४८८	अप्राप्त	३६७	१०.७८	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	१४.६
	कच्छ	७०	१००	४	५	१.३१	५.०	५.०	५.[illegible]	५.०
४.	मध्य प्रदेश									
	मध्य भारत	अप्राप्त	१०८९	अप्राप्त	५४	१६.६४	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्[illegible]	४.[illegible]
	विन्ध्य प्रदेश	१२४	१२४	२	४	१३.३२	...	...	१.६[illegible]	३.[illegible]
५.	मदरास	२०९९	२११६	१३५	१७३	१६.४९	६.०५	७.०९	६.४[illegible]	८.१[illegible]
६.	मैसूर कुर्ग	८७	१२४	५	६	११.१९	५.८	५.८	५.०[illegible]	६.००
७.	उड़ीसा[1]	५६५	५६५	३७	३७	१७.९६	—मालूम नहीं—		६.५	६.५
८.	पंजाब पैप्सू	अप्राप्त	३९६	अप्राप्त	५७	१९.३६	अप्राप्त	—	अप्रा[illegible]	१४.३
९.	राजस्थान	अप्राप्त	४७९	अप्राप्त	४८	१५.६७	अप्राप्त	कुछ नहीं	अप्राप्[illegible]	अप्राप्त
	अजमेर	१३१	११२	१०	९	११.६७	७.६	१२.२	७.६[illegible]	८.०३
१०.	उत्तर प्रदेश[2]	अप्राप्त	२४९८	अप्राप्त	१९२	१८.७५	अप्राप्त	७.५	अप्राप्त	७.५
११.	पश्चिमी बंगाल[3]	१७१७३	१७०७६	१६९८	२१०८	१८.९२	—	—	९.८[illegible]	१२.३
१२.	दिल्ली	१७६	२२६	१४	१८	१५.३७	—	—	७.९५	७.९

[1] सूचना १९५४ के लिए हैं।

[2] ये आंकड़े ११४ नगरपालिकाओं के हैं। शेष ६ बोर्ड अर्थात् कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, आगरा लखनऊ तथा अलीग[illegible] गयें और वे सरकारी व्यवस्था में आ गए।

[3] १५ नगरपालिकाओं और २ जिला बोर्डों से सूचना नहीं मिली है।

के प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करनेवाली तालिका

अनुसूचित आदिमजातियां							स्थानीय निकायों के अध्यक्ष/प्रधान					
सादस्यों के नाते काम करने वालों की कुल संख्या		राज्य की कुल जन-संख्या में अनुसूचित आदिमजातियों की जन-संख्या का प्रतिशत	स्थानीय निकायों में अनुसूचित आदिमजातियों के लिए निर्धारित प्रतिनिधित्व का प्रतिशत		स्थानीय निकायों में अनुसूचित आदिमजातियों द्वारा प्राप्त वास्तविक प्रतिशत		कुल संख्या		अनुसूचित जातियां		अनुसूचित आदिमजातियां	
१९५१	१९५५		१९५१	१९५५	१९५१	१९५५	१९५१	१९५५	१९५१	१९५५	१९५१	१९५५
१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४
—	—	२.४८	—	—	—	—	४६	३५	—	—	—	—
—	—	१.९०	अप्राप्त	अप्राप्त	—	—	१७२	१७५	अप्राप्त	अप्राप्त	—	—
अप्राप्त	५२	१९.४८	अप्राप्त	३२.६४२	अप्राप्त	२१.३८	अप्राप्त	४०	अप्राप्त	२	अप्राप्त	अप्राप्त
अप्राप्त	३८४	७.७६	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	१६.०	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
—	—	२.९९	—	—	—	—	४	५	—	—	—	—
अप्राप्त	—	१३.३३	अप्राप्त	अप्राप्त	—	—	१३९	८९	—	—	—	—
—	—	११.७०	—	—	—	—	१२	१२	—	—	—	—
१	१	०.३५	—	—	—	—	७३	७४	—	—	—	—
—	—	९.१८	—	—	—	—	६	१०	—	—	—	—
६	६	२०.२६	—मालूम नहीं—		१.०६	१.०६	—सूचना नहीं मिली—					
—अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं—							अप्राप्त	५०	अप्राप्त	१	अनु० आदिमजातियां नहीं हैं	
अप्राप्त	२	११.११	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	१५	अप्राप्त	४	अप्राप्त	१
—	—	१.४१	—	—	—	—	६	७	—	—	—	—
—अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं—							अप्राप्त	११४	अप्राप्त	—	अनु० आदिमजातियां नही	
२८६	२६६	४.६९	५	—	९.८८	१२.३४	२४३०	२४३१	१७७	२६९	९	३५
—अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं—							११	१२	—	—	—	—

परिशिष्ट

तालिका

विभिन्न राज्यों में ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित

क्रम संख्या	राज्य/संघीय प्रदेश का नाम	विभिन्न ग्राम पंचायतों में काम करने वाले कुल सदस्यों की संख्या		अनुसूचित जातियाँ						
				काम करने वाले सदस्यों की संख्या		राज्य की कुल जन-संख्या में अनुसूचित जातियों की संख्या का प्रतिशत	ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों के संरक्षण का प्रतिशत		ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों द्वारा प्राप्त वास्तविक प्रतिशत	
		१९५१	१९५५	१९५१	१९५५		१९५१	१९५५	१९५१	१९५५
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१.	आन्ध्र	२९७००	२३७८३	३४१३	२९२	१२.४६	२० से अधिक नहीं		१४.९	१५.४
	हैदराबाद	८०२२	९२९०	१०२०	१२२४	१६.५५	अप्राप्त	अप्राप्त	१२.७	१३.[illegible]
२.	बिहार	३०२६२	५१२६१	२१४७	३११९	१२.५७	—	—	७.०९	६.[illegible]
३.	बम्बई	अप्राप्त	४८३२५	अप्राप्त	४८७७	१०.७८	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	१०.[illegible]
	सौराष्ट्र	६०८८	९१८४	५८७	९००	६.६१	१०.६	११.५	९.[illegible]	९.[illegible]
	कच्छ	—	२५३	—	२५	१.३१	—	१०.०	—	१०
४.	केरल (त्रावणकोर-कोचीन)[1]	अप्राप्त	४४४५	अप्राप्त	४५१	९.३७	अप्राप्त	९.४ (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिए मिश्रित)	अप्राप्त	१०.[illegible] (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिए मिश्रित)
५.	मध्य प्रदेश-मध्य भारत	अप्राप्त	२९९७५	अप्राप्त	५५०४ (अनुसचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों के लिए मिश्रित)	१६.६४	अप्राप्त	१८.० (अनुसचित जातियों तथा अनु० आदिम-जातियों के लिए मिश्रित)	अप्राप्त	१८.० (अनु० जातियों तथा अनु० आदिम जातियों के लिए मिश्रित)
	भोपाल	द्यद्य	८५१७	द्यद्य	१५१३	१५.४६	द्यद्य	१८.०	द्यद्य	१८.०
	विन्ध्य प्रदेश	७३१	१४०१४	५३	६९५	१३.३२	[illegible]	[illegible]	[illegible]	२३.४६

…ादिमजातियों के प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करने वाली तालिका

…म करने वालों की संख्या		राज्यों की कुल जन-संख्या में अनुसूचित आदिमजातियों की संख्या का प्रतिशत	ग्राम पंचायतों में अनुसूचित आदिमजातियों के संरक्षण का प्रतिशत		ग्राम पंचायतों में अनु० आदिमजातियों द्वारा प्राप्त वास्तविक प्रतिशत		ग्राम पंचायतों के सरपंच — कुल संख्या		अनुसूचित जातियां		अनुसूचित आदिमजातियां	
…५१	१९५५		१९५१	१९५५	१९५१	१९५५	१९५१	१९५५	१९५१	१९५५	१९५१	१९५५
…२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४
—	२	२.४८	—	—	—	०.०८	३४४०	३७७८	—	१	—	—
…ाप्त	अप्राप्त	१.९०	—	—	—	—	१०२०	१२२४	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
…३५६	६४४५	१०.०६	—	—	११.१	१२.६	१९४६	१९.८३	२	—	३	३४
…ाप्त	१४५०	७.७६	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	३.०	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
—	—	०.९३	—	—	—	—	६४४	१०६०	—	—	—	—
—	—	२.९९	—	—	—	—	—	२५	—	—	—	—
…ाप्त	५	०.२८	अप्राप्त	कालम ९ देखिये	अप्राप्त	कालम ११ देखिये	जप्राप्त	५४८	अप्राप्त	—	अप्राप्त	—
…ाप्त	५५०४	१३.३३	अप्राप्त	कालम ९ देखिये	अप्राप्त	कालम ११ देखिये	अप्राप्त	४१११	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
…द्य	८७९	७.०६	द्यद्य	१०.०	द्यद्य							३

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
७.	उड़ीसा [२]	८०४६	२३७०५	१०७६	३४३२	१७.९६	—	—	१३.३	१४.४
८.	पंजाब									
	पैप्सू	अप्राप्त	१२९४६	अप्राप्त	१९४३	१९.३६	अप्राप्त	—	अप्राप्त	१५.[illegible]
९.	राजस्थान [३]	अप्राप्त	४००००	अप्राप्त	अप्राप्त	१५.६७	अप्राप्त	कुछ नहीं	अप्राप्त	अप्राप्त
१०.	पश्चिमी बंगाल	६४४	३७६४	८४	३३१	१८.०४	—	—	१३.०४	८.७९
११.	दिल्ली	४४८	४५५	५२	५२	१५.३७	—	—	११.६	११.४
१२.	हिमाचल प्रदेश	अप्राप्त	११३९९	अप्राप्त	२७७३	२८.८४	अप्राप्त	२८.८४	अप्राप्त	२४.[illegible]

१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४
६५०	३०३८	२०.२६	—	—	८.०७	१२.८	५३०	१४६५	—सूचना प्राप्त नहीं है—			
—	—	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं है			—	—	अप्राप्त	१५६९	अप्राप्त	२८	अनु० आ० जा० नहीं हैं	
अप्राप्त	अप्राप्त	११.११	अप्राप्त	कुछ नहीं	अप्राप्त	कुछ नहीं	अप्राप्त	३२७२	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
५	१९८	५.९६	—	—	०.७७	५.२६	कुछ नहीं	—	कुछ नहीं	—	कुछ नहीं	—
—	—	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं			—	—	७४	७४	—	—	अनु० आ० जा० नहीं हैं	
अप्राप्त	४४२	२.५२	अप्राप्त	कुछ नहीं	अप्राप्त	१००.०	अप्राप्त	२०	कुछ नहीं	कुछ नहीं	२०	२०

१.. यह सूचना १९५३-५४ की है।

२- ये आंकड़े १९५४ के लिए हैं क्योंकि नई ग्राम पंचायतों के चुनाव अभी पूरे नहीं हुये हैं (१२-१२-५५)

३.. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों की वास्तविक संख्या प्राप्त नहीं है, क्यों प्रत्येक विषय में उनकी पृथक-पृथक जातियां नहीं लिखी गई हैं। फिर भी जो पहले चने गये थे, उनके अतिरिक्त १९५५ और १९५६ में क्रमशः ३५१ और ३६१ सदस्य नामजद किये गये थे।

च. कोई वैधानिक ग्राम पंचायत स्थापित नहीं हुई।

परिशिष्ट ७

१ जून, १९५५ से ३० नवम्बर, १९५६ तक अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम १९५५ के अन्तर्गत दर्ज किये गये मामलों की संख्या को प्रदर्शित करने वाली तालिका

क्र०सं०	राज्य का नाम	पुलिस में दर्ज मामलों की संख्या			चालान किये गये मामलों की वि[illegible]			
		कुल	चालान किये गये	कारण वश चालान नहीं किये गये	दण्डित हुए	छूट गये	सुलह हो गई	कोर्ट[illegible] अनि[illegible]
१	२	३	४	५	६	७	८	
१.	आन्ध्र प्रदेश ...	—————सूचना प्राप्त नहीं—————						
२.	†आसाम ...	—————नहीं—————						
३.	†बिहार ...	१९	१७	२	१	६	३	
४.	बम्बई ...	१६८	१४८	२०	११	६	२१	१[illegible]
५.	जम्मू तथा काश्मीर ...	—————सूचना प्राप्त नहीं—————						
६.	केरल ...	१७	१०	७	७	२	नहीं	
७.	मध्य प्रदेश ...	—————सूचना प्राप्त नहीं—————						
८.	मद्रास ...	—————सूचना प्राप्त नहीं—————						
९.	मैसूर ...	—————सूचना प्राप्त नहीं—————						
१०.	†उड़ीसा ...	२७	२६	१ (मामला झूठा सिद्ध हुआ)	२	४		
११.	पंजाब ...	१२	११	१ (अपराध सिद्ध नही हुआ)	५	३		
१२.	राजस्थान ...	९४	७३	२१ (११ झूठे, ३ सबूत न मिलने के कारण छोड़ दिये गये, ७ की जांच हो रही है)	१३	२		
१३.	उत्तर प्रदेश ...	३०	३०	कोई नहीं	२	१०		
१४.	†पश्चिमी बंगाल ...	६	६	कोई नहीं	३	१		

२		३	४	५	६	७	८	९
ाासित क्षेत्र								
आण्डमन तथा निकोबार द्वीप	...	सूचना प्राप्त नहीं						
दिल्ली	...	३	२	१ (नहीं मिले)	नहीं	१	१	नहीं
हिमाचल प्रदेश	...	४	४	—	१	१	—	२
लक्काद्वीप तथा मिनीकौय द्वीप	...	नहीं						
मणीपुर	...	नहीं						
त्रिपुरा	...	नहीं						
योग		३८०	३२७	५३	४५	३६	६५	१८१

, विहार, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल के विषय में सूचना पूरी नहीं है ।

परिशिष्ट ८

भंगी लोगों की जीवन स्थिति की जांच-समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें

१. यह बात नोट की जाय कि ब्रिटिश शासन काल में नगरपालिकाओं की स्थापना होने के बाद टट्टियों का प्रच जिसमें भंगियों के द्वारा मैले की टोकनियां उठायी जाती हैं।

२. भंगी लोगों की जाति गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक इत्यादि प्राँतों में ही सीमित रही। इन भंगियों के पुरुषा खेती करने वाले नीच जाति के लोग थे, किन्तु उन्होंने कभी भी सफाई कार्य नहीं किया था। इनमें से कई लोगों ने पैसे के लालच में टट्टि करने का गंदा धंधा अपनाया। धीरे धीरे यह जाति का एकाधिकार बन गया। भंगी लोग जब इस एकाधिकार का दुरुपयोग तो एक ऐसी स्थिति आ पहुंची कि यह एक प्रचलित एकाधिकार हो गया। बाद में इस कार्य में अभ्यस्त होने से भंगियों ने अपना हद तक खो दिया कि ऐसा विचार भी उन्हें सूझा नहीं कि टट्टी साफ करना एक अभिशाप है और उससे अपना छुटकारा चाहिए।

३. भंगियों तथा सार्वजनिक स्वास्थ्यकर योजनाओं की सुविधाओं के लिए चरकी प्रथा या सफाई करने की, झाडू प्रचलित प्रथा को नष्ट किया जाय ऐसा समिति का मत है। ऐसा करने का कारण यह है कि भँगियों का इस काम पर एकाधिका निवासियों के ऊपर उनका हाथ था कि जब चाहे वे काम करें या न करें। उस समय दूसरे भंगियों को जब वे हड़ताल करते हैं, अपन क्षेत्र में आने नहीं दिया जाता। इससे कई स्थानों में अस्वच्छता तथा गंदगी फैल गई।

४. कमेटी का मत है कि भंगी लोगों द्वारा मल-सफाई हाथ से करने की रीति को दूर कराने के विषय में जनता में नाग तथा सफाई के भाव जाग्रत करने के लिए योग्य उपायों का अवलंबन किया जाय। तो भी भंगी जाति की सभ्यता का स्तर ऊंचा उठ सार्वजनिक जीवन में और समाज में अपना हिस्सा लेने के लिए उन्हें योग्य बनाने के लिए कुछ उपाय सोचने चाहिएं।

५. कमेटी द्वारा दर्शाया गया कि कुछ म्युनिसिपल कानून में टट्टियों तथा मूत्रालयों का बनाना, अच्छी तरह रखना त वाले पानी का योग्य निकास करना इत्यादि का प्रोवीजन है, किन्तु सार्वजनिक टट्टियों को साफ करने के बारे में प्रोवीजन नहीं है लोगों की तथाकथित रूढिगत प्रथा को बंद करना तथा हाथ से मल सफाई करने की पद्धति को टालना इस विषय में म्युनिसिपैलटि नहीं डालतीं।

६. कुछ नगरपालिकाओं के कानून में जैसे कि पंजाब में तथा दिल्ली में है भंगी लोगों द्वारा प्राइवेट टट्टियां साफ करने अधिकारों के रक्षण का प्रोवीजन है। इस प्रोवीजन को कानून से हटाना चाहिए। (इस विषय में हम दिल्ली प्रदेश में जो भंगियों का हक है उसे दूर करने को पंजाब म्युनिसिपल एक्ट में कुछ सुधार के लिए अपने सुझाये कानून की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं)।

७. भंगी लोगों की स्थिति अत्यंत गरीब है। भंगियों को मकान की सुविधा देनें या जिनको मुफ्त मकान दिया नहीं उन्हें मकान किराया देना, ऐसा नियम सभी म्युनिसिपल कानून में नहीं है। जहाँ जहां इस प्रोवीजन को स्थान नहीं है, कानून में योग्य संशोधन होना जरुरी है।

८. पीने के पानी का प्रोवीजन या मकान के लिये चौखटों का प्रोवीजन इन भंगी लोगों के लिए अपर्याप्त की टंकियें रखी गयी हैं या नल लगाये गये हैं। देखा जाता है कि कुछ घंटों के बाद वहां पानी नहीं रहता। फलस्व को तकलीफों का सामना करना पड़ता है।

९. जिस क्षेत्र में भंगी रहते हैं वहाँ टट्टियाँ नहीं हैं। इसका प्रोवीजन होना चाहिये।

१०. भंगियों की वस्तियाँ या मकान ऐसे अस्वास्थ्यकर स्थानों में हैं जहां पास में खुली नालियाँ बहती हैं इसका उपाय करना चाहिए। भंगियों के एकाधिकार को खतम करने या रूढ़िगत परम्परा को दूर करने में समय ल संस्थाओं द्वारा उनके निवास गृहों का प्रश्न शीघ्र ही हल किया जाना चाहिये।

११. रास्तों पर पर्याप्त प्रकाश, खुली जगह, खेल कूद के लिये, सामुदायिक सभाओं के लिये स्थान तथा पुस्त होना चाहिये। स्थानीय संस्थाओं को कहा जाय कि भंगी लोगों की इन सुविधाओं की ओर उचित ध्यान दिया जाय। नहीं दी जायेंगी, बस्तियों की गन्दगी की सफाई का कार्यक्रम सफल नहीं होगा।

१२. जिनका अपना खुद का मकान नही हैं या जिनको स्थानीय संस्थाओं द्वारा मुफ्त निवास की सुविध भंगियों को किराया दिया जाना चाहिये।

२३. मल सफाई का सबसे अधिक गंदा काम साधारण टट्टियों में से हाथ से मल निकालने की पद्धति है, जिसमें मल ...न टोकरी या अन्य पैन तथा बाल्टियों में गिरता है। कमेटी ने सिफारिश की है कि ऐसी बाल्टीवाली टट्टियों को हटाकर ...पर नयी पद्धति की टट्टियां रखनी चाहियें ताकि हाथ से मल निकालने की पद्धति उसमें नहीं रहेगी।

२४. स्थानीय संस्थाओं में जहां नयी टट्टियां बनाने का मौका आये तो ऐसी बाल्टीवाली टट्टियों की बनावट को टालना चाहिये ...टंकवाली या दूसरी उपयुक्त पद्धति की टट्टियां बनवानी चाहियें। स्थानीय संस्थाओं को ऐसी बाल्टीवाली टट्टियां बनाने की ...मकान मालिकों को नहीं देनी चाहियें।

२५. कमेटी ने इस प्रकार हाथ से मल निकालने की पद्धति को रोकने के लिये कई प्रकार की टट्टियों की - जिनका उपयोग ...कता है, शिफारिश की है। उन्होंने कहा है कि मल की बाल्टियाँ या ड्राम सिर पर या टट्टी से मैलागाड़ी या ट्रक तक ... देना चाहियें। गाड़ी या लारी रास्ते के साथ साथ आनी चाहिये ताकि जैसे जैसे सफाई कार्य हो वैसे ही वैसे इसका ...हो सके। एक पहियेवाला ठेला जिसमें उपयुक्त आकार का ढक्कनवाला ड्राम रखा जा सके, रखनी चाहिये और उसे मैला-... तक हाथों से ढकेल कर ले जाना चाहियें; नहीं तो मैला ढक्कनवाली बाल्टियों में ले जाया जाना चाहिये। सेस गड्ढे के ...खींचने वाले पंप का जो कि लारी में लगा हुआ है, उपयोग करना चाहिये। यदि यह सम्भव न हो तो पहियेवाला ठेला ड्राम ...न के साथ उपयोग में लाना चाहिये।

...६. यह एक विचित्र बात है जो कमेटी ने सुझायी है कि मैले का उपयोग सड़क लाइट तथा ईंधन के लिये गैस तैयार करने में ... अपने देश में गैस के कारखाने तैयार किये जा रहे हैं जिनका उपयोग इस काम के लिये हो सकता है। सार्वजनिक टट्टियां ...ी बननी चाहियें कि मल मूत्र प्लान्ट के लिये बनाई गई टंकियों में जाकर गिरे जिससे गैस तैयार होती है और गैस तैयार होने ... भाग दूसरे रास्ते से बाहर निकाला जायेगा जो कि खाद के द्रव्यों से परिपूर्ण रहेगा। कमेटी की सिफारिश है कि इस गैस ...क्त ग्राम पंचायतों के लिये उपयुक्त है। (इस संबंध में यह बात याद दिलाई जा सकती है कि हिंदुस्तान की मलेरिया संस्था के ...रायन् ने गाय के गोबर तथा अन्य कूड़ा कर्कट से गैस उत्पन्न करने का एक गैस प्लान्ट पहले ही बनाया था।

...७.. समिति ने और भी एक सिफारिश की है कि मेहतरों का झाड़ू देने का काम अधिक से अधिक ५ घंटों का ही होना चाहिये। ...छुट्टी देने की आदत डालनी चाहिये।

...८. स्थानीय निकायों को चाहिये कि भंगियों को उन्हें उनके काम के लिये योग्य वर्दी या अन्य कपड़े देने चाहियें।

...९. समाज के एक साधारण सदस्य के नाते मेहतरों की उन्नति के लिये तथा भंगियों की जीवन स्थिति में सुधार करने के ...क कार्यकर्ताओं और स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से राज्य जन स्वास्थ्य अधिकारियों को एक आन्दोलन चलाना चाहिये।

...०. मेहतरों को कम से कम कितना वेतन मिलना चाहिये, इस बारे में समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं। उन्होनें डिस्ट्रिक्ट ...यों के सम्बन्ध में २५ से ३० रुपये का ग्रेड रक्खा है। परन्तु सिलैकशन ग्रेड में १० वर्ष तक १५ प्रतिशत को टाइम स्केल ...और दिया जायेगा और नोटीफाइड एरिया कमिटी तथा ग्राम पंचायत के सम्बन्ध में प्रति मास २० रुपये का सीधा रेट रक्खा ... स्केल सरकारी नौकरों की क्लास ४ की श्रेणी को दिया जाता है वही मेहतरों को भी दिया जाना चाहिये। कुछ ...में गंदे काम का भत्ता भी दिया जाता है। इस भत्ते को मेहतरों के वेतन का ही अंग समझा जाना चाहिये।

...१. ऊपर निर्दिष्ट किये हुए भंगियों के काम में सुधार से यदि कोई आदमी बेकार हो जाय तो यह स्थानीय संस्थाओं का कर्तव्य ...कि उनके मातहत किसी योग्य प्रकार के काम में लगाया जाय।

... स्टेट के डायरेक्टर को जो स्थानीय संस्थाओं के लिये है एक सहायक अधिकारी देना चाहिये ताकि वह कमिटी की ...भली प्रकार कार्यान्वित कर सके।

... स्थानीय संस्थाओं, ग्राम पंचायतों तथा अन्य स्थानीय अधिकारियों को एक विशेष परिच्छेद द्वारा भंगियों की वर्तमान स्थिति ... की स्थिति उनकी नौकरी तथा उनमें सुधार जो कि रिपोर्ट के वर्ष में हुआ, के बारे में अपनी वार्षिक रिपोर्ट में ...यें।

...ानीय संस्थाओं की सहायता से अपने कर्मचारियों के लिये जिसमें भंगियों का भी समावेश हो कौओपरेटिव क्रेडिट सोसायटी ...चाहियें।

...ता में कमिटी ने सिफारिश की है कि आम जनता मे सफाई की भावना, नागरिकता के भाव तथा सामाजिक न्याय की ... स्वच्छता का महत्व तथा उनके निवास स्थान के आसपास सफाई की व्यवस्था के बारे में उनको प्रभावित कर उनम ... चाहिए।

परिशिष्ट ९

राज्य सरकारों । संघीय प्रदेशों में भंगियों की स्थिति सुधारने के लिए नगरपालिकाओं के द्वारा जो हाथ गाड़ियां तथा ठेले खरीदे गए, उन पर हुए व्यय को प्रदर्शित करने वाली तालिका

क्रम-संख्या	राज्य/संघीय प्रदेश का नाम	राज्यों में नगर-पालिकाओं तथा स्थानीय निकायों की संख्या	बाल्टियों या डोलों में मैला ले जाने वाले भंगियों की संख्या	उन स्थानीय निकायों के नाम जो मैला ढोने वाले भंगियों को ठेले अथवा हाथ गाड़ियां देना पसन्द करते हैं	प्रत्येक स्थानी में जो इस कार्यान्वित क हैं बाल्टियों में मैला ले रीति को रोकने के गाड़ियों या आवश्यक खरीदने पर लागत
१	२	३	४	५	६
					रुपये
१	आसाम	४५	७२२	१. सिलचर म्यूनिसपल बोर्ड	५००००
				२. करीमगंज म्यूनिसपल बोर्ड	मालूम
				३. धूबरी म्यूनिसपल बोर्ड	जन नहीं
				४. बारपेटा म्यूनिसपल बोर्ड	ुनिसि
				५. रंगिया नगर कमेटी	
				६. नालबारी म्यूनिसपल बोर्ड	साफ क
				७. नौगांव म्यूनिसपल बोर्ड	ो भंगियों
				८. हौजी नगर कमेटी	करते हैं)।
				९. नजीरा नगर कमेटी	त दिया नहीं
				१०. डिबरूगढ़ म्यूनिसपल बोर्ड	
				११. कामाख्या नगर कमेटी	
२	केरल	२७	८०५	(१) नियाटंकारा, (२) अटिंगल, (३) क्वीलौन, (४) कायमकुलम, (५) मावेलीकारा, (६) कोटायाम, (७) चंगनाचेरी, (८) वाईकौम, (९) पलई, (१०) त्रिचुर, (११) चित्तूर ठट्टा मंगलम, (१२) कुलमकुलम, (१३) पैरूर, (१४) आलवई, (१५) फोर्ट कोचीन, (१६) पालघाट तथा (१७) कोझिकोड	

क्रम संख्या	राज्य/संघीय प्रदेश का नाम	राज्यों में नगर-पालिकाओं तथा स्थानीय निकायों की संख्या	बाल्टियों या डोलों में मैला ले जाने वाले भंगियों की संख्या	उन स्थानीय निकायों के नाम जो मैला ढोने वाले भंगियों को ठेले अथवा हाथ गाड़ियां देना पसन्द करते हैं	प्रत्येक स्थानीय निकाय में जो इस योजना को कार्यान्वित करना चाहते हैं बाल्टियों या डोलों में मैला ले जाने की रीति को पूर्णरूप से रोकने के लिए हाथ गाड़ियों या ठेले जैसा आवश्यक सामान खरीदने पर लगने वाली लागत
१	२	३	४	५	६
					रुपये
३	मदरास	११ डिस्ट्रक्ट बोर्ड ५४ म्यूनिसपल कौन्सिल २७९ पंचायतें	४८ डि० बोर्ड ६३५० म्युनिसिपैलिटियां १२०० पंचायतें	आधे से अधिक पंचायतों द्वारा केन्द्रीय सरकार की भेंट स्वीकार करने और योजना को कार्यान्वित करने की आशा की जाती है।	६००००
४	राजस्थान	१५४ म्यूनिसपल बोर्ड और ३८२९ पंचायतें	७०७२ अजमेर और आबू क्षेत्र को छोड़कर	नहीं दी गई	नहीं दी गई
१	हिमाचल प्रदेश	४ म्यूनिसपल कमेटी ६ छोटी नगर कमेटी तथा २ नोटिफाइड एरिया कमेटी	२१७	१. सोलन म्यूनिसपल कमेटी २. मण्डी म्यूनिसपल कमेटी ३. नाहन म्यूनिसपल कमेटी ४. चम्बा म्यूनिसपल कमेटी ५. रामपुर छोटी नगर कमेटी ६. ठियोग छोटी नगर कमेटी	३०००

परिशिष्ट १०

गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा किये गये अस्पृश्यता निवारण कार्य की भेजी हुई रिपोर्ट

(अ) हरिजन सेवक संघ

जनरल सैक्रेटरी का प्रवास

हरिजन सेवक संघ के प्रधान मंत्री श्री वियोगी हरि ने इस वर्ष बहुत से राज्यों में भिन्न भिन्न केन्द्रों का विस्तृत दौरा किया। छतरपुर में गांधी स्मारक निधि के मंत्री श्री धोत्रे जी के साथ गांधी भवन कालोनी में शास्त्रीय पद्धति पर तथा अन्न उत्पादन के विषय पर सविस्तार विचार किया गया। गांधी भवन के छात्रों को इस कार्य का प्रशिक्षण देना भी तय किया गया। श्री चर्तुभु पाठक से वे मिले और विन्ध्यप्रदेश में हरिजन कार्य को अधिक विस्तृत तथा सघन बनाने के मार्ग तथा साधनों की चर्चा की।

गांधी स्मारक निधि की पंजाब शाखा द्वारा आयोजित महिला शिविर के प्रशिक्षणार्थियों के समक्ष होशियारपुर में उन्हों भाषण दिया। वहाँ उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को संघ के उद्देश्य, संघ की कार्य पद्धति तथा अस्पृश्यता को शीघ्र नष्ट करने की आवश्यकता को स्पष्ट किया। शाम को वह बहादुरपुर हरिजन बस्ती में गये और देखा कि नाई लोग हरिजनों की सेवा बिना भेदभाव के करते हैं। एक को छोड़ कर अन्य सब होटल हरिजनों के लिये खुले थे। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे चंद दिनों में अ[illegible]य होटल भी हरिजनों के लिये खुलवाने का प्रयत्न करेंगे। श्री लाला मोहनलाल तथा डा० रामरक्ष के साथ जिला जालंधर के मुड्डा ग्राम में वह हरिजन सेवक संघ के अनुदान से निर्मित प्रार्थना मंदिर का उद्घाटन करने गये। यहां उन्होंने देखा कि ग्राम के कुंए से हरिजन पानी निकालते थे तथा बिना रोकथाम मंदिर में जाते थे तथा अन्य सवर्ण हिन्दुओं के छात्रों के साथ हरिजन बालक भी पाठशाला में जाते थे। शामलात देह में भी हरिजनों का उतना ही हिस्सा था। गाँव की एक सभा में अपने गाँव से अस्पृश्यता को नष्ट करने के उपलक्ष्य में गाँव के सवर्ण लोगों को धन्यवाद देकर उन्होंने अपील की कि यह प्रेम या समानता का संदेश वे आसपास के ग्रामों में भी फैलायें। लगभग ५०० हरिजनों तथा १०० सवर्ण हिन्दु अन्तर्जातीय सहयोग (प्रीतिभोज) में सम्मिलित थे। जालंधर में शाम को उन्होंने गांव के प्रतिष्ठित लोग तथा स्थानीय कार्यकर्त्ताओं की मीटिंग में वक्तव्य दिया। डा० गोपीचंद भार्गव की अध्यक्षता में प्राँतीय बोर्ड की बैठक बुलाई गयी। प्रायः सम्पूर्ण जिले के अध्यक्ष तथा मंत्री इस बैठक में उपस्थित थे जहाँ कार्य की प्रगति बढ़ाने के सम्बन्ध में मार्ग तथा साधनों पर चर्चा की गयी। डा० भार्गव ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि अस्पृश्यता को जड़ से नष्ट करने के लिये हर प्रकार के कदम उठाये जायें। अन्त में प्रधान मंत्री ने संघ की नीति तथा कार्य के विषय पर सविस्तार प्रकाश डाला।

१९ अप्रैल को वह मध्य भारत के गोहद में श्री के० बी० दाते तथा श्री० श्यामलाल जी जो कि कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट के मंत्री हैं, के साथ एक पुराने तथा प्रसिद्ध मन्दिर में रामनवमी के उत्सव पर निमंत्रित होने के कारण पहुंचे। महंत जी के अथक प्रयत्नों के कारण कुछ समय पूर्व यह मंदिर अछूतों के लिये खुल गया था। मध्य भारत के मुख्य-मंत्री श्री तखतमल जैन, गृहमंत्री, समाज कल्याण के मंत्री तथा उपमंत्री भी इस समारोह में सम्मिलित हुए थे। यह समारोह अन्तर्जातीय सहभोज के साथ समाप्त हुआ जिसमें महंत जी तथा उनके शिष्यों द्वारा हरिजनों तथा अन्य आगंतुकों की जूठी पत्तलें भी स्वयं उठाकर फेंकी गईं।

कोटा में कार्यकर्ताओं के शिविर में उन्होंने अस्पृश्यता निवारण की तथा हरिजन कल्याण कार्य की समस्या पर विस्तार से चर्चा की। शाम को जिले के रचनात्मक कार्यकर्ताओं की आयोजित सभा में उन्होने हरिजनों के प्रश्नों के अन्यान्य पहलुओं पर अपने भाषण में दृष्टि डाली। शाम को वह हरिजनों की एक टोली को एक होटल में ले गये। विभागीय अधिकारी ने इस कार्य में सहयोग देने का आश्वासन दिया। वहां से वह लाखेरी गये जहाँ वह सिमेंट फैक्टरी के मैनेजर से मिले। उन्होंने मिल के अहाते में कार्यकर्ताओं

की सभा में भाषण दिया जिसमें उन्हें हरिजन कार्य के लिये १०१ रुपये भेंट किये गये। मैनेजर ने यह भी आश्वासन दिया कि वह हरिजनों को रहने का स्थान देने में सहायता करेंगे। वहां से वह बूंदी गये जहाँ उन्होंने कलेक्टर से भेंट की। कलेक्टर ने उन्हें भूमिहीन हरिजनों को जमीन दिलाने के बारे में आश्वासन दिया। जनाने अस्पताल में जहाँ वे गये, उन्होंने देखा कि हरिजन महिलाओं से पृथकता का व्यवहार किया जाता था और इस बात की ओर उन्होंने कलेक्टर का ध्यान आकृष्ट किया। बाद में वह गांधी ग्राम गये जो कि हरिजनों के लिये नया बसाया गया है। यहाँ भूदान में प्राप्त जमीन में से २,००० बीघा जमीन हरिजन परिवारों को दी गई है। राज्य सरकार ने भी प्रत्येक परिवार को ३५० रु० की सहायता इस नये ग्राम में बसने के लिये दी थी। राजस्थान शासन के कल्याण विभाग द्वारा आयोजित शिविर के प्रशिक्षणार्थियों के समक्ष भाषण देकर, वह कलेक्टर से मिलने, झालावाड गये।

वहाँ से वह २८ अप्रैल को छतरपुर, विंध्य प्रदेश में गये जहाँ उन्होंने विभिन्न राज्यों के छात्रों तथा कार्यकर्ताओं की सभा में जो कि शिविर में उपस्थित थे, भाषण दिया। ३ मई को वह हरिजन कांफ्रेंस में सम्मिलित होने के लिये टीकमगढ़ गये। इस कान्फरेंस का उद्घाटन विन्ध्यप्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष श्री शिवानंद जी द्वारा किया गया। यहाँ एक छोटा किन्तु प्रभावयुक्त प्रदर्शिनी का आयोजन किया गया था जिसमें हरिजन आश्रमों से लायी हुई चीजें रखी गयी थीं। इंदौर के श्री के० बी० दाते ने सम्मेलन में भाषण देते हुए २० वर्षों के पूर्व सतना के श्री अवध बिहारी लाल द्वारा अस्पृश्यता निवारण का जो कार्य शुरू हुआ था वह कितना बढ़ा, उसको विस्तार से बतलाया। कांफरेंस के पश्चात् अन्तर्जातीय भोज हुआ। दूसरे दिन गाँव के दो प्रसिद्ध मंदिरों में वह हरिजनों के साथ गये जहाँ द्वार पर हरिदास जी मंदिर की प्रबन्धक समिति के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। मंदिर से वापिस आते ही नाई लोगों ने स्वयं ही हरिजनों की सेवा करना स्वीकार किया। एक हलवाई ने तथा एक होटल वाले ने भी बिना किसी भेदभाव के हरिजनों को खिलाया पिलाया।

सर्वोदय सम्मेलन में विशेषरूप से निमन्त्रित किये जाने के कारण वह २४ मई को कांचीपुरम् के लिये रवाना हो गये जहाँ विभिन्न राज्यों से आये हुये बहुत से कार्यकर्ताओं से वह मिले। सर्वोदय सम्मेलन के प्रस्ताव का एक नया तथा उत्साहप्रद स्वरूप यह था कि सर्वोदय सम्मेलन में भूदान कार्यकर्ताओं को आदेश दिया गया कि वे अस्पृश्यता निवारण कार्य में तथा अन्य रचनात्मक कार्य में सक्रिय सहयोग दें।

१३ जून को वह बंबई गये जहां उन्होंने बंबई हरिजन सेवक संघ के कार्य के विषय में चर्चा की और चेंबुर हरिजन बस्ती देखी। वहाँ उन्होंने हरिजन छात्रों को कंघे तथा अन्य वस्तुएँ भेंट कीं।

उन्होंने हरिजनों से कहा कि वह खुद अस्पृश्यता का व्यवहार न करें तथा जाति पाँति का भेद उत्पन्न न करें जिसके दोष से वह स्वयं तकलीफ पा रहे हैं।

२९ जून को वह शिविर देखने गये जहां गांधी विचारधारा के अनुसार अस्पृश्यता निवारण आंदोलन के महत्व पर भाषण दिया। ६ जुलाई को उत्तर प्रदेश हरिजन सेवक संघ के पुनर्गठन के प्रश्न के लिये कानपुर गये। उन्होंने ५ मास का प्रवास करके ,००० मील की यात्रा की।

राज्यों में कार्य

केरल

तामिलनाड से स्वामी आनंदतीर्थ का प्रधान कार्यालय कोझीकोड, केरल में चला गया। केरल में उन्होंने सम्मेलनों तथा सभाओं का आयोजन किया जिनमें अस्पृश्यता निवारण का महत्व तथा अस्पृश्यता-उन्मूलन कानून का अर्थ समझाया गया। कोझीकोडे में श्री जगजीवनराम, यातायात मंत्री, केन्द्रीय सरकार की अध्यक्षता में एक बृहत् सम्मेलन का आयोजन किया गया। मंत्री महोदय ने सवर्ण हिन्दुओं से अस्पृश्यता छोड़ देने के विषय में उत्तेजक अपील की तथा हरिजनों को सब प्रकार की सुविधायें एवं सहायता देने के लिये कहा ताकि वे समाज में ऊंचे उठ सकें। अपने समाज की भलाई के लिये कार्य करने तथा संगठित होने के लिये उन्होंने हरिजनों को भी कहा। श्री जगजीवनराम जी की अध्यक्षता में और दो सम्मेलनों का आयोजन करने के कार्य में हमारे कार्यकर्ताओं ने डिप्रेस्ड क्लास लीग के कार्यकर्ताओं को सहयोग दिया। ये दोनों सम्मेलन बहुत ही सफल रहे और सवर्ण हिन्दुओं तथा हरिजनों पर इसका अच्छा असर हुआ। श्री नारायण जयन्ती की पूजा के उपलक्ष्य में १२ अगस्त को पयानूर में

एक वृहत समारोह का आयोजन किया गया जिसमें हरिजन तथा सवर्ण हिन्दु बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। अंतर्जातीय प्रीतिभोज के साथ यह समारोह समाप्त हुआ।

निम्नलिखित देहातों में हरिजनों की निर्योग्यताओं की जांच की गई तथा कुछ हद तक उन्हें दूर किया गया :—

सूराकुण्डु, सिल्वर हिल, इलाथूर, वेपुर, थेंगिनाकाडावु, सोटपेटा, पेरियारम, पल्लीकारा, टचनगढ़, कोट्टीकुलम, कौपु, मुल्की, उडीपी, इरिंजीकरु, फेरोक, ओलावन्ना, गुडुवंचेरी, चेबायूर, कराकड, आलाथूर, कवासेरी, कोट्टीकुलम, पांगल, काठपाडी, तथा कारकला।

सूराकुण्ड में हरिजनों को पहली बार होटलों में चाय पिलाइ गई। बहुत से स्थानों पर हरिजनों को होटलों में चाय आदि न देने के लिये होटलवालों को चेतावनी दी गई और जहां-जहां उन्होंनें विरोध किया वहां पुलिस में शिकायतें की गयीं। कुल २३ शिकायतें पुलिस के पास की गयीं। इरोड में देखा गया कि हरिजनों से होटलों में भेदभाव बर्ता जा रहा था और एक स्थान पर यूनिफार्म में रहते हुए भी पुलिस कांस्टेबिल ने अपराधी के विरुद्ध कुछ भी कदम नहीं उठाया। यह बात ऊपर के अधिकारियों के पास भेजी गयी और कांस्टेबिल को अपने आचरण के लिये माफी मांगनी पड़ी। पिलातु में यह देखा गया कि हरिजनों की शिकायतों की ओर कांस्टेबिल तब तक ध्यान नहीं देते जब तक उन्हें प्रमुख लोगों द्वारा या उनके सीनियर अधिकारियों द्वारा मजबूर नहीं किया जाता। पायानूर के एक होटलवाले को पकड़ कर १५ रुपये का जुर्माना किया गया क्योंकि उसने हरिजनों को पृथक पात्र में परोसा था। कोयम्बटूर में ३ होटल वालों पर १५ रुपये के हिसाब से जुर्माना किया गया क्योंकि उन्होंने हरिजनों से भेदभाव का वर्ताव किया था। पावनजा के दूसरे एक होटल वाले को पकड़ लिया गया क्योंकि उसने पृथक बर्तन में हरिजनों को चाय पिलाई थी और उसे के उपन्यायाधीश द्वारा मद्रास प्रावीजन धारा के आधार पर छोड़ दिया गया।

६ नाईयों के नाम भी पुलिस में दिये गये थे क्योंकि उन्होंने हरिजनों की सेवा करने से मना किया। बहुत से स्थानों पर नाईयों को चेतावनी दी गई। कुडीरोळी के नाईयों ने बिना हिचकिचाहट हरिजनों के बाल बनाये। दूसरे एक स्थान पर नाइयों ने हरिजनों के बाल तो बनाये, किन्तु उनसे दुगुना चार्ज मांगा। परन्तु हमारे प्रचारक के बीच में पड़ने से यह मामला आपस में सुलझ गया। पायामूर के पास मथमंगलम में एक नाई को अस्पृश्यता अपराध कानून के अंतर्गत पकड़ कर १५ रुपये का जूर्माना किया गया।

दो स्थानों में ग्राम के सार्वजनिक कुओं से पानी भरने में हरिजनों पर प्रतिबंध लगाया गया तथा एक तीसरे स्थान में नल से पानी लेने में और चौथे में पानी के तालाब से पानी लेने में रुकावट डाली गयी। यह सब मामले पुलिस में लिखवाये गये। उथनकोटाई के बोर्ड एलिमेन्टरी स्कूल में हरिजन छात्रों के लिये तथा सवर्ण छात्रों के लिये पृथक पानी के घड़े रखे गये थे। यही नहीं, सवर्ण हिन्दुओं के लिये दूसरे एक पृथक कुंए से पानी लाया जाता था। प्रधान शिक्षक को चेतावनी दी गयी और यह बात शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सामने पेश की गई।

मंदिर प्रवेश—अनेक स्थानों में हरिजनों को मंदिरों में प्रवेश कराया गया। बेपूर तथा तिरूवाचारी के निजी मंदिरों के ट्रस्टियों के पास भी हरिजनों के लिये मंदिर खुलवाने के लिये गये थे। कन्हनगढ़ का गौड़ सारस्वत ब्राह्मण का मंदिर हरिजनों के प्रवेश के लिये खुल गया है। कन्नापुर तथा कादंबरी में भी मंदिर खुल गये। नेदीविरूप के शिव मंदिर, कवसेरी के भगवती मंदिर भी हरिजनों के लिये खुल गये। पालघाट के मुर्नी मंदिर में हरिजनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था और यह बात जिला कलक्टर को रिपोर्ट की गयी थी। अलाथूर तथा कवसेरी के पुजारियों को हरिजनों के मंदिर प्रवेश पर रोकने के विषय में तथा पूजा पर प्रतिबंध लगाने के विषय में चेतावनी दी गई।

मुल्की मंदिर—यह दक्षिण का गौड़ सारस्वत ब्राह्मणों का एक पुराना मंदिर है और हरिजनों के लिये बंद है। जब हरिजनों के लिये मंदिर खुलवाने का आंदोलन चला तब मंदिर के ट्रस्टियों ने घोषणा की कि वह प्राइवेट मंदिर है। इस पर मुकदमा चला और मद्रास न्यायालय में यह बात गई, जहां पर अस्वीकृत हो गई। अब ऐसा मालूम होता है कि मंदिर के ट्रस्टियों ने हाईकोर्ट के निर्णय के विपरीत सुप्रीमकोर्ट में अपील की है। सारस्वत ब्राह्मणों की जाति एक धनिक जाति होने से उन्होंने काफी धन इक्ट्ठा किया है और अच्छे योग्य वकीलों को यह काम सौंपा है। यदि इस मंदिर को प्राईवेट घोषित किया गया तो गौड़ सारस्वत ब्राह्मणों के सब मंदिरों को प्राइवेट घोषित करना पड़ेगा और उनके द्वार भी हरिजनों के लिये बंद हो जायेंगे।

मैसूर

मैसूर में ५ कार्यकर्ताओं द्वारा कार्य चालू रखा गया। प्रदेश के अन्दरूनी भागों में जाकर उन्होंने हरिजनों की निर्योग्यताओं
व परेशानियों की पूछताछ की। उनका मुख्य कार्य हरिजनों के लिये कृषि योग्य जमीन दिलाना मकानों के लिये स्थान प्राप्त करना,
लिए साधनों को जुटाना, ग्राम में तथा शहर की हरिजन बस्तियों में पीने के पानी के कुऐं खुदवाना, रहा। साराकी तथा
पुरा ग्रामों के हरिजनों को मंदिरों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में निःसंकोच जाने के लिये कहा गया। जाक्कुर में अन्तर्जातीय भोज
जन किया गया जहां २ हजार के ऊपर हरिजन तथा सवर्ण हिन्दुओं ने कुछ भी भेदभाव न रखते हुए भाग लिया।

मंडया जिले के बालचोनगर में हमारे हरिजन सेवकों ने हैजे की रोकथाम के लिये हैजे का टीका लगवाने का आयोजन
जोकि उस समय इस क्षेत्र में जोरों से था। कोडाहल्ली ग्राम में हरिजनों का कुआं सवर्ण हिन्दुओं द्वारा उपयोग में लाया
तथा हरिजनों के लिये नाई की दुकान तथा होटल बिना प्रतिबंध के खुले हुए हैं। दोदयातल्लापुरा तालुक के होन्नावरा ग्राम
के साथ हरिजनों को मंदिर में जाने नहीं दिया गया। हमारे कार्यकर्ता ने डिप्टी कलेक्टर से भेंट की और मामला शान्ति
गया। हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रौढ़ हरिजनों के लिये रात्री पाठशालाऐं चालू कीं। जब देखा गया कि ओथानूर ग्राम में
छात्रों को पाठशाला के अंदर नहीं जाने दिया जाता तो यह बात जिला शिक्षाधिकारी को पेश की गई। जिन हरिजनों के
आग लगने से जलकर नष्ट हो गये थे उनके नाम उच्च अधिकारियों के पास अपनी शिफारशों के साथ भेजे गये।

त्रिपुरा

रिपोर्ट के इस वर्ष में त्रिपुरा में भयानक बाढ़ आयी जिससे कई हरिजनों के तथा बागानों में काम करने वाले मजदूरों के मकान
इसी समय अनाज के भाव बढ़ गये। हमारे कार्यकर्तागण स्थानीय अधिकारियों से मिले और उन्होंने बाढ़ पीड़ित हरिजनों
के लिये धन तथा अनाज प्राप्त किया। केन्द्रीय कार्यालय ने भी ७५० रुपये की सहायता प्रधान मंत्री के बाढ़ कोष
कपड़े आदि हरिजनों के लिये खरीदने के हेतु भेजी। हमारे कार्यकर्ता नें अन्दरूनी ग्रामों में रहने वाले हरिजनों को सरकारी
चावल मिल जाने के लिये उच्च अधिकारियों से भी भेंट की जिसके फलस्वरूप सस्ते मूल्य की दुकानें हरिजनों के लिये
।

३। बृहत सभाऐं आयोजित की गईं, जहां हरिजनों की साधारण स्थिति पर चर्चा की गई। भूमिहीन हरिजनों के लिये भूमि
प्रयत्न भी किये गये। चाय बागानों के मालिकों से भी मिला और उन्होंने हरिजनों के निवास की हालत सुधारने की
पर जोर दिया।

पंजाब

जाब हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष डा० गोपीचन्द भार्गव के मार्गदर्शन में पंजाब में हरिजन कार्य अधिक ठोस बन गया है।
अस्पृश्यता का प्रश्न इतना जटिल नहीं है किंतु अब वह दूसरा रूप बदल रहा है। वह रूप है,आर्थिक त्रास। बहुत समय से
, जाट जमीदारों से मिलने वाले अल्प पारिश्रमिक कार्य करते थे, किन्तु स्वतंत्रता के बाद बेगारी प्रथा नष्ट होने से या
नें खेतों में काम कराने की प्रथा नष्ट होने से हरिजन अब अपने अधिकारों का दृढ़ उपयोग करने लगे और जमीनदारों
र्वी नहीं करते हैं। इससे जमीदार चिढ़ गये क्योंकि वहाँ उनका अधिकार जमा हुआ था। जब हरिजन बेगार करने को
तब उन्हें उनके खेतों में से निकलने कों मना किया जाता है। उनके पशुओं को गांव की सार्वजनिक जमीन पर भी चराना मना
तथा कभी कभी तो वे इस हद तक पहुंचते हैं कि हरिजनों का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है और उन्हें निष्कासित किया
— मामलों में जब हमारे कार्यकर्ता योग्य फैसला कराने में असमर्थ रहते हैं तब वे जिलाधीश या सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के
लग करा देते हैं, नहीं तो ऐसे मामले कोर्ट में ले जाये जाते हैं। भंगियों तथा चमारों में अस्पृश्यता अब भी है। जब
गयों ने सार्वजनिक कुओं से पानी लिया तब चमारों ने उस कुएं से पानी लेना बंद कर दिया। हमारे प्रचारकों ने उन्हें
अब वे उसीं कुऐं से पानी ले रहे हैं।

तामिलनाड

श्री कल्याणशरण तथा उनके सहायक ने उत्तर अर्काट जिले में अपना कार्य चालू रखा। उन्होंने कई ग्रामों को देखा ज. उन्होंने हरिजनों को स्वच्छता से तथा सफाई से रहने की शिक्षा दी। आम सभाओं में अपने बच्चों को पाठशालाओं में भेजने के लि हरिजनों को कहा गया और स्वच्छता से तथा अच्छी तरह से रहने की आवश्यकता पर जोर डाला गया ताकि वे सार्वजनिक स्थानों तथा स्कूलों में सवर्णों के साथ स्वतंत्रता के साथ मिल सकें। नये पास हुए १९५५ के अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के अन्तर्गत प्रोविजन रखा गया है तथा हरिजनों के लिए जो अन्य सुविधायें दी गई हैं उनका ज्ञान आम सभाओं में हरिजनों को कराया गया। सभाओं में दोनों सवर्ण हिन्दु तथा हरिजन उपस्थित थे। पेंगलाथान ग्रामों में हरिजनों को पियोगाई तथा मुरूगर मंदिरों में पह वार मंदिर के ट्रस्टियों, जिला समाज सेवा अधिकारियों तथा अन्य प्रमुख लोगों के साथ प्रवेश कराया गया। देहातों के हरिजनों के उद्धा कार्य में तथा अस्पृश्यता निवारण कार्य में हमारे कार्यकताओं ने भी जिला अधिकारियों को एक निश्चित योजना बनाने में सहयोग दिया रानीपेट में एक हरिजनों का बृहत सम्मेलन आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता मद्रास के हिन्दु धार्मिक दाय विभाग के मंत्री श्री बी० परमेश्वरन ने की। इसमें केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय के मंत्री श्री बी० एन० दातार भी उपस्थित थे।

कांफ्रेंस में भाषण देते हुये श्री दातार ने बतलाया कि अस्पृश्यता समूल नष्ट करने के लिये कई संस्थाऐं इस क्षेत्र में दिशाओं में प्रयत्न कर रही हैं और सभी सवर्ण हिन्दुओं का यह कर्तव्य है कि वे अपने धर्म पर से अस्पृश्यता का धब्बा धो डालें। श्री दातार अर्काट में गये जहाँ उनको हरिजन बस्ती दिखाई गयी। यह बस्ती अत्यन्त गंदगी की हालत में थी। अपना असंतोष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायतों तथा जिला अधिकारियों को चाहिये कि हरिजन बस्ती का संधारण तथा उसकी सफाई के बारे में वे ध्या दें। यह देखा गया कि कटुपुत्तुर ग्राम के मजदूरों की पाठशाला में अरूंथियार छात्र अन्य हरिजन छात्रों के साथ खाना नहीं खाते थे किन्तु मंत्री महोदय के कहने पर उन्होंने वैसा करना छोड़ दिया। सेम्बाकम के विनयगर मंदिर में जिला समाज सेवक अधिकारी तथ उत्तर अर्काट जिले के हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष के साथ २०० हरिजन बालक तथा बालिकाओं को प्रवेश कराया गया। मणिकपुर में १२ अगस्त १९५६ को एक अन्तर्जातीय भोज का आयोजन किया गया। बालम में हरिजन सम्मेलन का उद्घाटन करते समय मद्रा के अर्थमंत्री श्री सी० सुब्रामणयम् ने कहा कि हिन्दुस्तान का सुधार करना देहातों का उत्थान करना है, जहाँ अस्पृश्यता कट्टरता से पालन की जाती है। हिन्दुस्तान का दर्जा ऊपर उठाने के लिये यह आवश्यक है कि पहले अस्पृश्यता नष्ट करनी चाहिये।

हरिजनों की निर्योग्यताओं की जाँच निम्नलिखित ग्रामों में कराकर उन्हें दूर किया गया :—

मदुरा जिले में टेनकाशी, तमारैपडी, वडमादुराई और कुठियारगुड्ड, बेंडुगापट्टी, कलमपट्टी, वारीचिदूर, चेंबुर, विराटीपाथु, माचमपाथु, थेनूर, उत्तरी पुडुकोटाई, अराकाई, समयानालूर, माडाकुलम, बाड़ीवेलुकराई तथा किलानेरी, त्रावणकोर में वरकला, दक्षिण कनारा में मदुरोइडी, उत्तरी मलाबार में माथिल। मदुरा नगरपालिका में एक चाय दुकानदार को दोषी सिद्ध किया गया और हरिजनों को पृथक् गिलास में चाय देने के अपराध में ३ रुपया जुर्माना किया गया। तिरूनेलवेली नगरपालिका में दूसरा एक चाय बेचने वाला कांच के गिलास में हरिजनों को चाय देने से इन्कार करने के अपराध में दोषी सिद्ध किया जाकर ५ रुपया जुमाना किया गया। वेप्पनकुलम के पास कालापुरपड्डी के एक होटल वाले को हरिजनों को नारियल के खोल में चाय देने के अपराध में दोषी सिद्ध किया गया और उस पर तूतिकोरिन के उप-न्यायाधीश द्वारा १५ रुपये जुर्माना किया गया। मनामादुराई के रेलवे रैस्टोरेंट के मालिक को हरिजनों के लिये पृथक् गिलास में चाय देने के अपराध में विभागीय तौर पर धमकाया गया। आचमपाथु के एक ब्राह्मण होटल वाले को हरिजनों को नारियल के खोल में चाय देने के अपराध में मदुरा के उप-न्यायाधीश द्वारा दोषी सिद्ध किया जाकर ५ रु० जुर्माना किया गया यह उसका दूसरा अपराध था। उथानगुडी के एक होटल वाले को हरिजनों को पृथक् गिलास में चाय देने के अपराध में अपराधी ठहराया जाकर उसे ३ रु० का दंड दिया गया। यह भी उसका दूसरा अपराध था। टेनकाशी में होटल वालों को हरिजनों से भेदभाव दिखाने के अपराध में अपराधी ठहराये जाकर जुर्माना किया गया। तिरूनेलवेली जिले के तलाईवाथु रेलवे स्टेशन के पास एक होटल वाले को पृथक गिलास में हरिजन रेलवे भंगी को चाय देने के अपराध में तिरूनेलवेली के न्यायाधीश द्वारा दोषी सिद्ध किया जाकर ५ रु० जुर्माना किया गया। आचमपाथु के इडली के दुकानदार को हरिजनों को हाथों में पानी पिलाने के अपराध में ३ रु० जुर्माना किया गया। सेवापट्टी के गगाईकोडन तथा ऊरानी के २ चाय के दुकानदारों के मामले उप-न्यायालय के समक्ष आपस में तय किये गये।

दक्षिण कनारा में होसदुर्ग के उप-न्यायाधीश द्वारा एक बड़ा रोचक मुकदमा उप-न्यायाधीश द्वारा जाँचा गया जिसको पुलिस ने असत्य समझा था। किन्तु स्वामी आनंदतीर्थ के प्रतिनिधित्व से पुलिस के इन्स्पेक्टर जनरल तथा डी० एस० पी० द्वारा यह बात फिर से उठायी गई उसमें फिर से जांच की गई तथा विपक्षी अपराधी सिद्ध हुआ और उस पर १५ रु० जुर्माना किया गया। मैलूर तालुका की समुद्रपट्टी के पास सावापट्टी में हरिजनों को ऊर्नी से पानी लेने दिया जाता है जबकि कुछ सवर्ण हिन्दुओं को कोर्ट में लाकर चेतावनी दी गई थी।

रिपोर्ट के इस वर्ष में २ हरिजन विवाह संपन्न हुए जिसनमें बहुत से सवर्ण हिन्दु उपस्थित थे। यहां अस्पृश्यता को समूल नष्ट करने की अपील की गई।

मदुराई में हरिजनों के ५४ मकान आग में जल गये थे, सरकार के पास रिलीफ के लिये लिखा गया था। प्रत्येक परिवार को १५ से २० के हिसाव से उनकी झोपड़ी फिर से बाँधने के लिए शासन द्वारा दिये गये। रिपोर्ट के इस वर्ष में हरिजनों से पृथकता का व्यवहार करने के अपराध में २१ होटल वालों, ३ नाइयों के बारे में मामले पुलिस के पास लाये गये। ३ स्थानों में हरिजनों को सार्वजनिक कुओं से पानी निकालने के बारे में प्रतिबंध लगाया गया था और उसकी पुलिस में रिपोर्ट करनी पड़ी।

राजस्थान

राजस्थान में श्री बनवारीलाल भदादा कार्य का संचालन कर रहे थे। कार्यकर्ता हरिजन बस्तियों में गये और हरिजनों को उपदेश दिया कि वे एक होकर समाज में समाज स्तर प्राप्त करने के लिए मांग करें। सवर्ण हिन्दुओं को अस्पृश्यता का व्यवहार न करने के विषय में समझाया गया। हरिजनों को यह भी समझाया गया कि वें शराब पीने की आदत, मृत पशु का मांस खाना तथा जूठन लेना छोड़ दें। हरिजनों के आपस के झगड़े हमारे कार्यकर्ताओं के प्रयत्नों के कारण शांति से तय किये गये। कार्यकर्तागण हरिजन कल्याण विभाग के पास सहयोग तथा अनुदान के लिये गये थे। हमारे कार्यकर्ताओं ने सर्वोदय कार्यकर्ताओं को सहयोग दिया। ३ वर्षों के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप राजस्थान सरकार नें बजाजनगर, जयपुर में हरिजन कालोनी बनाना तय किया। इस वस्ती की आधारशिला गृहमंत्री, श्री राम किशोर व्यास द्वारा रक्खी गई तथा इस समारोह की समाज कल्याण के मंत्री श्री भोगीलाल पंडया ने अध्यक्षता की।

सी० पी० मराठी

मराठी मध्य प्रदेश में हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा यथापूर्व प्रचार चालू रखा गया। उन्होंने भूदान तथा सर्वोदय कार्यकर्ता को सहयोग दिया जिसके फलस्वरूप हरिजनों के लिये भूदान में जमीन मिल गयी। उनके कार्य में हरिजनों को मंदिर में प्रवेश कराना, चाय की दुकानों में ले जाना तथा नाई की सैलूनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में ले जाना सम्मिलित था। अन्तर्जातीय भोज आयोजित करने के अलावा प्रभात फेरियों का आयोजन किया गया। यह देखा गया कि उन पर प्रतिबंध नहीं होते हुए कुछ स्थानों में हरिजन कुओं से पानी लेने में डरते थे। मुसेवाड़ी ग्राम में ४ एकड़ जमीन तथा शहाका में १ एकड़ जमीन प्राप्त की गयी। एक ग्राम में सवर्ण हिन्दुओं द्वारा कुँए से पानी निकालते समय हरिजनों का विरोध किया गया। यह मामला ग्राम पंचायत तथा न्यायालय में भेजा गया। अन्त में हमारे कार्यकर्ताओं की सहायता से वह मैत्री भाव से सुलझ गया।

विंध्य प्रदेश

विंध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री चतुर्भुज पाठक के नेतृत्व में विंध्यप्रदेश का कार्य हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा चालू रहा। ता० ३ तथा ४ मई को तृतीय वार्षिक सम्मेलन टीकमगढ़ में श्री के० वी० दाते की अध्यक्षता में हुआ। टीकमगढ़ जिले में हरिजनों में भेदभाव करने के ७ मामलों की पुलिस में रिपोर्ट की गई जिसमें से ५ मामलों में हरिजनों को सफलता मिली। कुछ सवर्ण हिंदुओं ने भी हरिजनों के विरुद्ध रिपोर्ट की। किन्तु यह मुकदमे रद्द कर दिये गये। टीकमगढ़ तथा निवाड़ी में २ मामलों में समझौता हो गया तथा दूसरे एक मामले में गवाहों ने हरिजनों के अनुकूल अपने बयान दिये। मुहारा ग्राम के श्री गणेश ब्रार को अपने बच्चे को चेचक होने पर मंदिर में पूजा करने जाने के अपराध में सवर्ण हिंदुओं द्वारा बुरी तरह से पीटा गया। इन जुर्मों की घटनाओं के कारण आशा की जाती है कि समय की बदलती हुई स्थिति को देखकर विंध्य प्रदेश के सवर्ण हिन्दु अब हरिजनों से पृथकता का भाव छोड़ देंगे। विंध्य प्रदेश के ८ जिलों में प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्ति समारोह मनाने के लिये एक सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रमों में, हरिजन बस्तियां साफ करना, प्रभात फेरियां, सभाएें, तथा अंतर्जातीय भोज इत्यादि कार्यक्रम सम्मिलित थे। प्रत्येक स्थान में जिला न्यायाधीश, तहसीलदार, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों तथा अन्य सरकारी कर्मचारीगण ने इस कार्य में अपना

सहयोग दिया। प्रत्येक जिले में २०० लोगों ने सहभोज में भाग लिया। कुल १५०० रु० (जिसमें ८०० रु० समाज कल्याण विभाग द्वारा २०० रु० हरिजन सेवक संघ द्वारा तथा २०० रु० भारतीय आदिमजाति सेवक संघ द्वारा) इन अंतर्जातीय भोजों पर खर्च किया गया। इसका आम जनता पर काफी प्रभाव पड़ा।

मध्य भारत

मध्य भारत हरिजन सेवक संघ के प्रधान मंत्री श्री के० वी० दाते द्वारा भोपाल, लश्कर, मरेना, राजगढ़, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, नथीलसा, खारगांव, पूना, रीवा तथा मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में और खचरौद के सघन क्षेत्र में निरन्तर दौरा किया गया और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया गया। शाजापुर जिले में १००५ एकड़ जमीन के पट्टे ६५ हरिजन परिवारों में वितरित किये गये। गूना जिले के नुंगावली ग्राम में २३०० बीघे जमीन के पट्टे जो भूदान में मिली थी, जुलाई मास में हरिजनों को दिये गये। हरिजनों द्वारा रिपोर्ट के इस वर्ष में निम्नलिखित स्थानों में मंदिर प्रवेश कराया गया :—

मोरेना —विन्दाया, चंबर, लहालोर, जलालगढ़।

राजगढ़ —मवासा, जमानोई, मौनपुर।

गिर्द —जादोदी, सेरिया, रापमल।

देवास —खटामा, हाट पिपलिया आडा।

शाजापुर—जामन, धाराखेडी।

उज्जैन —रूनिजा, हरसोदन, शंकरपुर, बंधाका, बरवाना, हटाई, गुरूदैया, रादी पिपलिया, हीडी, अकवाया, बारबल, खुई, लाखहेड़ा, बोंडका, नलवा, महिदपुर, बादनगढ़ा।

रतलाम —अलोत्तल।

भींड —अलोटी पिलारी, मालनपुर, भिवरोल, खानी आरोली।

भीलसा —बेहोवी, मुद्रा, चांकर, भावरोपुर।

धार —बेदनावर।

नीमाड़ —सांडवाड़, बड़वाहा, मेतजा, बेडिया, बिजलगांव।

मंदसौर—कदवासा, सीतामऊ।

इंदौर —सानवेर

इस प्रकार १३ स्थानों में ४७ मंदिर हरिजनों के लिये खोले गये। श्री भंवर लाल जी सेठिया ने सीतामल के मंदिर में हरिजनों का स्वागत किया और उन्हें चायपान कराया। इसके अतिरिक्त ७ अन्य मंदिर खारगांव सघनकार्य क्षेत्र में हरिजनों के लिये खोले गये। हरिजनों के लिये जैन मंदिर खुलवाने के आंदोलन का जब से प्रारंभ हुआ तब से प्रति माह हमारे ठोस प्रचार के कारण जैन मंदिरों को हरिजनों के लिये खोला जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से राज्य के अन्यान्य भागों में ४३ सार्वजनिक कुऍं हरिजनों के लिये खोले गये। रिपोर्ट के इस वर्ष में २३ होटल हरिजनों के लिये खोले गये। राजगढ़ जिले में होटल मालिक के विरुद्ध पुलिस के पास रिपोर्ट की गयी थी, किन्तु बाद में आपस में समझौता कर लिया गया। रतलाम में हरिजनों में भेदभाव दर्शाने के अपराध के कारण ३ मामले पुलिस के पास भेजे गये। मंदसौर में २ होटल वालों के विरुद्ध पुलिस में शिकायतें की गईं। धार में एक होटल वाले के विरुद्ध हरिजनों से अधिक मूल्य लेने के अपराध में शिकायतें की गईं।

२७ स्थानों में नाइयों को हरिजनों के बाल बनाने के लिये फुसलाया गया और तीन स्थानों में पुलिस में रिपोर्ट देने के बाद उन्होंने हरिजनों के बाल बनाये। ३ अन्यान्य स्थानों पर ३ नाइयों के हरिजनों के बाल काटने को मना करने पर पुलिस में रिपोर्ट की गयी। चार स्थानों पर हरिजनों को सोना चांदी के गहने तथा अच्छे कपड़े पहनने की इजाजत दी गयी, किन्तु एक स्थान पर यह मामला पुलिस के सपुर्द कर दिया गया। भीलसा जिले में बडगाँव में जब हरिजनों की शादी की बरात जिसमें दूल्हा घोड़े पर सवार था, रास्ते से गुजर रही थी, सवर्ण हिन्दुओं ने उसका विरोध किया, किन्तु पुलिस की सहायता से यह बरात शांति से चली गई। गूना में सवर्ण हिन्दुओं ने शादी के समय हरिजनों से बाजा बजाने को मना किया। उनकी अधिक हठ होने पर इस बात की पुलिस में रिपोर्ट की गई।

हमारे कार्यकर्त्ताओं द्वारा ७ बड़े सम्मेलनों और कई बैठकों तथा सहभोजों का आयोजन किता गया। मसूदपुर नें सूचना तथा प्रसार मैंत्री द्वारा सम्मेलन का उद्‌घाटन किया गया। श्री मनोहरसिंह मेहता, शिक्षा मंत्री द्वारा दूसरे एक सम्मेलन का उद्‌घाटन किया गया। इस प्रदेश में प्रचलित महिदारी तथा बेगारी की पुरानी प्रथा को नष्ट करने के उद्देश्य से श्री मंगलदेव द्वारा इन सभाओं का आयोजन किया गया। इस प्रथा के अनुसार हरिजन स्वतंत्र नहीं थे। अतः अपनी इच्छानुसार अधिक मजदूरी पर भी दूसरे स्थान पर काम नहीं कर सकते थे। वे अपने एक विशेष मालिक के साथ बंधे हुये थे। गरीब हरिजनों ने अपनी दयनीय स्थिति मंत्रियों के सामने रखी और इन बंधनों से छुटकारा पाने की प्रार्थना की। इन अधिवेशनों में ३ हजार से ऊपर आदिवासी स्त्री पुरुष उपस्थित हुए। दूसरे एक सम्मेलन का उद्‌घाटन राजगढ़ जिले में जंगल मंत्री द्वारा किया गया। कांफ्रेंस में मंत्री महोदय ने कहा कि जंगल की कृषि योग्य भूमि का अधिक हिस्सा हरिजनों को दिया जायगा। इसका सवर्ण हिन्दुओं पर अच्छा प्रभाव पड़ा।

रिपोर्ट के इस काल में चकराना प्रथा को खतम किया गया। इस प्रथा के अनुसार बलाई हरिजनों को प्रत्येक गांव में नाममात्र जमीन दी जाती थी। इसके बदले में स्थानीय अधिकारियों द्वारा हर प्रकार का काम उनसे मुफ्त कराया जाता था। शुरु से ही इस अन्याय के विरोध में हरिजन सेवक संघ लड़ रहा था और शासन के पास तथा विधान सभा के सदस्यों के पास भी इस अन्यायमूलक प्रथा को खतम करने के बारे में गए थे। इसके परिणाम-स्वरुप सन् १९५३-५४ में राज्य सरकार द्वारा इस प्रथा को नष्ट करने का निर्णय किया गया। किन्तु कुछ कठिनाईयों के कारण अभी तक इस विषय में प्रत्यक्ष कदम नहीं उठाया गया। १९५६ के अप्रैल से शासन ने इस बुरी प्रथा को नष्ट कर दिया। सेवक श्री मंगलदेव शर्मा ने आठ हरिजन छात्रों के साथ १५० मील का पैदल दौरा कर हरिजन सेवक संघ का प्रचार लगभग ३० मील ग्रामों में किया।

ग्वालियर के सिविल अस्पताल में (सूतिकागृह) हरिजन महिला को प्रवेश मना किया गया। २४ घंटों तक वह अस्पताल के बाहर ही अपनी प्रसव वेदना में पड़ी रही। जब हमारे कार्यकर्त्ताओं ने जिला मैडिकल अधिकारी से भेंट की, तब डाक्टर ने उसे इन्जेक्शन दिया। चूंकि ईसाई नर्स ने उसे बचाया था, अतः यह नया पैदा हुआ बालक भी अछूत बना और सवर्ण हिन्दु नर्स ने बालक तथा उसकी मां का उपचार नहीं किया। इस पूरी घटना की मैडिकल आफिसर द्वारा जांच होने पर भी अभी तक इन दो हिन्दु नर्सों के स्थानान्तरण के अतिरिक्त उस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

सघन कार्य क्षेत्र में यह कार्य पूरे जोरशोर से हो रहा है। अधिक ग्रामों को सघन क्षेत्र में लाया जा रहा है जहां हमारे कार्य-कर्त्ताओं की सहायता से कई सार्वजनिक स्थान हरिजनों के लिए खोल दिए गए हैं। राजस्थान हरिजन सेवक संघ के मंत्री श्री भंवरलाल भदादा तथा दो हरिजन कार्यकर्त्ताओं द्वारा सघन कार्य क्षेत्र का अध्ययन कर उस दिशा में राजस्थान में कार्य शुरु करने के लिए कार्यक्रम बनाने के हेतु सघन कार्य क्षेत्र का दौरा किया गया।

मोरेना जिले में जून मास में दो ट्रेनिंग केम्प शुरु किए गये। भीलसा जिले में ४ कार्यकर्त्ताओं की भजन मंडली शुरु की गई। इस भजन मंडली ने ग्राम-ग्राम में घूमकर अस्पृश्यता के विरुद्ध प्रचार किया।

कर्नाटक

कर्नाटक में श्री जी०जी० कारखानीस ने अपना कार्य ग्रामों में घूमना, अधिकारियों तथा प्रमुख लोगों से मिलना, तथा हरिजनों में किए जाने वाले कार्य का समर्थन करना इत्यादि चालू रखा। वह हरेपदसालगी के हरिजनों को जमीन दिलाने के हेतु डी० डी० सी० से मिले। उन्होंने कई सभायें आयोजित कीं, जहां सवर्ण हिन्दु, हरिजन, तथा मुसलमान उपस्थित थे। इनमें उन्होंने अस्पृश्यता दूर करने की आवश्यकता पर व्याख्यान दिया। उन्होंने श्री जी० डी० तपासे, पिछड़े वर्ग के मंत्री से मुलाकात की और उनसे हरिजन सेवक संघ के कार्य के बारे में चर्चा की। पदनूर के अपने दौरे में उन्होंने देखा कि ग्रामों में हरिजनों को कुएं से पानी लेना मना किया जाता है तथा नाई उनके बाल नहीं बनाते। सवर्ण हिन्दुओं ने हरिजनों का बहिष्कार किया क्योंकि उन्होंने जिला बोर्ड के कुओं से पानी लिया तथा सवर्ण हिन्दू व्यापारियों ने उन्हें अपना माल बेचना बंद कर दिया। विपरीत घटना होने से रोकने के लिए इलाका सब-इन्सपेक्टर पुलिस द्वारा वहां पुलिस रखी गयी। पुलिस दल को स्कूल में ठहरना पड़ा क्योंकि सवर्ण हिन्दुओं द्वारा उन्हें रहने की जगह नहीं दी गयी। उन्होंने भी शालाभवन खाली कर देने को शिक्षा अधिकारियों को बाध्य किया। इसके फलस्वरूप पुलिस दस्ते को वहां से हटकर दूसरे स्थान में जाना पड़ा। पुलिस को भी बीड़ी आदि दूसरे ही देहातों से मंगानी पड़ती थी।

प्रसिद्ध विश्वेश्वर मंदिर हरिजनों के लिए खुल गया है, किन्तु वे सवर्ण हिन्दुओं के डर से उसमें जाना नहीं चाहते। बीजापुर जिले में अति वर्षा के कारण हरिजनों को काफी हानि पहुंची। किन्तु श्री कारखानीस स्थानीय अधिकारियों से मिले और उन्होंने उनके लिए बाढ़ सहायता प्राप्त की।

गुजरात

गुजरात में श्री पी० एल० मजुमदार द्वारा जो कि बम्बई शासन की ओर से संचालक भी हैं तथा जिन्हें २६ सहायक प्रचारकों का सहयोग प्राप्त है, कार्य चालू रहा। ये कार्यकर्त्ता १० जिलों में भेजे गये थे। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण का प्रचार कार्य किया। प्रत्येक कार्यकर्त्ता ने अपनी सुविधा तथा गांव की योग्यता के अनुसार कुछ गांव चुन लिए।

उत्तर गुजरात में जिन तालाबों में पशु जा सकते हैं उनमें हरिजनों के प्रवेश के लिए मना है। श्री विजय कुमार ने गत वर्ष की भाँति सवर्ण हिन्दुओं से अपील की कि ये तालाब हरिजनों के लिए खोल दिये जांय। इस अपील का अच्छा परिणाम हुआ। सभाओं तथा सम्मेलनों में हिन्दुओं से प्रार्थना की गयी, "हरिजनों को अपने भाई समझना चाहिए और उनके साथ मैत्री भाव से रहना चाहिये"। उनकी पद्धति लोगों को मनाने की थी इसलिए अधिक मामले मध्यभारत या तामिलनाड की तरह न्यायालयों में नहीं गए। वस्तुतः कई स्थानों में सवर्ण हिन्दुओं ने हरिजनों का मंदिर में, कुओं आदि पर स्वागत किया तथा सहभोजों में भी वे सम्मिलित हुए।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश

प्रो० रामशरण, एम० पी० तथा श्री जगदर्शन सेवाल के मातहत यहां काम चालू रहा। यहां १७ जिलों में ६ प्रचारक कार्य कर रहे थे। उनका मुख्य कार्य मंदिरों, चायपानगृहों, कुओं तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों को हरिजनों के लिये खुलवाना था। शिविर, सार्वजनिक सभाएें, मेले, तथा सम्मेलनों का आयोजन किया गया जिनमें हरिजनों तथा सवर्ण हिन्दुओं के साथ सहभोज हुआ करते थे और जिनमें वे खुले आम भाग लेते थे। यह देखा गया कि हरिजनों में भी अस्पृश्यता उतनी ही दृढ़ थी। अतः उन्हें उस कुरीति को छोड़ने को कहा गया। कई कुंए, बावड़ियां, मंदिर हरिजनों के लिये खुलवाये गये।

पूर्वी उत्तर प्रदेश

इस क्षेत्र का कार्य काशी विश्वनाथ तथा अन्नपूर्णा मंदिरों पर केन्द्रित था जिस पर हरिजनों के प्रवेश के विरुद्ध आदेश प्राप्त किये गये। प्रचारकों ने पास के ग्रामों से अस्पृश्यता व्यवहार के विरुद्ध प्रचार का कार्य किया।

प्रचार तथा छपाई

इस वर्ष ६ भिन्न-भिन्न दृश्य दिखाने वाले कई रंग के ३,३०,००० पोस्टर छपाये गये और सब राज्यों में वितरित किये गये। इनमें से कई प्रदेशीय भाषाओं में छापे गये। दस प्रकार के प्रचार पत्रों की हिन्दी में २,२०,००० प्रतियां तथा ३ अंग्रेजी प्रचार—पत्रकों की ७५,००० प्रतियां छपवाई गयीं। इनमें से कई प्रचारपत्रों का अनुबाद क्षेत्रीय भाषाओं में किया गया। एक फोल्डर विविध रंगों में, एक फोल्डर की २४,००० प्रतियां हिन्दी में भी छपवाई गयीं। कलेंडर तथा नक्शे पुनर्गठित, राज्यों की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों की जनसंख्या के साथ छपवाये गये।

३ सिनेमा गाड़ियों द्वारा प्रचार किया गया। एक गाड़ी दिल्ली में, दूसरी अहमदाबाद तथा तीसरी मद्रास में है। इन गाड़ियों द्वारा अस्पृश्यता पर फिल्मों के साथ-साथ स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई कृषि, तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की डाक्युमेंटरी भी देहात तथा शहर में भी दिखाई गयीं। मैंजिक लैन्टर्न द्वारा अस्पृश्यता की बुराईयों की स्लाइडें तैयार की गयीं और मैजिक लेन्टर्न द्वारा विभिन्न राज्यों में दिखाई गयीं।

सवर्ण हिन्दु छात्रवृतियां—हमारे सब छात्रावास (१५४) हरिजनों के लिये ही हैं, किन्तु जातिभेद दूर करने के उद्देश्य से शासन द्वारा १५,००० रु० का अनुदान सवर्ण हिन्दु छात्रों के लिये मिला है जो कि हरिजनों के साथ छात्रावास में रहेंगे तथा उनके साथ खायें पियेंगे। ऐसे सवर्ण हिन्दु छात्रों को छोटी-छोटी छात्रवृतियां दी जायेंगी। केवल १५४ छात्रावासों में से ३९ छात्र-वासों में १६० सवर्ण हिन्दु छात्र रहते हैं। छात्रों की संख्या इस वर्ष कुछ बढ़ गयी हैं।

इस वर्ष प्रार्थना मंदिर या कुंए बनाने का कार्य नहीं किया गया क्योंकि इस वर्ष इस निर्माण कार्य के लिये अनुदान स्वीकृत नहीं हुआ है।

(ब) भारतीय डिप्रैस्ड क्लासेज लीग

भारतीय डिप्रेस्ड क्लासेज लीग ने अपने पवित्र धर्मयुद्ध का कार्य १९५६ में अस्पृश्यता राक्षसनी के विरुद्ध चालु रखा। इस लीग द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये निम्नलिखित कार्य किये गये :—

(अ) प्रचारकों द्वारा प्रचार

(ब) सिनेमा गाड़ियां

(स) पोस्टर, परिपत्र, अखबार तथा पुस्तिकायें

(द) सम्मेलन, सभायें, तथा मेले आदि

(क) भजन पार्टियाँ तथा कीर्तन मंडलियां

(ख) ड्रामा।

(१) **नाटकों द्वारा प्रचार करना** :—यह कार्यक्रम अन्य कार्यक्रमों के साथ पिछड़े कुछ साल से चलाया गया। इस प्रकार की रीति बहुत आकर्षक तथा परिणामकारी मालूम पड़ी । इस प्रकार की सफलता से लोगों द्वारा इसी तरह के कार्यक्रम, अन्य राज्यों में आयोजित करने का निश्चय किया गया। इन नाटकों में एक दृश्य "हम सब एक हैं" यह पूर्णतया अस्पृश्ता निवारण के लिये ही रखा गया है। दूसरे एक दृश्य में महाभारत के भक्त चेता-चमार साधु की जीवन कथा दिखाई गई है। इस योजना को व्यवहारिक ढंग से बनाने तथा स्त्रियों में विशेष रुचि उत्पन्न करने के लिये, क्योंकि उनमें अधिक अस्पृश्यता रहती है, लीग द्वारा धार्मिक खेल जैसे कृष्ण सुदामा, श्रीमती मंजरी, भक्त प्रहलाद, बीर अभिमन्यु, सत्यवान सावित्री, द्रौपदी चीर हरण, इत्यादि को अच्छी तरह रंग मंच पर लाना तय किया गया है। इन खेलों में अस्पृश्यता निवारण का विषय बहुत ही सुन्दर ढंग से रखा गया है ताकि यह भी कथा का एक भाग है, यह दिखाई दे सके। गृह मंत्रालय के मंत्री श्री बी० एन० दातार ऐसे एक खेल के समय उपस्थित थे और उन दृश्यों से बहुत हीं प्रभावित हुए।

इस प्रकार का प्रचार विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक परिणामकारी है क्योंकि वहाँ यह समस्या तीव्र है।

(२) **सिनेमा गाड़ियाँ**—दूसरी एक परिणामकारी योजना सिनेमा शो द्वारा प्रचार की है। इन सिनेमा के खेलों में आम लोगों के लिये सिनेमा, हरिजन प्रश्नों की वार्ताविषयक फिल्म, बड़े बड़े लोगों के टेपरिकार्ड किये हुए भाषणों तथा संदेशों को जैसे कि डा० राजेन्द्र प्रसाद, श्री गोविंद वल्लभ पंत, केन्द्रीय सरकार के गृहमंत्री, केन्द्रीय रेलवे तथा यातायात मंत्री, श्री जगजीवनराम, श्री जी० वी० मावलंकर तथा श्री काकासाहब कालेलकर तथा अन्य, दिखाया सुनाया जाता है। लीग ने स्वयं भी इस विषय पर अपना रेकार्डिंग कर लिया है। इसके लिये अधिक माँग भिन्न भिन्न प्रदेशों से आती हैं। उसे पूरा करने के लिये लीग ने अपनी गाड़ियों के प्रचार-साधन में एक और सिनेना गाड़ी बढ़ा ली हैं। लीग को ३ गाड़ियों को रिपोर्ट के इस वर्ष में निम्न स्थानों में घुमाया गया :—

बम्बई, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, विंध्य प्रदेश, मध्य भारत, राजस्थान, पंजाब, तथा पैप्सु।

(३) **पोस्टर, विज्ञापनपत्र, अखबार तथा पुस्तिकाएँ**—इस योजना के अन्तर्गत लीग प्रचार का साहित्य काफी संख्या में प्रकाशित करती है। यह हिन्दी तथा भिन्न-भिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाता है। लीग द्वारा बहुरंगी १० प्रकार के पोस्टर लगभग १ दर्जन पुस्तिकाएँ तथा १ लाख इश्तिहार छपवाये गये। इसके अतिरिक लाग 'निर्भय' नामक हिन्दी पाक्षिक तथा 'मानवता' नामक मराठी पाक्षिक पूर्णतया अपने ही फंड से छपवा रही है।

(४) प्रचार का और एक ढंग भजन तथा कीर्तन टोलियाँ प्रारम्भ करना है। यह टोलियाँ स्थान स्थान पर धार्मिक गीतों के कार्यक्रम रखती हैं और अपने साथ झंडे, तथा पोस्टर जिनमें अस्पृश्यता व्यवहार के बुरे परिणामों को दिखाया गया है, लेकर चलती हैं।

(५) दूसरी एक ठोस योजना सवैतनिक तथा अवैतनिक प्रचारकों की नियुक्ति है। भिन्न भिन्न प्रदेशों में कार्य करने वाले सैकड़ों कार्यकर्ता तथा अधिकारियों के अतिरिक्त अस्पृश्यता निवारण के लिये लीग द्वारा ६० प्रचारक नियुक्त किये गये। स्थानीय प्रमुख लोगों की अध्यक्षता में कार्यकर्ता स्थान स्थान पर सभाएें तथा सम्मेलनों का आयोजन करते हैं। सभा में आये हुए लोगों को अस्पृश्यता की बुराईयाँ बतला कर उन पर यह प्रभाव डाला जाता है कि वे इन अपन ही अभागे भाईयों के साथ मानुषिक व्यवहार करें। इस लीग के कार्यकर्ताओं दोनों-सवैतनिक या अवैतनिक को कहा जाता है कि वे अपना लक्ष्य हरिजनों के लिये कुएँ खोलना, मंदिर प्रवेश, धर्मशाला, होटल, नाई की दुकानें, धोबी की दुकानें इत्यादि खोलने पर केन्द्रित करें जो कि अब भी उनके लिये बंद हैं। इन प्रयत्नों के लिये प्रचारकों में अधिक सहनशक्ति की आवश्यकता है।

यह सत्य है कि अस्पृश्यता का व्यवहार अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, १९५५ के अनुसार दण्डनीय अपराध है किन्तु ऐसा हृदय परिवर्तन केवल कानून पास करने से नहीं किया जाता। विधान सभाओं में विधेयक बनवा लेना यह एक साधन है, किन्तु यह सामाजिक सुधार के विषय में साध्य तब तक नहीं बन सकता, जब तक इस ऐतिहासिक कानून को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है वे अपनी आखें इस सत्य की ओर से बन्द रक्खेंगे। तब तक ऐसे कानून से कुछ हासिल नहीं हो सकता। ऐसे मामलों की कमी नहीं कि जहां हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा अपराधियों को खोजने में सहायता देने के बदले उन्हें कष्ट दिया जाता है। ऐसी शिकायतें आयी हैं।

(६) लीग द्वारा अस्पृश्यता पर गोष्ठी का आयोजन किया जाता है तथा उसके अतिरिक्त मेलों तथा धार्मिक त्योहारों के समय शिविर लगाये जाते हैं। बम्बई प्रदेश के मनमाड में बोरकर कारागिर शिविर, पश्चिमी बंगाल के कंचरापाड़ा में कार्यकर्ताओं का सेमिनार तथा दूसरा स्नेह सम्मेलन जिसका उद्‌घाटन गृहमंत्रालय के मंत्री श्री बी० एन० दातार द्वारा किया गया तथा जिसकी अध्यक्षता श्री एन० एस० काजरोलकर द्वारा की गई, ऐसे ३ सेमिनारों का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त बिहार प्रदेश के सोनपुर के मेले में, भागलपुर के बोन्सी मेले में, इलाहबाद के माघ मेले में, उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्टेश्वर के मेले के समय शिविरों का आयोजन किया गया।

(७) भारतीय डिप्रेस्ड क्लास लीग द्वारा एक नया उपक्रम शुरू किया गया जो सिनेमागृहों में अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी स्लाइडें दिखाना है।

(स) ईश्वरशरण आश्रम, इलाहाबाद

साधारण—ईश्वरशरण आश्रम इलाहाबाद का मुख्य ध्येय अस्पृश्यता को जड़ से नष्ट करना रहा है। इस ध्येय की पूर्ति के लिये इसकी पूरी शक्ति लगायी जाती है। सवर्ण हिन्दुओं के हाथ से अस्पृश्यों को कितने कष्ट भुगतने पड़ते हैं, यह बात दोहराने की जरूरत नहीं है। सवर्ण हिन्दुओं से यह प्रार्थना करना काफी है कि उन्हें अब अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिये और अस्पृश्यों को समाज में उनका वास्तविक स्थान देना चाहिये। आश्रम की विविध प्रवृत्तियाँ जो कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता निवारण के अपने ध्येय प्राप्त्यार्थ उपयोग में लाई जातीं हैं, उनका संक्षेप में दिग्दर्शन किया जा रहा है। आश्रम को अभी तक जो सफलता प्राप्त हुई है उससे उनमें आशा तथा प्रोत्साहन उत्पन्न हो गया है और यह ही नहीं बल्कि थोड़े ही समय में यह संस्था अपने प्रान्त में अपने ढंग की सबसे बड़ी हो गई है।

शिक्षा—आश्रम की एक कार्यप्रवृति हरिजनों में तथा पिछड़े वर्गों में शिक्षा का प्रसार करना है। इसके लिये निम्न साधनों का उपयोग किया गया।

(अ) **प्राइमरी पाठशालाएँ**—आश्रम की प्राइमरी पाठशाला, इलाहाबाद नगरपालिका क्षेत्र की सबसे बड़ी पाठशाला है और उसकी अपनी विशेषताएँ हैं। इसमें ५ शिक्षक हैं जिसमें ३ महिलाएं हैं। इस शाला ने सुव्यवस्थित तथा अनुशासन युक्त सहशिक्षा की समस्या का सही हल निकालने में मार्गदर्शन किया है। शालाओं के बालकों में अच्छे गुण उत्पन्न करने के हेतु आश्रम छात्रों की पढ़ाई की ओर विशेष ध्यान देता है। शाला में दोपहर के नास्ते की व्यवस्था की गई है तथा छात्रों में स्वच्छता की व्यवस्था और उन में स्वच्छता की भावना उत्पन्न करने के लिये साबुन मुफ्त वितरित किया जाता है।

(ब) **इंटरमीजिएट कालेज**—उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग की नई संगठनात्मक योजना के अन्तर्गत, आश्रम में इण्टर-मीजिएट कालेज खोला जिसमें छटी से १२ तक कक्षाएं हैं। इस आश्रम को "रचनात्मक ग्रुप स्कूल" बनाने के लिये चुना गया है और इस समय उसमें ६ मुख्य रचनात्मक विषय रखे गये हैं जैसे कामर्स (अर्थशास्त्र तथा बैंकिंग), कामर्स (शार्टहैंड तथा टाइपिंग), लकड़ी का काम, चमड़ा उद्योग, सिलाई तथा कृषि। महात्मा गान्धी जी द्वारा सुझाये हुए बुनियादी माडेल को इस शाला में चलाने के प्रयत्न हो रहे हैं और इस दिशा में जो फल दिखायी देता है वह उत्तेजक है। छात्रों में कुछ हद तक आत्मनिर्भर होने की भावना तैयार की गई है और अब वह कितना भी कठिन कार्य क्यों न हो, अतिरिक्त श्रम का काम करने में हिचकिचाते नहीं। वे अपने लिए शाक-भाजी खेतों में उगाते हैं, शाला तथा होस्टल प्रांगण की सफाई करते हैं, सादगी से रहते हैं और देश के योग्य नागरिक होने की आकांक्षा रखते हैं। ये भी प्रयत्न किया जा रहा है कि शाला का पाठ्यक्रम इस प्रकार का बने कि वहाँ के छात्र जब शाला से बाहर जायें तो स्वावलम्बी हो सकें। जो मुख्य हस्त-उद्योग वे सीखेंगे वह उनके जीवनयापन के लिए अपने पैरों पर खड़ा होने की पर्याप्त शक्ति देने में समर्थ होंगे। कालेज की अन्य कार्य प्रवृत्तियां ये हैं :—

(अ) स्काउटिंग, (ब) एन० सी० सी० ट्रेनिंग, (स) पी० ई० सी० ट्रेनिंग, (ड)उत्तर प्रदेश सरकार की कृषि विकास योजना, (क) मिलिटरी शिक्षा द्वारा अनुशासन—भारत सरकार की योजना, (ख) सामाजिक सेवा, (ग) ए० सी० सी० शिक्षा।

(स) **लड़कियों की शिक्षा**—आश्रम में लड़कियों के लिये पृथक रात्रिशाला छटी क्लास से दसवीं क्लास तक चलायी जाती है जिसमें रचनात्मक विषय जैसे होम साइन्स (गृहशास्त्र, सिलाई, संगीत इत्यादि पढ़ाये जाते हैं)। एन० सी० सी० ट्रेनिंग के विषय में भी प्रयत्न जारी है।

(द) **सिविल इंजीनियरिंग स्कूल**—आज देश को अधिक आवश्यकता प्रशिक्षित ओवरसियरों तथा इंजिनियरों की है। इस बात को महसूस करके आश्रम द्वारा इलाहाबाद में एक सिविल इंजिनियरिंग स्कूल अछूत वर्ग तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को पढ़ाने के लिये शुरू किया गया है। इस स्कूल में हरिजन छात्रों की संख्या सन्तोषकारक नहीं है। इसका मुख्य कारण यही है कि प्राय: हरिजन विद्यार्थी इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिये आवश्यक योग्यता नहीं रखते। इस समय ओवरसियरिंग क्लास तथा यांत्रिक और इलैक्ट्रिक इंजिनियरिंग की कक्षायें चलायी जाती हैं।

(क) **व्यवसायिक तथा औद्योगिक शाला**—आश्रम एक बुनियादी शाला चलाता है, जहां दो वर्ष का प्रशिक्षण चमड़े का कार्य, लकड़ी का उद्योग, छपाई तथा जिल्द बंधाई और सिलाई में दिया जाता है। यहां एक अच्छा चर्मालय है जहां जूते, चप्पल, सूटकेस इत्यादि बनवाये जाते हैं। इन चीजों की बाजार में बिक्री करने के लिये जिसकी मांग प्रतिदिन अधिक बढ़ रही है, आश्रम द्वारा एक दुकान शहर में शुरू की गई है। आश्रम के अन्दर उत्तर प्रदेश सरकार का खादी बुनाई के लिये शिक्षणवर्ग भी चलाया जाता है।

(ख) **कमला नेहरू हरिजन भारती जे० एच० एस० टिकारी, इलाहाबाद**—आश्रम की यह शाखा ग्रामीण क्षेत्र मे अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों को शिक्षा देने के हेतु थोड़े ही दिन पहले शुरू की गई थी। इस समय उसमें १ से ८ कक्षा तक लड़के पढ़ते और हैं यह आशा की जाती है कि उसमें ९ व १० वीं कक्षायें भी शीघ्र शुरू हो जायेंगी।

(२) **छात्रावास**—आश्रम द्वारा लड़कियों तथा लड़कों के लिये कई छात्रावास चलाये जाते हैं। चूंकि इस छात्रावास में रहने वाले छात्र अत्यन्त गरीब परिवार के हैं तथा शिक्षा की अभिलाषा से दूर दूर प्रदेशों से आये हैं, अत: निवास तथा खाने पीने की सब सुविधायें और जीवन की सब आवश्यक वस्तुयें उन्हें दी जाती हैं।

(३) **कृषि**—आश्रम के पास ७१ एकड़ जमीन है जिसमें से ५० एकड़ जमीन कृषि योग्य है जहां कृषि विभाग शिक्षा पाने वाले छात्रों के लाभ के लिए तथा आसपास के ग्रामीणों के लिये एक आदर्श कृषि फार्म आसानी से चलाया जा सकता है। यद्यपि आश्रम में सिंचाई के लिये ट्यूब वैल हैं, तब भी नालियाँ पक्की न होने के कारण तथा अन्य आवश्यक सामग्री के अभाव में इन कुओं का पूरा उपयोग नहीं किया जा सकता। इन सब बातों के लिये काफी धन की आवश्यकता है।

(४) **पुस्तकालय तथा वाचनालय**—यहां दो पुस्तकालय हैं। उनमें से एक इण्टरमीजिएट कालेज के साथ संलग्न है, जहां संदर्भ ग्रन्थ तथा पाठ्यपुस्तकों का अच्छा संग्रह है, जिनका गरीब छात्र पूरा लाभ उठाते हैं।

दूसरे पुस्तकालय में जो गान्धी साहित्य भवन के नाम से प्रसिद्ध है उसमें गान्धी साहित्य, राजनीति, वेदान्त, मानसशास्त्र धर्म इत्यादि पर पुस्तकों का अच्छा संग्रह है। दूसरा पुस्तकालय जनता के लिए भी खुला है। कालेज पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या २४१२ तथा गान्धी साहित्य भवन में ३३३१ है। इसके अतिरिक्त कई अखबार तथा सामयिक पत्रिकायें इस पुस्तकालय के लिये मंगाई जाती हैं।

(५) **औषधालय**—आश्रम एक अस्पताल चला रहा है जो बहुत लाभप्रद कार्य कर रहा है। यह सौभाग्य की बात है कि यह अस्पताल २० ग्रामों के मध्य में है, जहाँ अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्गों के ही लोग रहते हैं। शहर के भी रोगी यहाँ दवाई के लिये एकत्र होते हैं। इस समय उसमें केवल बाहर से आने वाले रोगियों की सुश्रूषा की जाती है। अस्पताल के कर्मचारियों में २ थोड़े समय कार्य करने वाले अच्छे निपुण डाक्टर हैं। पूरे समय के लिये एक कम्पाउण्डर, एक ड्रेसर, तथा एक भंगी है। यद्यपि अस्पताल के भवन में स्थान पड़ा है और १० पलंगों के लिये आवश्यक सामग्री भी है, तो भी धन के अभाव के कारण पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति करना, तथा एक आवासिक कक्ष खोलना सम्भव नहीं है। ऐसी इच्छा है कि इस अस्पताल को सेवा का तथा इसी द्वारा हरिजन स्त्री पुरुषों को नर्सो तथा दाइयों की ट्रेनिंग देने के लिये एक लाभप्रद केन्द्र बनाया जाय। बाहर से आने वाले रोगियों की दैनिक संख्या ६० रहती है।

(६) **प्रचार तथा प्रकाशन**—आश्रम की प्रवृत्तियाँ केवल ऊपर बतलाई हुई तक ही सीमित नहीं हैं। वह इस बात से सचेत हैं कि अस्पृश्यता एक हृदय की भावना है जिसने बहुत वर्षो से चले आये रीतिरिवाजों के कारण जड़ें जमा ली हैं, और यह केवल दृष्टिकोण, विचार तथा भावना को बदलने से ही नष्ट की जा सकती है। इस संदेश को जनता के पास ले जाने के लिये आश्रम ने अपने को सभी वर्तमान प्रचार साधनों से सुसज्जित कर लिया है जैसे, सिनेमा प्रोजेक्टर, लाउडस्पीकर, माईक्रोफोन, एम्प्लीफायर, तथा प्रचार गाड़ियाँ। २ प्रकार के प्रचारक तथा भजनोपदेशक भी इस कार्य के लिये नियुक्त किये गये हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान में दौरा करते हैं और हिन्दू समाज में एकता का भाव लाते हैं। यह एकता पुराने रीति रिवाज के कारण प्रायः बिगड़ती दिखाई देती है। कार्यकर्त्ता ग्रामीणों से अपना निजी सम्बन्ध स्थापित करते हैं और कल्याण कार्य के लिये उपयुक्त वातावरण तैयार करते हैं। वे हरिजनों तथा सवर्ण हिन्दुओं के झगड़े भी मिटाने में सफल रहे हैं।

(अ) **अस्पृश्यता के विरुद्ध प्रतिज्ञा**—हिन्दु समाज से अस्पृश्यता को पूर्णरूप से नष्ट करने में विश्वास रखने वाले सवर्ण हिन्दुओं से लिखित प्रतिज्ञा लेने का आन्दोलन अभी अभी शुरू किया गया है। तीन मास के भीतर लगभग १,००० हिन्दुओं के हस्ताक्षर इकट्ठे किये गये हैं।

(ब) **संस्थापक दिवस का मेला**—आश्रम अपने संस्थापक के जन्म दिन के उपलक्ष्य में २६ अगस्त को अन्त होने वाला एक सप्ताह का वार्षिक समारोह मनाता है। इस काल में एक छोटा सा प्रदर्शन तथा मेले का आयोजन किया जाता है, जिनमें प्रचार और विज्ञापन का मुख्य तथा लाभदायक कार्य इस एकत्रित हुये विभिन्न वर्गों के बड़े जनसमूह में किया जाता है। इस जनसमूह में सरकारी अधिकारी, गैर-सरकारी कर्मचारी, छात्र, शिक्षक, समाज सेवक, मजदूर तथा ग्रामीण होते हैं। इस मेले में प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग आते हैं। कई प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रम भी इस सप्ताह में आयोजित किये जाते हैं।

राष्ट्रीय त्यौहार समारोह—राष्ट्रीय त्यौहार जैसे गणतन्त्र दिवस, स्वतन्त्रतादिवस, गान्धी जयन्ती इत्यादि विशेषरूप से मनाये जाते हैं। इन दिनों अस्पृश्यता को दूर करने के लिये तथा देहातों में रचनात्मक कार्य करने के लिए टोलियाँ बनाई जाती हैं। रास्ते साफ किये जाते हैं, सड़कों की मरम्मत की जाती है तथा हरिजनों में सफाई का उपदेश दिया जाता है।

(इ) **दो जन्म-दिवसों के उपलक्ष्य में प्रवास**—आश्रम राष्ट्रपति, डा० राजेन्द्र प्रसाद, तथा प्रधान मन्त्री, श्री नेहरू जी के जन्म दिन विशेष प्रकार से मनाता है। यह केवल २ दिन ही नहीं, किन्तु १४ नवम्बर से—जो श्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है—३ दिसम्बर—जो राष्ट्रपति का जन्म दिवस है, तक का समय रचनात्मक कार्यों में लगाया जाता है। पिछले वर्ष में कार्यकर्त्ताओं तथा छात्रों की एक टोली विभिन्न अन्यान्य राज्यों में लम्बे लम्बे प्रवास पर जाया करती थी और उन बन्धनों को प्रचार द्वारा तोड़ती थी जो मानव मानव को एक दूसरे से अलग करते हैं। इन दौरों में कार्यकर्त्ताओं ने अस्पृश्यता की बुराइयों की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट किया। इस वर्ष बांदा, हमीरपुर तथा फतेहपुर जिलों के ग्रामों में रचनात्मक कार्य करने के उद्देश्य से ३ शिविरों का आयोजन किया गया।

(ई) **साहित्य का प्रकाशन**—आश्रम "आश्रम सन्देश" नामक एक मासिक पत्रिका प्रचार के लिये प्रकाशित करता है जिसमें अस्पृश्यता के प्रश्न पर हिन्दी तथा अंग्रेजी में लेख रहते हैं।

इसके अतिरिक्त कई प्रकार के पोस्टर, पर्चे, इश्तहार, जो कि सामाजिक उत्थान कार्य से सम्बन्ध रखते हैं, छपवाये गये तथा मेलों, प्रदर्शनियों और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में वितरित किये गये। ये पोस्टर राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक संस्थाओं को बहुत पसन्द आये हैं तथा उनकी विशेष मांगों पर हजारों की संख्या में प्रचार कार्य के लिये भेज दिये गये हैं।

परिशिष्ट ११

भारत सरकार के सूचना तथा प्रसार मन्त्रालय द्वारा
किये गये कार्य का ब्यौरा

सन् १९५६-५७ में सूचना तथा प्रसार मंत्रालय के कई माध्यमों द्वारा जनता में अस्पृश्यता व्यवहार के विरुद्ध जनमत तैयार करने के प्रयत्न चालू रहे। किये गये कार्य का छोटा सा विवरण नीचे दिया गया है।

फिल्में

गत वर्ष के प्रसृत डाक्युमेंटरियों के अलावा फिल्म विभाग द्वारा इस वर्ष २ नई डाक्युमेंटरी ३० नवम्बर १९५६ तक बनाई तथा प्रसारित की गईं। वे डाक्युमेंटरी ये हैं "भगवान के बालक तथा मध्य भूमि की रिपोर्ट"।

"भगवान के बालक" यह पटकथा २० अप्रैल को प्रसारित की गई। इसमें हरिजनों के सामाजिक उत्थान के लिए आंदोलन तथा अस्पृश्यता निवारण के लिये वैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था तथा हरिजनों द्वारा सामाजिक जीवन में जो भाग लिया गया, उसका प्रदर्शन कराया गया है।

"मध्यभूमि की रिपोर्ट" में जो २९ जून, १९५६ को प्रसारित की गई मध्यभूमि के २०० लाख आदिवासियों का जीवन चरित्र तथा उनकी दशा और अच्छा जीवन बिताने के लिए किए जाने वाले प्रयत्न चित्रित किये गये हैं।

फिल्मों का प्रचार के साधन के रूप में प्रभावशील माध्यम होने से यह सोचा गया कि कुछ प्रत्यक्ष फिल्मों को जिनको अस्पृश्यता को नष्ट करने के विषय को लेकर तैयार किया गया है खरीद लिया जाय, जोकि सब प्रदेशों में चलती फिरती सिनेमा गाड़ियों द्वारा दिखाई जा सकेंगी। ऐसी उपयुक्त फिल्मों का पहले से ही चुनाव करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई और उन्होंने ५ फिल्मों को इसके लिए चुन लिया है। उन फिल्मों को खरीदना तथा प्राइवेट संस्थाओं से प्रत्यक्ष फिल्म तैयार करवाना विचाराधीन है।

फिल्म डिवीजन द्वारा 'भारतीय वार्ता' के शीर्षक में कुछ विशेष रोचक विषय भी सम्मिलित किये गये थे।

अखिल भारतीय रेडियो

बहुत साल से अखिल भारतीय रेडियो, अस्पृश्यता के विरुद्ध जनमत को शिक्षा देकर अस्पृश्यता को दूर करने की समस्याओं पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित करता आ रहा है तथा अनुसूचित आदिमजातियों और हरिजन जातियों में स्व-सम्मान की भावना उत्पन्न कराने तथा शासन द्वारा उनके उत्थान के लिए क्या कार्य किया जा रहा है, या क्या अभी तक किया गया, इन प्रश्नों पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इन विषयों का बार बार तथा अधिक परिमाण में प्रसारित होना इस बात पर निर्भर करता है कि इनको प्रसारित करने वाला व्यक्ति उन विषयों में कितना दक्ष है, तथा प्रसारित करने के लिये प्राप्त सामग्री का कार्यक्रम में कितना मूल्य है। ऐसा कुछ निश्चित तय नहीं किया गया है कि इसको कितनी बार प्रसारित किया जाय। किन्तु यह विषय जीवित रहे इस बात का ध्यान रक्खा जाना है। भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में अधिक काल तक उनका परिणाम टिक सकेगा, यह दृष्टि में रख कर रेडियो स्टेशन द्वारा वे प्रोग्राम दुबारा प्रसारित किये जाते हैं।

अस्पृश्यता निवारण के कार्यक्रम विविधरूप में प्रसारित किये जाते हैं जैसे बातचीत, संवाद, नाटक, कथा तथा मेल मिलाप। रिपोर्ट के समय तक ३१३ कार्यक्रम आल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित किये गये। प्रसारण की सामग्री तथा दक्ष प्रसारक को छाँटने के लिए जनता की साधारण तथा विशेष आवश्यकताओं को ध्यान रक्खा जाता है। जो इस कार्य में रुचि लेते हैं और इस समस्या का जिन्होंने विशेष अध्ययन किया है, ऐसे विद्वान लोगों को सर्वदा बुलाया जाता है। आल इन्डिया रेडियो स्टेशन आम जनता के मत को सुधारने के लिये इस प्रकार के प्रसार का महत्व जानते हैं और उनका यह दृष्टिकोण तथा प्रयत्न रहता है कि यह सारा कार्यक्रम प्रभावशील हो तथा वह ऐसा हो कि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके।

प्रकाशनें

आल इंडिय [illegible]डियो स्टेशन द्वारा प्रसारित हिंदी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं के भाषणों को "अस्पृश्यता" इस शीर्षक से छोटे पर्चों द्वारा हिंदी [illegible]ठी, बंगाली, मलयालम, तेलँगु, कन्नड़, तामिल, गुजराती इन भाषाओं में प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया।

प्रेस समाचार

प्रेस समाचार संस्था द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों की समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दिया गया। गृह मंत्रालय के सूचना तथा प्रसार विभाग के अधिकारी द्वारा अनुसूचित जातियों के आयुक्त के साथ घनिष्ट संबन्ध रखा गया। गृह मंत्रालय द्वारा या शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुसूचित आदिमजातियों तथा अनुसूचित जातियों की स्थिति सुधारने के लिये जो जो कदम उठाये गये, उनका पर्याप्त प्रचार किया गया।

इस वर्ष इस प्रकार के कार्य चलाने के अलावा हरिजनों तथा आदिमजातियों के कल्याण के लिये स्थापित केन्द्रीय परामर्शदात्री बोर्ड की कार्यवाही पर विशेष प्रकार से प्रकाश डालने का निश्चय किया गया। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त द्वारा आयोजित सम्मेलनों, कार्यक्रमों इत्यादि के प्रकाशन तथा फोटो आदि लेने की व्यवस्था की गई।

प्रदर्शनी

इस मंत्रालय के प्रदर्शनी कक्ष, अस्पृश्यता निवारण के आंदोलन के लिये योग्य शीर्षकों तथा टिप्पणियों के साथ फोटो प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रादेशिक प्रदर्शनी युनिट, अंबाला तथा हैदराबाद को २ प्रकार के चुने फोटुओं के सैट प्रदर्शनी साधनों के साथ दिये गये। अन्य प्रकार के सैट तैयार हो रहे हैं जोकि अन्य युनिटों को इस वर्ष के आखिर तक भेजे जायेंगे।

छपाई तथा प्रेस प्रकाशन

छपाई तथा चाक्षुष प्रकाशन विभाग के मंत्रालयों द्वारा अंग्रेजी तथा अन्य १२ प्रांतीय भाषाओं में अस्पृश्यता निवारण संबन्धी १० लाख फोल्डर छपवाये गये। इसके अतिरिक्त कई हिन्दुस्तानी भाषाओं में अस्पृश्यता निवारण के आन्दोलन के समर्थक ३ पोस्टर योग्य शीर्षक के साथ मार्च अन्त तक वितरण करने के लिये छपाकर तैयार किये जायेंगे। चौथे पोस्टर के विषय में उसका चित्र तथा उसके संभावित मूल्य इत्यादि भी तय किये गये।

अस्पृश्यता के व्यवहार के विरुद्ध जनमत को प्रभावित करने के लिये ६ प्रकार के प्रकाशनार्थ इश्तहार विभिन्न भाषाओं के अखबारों, साप्ताहिक तथा वार्षिक पत्रों में जिनका क्षेत्रीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में काफी प्रचार है, एक के बाद एक के क्रम से प्रसारित किए गए। इश्तहारों द्वारा भारत के महर्षि तथा मुनियों से प्रतिपादित एकता भाव तथा समानत्व के विचार चित्र द्वारा मनुष्यों में सुस्पष्ट तथा प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न किया गया।

चलती फिरती युनिटें-पंचवर्षीय योजना

रिपोर्ट के इस वर्ष में प्रकाशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचवर्षीय योजना के एकत्रित प्रचार कार्यक्रम द्वारा घूमने फिरने वाली ३७ युनिटों द्वारा (जिनको हाल में ही ६ मोटर गाड़ियाँ तथा १ बैल गाड़ी भी मिल गई हैं) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों में कल्याण कार्यक्रम के लिए तथा अस्पृश्यता के विरोध में आम जनमत तैयार करने के लिए विशेष प्रचार किया गया। इन युनिटों द्वारा देश भर में ९,००० फिल्में दिखाई गई और अन्यान्य प्रसंगों के अवसर पर "अच्छे समाज की ओर" "भगवान के बालक" "नियोजित साध्य" इत्यादि जो फिल्में आदिमजातियों तथा अनुसूचित जातियों के कल्याण कार्य के कई पहलुओं पर प्रकाश डालती हैं, दिखाई गई। बहुत से ऐसे सिनेमा शो भी थे जिनको बाद में छोटी मोटी आम सभाओं का स्वरूप भी प्राप्त हो जाता था, जिनमें अस्पृश्यता व्यवहार विधेयक तथा अन्य अस्पृश्यता व्यवहार के विरुद्ध उपयोग में लाये जाने वाले साधनों पर प्रकाश डाला जाता था। कुछ सिनेमा तो हरिजनों के घर के पास ही दिखाए जाते थे जो लोगों को बहुत पसन्द आते थे।

जनवरी फरवरी मास में उड़ीसा में आदिमवासी मेलों के अवसर पर प्रचार के विशेष कार्यक्रम क्षेत्रीय प्रचार आफिसर, भुवनेश्वर द्वारा आयोजित किए गए। उन्होंने पंचवर्षीय योजना प्रचार के लिये दुकानें रक्खीं जिनमें पोस्टरों तथा फोलडरों द्वारा योजना कार्यक्रम दिखाए गये। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारों द्वारा १ नाटक तथा ७ फिल्म शो (पटकाएं) मेलों में दिखाये गए जिनको ४०,००० लोगों ने देखा। गया के क्षेत्रीय प्रचार आफीसर ने अपने जिले के आदिवासियों के राष्ट्रीय त्यौहार में भाग लिया और फिल्म शो, व्याख्यान तथा प्रचार के साधनों द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। वाराणसी प्रचार विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी ने मिर्जापुर में हरिजन सम्मेलन में भाग लिया जिसका उद्घाटन शिक्षा विभाग के उपमंत्री द्वारा किया गया। क्षेत्रीय प्रचार विभाग [illegible] के अधिकारी द्वारा आदिवासी क्षेत्र में विशेष प्रकार से प्रचार किया गया। उन्होंने डाँग सेवा मंडल तथा इस क्षेत्र के सर्वोदय का[illegible]ओं से सम्पर्क स्थापित किया। भाषण देने के अतिरिक्त उन्होंने फिल्में दिखाई जिनमें इस भाग के १३,००० लोगों ने भाग लि[illegible]नमें मुख्यतया भील

थे। इनमें से कुछ लोगों ने तो पहली ही बार सिनेमा देखा था। वह देखकर पुलकित हो गये।

हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर में पिछड़े जातियों के कल्याण के लिए आयोजित कांफ्रेंस में प्रादेशिक अधिकारी ने (उत्तरी पश्चिमी) भाग लिया और प्रदर्शनी कक्ष की सहायता से उन्होंने पंचवर्षीय योजना प्रकाशन दुकान का आयोजन किया। उन्होंने लगभग आधी दर्जन से अधिक हरिजनों के सम्मेलनों में भाषण दिया तथा हरिजन बस्तियों को देखा।

इन आदिवासियों के कल्याण कार्य के उपलक्ष्य में आयोजित महत्त्वपूर्ण सभाएँ, चर्चाएं, तथा गोष्ठी कार्यक्रमों में सब क्षेत्रीय अधिकारियों ने भाग लिया। कुछ क्षेत्रीय अधिकारीगण हरिजनों द्वारा आयोजित सांस्कृतिक तथा सामाजिक कार्यक्रमों में भी उपस्थित रहे। उनके निवास स्थान को देखा तथा गुरुदास जयंति, महर्षि वाल्मीकि जयंति के अवसर पर विशेष प्रचार कार्यक्रमों की व्यवस्था कर दी। दिसम्बर १९५६ के हरिजन दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में प्रायः सभी क्षेत्रीय युनिट सम्मिलित हुए तथा आदिवासी और हरिजनों के लिए विशेष फिल्मों का आयोजन किया गया। देश भर के महत्त्वपूर्ण मेलों तथा अन्य सामाजिक त्यौहारों का जहां हरिजन तथा आदिवासी एकत्रित होते हैं, विशेष प्रचार के लिए उपयोग किया गया।

अस्पृश्यता निरोध विधेयक की प्रतियां उपयुक्त स्थानों में प्रदर्शित करने के लिये सभी क्षेत्रीय अधिकारियों के पास भेजी गईं, तथा उनको हरिजन कल्याण कार्य में आवश्यक भाषण देने के लिए सामग्री भेजी गई।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में क्षेत्रीय प्रचार युनिटों की संख्या दुगुनी बढ़ाने को सोचा जा रहा है। अतएव हरिजनों तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण कार्य का प्रचार अधिक सघन एवं व्यापक क्षेत्र में किया जायेगा।

परिशिष्ट

तालिका

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में हुए और द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में होनेवाले प्रस्तावित व्यय को

क्र० सं०	राज्य का नाम	अनुसूचित आदिमजातियां		अनुसूचित जातियाँ	
		प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में हुआ व्यय	द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में होने वाला प्रस्तावित व्यय	प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में हुआ व्यय	द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में होने वाला प्रस्तावित व्यय
१	२	३	४	५	६
१.	आन्ध्र ...	८१,६६,६३०	२,३०,५०,०००	३,७६,२९१	१,७६,५०,०००
२.	आसाम ...	५,८७,७१,५३२	१३,७२,४४,०००	७,४१,४६८	५७,५०,०००
३.	विहार ...	३,४९,६९,६७५	५,६८,९८,५००	अप्राप्त	१,९६,६२,५००
४.	बम्बई ...	१,७५,०५,३८१	२,९३,८७,७६०	१,२२,१२,९१९	६१,०७,८००
५.	मध्य प्रदेश ...	अप्राप्त	६,१९,९७,६००	८,७४,८०२	७४,२४,९००
६.	मद्रास ...	२,१२,१९४	७७,८३,०००	३,९१,३८४	४,८२,७३,३६५
७.	उड़ीसा ...	२,२३,४९,१५०	५,७३,२४,५००	१५,३८,६७०	७२,१५,५००
८.	पंजाव ...	२२,५६,७४६	१,०९,७४,६००	७३,८०,६२५	१,७६,९२,२५०
९.	उत्तरप्रदेश ...	अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं		२,४२,७२,०००	४,३७,४२,०००
१०.	पश्चिमी बंगाल ...	८६,९९,६५१	१,८२,९९,०५०	१८,८७,९९९	५८,९०,७५०
११.	हैदरावाद्र ...	१९,८१,५६८	५५,६५,०००	अप्राप्त	६७,५८,०००
१२.	जम्मू तथा काश्मीर ...	अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं		अप्राप्त	२७,००,०००
१३.	मध्य भारत ...	५२,०६,९७८	१,७१,०५,७००	अप्राप्त	६२,८२,०५०
१४.	मैसूर ...	अप्राप्त	२५,००,०००	९,२०,५२१	१,९५,४०,०००
१५.	पैप्सू ...	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं		३७,८८,९८९	५४,१५,०००
१६.	राजस्थान ...	४३,५४,५६९	१,१३,००,०००	१७,८२,६७९	६६,००,०००
१७.	सौराष्ट्र ...	४,४८,४२०	१७,१२,२७५	८,१४,३५०	३२,५५,०००
१८.	त्रावणकोर-कोचीन ...	४,८५,२३५	४१,७४,२५०	२०,१३०	१,४७,६५,१५०
१९.	अजमेर ...	३,२६,१६१	१७,९६,९३०	२,१४,२५५	८,३८,१४०
२०	भोपाल ...	१२,५८,४६७	१४,४९,५००	४,३५,७५०	१०,०७,५००
२१.	कुर्ग ...	अप्राप्त	१३,०२,२५०	४,९२,७८१	१२,९२,७५०
२२.	दिल्ली ...	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं		अप्राप्त	१७,२०,२५०
२३.	हिमाचल प्रदेश ...	२,७६,७६७	३३,२३,९९०	२,४९,२२१	२२,०४,२१२
२४.	कच्छ ...	३,९४,९२५	७,२८,०००	२,८२,६२१	३,१७,३००
२५.	मणीपुर ...	१८,२५,९५०	१,०६,२५,०००	७४,३२१	५५,०००
२६.	त्रिपुरा ...	१८,९०,४४०	१,१३,००,०००	३६,०००	१,९०,०००
२७.	विन्ध्यप्रदेश ...	२२,८४,१४५	७५,१७,०००	८,७१,५३६	३२,३०,०००
२८.	पाण्डेचरी ...	अनुसूचिन आदिमजातियां नहीं हैं		—	७,०५,७५०
	योग	१७,३६,६४,५८४	४८,३३,५८,९०५	५,९६,५९,३१२	२५,६२,८५,१६७

१२

१

तुलनात्मक दृष्टि से राज्यवार प्रदर्शित करने वाली तालिका

विमुक्त जातियाँ		अन्य पिछड़े वर्ग		प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में हुआ कुल व्यय	द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में होने वाला प्रस्तावित कुल व्यय
प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में हुआ व्यय	द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में होने वाला प्रस्तावित व्यय	प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में हुआ व्यय	द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में होने वाला प्रस्तावित व्यय		
७	८	९	१०	११	१२
३,७४,३८८	१५,००,०००	अप्राप्त	—	८९,१७,३०९	४,२२,००,०००
विमुक्त जातियां नहीं हैं		अप्राप्त	—	५,९५,१३,०००	१४,२९,९४,०००
७३,२७६	८,४३,५००	४९,९३,०१२	८४,४५,५००	४,००,३५,९६३	८,५८,५०,०००
१३,५७,१४५	३३,६३,१२५	अप्राप्त	१,२९,६४,६५०	३,१०,७५,४४५	५,१८,२३,३३५
विमुक्त जातियां नहीं हैं		१७,१२,५५५	७१,२४,६५०	२५,८७,३५७	७,६५,४७,१५०
९,५३,३३०	९२,७९,०००	२,११,१०२	८१,१५,०००	१७,६८,०१०	७,३४,५०,३६५
४,४८,८३०	९,१०,२००	५,९७,९४०		२,४९,३४,५९०	६,५४,५०,२०
६,२२,१६७	११,३३,१५०	अप्राप्त	—	१,०२,५९,५३८	२,९८,००,०००
४६,८८,०००	५५,५५,०००	४५,२८,०००	१,१३,२७,०००	३,३४,८८,०००	६,०६,२४,०००
अप्राप्त	५,७५,०००	अप्राप्त	—	१,०५,८७,६५०	२,४७,६४,८००
४,३८,९७३	१२,५०,०००	८,१७,९७७	१४,२५,०००	३२,३८,५१८	१,४९,९८,०००
विमुक्त जातियां नहीं हैं		अप्राप्त	१८,००,०००	—	४५,००,०००
अप्राप्त	२२,२७,७००	अप्राप्त	७,५३,३५०	५२,०६,९७८	२,६३,६८,८००
अप्राप्त	१२,६०,०००	अप्राप्त	—	९,२०,५२१	२,३३,००,०००
१,०५,६००	२,६१,०००	अप्राप्त	६,०४,०००	३८,९४,५८९	६२,८०,०००
५,४४,२५१	१७,५०,०००	२५,१८,७४७	६४,००,०००	९२,००,२४६	२,६०,५०,०००
२,८१,७३०	५,२७,५००	२,३१,३००	५२,८७,८५०	१७,७५,८००	१,०७,८२,६२५
विमुक्त जातियाँ नहीं हैं		अप्राप्त	—	५,०५,३६५	१,८९,३९,४००
१,३२,९७०	४,१०,६५८	अप्राप्त	३,५२,०००	६,७३,३८६	३३,९७,७२८
२४,६७२	४७,५००	४,९२,९९६	१,११,१५०	२२,११,८८५	२६,१५,६५०
विमुक्त जातियाँ नहीं हैं		अप्राप्त	—	४,९२,७८१	२५,९५,०००
अप्राप्त	—	अप्राप्त	—	—	१७,२०,२५०
विमुक्त जातियाँ नहीं हैं		१,०७,३१०	—	६,३३,२९९	५५,२८,२०२
१७,५५४	८६,४५०	अप्राप्त	८,७९,७००	६,९५,१००	२०,११,४५०
विमुक्त जातियाँ नहीं हैं		अप्राप्त	२,४५,०००	१९,००,२७१	१,०९,२५,०००
विमुक्त जातियां नहीं हैं		अप्राप्त	—	१९,२६,४४०	१,१४,९०,०००
१,८०,२३१	७५,०००	अप्राप्त	—	३३,३५,९१२	१,०८,२२,०००
विमुक्त जातियाँ नहीं हैं		अप्राप्त	—	—	७,०५,७५०
१,०२,४३,११७	३,१०,५४,७८३	१,६२,१०,९३९	६,५८,३४,८५०	२५,९७,७७,९५२	८३,६५,३३,७००

परिशिष्ट

तालिका

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में हुए और द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में होने वाले प्रस्तावित व्यय की

क्र० सं०	योजना का नाम	अनुसूचित आदिमजातियाँ		अनुसूचित जातियाँ	
		प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में हुआ व्यय	द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में होने वाला प्रस्तावित व्यय	प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में हुआ व्यय	द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में होने वाला प्रस्तावित व्यय
१	२	३	४	५	६
१.	शिक्षा ...	५,१०,३३,५१८	८,८२,४४,८४५	३,८८,३८,८४३	१०,७६,,८०,१९२
२.	कृषि ...	२,६५,९८,८५२	२,२२,,९३,६७१	६,५८,४८५	७६,२९,०००
३.	गृह उद्योग ...	४७,४३,१८३	२,३८,५०,५८०	१६,८८,९९२	२,४७,५४,५५०
४.	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य ...	१,५३,५२,६०१	५,००,३२,५७८	६५,२०,७३२	२,८४,३४,६७५
५.	भवन-निर्माण ...	४८,९१,०२४	२,२६,४३,९५०	१२,२४,३६८	५,४६,५७,९००
६.	संचार ...	४,०७,९९,५५१	८,७८,९५,८५०	२,२४,८९८	३,८१,७५०
७.	सहकारिता ...	४९,७५,५६४	१,३९,७१,०२५	१,३१,७५५	६६,४९,८००
८.	पुनर्वास ...	४,५७,०२१	३,३६,४३,२७५	—	५०,२८,४००
९.	वन ...	५७,८९,४३२	१,०५,५९,४१५	—	—
१०.	पशु-चिकित्सा ...	११,५३,४५१	४८,२४,२५२	१,९८२	—
११.	पकाशन ...	६,६२,१५७	९.६१,०९५	२९,२७,६६२	४६,४४,५६५
१२.	सामुदायिक केन्द्र ...	७,१७,७४८	१,१४,०००	७३,६५१	४५,१०,७७५
१३.	गैर-सरकारी संस्था को सहायता	१८,६२,११८	४४,७६,३५०	३४,५१,४६५	३५,३०,९५०
१४.	व्यवस्था ...	५४,५७,६७६	२,०२,८६,१०९	९,६८,१०४	२६,१९,१००
१५.	सघन क्षेत्र विकास ...	—	६,४२,००,०००	—	—
१६.	विविध ...	९१,७०,६८८	१,५६,६१,९१०	२९,४८,३७५	५७,६३,५१०
	योग	१७,३६,६४,५८४	४८,३३,५८,९०५ह्य	५,९६,५९,३१२	२५,६२,८५,१६१

ह्य इसमें २००.०० लाख रुपया वह भी शामिल है जो आसाम सरकार को संविधान के अनुच्छेद २७५ (१) के दूसरे नियम की धारा (अ) के अन्तर्गत दिया गया है।

१२

२

तुलनात्मक दृष्टि से योजनावार प्रदर्शित करने वाली तालिका

विमुक्त जातियाँ		अन्य पिछड़े वर्ग		प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में हुआ कुल व्यय	द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में होने वाला प्रस्तावित कुल व्यय
प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में हुआ व्यय	द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में होने वाला प्रस्तावित व्यय	प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में हुआ व्यय	द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में होने वाला प्रस्तावित व्यय		
७	८	९	१०	११	१२
१६,७९,३५८	७७,१३,५६५	१,१७,२३,६८७	३,३९,१३,८५०	१०,३२,७५,४०६	२३,७५,५२,४५२
३०,१२,८२८	४४,३६,३००	९३,७६०	५८,८५,०००	३,०३,६३,९२५	४,०२,४३,३७१
६,८२,२८६	२६,०१,५७०	३,०२,०८०	३८,२२,४५०	७४,१६,५४१	५,५०,२९,१५०
६,४४,६०७	४,८९,९४०	१८,२१,८७१	१५,७८,२००	२,४३,३९,८११	८,०५,३५,३९३
११,३९,९१६	३२,८०,२५०	४,६९,२३६	१८,०४,३५०	७७,२४,५४४	८,२३,८६,४५०
२३,१७२	—	१,९०,१४४	४,६३,५००	४,१२,३७,७६५	८,८७,४१,१००
२९,६४०	२,५९,३५०	२,२२,६९९	६,६२,६५०	५३,५९,६५८	२,१५,४२,८२५
१७,०३,८२८	८९,९९,८००	४,८३,०५५	१२,९९,०००	२६,४३,९०४	४,८९,७०,४७५
—	—	—	—	५७,८९,४३२	१,०५,५९,४१५
३१,७००	८१,७५०	—	१,००,०००	११,८७,१३३	५०,०६,००२
१४,९५९	६,५००	२०,०००	७०,५००	३६,२४,७७८	५३,८२,६६०
१३,७७२	२,४०,५२५	—	१६,८३,२००	८,०५,१७१	६५,४८,५००
१,८९,४४६	५,९०,८७५	३,६१,८६०	१०,६८,५००	५८,६४,८८९	९६,६६,६७५
४,१७,००४	१,८९,८५८	४,५७,१२७	३३,२९,७००	७२,९९,९११	२,६४,२४,७६७
—	—	—	—	—	६,४२,००,०००
६,६०,६०१	२१,६४,५००	६५,४२०	१,०१,५३,९५०	१,२८,४५,०८४	३,३७,४३,८७०
१,०२,४३,११७	३,१०,५४,७८३	१,६२,१०,९३९	६,५८,३४,८५०	२५,९७,७७,९५२	८३,९५,३३,७०५

परिशिष्ट—१२

तालिका नं० ३

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्र द्वारा प्रसारित योजनाओं के अन्तर्गत धन के राज्यवार वितरण को प्रदर्शित करने वाली तालिका

क्र० सं०	राज्य का नाम	अनुसूचित आदिम-जातियां	अनुसूचित जातियाँ	विमुक्त जातियाँ	योग
१	२	३	४	५	६
१.	आन्ध्र ...	५०,००,०००	३४,००,०००	५,५०,०००	८९,५०,०००
२.	आसाम ...	४,६९,९४,०००	१०,००,०००	—	४,७९,९४,०००
३.	बिहार ...	२,४०,००,०००	४७,००,०००	१,५०,०००	२,८८,५०,०००
४.	बम्बई ...	१,८५,००,०००	२०,००,०००	१०,००,०००	२,१५,००,०००
५.	मध्य प्रदेश ...	२,४०,००,०००	२२,००,०००	—	२,६२,००,०००
६.	मद्रास ...	२०,००,०००	८८,००,०००	२७,००,०००	१,३५,००,०००
७.	उड़ीसा ...	२,५५,००,०००	१७,००,०००	२,५०,०००	२,७४,५०,०००
८.	पंजाब ...	३५,००,०००	३२,००,०००	३,००,०००	७०,००,०००
९.	उत्तर प्रदेश ...	—	९०,२४,०००	४१,००,०००	१,३१,२४,०००
१०.	पश्चिमी बंगाल ...	५०,००,०००	३०,००,०००	१,००,०००	८१,००,०००
११.	हैदराबाद ...	३०,००,०००	२१,९८,०००	३,००,०००	५४,९८,०००
१२.	जम्मू तथा काश्मीर ...	—	—	—	—
१३.	मध्य भारत ...	९५,००,०००	१४,००,०००	५,५०,०००	१,१४,५०,०००
१४.	मैसूर ...	६,००,०००	३२,००,०००	५,००,०००	४३,००,०००
१५.	पैप्सू ...	—	११,५०,०००	—	११,५०,०००
१६.	राजस्थान ...	४०,००,०००	१६,००,०००	४,५०,०००	६०,५०,०००
१७.	सौराष्ट्र ...	६,२५,०००	५,००,०००	१,००,०००	१२,२५,०००
१८.	त्रावणकोर-कोचीन ...	१५,००,०००	२७,६०,०००	—	४२,६०,०००
१९.	अजमेर ...	४,००,०००	१,५०,०००	—	५,५०,०००
२०.	भोपाल ...	३,००,०००	२,००,०००	—	५,००,०००
२१.	कुर्ग ...	३,००,०००	३,००,०००	—	६,००,०००
२२.	दिल्ली ...	—	३,००,०००	—	३,००,०००
२३.	हिमाचल प्रदेश ...	१०,००,०००	४,००,०००	—	१४,००,०००
२४.	कच्छ ...	३,१०,०००	—	—	३,१०,०००
२५.	मणीपुर ...	४०,००,०००	—	—	४०,००,०००
२६.	त्रिपुरा ...	३७,००,०००	—	—	३७,००,०००
२७.	विन्ध्यप्रदेश ...	३०,००,०००	८,००,०००	—	३८,००,०००
२८.	पांडिचेरी ...	—	१,५०,०००	—	१,५०,०००
	योग	१८,६७,२९,०००	५,४१,३२,०००	१,१०,५०,०००	२५,१९,११,०००

परिशिष्ट १२

तालिका नं० ४

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्र द्वारा प्रसारित योजनाओं के अन्तर्गत धन के योजनावार वितरण को प्रदर्शित करने वाली तालिका

क्रम संख्या	योजना का नाम	अनुसूचित आदिमजातियां	अनुसूचित जातियां	विमुक्त जातियां	योग
१	२	३	४	५	६
१.	शिक्षा	१,५९,०१,०००	—	११,००,०००	१,७०,०१,०००
२.	कृषि	२१,९८,०००	४३,८४,०००	८,००,०००	७३,८२,०००
३.	गृह-उद्योग	१,१८,३२,०००	१,७६,२१,०००	१२,५०,०००	३,०७,०३,०००
४.	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य	१,२६,९२,०००	७७,३५,०००	—	२,०४,२७,०००
५.	भवन-निर्माण	१,७५,३५,०००	१,९२,५०,०००	१२,५०,०००	३,८०,३५,०००
६.	संचार	२,२३,३८,०००	२,००,०००	—	२,२५,३८,०००
७.	सहकारिता	५३,१२,०००	१९,५५,०००	—	७२,६७,०००
८.	पुनर्वास	१,४१,१८,०००	२७,२५,०००	६६,५०,०००	२,३४,९३,०००
९.	वन	—	—	—	—
१०.	पशु चिकित्सा	६,०३,०००	—	—	६,०३,०००
११.	प्रकाशन	—	—	—	—
१२.	सामुदायिक केन्द्र	—	—	—	—
१३.	गैर-सरकारी संस्थाओं को सहायता	—	—	—	—
१४.	सघन विकास क्षेत्र	६,४२,००,००	—	—	६,४२,००,०००
१५.	व्यवस्था	—	२,६२,०००	—	२,६२,०००
१६.	विविध	—	—	—	†२,००,००,०००
		१६,६७,२९,०००+ † २,००,००,०००			
	योग	१८,६७,२९,०००	५,४१,३२,०००	१,१०,५०,०००	२५,१९,११,०००

† इसमें २००.०० लाख रुपया वह भी शामिल है, जो आसाम सरकार को संविधान के अनुच्छेद २७५ (१) के दूसरे नियम की धारा (अ) के अन्तर्गत दिया गया है।

परिशिष्ट

तालिका नं०

१९५६-५७ में व्यय का राज्यवार वितरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	अनुसूचित आदिमजातियाँ			अनुसूचित जातियां		
		राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग	राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग
१	२	३	४	५	६	७	८
१.	आंध्र	१४५४७६६	२०३०५७	१६५७८२३	१२९७३८४	३५७०००	१६५४३८४
२.	आसाम	१२३४४४००	११४००००	१३४८४४००	४७४७५०	—	४७४७५०
३.	बिहार	१२८५४७०४	२५०२७५७	१५३५७४६१	५१२५०००	७३३५००	५८५८५००
४.	बम्बई	११४९६५१८	१४४६०७८	१२९४२५९६	१६८३२१७	—	१६८३२१७
५	मध्यप्रदेश	६८८०००	१७१३६००	२४०१६००	४६३०००	—	४६३०००
६.	मद्रास	४२२७५३	१०४५७०	५२७३२३	४२३३९३३	१६४८९६६	५८८२८९९
७.	उड़ीसा	४४८३२६७	३३४१०९१	७८२४३५८	१०१६४७८	२९००००	१३०६४७८
८.	पंजाब	१५६४६०००	२४९१६०	१८१३७६०	३४१६०००	—	३४१६०००
९.	उत्तरप्रदेश	—अनुसूचित	आदिमजातियां नहीं हैं—		८३३२४००	६९१२००	९०२३६००
१०.	पश्चिमी बंगाल	२२६६३४३	९८६८०५	३२५३१४८	१५५४१२६	५९६०००	२१५०१२६
११.	हैदराबाद	५०२२२६	—	५०२२२६	१५०४७०	२२१२००	३७१६७०
१२.	जम्मू व काश्मीर	—अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं—			अप्राप्त	अप्राप्त	—
१३.	मध्य भारत	१३३३८००	१३९०५५२	२७२४३५२	१०५०२५०	—	१०५०२५०
१४.	मैसूर	३८००००	१२१०००	५०१०००	३०६८०००	—	३०६८०००
१५.	पैप्सू	—अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं—			—आंकड़े पंजाब में सम्मिलित हैं—		
१६.	राजस्थान	११८६००६	३९२७४०	१५७८७४६	८७१८४४	४०३१५०	१२७४९९४
१७.	सौराष्ट्र	१८८०००	१२५०००	३१३०००	७३५४००	१०००००	८३५४०००
१८.	त्रावणकोर-कोचीन	६६५१००	७२१४७	७३७२४७	३९०२२६८	१०००	३९०३२६८
१९.	अजमेर	१५४९२०	८००००	२३४९२०	९२९४०	१७५००	११०४४०
२०.	भोपाल	२१६०००	७५०००	२९१०००	१७००००	—	१७००००
२१.	कुर्ग	१९६८५०	६००००	२५६८५०	२०१०००	—	२०१०००
२२.	दिल्ली	—अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं—			११०२००	—	११०२००
२३.	हिमाचल प्रदेश	४८४६५५	२२०६२५	७०५२८०	१८३४६४	—	१८३४६४
२४.	कच्छ	९०५७०	६२०००	१५२५७०	१९५५४७	—	१९५५४७
२५.	मणीपुर	१२५४५०५	—	१२५४५०५	२५८८२	—	२५८८२
२६.	त्रिपुरा	१२५००००	४८३०००	१७३३०००	३३०००	—	३३०००
२७.	विन्ध्यप्रदेश	६१९९००	४११५००	१०३१४००	७८०००	—	७८०००
२८.	पाण्डेचरी	—अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं—			—	—	—
	योग	५६०९७८८३	१५१८०६८२	७१२७८५६५	३८४६४५५३	५०५९५१६	४३५२४०६९

१३
१
प्रदर्शित करने वाली तालिका

विमुक्त जातियां			अन्य पिछड़े वर्ग			योग		
राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग	राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग	राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग
९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
२७३३४०	११२६५०	३८५९९०	१८००००	—	१८००००	३२०५४९०	६७२७०७	३८७८१९७
—विमुक्त	जातियां	नहीं हैं—	———	योजना नहीं	———	१२८१९१५०	११४००००	१३९५९१५९
२०००००	२९७००	२२९७००	२६१६०००	—	२६१६०००	२०७९५७०४	३२६५९५७	२४०६१६६१
९१६३८७	—	९१६३८७	१००३२८०	—	१००३२८०[1]	१५०९९४०२	१४४६०७८	१६५४५४८०
—विमुक्त	जातियां	नहीं हैं—	अप्राप्त	अप्राप्त	—	११५१०००	१७१३६००	२८६४६००
१४००७८८	४३९४००	१८४०१८८	७४३२००	—	७४३२००	६८००६७४	२१९२९३६	८९९३६१०
१३०६७२	५००००	१८०६७२	कोई योजना अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है			५६३०४१७	३६८१०९१	९३११५०८
१७०५००	—	१७०५००	पृथक योजना नहीं है		—	५१५११००	२४९१६०	५४००२६०
७०२८००	—	७०२८००	१४११७००	—	१४११७००	१०४४६९००	६९१२००	१११३८१००
८२९६६	१००००	९२९६६	७३२००	—	७३२००	३९७६६३५	१५९२८०५	५५६९४४०
४६५५८	५३६८०	१००२३८	५१६००	—	५१६००	७५०८५४	२७४८८०	१०२५७३४
—विमुक्त	जातियां	नहीं हैं—	१२७५००	—	१२७५००	१२७५००	—	१२७५००
१६९१००	७६०००	२४५१००	७९८००	—	७९८००	२६३२९५०	१४६६५५२	४०९९५०२
१०००००	—	१०००००	८८००	—	८८००	३५५६८००	१२१०००	३६७७८००
—आंकड़े	पंजाब में	सम्मिलित हैं—	६३६००	—	६३६००	६३६००	—	६३६००
२२६९३४	७०८००	२९७७३४	९६८६५८	—	९६८६५८	३२५३४४२	८६६६९०	४१२०१३२
१२०९००	२००००	१४०९००	४३२७००	—	४३२७००	१४७७०००	२४५०००	१७२२०००
—विमुक्त	जातियां	नहीं हैं—	२०२४००	—	२०२४००	४७६९७६८	७३१४७	४८४२९१५
३८०००	—	३८०००	३७०००	—	३७०००	३२२८६०	९७५००	४२०३६०
५०००	—	५०००	३०००	—	३०००	३९४०००	७५०००	४६९०००
—विमुक्त	जातियां	नहीं हैं—	७६०००	—	७६०००	४७३६५०	६००००	५३३८५०
—	—	—	———	योजना नहीं	———	११०२००	—	११०२००
अप्राप्त	अप्राप्त	—	———	योजना नहीं	———	६६८११९	२२०६२५	८८८७४४
१५६०३	—	१५६०३	२५०००	—	२५०००	३२६७२०	६२०००	३८८७२०
—विमुक्त	जातियां	नहीं हैं—	३७६९६	—	३७६९६	१३१८०८३	—	१३१८०८३
—विमुक्त	जातियाँ	नहीं हैं—	३७६९६	—	३७६९६	१३२०६९६	४८३०००	१८०३६९६
१४०००	—	१४०००	———	योजना नहीं	———	७११९००	४११५००	११२३४००
—विमुक्त	जातियाँ	नहीं हैं—	———	योजना नहीं	———	—	—	—
४६१३५४८	८६२२३०	५४७५७७८	८१७८८३०	—	८१७८८३०	१०७३५४८१४	२११०२४२८	१२८४५७२४२

[1] इसमें ३८४२८० रुपया खानाबदोश जातियों पर खर्च हुआ शामिल है।

परिशिष्ट

तालिका नं०

१९५६-५७ में व्यय का योजनावार वितरण प्रदर्शित

क्र० सं०	योजना का नाम	अनुसूचित आदिमजातियां			अनुसूचित जातियां		योग
		राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग	राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	
१	२	३	४	५	६	७	८
१.	शिक्षा	१५३३०४४९	९१०३८५	१६२४०८३४	२१६१९३५२	—	२१६१९३५२
२.	कृषि	२५४५२६४	५९९१००	३१४४३६४	३९९५००	१०६२६००	१४६२१००
३.	गृह उद्योग ...	२०८७६०२	१२०९१३५	३२९६७३७	१६११७३०	१०९३९६६	२७०५६९६
४.	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य	८८२२१७७	१९३०३१४	१०७५२४९१	३२८६१५१	९०१५००	४१९७६५१
५.	सहकारिता ...	२००६५८७	१२८८८३०	३२९५४१७	५९७५००	१७५००	६१५०००
६.	भवन-निर्माण ...	८७०८००	१८५८६००	२७२९४००	६७०६३७३	१८०५५००	८५११८७३
७.	संचार ...	११९७३४३१	२६८१४००	१४६५४८३१	१९०००	—	१९०००
८.	पशु चिकित्सा ...	१२४८४६१	१२१३७९	१३६९८४०	—	—	—
९.	सामुदायिक केन्द्र ...	७२२५०	—	७२२५०	२७८८००	—	२७८८००
१०.	प्रकाशन ...	१९५३६७	—	१९५३६७	१४५४५४३	—	१४५४५४३
११.	गैर-सरकारी संस्थाओं को सहायता	८५०७००	१९००००	१०४०७००	११२५३४०	—	११२५३४०
१२.	पुनर्वास ...	२३७७३८४	२६२०४७	२६३९४३१	१२७०००	१६८७५०	२९५७५०
१३.	व्यवस्था ...	२४७३२८२	१६४४५	२४८९७२७	६८४८६४	४७००	६८९५६४
१४.	वन ...	१३३९५००	—	१३३९५००	—	—	—
१५.	बहु-उद्देशीय योजनाएं ...	६१०००	२९२१०४७	२९८२०४७	—	—	—
१६.	विविध ...	३८४३६२९	११९२०००	५०३५६२९	५५४४००	५०००	५५९४००
	योग	५६०९७८६३	१५१८०६८२	७१२७८५६५	३८४६४५५३	५०५९५१६	४३५२४०६९

१३

२

करने वाली तालिका

विमुक्त जातियां			अन्य पिछड़े वर्ग			योग		
राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग	राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग	राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग
९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१४४०१८८	२००००	१४६०१८८	५१०९४८४	—	५१०९४८४	४३४९९४७३	९३०३८५	४४४२९८५८
१२४४७४०	२८८८००	१५३३५४०	१०७१२५०	—	१०७१२५०	५२६०७५४	१९५०५००	७२११२५४
४१७०९८	४५८८०	४६२९७८	५२४४७९	—	५२४४७९	४६४०९०९	२३४८९८१	६९८९८९०
१७२४०१	—	१७२४०१	२८०१६७	—	२८०१६७	१२५६०८९६	२८३१८१४	१५३९२७१०
१५३४५०	—	१५३४५०	५१८००	—	५१८००	२८०९३३७	१३०६३३०	४११५६६७
५२६०८८	३६१७५०	८८७६३८	४०४५००	—	४०४५००	८५०७७६१	४०२५८५०	१२५३३६११
१००००	—	१००००	७२५००	—	७२५००	१२०७४९३१	२६८१४००	१४७५६५३१
१००००	—	१००००	—	—	—	१२५८४६१	१२१३७९	१३७९८४०
५२९००	—	५२९००	२०५१००	—	२०५१००	६०९०५०	—	६०९०५०
—	—	—	११९६२	—	११९६२	१६६१८७२	—	१६६१८७२
९०८२०	—	९०८२०	५५८००	—	५५८००	२१२२६६०	१९००००	२३१२६६०
२७३९२४	१४५८००	४१९७२४	३७०००	—	३७०००	२८१५३०८	५७६५९७	३३९१९०५
३६६८९	—	३६६८९	११५२९१	—	११५२९१	३३१०१२६	२११४५	३३३१२७१
—	—	—	—	—	—	१३३९५००	—	१३३९५००
—	—	—	—	—	—	६१०००	२९२१०४७	२९८२०४७
१८५२५०	—	१८५२५०	२३९४९७	—	२३९४९७	४८२२७७६	११९७०००	६०१९७७६
४६१३५४८	८६२२३०	५४७५७७८	८१७८८३०	—	८१७८८३०	१०७३५४८१४	२११०२४२८	१२८४५७२४२

परिशिष्ट १४

१९५२-५३ तथा १९५५-५६ में भारत में मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़नेवाले अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों (जिनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियोंतथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थी शामिल हैं) की संख्या को प्रदर्शित करने वाली तालिका

क्र० सं०	शिक्षा का स्तर	श्रेणी	विद्यार्थियों की संख्या						नये दाखिले में वृद्धि का प्रतिशत
			१९५२-५३			१९५५-५६			
			लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	प्राइमरी	(१) सभी अनुसूति जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों समेत	१३९३२९५७	५६१८२५८	१९५५१२१५	१५९१५९३८	६९५८१४३	२२८७४०८१	१६.९८
		(२) अनुसूचित जातियां तथा अन्य पिछड़े वर्ग	४३३०१६४	१३८४७२०	५७१४८८४	५६८३५३५	१८७२२५४	७५५५७८९	३२.३२
२.	मिडिल	(१) सभी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों समेत	१८५९८७१	४४८८८०	१९०८७५१	२९१६६४४	८८३१४७	३७९९७९१	९९.०१
		(२) अनुसूचित जातियां तथा अन्य पिछड़े वर्ग	३८८५६४	४८०११	४३६५७५	७११३०७	१२८८४५	८४०१५२	९२.४५

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
३.	माध्यमिक	(१) सभी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों समेत	३०३०१५७	६६८६०८	३६९८७६५	३६७०२५६	९५१४२२	४६२१६७८	२४.९५
		(२) अनुसूचित जातियां तथा अन्य पिछड़े वर्ग	५०९६७७	६१३३६	५७१०१३	८२७८७९	१०३८८८	९३१७६७	६३.१७
४.	कालिज शिक्षा	(१) सभी अनुसूचित जातियां, अनुसूचित आदिमजातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्ग	३७००१४	५५४८७	४२०५०१	४८४०३८	८१३५५	५६५३९३	३४.४५
		(२) अनुसूचित जातितँ तथा अन्य पिछड़े वर्ग	३२५६१	८७९७	४१३५८	४८७६८	१०६९७	५९४६५	४३.७८

परिशिष्ट

तालिका नं०

राज्यों द्वारा अपने फण्ड तथा केन्द्रीय अनुदान से पिछड़े वर्गों की शिक्षा पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुए और द्वितीय पंचवर्षीय

क्र०सं०	राज्य का नाम	प्रथम पंचवर्षीय योजना में आर्थिक लक्ष्य प्राप्त					अनुसूचित जातियाँ	
		अनुसूचित जातियाँ	अनु० आदिम-जातियाँ	अन्य पिछड़े वर्ग	विमुक्त जातियाँ	योग	राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय प्रसारित योजना के अन्तर्गत
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१.	आन्ध्र ...	२६५०५०	—	अप्राप्त	१४०५६२	४०५६१२	३४०८६००	—
२.	आसाम ...	१५००००	११०३६३६७	अप्राप्त	विमुक्त जातियाँ नहीं हैं	१११८६३६७	१२६१६००	—
३.	बिहार ...	अप्राप्त	८६३५११६	४७६१८७९	—	१३३९६९९५	६१८९२५०	—
४.	बम्बई ...	५७००२७६	११७५८७३४	अप्राप्त	४७८४९८	१७९३७५०८	७८३७५०	—
५.	मध्य प्रदेश ...	४४५००९	अप्राप्त	१३४८६८१	विमुक्त जातियाँ नहीं हैं	१७९३६९०	३७८५७५०	—
६.	मदरास ...	१००२२०	१४५१३५	११५३६८	५६०५९५	९२१३१८	२८२७२०००	—
७.	उड़ीसा ...	३७२५७०	१२००२०२०	२८४८९०	१८५७५	१२६७८०५५	२३९४०००	—
८.	पंजाब ...	६९७६०११	२९५८०८	अप्राप्त	१२९७०७	७४०१५२६	११८७५०००	—
९.	उत्तर प्रदेश ...	१९७०१०००	अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं	३८८४०००	८५०००	२३६७००००	२६७६४०००	—
१०.	पश्चिमी बंगाल ...	१३१३१६३	२१८७८५०	अप्राप्त	अप्राप्त	३५०१०१३	१२१४०००	—
११.	हैदराबाद ...	अप्राप्त	—	५७८७३३	—	५७८७३३	२३७५०००	—
१२.	जम्मू तथा काश्मीर ...	अप्राप्त	अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं	अप्राप्त	विमुक्त जातियाँ नहीं हैं	—	११०००००	—
१३.	मध्य भारत ...	अप्राप्त	१६५४२३०	अप्राप्त	अप्राप्त	१६५४२३०	२६६०९५०	—
१४.	मैसूर ...	—	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	—	१९०००००	—
१५.	पैप्सू ...	२१८४०००	अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं	अप्राप्त	—	२१८४०००	२८५३०००	—
१६.	राजस्थान ...	९१७३०२	९५६६२९	६८८११८	१२९७००	२६९१७४९	१६५००००	—
१७.	सौराष्ट्र ...	१८२००	२०११५०	३६८००	११५८०	२६७७३०	—	—

१५

१

योजना में होनेवाले प्रस्तावित व्यय को प्रदर्शित करने वाली तालिका

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित लक्ष्य								
अनुसूचित आदिमजातियाँ		अन्य पिछड़े वर्ग		विमुक्त जातियाँ		योग		
राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय प्रसारित योजना के अन्तर्गत	राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय प्रसारित योजना के अन्तर्गत	राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय प्रसारित योजना के अन्तर्गत	राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय प्रसारित योजना के अन्तर्गत	कुल योग
१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१९६०८००	—	—	—	—	—	५३६९४००	—	५३६९४००
१३०३६८५०	८८२६०००	कोई योजना नहीं है		विमुक्त जातियाँ नहीं हैं		१४२९८४५०	८८२६०००	२३१२४४५०
४५५५२५०	२४०००००	५६६६७५०	—	अप्राप्त	—	१६४११२५०	२४०००००	१८८११२५०
४१९९०००	१२०००००	२९६४९५०	—	१२११२५०	—	९१५८९५०	१२०००००	१०३५८९५०
१९५३४७००	१५०००००	६०७०४५०	—	विमुक्त जातियाँ नहीं हैं		२९३९०९००	१५०००००	३०८९०९००
२४०३०००	—	७६१२०००	—	३७६५०००	—	४२०५२०००	—	४२०५२०००
१३२४०५००	१९०००००	—	—	९३९००	—	१५७२८४००	१९०००००	१७६२८४००
९५००००	—	—	—	१९००००	—	१३०१५०००	—	१३०१५०००
अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं		५५७१०००	—	१५००००	११०००००	३२४८५०००	११०००००	३३५८५०००
३३२४०५०	—	—	—	—	—	४५३८०५०	—	४५३८०५०
४५९८००	—	१०४०२५०	—	३५१५००	—	४२२६५५०	—	४२२६५५०
अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं है		३०००००	—	विमुक्त जातियां नहीं हैं		१४०००००	—	१४०००००
१८२२१००	—	१४२५००	—	१६८१५०	—	४७९३७००	—	४७९३७००
५०३५००	—	—	—	१४२५००	—	२५४६०००	—	२५४६०००
अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं		३८६०००	—	३३०००	—	३२७२०००	—	३२७२०००
२०५५०००	—	१३०००००	—	३१००००	—	५३१५०००	—	५३१५०००
—	—	२२००२००	—	—	—	२२००२००	—	२२००२००

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१८.	त्रावणकोर-कोचीन ...	—	९१७७६	अप्राप्त	विमुक्त जातियाँ नहीं हैं	९१७७६	६६५००००	—
१९.	अजमेर ...	५८८४८	५५२३६	अप्राप्त	६०६४७	१७४७३१	१४५८८०	—
२०.	भोपाल ...	१५००	२३५४३४	—	६४४०	२४३३८४	३८००००	—
२१.	कुर्ग ...	१७०६३२	अप्राप्त	अप्राप्त	विमुक्त जातियाँ नहीं हैं	१७०६३२	३८००००	—
२२.	दिल्ली ...	अप्राप्त	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं	अप्राप्त	अप्राप्त	—	—	—
२३.	हिमाचल प्रदेश ...	—	६००६८	२५२१८	अप्राप्त	८५२८६	४६९९१२	—
२४.	कच्छ ...	—	५८४८१	अप्राप्त	९५५४	६८०३५	—	—
२५.	मणीपुर ...	४९११	५६०७२६	अप्राप्त	विमुक्त जातियाँ नहीं हैं	५६५६३७	१५०००	—
२६.	त्रिपुरा ...	६०००	५६६०००	अप्राप्त	विमुक्त जातियां नहीं हैं	५७२०००	२५०००	—
२७.	विन्ध्यप्रदेश ...	४५४१५१	५३२७४८	अप्राप्त	४८५००	१०३५३९९	८९००००	—
२८.	पाण्डेचरी ...	—	—	—	—	—	२३७५००	—
	योग	३८८३८८४३	५१०३३५१८	११७२३६८७	१६७९३५८	१०३२७५४०६	१०७६८०१९२	—

१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
९५००००	—	—	—	विमुक्त जातियाँ नहीं हैं		७६०००००	—	७६०००००
१४०२६०	७५०००	७५०००	—	१२००८०	—	४८१२२०	७५०००	५५६२२०
२८५०००	—	—	—	२९७३५	—	६९४७३५	—	६९४७३५
१९००००	—	—	—	विमुक्त जातियां नहीं हैं		५७००००	—	५७१०००
अनुसूचित आदिम-जातियां नहीं हैं		—	—	—	—	—	—	—
४३८५३५	—	—	—	विमुक्त जातियाँ नहीं हैं		९०८४४७	—	९०८४४७
१८०५००	—	४९८७५०	—	४८४५०	—	७२७७००	—	७२७७००
८६००००	—	८६०००	—	विमुक्त जातियाँ नहीं है		९६१०००	—	९६१०००
४४७०००	—	—	—	विमुक्त जातियाँ नही हैं		४७२०००	—	४७२०००
८०८०००	—	—	—	—	—	१६९८०००	—	१६९८०००
अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं		—	—	विमुक्त जातियाँ नहीं है		२३७५००	—	२३७५००
७२३४३८४५	१५९०१०००	३३९१३८५०	—	६६१३५६५	११०००००	२२०५५१४५२	१७००१०००	२३७५५२४५२

परिशिष्ट

तालिका नं०

राज्यों द्वारा अपने फण्ड तथा केन्द्रीय अनुदान से पिछड़े वर्गों की शिक्षा पर १६५६-५७ में अनुमानित

क्रम सं०	राज्य का नाम	अनुसूचित जातियां		अनुसूचित आदिमजातियां	
		राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय प्रसारित योजना के अन्तर्गत	राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय प्रसारित योजना के अन्तर्गत
१	२	३	४	५	६
१.	आंध्र	१४५६००	—	३०४८२	—
२.	आसाम	१२३५००	—	१६२३२००	६०००००
३.	बिहार	३०५००००	—	३१०५७५७	१३५०००
४.	बम्बई	२५५७५०	—	६३७३१००	१०४०९८
५.	मध्य प्रदेश	२२३१०४	—	—	—
६.	मदरास	१९७१३८६	—	६१६६७	—
७.	उड़ीसा	३४५२५३	—	१७०३१११२	५२१८७
८.	पंजाब	२७७५०००	—	२३०००	—
९.	उत्तर प्रदेश	६६८४४००	—	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं	
१०.	पश्चिमी बंगाल	१२९५४००	—	४५२३००	—
११.	हैदराबाद	२११७०	—	२०३७४८	—
१२.	जम्मू तथा काश्मीर	अप्राप्त	अप्राप्त	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं	
१३.	मध्य भारत	५९२८००	—	२६६९५०	—
१४.	मैसूर	३८००००	—	१०००००	—
१५.	पैप्सू	आंकड़े पंजाब में शामिल हैं	—	अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं	
१६.	राजस्थान	४३७८४८	—	३४६८६९	—
१७.	सौराष्ट्र	१६२६००	—	—	—
१८.	त्रावणकोर-कोचीन	२८४७२६८	—	२६९०००	—
१९.	अजमेर	२१०००	—	४२४७०	१५०००
२०.	भोपाल	५६०००	—	१४५०००	—
२१.	कुर्ग	८७५००	—	४००००	—
२२.	दिल्ली	—	—	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं	
२३.	हिमाचल प्रदेश	३०४६४	—	११५६२१	४१००
२४.	कच्छ	१००५४७	—	३५५७०	—
२५.	मणिपुर	७६२	—	२२५७८३	—
२६.	त्रिपुरा	१२०००	—	८०,०००	—
२७.	विन्ध्यप्रदेश	—	—	८७०००	—
२८.	पांडेचरी	अप्राप्त	अप्राप्त	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं	
	योग	२१६१९३५२	—	१५३३०४४९	९१०३८५

१५

२

व्यय को प्रदर्शित करने वाली तालिका

विमुक्त जातियां		अन्य पिछड़े वर्ग		योग		कुल योग
राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय प्रसारित योजना के अन्तर्गत	राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय प्रसारित योजना के अन्तर्गत	राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय प्रसारित योजना के अन्तर्गत	
७	८	९	१०	११	१२	१३
८३३७२	—	१८००००	—	४३९४५४	—	४३९४५४
विमुक्त जातियां नहीं हैं		—योजनाएं नहीं हैं	—	१७४६७००	६०००००	२३४६७००
४२६०	—	२०१६०००	—	८१७६०१७	१३५०००	८३११०१७
४८०३६०	—	२५६०००	—	७३८५२१०	१०४०९८	७४८९३०८
		† २००००				
विमुक्त जातियां नहीं हैं		अप्राप्त	—	२२३१०४	—	२२३१०४
६३३६४०	२००००	६२९०००	—	३२९५६९३	२००००	३३१५६९३
८५६०	—	अभीतक योजनाएं स्वीकृत नहीं हुई हैं		२०५६९२५	५२१८७	२१०९११२
३००००	—	पृथक योजनाएं नहीं हैं		२८२८०००	—	२८२८०००
२६०००	—	१११२०००	—	७८२२४००	—	७८२२४००
—	—	७३२००	—	१८२०९००	—	१८२०९००
१५७००	—	३८४००	—	२७९०१८	—	२७९०१८
विमुक्त जातियाँ नहीं हैं		४००००	—	४००००	—	४००००
९५००	—	२४७००	—	८९३९५०	—	८९३९५०
अप्राप्त	अप्राप्त	३१००	—	४८३१००	—	४८३१००
आंकड़े पंजाब में शामिल हैं		६३६००	—	६३६००	—	६३६००
९३१९३	—	२७६३९२	—	११५४१२२	—	११५४१२२
४३४००	—	२११५००	—	३१७५००	—	३१७५००
विमुक्त जातियां नहीं हैं		२०१०००	—	३३१७२६८	—	३३१७२६८
अप्राप्त	अप्राप्त	५०००	—	६८४७०	१५०००	८३४७०
३६००	—	—	—	२०४६००	—	२०४६६०
विमुक्त जातियां नहीं हैं		४००००	—	१६७५००	—	१६७५००
विमुक्त जातियां नहीं हैं		योजनाएं नहीं हैं	—	—	—	—
विमुक्त जातियों के लिए पृथक योजनाएं नहीं		योजनाएं नहीं हैं	—	१४६०८५	४१००	१५०१८५
८६०३	—	—	—	१४४७२०	—	१४४७२०
विमुक्त जातियां नहीं हैं		९७९६	—	२३६३४१	—	२३६३४१
विमुक्त जातियां नहीं हैं		९७९६	—	१०१७९६	—	१०१७९६
—	—	योजनाएं नहीं हैं	—	८७०००	—	८७०००
विमुक्त जातियां नहीं हैं		योजनाएं नहीं हैं	—	—	—	
१४४०१८८	२००००	५१०९४८४	—	४३४९९४७३	९३०३८५	४४४२९८५८

† बम्बई राज्य में खानाबदोश जातियों के लिए

परिशिष्ट १६

तालिका नं० १

सन् १९४४-४५ से अनुसूचित जतियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को दी गई भारत सरकार की छात्रवृत्तियों पर किये गये व्यय को प्रदर्शित करने वाली तालिका

वर्ष	स्वीकृत छात्रवृत्तिों की संख्या			योग	जो खर्च हुआ (रुपयों में)			योग
	अनुसूचित जातियां	अनु० आदिम-जातियां	अन्य पिछड़े वर्ग		अनुसूचित जातियां	अनु० आदिम-जातियां	अन्य पिछड़े वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१९४४-४५	११४	—	—	११४	४७६९७	—	—	४७६९७
१९४५-४६	२९२	—	—	२९२	२११९६२	—	—	२११९६२
१९४६-४७	५२७	—	—	५२७	४७०३९७	—	—	४७०३९७
१९४७-४८	६५५	—	—	६५५	५३९३०७	—	—	५३९३०७
१९४८-४९	६४७	८४	—	७३१	४५२३१७	४५९८६	—	४९८३०३
१९४९-५०	८७९	१८६	३४९	१४१४	५१५५१२	९४९६५	२४६३२७	८५६८०४
१९५०-५१	१३१६	३४८	५१७	२१८१	७२६६५१	१८५३०१	२५७५०४	१२६९४५६
१९५१-५२	१६०४	५७५	६५५	२८३४	८१७९७६	२८१७८०	४४११८६	१५४०९४२
१९५२-५३	३४०४	१०९३	१९४७	६४४४	१४३५५५१	५२२४५२	१०९४२६४	३०५२२५७
१९५३-५४	५९५४	१५८७	४३९३	११९३४	२६०६३१६	८१८५३८	२६५११००	६१५५९५४
१९५४-५५	१००३४	२३५६	८२६८	२०६५८	४५८०४९८	१२३७७३३	४९७०७६९	१०७८९०००
१९५५-५६	१६०८१	२८८३	१२४८७	३१४५१	६३७८४३२	१३६५२३८	७३७०२६६	१५०५३९३६
१९५६-५७ (लगभग)	२१५२५	३५०५	१४२३०	३३८३६	८८२४०००*	१५६८०००*	८३६८०००*	१८७६००००*
योग	६३०३२	१२६१७	४२६३९	११३०७१	२७६८६६१६*	६०५९९९३*	२५४९९४१६*	५९२४६०२५*

* आंकड़े संशोधित होने हैं।

परिशिष्ट १६

तालिका नं० २

१९५१-५२ से १९५६-५७ तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों से आये हुए प्रार्थना-पत्रों की तथा योग्य छात्रों को दी गई छात्रवृत्तियों की संख्या को प्रदर्शित करने वाली तालिका

वर्ष	अनुसूचित जातियां		अनुसूचित आदिमजातियां		अन्य पिछड़े वर्ग		योग	
	प्रार्थना-पत्र प्राप्त	छात्रवृत्तियां स्वीकृत	प्रार्थना-पत्र प्राप्त	छात्रवृत्तियां स्वीकृत	प्रार्थना-पत्र प्राप्त	छात्रवृत्तियां स्वीकृत	प्रार्थना-पत्र प्राप्त	छात्रवृत्तियां स्वीकृत
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१९५१-५२	३२३१	१६०४	९११	५७५	४०८२	६५५	८२२४	२८३४
१९५२-५३	३८६५	३४०४	११७१	१०९३	५८२०	१९४७	१०८५६	६४४४
१९५३-५४	६५६०	५९५४	१७७९	१५८७	१०६६६	४३९३	१९००५	११९३४
१९५४-५५	११२५४	१००३४	२६७३	२३५६	२१४७५	८२६८	३५४०२	२०६५८
१९५५-५६	१८२६५	१६०८१	३४१८	२८८३	३६७११	१२४८७	५८३९४	३१४५१
१९५१-५२ से १९५५-५६ तक का योग	४३१७५	३७०७७	९९५२	८४९४	७८७५४	२७७५०	१३१८८१	७३३२१
१९५६-५७	२२३१०	२१५२५+	३८४६	३५०५+	३७९६४	१४२३०+	६४१२०	३९२६०+

+आंकड़े संशोधित होने वाले हैं।

परिशिष्ट १७

तालिका नं० १

विभिन्न राज्यों की अन्यान्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों के शुल्क में छूट देने के विषय में विवरण

१—वे राज्य जिन्होंनें अन्यान्य पिछड़ी जाति के बिद्यार्थियों को शिक्षा की प्रत्येक स्थिति में शुल्क में छूट देनें के लिये स्वीकृति दी है :—

(१) जम्मू तथा काश्मीर
(२) राजस्थान
(३) भोपाल
(४) दिल्ली
(५) विन्ध्य प्रदेश

२—वे राज्य जिन्होंने आंशिक रूप मे छूट देने की स्वीकृति दी है :—

१. आन्ध्र — शिक्षा की प्रत्येक स्टेज में आधे शुल्क की छूट दी गई है।

२. बम्बई — प्रथम डिग्री कोर्स तक शुल्क में छूट दी गई है।

३. मध्य प्रदेश — सरकारी कालेजों में १५ प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं तथा जिन अन्यान्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों का नाम इन सुरक्षित स्थानों पर लिखा जाता है, उन्हें शिक्षा शुल्क की छूट दी जाती है। संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश १९५० तथा संविधान (अनुसूचित आदिमजाति) आदेश १९५० में उल्लिखित परिगणित जाति तथा आदिमजाति के विद्यार्थी, जो अनुसूचित क्षेत्र में नहीं रहते हैं, उन्हें शिक्षा की प्रत्येक स्थिति में शिक्षा शुल्क से छूट दी गई है।

४. मदरास — मैट्रिक के बाद की शिक्षा की स्थिति में आधे शुल्क की छूट दी जाती है।

५. पंजाब — पंजाब यूनिवर्सिटी (कैम्प) कालेज, नई दिल्ली तथा पंजाब के व्यवसायिक कालेजों के अतिरिक्त स्वीकृत पाठशालाओं तथा सम्बन्धित कालेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छूट दी गई है।

६. उत्तर प्रदेश — केवल विशेष क्षेत्रो में रहने वाले थारू जाति तथा कोरी जाति के विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क की छूट दी गई है।

७. पैप्सू — केवल बागड़िया, कहार, घोसी, बुनकर, लालबेगी, धोबी, लोबाणा, मोहातम, हाशी तथा रेगड़ जाति के विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क की छूट दी गई है।

८. त्रिपुरा — केवल सरकारी संस्थाओं में ही शिक्षा शुल्क से छूट दी जाती है।

३—जो राज्य अन्यान्य पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क में छूट नहीं देते :—

(१) आसाम
(२) बिहार
(३) उड़ीसा
(४) पश्चिमी बंगाल
(५) हैदराबाद
(६) मध्य भारत
(७) मैसूर
(८) सौराष्ट्र
(९) त्रावणकोर-कोचीन
(१०) अजमेर
(११) कुर्ग
(१२) हिमाचल प्रदेश
(१३) कच्छ
(१४) मणीपुर
(१५) सिकिम

परिशिष्ट १७

तालिका नं० २

विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति विद्यार्थियों को शुल्क में छूट देने के विषय में विवरण

१. **शिक्षा की प्रत्येक स्टेज में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के विद्यार्थियों को शुल्क से पूरी छूट देने की स्वीकृति जिन राज्यों ने दी है :—**

(१) आन्ध्र
(२) मध्य प्रदेश
(३) मदरास
(४) उत्तर प्रदेश
(५) जम्मू तथा काश्मीर
(६) मध्य भारत
(७) मैसूर
(८) पैप्सू
(९) राजस्थान
(१०) सौराष्ट्र
(११) अजमेर
(१२) त्रावणकोर-कोचीन
(१३) भोपाल
(१४) कुर्ग
(१५) दिल्ली
(१६) मणीपुर
(१७) कच्छ
(१८) त्रिपुरा
(१९) विन्ध्य प्रदेश

२. **जिन राज्यों ने आंशिकरूप में छूट देने की स्वीकृति दी है :—**

१. आसाम — सहायता प्राप्त सेकण्डरी स्कूलों में २० तथा ५० प्रतिशत दाखिल विद्यार्थियों में से क्रमशः अनुसचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के विद्यार्थियों को शुल्क की छूट मिलती है। कालेज की शिक्षा के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है।

२. विहार — केन्द्रीय छात्रवृत्ति पाने वाले अनुसूचित आदिमजाति के विद्यार्थियों से शिक्षा शुल्क की छूट बिहार सरकार ने हटा ली है। राज्य सरकार से दूसरे राज्यों की तरह अनुसूचित आदिमजाति के सभी विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क में छूट देने की प्रार्थना की गई है, चाहे उन्हें केन्द्रीय सरकार से छात्रवृत्ति मिलती हो या नहीं।

३. बम्बई — निम्नलिखित विषयों के अतिरिक्त राज्य सरकार पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के विद्यार्थियों को किसी प्रकार की सहायता नहीं देती :—

(१) टाटा इन्स्टीट्यूट आफ सोशल साइन्सेज

(२) एम० एस० यूनिवर्सिटी बड़ौदा की फैकल्टी आफ होम साइन्सेज, तथा

(३) ग्रेजुएट बेसिक ट्रेनिंग केन्द्र

४. उड़ीसा — मैडिकल, इन्जिनियरिंग, कृषि तथा पशु चिकित्सा आदि विषयों के अतिरिक्त शिक्षा की सभी स्टेजों म अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के विद्यार्थियों को शिक्षा-शुल्क में छूट दी जाती है।

५.	पंजाब	राज्य हरिजन कल्याण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत स्कूलों तथा सम्बन्धित कालेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क से छूट दी जाती है। फिर भी पंजाब विश्वविद्यालय (कैम्प) कालेज, नई दिल्ली तथा पंजाब के व्यवसायी कालेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क में कोई छूट नहीं दी जाती है।
६.	पश्चिमी बंगाल	राज्य सरकार ने राज्य की वर्तमान आर्थिक स्थिति में शिक्षा की किसी भी स्टेज में शुल्क में छूट देने की असमर्थता दिखलाई है।
७.	हैदराबाद	केवल पोस्ट-मैट्रिक शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का शिक्षा-शुल्क राज्य सरकार के अनुसूचित जाति ट्रस्ट-कोष से दी जाती है।
८.	हिमाचल प्रदेश	स्कूल शिक्षा की सभी स्टेजों में शुल्क में छूट दी गई है। उत्तर मैट्रिक स्तर की शिक्षा में शुल्क से छूट देने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

परिशिष्ट १८

उन संस्थाओं पर किये गये व्यय को प्रदर्शित करने वाली तालिका, जो विशेषरूप से अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए हैं।

राज्य	१९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-५४	१९५४-५५	१९५५-५६
आंध्र ...	—	—	५०,४८,१६४	४३,९२,३९७	४४,८४,०८१
आसाम ...	२८,८१,३२९	३५,७०,६०४	२६,१४२	२७,८७२	२३,५९१
बिहार ...	७,६५,७६७	९,२१,०६०	१०,१६,७७९	१३,६४,९०३	११,९०,४७४
बम्बई ...	४,७३,४६३	—	—	—	—
मध्य प्रदेश ...	१३,१६,९१३	१२,५२,१०३	१२,२३,६५०	२७,४१,८८५	३५,२१,६९५
मदरास ...	१,२१,७७,९६७	१,३२,४८,८५१	९०,०२,४६४	९४,८२,९२४	१,०६,९९,७४४
उड़ीसा ...	१८,६३,६२४	१७,६१,१२८	२२,६४,९१४	२७,५०,९९२	८२,९८,२७१
पंजाब ...	१,३५९	१८,८७६	—	—	—
उत्तर प्रदेश ...	६,०६,९९३	६,२०,८३४	५,८३,०१२	७,२१,१२१	८,४८,९५८
पश्चिमी बंगाल ...	११,१६,९६१	—	—	—	—
हैदराबाद ...	६,३८,२६४	६,९१,०९९	—	—	—
जम्मू तथा काश्मीर ...	—	—	—	—	—
मध्य भारत ...	४,७४८	१,७६७	—	—	—
मैसूर ...	३,५७,८०६	३,९८,१६३	४,८०,३६३	४,७२,०७५	४,७४,००७
पैप्सू ...	११,५२०	१२,६२७	१३,०८०	१४,१८२	—
राजस्थान ...	—	—	—	—	—
सौराष्ट्र ...	—	—	—	—	—
त्रावणकोर-कोचीन ...	—	—	—	—	—
अजमेर ...	—	—	—	—	—
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप	१,२५,४२९	—	२,०८,१२६	—	२,१९,३९६
भोपाल ...	—	—	—	—	—
बिलासपुर ...	—	—	—	—	—
कूर्ग ...	†	८,७१८	१०,६९६	१०,१०३	१२,१४७
दिल्ली ...	—	—	—	—	—
हिमाचल प्रदेश ...	—	—	—	—	—
कच्छ ...	—	—	—	—	—
मणीपुर ...	१५,४३,०७८	१३,५१,४२१	२४,१८,५५२	२२,३५,२८३	५,९६८
उत्तर-पूर्वी-सीमा एजेंसी	—	—	—	६,९८,२५२	९,६५,२५२
त्रिपुरा ...	१,८६,०३३	३,८६,५३२	३,७९,८५५	२,११,४५५	२,६१,०९९
विन्ध्य प्रदेश ...	१७,६७०	२४,३३०	२३,८०५	३२,२१७	२३,१२५
योग	२,४०,८८,९२४	२,४२,६८,११३	२,२६,९९,६०२	२,५१,४७,६६१	३,१०,२७,८०८

† प्राप्त नहीं है

परिशिष्ट १६

तालिका नं० १

भारत सरकार की विदेश छात्रवृत्तियों के लिए निर्धारित योग्यता वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों तथा उनको प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को प्रदर्शित करनेवाली तालिका

पिछड़े वर्गों की श्रेणी	विद्यार्थियों से प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या, जो विदेशी छात्रवृत्तियों के के लिए निर्धारित योग्यता रखते थे।			विद्यार्थियों की संख्या, जिन्हें छात्र-वृत्तियां मिली			विदेशी छात्रवृत्तियों पर किया गया कुल व्यय		
	१९५४-५५	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५४-५५	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५४-५५	१९५५-५६	१९५६-५७
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
							(रुपये)	(रुपये)	
अनुसूचित जातियां	१२	१०	१६	२	३	४	४७४६	२३१४४	प्राप्त नहीं
अनुसूचित आदिमजातियां	६	१५	१७	२	४	४	९३२८	२१५२४	
अन्य पिछड़े वर्ग	४९	४३	७४	२	५	४	९६६१	३४६५३	
योग	६७	६८	१०७	६	१२ †	१२ ×	२३७३५	७९३२१	

† एक अनुसूचित आदिमजाति का विद्यार्थी बिना कोर्स पूरा किये ही वापस आ गया है।

× एक अनुसूचित जाति तथा एक अनुसूचित आदिमजाति के विद्यार्थी ने निजी कारणों से छात्रवृत्ति स्वीकार करने से इन्कार कर दिया और १ अनुसूचित जाति, १ अनुसूचित आदिमजाति तथा १ अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी विदेश में नहीं गये हैं।

परिशिष्ट १६

तालिका नं० २

भारत सरकार के मंत्रालयों की विदेश योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को दी गई विदेश छात्रवृत्तियों की संख्या

वर्ष	योजना का नाम	स्वीकृति हुई छात्रवृत्तियों की संख्या		
		अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिमजातियां	अन्य पिछड़े वर्ग
१	२	३	४	५
१९४९-५०	केन्द्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना	—	—	१
१९५३-५४	केन्द्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना	—	—	१
	इण्डो-जर्मन औद्योगिक सहकारिता योजना	—	—	१
१९५४-५५	केन्द्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना	—	—	१
	इण्डो-जर्मन औद्योगिक सहकारिता योजना	—	—	२
	कोलम्बो योजना खाद्य कला विज्ञान	—	—	१
१९५५-५६	केन्द्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना	—	—	२†
	कला विज्ञान सहकारिता मिशन का भगिनीभाव सम्बन्धी कार्यक्रम	—	—	१
	कोलम्बो योजना	१	—	
१९५६-५७	इण्डो-जर्मन औद्योगिक सहकारिता योजना	—	—	१
	योग	१	—	११

† दो विद्यार्थियों में से एक बिना कोर्स पूरा किये ही भारत वापस आ गया।

परिशिष्ट १९

तालिका नं० ३

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विदेश में अध्ययन के लिए जानेवाले विद्यार्थियों को दिये गये प्रवासी/द्वितीय श्रेणी के सामुद्रिक यात्रा व्यय की विगत,को प्रदर्शित करने वाली तालिका, जो उन विद्यार्थियों को दिया गया, जिन्होंने विदेशी सरकारों अथवा भारत सरकार से किसी अन्य योजना के अन्तर्गत श्रेष्ठता के आधार पर छात्रवृत्तियां प्राप्त कीं (इनमें यात्रा व्यय सम्मिलित नहीं है)।

पिछड़े वर्गों की श्रेणी	प्रवासी/सामुद्रिक द्वितीय श्रेणी के यात्रा-व्यय के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या			
	१९५३-५४	१९५४-५५	१९५५-५६	१९५६-५७
१	२	३	४	५
अनुसूचित जातियां	३	कुछ नहीं	१	१
अनुसूचित आदिमजातियां	१	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
अन्य पिछड़े वर्ग	कुछ नहीं	११	१५	११
योग	४	११	१६	१२

विद्यार्थियों की संख्या जिनको प्रवासी/सामुद्रिक द्वितीय श्रेणी का यात्रा-व्यय दिया गया				कुल व्यय का (रुपयों में) योग जो प्रवासी/सामुद्रिक द्वितीय श्रेणी की यात्रा पर खर्च हुआ			
१९५३-५४	१९५४-५५	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५३-५४	१९५४-५५	१९५५-५६	१९५६-५७
६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१	कुछ नहीं	१	कुछ नहीं	१६२७	कुछ नहीं	९९९	कुछ नहीं
कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कुछ नहीं	४	४	४	कुछ नहीं	७२८१	७२४२	६९३२
१	४	५	४	१६२७	७२८१	८२४१	६९३२

परिशिष्ट १९

तालिका नं० ४

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विदेश से वापस आनेवाले विद्यार्थियों को दिये गये प्रवासी/द्वितीय श्रेणी के सामुद्रिक यात्रा-व्यय की विगत को प्रदर्शित करनेवाली तालिका, जो उन विद्यार्थियों को दिया गया, जिन्होंने विदेशी सरकारों से अथवा भारत सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत श्रेष्टता के आधार पर छात्रवृत्तियां प्राप्त कीं

(इनमें यात्रा-व्यय सम्मिलित नहीं है)

पिछड़े वर्गों की श्रेणी	प्रवासी/द्वितीय श्रेणी के यात्रा-व्यय के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या		विद्यार्थियों की संख्या जिनको प्रवासी/सामुद्रिक द्वितीय श्रेणी का यात्रा व्यय दिया गया		कुल व्यय का रुपयों में योग जो प्रवासी/सामुद्रिक द्वितीय श्रेणी की यात्रा पर व्यय हुआ	
	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५५-५६	१९५६-५७
१	२	३	४	५	६	७
अनुसूचित जातियां	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
अनुसूचित आदिमजातियाँ	कुछ नहीं	१	कुछ नहीं	१	कुछ नहीं	प्राप्त नहीं
अन्य पिछड़े वर्ग	२	२	२	२	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
योग	२	३	२	३	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं

परिशिष्ट '२०

तालिका नं० १

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों की संख्या को प्रदर्शित करने वाली तालिका, जिनको योजना के आरम्भ से पब्लिक स्कूलों में अध्ययन के लिए भारत सरकार—पब्लिक स्कूलों से श्रेष्ठता के आधार पर छात्रवृत्तियां मिली हैं

वर्ष	पब्लिक स्कूलों में श्रेष्ठता के आधार पर छात्रवृत्तियां प्राप्त करने के लिए आये आवेदन पत्रों की संख्या				पब्लिक स्कूलों में भारत सरकार द्वारा सुरक्षित छात्रवृत्तियों की संख्या				स्वीकृत की गई छात्रवृत्तियों की कुल संख्या							
									भारत सरकार द्वारा				पब्लिक स्कूलों द्वारा			
	कुल संख्या (अनु० जातियों, अनु० आदिम-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों सहित)	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां	अन्य पिछड़े वर्ग	कुल संख्या (अनु० जातियों, अनु० आदिम-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों सहित)	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम-जातियां	अन्य पिछड़े वर्ग	कुल संख्या (अनु० जातियों, अनु० आदिम-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों सहित	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम-जातियां	अन्य पिछड़े वर्ग	कुल संख्या (अनु० जातियों, अनु० आदिम-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों सहित)	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम-जातियां	अन्य पिछड़े वर्ग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१९५३-५४	९००	——प्राप्त नहीं——			प्रति वर्ष एक लाख रुपये के मूल्य की	प्रतिवर्ष लगभग १७५००) के मूल्य की			२८	८	२	१	२९	—	—	—
१९५४-५५	३९०५	——प्राप्त नहीं——							४१	५	कुछ नहीं	६	२४	७	कुछ नहीं	१
१९५५-५६	३५००	५०	११	४९					५२	१	कुछ नहीं	४	१८	१	कुछ नहीं	१
१९५६-५७	३४५०	१००	१०	१३५					——सूचना प्राप्त नहीं है——							

नोट :—१. पब्लिक स्कूलों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकारों तथा पब्लिक स्कूलों द्वारा सुरक्षित छात्रवृत्तियों की संख्या के विषय में सूचना प्राप्त नहीं है।

२. राज्य सरकारों द्वारा पब्लिक स्कूलों में अध्ययन के लिए दी गई छात्रवृत्तियों की संख्या के विषय में सूचना प्राप्त नहीं है।

परिशिष्ट २०

तालिका नं० २

योजना के प्रारम्भ से भारत सरकार द्वारा पब्लिक स्कूलों में अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को श्रेष्ठता के आधार पर दी गई छात्रवृत्तियों पर हुए व्यय को प्रदर्शित करने वाली तालिका

वर्ष	पब्लिक स्कूलों में अध्ययन के लिए श्रेष्ठता के आधार पर दी गई छात्रवृत्तियों पर हुआ कुल व्यय			
	अनु० जातियों, अनु० आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों समेत	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम-जातियां	अन्य पिछड़े वर्ग
१	२	३	४	५
१९५३-५४	३२३५५-०-०	१२९५०-०-०	कुछ नहीं	कुछ नहीं
१९५४-५५	८९७४८-०-०	४७००-०-०	कुछ नहीं	७४१५-०-०
१९५५-५६	७३८२०-०-०	११५२०-०-०	कुछ नहीं	१४४९८-०-०
१९५६-५७	१०१९४८-५-६	†५७६०-०-०	कुछ नहीं	†७२४९-०-०

† ये आंकड़े दिसम्बर १९५६ तक के प्राप्त हैं।

नोट :—राज्य सरकारों तथा पब्लिक स्कूलों द्वारा किए गये व्यय के विषय में सूचना प्राप्त नहीं है।

परिशिष्ट

तालिका नं०

पिछड़े वर्गों के लिए कृषि योजनाओं पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुए तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित

क्र० सं०	राज्य का नाम	अनुसूचित आदिमजातियां		अनुसूचित जातियां	
		प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना
१	२	३	४	५	६
१.	आन्ध्र ...	१७,५२,८९७	२४,०६,३५०	—	—
२.	आसाम ...	२०,१५,००६	३१,५२,१००	—	—
३.	बिहार ...	१,५१,२०,९९०	२५,३३,५००	अप्राप्त	८,२५,०००
४.	बम्बई ...	६,०६,४०३	१९,९९,७५०	४,२८,६६९	—
५.	मध्य प्रदेश ...	—	१४,७३,०००	—	—
६.	मदरास ...	३३,७८४	—	—	१७,००,०००
७.	उड़ीसा ...	२३,७३,८७३	१५,५३,०००	—	—
८.	पंजाब ...	२,०५,५०८	८,२७,३००	—	—
९.	उत्तर प्रदेश ...	अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं		१,३०,०००	—
१०.	पश्चिमी बंगाल ...	१०,६०,७३६	१४,१९,८००	—	—
११.	हैदराबाद ...	—	२,८५,०००	अप्राप्त	४,५९,०००
१२.	जम्मू तथा काश्मीर ...	अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं		अप्राप्त	—
१३.	मध्य भारत ...	२७,५९२	१०,८४,९००	अप्राप्त	—
१४.	मैसूर ...	—	९,१५,०००	—	४०,५०,०००
१५.	पैप्सू ...	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं		—	—
१६.	राजस्थान ...	१७,१०,४५३	१४,००,०००	—	—
१७.	सौराष्ट्र ...	१३,२२०	—	६४,६००	१,७१,२५०
१८.	त्रावणकोर-कोचीन ...	—	—	—	—
१९.	अजमेर ...	५८,०२३	२,९६,२५०	४,९००	१५,०००
२०.	भोपाल ...	४,७५,१२०	५,४६,२५०	—	२,३७,५००
२१.	कुर्ग ...	—	९९,७५०	३०,३१६	—
२२.	दिल्ली ...	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं		अप्राप्त	—
२३.	हिमाचल प्रदेश ...	१४,६१०	४,०८,२२१	—	२३,७५०
२४.	कच्छ ...	३२,४९०	४७,५००	—	४७,५००
२५.	मणिपुर ...	१,८१,१४७	१०,५६,०००	—	—
२६.	त्रिपुरा ...	९,१७,०००	८,००,०००	—	—
२७.	विन्ध्यप्रदेश ...	—	—	—	—
२८.	पाण्डेचरी ...	अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं		—	१,००,०००
	योग	२,६५,९८,८५२	२,२२,९३,६७१	६,५८,४८५	७६,२९,०००

२१

१

व्यय के तुलनात्मक अध्ययन को प्रदर्शित करने वाली तालिका

विमुक्त जातियां		अन्य पिछड़े वर्ग		योग	
प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना
७	८	९	१०	११	१२
३३,६१०	—	अप्राप्त	अप्राप्त	१७,८६,५०७	२४,०६,३५०
विमुक्त जातियाँ नहीं हैं		अप्राप्त	अप्राप्त	२०,१५,००६	३१,५२,१००
४,६१०	—	—	१८,२८,७५०	१,५१,२५,६००	५१,८७,२५०
२,४३,३१६	४,७५,०००	—	१६,१०,२५०	१२,७८,३८८	४०,८५,०००
विमुक्त जातियां नहीं हैं		—	—	—	१४,७३,०००
१,५८,४४२	२२,८६,०००	१६,६४४	—	२,०८,८७०	३९,८६,०००
१,६५.४५६	२,७६,३००	—	—	२५,३९,३२९	१८,२९,३००
२९,०००	९५,०००	—	—	२,३४,५०८	९,१२,३००
२२,८५,०००	८,००.०००	५०,०००	८,००,०००	२४,६५,०००	१६,००,०००
—	—	—	—	१०,६०,७३६	१४,१९,८००
—	९५,०००	—	—	—	८,३९,०००
विमुक्त जातियां नहीं हैं		—	—	—	—
—	—	—	—	२७,५९२	१०,८४,९००
—	२,१८,५००	—	—	—	५१,८३,५००
—	—	—	—	—	—
—	—	—	१९,००,०००	१७,१०,४५३	३३,००,०००
—	१,०९,२५०	—	—	७७,८२०	२,८०,५००
विमुक्त जातियां नहीं हैं		—	—	—	—
१५,३९४	१७,०००	—	४६,०००	७८,३१७	३,७४,२५०
—	—	—	—	४,७५,१२०	७,८३,७५०
विमुक्त जातियां नहीं हैं		—	—	३०,३१६	९९,७५०
—	—	—	—	—	—
विमुक्त जातियाँ नहीं हैं		२७,११६	—	४१,७२६	४,३१,९७१
—	१४,२५०	—	—	३२,४९०	१,०९,२५०
विमुक्त जातियां नहीं हैं		—	—	१,८१,१४७	१०,५६,०००
विमुक्त जातियाँ नहीं हैं		—	—	९,१७,०००	८,००,०००
७८,०००	५०,०००	—	—	७८,०००	५०,०००
—	—	—	—	—	१,००,०००
३०,१२,८२८	४४,३,३००	९३,७६०	६१,८५,०००	३,०३,६३,९२५	४,०५,४३,९७१

परिशिष्ट

तालिका नं०

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कृषि योजनाओं

होने वाले तुलनात्मक व्यय को

क्रम संख्या	राज्य का नाम	अनुसूचित आदिमजातियाँ			अनुसूचित जातियाँ		
		राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग	राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग
१	२	३	४	५	६	७	८
१.	आँध्र ...	२४०६३५०	—	२४०६३५०	—	—	—
२.	आसाम ...	३१५२१००	—	३१५२१००	—	—	—
३.	बिहार ...	१८३३५००	७०००००	२५३३५००	—	८२५०००	८२५०००
४.	बम्बई ...	१९९९७५०	—	१९९९७५०	—	—	—
५.	मध्य प्रदेश ...	१४७३०००	—	१४७३०००	—	—	—
६.	मद्रास ...	—	—	—	—	१७०००००	१७०००००
७.	उड़ीसा ...	१४२५०००	१२८०००	१५५३०००	—	—	—
८.	पंजाब ...	३१७३००	५०९०००	८१७३००	—	—	—
९.	उत्तर प्रदेश ...	अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं			—	—	—
१०.	पश्चिमी बंगाल ...	१२९५८००	१२४०००	१४१९८००	—	—	—
११.	हैदराबाद ...	२८५०००	—	२८५०००	—	४५९०००	४५९०००
१२.	जम्मू तथा काश्मीर ...	अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं			—	—	—
१३.	मध्य भारत ...	१०८४९००	—	१०८४९००	—	—	—
१४.	मैसूर ...	६६५०००	२५००००	९१५०००	२८५००००	१२०००००	४०५००००
१५.	पैप्सू ...	अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं			—	—	—
१६.	राजस्थान ...	१४०००००	—	१४०००००	—	—	—
१७.	सौराष्ट्र ...	—	—	—	७१२५०	१०००००	१७१२५०
१८.	त्रावणकोर-कोचीन ...	—	—	—	—	—	—
१९.	अजमेर ...	२९६२५०	—	२९६२५०	१५०००	—	१५०००
२०.	भोपाल ...	५४६२५०	—	५४६२५०	२३७५००	—	२३७५००
२१.	कुर्ग ...	९९७५०	—	९९७५०	—	—	—
२२.	दिल्ली ...	अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं			—	—	—
२३.	हिमाचल प्रदेश ...	४०८२२१	—	४०८२२१	२३७५०	—	२३७५०
२४.	कच्छ ...	४७५००	—	४७५००	४७५००	—	४७५००
२५.	मणीपुर ...	७१००००	३४६०००	१०५६०००	—	—	—
२६.	त्रिपुरा ...	६५००००	१५००००	८०००००	—	—	—
२७.	विन्ध्य प्रदेश ...	—	—	—	—	—	—
२८.	पाण्डेचरी ...	अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं			—	१०००००	१०००००
	योग	२००९५६७१	२१९८०००	२२२९३६७१	३२४५०००	४३८४०००	७६२९०००

२१
२

पर राज्य सैक्टर तथा केन्द्रीय सैक्टर से
प्रदर्शित करने वाली तालिका

विमुक्त जातियाँ			अन्य पिछड़े वर्ग			योग		
राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग	राज्य सैक्टर के अर्न्तगत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग	राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग
९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
—	—	—	—	—	—	२४०६३५०	—	२४०६३५०
विमुक्त जातियाँ नहीं हें			पिछड़े वर्गों के लिए कोई योजना नहीं है			३१५२१००	—	३१५२१००
—	—	—	१८२८७५०	—	१८२८७५०	३६६२२५०	१५२५०००	५१८७२५०
४७५०००	—	४७५०००	१६१०२५०	—	१६१०२५०	४०८५०००	—	४०८५०००
—विमुक्त जातियाँ नही हैं——			—	—	—	१४७३०००	—	१४७३०००
१६३६०००	६५००००	२२८६०००	—	—	—	१६३६०००	२३५००००	३९८६०००
१२६३००	१५००००	२७६३००	—	—	—	१५५१३००	२७८०००	१८२९३००
९५०००	—	९५०००	—	—	—	४१२३००	५०००००	९१२३००
८०००००	—	८०००००	८०००००	—	८०००००	१६०००००	—	१६०००००
—	—	—	—	—	—	१२९५८००	१२४०००	१४१९८००
९५०००	—	९५०००	—	—	—	३८००००	४५९०००	८३९०००
—विमुक्त जातियाँ नहीं हैं——			—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	१०८४९००	—	१०८४९००
२१८५००	—	२१८५००	—	—	—	३७३३५००	१४५००००	५१८३५००
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	१९०००००	—	१९०००००	३३०००००	—	३३०००००
१०९२५०	—	१०९२५०	—	—	—	१८०५००	१०००००	२८०५००
—विमुक्त जातियाँ नहीं हैं——			—	—	—	—	—	—
१७०००	—	१७०००	४६०००	—	४६०००	३७४२५०	—	३७४२५०
—	—	—	—	—	—	७८३७५०	—	७८३७५०
—विमुक्त जातियाँ नहीं हैं——			—	—	—	९९७५०	—	९९७५०
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—विमुक्त जातियाँ नहीं हैं——			—	—	—	४३१९७१	—	४३१९७१
१४२५०	—	१४२५०	—	—	—	१०९२५०	—	१०९२५०
—विमुक्त जातियाँ नहीं हैं——			—	—	—	७१००००	३४६०००	१०५६०००
—विमुक्त जातियाँ नहीं हैं——			—	—	—	६५००००	१५००००	८०००००
५००००	—	५००००	—	—	—	५००००	—	५००००
—विमुक्त जातियाँ नहीं हैं——			—	—	—	—	१०००००	१०००००
३६३६३००	८०००००	४४३६३००	६१८५०००	—	६१८५०००	३३१६१९७१	७३८३०००	४०५४३९७१

परिशिष्ट
तालिका नं

कृषि योजनाओं पर १९५६-५७ में राज्य सैक्टर तथा केन्द्रीय

क्र० सं०	राज्य का नाम	अनुसूचित आदिमजातियां			अनुसूचित जातियां		
		राज्य सेक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग	राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रिय सैक्टर अन्तर्गत	योग
१	२	३	४	५	६	७	८
१.	आंध्र	१८१२२	१९०००	३७१२२	—	—	—
२.	आसाम	१५८००	—	१५८०००	—	—	—
३.	बिहार	२५५९९०	१७६८००	४३२७९०	—	१६५०००	१६५०००
४.	बम्बई	३३८२२८	—	३३८२२८	—	—	—
५.	मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—	—
६.	मदरास	२४०००	—	२४०००	—	६४००००	६४००००
७.	उड़ीसा	२५७०००	—	२५७०००	—	—	—
८.	पंजाब	६००००	५३३००	११३३००	—	—	—
९.	उत्तर प्रदेश	अनुसूचित आदिम जातियां नहीं हैं			१५००००	५१०००	२०१०००
१०.	पश्चिसी वंगाल	२७५१४०	—	२७५१४०	—	—	—
११.	हैदरावाद	५०८९७	—	५०८९७	—	१८६६००	१८६६००
१२.	जम्मू तथा काश्मीर	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं			अप्राप्त	अप्राप्त	—
१३.	मध्य भारत	९२१५०	—	९२१५०	१२५०००	—	१२५०००
१४.	मैसूर	१२६०००	५००००	१७६०००	—	—	—
१५.	पैप्सू	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं			पृथक आंकड़े प्राप्त नहीं हैं		
१६.	राजस्थान	३१८१००	—	३१८१००	—	—	—
१७.	सौराष्ट्र	—	—	—	१५०००	२००००	३५०००
१८.	त्रावणकोर-कोचीन	१४४०००	—	१४४०००	—	—	—
१९.	अजमेर	३०६२५	—	३०६२५	—	—	—
२०.	भोपाल	१५०००	—	१५०००	५००००	—	५००००
२१.	कुर्ग	२७०००	—	२७०००	३५००	—	३५००
२२.	दिल्ली	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं			—	—	—
२३.	हिमाचल प्रदेश	३४२५०	२०००	३६२५०	३१०००	—	३१०००
२४.	कच्छ	—	२५०००	२५०००	२६०००	—	२६०००
२५.	मणीपुर	१०३७६२	—	१०३७६२	—	—	—
२६.	त्रिपुरा	११७०००	२७३०००	३९००००	—	—	—
२७.	विन्ध्य प्रदेश	१०००००	—	१०००००	—	—	—
२८.	पाण्डेचरी	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं			अप्राप्त	अप्राप्त	—
	योग	२५४५२६४	५९९१००	३१४४३६४	३९९५००	१०६२६००	१४६२१००

२१

३

सैक्टर के अन्तर्गत हुए तुलनात्मक व्यय को प्रदर्शित करने वाली तालिका

विमुक्त जातियां			अन्य पिछड़े वर्ग			योग		
राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग	राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग	राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग
९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
७८००	—	७८००	—	—	—	२५९२२	१९०००	४४९२२
विमुक्त जातियां नहीं हैं			———पिछड़ें वर्ग नहीं हैं———			१५८०००	—	१५८०००
३८८२२	—	३८८२२	३८५००	—	३८५०००	६७९८१२	३४१८००	१०२१६१२
६८५००	—	६८५००	१५४०००+७००००	—	१५४०००+७००००	६३०७२८	—	६३०७२८
विमुक्त जातियां नहीं हैं			अप्राप्त	—	—	—	—	—
५३९५००	२१००००	७४९५००	१४०००	—	१४०००	५७७५००	८५००००	१४२७५००
१७१६०	३००००	४७१६०	अभी तक कोई योजना स्वीकृत नहीं हुई है			२७४१६०	३००००	३०४१६०
१५०००	—	१५०००	—पिछड़े वर्ग नहीं हैं—			७५०००	५३३००	१२८३००
५४२१००	—	५४२१००	५००००	—	५००००	७४२१००	५१०००	७९३१००
—	—	—	—	—	—	२७५१४०	—	२७५१४०
६३५८	४८८००	५५१५८	—	—	—	५७२५५	२३५४००	२९२६५५
विमुक्त जातियां नहीं हैं			१००००	—	१००००	१००००	—	१००००
—	—	—	—	—	—	२१६१५०	—	२१६१५०
अप्राप्त	अप्राप्त	—	—	—	—	१२६०००	५००००	१७६०००
———प्रथक आंकड़े नहीं हैं———								
—	—	—	३६८२५०	—	३६८२५०	६८६३५०	—	६८६३५०
—	—	—	—	—	—	१५०००	२००००	३५०००
विमुक्त जातियां नहीं हैं			—	—	—	१४४०००	—	१४४०००
अप्राप्त	अप्राप्त	—	—	—	—	३०६२५	—	३०६२५
—	—	—	—	—	—	६५०००	—	६५०००
विमुक्त जातियां नहीं हैं			२००००	—	२००००	५०५००	—	५०५००
विमुक्त जातियां नहीं हैं			—पिछड़े वर्ग— नहीं हैं			—	—	—
विमुक्त जातियों के लिए कोई प्रथक योजना नहीं			अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई योजना नहीं है			६५२५०	२०००	६७२५०
—	—	—	—	—	—	२६०००	२५०००	५१०००
विमुक्त जातियां नहीं हैं			—	—	—	१०३७६२	—	१०३७६२
विमुक्त जातियां नहीं हैं			—	—	—	११७०००	२७३०००	३९००००
९५००	—	९५००	—पिछड़े वर्ग नहीं हैं—			१०९५००	—	१०९५००
विमुक्त जातियां नहीं है			—पिछड़े वर्ग नहीं हैं—			—	—	—
१२४४७४०	२८८८००	१५३३५४०	१०७१२५०	—	१०७१२५०	५२६०७५४	१९५०५००	७२११२५४

परिशिष्ट

तालिका नं०

प्रथम पंचवर्षीय योजना तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि कार्यक्रम में प्राप्त ।

क्र०सं०	राज्य का नाम	अनुसूचित आदिमजातियाँ		अनुसूचित जातियाँ	
		प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना
१	२	३	४	५	६
१.	आन्ध्र	१०० एकड़ भूमि सुधारी गई तथा १७० आदमी बसाये गये	३ प्रयोग और ३ प्रदर्शन फार्म स्थापित करना तथा ३०० पर्वत निवासियों की कृषि में प्रशिक्षण देना	—	—
२.	आसाम	१० प्रदर्शन फार्म स्थापित किये गये, ४६ आदमियों को प्रशिक्षण दिया गया, कृषि के लिए ४६ छात्र-वृत्तियाँ दी गईं, ३११२ सिंचाई योजनाएँ हाथ में ली गईं, ६५ कृषि इमारतें बनाई गईं तथा १०९८७ एकड़ भूमि ट्रैक्टर से जोती गई ।	११ प्रदर्शन फार्म खोले जायेंगे और १०८७० एकड़ भूमि सुधारी जायेगी ।		
३.	बिहार	८३०० सिंचाई योजनाएं हाथ में ली गईं, ५ एकड़ भूमि में फलों की खेती की गई, ७२५ पौधे बाँटे गये तथा बाँध बनाने का सर्वे किया गया ।	केन्द्रीय संचालित योजनाओं के अन्तर्गत १४०० परिवारों को सहायता दी जायेगी। राज्य सैक्टर के अन्तर्गत प्राप्त किये जाने वाले ध्येय मालूम नहीं ।	नहीं भेजा गया	केन्द्रीय संचालित योजनाओं के अन्तर्गत आदमियों (संख्या मालूम नहीं) को सहायता दी जायेगी । राज्य सैक्टर के अन्तर्गत प्राप्त किये जाने वाले ध्येय मालूम नहीं ।

२१

४

प्राप्त होने वाले लक्ष्यों को प्रदर्शित करने वाली तालिका

विमुक्त जातियां		अन्य पिछड़े वर्ग	
प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना
७	८	९	१०
३ कुएं खोदे और ४९२ परिवारों को बीज इत्यादि बांटे, ३ कुओं की मरम्मत कराई, एक बस्ती में १०० आदमी बसाये।	११ कुएँ खोदे जायेंगे तथा १२० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। केन्द्रीय संचालित कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त किये जाने वाले ध्येय नहीं दिये गये हैं।	—	—
————विमुक्त जातियां नहीं————		————अन्य पिछड़े वर्गों के लिए योजनाएँ नहीं————	
१२८ परिवारों को सिंचाई कर से प्रत्येक वर्ष मुक्त किया गया।			राज्य सैक्टर योजनाओं के अन्तर्गत १५ अनाज भण्डार खोले जायेंगे तथा कृषि सुविधायें दी जायेंगी।

१	२	३	४	५	६
४.	बम्बई	—	३५० कुएं खोदे जायेंगे तथा ४००० एकड़ भूमि पर बांध बांधा जायेगा।	नहीं भेजा	—
५.	मध्य प्रदेश	उपलब्ध नहीं	५० प्रदर्शन फार्म स्थापित किये जायेंगे।	—	—
६.	मदरास	१२० जोड़ी बैल खरीदे गये और बांटे गये तथा ८ आदमियों को बन्दूकें दी गईं।	— —	— —	केन्द्रीय संचालित योजना के अन्तर्गत ६००० आदमियों को कृषि सुविधायें दी जायेंगी।
७.	उड़ीसा	१५ सिंचाई योजना हाथ में ली गईं, १०४ छर्रेवाली बन्दूकें आदिवासियों को दी गईं और आदिवासियों को बस्तियों में बसाने का काम हाथ में लिया गया।	६ ताड़गुड केन्द्र स्थापित किये जायेंगे, सिंचाई योजनाएं हाथ में ली जायेंगी और ५० छर्रेवाली बन्दूकें बाँटी जायेंगी।	—	—
८.	पंजाब	७०० एकड़ भूमि सुधारी गई, २२ प्रदर्शन-प्रयोग-खंड स्थापित किये गये, सुधरी किस्म के बीज बांटे गये तथा खाद दिया गया १३१७ पौधे दिये गये और एक नमूने का फार्म स्थापित किया गया।	कृषि विकास तथा सिंचाई योजनायें हाथ में ली जायेंगी ३७०० आदमियों को बीज दिये जायेंगे तथा ४८० आदमियों को खाद इत्यादि दिया जायेगा।	—	
९.	उत्तर प्रदेश	———अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं———		२६० कृषकों को अनुदान दिया गया।	१००० कृषकों को अनुदान दिया जायेगा।
१०.	हैदराबाद	—	५०० जोड़ी बैल खरीदे तथा बांटे जायेंगे तथा ११० परिवारों को सहायता दी जायेगी।	नहीं भेजा	केन्द्रीय संचालित योजना के अन्तर्गत १०५४ परिवारों को सहायता दी जायेगी।

७	८	९	१०
—	बैल खरीदे जायेंगे और दिये जायेंगे ।	नहीं भेजे	मालूम नहीं
——————विमुक्त	जातियां नहीं हैं——————	—	—
६ कुयें खोदे गये, ५० परिवारों को सहायता दी गई तथा ३२ पम्प-सैट लगाये गये ।	२०० सिंचाई के कुयें खोदे जायेंगे तथा १३०० आदमियों को सहायता दी जायेगी ।	६० परिवारों ने लाभ उठाया तथा एक भण्डार कमरा बनाया गया ।	—
८५ परिवारों को बैल दिये गये तथा १२३ परिवारों को कृषि औजार	१२०० परिवारों को बीज और कृषि औजार दिये जायेंगे ।	—	—
७१४ आदमियों को बीज इत्यादि दिये गये	१३०० आदमियों को सहायता दी जायेगी	—	—
१००० आदमियों ने लाभ उठाया	१००० परिवारों को लाभ मिलेगा	—	—
८०००) के औजार बांटे गये	२५० परिवारों में २५० बैल बाटे जायेंगे ।	—	—

१	२	३	४	५	
११.	पश्चिमी बंगाल	१२० कृषिप्रदर्शन केन्द्र स्थापित किये गये, ५७ सिंचाई योजनाएं हाथ में ली गईं, १४ तालाब खोदे गये, २५ बीघे भूमि कृषि प्रशिक्षण के लिए कानून द्वारा प्राप्त की गई, १६६ सांड बांटे गये तथा ५२ रखे गये।	लाख की कृषि को प्रोत्साहन दिया जायेगा, तथा विकसित किया जायेगा, ३३ सिंचाई योजनायें हाथ में ली जायेंगी, १९२५ भूमि-खंड प्राप्त किये जायेंगे, १०००० मन बीज बांटे जायेंगे तथा ३० तालाब बनाये जायेंगे।	—	--
१२.	जम्मू व काश्मीर	——————अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं————		नहीं भेजा	—
१३.	मध्य भारत	कृषि विकास की सुधरी पद्धति का एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित	२५ कृषि प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।	—	—
१४.	मैसूर	उपलब्ध नहीं	७५० परिवारों को सहायता दी जायेगी।		७७५०० परिवारों को लाभ मिलेगा।
१५.	पैप्सू	——————अनुसूचित आदिमजातियां नहीं——————		—	—
१६.	राजस्थान	७३३९ कुओं की मरम्मत और बनाने के लिये सहायता दी गई।	सिंचाई के लिये १८०० कूएं तथा ५० तालाब बनाये जायेंगे	—	—
१७.	सौराष्ट्र	२३८ एकड़ भूमि में आलू की कृषि की गई।	——	कम्पोस्ट-खाद २५० हरिजनों को दिया गया तथा १४४ परिवारों को कृषि के औजार	—
१८.	त्रावणकोर कोचीन	—	—	—	—
१९.	अजमेर	५८ परिवारों को सहायता दी गई	२५० परिवारों को आर्थिक सहायता दी जायेगी और १५४ कुंए खोदे जायेंगे	कुंए खोदने के लिए १९ परिवारों को सहायता दी गई	६० कुंए खोदे जायेंगे।

७	८	९	१०
नहीं भेजा	—	...	—
———————विमुक्त जातियां नहीं———————		नहीं भजा	—
नहीं भेजा	—	नहीं भेजा	—
नहीं भेजा	९२० आदमियों को लाभ मिलेगा	नहीं भेजा	..
—	—	नहीं भेजा	—
--	—	नहीं भेजा	४५०० सिंचाई कुंए बनाये जायेंगे तथा ५० आदमियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ।
—	४०० परिवारों को आर्थिक सहायता दी जायेगी ।	—	—
———————विमुक्त जातियां नहीं———————		—	—
—	१२४ परिवारों को सहायता दी जायेगी	नहीं भेजा	२२० परिवारों को सहायता दी जायेगी

१	२	३	४	५	६
२०.	भोपाल	२०८ परिवारों को बसाया गया, ३७ नये कुंए बनाये और २० कुंओं की मरम्मत की गई	१८५ परिवार बासाये जायेंगे ।	—	१३० परिवार भूमि पर बसाये जायेंगे
२१.	कुर्ग	नहीं भेजा	२५० एकड़ भूमि सुधारी जायेगी और २०० जोड़ी जानवर बांट जायेंगे ।	८५ हल के बैल तथा ५० बोरी खल और धान खरीदे गये, २२ गूजर हल ११८ बोरी खाद तथा ५००) के पुलेट और कोकरेल (चिड़ियों) के २५ जोड़े खरीदे गये । डी० डी० टी० ४०३५ एकड़ इलायची के बागों में छिड़का गया ।	—
२२.	दिल्ली	———————अनुसूचित आदिमजातियां नहीं———————		नहीं भेजा	—
२३.	हिमाचल प्रदेश	११६३४ पौधे बांटे गये तथा २१० परिवारों को सहायता दी गई	लक्ष्य निश्चय नहीं किये गये	—	नहीं भेजा
२४.	कच्छ	२१३ परिवारों को सहायता दी गई	२५० परिवारों को सहायता दी दी जायेगी	—	२५० परिवारों को सहायता दी जायेगी
२५.	मणीपुर	६०० एकड़ भूमि कृषि में लाई गई, ७८ गांवों में सिंचाई की नालियां बनाई गईं	५ कृषि फार्म स्थापित किये जायेंगे, १०० मील भूमि की सिंचाई होगी, १२३०० एकड़ भूमि खेती में लाई जायेगी और गांवों में २४६ एकड़ भूमि पर कृषि कार्य स्थापित किये जायेंगे	—	—
२६.	त्रिपुरा	३१२४ झूमिया परिवारों को बसाया गया, २६४६ झूमिया परिवारों को सहायता दी गई ८३५६५ एकड़ भूमि कृषि में गई और १० पम्प-सैट खरीदे गये ।	निश्चित नहीं किया गया		—
२७.	विन्ध्य प्रदेश	२६७६२९ एकड़ भूमि ट्रैक्टरों से जोती गई और २६७ परिवारों को सहायता दी गई ।	—		—
२८.	पाण्डेचरी	—	..	..	२०० परिवारों को सहायता दी जायेगी

७	८	९	१०
—	—	—	—
—विमुक्त जातियां नहीं—		—	—
नहीं भेजा	—	—	—
—	—	६८½ जरीब पानी की नालियां खोदी गईं, कृषि औजार और बीज बांटे गये।	—
—	७५ परिवारों को सहायता दी जायेगी	नहीं भेजा	—
—विमुक्त जातियां नहीं—		नहीं भेजा	—
—विमुक्त जातियां नहीं—		—	—
५९८ परिवारों को सहायता दी गई	१०० परिवारों को सहायता दी दी जायेगी	नहीं भेजा	—
—विमुक्त जातियां नहीं—		—	—

परिशिष्ट २२

तालिका नं० १

भिन्न-भिन्न राज्यों में प्रयोग की जाने वाली स्थान परिवर्ती कृषि तथा इस समस्या को हल करने के लिए उठाये जाने वाले कदम ।

आन्ध्र प्रदेश

आन्ध्र प्रदेश में स्थान परिवर्ती कृषि आदिवासियों द्वारा जैसे श्रीकाकुलम जिले में कोया, गड़वा, कोंडाधोरा, सवरा और माली, एजेंसी क्षेत्र में बागटा, कम्मारा, कोंडाडोरा और बाल्मीकि, विशाखापटनम जिले में-गडवा, मन्नाधोरा, रेना, पोरजा कोंडाकापुर कोटिया और कंध, पूर्वी गोदावरी जिले में-कोया, कोंडा, कापु, कोंडारेडडी, कोंडाघोरा, कोंडा, कम्मारा, नायका और गडवा और पश्चिमी गोदावरी जिले में कोया, कोंडा रेड्डी द्वारा की जाती है। पोडू के दो प्रकारों में से जिनमें पहाड़ी लोग काम करते हैं 'चिलका पोडु, का जो कि समतल भूमि पर होती है विरोध नही किया जा सकता क्योंकि जिस भूमि पर यह की जाती है वह अधिक उपजाऊ नहीं हैं। दूसरे प्रकार का पोडू "कोंडा पोडू" या "पहाड़ी पोडू" है जिसका पहाड़ी ढलानों में प्रयोग किया जाता है, वास्तव में विरोध करने योग्य है। स्थान परिवर्ती कृषि मुख्यत: पश्चिमी गोदावरी जिले के पोलावरम तालुक में पूर्वी गोदावरी जिले के भद्राचलम, रामपचोदावरम और येल्लावरम तालुक में स्थित है। इस राज्य में स्थान परिवर्ती खेती के आंकड़े अथवा अनुमानित आंकड़े भी प्राप्त नहीं हो सके हैं, क्योंकि यह लगभग १९,२०,००० एकड़ भूमि के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। परन्तु अनुमानितरूप से यह कहा जा सकता है कि इस राज्य में प्रति वर्ष लगभग ९,६५,००० एकड़ भूमि का क्षेत्रफल कृषि के काम में लाया जाता है। स्थान परिवर्ती कृषि करने वाले आदिवासियों की संख्या लगभग दो लाख है। विशेष एजेंसी विकास अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में जो मद्रास सरकार को पेश की गई थी, सरकार से आदिवासियों को "पाडू" कृषि करने की बुरी आदत से छुटकारा दिलाने की शिफारिश की है। इस प्रकार की कृषि की रोक करने के लिए तथा आदिवासियों को इससे छुटकारा दिलाने के लिए १० प्रतिशत पहाड़ी ढलानों में प्रचार कार्य करना चाहिए। जहां कहीं सम्भव हो उन्हें खेती करने के लिए वसाहत योजना के अन्तर्गत भूमि दी जानी चाहिए। सिंचाई की सुविधाएं दी जानी चाहिएं, तकावी के रूप में धन उधार दिया जाना चाहिए, आदि आदि। विशेष ऐजेंसी विकास अधिकारी की सिफारिश पर आधारित राज्य सरकार ने १९५४-५५ में ३० पहाड़ियों को प्रदर्शन मिस्त्री का प्रशिक्षण देने की योजना स्वीकृत की है। ३० पहाड़ी लोगों को इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रदर्शन केन्द्र को आवश्यकता पड़ने पर स्वीकृत ढंग से खेती करने के लिए प्रदर्शन मिस्त्री आदिवासियों में से ही प्राप्त हो सकें, प्रशिक्षिण देने की स्वीकृति दी है। १९५५-५६ में भी स्वीकृति ढंग से कृषि करने के लिए ३० पहाड़ियों को प्रशिक्षण देने की योजना स्वीकृत की जा चुकी है। श्रीकाकुलम जिले के सीतमपेट, और कुम्मालक्ष्मीपुरम में बीजों को वितरण करने के लिए दुकानें खोली गई हैं। "पोडू', या स्थान परिवर्ती खेती के कारण मचकुन्ड उपजाऊ क्षेत्र की पहाड़ी ढलानें बंजर हो गई हैं तथा इसी प्रकार मचकुन्ड परियोजना का मिट्टी के ढेर से पट जाना भी विचारणीय है। इसकी रोकथाम करने के लिये इस राज्य में १९५६-६१ के अंतर्गत भूमि संरक्षण योजना के ऊपर ४·७५ लाख रुपये व्यय किये जायेंगे। मद्रास सरकार द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी ने लगभग ४८,३०० एकड़ भूमि के क्षेत्रफल में ३४ स्थानों पर जहां कि लगभग ५,७८० परिवार बसाये जा सकते हैं, बस्ती बसाने की सिफारिश की है। १९५३-५४ और १९५४-५५ में पश्चिमी गोदावरी जिले के जिलूगुमिल्ली और पूर्वी गोदावरी जिले के पोचावरम, कन्नावरम, और अमिन्दाबाद में चार बस्ती निर्माण योजनाएं बनाई गई हैं और २,८७५ एकड़ भूमि में २८७ पहाड़ी आदिवासी परिवारों को बसाया गया है।

२. द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य सैक्टर में स्थान परिवर्ती कृषि पर नियंत्रण करने की योजना पर ५४.६२ लाख रुपये की धन राशि दी गई है। योजना के समय के अन्तर्गत ७.६० लाख रुपये की धन राशि की सहायता से ३०० पहाड़ी लोगों को खेती में प्रदर्शन मिस्त्री का प्रशिक्षण देने, सुधारी हुई कृषि प्रणाली की आदिवासियों को शिक्षा देने के लिए ३ प्रदर्शन केन्द्र खोलने तथा ३ छोटी कृषि योजना प्रारम्भ करने का निश्चय किया है। १९५६-५७ में १८००० रुपये ६०० पहाड़ी लोगों को प्रदर्शन मिस्त्रियों को शिक्षा देने के लिए व्यय किये गये हैं। द्वितीय योजना के अन्तर्गत चार अन्य वस्ती निर्माण योजनाएं—ताजंगि, माम्पाकिंचुवाणीपालम, गुज्जुमामीदिबालासा और कुड्डापल्ली में ६००० एकड़ भूमि का विकास करने के लिए आरम्भ को जायेगी तथा इस समय के अन्दर १२,२७,४०० रुपये व्यय करके ८०० परिवार वसाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय संचारित योजना के अन्तर्गत ८.०० लाख रुपये श्रीकाकुलम जिले के गुम्मालदमीपुरम, चिनागोरा, दासपुरम मन्दासा और सालूर में ६ वस्ती निर्माण योजनाओं पर व्यय किये गये तथा करनूल जिले के चैन्चू क्षेत्र में ४०० परिवारों को बसाने के लिए प्रति परिवार ३००० रुपये के हिसाब से व्यय करना निश्चित किया है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा १९५६-५७ में १८५ परिवारों को राज्य में बसाने के लिए २,१२,५०० रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं।

आसाम

आसाम में स्थान परिवर्ती कृषि लगभग ५,०८,८०० एकड़ भूमि में अनुमानतः ९,७९,००० आदिवासियों द्वारा जो गारो, मिकिर कचारी, नागा, मीज़ो, खासी जैन्तिया, लालुंग, चकमा, आदि जातियों से सम्बन्ध रखते हैं, की जाती है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

जिले का नाम	स्थान परिवर्ती कृषि के लिए वार्षिक काटा हुआ क्षेत्रफल (एकड़ों में)	स्थान परिवर्ती कृषि पर निर्वाह करने वाली जन-संख्या
१—गारो पहाड़ी जिला	८०,०००	१,९०,०००
२—संयुक्त मिकिर और पश्चिमी कचार पहाड़ी जिला	४८,०००	१,९०,०००
३—मीज़ो जिला	७६,८००	१,८०,०००
४—नागा पहाड़ियाँ	८०,०००	२,००,०००
५—संयुक्त कचार और जैन्तियाँ पहाड़ियाँ	१,२८,०००	३,००,०००
६—कामरूप, नौमोंग, कचार जिलों के पहाड़ी मैदानों में	९६ ०००	अप्राप्त
जोड़	५,०८,८००	९,७९,०००

२. ऊपर बताये गये पाँच जिलों की समस्या विशेष कर गम्भीर है क्योंकि ये वे भाग हैं जहाँ मुख्यतः कृषि होती है और जहां सम्पूर्ण आदिवासी जनसंख्या झूमिंग अथवा स्थान परिवर्ती कृषि पर अपना जीवन निर्वाह करती है। लगभग दो एकड़ वन भूमि जो कि मुख्यतः पहले बासों के वनों के रूप में परिवर्तित की गई थी, दिसम्बर से फरवरी के मध्य तक बड़े बड़े पेड़ों के अतिरिक्त पूर्णतः साफ कर दी गई और फरवरी के अन्त में अथवा मार्च के आरम्भ में अब वह सूख गई तो उसमें आग लगा दी गई। पहले वर्ष में पहाड़ी धान, लम्बे रेशेवाली कपास, मिर्च तथा ट्रैपियोका के साथ बोये गये। बहुत से आदिवासी एक ही भूमि को एक वर्ष कृषि के काम में लाते हैं जबकि अन्य दो वर्ष तक काम में लाते हैं। दूसरे वर्ष केवल पहाड़ी धान बोये जाते हैं। एक ही भूमि को खेती के काम म लाने के लिए घनी आबादी में तीन वर्ष का अवकाश दिया जाता है जब कि कम आबादी वाले भाग में ७ वर्ष का अवकाश दिया जाता है। प्रायः दोनों का अनुपात ५ वर्ष हो सकता है।

३. १९५३ में भारत सरकार ने राज्य में फैली हुई स्थान परिवर्ती कृषि की रिपोर्ट देने के लिए तथा उस समस्या को वैज्ञानिक रीति से सुलझाने के लिए साधनों की सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञों की एक टोली की नियुक्ति की। १५०० मील के क्षेत्रफल में निरीक्षण करने पर टोली इस निर्णय पर पहुँची कि जहाँ कहीं सम्भव हो सके "झूमिंग" खेती को ढलवां खेती में परिवर्तित कर दिया जाय। "चलती फिरती" खेती स्वयं इतनी भयंकर नहीं समझी जाती है अथवा पूर्णतः नष्ट भी नहीं हो सकती। विशेषज्ञों के दल ने खोज की कि "झूम" में बीज बोने के बिल्कुल साथ ही साथ या उसके तुरन्त पश्चात् भूमि पर वन लगाने चाहिए ताकि एक विशेष समय के अन्दर हरियाली हो जाय। एक लम्बे समय के पश्चात् "झूम कृषि" करना कोई हानिकारक नहीं है। वनस्पति की हरियाली भूमि में नमी स्थिर रखने, जमीन की उपजाऊ शक्ति को रखने के लिए तथा वर्षा काल में पानी की तेज धारा के प्रवाह से ढलानों की उर्वरा शक्ति को वहने से रोकने में सहायता देती है। "झूम" की भूमि पर वन लगाने के लिये स्थान ध्यानपूर्वक चुनना चाहिए। यह आसानी से बढ़ाई जा सके, ८ या १० वर्ष के काल में पूरा हो जाये तथा इस समय के अन्दर वह भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाने में सहायक हो सके। वनस्पति की ये शर्तें पूर्णरूप से पूरी हो गई हैं, विशेषज्ञों के अनुसार इस पर खेती करने का मुख्य हल "झूम" की नस्ल को बढ़ाना है। छाल उतारने का कार्य आदिवासियों के लिए बहुत लाभप्रद है तथा यह उनकी आर्थिक स्थिति को भी सुधारता है। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञों ने संयोजित कृषि करने तथा अर्थोत्पादक उपज जैसे कपास, मिर्चें, सुपारी, इलायची टैक्सपट, काली मिर्च तथा फल जैसे संतरा, अनन्नास और वाणिज्य उपज जैसे लेमन घास तथा पारारवड़ आदि की फसल उत्पन्न करने की शिफारिश की है। कुछ लोगों ने इस कृषि का हल ढलवा कृषि बतलाया है। परन्तु यह आसाम में सफल नहीं हो सकता क्योंकि जब तक ये ढलवां क्षेत्र ठीक रूप से नहीं सींचे जायेंगे तब तक खाद्य उपज इन क्षेत्रों में नहीं उग सकती। आसाम के कुछ भागों में सिंचाई की सम्भावना बहुत कम है क्योंकि वर्ष भर पानी पहुँचाने के साधन सूख जाते हैं तथा जो पानी बाँधों द्वारा पहुंचाया जाता है, वह अपर्याप्त होता है। राज्य में स्थान परिवर्ती कृषि की समस्या का एक यह हल निकाला गया है कि प्रदर्शन केन्द्रों की स्थापना करके आदिवासियों को इस बात को दिखाया जाय कि उन्हें स्थान परवर्ती कृषि द्वारा खाद्य उपज बढ़ाने की अपेक्षा अर्थोत्पादक फसलें जैसे काली मिर्चें, रबड़ और छालदार वृक्ष अधिक मात्रा में उत्पन्न करने चाहियें। इसके साथ साथ अपने एक या दो वर्ष में स्थान परिवर्ती खेती द्वारा जो उर्वरा शक्ति कम हो रही थी, उसको रोकने के लिए आदिवासियों को कुछ उपाय जैसे—अस्थाई बन्ध लगाना, नलाई, कटाई का प्रदर्शन कराया जा रहा है ताकि वे एक या दो वर्ष तक की जाने वाली कृषि को अब तीन या चार वर्ष तक कर सकें।

(४) आसाम सरकार ने १९५४ के आरम्भ में गारो पहाड़ी जिले के भिन्न-भिन्न भागों में तीन प्रदर्शन केन्द्रों की स्थापना करके एक छोटी कृषि योजना को चालू किया है। इन केन्द्रों में सुधारी हुई भूमि की उपयोगिता को प्रदर्शित किया गया जिनमें पहाड़ी ढलानों और चोटियों पर वनों को उगाना, काफी की कृषि करना, काजू तथा काली मिर्च की खेती करना भी सम्मिलित है तथा पहाड़ी ढलानों पर बन्ध बांध कर भूमि की उर्वरा शक्ति को रोकने का ढंग भी प्रदर्शित किया गया। इन प्रदर्शनियों से आदिवासी जनता में एक विशेष दिलचस्पी तथा उत्साह उत्पन्न हुआ है। गारो पहाड़ी जिले में प्राप्त ३,००० एकड़ भूमि में से १७१.५ एकड़ भूमि १९५४-५६ में प्रदर्शन कार्य के लिए प्रयोग की गई। १९५४ के अन्त में इन अच्छे परिणामों से उत्साहित होकर ६ प्रदर्शन केन्द्र—३ मिकिर पहाड़ियों में २ मीजों जिले में खोलने की स्वीकृति दे दी है और वे तभी से कार्य कर रहे हैं।

(५) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में स्थान परिवर्ती खेती की योजना ने विचारणीय उन्नति की है और इस कार्य के अन्तर्गत ५,५९,९०१ रुपये की धनराशि अब तक व्यय की जा चुकी हैं। वास्तव में चावल की स्थायी खेती करने के लिए आसाम में उपयुक्त भूमि नहीं है। नष्ट न होने वाली अर्थोत्पादक फसलों को उगाने के लिए छोटी कृषि योजना गारो हिल, मिकिर हिल, तथा लुशाई हिल में चालू की गई है। ५५० एकड़ क्षेत्रफल वाले भाग में १६ केन्द्रों की स्थापना की गई तथा पहाड़ी ढलानों पर काफी, काली मिर्च, काजू, पारारबड़, लेमन घास, छालदार वृक्ष लगाये गये। पहाड़ी लोग इन अर्थोत्पादक फसलों को उगाने में विशेष रुचि ले रहे हैं तथा खाद्य उपज जैसे धान आदि को पहाड़ी ढलानों में उगाने के भी उनकी विशेष रुचि हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में स्थान परिवर्ती कृषि खेती की रोकथाम करने के लिए ७१.२५ लाख रुपये की लागत से एक ठोस कार्यक्रम बनाने का निश्चय किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत ९,८५,६०० एकड़ भूमि सम्मिलित की जायेगी। जहां कहीं 'झूम' की कृषि को बन्द नहीं किया जा सकता, वहां उनकी बुराइयों को रोकने के लिए १०० एकड़ भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से २०० केन्द्र खोलने का निश्चय किया गया है।

बिहार

बिहार में सिंहभूम जिले के ढालभूम सब-डिविजन में १५,००० खड़िया, दुमका, पाकुर, राजमहल और गोड्डा डामिन भागों में १,००,००० माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया और सन्थाल परगना के हिजला प्रदेश के मसालिया और रानी बहाल बनों में ४० और ३९७ एकड़ भूमि क्रमशः स्थान परिवर्ती कृषि के प्रयोग में लाई जाती है। रांची और जशपुर (मध्य प्रदेश) जिले के सीमा प्रदेश में कोरवा लोग भी इस प्रकार की कृषि बहुतायत से करते हैं। मानभूम जिला तो सिंहभूम जिले के ढालभूम प्रदेश में खड़िया लोग इस प्रकार की खेती करने के आदि हैं। पहाड़ी खडिया जो कि स्थान परिवर्ती कृषि करते हैं वे वनों के भागों को कुल्हाड़ी द्वारा साफ करते हैं। कटे हुए वृक्ष मकान बनाने, इमारतें बनाने तथा ईंधन और अन्य कार्यों के प्रयोग में लाये जाते हैं। जड़ों तथा तने को आग से जला दिया जाता है। कुछ समय के अन्दर ही इस प्रकार सब पेड़ के भाग जल कर राख बन जाते हैं। इस प्रकार जो भूमि साफ की जाती है उसे कुदाली से एक सा किया जाता है। जब वर्षा ऋतु आरम्भ होती है तो मक्का, बाजरा तथा सरसों बोई जाती है। वर्षा काल में फसलें उगती हैं तथा पूरी पकने पर काट ली जाती हैं। पहले पहाड़ी खड़िया एक या दो वर्ष के पश्चात् नई भूमि साफ करते थे। परन्तु आजकल कड़ी देखभाल होने के कारण बनों को अव्यवस्थित रूप से नहीं काटा जाता है। इसलिए एक ही खेत लगभग अनुपाततः ३ या ४ वर्ष तक काम में लाया जाता है। वर्षा आरम्भ होने से पहले पहाड़िया लोग 'घांगरा' के बीजों को जमीन में बो देते हैं तथा जब उनका अंकुर १ फुट ऊंचा हो जाता है तो बहुत से आदमियों को बुलाकर उस भूमि को अंकुरों को काटकर साफ कर दिया जाता है। आगामी वर्ष वे डंठलों को जला देते हैं और मक्का की फसल उगाते हैं तथा तीसरे वर्ष बाजरे की फसल बोई जाती है। जहां कहीं ऊपर बताया हुआ ढंग पूरा हो जाता है तो उस भूमि को वन उगाने के लिए छोड़ दिया जाता है। बहुत वर्षों (८ से १० तक) के पश्चात् यदि पहला 'कुराउद' स्थान पर दुबारा वन लगाया गया है तो वही पहले वाली रीति अपनाई जाती है अन्यथा भूमि बंजर छोड़ दी जाती है। इस प्रकार की कृषि का स्थानीय नाम 'कुराऊ है'। भूमि का एक भाग ही ८-१० वर्ष तक खेती के काम में लाया जाता है, परन्तु किसी किसी दशा में इसका समय इससे भी अधिक हो सकता है। स्थान परिवर्ती कृषि वाले भागों में मक्का, सेम, घांगरा, बाजरा, तथा छोटी छोटी दालें आदि उगाई जाती हैं।

२. आरम्भ में मानभूम जिले में १० खड़िया परिवारों को बसाया गया तथा प्रत्येक परिवार को ५½ बीघा भूमि खेती करने के लिए और घर बसाने के लिए दी गई तथा घर बनाने के लिए सामान खरीदने, बैल तथा खेती के औजार खरीदने के लिए आर्थिक

सहायता दी गई । १९५२-५३ में ५० खड़िया परिवार बसाये गये । १९५४-५५ में १२० और परिवार इसी जिले में बसाये गये । ये सब परिवार सिंहभूमि जिले के चांदपुर तथा हालूधानी बस्तियों में बसाये गये १९५५-५६ के वर्ष में राज्य सरकार ने मानभूम तथा सिंहभूम जिलों में १०५ खड़िया परिवारों को बसाने का निश्चय किया तथा इस योजना को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चालू रखने की स्वीकृति दे दी । १९५४-५५ में खड़िया परिवारों की अन्य सार्वभौमिक योजना के अन्तर्गत खड़िया परिवारों को संथाल परगना के पाकुर डामिन क्षेत्र में जो कि परेरकोला के पास है १०० एकड़ भूमि के एक ब्लाक में बसाया गया ।

३—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ५०० खड़िया परिवार तथा अन्य आदिवासियों को जो कि राज्य में स्थान परिवर्ती कृषि करते हैं, बसाने के लिये १५,८६,५०० रुपये की धन राशि व्यय करने के लिए स्वीकृत की गई । भारत सरकार द्वारा स्वीकृत इस राशि में से १९५६-५७ में ५४,४०० रु० जो १,०८,८०० का ५० प्रतिशत भाग है ६८ परिवारों को, १,६०० रु० प्रति परिवार की दर से बसाने में व्यय करने के लिए स्वीकृत किये जा चुके हैं ।

बम्बई

बम्बई राज्य में अलीबाग, पेन, पलवल, करजत, नागोथाना क्षेत्रों को कोलाबा जिले की पहाड़ियों और डांग जिले में लगभग २५,००० आदिवासियों द्वारा प्रायः प्रतिवर्ष ७२,३०० एकड़ भूमि परिवर्ती खेती में प्रयोग की जाती है । कोलाबा जिले में स्थान परिवर्ती कृषि ठाकुरों तथा काटकरियों द्वारा की जाती है तथा डांग जिले में कुनबी, कोनकनी, वर्ली, मावची और भीलों द्वारा की जाती है । कोलाबा जिले में रैब को जलाकर की जाती है तथा उसमें पहले वर्ष नाचानी और दूसरे वर्ष में बारी उगाई जाती है । एक मौसम में दो फसलें उगाई जाती हैं तथा २ या ३ वर्ष के पश्चात वही भूमि का भाग दोबारा कृषि के काम में लाया जाता है । डांग जिला पेड़ों की कलमें लगाने की रीति को अपनाता है । जलाये हुए भाग मुख्यतः बीज उगाने के काम में लाये जाते हैं तथा जहां पेड़ों को छाया को दूर करने के लिये छाँट दिया जाता है, उस स्थान में बिना जले हुए स्थान को भरने के लिए अंकुरों को उठाकर दूसरे स्थान पर लगाया जाता है । ढाली खेती के द्वारा भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए अब काटकरियों को सहायता दी गई है और यदि यह योजना सफल हो गई, तो स्थान परिवर्ती खेती धीरे धीरे कम हो जायेगी ।

केरल

केरल के मलाबार जिले के अट्टापड़ी, आमसन बाल्लूबामद तालुक में लगभग ७ से ८ हजार आदिवासी जैसे—इरूलार, मुडुगार, और कुरूमबार वर्ष में लगभग २० से २५ हजार एकड़ भूमि में स्थान परिवर्ती खेती करते हैं । ३ से ६ वर्ष तक के उगे हुए वृक्षों को ग्रीष्म ऋतु में काटकर जला दिया जाता है । जमीन ३ इंच से ६ इंच तक जोती जाती है तथा रागी, समाई, और चोलम बोये जाते हैं । दो से तीन वर्ष तक एक ही भूमि पर कृषि की जाती है तथा तब उसे ३ से ६ वर्ष तक के लिए खाली छोड़ दिया जाता है । मलाबार जिले के कोझीकोड, कुरूमबरानद, कोट्टायाम, वाईनाद और चिरक्कल तालुके में कुरीचियन, पनियार और इरूलारों के द्वारा जिनकी संख्या लगभग १४१८ है लगभग २९,००० एकड़ भूमि पर स्थान परिवर्ती कृषि की जाती है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय चकबन्दी योजना के अन्तर्गत स्थान परिवर्ती कृषि को रोकने के लिए तथा प्रयोगात्मक कृषि योजना के लिए ९.१२ लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं । इस राशि में से १.७५ लाख रुपये १९५६-५७ में व्यय करने के लिये स्वीकृत कर दिये गये हैं ।

मध्य प्रदेश

मध्यप्रदेश में स्थान परिवर्ती कृषि द्रुग जिले के रेंगाखार, कवरधा, तारेगांव और गन्डाई क्षेत्रों में, बस्तर जिले के नारायनपुर घानडाई, अबुजमाड़, अन्तागढ़, कोरार और कांकेर क्षेत्र में, छिंदवाड़ा जिले के तमाई, डामना, और बक्ताखाया क्षेत्र में, चन्द्रा जिले के मोठे मडयन और लाहान मडयन भागों में. बालाघाट जिले के सालेवकरो, बीजागढ़, किन्नीहट्टा क्षेत्र की पूर्व ज़मीदारी में, मण्डला जिले के डिन्डोरी भाग के बैगाचक में, सुरगुजा जिले से दूरस्थ बनों में, रायगढ़ जिले के उदयपुर भाग के जलदीगा ब्लाक और कुमारटा वनों में, बिलासपुर जिले के पनडारिया, कोटा, लोरमी और लामनी भाग में और जशपुर जिले के खुड़िया, नगर और नरायनपुर भागों में इतने प्राचीन समय से आदिवासी जैसे—कोरवा, पांडो, कोरकू, बैगा, भूमिया, भरिया, मवासी, माड़िया, मझवार, गोंड, अगरिया आदि द्वारा की जाती है । इन आदिवासियों ने अपने निजी चरित्र, संस्कृति तथा रहन सहन के स्तर का विकास किया है तथा वे इससे इतने बंध गए हैं कि कोई भी परिवर्तन उनपर प्रभाव नहीं डालता है । इन आदिवासियों में कुछ आदिवासी जैसे बैगा और भूमिया

ऐसे हैं जो पृथ्वी माता के हृदय को हल से चीरना पसन्द नहीं करते हैं। आदिवासियों में बहुत से ऐसे परिवार हैं जैसे विशेषकर गोंड जो वनों से रहना छोड़कर कृषि करने योग्य स्थानों पर आ गये हैं तथा वहीं रहने लगे हैं। परन्तु रायगढ़, सरगुजा, बस्तर, मण्डला, द्रुग, छिंदवाड़ा, बालाघाट, बिलासपुर तथा जशपुर आदि जिलों के कुछ भागों में लगभग ३०,००० आदिवासी हैं जो अब भी स्थान परिवर्ती कृषि करते हैं। लगभग ४४,००० एकड़ भूमि वार्षिक आदिवासियों द्वारा काट ली जाती है।

स्थान परिवर्ती कृषि जोकि बैगाओं के द्वारा की जाती है। स्थानीय भागाओं में "बेवार" नाम से पुकारी जाती है। खेती करने के लिए प्रायः साधारण ऊंचाई की पहाड़ी चोटियों पर घनी वनस्पति वाला भाग चुना जाता है। प्रत्येक परिवार मार्च, अप्रैल के मध्य में २ से ५ एकड़ भूमि साफ करते हैं। साफ की हुई घास पेड़ आदि एक स्थान में इकट्ठा करके सुखा दिए जाते हैं तथा उनमें वर्षा होने से कुछ पहले आग लगा दी जाती है। इस प्रकार भूमि कूड़े करकट से साफ हो जाती है। साफ किये हुए गड्ढों में ज्वार, बाजरा तथा दालें बोई जाती हैं। प्रथम वर्ष में बैगा प्रायः बहुत अच्छी फसलें पैदा करते हैं। वही पहली भूमि अगले दो वर्षों तक काम में लाई जाती है।

स्थान परिवर्ती कृषि करने के पश्चात भूमि १० से २० वर्ष तक खाली छोड़ दी जाती है। अन्य प्रकार की भिन्न स्थानीय स्थान परिवर्ती कृषि जिसको "दाही" कहते हैं, की जाती है। इसके लिए जो स्थान चुना जाता है वह समतल तथा कम ढालू होता है तथा यहां पर कम घने वृक्ष उगाये जाते हैं। घने पेड़ों की लकड़ी छांट दी जाती है तथा कटे हुए भाग में धनी फैला दी जाती है और जला दी जाती है। जलाने के बाद बखेर कर बीज बोया जाता है।

बहुत से आदिवासी क्षेत्रों में जहां कि स्थान परिवर्ती कृषि की जाती है वहां आदिवासियों को बसाने के लिए पर्याप्त मात्रा में समतल भूमि कृषि करने के लिए प्राप्त हो सकती है। जहां कहीं भी सम्भव हो सके वहां पर कृषि करने के लिए भूमि काटकर, समतल करने तथा चौकोर बना कर प्राप्त की जा सकती है। कृषि का प्रशिक्षण देना, औजार और बीज देना भी आवश्यक है।

स्थान परिवर्ती कृषि करने वाले आदिवासियों को सरगुजा तथा रायगढ़—जिले में बसाने के लिए योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। १९५३ से अक्टूबर १९५५ तक की प्रथम योजना के अंतर्गत आदिवासियों के ३२६ परिवार सरगुजा जिले तथा रायगढ जिले के १६ वनों के गांवों में बसा दिये गये हैं। बसाये हुए परिवारों में प्रत्येक परिवार को अन्य सुविधाओं जैसे-जब तक पहली फसल नहीं पकती, तब तक मुफ्त भोजन देना, तथा सामाजिक इमारतें बनवाना एवं रुपया उधार देने के अतिरिक्त उन्हें एक जोड़ी बैल, खेती के औजार, बीज तथा हल भी दिये गये हैं। बस्तर जिले में बहुत से आदिवासी परिवार भूमिहीन हैं तथा अन्य कुछ ऐसे हैं जो स्थान परिवर्ती कृषि करते हैं। बस्तर जिले में कोटा तथा बीजापुर तहसील में छोटी कृषि योजना के अन्तर्गत जो कि १९५३-५४ से १९५५ तक काम कर रही थी ऐसे १२९ परिवारों को अकेले परिवार के आधार पर ११२ केन्द्रों में बसाया गया। प्रत्येक परिवार को ५०४ रु० ८ आ० प्रति परिवार के खर्चे के अनुपात से कृषि की मुफ्त भूमि, एक जोड़ी बैल, खेती के औजार, बीज खाद और आर्थिक सहायता पहली फसल के पकने तक दी गई। अब तक बसाये हुए आदिवासी परिवारों ने १९५३-५४ और १९५४-५५ में ३,९५९ मन अनाज जिसका मूल्य लगभग ३५,५७८ रुपये आंका गया, ८८४.३९ एकड़ भूमि में उत्पन्न किया। १९५५-५६ में आदिवासियों द्वारा ४३० एकड़ भूमि जोतने का निश्चय किया गया। इसी प्रकार की योजनाओं को बिलासपुर तथा जशपुर के भागों में चालू करने का निश्चय किया गया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अगले ५ से १० वर्षों में राज्य के विभिन्न भागों में ६,००० परिवार बसाये जा सकेंगे। इन योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकार आदिवासियों को सुधारे हुए ढंग से कृषि करने की शिक्षा देने तथा जीवन स्तर को ऊंचा करने की शिक्षा देने के लिए, बस्तर जिले में चार ग्राम विकास केन्द्र चला रही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय चकबन्दी योजना पर किए जाने वाले व्यय के अतिरिक्त राज्य सैक्टर के अन्तर्गत १९.०० लाख रुपये की धन राशि मध्य प्रदेश में स्थान परिवर्ती कृषि का नियन्त्रण करने के लिए स्वीकृत की गई। उन भागों में जो पूर्व मध्य प्रदेश में स्थित थे बैगा अनुसूचित आदिवासियों द्वारा जो शहडोल और सिद्दी जिले में रहते हैं लगभग ९,०३,६८० एकड़ भूमि पर स्थान परवर्ती कृषि की जाती है। अक्टूबर १९५५ तक ४० बैगा परिवार बसाये जा चुके हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत ३,००० परिवारों को ५०० रुपये प्रति परिवार की दर से बसाने में १४.२५ लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। राज्य सरकार ने १९५६-५७ में २०० परिवारों के लिए १.०० लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की है।

मद्रास

मद्रास के अनामलाई और कोयम्बटूर जिलों में ४६ कादर, ६३ कुडुवार तथा २२ पुलयार परिवारों द्वारा लगभग ४८० एकड़ भूमि प्रति वर्ष स्थान परिवर्ती कृषि के काम में लाई जाती है। इन्हीं जिलों के उलाडी भाग में मुडुवार के १० परिवार ५० एकड भूमि प्रति वर्ष स्थान परिवर्ती कृषि के लिए प्रयोग में लाते हैं। कादर झाड़ियों को काट कर जला देते हैं तथा भूमि हाथ से ठीक करते हैं। वही भाग ५ वर्ष. के बाद खेती के काम में लाया जाता है। मुडुवार धान की खेती करते हैं तथा वही भूमि ३ या ४ वर्ष में एक बार जोती जाती है। "औ" घाटी तथा नेलाकोटा को छोड़ कर स्थान परिवर्ती खेती निलगिरी जिले के गुडालूर तालुके के सब गांवों में की जाती है। लगभग २,००० से २,५०० एकड़ भूमि प्रतिवर्ष काटी जाती है। इस भाग में यह चेट्टी तथा पहारी आदिवासी जैसे पनियार, कुरुमवार, और नायकन द्वारा की जाती है। केवल सूखी फसलों की स्थान परिवर्ती खेती की जाती है। एक ही भूमि में एक ही जैसी फसल पैदा करने के लिए ३ से ४ वर्ष तक का अवकाश छोड़ते हैं। मद्रास राज्य में लगभग २,२०० आदमी स्थान परिवर्ती कृषि कर रहे हैं।

मैसूर

मैसूर में बेलगांव जिले के कनकुम्बी, हेमाज, पाटन, खानपुर और चांदगढ़ तालुके, चांदगढ़ के घेरे के अन्दर तथा पहाड़ी भागों में लगभग १०,००० एकड़ क्षेत्र में ३,००० कुनबी लोगों द्वारा स्थान परिवर्ती कृषि की जाती है।

यह कुनबी, हालकी, बक्कल और कुमरीमराठा द्वारा कनारा जिले के सूपाबेठा, होंनावर तालूक तथा भटकल पेटा के अन्दर के पहाड़ी वनों में लगभग ४,००० एकड़ क्षेत्रफल में की जाती है। बेलगाँव जिले में १०,००० एकड़ वन भूमि इस प्रकार की कृषि से अलग रखी जाती है जिसको ८ बराबर भागों मे बाँट दिया जाता है। प्रत्येक भाग लगातार दो वर्ष जोता जाता है, पहले वर्ष नचानी और दूसरे वर्ष वारी की कृषि की जातीं है। तब दूसरा भाग तीसरे वर्ष कृषि करने के लिए काम में लिया जाता है। इस प्रकार एक खेत लगभग १६ वर्ष के बाद खेती के काम में आता है। कनारा में लगभग ४,००० एकड़ भूमि दूसरे काम के लिए रखी जाती है तथा उसको ५ वर्ष बराबर भागों में बांट दिया जाता है तथा उसको साफ करके और आग लगाकर निचानी की फसल उगाई जाती है। भूमि का एक भाग खेती के काम में ५ वर्ष के बाद आता है। मैसूर वन डिविजन के हुन्सूर, हग्गादावनकोट, कक्नकोट, वेगूराज आईनुरमारिगुडी, गुंडलापेट, बाँदीपुर और चामराजनगर के भागों में वेत्ताकुल्बार और जेनु कुल्वारों द्वारा २३० एकड़ वार्षिक भूमि पर स्थान परिवर्ती कृषि की जाती है। स्थान परिवर्ती कृषि करने वाले रागी' जिला, तिल सरसों तथा मिर्चों की फसल उगाते हैं।

उड़ीसा

उड़ीसा में स्थान परिवर्ती कृषि लगभग ९,३५,७०० आदिवासी जैसे—भूइयाँ, जुआंग, कंध, कुटिया कोंड, सवरा, जटपा पहाड़िया, गडवा और कोया द्वारा पश्चिमी उड़ीसा के क्योंझर, सुन्दरगढ़, ढेनकनाल, पालाहार, सम्बलपुर (बूमरा) और राइराखोल जिलों में और दक्षिणी उड़ीसा के गंजाम ऐजेन्सी, कलांहाडी और खरियार जिलों में और कोरापुट जिले के जयपुर भाग में लगभग ८१,७२,८०० एकड़ भूमि पर की जाती है। आदिवासियों को "पोडू" से छुटकारा दिलाने के लिए तथा उनकी अर्थिक दशा सुधारने के लिए भारत सरकार ने १९३८-४९ में आदिवासियों को नई वस्तियों में बसाने की योजना चालू की है। यह योजना बोनाई, देवगढ़, कालाहाडी, काशीपुर, राइराखोल, बलांगिर तथा बलीगुड़ा के वन-खण्डों में तथा अन्य क्षेत्र जैसे क्योंझर, ढेनकनाल, गंजाम, कोरापुट, फुलबानी और मयूरभंज, जिलों में कार्य में लाई जाती है। इस योजना का उदेश्य पहाड़ी आदिवासियों को सरकारी व्यय पर बस्तियां बना कर तथा अन्य सब प्रकार की सुविधाएं देकर स्थाई रूप से कृषि करने के लिए बसाना है। इस योजना के अन्तर्गत बैल, बीज तथा कृषि के औजार देना तथा भूमि सुधारना, मकान तथा कुएँ बनाना, सफाई, शिक्षा, तालाब, संचार, तथा सिंचाई की व्यवस्था करना है। १९५४–५५ तक ८१ बस्तियाँ बनाई जा चुकी थीं, जिनमें २४९६ परिवार बसाये गये। तब से अब तक वन विभाग के प्रयत्नों से १०० परिवारों को पहाड़ी भाग से निकाल कर कालाहांडी, पटना, बारा तथा राइराखोल डिविजन में बनाई हुई बस्तियों में बसाया गया। आदिवासी निवासियों को भी वन भूमि को सुधारने के लिए लिया गया तथा अब तक ४५,००० एकड़ भूमि सुधारी जा चुकी है। जो आदिवासी नहीं हैं उनके द्वारा स्थान परिवर्ती कृषि को नष्ट होने से बचाने के लिए वन विभाग इस समय पाँच विभागीय दुकानें इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि मनुष्यों

के प्रति दिन काम में आने वाली वस्तुएं समय पर तथा बिना खराब हुए प्राप्त हो सकें, चल रहा है। दुकानों को बढ़ाने के लिए तथा ग्राहकों को अधिक सुविधाएं देने के लिए स्थान परिवर्ती खेती में पैदा की हुई मुख्य उपजों तथा अर्थोत्पादक उपजों को इन दुकानों पर लाने का कार्य अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय संचालित योजना के अतिरिक्त ४७.८० लाख रुपये की धन राशि ४,००० आदिवासियों को भूमि पर बसाने के लिए तथा ६.९३ लाख रूपये आसाम के ढंग पर चलाने के लिए "झूम नियन्त्रण योजना" की प्रयोगात्मक खेती योजना के लिए स्वीकृत किए गये हैं। १९५६-५७ में भारत सरकार ने राज्य सरकार को ४,४७,६१४ रु० कुल व्यय होने वाले ८,९५,२२९ रु० का ५० प्रतिशत, ८०० आदिवासी परिवारों को २० वस्तियों में बसाने के लिए स्वीकृत किए हैं। कोरापुट जिले में ३,५७० एकड़ से अधिक उस लहराती हुई भूमि पर जिसपर स्थान परिवर्ती खेती की जाती है, बाँध बांधे गये हैं। ४२० एकड़ भूमि क्षेत्र में काजू तथा बाँस लगाये जाते हैं। १९५६-५७ में कन्टूर बन्ध के साथ साथ ६ मील लम्बे भाग में अगावा जिससे रस्सी बनाई जाती है, उगाया गया।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में स्थान परिवर्ती कृषि झांसी जिले के ललितपुर डिविजन में सहारिया (अनुसूचितजाति) द्वारा तथा टिहरी गढ़वाल जिले में टोन्स घाटी के ऊपरी भाग की रूपिन और सूपिन घाटियों के निवासियों द्वारा लगभग २०० एकड़ भूमि पर कृषि की जाती है। टिहरी गढ़वाल के भागों के पेड़ तथा झाड़ियां साफ कर दी गई हैं। काटे हुए पेड़ों आदि को सुखा कर ग्रीष्म ऋतु में जला दिया जाता है तथा वर्षा के बाद फसल बोई जाती है। पहली फसल पैदा करने के बाद २ या ३ वर्ष तक के लिये भूमि को घनी घास आदि उगने के लिए खाली छोड़ दिया जाता है तथा दूसरी फसल लगाने से पहले उसे काटकर जला दिया जाता है।

पश्चिमी बंगाल

पश्चिमी बंगाल में स्थान परिवर्ती कृषि जलपाइगुरी जिले में टोटो द्वारा की जाती है। भारत सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय संचालित योजना के अन्तर्गत "टोटो" के ७३ परिवारों को ३.१२ वर्गमील क्षेत्रफल में बसाने के लिए २.१८ लाख रूपये स्वीकृत किये हैं। १९५६-५७ में राज्य सरकार को २२,२०० रूपये योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए स्वीकृत किये गये हैं।

मणिपुर

मणिपुर राज्य में स्थान परिवर्ती कृषि राज्य के पहाड़ी भागों में आदिवासी, जैसे-कुकी, अंगामी, टांगखुल, मारिंग, काबूई और काचा नागाओं द्वारा की जाती है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लगभग दो लाख आदिवासी जनसंख्या में से लगभग १,८२,९०९ आदिवासी स्थान परिवर्ती कृषि करते हैं। ५४,१८१ एकड़ भूमि प्रतिवर्ष स्थान परिवर्ती कृषि के काम में लायी जाती है। आदिवासी लोग स्थान परिवर्ती कृषि के लिए ऐसी भूमि को चुनते हैं जो भली भाँति वनस्पतियों से भरी हुई होती है। यहां इसे "झूम कृषि" कहते हैं। वे इस भाग को दिसम्बर या जनवरी के महीने में काट कर साफ कर देते हैं। किसी किसी स्थान को इससे एक महीना पहले ही साफ कर देते हैं। काटी हुई वनस्पति को धूप में सुखाने के लिए फैला दिया जाता है ताकि वह अप्रैल या मई के महीने में आग लगाने पर अच्छी तरह जल सके। ऐसा करने के पश्चात जमीन को कुदाली द्वारा ठीक करने का कार्य किया जाता है। जो राख जमीन पर शेष रह जाती है उसे जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए खोद कर मिट्टी में मिला दिया जाता है। तब मानसून के आरम्भ होने पर किसान लोग धान उगाने आरम्भ करते हैं। वे कभी कभी एक ही खेत को दो वर्ष तक धान उगाने के लिए प्रयोग करते हैं। वे केवल पहले साल ही भूमि को धान लगाने के काम में लाते हैं तथा दूसरे वर्ष उस भूमि पर सब्जी पैदा की जाती है। प्रत्येक वर्ष वे धान की नई भूमि चुनते हैं। वे प्रायः ऐसे वन भाग को जिसे वे अधिक उर्वरा समझते हैं तथा जहां काट कर जलाने के लिए वन की लकड़ी मिल सके कृषि के लिए चुनते हैं। इस प्रकार वे एक स्थान से दूसरे स्थान बदलते जाते हैं। वे १५ या २० वर्ष के बाद जब कि पहले जोती हुई भूमि पुनः वनस्पति से भर जाती है तो उसी भूमि पर पुनः कृषि करने लगते हैं। स्थान परिवर्ती कृषि में प्रयोग आने वाली कुल भूमि लगभग ३२,००,००० एकड़ है। स्थान परिवर्ती कृषि में धान, मक्का, सरसों, आलू, गोभी, तथा तिल की उपज उगाई जाती है।

स्थान परिवर्ती कृषि को रोकने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कोई "प्रयोगात्मक कृषि योजना" आरम्भ नहीं की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्र द्वारा संचालित योजना के आधीन ५,००० परिवारों को बसाने के लिए १०.६८ लाख रूपये रखे गये हैं। इस समय राज्य में ५ प्रदर्शन केन्द्र खोलने का भी निश्चय किया गया है।

त्रिपुरा

त्रिपुरा में लगभग ९५,५०१ आदिवासी जैसे रियांग, त्रिपुरा, कुकी, जामातिया, माग, चकमा, लुशाई, गारो आदि सदर, खोवाई, कैलाशहर, कमालपुर, धर्मनगर, उदयपुर, सोनामुरा, सबरूम, बेलोनिया और अमरपुर सब-डिविजन में लगभग १,१६,९०० एकड़ भूमि म स्थान परिवर्ती कृषि कर रहे हैं। इन आदिवासियों को स्थाई रूप से भूमि पर बसाने के लिए राज्य सरकार ने १९५३-५४ में बेलोनिया सब-डिविजन में एक प्रयोगात्मक कृषि योजना चालू की है। इस योजना के अन्तर्गत १९५४-५५ के अन्त तक ५५२ परिवारों को २ से ३ एकड़ तक भूमि दी गई। ३३९ परिवारों को बीज, बैल, औजार आदि खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी गई। बसे हुए लोगों ने फसलें उगाने के लिए वन साफ किए हैं तथा अपने निजी प्रयत्नों से ६½ मील लम्बी जीप जाने योग्य सड़क बनाई है तथा दूसरी सड़क बनाने का काम चालू है। बसे हुए लोगों को पीने के पानी की सुविधाएं देने के लिए इन बस्तियों में दस बिजली के कुंए लगाये गये हैं। बच्चों को शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार ने ५ प्राइमरी स्कूल चालू किये हैं तथा चलता फिरता औषधालय दवाई देने का कार्य कर रहा है। सिंचाई की सुविधा के लिए स्नान करने के लिए तथा इसी के साथ मछली तथा वत्तख पालने के लिए एक पहाड़ी छोटे मार्ग पर बंध बांध कर एक झील बनाई गई है। इस वर्ष उनके जानवरों का इलाज करने के लिए एक चलती फिरती पशु चिकित्सा पार्टी की स्थापना की गई। जीवन की आवश्यक वस्तुओं को सुविधा से प्राप्त करने के लिए केन्द्र में बसी हुई बस्ती में एक "सस्ते मूल्य की" दूकान खोली जा रही है। राज्य सरकार इस दुकान को जैसे ही वहां के निवासी उसके कार्य भार को सभालने का उत्तर-दायित्व ले सकेंगे, सहकारी संस्था में बदलने को सोच रही है। राज्य सरकार के प्रयत्नों ने आदिवासियों के मन में स्थिर जीवन की भावना जागृत की है और १९५५-५६ के अन्त तक ३,१२४ परिवार भूमि प्रदेश में बसाये जा चुके हैं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्य में स्थान परिवर्ती कृषि को रोकने के लिये ५७.३६ लाख रुपये रखे गये हैं। द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में ६,००० से १२,००० परिवारों को बिना लगान लिए भूमि पर बसाने का निश्चय किया है तथा उन्हें प्रति परिवार ५०० रु० देने का निश्चय किया है। इस धन में से ९.५० लाख रुपया भारत सरकार द्वारा इस शर्त पर स्वीकृत किया गया है कि ५०० रु० की राशि में से ३०० रु० की पहली किश्त बैल खरीदने पर व्यय की जाय, औजार खरीदने के लिय दिये जायं तथा यह धन उन परिवारों को दिया जाय जिनको कम से कम ३ एकड़ भूमि धान उगाने के लिए तथा ३ एकड़ भूमि तिल लगाने के लिए दी गई है। परन्तु इसकी जानकारी किसी जुम्मेवार अधिकारी के द्वारा जो "सर्किल अधिकारी" से नीचे के स्तर का न हो, की जानी चाहिए। १०० रुपये की दूसरी किश्त दूसरे वर्ष इस बात की जाँच करने पर दी जाय कि रकम दिये जाने वाले ने पिछले वर्ष भी भूमि जोती थी तथा उसको पुनः जोत रहा है एवं उसने कुछ और भूमि भी जोती है और उसने पहले स्वीकृत धन को जिस काम के लिए स्वीकृत किया गया था, उसी पर व्यय कर दिया है। १०० रु० की तीसरी किश्त तीसरे वर्ष पुनः इस बात की जाँच करने पर दी जायेगी कि वह जोती हुई भूमि को जोतना चालू रख रहा है एवं जो भूमि उसको दी गई थी उसे पूरी तरह जोता गया है। यह भी एक मुख्य बात समझी गई है कि गाँवों में जहां झूमिया बसे हुए हैं वहां पर कृषि में प्रशिक्षण पाया हुआ एक प्रशिक्षित कार्यकर्त्ता नियुक्त किया जाय ताकि वह देख सके कि वहां पर सुधारे हुए ढंग पर खेती की जुताई होती है तथा ठीक रीति से उस में उपज लगाई जाती है, उन्हें उनकी आवश्यक वस्तुऐं जैसे बीज, खाद आदि समय पर मिल जाते हैं तथा उनकी उपस्थित कठिनाइयों को पूर्णतः हल किया जाता है। प्रत्येक ग्राम्य कार्यकर्त्ता को कुछ परिवारों की स्थानीय स्थिति के अनुसार ये देख रेख करने का काम दिया जाय ताकि योजना को सफल बनाया जा सके। भारत सरकार ने भी सुझाव दिया है कि उनको अन्य सुविधायें जैसे—घर, पीने का पानी, दवाई इत्यादि देने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि उन्हें स्थाई कृषि करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। भिन्न भिन्न कल्याण योजनाओं को स्थापित करते समय इन भागों को प्रधानता दी जानी चाहिए। राज्य सैक्टर की ऊपर लिखी सुविधाओं के अतिरिक्त केन्द्र द्वारा संचालित योजना के अन्तर्गत १,४४० परिवारों को जोकि स्थान परिवर्ती कृषि करते हैं, प्रति परिवार ५०० रु० की दर से ७.२० लाख रुपये स्वीकृत किए गये हैं। भारत सरकार न रिपोर्ट के वर्ष में ५०० परिवारों के लिए २.५० लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। १९५६ के पूर्वार्ध में ७९५ परिवारों को भूमि दी गई थी, २०० रु० प्रति परिवार की दर से १०३९ परिवारों को दूसरी किश्त दी गई तथा ३११ परिवारों को ३०० रू० प्रति परिवार की दर से पहली किश्त दी गई।

परिशिष्ट

तालिका नं०

आदिवासियों को स्थान परवर्ती खेती से छुड़ाने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुए व्यय तथा प्राप्त लक्ष्य और द्वितीय

क्र० सं०	राज्य का नाम	प्रथम पंचवर्षीय योजना			
				आर्थिक लक्ष्य	
		आर्थिक लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य	राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय संचालित कार्यक्रम के अन्तर्गत
१	२	३	४	५	६
१	आसाम	५५९९०१	९ प्रयोग केन्द्र	७१२५०००	—
२	उड़ीसा	अप्राप्त	२४९६ परिवारों के लिए ८१ कालोनियां	४७८००००	—
३	आन्ध्र प्रदेश	अप्राप्त	४ बसाहत योजानाएं शुरू की गई	२४६२४००	८०००००
४	मणीपुर	कुछ नहीं	कुछ नहीं	—	१०६८०००
५	बिहार	अप्राप्त	२५८ परिवारों को बसाया	१५८६५००	—

२२

२

पंचवर्षीय योजना में होनेवाले व्यय तथा प्राप्त होने वाले लक्ष्यों को प्रदर्शित करनेवाली तालिका

द्वितीय पंचवर्षीय योजना		१९५६-५७			
वास्तविक लक्ष्य		आर्थिक लक्ष्य		वास्तविक लक्ष्य	
राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय संचालित कार्य-क्रम के अन्तर्गत	राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय संचालित कार्यक्रम के अन्त-र्गत	राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय संचालित कार्यक्रम के अन्तर्गत
७	८	९	१०	११	१२
२०० प्रदर्शन केन्द्रों की स्थापना, प्रत्येक का क्षेत्र-फल १०० एकड़	—	९४२१००	—	७५० एकड़ में १५ पौध केन्द्रों की स्थापना और २२५० एकड़ में रक्षा केन्द्रों का निर्माण	—
४००० परिवारों को बसाना	—	८९५२२९	—	२० कालोनियों में ८०० परिवारों को बसाना	—
(१) ६००० एकड़ भूमि को नौतोड़ करने के लिए तथा ८०० परिवारों को बसाने के लिए ४ बसा-हत योजनाएं—१२.२७४ लाख रुपये (२) २ प्रदर्शन फार्म योजना ४.७५ लाख रुपये तथा (३) ३ प्रयोग फार्म, ३०० पहाड़ियों को मिस्त्रियों का शिक्षण देना ७.६० लाख रुपये	४४० परिवारों की ६ स्थानों पर बसाहत योज-नाएं प्रत्येक परिवार के के लिए २०००) के खर्च से	१८०००	२१२५००	६० पहाड़ियोंको मिस्त्री का प्रशिक्षण कृषि के सुधरे हुए ढंगों का	६ बसाहत योजनाएं १. गुम्मा लक्ष्मीपुरम २. चिनागोड़ा क्षेत्र ३. दासपुरम क्षेत्र ४. मण्डासा क्षेत्र ५. श्रीकाकुलम जिले में सालूर क्षेत्र ६. कर्नूल जिले में चेंचू क्षेत्र (१८५ परिवारों को लाभ)
—	५००० परिवारों का पुनर्वास और ५ प्रदर्शन केन्द्र खोलना	—	—	—	—
खड़िया और दूसरी आदिमजातियों के ५०० परिवारों का पुनर्वास	—	१०८८००	—	प्रत्येक १६००) के हिसाब से ६८ खड़िया और अन्य आदिमजाति परिवारों का पुनर्वास	—

१	२	३	४	५	६
६.	त्रिपुरा	अप्राप्त	३१२४ परिवार बसाये गये	५७३६०००	७२००००
७.	मध्य प्रदेश	अप्राप्त	३२६ परिवार बसाये गये ×	१९०००००	—
	विन्ध्य प्रदेश	अप्राप्त	४० परिवार बसाये गये ×	१४२५०००	—
८.	बम्बई	अप्राप्त	अप्राप्त	—	—
९.	मैसूर	अप्राप्त	अप्राप्त	—	—
१०.	केरल	अप्राप्त	अप्राप्त	—	९१२०००
११.	मद्रास	अप्राप्त	अप्राप्त	—	—
१२.	उत्तर प्रदेश	अप्राप्त	अप्राप्त	—	—
१३.	पश्चिमी बंगाल	अप्राप्त	अप्राप्त	—	२१८०००

× अक्तूबर १९५५ तक

७	८	९	१०	११	१२
प्रत्येक ५००) के खर्च से ६००० से १२००० परिवार भूमि पर बसाये गये	१४४० परिवारों को सहायता, प्रत्येक को ५००)	९५००००	२५००००	१९०० परिवारों की बसाहत, ५००) प्रत्येक पर खर्च	५००) प्रत्येक के हिसाब से ५०० परिवारों को सहायता
लक्ष्य निर्धारित नहीं	—	अप्राप्त	—	विवरण प्राप्त नहीं	—
प्रत्येक ५००) से ३००० परिवारों को बसाया गया	—	१०००००	—	५००) प्रत्येक पर खर्च से २०० परिवारों को फिर से बसाया गया	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	प्रयोग केन्द्र (लक्ष्य निर्धारित नहीं)	—	१७५०००	—	लक्ष्य निर्धारित नहीं (प्रयोग केन्द्र)
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	७३ परिवारों का पुनर्वास	—	२२२००	—	स्टाफ की नियुक्ति और उनके लिए क्वार्टर बनाना

परिशिष्ट

तालिका नं०

पिछड़े वर्गों के लिए गृह-उद्योग योजनाओं पर प्रथम पंचवर्षीय में होने वाले प्रस्तावित व्यय का तुलनात्मक

क्रम संख्या	राज्य का नाम	अनुसूचित आदिमजातियां		अनुसूचित जातियां	
		प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना
१	२	३	४	५	६
१.	आंध्र	५६७६३	५५६०००	—	१४०००००
२.	आसाम	२७०३०८३	४२०८६००	३९९५	२९९५००
३.	बिहार	२५०४९६	३३३७५००	अप्राप्त	२२३१२५०
४.	बम्बई	४६५४३९	९१४१६०	—	५०००००
५.	मध्य प्रदेश	—	१२२१६००	—	८५००००
६.	मद्रास	—	८३३०००	—	७५००००
७.	उड़ीसा	७१६२१	३३०५०००	३००००	६०००००
८.	पंजाब	१०३९३३	५०८०५०	१३९४८	१९००००
९.	उत्तर प्रदेश	अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं		१००४०००	४९०३०००
१०.	पश्चिमी बंगाल	८५३२६	२४८१९००	११७२७	१५७००००
११.	हैदराबाद	—	२८८८००	अप्राप्त	६१२०००
१२.	जम्मू तथा काश्मीर	अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं		अप्राप्त	३०००००
१३.	मध्य भारत	७६७४५७	२१६३८००	अप्राप्त	१५४९३५०
१४.	मैसूर	—	११४०००	—	१०७५०००
१५.	पैप्सू	अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं		३५८०००	१००४०००
१६.	राजस्थान	१७९१५६	४०००००	—	१५४००००
१७.	सौराष्ट्र	—	७२००००	१३४४००	९५०००
१८.	त्रावणकोर-कोचीन	—	३३३०००	—	२७६००००
१९.	अजमेर	—	५१५४२०	४४४४८	४२६२००
२०.	भोपाल	—	४७५००	२९५००	९५०००
२१.	कुर्ग	—	२३७५०	१०९२६	४७५००
२२.	दिल्ली	अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं		अप्राप्त	३८००००
२३.	हिमाचल प्रदेश	८०४७	७४२५००	४९९८	६३०५००
२४.	कच्छ	५८२७	१२५०००	३७०५०	—
२५.	मणीपुर	३९७२१	२०६०००	—	२५००
२६.	त्रिपुरा	६३१४	४७५०००	६०००	७५०००
२७.	विन्ध्य प्रदेश	—	३३००००	—	७५००००
२८.	पाण्डेचरी	अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं		—	११८७५०
	योग	४७४३१८३	२३८५०८०	१६८८९९२	२४७५४५५

२३

१

योजना में हुए और द्वितीय पंच वर्षीय योजना
अध्ययन प्रदर्शित करने वाली तालिका

विमुक्त जातियां		अन्य पिछड़े वर्ग		योग	
प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीग्र योजना	प्रथम पंचवर्षीग्र योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना
७	८	९	१०	११	१२
३५६	—	अप्राप्त	अप्राप्त	५७११९	१९५६०००
विमुक्त जातियाँ नहीं हैं		अप्राप्त	अप्राप्त	२७०७०७८	४५०८१००
१६०९०	—	—	९५००००	२६६५८६	६५१८७५०
३५३४५३	१५७७००	—	२०५२००	८१८८९२	१७७७०६०
विमुक्त जातियाँ नहीं हैं		—	—	—	२०७१६००
३३१२९	१८६५०००	—	—	३३१२९	३४४८०००
२०३८५	३००००	३६७५०	—	१५८७५६	३९३५०००
—	१४९१५०	—	—	११७८८१	८४७२००
२३५०००	—	१४१०००	१००००००	१३८००००	५९०३०००
—	—	—	—	९७०५३	४०५१९००
—	—	११४४४५	६६५००	११४४४५	९६७३०३
विमुक्त जातिगाँ नहीं हैं		—	१५००००	—	४५००००
—	२०००००	—	—	७६७४५७	३९११३१५०
—	—	—	—	—	११८९०००
—	१५०००	—	१३९०००	३५८०००	११५८०००
२०६७३	१०००००	—	२७५०००	१९९८२९	२३१५०००
११००	—	४३००	५४२५००	१३९८००	१३५७५००
विनुक्त जातियां नहीं है		—	—	—	३०९३०००
—	८४७२०	—	७००००	४४४४८	१०९६३४०
—	—	—	—	२९५००	१४२५००
विमुक्त जातियाँ नही हैं		—	—	१०९२६	७१२५०
—	—	—	—	—	३८००००
विमुक्त जातियां नहीं हैं		५५८५	—	१८६३०	१३७३०००
२१००	—	—	१०९२५०	४४९७७	२३४२५०
विमुक्त जातियां नहीं हैं		—	१५०००	३९७२१	२२३५००
विमुक्त जातियाँ नहीं हैं		—	—	१२३१४	५५००००
—	—	—	—	—	१०८००००
—	—	—	—	—	११८७५०
६८२२८६	२६०१५७०	३०२०८०	३५२२४५०	७४१६५४१	५४७२९११५०

परिशिष्ट

तालिका नं०

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गृह-उद्योग योजनाओं पर राज्य सैक्टर तथा केन्द्रीय सैकटर से

क्र० सं	राज्य का नाम	अनुसूचित आदिमजातियां			अनुसूचित जातियाँ		
		राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग	राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग
१	२	३	४	५	६	७	८
१	आंध्र	१९००००	३६६०००	५५६०००	—	१४०००००	१४०००००
२	आसाम	३४०८६००	८०००००	४२०८६००	१९९५००	१०००००	२२९५००
३	बिहार	२३७५००	३१०००००	३३३७५००	१५६२५०	१८७५०००	२२३१२५०
४	बम्बई	१६४१६०	७५००००	९१४१६०	—	५०००००	५०००००
५	मध्य प्रदेश	५९६६००	६२५०००	१२२१६००	—	८५००००	८५००००
६	मदरास	५०६०००	३२७०००	८३३०००	—	७५००००	७५००००
७	उड़ीसा	२०४९०००	१२५६०००	३३०५०००	३०००००	३०००००	६०००००
८	पंजाब	२०८०५०	३०००००	५०८०५०	१९००००	—	१९००००
९	उत्तर प्रदेश	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं		—	१७४४०००	३१५९०००	४९०३०००
१०	पश्चिमी बंगाल	१५४०९००	९४१०००	२४८१९००	५७००००	१००००००	१५७००००
११	हैदराबाद	२८८८००	—	२८८८००	—	६१२०००	६१२०००
१२	जम्मू तथा काश्मीर	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं			३०००००	—	३०००००
१३	मध्य भारत	१२९५८००	८६८०००	२१६३८००	४४९३५०	११०००००	१५४९३५०
१४	मैसूर	११४०००	—	११४०००	४७५०००	६०००००	१०७५०००
१५	पेप्सू	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं		—	२५४०००	७५००००	१००४०००
१६	राजस्थान	४०००००	—	४०००००	६०००००	९४००००	१५४००००
१७	सौराष्ट्र	९५०००	६२५०००	७२००००	९५०००	—	९५०००
१८	त्रावणकोर-कोचीन	—	३३३०००	३३३०००	—	२७६००००	२७६००००
१९	अजमेर	३६५४२०	१५००००	५१५४२०	३२६२००	१०००००	४२६२००
२०	भोपाल	४७५००	—	४७५००	९५०००	—	९५०००
२१	कुर्ग	२३७५०	—	२३७५०	४७५००	—	४७५००
२२	दिल्ली	अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं		—	३८००००	—	३८००००
२३	हिमाचल प्रदेश	१४२५००	६०००००	७४२५००	२३०५००	४०००००	६३०५००
२४	कच्छ	—	१२५०००	१२५०००	—	—	—
२५	मणीपुर	१७००००	३६०००	२०६०००	२५००	—	२५००
२६	त्रिपुरा	१७५०००	३०००००	४७५०००	७५०००	—	७५०००
२७	विन्ध्य प्रदेश	—	३३००००	३३००००	३२५०००	४२५०००	७५००००
२८	पाण्डेचरी	अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं		—	११८७५०	—	११८७५०
	योग	१२०१८९८०	[illegible]	[illegible]	[illegible]	१७६२१०००	२४७५४५५०

२३

२

होने वाले तुलनात्मक व्यय को प्रदर्शित करने वाली तालिका

विमक्त जातियाँ			अन्य पिछड़े वर्ग			योग		
राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग	राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्राय सैक्टर के अन्तर्गत	योग	राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग
९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
—	—	—	—	—	—	१९००००	१७६६०००	१९५६०००
विमुक्त जातियाँ नहीं हैं			पिछड़े वर्ग नहीं हैं		—	३६०८१००	९०००००	४५०८१००
—	—	—	९५००००	—	९५००००	१५४३७५०	४९७५०००	६५१८७५०
१५७७००	—	१५७७००	२०५२००	—	२०५२००	५२७०६०	१२५००००	१७७७०६०
विमुक्त जातियाँ नहीं हैं		—	—	—	—	५९६६००	१४७५०००	२०७१६००
८१५०००	१०५००००	१८६५०००	—	—	—	१३२१०००	२१२७०००	३४४८०००
३००००	—	३००००	—	—	—	२३७९०००	१५५६०००	३९३५०००
१४९१५०	—	१४९१५०	—	—	—	५४७२००	३०००००	८४७२००
—	—	—	१००००००	—	१००००००	२७४४०००	३१५९०००	५९०३०००
—	—	—	—	—	—	२११०९००	१९४१०००	४०५१९००
—	—	—	६६५००	—	६६५००	३५५३००	६१२०००	९६७०००
विमुक्त जातियां नहीं हैं		—	१५००००	—	१५००००	४५००००	—	४५००००
—	२०००००	२०००००	—	—	—	१७४५१५०	२१६८०००	३९१३१५०
—	—	—	—	—	—	५८९०००	६०००००	११८९०००
१५०००	—	१५०००	१३९०००	—	१३९०००	४०८०००	७५००००	११५८०००
१०००००	—	१०००००	२७५०००	—	२७५०००	१४७५०००	९४००००	२३१५०००
—	—	—	५४२५००	—	५४२५००	७३२५००	६२५०००	१३५७५००
विमुक्त जातियां नहीं हैं		—	—	—	—	—	३०९३०००	३०९३०००
८४७२०	—	८४७२०	७००००	—	७००००	८४६३४०	२५००००	१०९६३४०
—	—	—	—	—	—	१४२५००	—	१४२५००
विमुक्त जातियाँ नहीं हैं		—	—	—	—	७१२५०	—	७१२५०
—	—	—	—	—	—	३८००००	—	३८००००
विमुक्त जातियां नहीं हैं		—	—	—	—	३७३०००	१००००००	१३७३०००
—	—	—	१०९२५०	—	१०९२५०	१०९२५०	१२५०००	२३४२५०
विमुक्त जातियां नहीं हैं			१५०००	—	१५०००	१८७५००	३६०००	२२३५००
विमुक्त जातियाँ नहीं हैं		—	—	—	—	२५००००	३०००००	५५००००
—						३२५०००	७५५०००	१०८००००
विमुक्त जातियाँ नहीं हैं						११८७५०	—	११८७५०
१३५१५७०	१२५००००	२६०१५७०	३५२२४५०		३५२२४५०	२४०२६१५०	३०७०३०००	५४७२९१५०

परिशिष्ट

तालिका नं०

गृह उद्योग योजनाओं पर १९५६-५७ में राज्य सैक्टर तथा केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत हुए

क्र० सं०	राज्य का नाम	अनुसूचित आदिमजातियाँ			अनुसूचित जातियां		
		राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग	राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग
१	२	३	४	५	६	७	८
१.	आंध्र ...	२२००	२००००	२२२००	—	११६०००	११६०००
२.	आसाम ...	२०४०००	—	२०४०००	१९४९४	—	१९४९४
३.	बिहार ...	५६३७१२	१५९२३२	७२२९४४	२०००००	१६८५००	३६८५००
४.	बम्बई ...	२८४७२६	—	२८४७२६	—	—	—
५.	मध्यप्रदेश ...	—	११६०००	११६०००	—	—	—
६.	मदरास ...	८७३७६	—	८७३७६	—	४४६४६६	४४६४६६
७.	उड़ीसा ...	११२३८५	५२०००	१६४३८५	४००००	१००००	५००००
८.	पंजाब ...	४००००	३६८००	७६८००	११३०००	—	११३०००
९.	उत्तर प्रदेश ...	अनुसूचित	आदिमजातियां	नही हैं	१८२१००	१२४०००	३०६१००
१०.	पश्चिमी बंगाल ...	१८६८६०	२९४१०५	४८०९६५	५४०१६	१३२५००	१८६५१६
११.	हैदराबाद ...	२६२०९	—	२६२०९	१०,०००	३४६००	४४६००
१२.	जम्मू तथा काश्मीर ...	अनुसूचित	आदिमजातियाँ	नहीं हैं	—	—	—
१३.	मध्य भारत ...	३८०९५०	१९०८९८	५७१८४८	६५५५०	—	६५५५०
१४.	मैसूर ...	२००००	—	२००००	६६००००	—	६६००००
१५.	पैप्सू ...	अनुसूचित	आदिमजातियां	नहीं हैं	— पृथक्	आंकड़े प्राप्त नहीं हैं	—
१६.	राजस्थान ...	३९०१९	—	३९०१९	४१३३०	५४४००	९५७३०
१७.	सौराष्ट्र ...	२००००	१२५०००	१४५०००	११२०००	—	११२०००
१८.	त्रावणकोर-कोचीन ...	—	२६००	२६००	—	—	—
१९.	अजमेर ...	३६२५	३००००	३३६२५	४५१४०	७५००	५२६४०
२०.	भोपाल ...	५०००	—	५०००	२००००	—	२००००
२१.	कुर्ग ...	१२०००	—	१२०००	६०००	—	६०००
२२.	दिल्ली ...	अनुसूचित	आदिमजातियाँ	नहीं हैं	—	—	—
२३.	हिमाचल प्रदेश ...	५३३४०	१११०००	१६४३४०	३६१००	—	३६१००
२४.	कच्छ ...	१५०००	—	१५०००	१०००	—	१०००
२५.	मणीपुर ...	१३२००	—	१३२००	—	—	—
२६.	त्रिपुरा ...	१८०००	१४०००	३२०००	६०००	—	६०००
२७.	विन्ध्य प्रदेश ...	—	५७५००	५७५००	—	—	—
२८.	पाण्डचेरी ...	अनुसूचित	आदिमजातियां	नहीं हैं	अप्राप्त	अप्राप्त	—
	योग	२०८७६०२	१२०९१३५	३२९६७३७	१६१११७३०	१०९३९६६	२७०५६९६

२३
३

तुलनात्मक व्यय को प्रदर्शित करने वाली तालिका

विमुक्त जातियां			अन्य पिछड़े वर्ग			योग		
राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग	राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग	राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग
९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
९९७५	—	९९७५	—	—	—	१२१७५	१३६०००	१४८१७५
विमुक्त जातियां नहीं हैं			अन्य पिछड़े वर्ग नहीं हैं			२२३४९४	—	२२३४९४
३९२९४	—	३९२९४	२०००००	—	२०००००	१००३००६	३२७७३२	१३३०७३८
१८४५२७	—	१८४५२७	६९०००	—	१८९०००	६५८२५३	—	६५८२५३
विमुक्त जातियां नहीं हैं			१२००००	—	—	—	११६०००	११६०००
७८०९८	१००००	८८०९८	अप्राप्त	—	—	१६५४७४	४५६४६६	६२१९४०
६४५७	—	६४५७	अभी तक कोई योजना स्वीकृत नहीं हुई			१५८८४२	६२०००	२२०८४२
१५००	—	१५००	अन्य पिछड़े वर्ग नहीं हैं			१५४५००	३६८००	१९१३००
५४७००	—	५४७००	५००००	—	५००००	२८६८००	१२४०००	४१०८००
	—	—	—	—	—	२४०८७६	४२६६०५	६६७४८१
५०००	४८८०	९८८०	३२००	—	३२००	४४४०९	३९४८०	८३८८९
विमुक्त जातियां नहीं हैं			—	—	—	—	—	—
—	३१०००	३१०००	—	—	—	४४६५००	२२१८९८	६६८३९८
अप्राप्त	अप्राप्त	—	—	—	—	६८००००	—	६८००००
——पंजाब में सम्मिलित हैं——			—	—	—	—	—	—
२४५४७	—	२४५४७	२८२७९	—	२८२७९	१३३१७५	५४०००	१८७५७५
१००००	—	१००००	३००००	—	३००००	१७२०००	१२५०००	२९७०००
विमुक्त जातियां नहीं हैं			—	—	—	—	२६००	२६००
अप्राप्त	अप्राप्त	—	८०००	—	८०००	५६७६५	३७५००	९४२६५
—	—	—	—	—	—	२५०००	—	२५०००
विमुक्त जातियां नहीं हैं			१६०००	—	१६०००	३४०००	—	३४०००
राज्य सरकार ने विमुक्त जातियों की कोई भी योजना नहीं भेजी			अन्य पिछड़े वर्ग नहीं हैं			—	—	—
विमुक्त जातियों के लिए पृथक योजना नहीं है			अन्य पिछड़े वर्गों के लिए योजना नहीं है			८९४४०	१११०००	२००४४०
३०००	—	३०००	—	—	—	१९०००	—	१९०००
विमुक्त जातियां नहीं हैं			—	—	—	१३२००	—	१३२००
विमुक्त जातियां नहीं हैं			—	—	—	२४०००	१४०००	३८०००
—	—	—	अन्य पिछड़े वर्ग नहीं हैं			—	५७५००	५७५००
विमुक्त जातियां नहीं हैं			अन्य पिछड़े वर्ग नहीं हैं			—	—	—
४१७०९८	४५८८०	४६२९७८	५२४४७९	—	५२४४७९	४६४०९०९	२३४८९८१	६९८९८९०

परिशिष्ट

तालिका नं०

क्रमशः प्रथम पंचवर्षीय और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुटीर उद्योगों में

क्र० सं०	राज्य का नाम	अनुसूचित आदिमजातियां		अनुसूचित जातियाँ	
		प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना
१	२	३	४	५	६
१	**आंध्र**	मुर्गी पालन तथा टोकरी बनाने में १५ आदमियों को प्रशिक्षण दिया गया	१५० आदमियों को, ४०० ईंट बनाने वालों को तथा १०० राजों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।	—	५ उत्पादन केन्द्र, ५ कपड़े बनाने के केन्द्र और २ टोकरी बनाने के केन्द्र खोले जायेंगे।
२	**आसाम**	१६२ छात्रवृत्तियाँ दी गईं, ५७१ व्यक्तियों को अनुदान दिया गया, ७१ उद्योग योजनाओं को प्रोत्साहन दिया गया ४ रेशम प्रदर्शन फार्म स्थापित किये गये तथा एक रेशम टोली स्थापित की गई।	७६० छात्रवृत्तियाँ तथा १८०० व्यक्तियों को अनुदान दिया जायेगा	चमड़ा रंगने और चमड़े का काम सीखने के लिए ४ आदमियों को छात्रवृत्तियां दी गईं तथा कुछ आदमियों को इन कामों को करने के लिए अनुदान दिया गया।	३३८ छात्रवृत्तियां तथा १९५ आदमियों को सहायता दी जायेगी। —
३	**बिहार**	कुटीर उद्योगों में प्रशिक्षण देने के लिये ६ केन्द्र स्थापित किये गये तथा १८८० व्यक्तियों को कुटीर-उद्योगों का विकास करने के लिए ऋण दिया गया।	१००० आदमियों को कुटीर उद्योगों में प्रशिक्षण दिया जायेगा, २५ प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र, १ टसर केन्द्र तथा ५ शाखा केन्द्र स्थापित होंगे।	उपलब्ध नहीं	कुटीर-उद्योगों के विकास के लिए २००० आदमियों को ऋण दिया तथा ३ लोहारगीरी, बढ़ईगीरी और चमड़ा रंगने के केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।
४	**बम्बई**	—	६ उद्योग सहकारी समितियां स्थापित की जायेंगी तथा ४८० आदमियों को प्रशिक्षण देने के लिए २ केन्द्र चालू किये जायेंगे।	—	४०० आदमियों को प्रशिक्षण देने के लिए २ केन्द्र चालू किये जायेंगे।

२३
४

प्राप्त वास्तविक लक्ष्य । प्राप्त किये जानें वाले लक्ष्यों को प्रदर्शित करनेवाली तालिका

विमुक्त जातियां		अन्य पिछड़े वर्ग	
प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना
७	८	९	१०
२० युवकों को दर्जीगीरी और बढ़ईगीरी का प्रशिक्षण दिया जायेगा।	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नही	—
——विमुक्त जातियां नहीं——	—	—	—
१२८ परिवारों ने आर्थिक लाभ उठाया	—	—	२००० आदमियों को ऋण दिया जायेगा
	एक केन्द्र स्थापित किया जायेगा तथा ४० आदमियों को ऋण दिया जायेगा	उपलब्ध नहीं	२ सिलाई स्कूल खोले जायेंगें तथा ३६० आदमियों को ऋण दिया जायेगा

१	२	३	४	५	६
५	मध्य प्रदेश	उपलब्ध नहीं	५० उद्योग-केन्द्र स्थापित किये जायेंगे, ५०० आदमियों को प्रशिक्षण और कुटीर-उद्योग चलाने के लिये ऋण दिया जायेगा	—	२५ चमड़ा उद्योग का प्रशिक्षण देने वाली टोलियां स्थापित की जायेंगी तथा ५०० आदमियों को प्रशिक्षण देने के लिये एक केन्द्र स्थापित किया जायेगा
६	मद्रास	—	१३७० आदिमियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा, ५० चरखे तथा २० मधु-मक्खी छत्ता संदूक बांटे जायेंगे। २०० युवकों को शास्त्रीय प्रशिक्षण के लिये प्रोत्साहन दिया जायेगा	—	१७०५ आदमियों को कुटीर-उद्योगों में प्रशिक्षण दिया जायेगा
७	उड़ीसा	४ मधु-मक्खी पालन केन्द्र स्थापित किये गये तथा ५४ विद्यार्थियों को उद्योग प्रशिक्षण दिया गया	४५ केन्द्र स्थापित किये जायेंगे तथा १०५० व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा	सिलाई, टोकरी बनाना, जूते बनाना जैसे छोटे उद्योगों का विकास किया गया	२५० आदमियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा कुटीर उद्योग चलाने के लिये कुछ आदमियों को (संख्या मालूम नहीं) सहायता दी जायेगी
८	पंजाब	९४ आदमियों को कुटीर उद्योगों में प्रशिक्षण दिया गया, २९ आदमियों को कुटीर-उद्योगों का अध्ययन करने के लिये सहायता दी गई और २३ बुनकरों को सहायता दी गई	२ केन्द्र स्थापित किये जायेंगे तथा ४७५ आदमियों को कुटीर-उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जायेगा	१६ आदिमियों को कुटीर-उद्योगों का प्रशिक्षण दिया गया	६५० आदमियों को कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जायेगा
९	उत्तर प्रदेश	——अनुसूचित	आदिमजातियां नहीं——	२५०० आदमियों को कुटीर-उद्योगों के विकास के लिए सहायता दी गई तथा ८७० आदमियों को शास्त्रीय प्रशिक्षण के लिये सहायता दी गई	४९७८ आदमियों को सहायता दी जायेगी, ८३० आदमियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा, ५ चलते-फिरते कुटीर-उद्योग तथा ५ योजना व प्रशिक्षण केन्द्र

७	८	९	१०
———विमुक्त जातियां	नहीं———	—	—
२ स्कूल खोले जायेंगे तथा ८० विद्यार्थियों को बढ़ईगीरी इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जायेगा	उपलब्ध नहीं	—	
—	—	—	—
—	३०० छात्रवृत्तियां दी जायेंगी, १३४ आदमियों को ऋण दिया जायेगा	—	—
—	—	- -	९०० विद्यार्थियों को कुटीर-उद्योगों में प्रशिक्षण दिया जायेगा

१	२	३	४	५	६
१०	पश्चिमी बंगाल	१२४ आदमियों को प्रशिक्षण दिया गया तथा १४५ प्रशिक्षण पा रहे हैं	१३ केन्द्र स्थापित किये जायेंगे तथा २२३० आदमियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। ६२० आदिमियों को सहायता दी जायेगी	उपलब्ध नहीं	भेजी नही
११	हैदराबाद	—	३१ केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।	उपलब्ध नहीं	२०८० आदमियों को प्रशिक्षण देने के लिए १० केन्द्र स्थापित किये जायेंगे ।
१२	जम्मू व काश्मीर	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं		उपलब्ध नहीं	६० आदमियों कौ प्रशिक्षण देने के लिए ३ केन्द्र स्थापित किये जायेंगे
१३	मध्य भारत	५ ताड़गुड़, ४ हाथ करघा, ४ मधु-मक्खी पालन, १ बढ़ईगीरी तथा १३ उद्योग शिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये और १६ मुर्गी पालन फार्म चालू किये गये ।	१२ कुटीर-उद्योग केन्द्र चालू होंगे तथा २८६ आदमियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा, ४४१ आदमियों को ऋण दिया जायेगा	उपलब्ध नहीं	बढ़ईगीरी, सिलाई लोहारगीरी और चमड़ा रंगने के लिए १४ केन्द्र स्थापित किये जायेंगे ।
१४	मैसूर	उपलब्ध नहीं	कुटीर-उद्योगों के विकास के लिए ४०० परिवारों को सहायता दी जायेगी	—	उद्योग सीखने के लिए छात्रवृत्तियाँ इत्यादि देने के अतिरिक्त ४५० व्यक्तियों को कुटीर-उद्योगों के विकास के लिए सहायता दी जायेगी ।

७	८	९	१०
भेजा नहीं	—	उपलब्ध नहीं	—
१३[illegible] आदमियों को सहायता दी गई तथा १५ सीने की मशीनें बांटी गई	—	५४६ आदमियों को उद्योग शिक्षण के लिये सहायता दी गई २ कुटीर उद्योग सहकारी समितियां चालू की गईं तथा १ आश्रम खोला गया	—
विमुक्त जातियां नहीं हैं		२ केन्द्र स्थापित किये जायेंगे तथा ४० आदमियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा	—
५ केन्द्र स्थापित किये जायेंगे	—	उपलब्ध नहीं	—
—	—	—	—

१	२	३	४	५	६
१५.	पैप्सू	—अनुसूचित आदिमजातियां नहीं—		८१८ आदमियों को शास्त्रीय शिक्षा दी गई	८४५ आदमियों को ऋण दिया जायेगा और ४०० आदमियों के प्रशिक्षण के लिए १० केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।
१६.	राजस्थान	७ ताडगुड केन्द्र स्थापित किये गये	७५० आदमियों के प्रशिक्षण के लिए १५ केन्द्र स्थापित किये जायेंगे		१११० आदमियों के प्रशिक्षण के लिए २५ केन्द्र स्थापित किये जायेंगे
१७.	सौराष्ट्र	—	५०० आदमियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा और ५०० बसाये जायेंगे, २०० आदमियों को सहायता दी जायेगी	५५ खाल उतारने तथा १० चमड़ा रंगने के स्थानों की संभाल की गई	२०० आदमियों को सहायता दी जायेगी।
१८.	त्रावणकोर-कोचीन	—	२० उद्योग केन्द्र और २० सहकारी समितियां स्थापित की जायेंगी		१० शास्त्रीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जायेंगे
१९.	अजमेर	—	२ केन्द्र स्थापित किये जायेंगे और २०० परिवारों को सहायता दी जायगी	एक शास्त्रीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया तथा १५९ आदमियों को सहायता दी गई	१ केन्द्र स्थापित किया जायेगा, ३२६ आदमियों को सहायता दी जायेगी तथा ६० मशीनें बांटी जायेंगी
२०.	भोपाल	—	कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए १०० परिवारों को सहायता दी जायेगी	१ अलंगा निर्माण समिति तथा एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए	२०० परिवारों को लाभ मिलेगा
२१.	कुर्ग	उपलब्ध नहीं	१० उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जायेगा	२४० मधु-मक्खी पालन सन्दूक खरीदे गए तथा १ हड्डी डाइजेस्टर प्लाट लगाया गया	५०० परिवारों को सहायता दी जायेगी तथा ५० आदमियों को सहायता दी जायेगी

७	८	९	१०
—	१५ युवकों को कुटीर-उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा १५ को ऋण दिया जायेगा	उपलब्ध नही	१८० युवकों को कुटीर-उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा १४० को ऋण दिया जायेगा
उपलब्ध नहीं	२१० आदमियों को प्रशिक्षण देने के लिए ४ केन्द्र स्थापित किये जायेंगे		४२० आदमियों को प्रशिक्षण देने के लिए १० केन्द्र स्थापित किये जायेंगे
२८ विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा		९३ छात्रवृत्तियां दी गई	कुटीर उद्योगों की उन्नति के लिए ३०० आदमियों को सहायता दी जायेगी और १ उद्योगशाला स्थापित की जायेगी
—विमुक्त जातियां	नहीं—	उपलब्ध नहीं	—
	२ केन्द्र स्थापित किए जायेंगे तथा १०० आदमियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा	उपलब्ध नहीं	७०० परिवार
—विमुक्त जातियाँ	नहीं—	—	—

१	२	३	४	५	६
२२.	दिल्ली	——अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं——		उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
२३.	हिमाचल प्रदेश	२०० चरखे खरीदे गये, ७५ बांटे गये, २१ मन ऊन खरीदी गई	४ केन्द्र स्थापित किये जायेंगें तथा ६०० आदमियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा	सुधरी किस्म के १०८ चरखे बांटने के लिए खरीदे गये।	२५० आदमियों को लाभ मिलेगा
२४.	कच्छ	२०४ परिवारों को सहायता दी गई	२५० परिवारों को सहायता दी जायगी	४४४ व्यक्तियों को सहायता दी गई	—
२५.	मणीपुर	५८ छात्रवृत्तियां प्रशिक्षण लेने वालों को दी गईं तथा ३ बढ़ईगीरी केन्द्र खोले गये	१९ केन्द्र स्थापित किये जायेंगे, १०० छात्रवृत्तियां दी जायेंगी तथा २० संस्थाएँ स्थापित की जायेंगी	—	उपलब्ध नहीं
२६.	त्रिपुरा	८ छात्रवृत्तियां लम्बे पाठ्यक्रम के लिए और १७ छोटे पाठ्यक्रम के लिए दी गईं	३ प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित की जायेंगी और १००० आदमियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा	२० छात्रवृत्तियाँ दी गईं तथा १९ आदमियों को सहायता दी गई	उपलब्ध नहीं
२७.	विन्ध्य प्रदेश	—	लाख उद्योग का विकास किया जायेगा	—	१० सामुदायिक चमड़ा रंगने के स्थान और ४ स्थान चमड़ा रंगने के स्थापित किये जायेंगे
२८.	पांडेचरी	—— अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं——		—	१०० आदमियों के लिए एक केन्द्र स्थापित किया जायेगा

७	८	९	१०
—	—	—	—
—	—	—	—
२३ परिवारों को सहायता दी गई	—	उपलब्ध नहीं	५०० परिवारों को सहायता दी जायेगी
———विमुक्त जातियाँ नहीं———		उपलब्ध नहीं	६ प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे
———विमुक्त जातियां नहीं———		उपलब्ध नहीं	—
—	—	—	—
———विमुक्त जातियां नहीं———		—	—

परिशिष्ट

तालिका नं०

पिछड़े वर्गों के लिए सहकारिता योजनाओं पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुए तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में होने

		अनुसूचित आदिमजातियाँ		अनुसूचित जातियाँ	
क्र० सं०	राज्य का नाम	प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना
१	२	३	४	५	६
१.	आंध्र	९९०००	११९६२५०	—	—
२.	आसाम	५८०६३५	६२७९५०	—	१५६७५०
३.	बिहार	२१६२९९७	८८४५००	—	३०६३७५०
४.	बम्बई	१३५१२३३	१३९४७५०	७३५३५	—
५.	मध्य प्रदेश	—	१७५८८००	—	—
६.	मदरास	७५००	११०००	—	२३४६०००
७.	उड़ीसा	—	४५५८०००	—	—
८.	पंजाब	५२०४६	—	—	—
९.	उत्तर प्रदेश	अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं		—	१०५०००
१०.	पश्चिमी बंगाल	१९७६१६	१२६८२००	—	—
११.	हैदराबाद	—	१८५२५०	—	२८५०००
१२.	जम्मू तथा काश्मीर	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं		—	१०००००
१३.	मध्य भारत	३०२६७१	६६८१००	—	१९१९००
१४.	मैसूर	—	९५०००	—	—
१५.	पैप्सू	अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं		—	—
१६.	राजस्थान	—	२०००००	—	—
१७.	सौराष्ट्र	२३१००	९५४७५	—	४७५००
१८.	त्रावणकोर-कोचीन	१९३३४०	२३७५००	—	३१५४००
१९.	अजमेर	—	३३०००	—	—
२०.	भोपाल	—	२३७५०	—	—
२१.	कुर्ग	—	१४२५०	—	—
२२.	दिल्ली	अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं		—	—
२३.	हिमाचल प्रदेश	—	३४२५०	—	२००००
२४.	कच्छ	—	—	—	—
२५.	मणीपुर	—	—	—	—
२६.	त्रिपुरा	५१२६	१०५०००	—	—
२७.	विन्ध्यप्रदेश	—	५८००००	५८२२०	१८५००
२८.	पाँडेचरी	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं		—	—
	योग	४९७५५६४	१३९७१०२५	१३१७५५	६६४९८००

२४

१

वाले प्रस्तावित व्यय के तुलनात्मक अध्ययन को प्रदर्शित करने वाली तालिका

विमुक्त जातियाँ		अन्य पिछड़े वर्ग		योग	
प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना
७	८	९	१०	११	१२
१२५००	—	—	—	१११५००	११९६२५०
विमुक्त जातियाँ	नहीं है	—	—	५८०६३५	७८४७००
—	—	१२७०००	—	२२८९९९७	३९४८२५०
—	—	—	—	१४२४७६८	१३९४७५०
विमुक्त जातियाँ	नहीं हैं	४५६९९	२९६४००	४५६९९	२०५५२००
१७०००	—	—	—	२४५००	२३५७०००
—	—	५००००	—	५००००	४५५८०००
१४०	—	—	—	५२१८६	—
—	—	—	—	—	१०५०००
—	—	—	—	१९७६१६	१२६८२००
—	९५०००	—	१४२५००	—	७०७७५०
विमुक्त जातियां	नहीं हैं	—	१०००००	—	२०००००
—	१६४३५०	—	—	३०२९७१	१०२४३५०
—	—	—	—	—	९५०००
—	—	—	—	—	—
—	—	—	१०००००	—	३०००००
—	—	—	२३७५०	२३१००	१६६७२५
विमुक्त जातियां	नही हैं	—	—	१९३३४०	५५२९००
—	—	—	—	—	३३०००
—	—	—	—	—	२३७५०
विमुक्त जातियां	नहीं हैं	—	—	—	१४२५०
—	—	—	—	—	—
विमुक्त जातियाँ	नहीं हैं	—	—	—	५४२५०
—	—	—	—	—	—
विमुक्त जातियां	नहीं हैं	—	—	—	—
विमुक्त जातियां	नहीं हैं	—	—	५१२६	१०५०००
—	—	—	—	५८२२०	५९८५००
—	—	—	—	—	—
२९६४०	२५९३५०	२२२६९९	६६२६५०	५३५९६५८	२१५४२८२५

परिशिष्ट

तालिका नं०

द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में सहकारिता योजनाओं पर राज्य सक्टर तथा कन्द्रीय सैक्टर के

क्र०सं०	राज्य का नाम	अनुसूचित आदिमजातियाँ राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग	अनुसूचित जातियाँ राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग
१	२	३	४	५	६	७	८
१.	आंध्र	१११६२५०	८००००	११९६२५०	—		—
२.	आसाम	६२७९५०	—	६२७९५०	१५६७५०	—	१५६७५०
३.	बिहार	४८४५००	४०००००	८८४५००	३०६३७५०	—	३०६३७५०
४.	बम्बई	११४४७५०	२५००००	१३९४७५०	—	—	—
५.	मध्य प्रदेश	१५५८८००	२०००००	१७५८८००	—	—	—
६.	मदरास	११०००	—	११०००	४९६०००	१८५००००	२३४६०००
७.	उड़ीसा	८४५०००	३७१३०००	४५५८०००	—	—	—
८.	पंजाब	—	—	—	—	—	—
९.	उत्तर प्रदेश	अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं			—	१०५०००	१०५०००
१०.	शिचपमी बंगाल	६९९२००	५६९०००	१२६८२००	—	—	—
११.	हैदराबाद	१८५२५०	—	१८५२५०	२८५०००	—	२८५०००
१२.	जम्मू तथा काश्मीर	अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं			१०००००	—	१०००००
१३.	मध्य भारत	५६८१००	१०००००	६६८१००	१९१९००	—	१९१९००
१४.	मैसूर	९५०००	—	९५०००	—	—	—
१५.	पैप्सू	अनुसचित आदिमजातियाँ नहीं हैं			—	—	—
१६.	राजस्थान	२०००००	—	२०००००	—	—	—
१७.	सौराष्ट्र	९५४७५	—	९५४७५	४७५००	—	४७५००
१८.	त्रावणकार-कोचीन	२३७५००	—	२३७५००	३१५४००	—	३१५४००
१९.	अजमेर	३३०००	—	३३०००	—	—	—
२०.	भोपाल	२३७५०	—	२३७५०	—	—	—
२१.	कुर्ग	१४२५०	—	१४२५०	—	—	—
२२.	दिल्ली	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं			—	—	—
२३.	हिमाचल प्रदेश	३४२५०	—	३४२५०	२००००	—	२००००
२४.	कच्छ	—	—	—	—	—	—
२५.	मणीपुर	—	—	—	—	—	—
२६.	त्रिपुरा	१०५०००	—	१०५०००	—	—	—
२७.	विन्ध्यप्रदेश	५८००००	—	५८००००	१८५००	—	१८५००
२८.	पाण्डेचरी	अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं ह			—	—	—
	योग	८६५९०२५	५३१२०००	१३९७१०२५	४६९४८००	१९५५०००	६६४९८००

२४

२

अन्तर्गत होने वाले तुलनात्मक व्यय को प्रदर्शित करने वाली तालिका

विवमुत जातियां			अन्य पिछले वर्ग			योग		
राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग	राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग	राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	कन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग
९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
—	—	—	—	—	—	१११६२५०	८००००	११९६२५०
विमुक्त जातियाँ नहीं हैं			पिछड़े वर्गों के लिए कोई योजना नहीं है			७८४७००	—	७८४७००
—	—	—	—	—	—	३५४८२५०	४०००००	३९४८२५०
—	—	—	—	—	—	११४४७५०	२५००००	१३९४७५०
विमुक्त जातियाँ नहीं हैं			२९६४००	—	२९६४००	१८५५२००	२०००००	२०५५२००
—	—	—	—	—	—	५०७०००	१८५००००	२३५७०००
—	—	—	—	—	—	८४५०००	३७१३०००	४५५८०००
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	१०५०००	१०५०००
—	—	—	—	—	—	६९९२००	५६९०००	१२६८२००
९५०००	—	९५०००	१४२५००	—	१४२५००	७०७७५०	—	७०७७५०
विमुक्य जातियाँ नहीं हैं			१०००००	—	१०००००	२०००००	—	२०००००
१६४३५०	—	१६४३५०	—	—	—	९२४३५०	१०००००	१०२४३५०
—	—	—	—	—	—	९५०००		९५०००
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	१०००००	—	१०००००	३०००००	—	३०००००
—	—	—	२३७५०	—	२३७५०	१६६७२५	—	१६६७२५
विमुक्त जातियां नहीं हैं			—	—	—	५५२९००	—	५५२९००
—	—	—	—	—	—	३३०००	—	३३०००
—	—	—	—	—	—	२३७५०	—	२३७५०
विमुक्त जातियाँ नहीं हैं			—	—	—	१४२५०	—	१४२५०
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	५४२५०	—	५४२५०
—	—	—	—	—	—	—	—	—
विमुक्त जातियाँ नहीं हैं			—	—	—	—	—	—
विमुक्य जातियाँ नहीं हैं			—	—	—	१०५०००	—	१०५०००
—	—	—	—	—	—	५९८५००	—	५९८५००
—	—	—	—	—	—	—	—	—
२५९३५०	—	२५९३५०	६६२६५०	—	६६२६५०	१४२७५८२५	७२६९०००	२१५४२८२५

परिशिष्ट

तालिका नं०

सहकारिता योजनाओं पर १९५६-५७ में राज्य सैक्टर तथा केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत तुलनात्मक

क्र० सं०	राज्य का नाम	अनुसूचित आदिम जातियां			अनुसूचित जातियां		
		राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग	राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग
१	२	३	४	५	६	७	८
१	आंध्र	१२८०८	१०८५०	२३६५८	—	—	—
२.	आसाम	२५०००	—	२५०००	१४२५०	—	१४२५०
३.	बिहार	७१२४९७	७८९७५	७९१४७२	४५००००	—	४५००००
४.	बम्बई	७९१०००	३४०००	८२५०००	—	—	—
५.	मध्य प्रदेश	—	३१६००	३१६००	—	—	—
६.	मदरास	—	—	—	५८७५०	—	५८७५०
७.	उड़ीसा	६१०९६	८३०७०५	८९१८०१	—	—	—
८.	पंजाब	—	—	—	—	—	—
९.	उत्तर प्रदेश	अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं		—	—	१७५००	१७५००
१०.	पश्चिमी बंगाल	७८३००	१९६२००	२७४५००	१२०००	—	१२०००
११.	हैदराबाद	३३९३६		३३९३६	—	—	—
१२.	जम्मू तथा काश्मीर	अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं		—	अप्राप्त	अप्राप्त	—
१३.	मध्य भारत	११२१००	३०००	११५१००	—	—	—
१४.	मैसूर	२००००	—	२००००	—	—	—
१५.	पैप्सू	अनुसूचित आदिमजातिया नहीं हैं		—	पृथक आंकड़े प्राप्त नहीं हैं		
१६.	राजस्थान	२००००	—	२००००	—	—	—
१७.	सौराष्ट्र	५०००	—	५०००	१००००	—	१००००
१८.	त्रावणकोर-कोचीन	३९०००	—	३९०००	४३०००	—	४३०००
१९.	अजमेर	३०००	—	३०००	—	—	—
२०.	भोपाल	—	—	—	—	—	—
२१.	कुर्ग	२८५०	—	२८५०	—	—	—
२२.	दिल्ली	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं		—	—	—	९५००
२३.	हिमाचल प्रदेश	—	२५००	२५००	९५००	—	—
२४.	कच्छ	—	—	—	—	—	—
२५.	मणीपुर	—	—	—	—	—	—
२६.	त्रिपुरा	१५०००	१०१०००	११६०००	—	—	—
२७.	विन्ध्य प्रदेश	७५०००	—	७५०००	—	—	—
२८.	पाण्डेचरी	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं		—	अप्राप्त	अप्राप्त	—
	योग	२००६५८७	१२८८८३०	३२९५४१७	५९७५००	१७५००	६१५०००

२४

३

व्यय को प्रदर्शित करनेवाली तालिका

विमुक्त जातियाँ			अन्य पिछड़े वर्ग			योग		
राज्य सक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग	राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्री सैक्टर के अन्तर्गत	योग	राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टम के अन्तर्गत	योग
९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
—	—	—	—	—	—	१२८०८	१०८५०	२३६५८
विमुक्त जातियां नहीं है			अन्य पिछड़े वर्ग नहीं हैं			३९२५०	—	३९२५०
—	—	—	१५०००	—	१५०००	११७७४९७	७८९७५	१२५६४७२
१३९५००	—	१३९५००	—	—	—	९३०५००	३४०००	९६४५००
विमुक्त जातियां नहीं हैं		—	११८००	—	११८००	११८००	३१६००	४३४००
१०९५०	—	१०९५०	—	—	—	६९७००	—	६९७००
—	—	—	कोई योजना अभी तक स्वीकृत नहीं हुई हैं			६१०९६	८३०७०५	८९१८०१
—	—	—	अन्य पिछड़े वर्ग नहीं हैं			—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	१७५००	१७५००
—	—	—	—	—	—	९०३००	१९६२००	२८६५००
—	—	—	१००००	—	१००००	४३९३६	—	४३९३६
विमुक्त जातियां नहीं हैं		—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	११२१००	३०००	११५१००
अप्राप्त	अप्राप्त	—	—	—	—	२००००	—	२००००
————आँकड़े पंजाब में सम्मिलित हैं————				—	—	—	—	—
—	—	—	१००००	—	१००००	३००००	—	३००००
३०००	—	३०००	५०००	—	५०००	२३०००	—	२३०००
विमुक्त जातियां नहीं हैं		—	—	—	—	८२०००	—	८२०००
अप्राप्त	अप्राप्त	—	—	—	—	३०००	—	३०००
—	—	—	—	—	—	—	—	—
विमुक्त जातियां नहीं हैं		—	—	—	—	२८५०	—	२८५०
राज्य सरकार ने कोई योजना नहीं भेजी			अन्य पिछड़े वर्ग नहीं हैं		—	—	—	—
विमुक्त जातियां नहीं हैं		—	पिछड़े वर्गों के लिए कोई योजना नहीं हैं			९५००	२५००	१२०००
—	—	—	—	—	—	—	—	—
विमुक्त जातियां नहीं हैं		—	—	—	—	—	—	—
———— ,, ————		—	—	—	—	१५०००	१०१०००	११६००
—	—	—	पिछड़े वर्ग नहीं हैं		—	७५०००	—	७५०००
विमुक्त जातियां नहीं हैं		—	———— ,, ————		—	—	—	— —
१५३४५०	—	१५३४५०	५१८००	—	५१८००	२८०९३३७	१३०६३३०	४११५६६७

परिशिष्ट २४

तालिका नं० ४

क्रमशः प्रथम पंचवर्षीय और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सहकारी योजनाओं में प्राप्त वास्तविक लक्ष्य । प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों को प्रदर्शित करने वाली तालिका

क्र०	राज्य का नाम	अनुसूचित आदिमजतियां		अनुसूचित जातियां		विमुक्त जातियां		अन्य पिछड़े वर्ग	
		प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१.	आँध्र	—	४ समितियाँ तथा एक भारतीय अर्थ एवं बिक्री निगम	—	—	कृषक सहकारी समिति को सहायता दी गई	—	उपलब्ध नहीं	—
२.	आसाम	—	२०५ समितियों को अनुदान दिया जायेगा	—	१६५ सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जायेगा	—विमुक्त जातियाँ नहीं—		योजना नहीं	
३.	बिहार	—	३९५ अनाज-भंडार, २५ लाख उत्पादक सहकारी समितियां स्थापित की जायेंगी	उपलब्ध नहीं	१४ सहकारी समितियाँ तथा ३३० अनाज भंडार	—	—	१५ अनाज-भंडार चलाये गये	—

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
४.	बम्बई	—	१२५ नई और ८४ वर्तमान समितियों को अनुदान दिया जायेगा, २५ वन-मजदूर सहकारी समितियों को सहायता के लिए मान्यता दी जायेगी	उपलब्ध नहीं	—	—	—	उपलब्ध नहीं	—
५.	मध्य प्रदेश	—	५० बहु-धन्धी सहकारी समितियां तथा १० मजदूर सहकारी समिति स्थापित की जायेंगी	—	—	—विमुक्त जातियाँ नहीं—		१६ सहकारी समितियों को सहायया दी गई	४० सहकारी समितियों को सहायता दी जायेगी
६.	मद्रास	—	१ टोकरी निर्माण सहकारी समिति स्थापित की जायेगी	—	१५ सहकारी समितियां स्थापित की जायेंगी तथा सहायता दी जायेगी	११ समितियों को मान्यता और सहायता दी जायेगी	—	—	
७.	उड़ीसा	—	२५० अनाज भंडार और २५ वन सहकारी समितियां	—	—	—	—	......	

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
८.	पंजाब	—	—	—	—	४ समितियां	—	उपलब्ध नहीं	—
९.	उत्तर प्रदेश	—	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं	—	—	—	—	—	—
१०.	पश्चिमी बंगाल	—	८३ अनाज-भंडार सहकारी पद्धति पर चलाये जायेंगे, १ बिक्री तथा १० सहकारी समितियाँ	—	—	उपलब्ध नहीं	—	—	—
११.	हैदराबाद	—	२७ सहकारी समितियां	उपलब्ध नहीं	६० कारीगर सहकारी समितियां	२० सहकारी समितियां स्थापित की गई	२० कारीगर सहकारी समितियां	—	३० समितियाँ
१२.	जम्मू तथा काश्मीर	—	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं —	उपलब्ध नहीं	१० सहकारी समितियां	—विमुक्त जातियां	नहीं—	उपलब्ध नहीं	१० सहकारी समितियां
१३.	मध्य भारत	—	१४० सहकारी समितियां तथा २ वन मजदूर सहकारी समितियां	उपलब्ध नहीं	३८ सहकारी समितियां	उपलब्ध नहीं	—	उपलब्ध नहीं	—
१४.	मैसूर	—	५ सहकारी समितियां	—	—	उपलब्ध नहीं	—	उपलब्ध नहीं	—
१५.	पैप्सू	—	अनुसूचित आदिमजातियां नही	—	—	—	—	उपलब्ध नहीं	—
१६.	राजस्थान	—	१७ सहकारी समितियां	—	—	—	—	—	५० समितियां
१७.	सौराष्ट्र	—	१०० सहकारी सतितियां	—	३४ सहकारी समितियां	—	—	—	१७ सहकारी समितियां

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१८.	त्रावणकोर-कोचीन	—	२५ सहकारी समितियां	—	६० सहकारी समितियां	—विमुक्त जातियां नहीं—		उपलब्ध नहीं	—
१९.	अजमेर	—	३३ सहकारी समितियां	—	—	—	—	उपलब्ध नहीं	—
२०.	भोपाल	—	उपलब्ध नहीं	—	—	—	—	—	—
२१.	कुर्ग	—	२० सहकारी समितियां	—	—	—विमुक्त जातियां नहीं—		उपलब्ध नहीं	—
२२.	दिल्ली	—	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं	उपलब्ध नहीं	—	उपलब्ध नहीं	—	उपलब्ध नहीं	—
२३.	हिमाचल प्रदेश	—	२५ बहु-उद्देश्यीय सहकारी समितियों को अनुदान	—	२५ बहु-उद्देश्यीय सहकारी समितियां	—	—	—	—
२४.	कच्छ	—	—	—	—	—	—	उपलब्ध नहीं	—
२५.	मणीपुर	—	—	—	—	—विमुक्त जातियां नहीं—		उपलब्ध नहीं	—
२६.	त्रिपुरा	—	८ सस्ते मूल्य की दुकानें	—	—	—विमुक्त जातियां नहीं—		उपलब्ध नहीं	—
२७.	विन्ध्य प्रदेश	—	६० सहकारी समितियां	३७ सहकारी समितियां स्थापित की गईं और चलाई गईं	४० सहकारी समितियां स्थापित की जायेंगी	—	—	उपलब्ध नहीं	—
२८.	पांडेचरी	—	—अनुसूचित आदिमजातियां नहीं—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट

सन् १९५१-५२ से १९५५-५६ तक राज्यों में संचालित जंगल मजदूर सहकारी समितियों की संख्या, सदस्यता, चालू और शेयर

क्र० सं०	वर्ष	जंगल मजदूर सहकारी–समितियों की कुल संख्या	इन सब समितियों के सदस्यों की कुल संख्या			काम में लगाये गये कर्मचारियों की कुल संख्या			चालू कैपिटल (यदि हो)
			योग	आदिवासी	गैर आदिवासी	योग	आदिवासी	गैर आदिवासी	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१.	**आंध्र**								
	१९५१–५२	९	२३२९	—	२३२९	२१९१	—	२१९१	४२५४१
	१९५२–५३	२०	२८२५	४०	२७८५	२६५५	४०	२६१५	१०९४२४
	१९५३-५४	२०	३२०२	३११	२८९१	२८७१	३११	२५६०	११०१८७
	१९५४-५५	१७	४२६१	६१८	३६४३	३९१९	४८२	३४३७	१११०८३
	१९५५-५६	२०	३६५४	७८७	२८६७	३०५०	४८७	२५६३	९१५५०
२.	**बिहार**								
	१९५४-५५	२	३३	३३	—	३३	३३	—	३७०
	१९५५-५६	८	८७	२९	५८	११	११	—	८०८
३.	**बम्बई**								
	१९५१-५२	१०८	२०४४०	१८०६२	२३७८	५१६७७९	४१३४५४	१०३३२५	३३८२९९९
	१९५२-५३	११८	२२५२१	१९७५४	२७६७	३७२०४०	३३२७८९	३०२५१	२९७४०७१
	१९५३-५४	१२४	२८३६७	२४०४७	४३२०	३६००५९	३२३४५८	३६६०१	२६६४७४५
	१९५४-५५	१४५	३४७४२	२९४८२	५२६०	५४१८३९	४२०७५७	१२०७५७	३४७९६१७
	१९५५-५६	१७७	४१८६८	३३७१६	८१५२	५३०७०१	४९१४५०	३९४५०	३५४२२९२
४.	**मदरास**								
	१९५३-५४	२ह्य	१८१	१५२	२९	४३१	३५२	७९	१२९८०
	२९५४-५५	२ह्य	१९८	१६६	३२	४५९	३५२	१०७	१४३१०
	१९५५-५६	३ऋ	३२०	२८८	३२	४१५	३५२	६३	११६३६]
५.	**राजस्थान**								
	१९५५-५६	१	११७	११७	नहीं	१	नहीं	१	१०६७४-१३
६.	**सौराष्ट्र**								
	१९५४-५५	२	७४	६०	१४	६४	५२	१२	१८९५९-७-२
	१९५५-५६	१६	४५९	१५२	३०४	५०८	१२३	४०५	६७२६८-३-२
७.	**केरल**								
	१९५१-५२	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	१९५२-५३	२	७५	७५	,,	,,	,,	,,	४००
	१९५३-५४	२	२७८	२७८	,,	,,	,,	,,	५१००
	१९५४-५५	२	३३४	३३२	२	४००	३७०	३०	७३००
	१९५५-५६	३१	१७३६	१७३४	२	७५०	७००	५०	१७४३३८

ह्य इसमें एक मजदूर ठेका समिति भी शामिल है, जिसका नाम कमलापुरम मजदूर ठेका समिति है और जो ३ दिसम्बर, १९५३ में चालू हुई । इसमें हरिजन तथा अन्य जातियां दोनों के सदस्य हैं । इसमें एक सहकारी क्रय-विक्रय समिति भी सम्मिलित है, जो केवल पहाड़ी जातियों के लिए बनाई गई है ।

२५

कैपिटल तथा ठेकों का मूल्य और उनकी संख्या एवं राज्य सरकारों द्वारा दिये हुए ऋण और अनुदान को प्रदर्शित करने वाली तालिका

शेयर कैपिटल (यदि हो)	अनुदान यदि कोई सरकार से प्राप्त हुआ हो			दिये गये जंगल ठेकों का मूल्य		समितियों द्वारा कमाये हुए लाभ का कुल धन	समितियों द्वारा उठाये गये घाटे का कुल धन	विवरण
	योग	अनुदान	ऋण	जंगल मजदूर सहकारी समितियां	अन्य			
११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९
१३६९३	२९५	२९५	—	१७९९५	—	३०२०	३९८१	—
३२६५१	—	—	२५०००	४५३८२	—	२०२५	२५५८३	—
३५१२२	—	—	—	४७१४८	—	४२९७	६०८७४	—
३२५९८	—	—	—	८६२२५	—	८२८४	६७०४९	—
३६८५५	३५०	३५०	—	५९७४४	—	१५१८७	६५९१४	—
३७०	—	—	—	—	—	—	—	—
८०८	—	—	—	२५१-१५-०	—	—	—	—
१८०१७७	कोई अनुदान नहीं दिया गया		—	११९५५३७	—	२७५०७४	२४०४८८	—
२१५१३०	—	,, —	—	१५२२२८८	—	६१३०५७	५४१५६७	—
२८९१४७	—	,, —	—	१७४२२५८	—	१३७१८९३	२२०५९	—
३४९०९६	१५००००	१५००००	—	२८५७१३८	—	१७३२२३८	३१७०३	—
४१२१९७	१४००००	१४००००	—	३६७१५५०	—	३२३७१९६	६८५२९	—
२०३०	६०००	—	६०००	२१००	४७२०	४१३४	—	—
३२९५	—	—	—	२१००	७२६३	३१६९	२५२२	—
४४९०	६१००	६१००	—	३६२३	—	९५२५	३७२२	—
४७७	२००८०-१३	१००००	१००८०-१३	७८०१	—	२३६१-५-३	—	—
८७०	—	—	—	१५००१	—	३०१४-७-२	—	—
४४४२-८	१९६३६-२	४६३६-२	१५०००	५५७८५-२-३	—	३१५२७-११-३	२४०-१३	—
नहीं	नही	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नही	नहीं
२००	२००	२००	,,	,,	,,	,,	,,	,,
३००	४८००	४८००	,,	,,	,,	,,	,,	,,
८००	६५००	६५००	,,	४५००	,,	२७२	,,	,,
४२३८	१७०१००	१७०१००	,,	१६५००	,,	५७२	,,	,,

ऋ इसमें दो सहकारी मार्केटिंग समितियां तथा एक मजदूर ठेका समिति भी शामिल है। इसमें दो हरिजन सहकारी समितियां सम्मिलित नहीं हैं।

परिशिष्ट २६

तालिका नं० १

विभिन्न राज्यों और संघीय प्रदेशों में विशेष बहु-उद्देश्यीय संघटित विकास ब्लाकों की स्थापना तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा किये जाने वाले खर्च को प्रदर्शित करने वाली तालिका

क्र० सं०	राज्य का नाम	निर्धारित ब्लाकों की संख्या	योजना काल के लिए स्वीकृत धन	१९५६-५७ के लिए स्वीकृत	ब्लाक का स्थान	ब्लाक की सीमा	गाँवों की संख्या	जन-संख्या	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१.	आंध्र प्रदेश		(लाखों में रुपये)						
	(१) पूर्व आंध्र	२	३०.००	६०००००	विशाखापटनम जिले में ब्लाक के क्षेत्र	२८२ वर्ग मील	६४	३५०८४	१९५६-५७ में अराकू घाटी ब्लाक पर रु० ७१६४४-५-६ तथा हुकुमपेटा ब्लाक पर रु० ४१५६२-६-३ पहले ही खर्च हो चुके हैं।
					अराकू और हुकुमपेटा राष्ट्रीय विकास योजना	२४२ वर्ग मील	४०५	३०४५८	
	(२) हैदराबाद प्रदेश	२	३०.००	५४१०००	१—आदिलाबाद जिले की उतनूर तहसील में मरलावई	७२६ वर्ग मील	१६६	२५०००	
					२—नरसमपेटा तहसील जिला वारंगल	१३०० वर्ग मील	१०६	२१०००	
२.	आसाम								
	(१) स्वशासित जिले	६	९०.००	७८१०००	१—गारो हिल्स में दम्बुक	अप्राप्त	२२२	२०४०९	१९५६-५७ में पहले ही खुल चुके हैं
					२—संयुक्त खासी और जयन्तिया हिल्स में मैरंग	४५० वर्ग मील	१७७	२५५३२	,,
					३—संयुक्त खासी और जयन्तिया हिल्स में सैपंग डानंग	७८२ वर्ग मील	७४६	२४१७०	,,

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
					४—संयुक्त मिकिर और उत्तरी कचार हिल्स में रोनाखोंग	३०० वर्ग मील	४००	१९२३४	१९५६-५७ में पहले ही खुल चुके हैं
					५—संयुक्त मिकिर और उत्तरी कचार हिल्स में डीयुंग	८०० वर्ग मील	१६०	२००००	,,
					६—मिज़ो जिले में लुंगलेह्	१२३० वर्ग मील	४७	२२८१५	,,
	(२) मैदानी आदिवासी क्षेत्र	१	१२.००	३७७१०	लखीमपुर जिले में मुरकोंग सेलेक	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अभी आरम्भ नहीं हुआ (इस ब्लाक का खर्च गृह मंत्रालय और सामुदायिक विकास ५० : ५० प्रतिशत करेंगे ।
३. बिहार		८	१२०.००	९६००००	१—रांची जिले में विष्णुपुर	२३७ वर्ग मील	६८	२१८८३	(१)-१९५६-५७ में एक राष्ट्रीय विकास योजना ब्लाक खुल चुका है।
					२—पलामऊ जिले में महुआडांड	२५५ वर्ग मील	१०६	२७३८३	(२) १९५६-५७ से चालू
					३—रांची जिले में सिमडेगा	२९६ वर्ग मील	९६	६३५७९	(३) १९५६-५७ में खुल चुका है।
					४—संथाल परगना जिले में बोरिया	१५१ वर्ग मील	४०२	६९१९७	(४) ,,
					५—शाहबाद जिले में कुण्डाहित	१८१ वर्ग मील	२९६	५७६८६	(५) १९५४-५५ से चालू
					६—शाहबाद जिले में अधौरा	३५८ वर्ग मील	९८	१४७२४	६-२६-१-५७ को चालू हुआ।
					७—शाहबाद जिले में रोहतास (दक्षिण)	१४० वर्ग मील	६८	३०४५१	(७) ,,
					८—सिंहभूमि जिले में मनहरपुर	७७१ वर्ग मील	२८७	८२७७१	(८) ,,

१	२	३	५	५	६	७	८	९	१०
४.	वम्बई	७†	१०५,००	१०००००▪	१. अकरानी महाल, संतरामपुर, मलतासरों और खेडब्रह्मा	——विगत अभी तक प्राप्त नहीं——			
					२. अधेरी, सिरोंचा तहसील, पहले मध्य प्रदेश का चान्दा जिला				
५.	मध्य प्रदेश								
	(१) प्राचीन मध्य प्रदेश	७	१०५.००	९५००००	१. वस्तर जिले में दांतेवाड़ा	——विगत अभी तक प्राप्त नहीं——			
					२. वस्तर जिले में नारायणपुर				
					३. रायगढ़ जिले में जशपुर				
					४. सरगुजा जिले में भरतपुर				
					५. बिलासपुर जिले में कटघोड़ा				
					६. बेतूल जिले में भैंसियोही				
					७. छिंदवाड़ा जिले में छिंदवाड़ा				
	(२) मध्य भारत	२	३०.००	४५००००	१. झाबुआ जिले में अलीराजपुर	अप्राप्त	८८	२९०८७	
					२. नीमाड़ जिले में वड़वानी	अप्राप्त	८४	२७६५५	
	(३) विन्ध्य प्रदेश	१	१५.००	१७४०००	शहडोल जिले में पुष्यराजगढ़	——विगत अभी तक प्राप्त नहीं——			

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
६.	उड़ीसा	४	६०.००	९०००००	१. क्योझर जिले में भुइयांपीढ़	२०७ वर्ग मील	× ३१३	४९३३९	१९५६-५७ में १७२३५७ रू० खर्च हुए
					२. कालाहांडी जिले में काशीपुर	९६९ वर्ग मील	६१३	६७३००	१९५६-५७ में १९८३३२ रू० खर्च हुए
					३. कोरापुट जिले में नारायणपँथा	६६५ वर्ग मील	३६२	६१०७०	१९५६-५७ में ६८४८३ रु० खर्च हुए
					४. मयूरभंज जिले में राहन	१५७.३५ वर्ग मील	२००	५२८५७	१९५६-५७ में ४०६९५ रु० खर्च हुए
७.	राजस्थान	१	१५.००	२०००००	वांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ तहसील	२०० वर्ग मील	१००	२५००	
८.	मणीपुर	१	१५.००	कुछ नहीं	तेमनलोंग	विगत अभीतक प्राप्त नहीं			
९.	त्रिपुरा	१	१५.००	१९३०००	अमरपुर सब-डिवीजन	५११ वर्ग मील	अप्राप्त	२३०२१	प्रारम्भिक जांच पड़ताल का काम पूरा हो गया है और निश्चित योजनाओं का अन्तिम निर्णय शीघ्र होगा
	योग	४३	६४२.००	५८८६७१०					

† प्राचीन मध्यप्रदेश से स्थानान्तरित एक ब्लाक सम्मिलित है।

✲ यह खर्च केवल चार ब्लाकों के लिए स्वीकृत किया गया है।

× छिंदवाड़ा के वनवासी सेवा मण्डल द्वारा संचालित होगा।

परिशिष्ट

तालिका नं०

विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघीय प्रदेशों द्वारा एक विशेष बहु-उद्देशीय संघठित ब्लाक के लिए सामुदायिक

क्र०सं०	राज्य का नाम	योजना का मुख्यालय	पशु पालन तथा कृषि विकास	सिंचाई, भूमि-नोतोड़ तथा रक्षा	स्वास्थ्य तथा ग्राम सफाई	शिक्षा	समाज शिक्षा
१	२	३	४	५	६	७	८
	स्वीकृत नमूना	७००००	१५००००	४०००००	२०००००	७५०००	७५०००
	राज्यों/संघीय प्रदेशों द्वारा चालू नमूना :						
१	आंध्र प्रदेश						
	१—प्राचीन आंध्र			विगत नहीं मिली			
	२—हैदराबाद	५७४३१०	१४७५४०	४०२७०७	२१४५२२	७२३०४	१०९२१४
२	आसाम						
	१—स्वाशासित जिले	७१४९८०	३८६५००	३२५०००	३०१०००	७५०००	६२५००
	२—मैदानी आदिवासी क्षेत्र	६१७२५०	३२२०००	२१७०००	२७१०००	७५०००	५७२५०
३	बिहार			विगत नहीं मिली			
४	बम्बई			विगत नहीं मिली			
५	मध्य प्रदेश						
	१—पूर्व मध्यप्रदेश	७०००००	१५००००	४०००००	२०००००	७५०००	७५०००
	२—मध्य भारत	७०३६३९	१४८३८५	४०००००	२०००००	७२९५०	७५०५०
	३—विन्ध्य प्रदेश	७०००००	१५०००	४०००००	२०००००	७५०००	७५०००
६	उड़ीसा			विगत नहीं मिली			
७	राजस्थान			विगत नहीं मिली			
८	मणीपुर			विगत नहीं मिली			
९	त्रिपुरा			विगत नहीं मिली			

२६
२

विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत विभिन्न योजनाओं के खर्च के तुलनात्मक अध्ययन को बताने वाली तालिका

संचार	ग्रामीण कला तथा उद्योग	सहकारिता	ग्रामों में गृह निर्माण	विविध	योग	विशेष विवरण
९	१०	११	१२	१३	१४	१५
४०००००	२०००००	२०००००	२५००००	५००००	२७०००००	
४०००००	२००४१७	२०६९३८	२५००००	५००००	२६१११०३	
३३५०००	२०००००	१०००००	२०००००	कुछ नहीं	२६९९९८०	
३४५५००	१६००००	१०००००	२०००००	कुछ नहीं	२४०००००	
४०००००	२०००००	२०००००	२५००००	५००००	२७०००००	
४०००००	२०००००	२०००००	२५००००	५००००	२७०००००	
४०००००	२०००००	२०००००	२५००००	५००००	२७०००००	

परिशिष्ट

तालिका नं०

पिछड़े वर्गों के लिए चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य की योजनाओं पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में किये हुए और

क्र०सं०	राज्य का नाम	अनुसूचित आदिमजातियां		अनुसूचित जातियां	
		प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना
१	२	३	४	५	६
१	आंध्र	२१८१४१२	४२६८४५०	—	२४६००००
२	आसाम	२००५३८६	१०६४५६५०	३०१४७३	१०८६३५०
३	बिहार	४८७८२९५	९८६७५००	अप्राप्त	४९८७५००
४	बम्बई	१००४२७५	२५५८३००	१९९३९१८	८८१९००
५	मध्य प्रदेश	—	५५०८०००	—	७१८७५०
६	मदरास	६१५	१४७५०००	९२७८	५५६५०००
७	उड़ीसा	१२२७५८०	४०५६०००	१२००००	१४२१०००
८	पंजाब	१४६४२३	४५६०००	१४००००	८८५०००
९	उत्तरप्रदेश	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं		२५९८०००	३३५००००
१०	पश्चिमी बंगाल	२५४३४५८	२८७७९५०	४९०२९५	१५१००००
११	हैदराबाद	—	२३७५००	अप्राप्त	७६००००
१२	जम्मू तथा काश्मीर	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं		अप्राप्त	४०००००
१३	मध्य भारत	५३८५५४	१७३२०००	अप्राप्त	६८००००
१४	मैसूर	—	४१९५००	—	६७५०००
१५	पैप्सू	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं		३९९०००	३५००००
१६	राजस्थान	१२४४०६	१२२५०००	—	४६००००
१७	सौराष्ट्र	१८५०	७१२५०	२६९०००	५२३१२५
१८	त्रावणकोर-कोचीन	८०७७१	३१५०००	—	४७५०००
१९	अजमेर	७६७८	७००००	१३०५२	२८०००
२०	भोपाल	—	—	—	—
२१	कुर्ग	—	८५५००	३३८३४	२४२५००
२२	दिल्ली	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं		अप्राप्त	२३७५०
२३	हिमाचल प्रदेश	६२४७	८७५२२६	९१४८०	३८८३००
२४	कच्छ	३६७११	२३७५०	२१८००	२८५००
२५	मणीपुर	४०९९४०	१५०००००	२३४८४	३०००
२६	त्रिपुरा	१५६०००	६५७०००	१०००	—
२७	विन्ध्य प्रदेश	—	११०८०००	१५११८	४२५०००
२८	पाण्डेचरी	अनुसूचित आदिम जातियां नहीं हैं		—	१०७०००
	योग	१५३५२६०१	५००३२५७८	६५२०७३२	२८४३४६५७

२७

१

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में होनेवालें प्रस्तावित व्यय के तुलनात्मक अध्ययन को प्रदर्शित करनेवाली तालिका

विमुक्त जातियां		अन्य पिछड़े वर्ग		योग	
प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना
७	८	९	१०	११	१२
३९१०७	—	—	—	२२२०५१९	६७२८४५०
विमुक्त जातियां नहीं हैं		—	—	२३०६८५९	११७३२०००
—	—	—	—	४८७८२९५	१४८५५०००
४७२२	१४१५५०	—	—	३००२९१५	३५८१७५०
विमुक्त जातियां नहीं हैं		८३७०८	४०९२००	८३७०८	६६३५९५०
४३६२७	३००००	२९९१९	१०१०००	८३४३९	७१७१०००
२१९००	५९५००	१५५०००	—	१५२४४८०	५३३६५००
१२०५२	१९०००	—	—	२८८४७५	१३६००००
५२५०००	—	१४८०००	९५०००	३२७१०००	३४४५०००
—	—	—	—	३०३३७५३	४३८७९५०
—	४७५००	—	—	—	१०४५०००
विमुक्त जातियां नहीं हैं		—	३५००००	—	७५००००
—	९५०००	—	९५०००	५३८५५४	२६०२०००
—	१९०००	—	—	—	१११३५००
—	८०००	—	—	३९९०००	३५८०००
—	५५०००	१३९४१८५	२०००००	१५१८५९१	१९४००००
५०५०	—	३६००	२६१२५०	२७९५००	८५५६२५
विमुक्त जातियां नहीं हैं		—	—	८०७७१	७९००००
२५०	—	—	—	२०९८०	९८०००
२८९९	१५३९०	—	—	२८९९	१५३९०
विमुक्त जातियां नहीं हैं		—	—	३३८३४	३२८०००
—	—	—	—	—	२३७५०
विमुक्त जातियां नहीं हैं		७४५९	—	१०५१८६	१५६३५२८
—	—	—	२३७५०	५८५११	७६०००
विमुक्त जातियां नहीं हैं		—	४३०००	४३३४२४	१५४६०००
विमुक्त जातियां नहीं हैं		—	—	१६००००	६५७०००
—	—	—	—	१५११८	१५३३०००
—	—	—	—	—	१०७०००
६४४६०७	४८९९४०	१८२१८७१	१५७८२००	२४३३९८११	८०५३५३९३

परिशिष्ट

तालिका

चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य योजनाओं पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में राज्य सैक्टर तथा केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत होने

क्र० सं०	राज्य का नाम	अनुसूचित आदिमजातियां			अनुसूचित जातियां		
		राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग	राज्य सक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग
१	२	३	४	५	६	७	८
१.	आंध्र	४१९०४५०	७८०००	४२६८४५०	१७१००००	७५००००	२१६००००
२.	आसाम	७४७३६५०	३१७२०००	१०६४५६५०	८८६३५०	२०००००	१०८६३५०
३.	बिहार	९१६७५००	७०००००	९८६७५००	४९८७५००	—	४९८७५००
४.	बम्बई	१०५८३००	१५०००००	२५५८३००	३८१९००	५०००००	८८१९००
५.	मध्य प्रदेश	४०८३०००	१४२५०००	५५०८०००	११८७५०	६०००००	७१८७५०
६.	मदरास	८०२०००	६७३०००	१४७५०००	४०६५०००	१५०००००	५५६५०००
७.	उड़ीसा	४०५६०००	—	४०५६०००	१०२१०००	४०००००	१४२१०००
८.	पंजाब	१९००००	२६६०००	४५६०००	२८५०००	६०००००	८८५०००
९.	उत्तर प्रदेश	अनुसूचित	आदिमजातियाँ	नहीं हैं	२१०००००	१२५००००	३३५००००
१०.	पश्चिमी बंगाल	१६९१९५०	११८६०००	२८७७९५०	७६००००	७५००००	१५१००००
११.	हैदराबाद	२३७५००	—	२३७५७००	७६००००	—	७६००००
१२.	जम्मू तथा कश्मीर	अनुसूचित	आदिमजातियां	नहीं हैं	४०००००	—	४०००००
१३.	मध्य भारत	—	१७३२०००	१७३२०००	३८००००	३०००००	६८००००
१४.	मैसूर	३८९५००	३००००	४१९५००	४७५०००	२०००००	६७५०००
१५.	पैप्सू	अनुसूचित	आदिमजातियाँ	नहीं हैं	३५००००	—	३५००००
१६.	राजस्थान	५२५०००	७०००००	१२२५०००	३०००००	१६००००	४६००००
१७.	सौराष्ट्र	७१२५०	—	७१२५०	२७३१२५	२५००००	५२३१२५
१८.	त्रावणकोर-कोचीन	२८५०००	३००००	३१५०००	४७५०००	—	४७५०००
१९.	अजमेर	४५०००	२५०००	७००००	२८०००	—	२८०००
२०.	भोपाल	—	—	—	—	—	—
२१.	कुर्ग	८५५००	—	८५५००	१४२५००	१०००००	२४२५००
२२.	दिल्ली	अनुसूचित	आदिमजातियाँ	नहीं हैं	२३७५०	—	२३७५०
२३.	हिमाचल प्रदेश	४७५२२८	४०००००	८७५२२८	३८८३००	—	३८८३००
२४.	कच्छ	२३७५०	—	२३७५०	२८५००	—	२८५००
२५.	मणीपुर	१३२५०००	१७५०००	१५०००००	३०००	—	३०००
२६.	त्रिपुरा	४२७०००	२३००००	६५७०००	—	—	—
२७,	विन्ध्य प्रदेश	७३८०००	३७००००	११०८०००	३०००००	१२५०००	४२५०००
२८.	पाडचेरी	अनुसूचित	आदिमजातियाँ	नहीं हैं	५७०००	५००००	१०७०००
	योग	३७३४०५७८	१२६९२०००	५००३२५७८	२०६९९६७५	७७३५०००	२८४३४६७५

२७

नं० २

वाले तुलनात्मक व्यय को प्रदर्शित करने वाली तालिका

विमुक्त जातियाँ			अन्य पिछड़े वर्ग			योग		
राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग	राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग	राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग
९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
— —प्राप्त नहीं हैं—			—	—	—	५९००४५०	८२८०००	६७२८४५०
विमुक्त जातियाँ नहीं हैं			अन्य पिछड़े वर्ग नहीं हैं			८३६००००	३३७२०००	११७३२०००
—	—	—	—	—	—	१४१५५०००	७०००००	१४८५५०००
१४१५५०	—	१४१५५०	—	—	—	१५८१७५०	२००००००	३५८१७५०
विमुक्त जातियाँ नहीं हैं			४०९२००	—	४०९२००	४६१०९५०	२०२५०००	६६३५९५०
३००००	—	३००००	१०१०००	—	१०१०००	४९९८०००	२१७३०००	७१७१०००
५९५००	—	५९५००	—	—	—	५१३६५००	४०००००	५५३६५००
१९०००	—	१९०००	—	—	—	४९४०००	८६६०००	१३६००००
—	—	—	९५०००	—	९५०००	२१९५०००	१२५००००	३४४५०००
—	—	—		—	—	२४५१९५०	१९३६०००	४३८७९५०
४७५००	—	४७५००	—	—	—	१०४५०००	—	१०४५०००
विमुक्त जातियाँ नहीं हैं			३५००००	—	३५००००	७५००००	—	७५००००
९५०००	—	९५०००	९५०००	—	९५०००	५७००००	२०३२०००	२६०२०००
१९०००	—	१९०००	—	—	—	८८३५००	२३००००	१११३५००
८०००	—	८०००	—	—	—	३५८०००	—	३५८०००
५५०००	—	५५०००	२०००००	—	२०००००	१०८००००	८६००००	१९४००००
—	—	—	२६१२५०	—	२६१२५०	६०५६२५	२५००००	८५५६२५
विमुक्त जातियाँ नहीं हैं			—	—	—	७६००००	३००००	७९००००
—	—	—	—	—	—	७३०००	२५०००	९८०००
१५३९०	—	१५३९०	—		—	१५३९०	—	१५३९०
विमुक्त जातियाँ नहीं हैं			—	—	—	२२८०००	१०००००	३२८०००
—	—	—	—	—	—	२३७५०	—	२३७५०
विमुक्त जातियां नहीं हैं			—	—	—	८६३५२८	४०००००	१२६३५२८
—	—	—	२३७५०	—	२३७५०	७६०००	—	७६०००
विमुक्त जातियां नहीं हैं			४३०००	—	४३०००	१३७१०००	१७५०००	१५४६०००
विमुक्त जातियाँ नहीं हैं			—	—	—	४२७०००	२३००००	६५७०००
—	—	—	—	—	—	१०३८०००	४९५०००	१५३३०००
विमुक्त जातियाँ नहीं हैं			—	—	—	५७०००	५००००	१०७०००
४८९९४०	—	४८९९४०	१५७८२००	—	१५७८२००	६०१०८३९३	२०४२७०००	८०५३५३९३

परिशिष्ट

तालिका नं०

प्रथम पंचवर्षीय और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भैषजिक तथा जन-स्वास्थ्य योजनाओं

क्र० सं०	राज्य का नाम	अनुसूचित आदिमजातियां		अनुसूचित जातियां
		प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	प्रथम पंचवर्षीय योजना
१	२	३	४	५
१.	आंध्र	८ डिस्पेंसरियां खोली गई जिनमें से दो अस्पताल के रूप में बदल गईं), ६ जिलों में फफोले रोग विरोधी कार्यवाही की गई, ८ मलेरिया निरोध की योजनायें हाथ में ली गईं और ४५ कुंए खोदे गये	एक चलती-फिरती मैडिकल यूनिट ३ डिस्पेंसरियां, १ अस्पताल, ६ चलती-फिरती डिस्पेंसरियां, २ मातृगृह तथा शिशु कल्याण केन्द्र स्थापित किये जायेंगे । २ मलेरिया निरोधी योजनाएं चलाई जायेगी	—
२.	आसाम	१७ डिस्पेंसरियां, ३ चलतीं-फिरती डिस्पेंसरियां, ३ मातृगृह, १५ स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये और २ पानी की योजनायें हाथ में ली गईं	५१ डिस्पेंसरियां, ३० चलती-फिरती डिस्पेंसरियां और १ अस्पताल खोले और चलाये जायेंगे ५२० कुए और टैंक खोदे जायेंगे	४० ट्यूब-वैल, १९१ रिंग वैल, २२ टैंक बनाये गए । २६६ डिस्पेंसरियों को सहायता दी गई
३.	बिहार	११ मेडीकल केन्द्र खोले गये, २८ डिस्पेंसरियां, ४ आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां चालू रखीं गईं और कुष्ठ-शोध सस्थाएं तथा ठक्कर कुष्ठ उपचार केन्द्र खोले गये । १४६७ कुंए खोदे गए और ४०१ झरने बनाये गए	२ कुष्ठ निरोधक यूनिटों की स्थापना की जायेगी, १००० कुएं खोदे जायेंगे और ठक्कर कुष्ठ केन्द्र चालू रखे जायेंगे	
४.	बम्बई	अप्राप्त	१५ चलती-फिरती डिस्पेंसरियां २ चलते-फिरते यूनिट, ४ डिस्पेंसरियां, १ यौज रोग सम्बन्धी डिस्पेंसरी खोली जाएगी और ७०० कुंए खोदे जायेंगें	

२७

३

में प्राप्त। प्राप्त होनेवाले लक्ष्यों को प्रदर्शित करने वाली तालिका

	विमुक्त जातियां		अन्य पिछड़े वर्ग	
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना
६	७	८	९	१०
३७५ कुएँ, ५७० पग-डंडियां, १५४० टट्टियां और ७७० स्नानगृह बनाये जायेंगे	श्रीहरीकोटा द्वीप की दो बस्तियों में मलेरिया विरोधी योजनायें चलाई गईं, १० कुए खोदे गए और १ कुएं की मरम्मत की गई	—	—	—
पानी की योजनायें हाथ में ली जायेगी, ६३० कुएं व तालाव और ३५० डिसपेंसरियां, खोली जायेंगी और ६० भैषजिक छात्रवृत्तियां दी जायेगी	—विमुक्त जातियां	नहीं—	—	—
६००० कुएं खोदे जायेंगे	अप्राप्त	२५० कुएं खोदे जायेंगे	—	—
५०० कुएं खोदे जायेंगे और ८०४ कुओं की मरम्मत की जायेंगी	अप्राप्त	पानी की योजनाओं पर १४१५५०)खर्च किये जायेंगे	—	—

१	२	३	४	५
५	मध्य प्रदेश	अप्राप्त	४ संसर्ग जन्य रोग डिस्पेंसरियाँ, ४ प्रशिक्षण केन्द्र, ५० स्वास्थ्य यूनिटें, ५० मातृगृह और शिशु कल्याण केन्द्र खोले जायेंगे। ५० मलेरिया— निरोधक योजनायें चलाई जायेंगी और ७०० कुएं खोदे जायेंगे।	९७ कुएं खोदे गये
६	मद्रास	अप्राप्त	३०० कुएं खोदे जायेंगे, २ डिस्पेंसरियां और ५ चलती— फिरती डिस्पेंसरियां खोली जायेंगी।	मलाबार जिले में ८ कुएं बनाये गये। नीलगिरी के बारे में सूचना प्राप्त नहीं
७	उड़ीसा	१ आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोली गई और १५८० कुएं खोदे गये	४१० कुएं खोदे जायेंगे और ४ डिस्पेंसरियां खोली जायेंगी, १ स्वास्थ्य यूनिट चलाई जायेगी और ८ कम्पोंडरों तथा ३ हैल्थ इन्सपेक्टरों को प्रशिक्षण दिया जायेगा	२५ कुएं खोदे गये और १६० कुओं का काम हाथ में लिया गया।
८	पंजाब	स्वास्थ्य और सफाई की टीम और १ डिस्पेंसरी खोली गई	१ डिस्पेंसरी और २ चलती— फिरती यूनिटें चालु रखी जायेंगी और खोली जायेंगी और मैडिकल प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी	१०३ कुएं खोदे और २१७ कुओं की मरम्मत की गई। दवाइयों के १५० डिब्बे बांटे गये।
९	उत्तर प्रदेश	———अनुसूचित	आदिमजातियां नहीं———	३००० कुएं खोदे गये और १८८० कुओं की मरम्मत की गई
१०	पश्चिमी बंगाल	६ स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये, ६ कुष्ठ-केन्द्र चलाये और ३९५८ तथा १२८ परि-वारों को क्रमशः पिछले ३ सालों में मदद दी और ९०३ ट्यूब वैल लगाये गये	१९८५ कुएं खोदे जायेंगे, २ कुष्ठ यूनिटें और २४ स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।	अप्राप्त

६	७	८	९	१०
३०० कुएं खोदे जायेंगे	——————विमुक्त जातियां नहीं	——————	९ कुएं बनाये गये और १६८ केन्द्रों को दवाइयाँ बांटी गईं	३२० मैडिकल चैस्ट केन्द्र खोले जायेंगे और ६० कुएं खोदे जायेंगे।
५०० कुएं खोदे जायेंगे और ५४१४३ परिवारों को सफाई औजार दिये जायेंगे	२८ कुएं खोदे और २ मैडिकल बाक्स खरीदे गये	११ कुएं और २० टट्टियां बनवाये जायेंगी	७ कुएं खोदे गये और २२८ कम्बल बाँटे गये और ७ वस्तियों में कुनेन दी गई	२१० परिवारों को कुनेन दी जायेगी।
१५१६ कुएं खोदे जायेंगे और ३ हैल्थ इन्सपेक्टरों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।	२ मैडिसिन चैस्ट खरीदे गये ६ रिंग कुएं, २ तालाब, १ ट्यूब वैल और १ कुआँ बनाये गये	५० कूएं खोदे जायेंगे।	१२० कुओं के लिए सहायता स्वीकृत की गई और ९० कुओं का काम हाथ में लिया गया	—
३०० कुएं बनाये जायेंगे और ५०० कुओं की मरम्मत की जायेगी	३ नर्सों को प्रशिक्षण दिया गया और १३ बाक्स दवाइयां खरीदी गईं	४ नर्सों और दाइयों को प्रशिक्षण दिया जायेगा	—	—
५८६६ कुएं खोदे जायेंगे।	—	—	—	१९० क्षय रोगियों को सहायता
७३३ कुएं खोदे जायेंगे।	—	—	—	—

१	२	३	४	५
११	हैदराबाद	४ स्वास्थ्य केन्द्र और एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी चालू रखे गये और ३८ कुएं खोदे और १२ की मरम्मत की गई	१५० कुएँ खोदे जायेंगे	—
१२.	जम्मू व काश्मीर	——————-अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं——————		—
१३.	मध्य भारत	५३७ कुएं बनाये गये और मरम्मत की,गई मुफ्त दवाइयां दी गईं और मलेरिया निरोधक कार्यवाही की गई	१ टी०बी० अस्पताल, २ यौन रोगी यूनिटें, कुष्ट रोग यूनिट खोली और चलाई गईं तथा ४१८ कुएं खोदे और मरम्मत किये जायेंगे	—
१४.	मैसूर	अप्राप्त	४ चलती-फिरती स्वास्थ्य गाड़ियां बनाई जायेंगी और २० कुएं खोदे जायेंगे ।	—
१५.	पंप्सू	——————-अनुसूचित आदिमजातियां नहीं——————		७२१ कुएं खोदे गये
१६.	राजस्थान	५ डिस्पेंसरियां खोली गईं	३५० कुएं, १६२५ स्टेप वेल खोदे जायेंगे और ८५००० व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा	—
१७.	सौराष्ट्र	२० मैडिकल चैस्ट बाँटे गये	५० मैडिकल चैस्ट केन्द्र खोले जायेंगे और ११२५ रोगियों को औषधि सहायता दी जायेगी	अप्राप्त
१८.	त्रावणकोर-कोचीन	२ चलती-फिरती मैडिकल यूनिटें खोली गईं	मुफ्त दवाई बांटी गई, ५ डिस्पेंसरियां और २ चलती-फिरती डिस्पेंसरियां खोली गईं, ३०० कुएं, २०० टट्टियाँ और ५० श्मशान स्थान बनाये गये और ८ स्वास्थ्य निरीक्षक नियुक्त किये जायेंगे ।	—

६	७	८	९	१०
६२५ कुएं बनाये जायेंगे और ५०० कुओं की मरम्मत की जायेंगी	२ स्वास्थ्य यूनिट चालू किये गये, ४० कुएं खोदे और १ कुएं की मरम्मत की गई	१०० कुएं खोदे जायेंगे	—	—
५० कुएं, ५० तालाब और १०० झरनों को सुधारा जायेगा	————विमुक्त जातियां नहीं———		—	५० कुएं ५० तालाब १०० झरने सुधारे जायेंगे और २ चलती-फिरती डिस्पेंसरियां खोली जायेंगी।
३०० कुएं खोदे जायेंगे।	—	४१ कुएं खोदे जायेंगे	—	३३ कुएं खोदे जायेंगे
४३० कुंए खोदे जायेंगे	—	१० कुंए बनाये जायेंगे	—	—
५०० कुयें खोदे जायेंगे	—	—	—	—
६०७ कुए खोदे जायेंगे	—	८० कुंए खोदे जायेंगे और १००० व्यक्तियों को औषध सहायता दी जायेंगी	६ डिस्पेंसरियां खोली और ६००५ कुओं की मरम्मत की गई	६२५ कुएं खोदे जांयेंगे और ६०००० व्यक्तियों को लाभ मिलेगा
५०० कुएं बनाये जायेंगे, २००० हाथ नल लगाये जायेंगे और २१२५ रोगियों को औषधि सहायता दी जायेगी।	६५ चेस्ट खरीदे गये	—	२० मैडिसिनचैस्ट खरीदे और ३२ रोगियों को सहायता दी गई	५० मैडिसिन चैस्ट खरीदे जायेंगे और १५० नर्सों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
३०० कुएं, २०० टट्टियां और ५० श्मशान स्थान बनाये जायेंगे	—	—	—	—

१	२	३	४	५
१९.	अजमेर	२५ फस्ट एड बाक्स खरीदे गये ३८ स्त्रियों को गर्भ समय में सहायता दी गई और २५ दुर्बलों को सहायता दी गई	एक चलती-फिरती डिस्पेंसरी खोली जायेगी और मलेरिया निरोधक कार्यवाही से २६० परिवारों को फायदा पहुंचेगा ।	--
२०.	भोपाल	—	—	—
२१.	कुर्ग	अप्राप्त	२५ कुएं खोदे जायेंगे और २५०० लोरेगजाइन की बोतलें आदि दी जायेंगी	१३ कुएं, ९ कच्चे कुएं खोदे, ५०० गज कपड़ा खरीदा गया २५० बोतल लोरेगजाइन दिया
२२.	दिल्ली	——————अनुसूचित आदिमजातियां नहीं——————		—
२३.	हिमाचल प्रदेश	६ आदमियों और एक स्त्री को कम्पौंडर का प्रशिक्षण दिया गया, टीका लगाने और दाई का काम सिखाया गया, पानी की सुविधा के लिये सहायता दी गई	३ कुष्ठ रोग यूनिटें और २ डिस्पेंसरियां खोली जायेंगी	१४ बावली-तालाब पानी की नालियां बनाई गईं, एक दाई को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया दवाइयां खरीदी गईं और नालियाँ बनाई गईं
२४.	कच्छ	५६ कुयें बनाये या मरम्मत किये	३५ कुयें खोदे जायेंगे	३३ सार्वजनिक कुएं बनाये मरम्मत किये गये
२५.	मणीपुर	२९ डिस्पेंसरी भवन बनाये गये, २२२ डिस्पेंसरियों को औजार दिये गये, २ तालाब बनाये गये	एक चलती-फिरती यूनिट, पानी के झरने, ३३० गावों के तालाब, १०० दवाई केन्द्र और २५ डिस्पेंसरियाँ खोली जायेंगी	१० कुएं बनाये गये
२६.	त्रिपुरा	४ स्टेटिक और एक चलती-फिरती डिस्पेंसरी खोली, ४डिस्पेंसरियों के भवन बनाये, ११० ट्यूबवैल और २५ रिंग कुएं पूरे किये	२०० कुएं, १४५ मिट्टी के रिंग बनाये जायेंगे, २ मैडिकल केन्द्र खोले जायेंगे, ८० दाइयों को प्रशिक्षण दिया जायेगा	अप्राप्त
२७.	विन्ध्य प्रदेश	१७ औषधालय और ३ डिस्पेसरियां खोली गईं और चलाई गई, २ अस्पतालों के भवन बनाये, २ लेंड रोवर गाड़ियां चलती फिरती डिस्पेंसरियों के लिए खरीदी गईं	एक आंखों का क्लिनिक, २ चलती-फिरती गाड़ियां,४ डिस्पेंसरियाँ खोली जायेंगी और २१० कुएँ खोदे और मरम्मत किये जायेंगी	२७० मैडिकल चैस्ट बांटे गये और १०४ कुएं खोदे और १६० की मरम्मत की गई
२८.	पांडेचरी	——————अनुसूचित आदिमजातियां नहीं——————		—

६	७	८	९	१०
—	—	—	—	—
—	—	—	—	
१०० कुएँ खोदे जायेंगे और २५ कुओं की मरम्मत की जायेगी ।	—	—	—	—
२० कुएँ खोदे जायेंगे	—	—	—	—
९५००० फुट पाइप डाला जायेगा, ४ डिस्पेंसरियाँ खोली जायेंगी और ३० छात्रों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ।	---	—	४० फस्ट एड बक्स तथा दूसरी दवाइयां खरीदीं	—
४० कुएँ खोदे जायेंगें	--	--	—	४० कुएं खोदे जायेंगे
मुफ्त दवा का एक केन्द्र खोला जायेगा	--	---	—	२ टेंक बनाये जायेंगें ४ मैडिकल केन्द्र खोले जायेंगे
—	—	—	—	—
३२५ कुएँ खोदे जायेंगे ।	—	—	—	—
१०० कुएं खोदे जायेंगे ।	———विमुक्त जातियां नहीं———		--	—

परिशिष्ट

तालिका न०

१९५६—५७ में चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य योजनाओं पर राज्य सैक्टर तथा केन्द्रीय सैक्टर

क्र०सं०	राज्य का नाम	अनुसूचित आदिमजातियां			अनुसूचित जातियां		
		राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग	राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग
१	२	३	४	५	६	७	८
१	आंध्र	१७८३९१	३००००	२०८३९१	३०००००	१०८०००	४०८०००
२	आसाम	८९०१००	—	८९०१०००	८५९९४	—	८५९९४
३	बिहार	३८२६०३३	९२७५०	३९१८७८३	८०००००	—	८०००००
४	बम्बई	१५१३६५४	४७७९८०	१९८१६३४	१०००००	—	१०००००
५	मध्य प्रदेश	—	२७१०००	२७१०००	—	—	—
६	मदरास	७७२६६	४९७०	८२२३६	५६३२१६	३०००००	८६३२१६
७	उड़ीसा	७३७७९८	—	७३७७९८	१५२५३१	८००००	२३२५३१
८	पंजाब	३२८००	३९०६०	७१८६०	१६००००	—	१६००००
९	उत्तर प्रदेश	अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं			३०००००	१२००००	४२००००
१०.	पश्चिमी बंगाल	६००२९९	२७४३००	८७४५९९	१३२७१०	२१३५००	३४६२१०
११.	हैदराबाद	४४४४२	—	४४४४२	२३९००	—	२३९००
१२.	जम्मू तथा काश्मीर	अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं			—	—	—
१३.	मध्य भारत	—	३८४६५४	३८४६५४	—	—	—
१४.	मसूर	८२०००	९०००	९१०००	९५०००	—	९५०००
१५.	पैप्सू	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं			—	—	—
१६.	राजस्यान	९६३९८	१४००००	२३६३९८	११३८००	३००००	१४३८००
१७.	सौराष्ट्र	१५०००	—	१५०००	८१८००	५००००	१३१८००
१८.	त्रावणकोर—कोचीन	१३७०००	२६००	१३९६००	२६३०००	—	२६३०००
१९.	अजमेर	५००	५०००	५५००	८५००	—	८५००
२०.	भोपाल	—	—	—	—	—	—
२१.	कुर्ग	१६०००	—	१६०००	२५०००	—	२५०००
२२.	दिल्ली	अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं			५०००	—	५०००
२३.	हिमाचल प्रदेश	७५९८६	४२०००	११७९८६	९१००	—	९१००
२४.	कच्छ	५०००	—	५०००	६०००	—	६०००
२५.	मणीपुर	२९६५१०	—	२९६५१०	६००	—	६००
२६.	त्रिपुरा	५८०००	१००००	६८०००	—	—	—
२७.	विन्ध्य प्रदेश	१३९०००	१५७०००	२९६०००	६००००	—	६००००
२८.	पाण्डेचरी	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं			—	—	—
	योग	८८२२१७७	१९३०३१४	१०७५२४९१	३२८६१५१	९०१५००	४१८७६५१

२७

४

के अन्तर्गत हुए तुलनात्मक व्यय को प्रकाशित करने वाली तालिका

विमुक्त जातियाँ			अन्य पिछड़े वर्ग			योग		
राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गन	योग	राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग	राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग
९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
८२१५५	—	८२१५५	—	—	—	५६०५४६	१३८०००	६९८५४६
विमुक्त जातियां नहीं हैं		—	—	—	—	९७६०९४	—	९७६०९४
२२१९६	—	२२१९६	—	—	—	४६४८२२९	९२७५०	४७४०९७९
—	—	—	१००००×	—	१००००×	१६२३६५४	४६७९८०	२०९१६३४
विमुक्त जातियां नहीं हैं		—	—	—	—	—	२७१०००	२७१०००
२८४००	—	२८४००	२०१००	—	२०१००	६८८९८२	३०४९७०	९९३९५२
६५००	—	६५००	—	—	—	८९६८२६	८००००	९७६८२९
४०००	—	४०००	—	—	—	१९६८००	३९०६०	२३५८६०
—	—	—	५००००	—	५००००	३५००००	१२००००	४७००००
—	—	—	—	—	—	७३३००९	४८७८००	१२२०८०९
२०००	—	२०००	—	—	—	७०३४२	--	७०३४२
विमुक्त जातियां नहीं हैं		—	५५०००	—	५५०००	५५०००	—	५५०००
१९९५०	—	१९९५०	१९०००	—	१९०००	३८९५०	३८४६५४	४२३६०४
—	—	—	—	—	—	१७७०००	९०००	१८६०००
—	—	—	—	—	—	—	—	—
६३००	—	६३००	६४०६७	—	६४०६७	२८०५६५	१७००००	४५०५६५
—	—	—	१९२००	—	१९२००	११६०००	५००००	१६६०००
विमुक्त जातियां नहीं हैं		—	—	—	—	४०००००	२६००	४०२६००
—	—	—	—	—	—	९०००	५०००	१४०००
९००	—	९००	—	—	—	९००	—	९००
—	—	—	—	—	—	४१०००	—	४१०००
—	—	—	—	—	—	५०००	—	५०००
—	—	—	—	—	—	८५०८६	४२०००	१२७०८६
—	—	—	—	—	—	११०००	—	११०००
—	—	—	२१४००	—	२१४००	३१८५१०	—	३१८५१०
—	—	—	२१४००	—	२१४००	७९४००	१००००	८९४००
—	—	—	—	—	—	१९९०००	१५७०००	३५६०००
—	—	—	—	—	—	—	—	—
१७२४०१	—	१७२४०१	२८०१६७	—	२८०१६७	१२५६०८९६	२८३१८१४	१५३९२७१०

× खानाबदोश जातियों के लिए

परिशिष्ट

तालिका नं०

पिछड़े वर्गों के लिये भवन निर्माण योजना पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुए तथा द्वितीय

क्र० सं०	राज्य का नाम	अनुसूचित आदिमजातियां		अनुसूचित जातियां	
		प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना
१	२	३	४	५	६
१.	आंध्र	—	—	—	८४८१४००
२.	आसाम	—	३७५०००	—	१८४००००
३.	बिहार	—	२००००००	—	२००००००
४.	बम्बई	३६४००	३८०१८००	६२९७४	२१५४२५०
५.	मध्यप्रदेश	—	३७५००००	—	७५००००
६.	मदरास	—	१७४९०००	—	८७५००००
७.	उड़ीसा	४०९०७१२	४२०००००	१०००००	१८७५०००
८.	पंजाब	—	—	१५००००	२६४००००
९.	उत्तर प्रदेश	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं है		—	६३५००००
१०.	पश्चिमी बंगाल	—	१००००००	—	१२५००००
११.	हैदराबाद	—	५३८६५०	अप्राप्त	६६५०००
१२.	जम्मू तथा काश्मीर	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं है		अप्राप्त	२५००००
१३.	मध्य भारत	—	१५००००	अप्राप्त	—
१४.	मैसूर	सूचना नहीं दी गई——	२५००००	—	१०५०००००
१५.	पैप्सू	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं		—	६९३०००
१६.	राजस्थान	—	—	—	८५००००
१७.	सौराष्ट्र	—	—	—	१९७५००
१८.	त्रावणकोर-कोचीन	—	४७२०००	—	२३७५०००
१९.	अजमेर	९२५००	४०००००	२८४७५	६२५००
२०.	भोपाल	४११६००	—	३२९०५०	२०००००
२१.	कुर्ग	अप्राप्त	५८००००	२३८६२७	५४६७५०
२२.	दिल्ली	अनुसूचित आदिमजाति नहीं हैं		अप्राप्त	११५५०००
२३.	हिमाचल प्रदेश	११५६२	—	४५४९५	२८५०००
२४.	कच्छ	२४८२५०	३२७५००.	२१५७००	१४२५००
२५.	मणीपुर	—	५०००००	४४०४७	१००००
२६.	त्रिपुरा	५१२६	५०००००	१००००	९००००
२७.	विन्ध्य प्रदेश	—	७०००००	—	४५००००
२८.	पाण्डेचरी	—	—	—	९५०००
	योग	४८९६१५०	२२६४३९५०	१२२४३६८	५४६५७९००

२८

१

पंचवर्षीय योजना में होने वाले प्रस्तावित व्यय के तुलनात्मक अध्ययन को प्रदर्शित करने वाली तालिका

विमुक्त जातियां		अन्य पिछड़े वर्ग		योग	
प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना
७	८	९	१०	११	१२
५०८००	व्यय निर्धारितनहीं हुआ	अप्राप्त	—	५०८००	८४८१४००
विमुक्त जातियाँ नहीं हैं।		अप्राप्त	—	—	२२१५०००
—	१५००००	—	—	—	४१५००००
२२३०८२	३५६२५०	अप्राप्त	—	३२२४५६	६३१२३००
विमुक्त जातियां नहीं हैं		—	—	—	४५००००
९४३०००	१२५००००	१००४०	३३३०००	१०४३४०	१२०८२०००
१७२९७६	३७००००	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पृथक योजना नहीं है		४३६३६८८	६४४५०००
१९७८००	३८००००	अप्राप्त	—	३४७८००	३०२००००
—	२५००००	—	३०००००	—	६९०००००
अप्राप्त	—	अप्राप्त	—	—	२२५००००
अप्राप्त	—	—	—	—	१२०३६५०
विमुक्त जातियां नहीं हैं		अप्राप्त	२५००००	—	५०००००
अप्राप्त	—	अप्राप्त	—	—	१५०००००
अप्राप्त	३८००००	पृथक योजनायें नहीं		—	१११३००००
१०५६००	—	अप्राप्त	४९०००	१०५६००	७४२०००
—	—	—	३५००००	—	१२०००००
२१८४००	—	२७२००	२३०८५०	२४५६००	४२८३५०
विमुक्त जातियाँ नहीं हैं		अप्राप्त	—	—	२८४७०००
४३७५०	१०००००	अप्राप्त	११६५००	१६३७२५	६७९०००
२२१०	—	४३१९९६	—	११७४८५६	२०००००
विमुक्त जातियां नहीं हैं		अप्राप्त	—	२३८६२७	११२६७५०
अप्राप्त	—	अप्राप्त	—	—	११५५०००
विमुक्त जातियां नहीं हैं		—	—	५७०५७	२८५०००
—	१९०००	अप्राप्त	९५०००	४६३९५०	५८४०००
विमुक्त जातियां नहीं हैं		अप्राप्त	८००००	४४०४७	५९००००
विमुक्त जातियां नहीं हैं		अप्राप्त	—	१५१२६	५९००००
—	२५०००	अप्राप्त	—	—	११७५०००
—	—	अप्राप्त	—	—	९५०००
११०८९१८	३२८०२५०	४६९२३६	१८०४३५०	७६९८६७२	८२३८६४५०

परिशिष्ट

तालिका नं०

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भवन-निर्माण कार्यक्रम पर राज्य योजना तथा केन्द्र द्वारा प्रसारित योजनाओं के अन्तर्गत

०	राज्य का नाम	अनुसूचित आदिमजातियाँ			असुसूचित जातियां		
		राज्य योजना के अन्तर्गत	केन्द्र द्वारा प्रसारित योज ना के अन्तर्गत	योग	राज्य योजना के अन्तर्गत	केन्द्र द्वारा प्रसारित योजना के अन्तर्गत	योग
१	२	३	४	५	६	७	८
१.	आंध्र	—	—	—	७२३१४००	१२५००००	८४८१४००
२.	आसाम	—	३७५०००	३७५०००	११४००००	७०००००	१८४००००
३.	बिहार	—	२००००००	२००००००	—	२००००००	२००००००
४.	बम्बई	८०१८००	३००००००	३८०१८००	११५४२५०	१००००००	२१५४२५०
५.	मध्य प्रदेश	—	३७५००००	३७५००००	—	७५००००	७५००००
६.	मदरास	७४९०००	१००००००	१७४९०००	५७५००००	३००००००	८७५००००
७.	उड़ीसा	१२०००००	३००००००	४२०००००	८७५०००	१००००००	१८७५०००
८.	पंजाब	—	—	—	११४००००	१५०००००	२६४००००
९.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	२६०००००	३७५००००	६३५००००
१०.	पश्चिमी बंगाल	—	१००००००	१००००००	—	१२५००००	१२५००००
११.	हैदराबाद	५३८६५०	—	५३८६५०	६६५०००	—	६६५०००
१२.	जम्मू तथा काश्मीर	—	—	—	२५००००	—	२५००००
१३.	मध्य भारत	—	१५०००००	१५०००००	—	—	—
१४.	मैसूर	—	२५००००	२५००००	९५०००००	१००००००	१०५०००००
१५.	पैप्सू	—	—	—	२९३०००	४०००००	६९३०००
१६.	राजस्थान	—	—	—	३५००००	५०००००	८५००००
१७.	सौराष्ट्र	—	—	—	४७५००	१५००००	१९७५००
१८.	त्रावणकोर-कोचीन	२४७०००	२२५०००	४७२०००	२३७५०००	—	२३७५०००
१९.	अजमेर	२५००००	१५००००	४०००००	१२५००	५००००	६२५००
२०.	भोपाल	—	—	—	—	२०००००	२०००००
२१.	कुर्ग	३८००००	२०००००	५८००००	३४६७५०	२०००००	५४६७५०
२२.	दिल्ली	—	—	—	८५५०००	३०००००	११५५०००
२३	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	२८५०००	—	२८५०००
२४.	कच्छ	१४२५००	१८५०००	३२७५००	१४२५००	—	१४२५००
२५.	मणीपुर	४०००००	—	४०००००	१००००	—	१००००
२६.	त्रिपुरा	—	४०००००	४०००००	९००००	—	९००००
२७.	विन्ध्य प्रदेश	३०००००	४०००००	७०००००	२०००००	२५००००	४५००००
२८.	पांडेचरी	—	—	—	९५०००	—	९५०००
	योग	५१०८९५०	१७५३५०००	२२६४३९५०	३५४०७९००	१९२५००००	५४६५७९००

२८

२

होनेवाले प्रस्तावित व्यय को प्रदर्शित करने वाली तालिका

विमुक्त जातियाँ			अन्य पिछड़े वर्ग			योग		
राज्य योजना के अन्तर्गत	केन्द्र द्वारा प्रसारित योजना के अन्तर्गत	योग	राज्य योजना के अन्तर्गत	केन्द्र द्वारा प्रसारित योजना के अन्तर्गत	योग	राज्य योजना के अन्तर्गत	केन्द्र द्वारा प्रसारित योजना के अन्तर्गत	योग
९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
——प्रथम आंकड़े प्राप्त नहीं——			—	—	—	७२३१४००	१२५००००	८४८१४००
—	—	—	—	—	—	११४००००	१०७५०००	२२१५०००
—	१५००००	१५००००	—	—	—	—	४१५००००	४१५००००
३५६२५०	—	३५६२५०	—	—	—	२३१२३००	४००००००	६३१२३००
—	—	—	—	—	—	—	४५०००००	४५०००००
२५००००	१००००००	१२५००००	३३३०००	—	३३३०००	७०८२०००	५००००००	१२०८२०००
२७००००	१०००००	३७००००	—	—	—	२३४५०००	४१०००००	६४४५०००
३८००००	—	३८००००	—	—	—	१५२००००	१५०००००	३०२००००
२५००००	—	२५००००	३०००००	—	३०००००	३१५००००	३७५००००	६९०००००
—	—	—	—	—	—	—	२२५००००	२२५००००
—	—	—	—	—	—	१२०३६५०	—	१२०३६५०
—	—	—	२५००००	—	२५००००	५०००००	—	५०००००
—	—	—	—	—	—	—	१५०००००	१५०००००
३८००००	—	३८००००	—	—	—	९८८००००	१२५००००	१११३००००
—	—	—	४९०००	—	४९०००	३४२०००	४०००००	७४२०००
—	—	—	३५००००	—	३५००००	७०००००	५०००००	१२०००००
—	—	—	२३०८५०	—	२३०८५०	२७८३५०	१५००००	४२८३५०
—	—	—	—	—	—	२६२२०००	२२५०००	२८४७०००
१०००००	—	१०००००	११६५००	—	११६५००	४७९०००	२०००००	६७९०००
—	—	—	—	—	—	—	२०००००	२०००००
—	—	—	—	—	—	७२६७५०	४०००००	११२६७५०
—	—	—	—	—	—	८५५०००	३०००००	११५५०००
—	—	—	—	—	—	२८५०००	—	२८५०००
१९०००	—	१९०००	९५०००	—	९५०००	३९९०००	१८५०००	५८४०००
—	—	—	८००००	—	८००००	५९००००	—	५९००००
—	—	—	—	—	—	९००००	५०००००	५९००००
२५०००	—	२५०००	—	—	—	५२५०००	६५००००	११७५०००
—	—	—	—	—	—	९५०००	—	९५०००
२०३०२५०	१२५००००	३२८०२५०	१८०४३५०	—	१८०४३५०	४४३५१४५०	३८०३५०००	८२३८६४५०

परिशिष्ट

तालिका नं०

पिछड़े वर्गों की भवन निर्माण योजना के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना तथा द्वितीय

क्र० सं०	राज्य का नाम	अनुसूचित आदिमजातियां		अनुसूचित जातियाँ	
		प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना
१	२	३	४	५	६
१.	आन्ध्र	—	—	—	१७०० घरों का स्थान प्राप्त करना, ८४०० घर बनाने, ६०१५० परिवारों को लाभ मिलेगा
२.	आसाम	—	लक्ष्य निर्धारित नहीं हुए	—	२४०० घर
३.	बिहार	—	२४२४ परिवारों को लाभ मिलेगा	अप्राप्त	२४२४ परिवारों को लाभ मिलेगा
४.	बम्बई	—	५६ भवन-निर्माण समितियों को सहायता, ४०१२ घरों का निर्माण	—	८१ भवन-निर्माण समितियों को सहायता, १३३२ घरों का निर्माण
५.	मध्य प्रदेश	—	५००० घर	—	१००० घर
६.	मद्रास	—	२९१५ घर	—	२६४२८ घर
७.	उड़ीसा	९८१ यूनिट	७८०० घर	प्रत्येक २० घर के २५ यूनिटों की बनावट	४१६६ घर
८.	पंजाब	—	—	२५० घरों के लिए सहायता	४५०० घर
९.	उत्तर प्रदेश	—अनुसूचित आदिमजातियां नहीं—		—	७५०० घर
१०.	पश्चिमी बंगाल	—	२००० घर	—	२५०० घर
११.	हैदराबाद	—	१३५० झोंपड़ियां	अप्राप्त	१७५० झोंपड़ियां
१२.	जम्मू व कश्मीर	—अनुसूचित आदिमजातियां नहीं—		अप्राप्त	१५० घर

२८

३

पंचवर्षीय योजना में लक्ष्यों को तुलनात्मक अध्ययन को प्रदर्शित करने वाली तालिका

विमुक्त जातियाँ		अन्य पिछड़े वर्ग		योग	
प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना
७	८	९	१०	११	१२
२० झोंपड़ों और ५० शेडों की बनावट तथा १३०० घरों की मरम्मत	३१०० घर	अप्राप्त	—	२० घर तथा २० शेडों की बनावट तथा १३०० घरों की मरम्मत	१७००० घरों के लिए स्थान प्राप्ति, ६०१५० को सहायता, ११५०० घरों का निर्माण
—विमुक्त जातियां नहीं—		अप्राप्त	—	—	२४०० घर
—	१८२ घर	—	—	—	४८४८ परिवारों को लाभ मिलेगा तथा १८२ घर बनेंगे
—	२५ भवन निर्माण समितियों को सहायता	अप्राप्त	—	—	१६२ भवन निर्माण समितियों को सहायता, ५३४४ घरों का निर्माण
—विमुक्त जातियाँ नही—		—	—	—	६००० घर
५६ घरों की बनावट ५० परिवारों को सहायता	३८३० घर	४२ घर	६६६ घर	९८ घरों की मरम्मत ५० परिवारों को सहायता	३३८३९ घर
३०० झोंपड़े, ५ सामुदायिक घर पूरे हुए	२५०० घर तथा १० सामूहिक घर	––पृथक योजना नही हैं		१००६ यूनिट, ३०० झोंपड़े, तथा ५ सामुदायिक घर	१४४६६ घर तथा १० सामूहिक घर
३२७ घर	६५० घर	अप्राप्त	—	५७७ घर	५१५० घर
—	५०० घर	—	६०० घर	—	८६०० घर
—	—	अप्राप्त	—	—	४५०० घर
२००० व्यक्तियों और ३२ परिवारों को सहायता, ५ बस्तियों, २ सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण	२० बस्तियाँ	—	—	२००० व्यक्तियों को सहायता ३२ परिवारों के लिए ५ बस्तियों तथा २ सामुदायिक भवनों का निर्माण	२१०० घर तथा २० बस्तियां
—विमुक्त जातियां नहीं—		अप्राप्त	१००० घरों की मरम्मत तथा ३०० घरों की सहायता	—	१००० घरों की मरम्मत तथा ४५० घरों को सहायता

१	२	३	४	५	६
१३.	मध्य भारत	—	१५०० झोंपड़ियां	अप्राप्त	—
१४.	मैसूर	—	५०० घर	—	२७५०० घर
१५.	पेप्सू	—अनुसूचित आदिमजातियां नहीं—		—	११८८ घर
१६.	राजस्थान	—	—	—	१४३६ घर
१७.	सौराष्ट्र	—	—	—	१५० घर
१८.	त्रावणकोर-कोचीन	—	८०० घर तथा ५ सामुदायिक भवन	—	५००० घर
१९.	अजमेर	२२१ परिवारों को लाभ मिला	७५० घर	१२६ परिवारों को लाभ मिलेगा	२५ घर
२०.	भोपाल	६८६ ग्रामीण मकान (२३६ पूरे तथा ४५० बन रहे हैं)	—	२४१ घर	२८० घर
२१.	कुर्ग	—	११५० घर	६९८ घर	१४०० घर
२२.	दिल्ली	—अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं—		अप्राप्त	१०९४ घर
२३.	हिमाचल प्रदेश	—	—	लक्ष्य मालूम नहीं	१००० घर
२४.	कच्छ	१४६० परिवारों को लाभ मिला	००० घर	१२३९ व्यक्तियों को १५०) तथा २००) के हिसाब से मकानों की सहायता दी गई	७५० घर
२५.	मणीपुर	—	१००० घर	मकानों के लिए ४१० बण्डल टीन की चादरें दी गईं	२५ घर
२६.	त्रिपुरा	—	५०० घर	२३ परिवारों को लाभ मिला	—
२७.	विन्ध्य प्रदेश	८ आदर्श ग्राम बनाये गए ३९ घर बनाए गये ५७५ परिवारों को सहायता दी गई, २० आश्रम भवन बने	१२५०० घर	—	२ कालोनी तथा ३३० घर
२८.	पांडेचरी	—	—	—	२०० परिवारों को लाभ मिलेगा

७	८	९	१०	११	१२
अप्राप्त	—	अप्राप्त	—	—	१५०० झोंपड़े
अप्राप्त	११४० घर	—पृथक योजना नहीं—		—	२९१४० घर
२७८ घर	—	अप्राप्त	११२ घर	२७८ घर	१३०० घर
—	—	—	१००० परिवारों को लाभ मिलेगा	—	२४३६ घर
४०८ घर	—	२७५ परिवारों को सहायता	१२५० परिवारों को सहायता	४०८ घर तथा २७५ परिवारों कोसहायता	१४०० घर
—विमुक्त जातियाँ नहीं—		अप्राप्त	—	—	५८००घर तथा ५ सामुदायिक भवन
१९६ घर	२५० घर	अप्राप्त	४६६ घर	३४७ परिवारों को मकान बनाने की सहायता	११९१ घर
४७ व्यक्तियों को आर्थिक सहायता	—	१८७ घरों की २६ हरिजन बस्तियों का तथा ६ पंचायत घरों का निर्माण	—	९२७ घर, १४० घरों की मरम्मत, २६ हरिजन बस्तियों तथा ६ पंचायत घरों की बनावट और ४७ व्यक्तियों को आर्थिक सहायता	२८० घर
—विमुक्त जातियाँ नही—		अप्राप्त	—	६९८ घर	२५५० घर
अप्राप्त	—	अप्राप्त	—	—	१०९४ घर
—विमुक्त जातियाँ नहीं—		—	—	—	१००० घर
२५ परिवारों को लाभ मिलेगा	१००० परिवारों को लाभ मिलेगा	अप्राप्त	१०० परिवारों को लाभ मिलेगा	१४८५ परिवारों को सहायता तथा १२३९ व्यक्तियों को सहायता	१९५० घर
—विमुक्त जातियां नहीं—		अप्राप्त	२०० परिवारों को लाभ मिलेगा	मकानों के लिए ४१० बण्डल टीन की चादरें दी गई	१३२५ घर
—विमुक्त जातियां नहीं—		अप्राप्त	—	३३ परिवारों को सहायता	५०० घर
२१ घर	१०० परिवारों को लाभ मिलेगा	अप्राप्त	—	६० घर, ८ आदर्श ग्राम बनाये गए, ५७५ परिवारों को सहायता तथा २० आश्रमों के भवन बनाये गए	१२८३० घर तथा २ बस्तियां बसाई जायेंगी और १०० परिवारों को सहायता दी जाएगी
—	—	अप्राप्त	—	—	२०० परिवारों को लाभ मिलेगा

परिशिष्ट २९

तालिका नं० १

पिछले वर्गों के लिये संचार योजनाओं पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुए तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में होने वाले प्रस्तावित व्यय के तुलनात्मक अध्ययन को प्रदर्शित करने वाली तालिका।

क्रम० सं०	राज्य का नाम	अनुसूचित आदिमजातियाँ	
		प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना
१	२	३	४
१	आन्ध्र	३१,३६,८६४	४५,७१,०००
२	आसाम	३,३१,४३,२२७	४,९५,११,७००
३	बिहार	२,५९,१३४	५१,१२,५००
४	बम्बई	७,०७,१५९	२२,५०,०००
५	मध्य प्रदेश	प्राप्त नहीं है	६५,७०,०००
६	मद्रास	—	१,९८,०००
७	उड़ीसा	२,८५,६००	३९,००,०००
८	पंजाब	११,९९,६३७	७७,५४,०००
९	उत्तर प्रदेश	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं
१०	पश्चिमी बंगाल	८,२४,८२८	२२,८८,६५०
११	हैदराबाद	—	३,३२,५००
१२	जम्मू तथा काश्मीर	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं
१३	मध्य भारत	५,१२,०००	१३,८०,०००
१४	मैसूर	प्राप्त नहीं है	१,६५,०००
१५	पैप्सू	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं
१६	राजस्थान	१,९८,२३८	४,२५,०००
१७	सौराष्ट्र	७,९४०	—

१	२	३	४
१८	त्रावणकोर-कोचीन	—	—
१९	अजमेर	—	—
२०	भोपाल	—	—
२१	कुर्ग	प्राप्त नहीं है	१,४७,५००
२२	देहली	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं
२३	हिमाचल प्रदेश	७९,३८६	—
२४	कच्छ	—	—
२५	मणीपुर	३,७३,५३८	२४,२५,०००
२६	त्रिपुरा	७२,०००	१,००,०००
२७	विन्ध्य प्रदेश	—	७,७५,०००
२८	पान्डेचरी	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं
	अनुसूचित आदिमजातियों का योग	४,०७,९९,५५१	८,७८,९५,८५०
	×अनुसूचित जातियों का योग	२,२४,८९८	३,८१,७५०
	×विमुक्त जातियों का योग	२३,१७२	—
	×अन्य पिछड़े वर्गों का योग	१,९०.१४४	४,६३,५००
	कुल योग :	४,१२,३७,७६५	८,८७,४१,१००

×अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्राप्त सूचना बहुत ही कम है। फिर भी इन लोगों के लिए कल्याण योजनाओं पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में होनेवाला प्रस्तावित व्यय दिखलाया गया है और पूरा व्यय दिखलाने के लिए ऊपर जोड़ दिया गया है।

परिशिष्ट २६

तालिका नं० २

संचार योजनाओं पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्यसैक्टर तथा केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत रक्खे गये तुलनात्मक व्यय को प्रदर्शित करने वाली तालिका

क्रम संख्या	राज्य का नाम	अनुसूचित आदिमजातियां		
		राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग
१	२	३	४	५
१.	आन्ध्र ...	३८,९५,०००	६,७६,०००	४५,७१,०००
२.	आसाम ...	४,५८,९०,७००	३६,२१,०००	४,९५,११,७००
३.	बिहार ...	२६,१२,५००	२५,००,००	५१,१२,५००
४.	बम्बई ...	९,५०,०००	१३,००,०००	२२,५०,०००
५.	मध्य प्रदेश ...	५,७०,०००	६०,००,०००	६५,७०,०००
६.	कद्रास ...	१,९८,०००	—	१,९८,०००
७.	उड़ीसा ...	१४,००,०००	२५,००,०००	३९,००,०००
८.	पंजाब ...	५३,२०,०००	२४,३४,०००	७७,५४,०००
९.	उत्तर प्रदेश ...	—अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं—		
१०.	पश्चिमी बँगाल ...	१५,२६,६५०	७,६२,०००	२२,८८,६५०
११.	हैदराबाद ...	३,३२,५००	—	३,३२,५००
१२.	जम्मू और काश्मीर ...	—अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं—		
१३.	मध्य भारत ...	३,८०,०००	१०,००,०००	१३,८०,०००
१४.	मैसूर ...	९५,०००	७०,०००	१,६५,०००
१५.	पैप्सू ...	—अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं—		
१६.	राजस्थान ...	४,२५,०००	—	४,२५,०००
१७.	सौराष्ट्र ...	—	—	—
१८.	त्रावणकोर-कोचीन ...	—	—	—
१९.	अजमेर ...	—	—	—
२०.	भोपाल ...	—	—	—
२१.	कुर्ग ...	४७,५००	१,००,०००	१,४७,५००

१	२		३	४	५
२२.	दिल्ली	...	——अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं——		
२३.	हिमाचल प्रदेश	...	—	—	—
२४.	कच्छ	...	—	—	—
२५.	मणीपुर	...	१५,५०,०००	८,७५,०००	२४,२५,०००
२६.	त्रिपुरा	...	—	१,००,०००	१,००,०००
२७.	विन्ध्य प्रदेश	...	३,६५,०००	४,००,०००	७,६५,०००
२८.	पांडचेरी	...	——अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं——		
	अनुसूचित आदिम जातियों का योग	...	६,५५,५७,८५०	२.२३,३८,०००	८,७८,९५,०५०
	×अनुसूचित जातियों का योग	...	१.८१,७५०	२,००,०००	३,८१,७५०
	×विमुक्त जातियों का योग	...	—	—	—
	×अन्य पिछड़े वर्गों का योग		४,६३,५००	—	४,६३,५००
	कुल योग		६,६२,०३,१००	२,२५,३८,०००	८,८७,४१,१००

×अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना बहुत ही कम है। फिर भी इन पिछड़े वर्गों के लिए द्वितीय पंच वर्षीय योजना में प्रस्तावित व्यय का वितरण दिखाया गया है और पूरा व्यय दिखलाने के लिये ऊपर जोड़ दिया गया है।

परिशिष्ट २६

तालिका न० ३

संचार योजनाओं पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राप्त तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राप्त होने वाले प्रस्तावित लक्ष्यों के तुलनात्मक अध्ययन को प्रदर्शित करने वाली तालिका

क्र०सं०	राज्य का नाम	अनुसूचित आदिमजातियां	
		प्रथम पंच वर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना
१	२	३	४
१	आंध्र	१३ सड़कें, ४ गांव की सड़कें, ४ पुलियें, १३ गोदाम तथा ६ गैरिज बनवाये गये।	३६३ मील नई सड़कें, ३० मील पक्की सड़कें बननी हैं।
२	आसाम	मैदानी आदिवासी क्षेत्रों में ४७५० मील की सड़कों में सुधार किया गया।	१४५५ मील सड़कें बननी हैं।
३	बिहार	४६२ मील सड़कें बनाई गई।	१५४७ मील सड़कें बननी हैं।
४	बम्बई	१३८ मील सड़कों की मरम्मत की गई।	४०० मील मोटर जाने योग्य सड़कें बननी हैं
५	मध्य प्रदेश	——प्राप्त नहीं है——	८०० मील सड़कें बननी हैं।
६	मदरास	—	४०० मील सड़कें तथा एक पुल बनना है।
७	उड़ीसा	—	५३७५ मील सड़कें बननी हैं।
८	पंजाब	१० मील पग-डण्डियां, ३३ मील सड़कें, ८ पुल, गोले, पुलिये तथा ३० मील तक नालिएं, ४ विश्राम-गृह, ३ सराय तथा ४ गेंग-झोंपड़ियां बनाई गई।	२५८ मील नई सड़कें बननी हैं तथा १४३ मील पुरानी सड़कें मरम्मत होनी हैं।
९	उत्तर प्रदेश	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं।	अनुसूचित आदिम जातियां नहीं हैं।
१०	पश्चिमा बंगाल	३० गांव की सड़कें मरम्मत तथा बनाई गई और तीन बन रही हैं।	३१३ मील सड़कें बननी हैं।
११	हैदराबाद	—	१० सड़कें बननी हैं।
१२	जम्मू तथा काश्मीर	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं।	अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं।
१३	मध्य भारत	१०५० मील स्वच्छ मौसमी सड़कें बनाईं तथा मरम्मत की गई।	५२५ मील सड़कें मरम्मत होनी तथा बननी हैं।
१४	मैसूर	अप्राप्त	६० सड़कें बननी हैं।
१५	पैप्सू	अनुसूचित आदिम जातियाँ नहीं हैं।	अनुसूचित आदिम जातियां नहीं हैं।
१६	राजस्थान	—	८० मील सड़कें बननी हैं।
१७	सौराष्ट्र	—	—
१८	त्रावणकोर-कोचीन	—	—
१९	अजमेर	—	—

१	२	३	४
२०	भोपाल	—	—
२१	कुर्ग	अप्राप्त	१०० मील नई सड़कें बननी हैं और वर्तमान सड़कों में सुधार करना है ।
२२	दिल्ली	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं ।	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं ।
२३	हिमाचल प्रदेश	४.५ मील रास्ते बनाये गये ।	—
२४	कच्छ	—	—
२५	मणीपुर	३७ मील सड़कें बनाई गईं ।	१००० मील सड़कें तथा ७०० मील पग-डण्डियाँ बननी हैं और १५०० मील सड़कों की देख-भाल करनी है ।
२६	त्रिपुरा	११ गांव की सड़कें बनाई गईं तथा ३७ फुट रास्तों की मरम्मत की गई	२० मील पग-डण्डियां बननी हैं
२७	विन्ध्य प्रदेश	७८५.५ मील सड़कें बनाई गईं तथा ५४४ मील सड़कें मरम्मत की गई ।	१२२५ मील सड़कें बननी तथा मरम्मत होनी हैं ।
२८	पाण्डेचरी	अनुसूचित आदिमजातियाँ नहों हैं ।	अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं ।

परिशिष्ट २६

तालिका नं० ४

संचार योजनाओं पर १९५६-५७ में विभिन्न राज्यों द्वारा किये गये तुलनात्मक व्यय को प्रदर्शित करने वाली तालिका

क्रम संख्या	राज्य का नाम	अनुसूचित आदिमजातियाँ		
		राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत	योग
१	२	३	४	५
१	आन्ध्र	११,१२,५१८	१०,०००	११,२२,५१८
२	आसाम	७०,६६,१००	३,००,०००	७३,६६,१००
३	बिहार	१२,५०,०००	५,००,०००	१७,५०,०००
४	बम्बई	४,५०,०००	८,४०,०००	१२,९०,०००
५	मध्य प्रदेश	—	१,२०,०००	१,२०,०००
६	मदरास	३७,०००	—	३७,०००
७	उड़ीसा	१,५०,०००	५,००,०००	६,५०,०००
८	पंजाब	१२,७२,०००	१,२०,०००	१३,९२,०००
९	उत्तर प्रदेश	———अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं———		
१०	पश्चिमी बंगाल	२,१८,०००	—	२,१८,०००
११	हैदराबाद	१२,३१३	—	१२,३१३
१२	जम्मू और कश्मीर	———अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं———		
१३	मध्य भारत	९५,०००	१,७७,०००	२,७२,०००
१४	मैसूर	१८,०००	१२,०००	३०,०००
१५	पैप्सू	———अनुसूचित आदिमजातियां नहीं हैं———		
१६	राजस्थान	७५,०००	—	७५,०००
१७	सौराष्ट्र	—	—	—
१८	त्रावणकोर-कोचीन	—	—	—
१९	अजमेर	—	—	—
२०	भोपाल	—	—	—
२१	कुर्ग	१०,०००	२०,०००	३०,०००
२२	दिल्ली	———अनुसूचित आदिमजातियाँ नहीं हैं———		

क्रम संख्या	राज्य का नाम	अनुसूचित आदिमजातियाँ		
		राज्य सैक्टर के अन्तर्गत	केन्द्रीय सक्टर के अन्तर्गत	योग
१	२	३	४	५
२३	हिमाचल प्रदेश	—	३२,४००	३२,४००
२४	कच्छ	—	—	—
२५	मणीपुर	२,०७,५००	—	२,०७,५००
२६	त्रिपुरा	—	—	—
२७	विन्ध्य प्रदेश	—	५०,०००	५०,०००
२८	पांडेचरी	—	—	—
	अनुसूचित आदिम-जातियों का योग	१,१९,७३,४३१	२६,८१,४००	१,४६,५४,८३१
×	अनुसूचित जातियों का योग	१९,०००	—	१९,०००
×	विमुक्त जातियों का योग	१०,०००	—	१०,०००
×	अन्य पिछड़े वर्गों का योग	७२,५००	—	७२,५००
	कुल योग :	१,२०,७४,९३१	२६,८१,४००	१,४७,५६,३३१

× अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना बहुत ही कम है। फिर भी इन पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण योजनाओं पर १९५६-५७ में किये हुए काम को दिखाया गया है और पूरा व्यय दिखलाने के लिये उसे ऊपर जोड़ दिया गया है।

परिशिष्ट ३०

विभिन्न सांस्कृतिक आदिवासी शोध संस्थाओं द्वारा किया गया कार्य

बिहार

साँस्कृतिक शोध संस्था, राँची की स्थापना जनवरी, १९५४ में हुई। व्यवस्थापक का पद जो पहली मार्च, १९५६ तक खाली रखा गया था अब भर गया है। उस पद पर वर्तमान नियुक्ति में डा० बी० एस० गुहा इस संस्था को पुनर्व्यवस्थित करने के लिय योजनायें बना रहे हैं। संस्था ने राँची जिले के खुन्टी सब-डिवीजन में 'नरबलि' के सम्बन्ध में छानबीन की है। खोज से पता चला है कि यह प्रथा स्वर्गस्थ व्यक्ति के ऊपर पत्थर की समाधि बनाने से सम्बन्धित है जिसे "मैंगालिथिक प्रथा" कहते हैं तथा जो "उपजाऊ रीति रिवाज" नामक धार्मिक विश्वास पर आधारित है। इस प्रथा के पीछे यह विश्वास लगा है कि जिस प्रकार स्त्री गर्भवती होती है उसी प्रकार मिट्टी भी जब मानवरक्त का सहवास पाती है तो उपजाऊ हो जाती है। हालाँकि यह प्रथा पहले ही व्यापक रूप से प्रचलित थी परन्तु अब आदिवासियों द्वारा इसका एक दम बहिष्कार कर दिया गया है। फिर भी कुछ ऐसे केस अन्दरूनी क्षेत्रों में, अब भी होते हैं जब फसल नष्ट हो जाती है। संस्था ने इस प्रथा को दूर करने के लिये दो सुझाव दिये हैं, यथा (१) शिक्षा के द्वारा तथा (२) जब कभी भी नरबलि का मामला सिद्ध हो जाये तो कठोर दण्ड द्वारा।

२. संस्था ने संथाल परगना के पहाड़ियों में सर्वेक्षण करना प्रारम्भ कर दिया है, तथा उसका विचार उन सब आदिवासी जातियों के बारे में छानबीन करने का है जिनके बारे में वर्तमान समय में पर्याप्त ज्ञान नहीं है। शीघ्र प्रकृति की आदिवासी समस्याओं, जैसे स्थान परिवर्ती कृषि आदि पर भी ध्यान दिया जायेगा।

बम्बई

यद्यपि बम्बई सरकार ने सरकारी तौर पर कोई संस्था स्थापित नहीं की है फिर भी गैर–सरकारी संस्थाएं जैसे गजरात शोध संस्था, नृत्तत्व शास्त्र संस्था और बम्बई विश्वविद्यालय आदिवासी तथा पिछड़े वर्गों में शोध कार्य कर रहीं हैं। इन संस्थाओं को सरकार से अनुदान मिलता है।

२. गुजरात शोध संस्था दूबला और नायका जातियों का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा साँस्कृतिक सर्वेक्षण कर रही है। दूबलाओं का सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है तथा उसकी रिपोर्ट पूरी होने वाली है। संस्था ने हैफकीन इन्सटीट्यूट बम्बई के डा० रामकृष्ण राव की देख रेख में किये गये, आदिवासियों के स्वास्थ्य तथा भोजन सम्बन्धी सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट भी पेश की है। सर्वेक्षण से आदिवासियों की खुराक की बहुत सी कमियों का पता चलता है तथा बारद के दूबलाओं को मुफ्त दूध का पाउडर बाँटने के लिये उत्साहित किया है। नृत्तत्व शास्त्र संस्था बम्बई और बम्बई विश्वविद्यालय क्रमशः भील और महादेव कोलियों में शोध कार्य कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश

छिंदवाड़ा आदिवासी शोध संस्था अप्रैल १९५४ में स्थापित की गयी थी जो एक निर्देशक के अधीन है जिसको एक सहायक शोध अधिकारी भी मिला है। उन्होंने कई शोध कार्य प्रारम्भ किये हैं जैसे (१) छिंदवाड़ा जिले में होने वाले औद्योगीकरण का आदिवासियों पर सामाजिक प्रभाव (२) मालवा के भीलों का सामाजिक गठन का अध्ययन (३) बस्तर की ध्रुवा (परजा) आदिमजाति की जनसंख्या तथा परिस्थिति का अध्ययन (४) भड़िया जाति का सामाजिक संगठन तथा सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन (५) पाताल कोट का आर्थिक सर्वेक्षण और (६) मध्य प्रदेश के आदिवासियों के बच्चों की समस्या पर शोध। उपरोक्त शोधों में से अधिकतर अभी प्राथमिक स्थिति में ही हैं क्योंकि वे रिपोर्ट के अन्तर्गत वर्ष के अन्त में प्रारम्भ की गई थीं।

उड़ीसा

आदिवासी शोध विभाग, उड़ीसा जनवरी, १९५४ में संगठित हुआ था और उसे एक उप-निर्देशक, जिसके सहायक दो शोध अधिकारी हैं, के अधिकार में रखा गया है। संस्था ने बहुत सी आवश्यक समस्याओं के बारे में शोध की है, जैसे (१) उड़ीसा में स्थान परिवर्ती खेती, (२) आश्रम स्कूल तथा अन्य कल्याण संस्थाओं की, बस्तियों और ग्राम कल्याण केन्द्रों समेत, प्रगति का मूल्याँकन करना, (३) गंजाम एजेंसी में लाँजिया, सवरा और कंधों की आर्थिक व सामाजिक दशा, (४) बोनाई के एरेंगा कोल्ह, (५) नुआपाली के सबरों की संस्कृति

(६) जुआँगों के उत्पादक जीवन का अध्ययन, (७) पुरी जिले में सासन ढंग का एक ब्राह्मण गाँव, (८) नई राजधानी आदि के पास गृह आर्थिक केन्द्र द्वारा किये गये कार्य का मूल्यांकन । इसके अतिरिक्त संस्था ने आदिवासी भाषाओं में दो प्राईमरें बनाई हैं तथा आदिवासी जीवन पर एक वृत चित्र तथा उनके गानों का रिकार्डिंग करने का विचार है। संस्था द्वारा शोध के लिये हाथ में ली गई समस्यायें आदिवासी कल्याण के दृष्टिकोण से लाभदायक प्रतीत होती हैं ।

राजस्थान

हालाँकि राजस्थान की आदिवासी जातियों में शोध कार्य १९५४-५५ में राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया था, परन्तु १९५५-५६ के अन्त तक कोई क्रियात्मक प्रगति नहीं हुई क्योंकि यह कार्य राजस्व विभाग के सुपुर्द था। उनके द्वारा एकत्रित की गई सूचना कागज़ी रिकोर्ड पर आधारित थी तथा इस प्रकार आदिवासियों की वास्तविक दशा को नहीं दर्शाती थी। रिपोर्ट के अन्तर्गत काल में आवश्यक शोध कर्मचारी नियुक्त किये गये, जिसके परिणाम स्वरूप प्रगति शीघ्र होती हुई प्रतीत होती है। संस्था ने दो गांवों के आदि-वासी जीवन का विस्तृत सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। जिसकी रिपोर्ट अभी पूरी की जा रही है।

पश्चिमी बंगाल

सांस्कृतिक शोध संस्था, पश्चिमी बंगाल मई १९५५ में स्थापित हुई थी तथा एक साँस्कृतिक शोध अधिकारी के अधिकार में रखी गई। इसमें एक सलाहकार समिति है जिसमें पश्चिमी बंगाल सरकार के अधिकारी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, गैर-सरकारी अधिकारी तथा भारत सरकार के नृत्तत्व शास्त्र विभाग के डाईरेक्टर सम्मिलित हैं। थोड़े से समय में ही संस्था बहुत सी आवश्यक समस्याओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सफल हुई है जैसे—(१) मेंचों का साँस्कृतिक अध्ययन, (२) टोटों की सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन, (३) पश्चिमी बंगाल की जातियों तथा आदिमजातियों का अध्ययन, (४) आदिवासियों के कल्याणार्थ भिन्न भिन्न उपायों को लागू करने में परम्परागत नेतृत्व की सहायता को प्रयोग में लाने की हद का अध्ययन, (५) पश्चिमी बंगाल में अस्पृश्यता तथा साँस्कृतिक निर्योग्यताओं की अवस्था, (६) पश्चिमी बंगाल के म्यूनिसिपल हरिजन मज़दूरों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति, और (७) अस्पृश्यता निवारण के लिये कुछ कार्यक्रमों का मूल्यांकन।

मेचों के साँस्कृतिक अध्ययन की रिपोर्ट जलपाईगुरी जिले में किये गये गहन सर्वेक्षण पर आधारित है तथा अपने विश्लेषण में पूर्ण है। यह उस प्रदेश में चाय उद्योग की अधिक बढ़ोतरी से आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव पर प्रकाश डालती है। अध्ययन से पता चलता है कि बदली हुई दशा के साथ आदिवासियों का सामंजस्य न तो पूर्ण है और न ही सही है। इस ढंग का दुखद परिणाम यह है कि उस क्षेत्र के आदिवासियों की जन-संख्या में बहुत कमी हो गई है।

टोटोपाड़ा की टोटो जाति के अध्ययन की प्रारम्भिक रिपोर्ट में आदिमजाति के जीवन के कार्यों का तथा उनके आर्थिक कार्यों का वर्णन किया गया है। संस्था ने इस कार्य की अन्तिम रिपोर्ट निश्चित समय में देने का निश्चिय किया है। जिसमें शोध का पूर्ण विवरण प्रकाशित किया जायेगा।

संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई अन्य रिपोर्टें उन सूचनाओं पर आधारित हैं जो कि प्रश्नोंत्तरों के रूप में जिला रिवैन्यू अधिकारियों, नगरपालिका अधिकारियों तथा गैर-सरकारी संस्थाओं से प्राप्त की गई थीं, तथा जिन पर सरकारी और गैर-सरकारी अधिकारियों द्वारा विचार विमर्श भी किया गया था। इसके गहन अध्ययन से ज्ञात होता है कि यह रिपोर्ट केवल एक आभास देती है जो कच्चे अनुमानों पर आधारित है क्योंकि क्षेत्रीय निरीक्षकों द्वारा एकत्रित सूचना प्राप्त नहीं हो सकी।

भारत सरकार का नृत्तत्व शास्त्र विभाग

इस विभाग ने त्रिपुरा तथा केरल की मुख्य जातियों के विषय में विस्तृत शोध पूरी कर ली है, जब कि आसाम, नेफा, बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा की जातियों के विषय में अभी आंशिक रूप में हुई है। अन्डमान और निकोबार द्वीपों में रहने वाले "ओंज" तथा 'निकोबारियों' के जीवन तथा संस्कृति के विषय में सूचनाऐं एकत्रित की जा चुकी हैं। वे अब मध्य प्रदेश के "बैगों" के बीच में शोध कार्य कर रहे हैं। ऊपर बतायी गई शोध केवल जन-संख्या की स्थिति पर तथा भिन्न-भिन्न जातियों की सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक संस्थाओं और विभिन्न समूहों के लोक सिद्धाँत और लोक संगीतों के अध्ययन पर, आधारित है।

नृत्तत्व विभाग-नेफा

नेफा का शोध विभाग आदिवासी कार्यों के परामर्शदाता, डा० वैरियर एलविन के अधीन है जो इसका मार्गदर्शन, निरीक्षण तथा निमन्त्रण कर रहे हैं। यह विभाग नफा के लोगों की संस्कृति तथा भाषा का अध्ययन कर रहा है। यह विभाग (१) साँस्कृतिक, (२) भाषा विज्ञान तथा (३) ऐतिहासिक, इन तीन भागों में विभक्त है।

सांस्कृतिक विभाग ने नेफा के आदिवासियों के विषय में सम्पूर्ण सूचना देने का कार्य करने का निश्चय किया है। वे नई रीति से कृषि करने तथा दवाई प्रचार के पक्ष में चार्ट बनाने का कार्य कर रहे हैं, तथा पाठ्य और कहानियों की पुस्तकों के लिये उदाहरण तैयार कर रहे हैं। एक केन्द्रीय संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है जिसमें नेफा के लोगों के चित्रों को संग्रह करने का कार्य भी किया जा रहा है।

भाषा शोध विभाग ने नये भाषावार भागों का निरीक्षण करने का मुख्य काम तथा भिन्न-भिन्न भाषाओं एवं बोलियों के आपस में सम्बन्ध का अध्ययन करने का कार्य करना आरम्भ किया है। व्यवहारिक रूप से यह विभाग शिक्षा विभाग के सहयोग से कार्य कर रहा है जो कि पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य पुस्तकों को आदिवासी-भाषाओं में अनुवाद करने में लगा हुआ है। यह स्टाफ के सदस्यों को भाषा की परीक्षा का संगठन करने के लिए सहायता कर रहा है।

ऐतिहासिक विभाग नेफा के ऐतिहासिक रिकार्ड के विषय में कार्य कर रहा है तथा डिवीजनल गजैटियर तैयार कर रहा है।

भारतीय लोक कला मंडल

उदयपुर का भारतीय कला मंडल जो एक गैर-सरकारी संस्था है मध्य भारत में तथा राजस्थान के कुछ भागों में १४ आदिवासी जातियों का साँस्कृतिक निरीक्षण कर चुकी है। दो चलती फिल्में तथा बहुत से पैम्फलेट मंडल के द्वारा राजस्थान के पिछड़ी वर्ग तथा आदिवासियों के सांस्कृतिक जीवन पर तैयार किये जा चुके हैं। मंडल के पास एक सुव्यवस्थित संग्रहालय शोध विभाग, एक फोटोग्राफिक स्टूडियो, एक प्रकाशन विभाग तथा एक प्रदर्शन विभाग है। उन्होंने आदिवासियों के सांस्कृतिक जीवन पर बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित करने का तथा उनके सांस्कृतिक जीवन पर और शोध करने का निश्चय किया है। मंडल ने मध्य प्रदेश की आदिवासी जाति का साँस्कृतिक निरीक्षण करने का काम हाथ में लिया है तथा इसके अन्तर्गत वह उनके गीत, नृत्य तथा कहानियों का अध्ययन करेंगे। इस उद्देश्य के लिये भारत सरकार ने उनको १३,००० रुपये देना स्वीकार किया है।

परिशिष्ट ३१

२३ अप्रैल से ३० अप्रैल १९५६ तक छिंदवाड़ा में हुई गोष्ठी द्वारा आदिवासी कल्याण पर किये गये विचार

१. शोध

गोष्ठी में यह अनुभव किया गया कि शोध संस्थाएँ राज्य सरकारों को आदिवासियों के कल्याण के लिए सुसंगठित योजनाएं बनाने के लिए अधिक सहायता नहीं दे रही हैं। इसका मुख्य कारण जो बताया गया है वह यह है कि राज्य सरकार शोध करने के लिए जितने कार्यकर्ता चाहिऐं उतने नहीं दे रही है। यह स्पष्ट किया गया कि शोध संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में आपसी सम्बन्ध होना चाहिए। विश्वविद्यालय विभाग तथा शोध विभाग को मिलकर आपसी सहयोग से वैज्ञानिक आधार पर आदिवासियों की विकास योजना का विस्तृत रूप से निरीक्षण करना चाहिए।

२. आर्थिक विकास

आदिवासी जनता की समृद्धि उनके शीघ्रता से बढ़ने वाले आर्थिक विकास पर निर्भर है। आर्थिक क्षेत्र का विकास करने के लिए गोष्ठी ने यह आवश्यक समझा कि आदिवासियों में नेतृत्व की भावना पैदा की जाये ताकि वे अपने कार्यों को एवं योजनाओं को स्वयं विकसित कर सकें। राजा नरेशचन्द्र सिंह ने अपने अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए सुझाव दिया कि "वन सम्पत्ति" का विकास करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए जिसपर अधिकांशतः आदिवासी जीवन निर्भर करते हैं। ऐसा विचार किया गया कि आदिवासी क्षेत्रों में "शिकार करने" तथा "वन सम्पत्ति" को पुनर्जीवित करने के लिए विस्तृत योजना बनाई जाये, पहाड़ी भागों में "घास की भूमि की सम्पत्ति" को प्रोत्साहन दिया जाये तथा समुद्र के तट वाले भागों में मछली पकड़ने के कार्य का विकास किया जाये। "वाणिज्य वन सम्पत्ति" को बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाये जाने चाहियें।

गोष्ठी में बम्बई राज्य में स्थापित "वन श्रमिक सहकारी समितियों" की प्रसंशा की गई तथा यह आशा प्रकट की गई कि अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की संस्थायें स्थापित की जायेंगी। यह प्रकट किया गया कि जब आदिवासी इन समितियों के विषय में अनुभव प्राप्त कर लें तो उनका प्रबन्ध उनको ही सौंप दिया जाय।

३. आदिवासियों में सामाजिक संस्थाऐं

गोष्ठी का विचार था कि साम्प्रदायिक चेतना को जाग्रत करने के लिए तथा कल्याण योजनाओं को विकसित करने के लिए कार्य क्रमों में सम्प्रदायिक मनोरंजन कार्य नवयुवकों की संस्थाऐं, स्त्रियों के भाग लेने की प्रारम्भिक प्रवृतियाँ, सामाजिक शिक्षा आदि योजनाएं भी सम्मिलित की जाँय। आदिवासी विकास योजना के किसी भी कार्यक्रम में इन कार्यों को महत्व देना चाहिए। गोष्ठी ने यह निर्देश किया कि आदिवासीं जातियों में विकास कार्य इस ढंग से किया जाय जिससे उनके साँस्कृतिक विकास में कोई ह्रास न हो।

४. ग्राम कल्याण परिषदें

गोष्ठी ने यह निश्चय किया है कि स्थानीय पंचायतों के साथ ही साथ गाँवों में रहने वाले ग्रामीणों के हृदयों में मनोवैज्ञानिक रूप से सेवा भावना जाग्रत की जाय जिससे शारीरिक शक्ति के पक्ष में विद्युत आदि शक्ति का विरोध किया जा सके। यह तभी हो सकता है जब कि गांव में साम्प्रदायिक जागृति उत्पन्न करने के लिए कुछ लोगों का समूह हो। गोष्ठी में यह सुझाव दिया गया कि ग्राम कल्याण के लिये परिषदें स्थापित की जायें जिनमें (१) स्थानीय पंचायत, (२) महिलाओं, (३) युवक तथा (४) गांव के दो दो प्रतिनिधि रक्खे जायें।

५. गैर-सरकारी संस्थाऐं

आदिवासी कल्याण क्षेत्र में गैर-सरकारी संस्थाऐं लाभप्रद सहयोग दे सकती हैं। गैर-सरकारी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं में उद्देश्य पूर्ति की भावना होती है तथा उनमें कार्य करने का उत्साह होता है। ऐसी आशा प्रकट की गई कि भारत सरकारें तथा राज्य सरकारें इन गैर-सरकारी ऐजेंसियों को प्रोत्साहन देती रहेंगी। यह प्रकट किया गया कि इन एजेंसियों के कार्यकर्ताओं की नौकरी सुरक्षित रहेगी तथा उन्हें अच्छा वेतन दिया जायेगा।

६. सह-शिक्षा

गोष्ठी म सह-शिक्षा की समस्या पर भी विचार किया गया। लड़कियों के स्कूलों की संख्या बढ़ाने के स्थान पर यह सिफारिश की गई कि दोनों वर्गों की सम्मिलित सभाओं को प्रोत्साहन दिया जाय तथा पृथक सभाओं को निरूत्साह करना चाहिए।

७. मद्य निषेध

आदिवासी लोग शराब पीते ही हैं, इस बात को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा देखा गया है कि उनके धार्मिक उत्सवों में तथा उनकी खुराक में शराब का मुख्य भाग है। ऐसा अनुभव किया है कि शराब-बन्दी करने के साथ साथ आदिवासियों में ऐसा वातावरण पैदा किया जाय जिससे शराब की जड़मूल से नाश हो।

परिशिष्ट ३२

सशस्त्र सेनाओं में १९५३ से १९५६ तक के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करने वाली तालिका

क्र० सं०	सर्विस की श्रेणी	पद	अनुसूचित जातियाँ				अनुसूचित आदिमजातियां			
			१९५३	१९५४	१९५५	१९५६	१९५३	१९५४	१९५५	१९५६
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
	थल सेना									
		(अफसर)								
१		लैफ्टिनेंट कर्नल	—	—	—	—	—	१	१	१
२		मैजर	५	६	६	६	४	३	५	३
३		कैप्टन	३०	३१	३१	३३	८	८	५	७
४		लैफ्टिनेंट	६	४	६	५	१	१	२	—
५		द्वितीय लैफ्टिनेंट	—	१	—	—	—	—	—	—
अफसरों	के	अतिरिक्त अन्य								
६		जे० सी० ओ/डबल्यू० ओ०	४३३	४३३	४४१	४५३	१४०	१४०	१३३	१३६
७		एन० सी० ओ०	२५७३	२५८२	२६८१	२६७६	६६६	६६७	६४१	६३२
८		दूसदे पद	१८६३१	१७५९०	१७३५०	१६४३६	३७४६	३७६९	३४१६	३३५५
९		रंगरूट	२७०३	२९४८	२५५२	२५४९	५०७	५८५	५४६	५८४
१०		गैर-योद्धा (भर्ती किये)	७४७२	७५५६	७४१९	७३७६	६४	५४	६३	६०
११		हाकिम गैर-योद्धाओं समेत (वगैर भर्ती किये)	१३२५५	१३६१८	१३६५१	१२७५५	२८०	३०५	२७१	३५९
	जल सेना									
१		लैफ्टिनट	१	१	१	१	—	—	—	—
२		रेटिंग	२६०	२७६	३१७	३३९	३१	३४	३५	३४
३		हाकिम	१९६८	२३४८	२३६०	२७१३	—	—	—	७

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
	वायु सेना									
१		अधिकृत अफसर	१	१	१	१	—	—	—	—
२		फ्लाइट सार्जेंट	२	२	२	३	—	—	—	—
३		सार्जेंट	४	४	४	५	—	—	—	१
४		नायक	३१	३१	३१	४६	१	१	१	१
५		हवाई कारीगर	४९	५५	५५	५६	३	६	३	२
६		रंगरूट	२	१३	२९	२९	—	१	३	६
७		हाकिम	३२९३	३७४९	३९३५	३६२९	५३	६४	६५	१६

परिशिष्ट

तालिका नं०

केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में १९५१ से १९५६ तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के

(स्थायी सरकारी कर्मचारी)

मंत्रालय/कार्यालय का नाम	अन्त होने वाला वर्ष	क्लास १			क्लास २ (गजटेड)		
		कुल संख्या	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम-जातियाँ	कुल संख्या	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम-जातियाँ
१	२	३	४	५	६	७	८
वाणिज्य तथा उद्योग	३१-१२-५१	४७	—	—	४९	—	—
	३१-१२-५२	५६	—	—	४३	—	—
	३१-१२-५३	७०	१	—	४५	—	—
	३१-१२-५४	७६	—	—	५०	—	—
	३१-१२-५५	९८	१	—	९७	१	—
	३०-९-५६	९८	१	—	१०७	१	—
संचार	३१-१२-५१	४५७	१	—	६७०	—	—
	३१-१२-५२	४५४	१	—	७३०	—	—
	३१-१२-५३	४४७	१	—	७५०	२	+
	३१-१२-५४	४४८	१	—	८३२	४	—
	३१-१२-५५	४७२	१	—	९०२	५	१
	३०-९-५६	सूचना प्राप्त नहीं हुई					
विदेशी मामले	३१-१२-५१	१३५	३	—	९	—	—
	३१-१२-५२	१४२	३	१	१५	—	—
	३१-१२-५३	१५०	३	१	२०	१	—
	३१-१२-५४	१५५	३	१	२२	१	—
	३१-१२-५५	१६२	३	—	२२	१	—
	३०-९-५६	सुचना प्राप्त नहीं हुई					
शिक्षा	३१-१२-५१	६८	—	—	५९	१	—
	३१-१२-५२	१०१	—	—	७०	१	—
	३१-१२-५३	११९	२	—	८३	१	—
	३१-१२-५४	१२६	२	—	९४	२	—
	३०-९-५५	१३८	२	—	९१	२	—
	३०-९-५६	सूचना प्राप्त नहीं हुई					
वित्त (रक्षा)	३१-१२-५१	७१	—	—	१३२	—	—
	३१-१२-५२	९१	—	—	१३२	—	—
	३१-१२-५३	१०४	—	—	१८४	—	—
	३१-१२-५४	११६	—	—	१८१	—	—
	३१-१२-५५	१११	—	—	२०१	—	—
	३०-९-५६	११०	—	—	२२६	—	—

३३

१

प्रतिनिधित्व में प्राप्त प्रगति को प्रदर्शित करने वाली तालिका

क्लास २ (नान-गजटेड)			क्लास ३			क्लास ४ (भंगियों और मैला उठाने वालों को छोड़कर)		
कुल संख्या	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम-जातियां	कुल संख्या	अनुसूचित जातियाँ	अनुसूचित आदिम-जातियां	कुल संख्या	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम-जातियां
९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१३०	५	—	३८४	३४	—	२०२	९	—
१४६	५	—	३०६	३९	—	२०३	१०	—
१४५	६	—	३२५	४४	१	१९२	१०	१
१७२	७	—	३३२	३६	२	२१२	११	—
१५८	३	—	५९७	३०	—	३७७	२३	१
१२५	३	—	८५७	३२	२	४०६	२३	१
१८	३	—	७२७१५	२१६४	२७९	२४१९३	१९८९	१८६
१२२	५	—	८१०३३	२५६४	३११	२५५३०	२२९३	१९५
१२०	३	—	८६५३७	३११०	४०६	२६५७३	२७११	२७६
१२९	३	—	८६००१	३६२२	५११	५७९२३	३००२	३४८
१४३	२	—	९५५२४	४३९९	६४२	२९७११	३४५४	४६६
१९	—	—	२३८	७	११	१७३	३	८
१९	—	—	३७३	१०	४५	२०३	४	२०
२२	—	—	४०६	११	२६	२००	५	१९
२५	—	२	४४९	१२	३१	२२९	५	२५
२०	—	१	४२७	१०	३०	२२३	५	१६
४५	६	—	४२४	१६	—	४१७	३५	२
५५	६	—	५२२	२०	—	४८१	४३	२
५४	६	—	६६८	२३	—	६२३	८१	२
५४	४	—	७०२	७	१	६५५	९७	२
६०	४	—	७९०	३	१	७३६	१०	२
७१	१	—	४३६६	४३	१	१५३	२६	—
९३	१	—	४७३५	३९	१	१६८	३२	१
८९	१	—	४८९७	८९	२	२०१	३२	१
९२	१	—	५४९५	९५	२	२७३	४५	—
७९	१	—	५४८७	९६	२	२३६	३६	—
६४	१	—	६२७८	९५	२	३२८	४९	२

१	३	३	४	५	६	७	८
वित्त (आर्थिक मामलों का विभाग)	३१-१२-५१	४१	—	—	३८	—	—
	३१-१२-५२	४२	—	—	४०	—	—
	३१-१२-५३	४३	—	—	४२	—	—
	३१-१२-५४	४९	—	—	४३	—	—
	३१-१२-५५	४३	१	—	३९	—	—
	३०- ९-५६	——सूचना प्राप्त नहीं हुई——					
वित्त ख (कम्पनी कानून व्यवस्था विभाग)	३१-१२-५५	१९	—	—	११	—	१
	३०-९ ५६	१६	—	—	१३	—	१
वित ग (व्यय का विभाग)	३१-१२-५१) से) ३१-१२-५५)	——पांच वर्षों के लिए सूचना प्राप्त नहीं है——					
	३०- ९-५६	८४	—	—	३०	१	—
वित्त (आय विभाग)	३१-१२-५१) से) ३१-१२-५५)	——पांच वर्षों के लिए जो सूचना भेजी गई है निर्धारित फार्मों पर नहीं है					
	३०- ९-५६	४४७	—	—	७३०	२३	४
खाद्य तथा कृषि	३१-१२-५१	८१	१	—	७३	१	—
	३१-१२-५२	८२	१	—	८१	१	—
	३१-१२-५३	८९	१	—	७९	१	—
	३१-१२-५४	८२	—	—	८३	१	—
	३१-१२-५५	११८	—	—	८९	१	—
	३०- ९-५६	१२२	—	—	१६१	—	—
गृह मामले	३१-१२-५१	९	—	—	१३	—	—
	३१-१२-५२	१२	—	—	१०	—	—
	३१-१२-५३	१३	—	—	१४	—	—
	३१-१२-५४	१९	—	—	१२	—	—
	३१-१२-५५	७७	—	—	३२	—	—
	३०- ९-५६	२०	—	—	१५	—	—
सूचना तथा प्रसार	३१-१२-५१	३७	—	—	२९	—	—
	३१-१२-५२	३३	—	—	४७	—	—
	३१-१२-५३	३६	—	—	५९	—	—
	३१-१२-५४	४३	—	—	६१	—	—
	३१-१२-५५	४१	—	—	५८	—	—
	३०- ९-५६	४५	—	—	५९	—	—

९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
७३	—	—	६६३	१५	१	३५४	३१	६
८३	—	—	७७२	१७	१	४०३	३३	४
९२	—	—	७७४	२९	४	४११	४१	५
९९	—	—	८२२	३५	४	४१३	४९	५
१०८	—	—	८५३	४४	४	३१८	१०७	६
१९	१	—	१५१	४	१	५५	२	—
२९	१	—	१७२	५	१	६५	२	—
९०	३	—	२३	४	—	१२०	५	४
९९	२	—	१४९८८	३६६	२९	४५५१	२१३	१६१
८८	३	—	६१८	१४	—	५५२	४६	—
१३२	३	—	७१९	१८	—	६३८	४९	—
१४१	३	—	९०१	२९	—	७६४	८२	—
१७८	५	—	८८१	३२	—	८०५	९२	—
२३३	४	—	८८५	३३	—	७४९	८३	—
१२७	३	—	८४३	३८	—	८६६	९०	—
१८	१	—	१७२	१५	१	१०५	१४	—
४२	१	—	१२१	३	१	१०५	१४	—
४४	२	—	१०२	११	१	१६५	२९	—
१५५	४	—	११४	१५	—	१८४	२९	—
१६०	७	—	११९	१४	—	२७०	३३	—
१२४	४	—	१४३२	७२	२	३६३	४२	—
२३१	२	—	३२२	११	—	१९५	२३	—
२३८	२	—	३३०	१२	—	२३६	२९	—
२६०	३	—	३३६	१२	—	२७०	३२	—
२८९	३	—	३४८	१०	—	३२८	४२	—
३१३	३	—	४००	१६	—	४०६	५४	—
३२०	६	—	४९८	२६	१	४९३	६८	—

१	२	३	४	५	६	७	८
सिंचाई तथा विद्युत शक्ति ...	३१-१२-'५१	२७	१	—	५०	—	—
	३१-१२-५२	४३	१	—	५३	१	—
	३१-१२-५३	४२	१	—	५४	१	—
	३१-१२-५४	४२	१	—	५५	१	—
	३१-१२-५५	४२	१	—	५३	१	—
	३०-९-५६	४३	—	१	५३	१	—
लोहा तथा इस्पात	३०-९-५५	९	—	१	—	—	—
	३०-९-५६	७	—	—	५	—	—
श्रम	३१-१२-५१	४९	१	—	२६	१	—
	३१-१२-५२	५२	३	—	३१	२	—
	३१-१२-५३	५२	३	—	३६	२	—
	३१-१२-५४	५७	३	—	३८	२	—
	३१-१२-५५	५९	३	—	४६	३	—
	३०-९-५६	४२	३	—	५४	२	१
कानून	३१-१२-५१	२२	—	—	—	—	—
	३१-१२-५२	२०	—	—	—	—	—
	३१-१२-५३	२५	—	—	—	—	—
	३१-१२-५४	२५	—	—	८	—	—
	३१-१२-५५	२३	—	—	८	—	—
	३०-९-५६	२४	—	—	८	—	—
प्राकृतिक साधन तथा वैज्ञानिक शोध	३१-१२-५१	६८	—	—	८८	—	—
	३१-१२-५२	७६	—	—	८८	—	—
	३१-१२-५३	७४	—	—	९४	—	—
	३१-१२-५४	८६	—	—	९९	१	—
	३१-१२-५५	८३	—	—	११०	१	—
	३०-९-५६	१३५	—	—	१७२	२	—
उत्पादन	३१-१२-५१	१	—	—	८	—	—
	३१-१२-५२	१	—	—	९	—	—
	३१-१२-५३	५	—	—	१०	—	—
	३१-१२-५४	५	—	—	११	—	—
	३१-१२-५५	६	—	—	८	—	—
	३०-९-५६	सूचना निर्धारित फार्म में नहीं भेजी गई					

९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
—	—	—	१३६	४	—	६२	१२	—
१०	२	—	११५	७	—	६९	१७	—
२१	२	—	१३७	८	—	१३९	२७	—
२७	२	—	२१३	८	—	१६९	३२	—
३४	२	—	१७३	९	—	१८२	३४	—
३८	१	—	१८१	९	—	१८०	३४	—
७	—	—	८९	१	—	५४	३	१
२१	—	—	७	—	—	८	—	—
६१	४	—	१४३	२३	—	१३३	२१	१
६७	६	—	१९१	३८	—	१५८	२५	२
६४	८	—	२१०	४१	—	१६२	२८	२
७१	१०	—	२४६	४१	—	२०१	३८	२
७९	९	—	२४५	४०	—	२२०	४३	२
३८	५	१	४८६	५६	७	३३९	५८	३
३४×	१∴	—	३८	४	—	५६	९	—
३९×	१∴	—	३४	४	—	५६	९	—
४१×	२∴	—	४१	३	—	८५	१४	—
३५	३	—	३८	२	—	८०	१३	—
३३	३	—	३९	२	—	८३	१४	—
३६	३	—	४१	१	—	८१	१४	—
२२	१	—	९३५	३०	२२	४८४	८०	१
२३	२	—	१०२४	३३	२२	५३२	७४	१
२१	२	—	१४८२	४७	२०	४९१	५२	१
२७	१	—	१५८७	४५	२१	३८३	५०	१
२७	१	—	१८७३	७३	२४	४९७	५३	१
३०	१	—	१८७६	८३	२०	७४२	८१	१
३	—	—	२१७	१	—	७७८	२३	—
३	—	—	२५९	३	—	७८३	२०	—
१	—	—	३९८	४	—	८५५	२८	१
२	—	—	४७९	४	—	१०१४	५६	—
१	—	—	४६९	४	—	१०३१	५९	—

१	२	३	४	५	६	७	८
रेलवे (रेलवे बोर्ड)	३१-१२-५१	६२६	२	—	२०९	—	—
	३१-१२-५२	९३८	३	—	२९३	—	—
	३१-१२-५३	९५०	३	—	३४२	—	—
	३१-१२-५४	११४१	३	—	३४१	—	—
	३०- ९-५५	१०७३	२	—	३७५	—	—
	३०- ९-५६	सूचना निर्धारित फार्म में नहीं भेजी गई					
पुनर्वास	३१-१२-५१ से ३१-१२-५४	सूचना प्राप्त नहीं हुई					
	३०- ९-५५	३९	—	—	३४	—	—
	३०- ९-५६	सूचना प्राप्त नहीं हुई					
कारखाने, भवन-निर्माण तथा संभरण	३१-१२-५१	१२२	२	—	१६९	—	—
	३१-१२-५२	११९	२	—	१६८	—	—
	३१-१२-५३	१२१	२	—	१६३	—	—
	३१-१२-५४	१२४	२	—	२१३	१	—
	३०- ९-५५	१८४	३	—	२३३	२	—
	३०- ९-५६	सूचना प्राप्त नहीं हुई					
संसदीय मामलों का विभाग	३१-१२-५१	प्राप्त नहीं	—	—	—	—	—
	३१-१२-५२	१	—	—	—	—	—
	३१-१२-५३	१	—	—	१	—	—
	३१-१२-५४	१	—	—	१	—	—
	३१-१२-५५	१	—	—	१	—	—
	३०- ९-५६	२	—	—	—	—	—
राष्ट्रपति का सचिव	३१-१२-५१	३	—	—	२	—	—
	३१-१२-५२	३	—	—	३	—	—
	३१-१२-५३	३	—	—	३	—	—
	३१-१२-५४	३	—	—	५	—	—
	३१-१२-५५	३	—	—	६	—	—
	३०- ९-५६	५	—	—	६	—	—
राष्ट्रपति का फौजी सचिव	३१-१२-५१	३	—	—	३	—	—
	३१-१२-५२	३	—	—	३	—	—
	३१-१२-५३	३	—	—	३	—	—
	३१-१२-५४	३	—	—	४	—	—
	३१-१२-५५	३	—	—	४	—	—
	३०- ९-५६	१	—	—	५	—	—

९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
—	—	—	१६८८३७	९३६०	४९	२८९४४१	५९०३५	३३४९
—	—	—	२२४९७२	१२७९१	४६८	३७१५६७	७२४६२	९७४८
—	—	—	२४१४४०	१३९५०	७२४	३९६२४३	७७४०५	१०८९०
—	—	—	२५७६१२	१५६८४	७४४	४०९९५४	८१२९३	३०१९४
—	—	—	२७१५६६	१७०३८	९९८	४८०३००	९०४६८	१३१७८
४४	—	—	६३	२	—	११	१	—
१४७	३	—	१८१६	७५	७	८२६	३७	१
१९८	५	—	२४१५	४७६	९	९७१	६५	२
२३२	५	—	७६६८	२११	११	११७३	८९	२
३४९	९	—	२७४९	२००	२४	१३१५	११५	२
४९८	११	—	२७२७	२२५	१६	१३५७	१३३	३
—	—	३	—	—	—	—	—	—
—	—	३	—	—	—	—	—	—
—	—	२	—	—	—	—	—	—
—	—	४	—	—	—	—	—	—
१	—	—	४	—	—	—	—	—
१	—	—	४	—	—	—	—	—
१०	—	—	१७	—	—	३४	१	—
९	—	—	१७	—	—	३४	१	—
१०	—	—	१९	१	—	३४	१	—
१४	—	—	२४	२	—	३४	१	—
१४		—	२२	२	—	३४	१	—
१४	—	—	२२	३	—	३४	२	—
१३	१	—	३१	१	—	६२	१४	—
१३	१	—	३१	१	—	६२	१५	—
१३	१	—	३२	१	—	६२	१५	—
१२	१	—	३९	१	—	६२	१५	—
१२	१	—	४०	१	—	६३	१५	—
१४	१	—	४०	१	—	६३	१५	—

१	२	३	४	५	६	७	८
प्रधान मंत्री का सचिवालय	३१-१२-५१	—	—	—	—	—	—
	३१-१२-५२	—	—	—	—	—	—
	३१-१२-५३	—	—	—	५	—	—
	३१-१२-५४	—	—	—	५	—	—
	३१-१२-५५	—	—	—	६	—	—
	३०- ९-५६	२	—	—	३	—	—
कैबिनट सचिवालय	३१-१२-५१	६	—	—	२	—	—
	३१-१२-५२	७	—	—	३	—	—
	३१-१२-५३	८	—	—	२	—	—
	३१-१२-५४	९	—	—	३	—	—
	३१-१२-५५	१०	—	—	५	—	—
	३०- ९-५६	सूचना प्राप्त नहीं					
विभाजन सचिवालय	३१-१२-५१	१	—	—	१	—	—
	३१-१२-५२	१	—	—	१	—	—
	३१-१२-५३	१	—	—	१	—	—
	३१-१२-५४	१	—	—	२		—
	३१-१२-५५	१	—	—	२	—	—
	३०- ९-५६	१	—	—	२	—	—
चुनाव कमीशन	३१-१२-५१	१	—	—	—	—	—
	३१-१२-५२	१	—	—	—	—	—
	३१-१२-५३	१	—	—	—	—	—
	३१-१२-५४	१	—	—	—	—	—
	३१-१२-५५	१	—	—	३	—	-
	३०- ९-५६	१	—	—	३	—	---
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन	३१-१२-५१ ३१-१२-५२ ३१-१२-५३ ३१-१२-५४ ३१-१२-५५	सूचना प्राप्त नहीं					
	३०- ९-५६	१६	—	—	६	—	—

९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
७	—	—	—	—	—	२	—	—
१२	—	—	—	—	—	२	—	—
८	—	—	—	—	—	३	—	—
११	—	—	—	—	—	३	—	—
१४	—	—	—	—	—	३	—	—
१३	—	—	१	—	—	३		—
१५	—	—	९	१	—	४	—	—
१७	—	—	९	१	—	५	—	—
१५	—	—	८	१	—	२५	१	—
१६	—	—	८	१	—	२३	१	—
१५	—	—	१०	१	—	२३	१	—
४	—	—	—	—	—	—	—	—
४	—	—	—	—	—	—	—	—
४	—	—	—	—	—	—	—	—
३	—	—	१	—	—	—	—	—
२	—	—	१	—	—	—	—	—
२	—	—	१	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	१२	२	—
—	—	—	—	—	—	१३	२	—
१५	—	—	११	—	—	१३	२	—
२१	१	—	१७	—	—	१८	२	—
६८	३	—	१३	१	—	५३	११	—

१	२	३	४	५	६	७	८
कन्ट्रोलर तथा आडिटर जनरल	३१-१२-५१	२११	—	—	१५५	—	—
	३१-१२-५२	२०७	—	—	१६७	—	—
	३१-१२-५३	२४२	१	—	१७६	—	—
	३१-१२-५४	२३८	१	—	१९०	—	—
	३१-१२-५५	२७५	२	—	२४३	—	—
	३०- ९-५६	२७०	२	—	१९८	१	—
राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे का डायरेक्टरेट	३१-१२-५१						
	३१-१२-५२						
	३१-१२-५३	——कुछ नहीं——					
	३०- ९-५५						
	३०- ०-५६	——सूचना प्राप्त नहीं है——					
भारत का उच्च न्यायालय	३१-१२-५१	३ द्य	—	—	—	—	—
	३१-१२-५२	३ द्य	—	—	—	—	—
	३१-१२-५३	५ द्य	—	—	—	—	—
	३१-१२-५४	७ द्य	—	—	—	—	—
	३१-१२-५५	९ द्य	—	—	—	—	—
	३०- ९-५६	९ द्य	—	—	—		—
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित	३०-१०-५४	१	१	—	—	—	—
आदिम जातियों के कमिश्नर का	३१-१२-५५	१	२	—	—	—	—
कार्यालय	३१-१२-५६	१	१	—	२	—	—

९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
—	—	—	१०३९२	२३५	२३	१२७६	५२	७
—	—	—	११८५५	२७६	४१	१५२९	६७	१९
—	—	—	१२०९७	३५३	४२	१६०९	८०	२५
—	—	—	१४७४२	४०९	५२	१८५१	११४	२९
—	—	—	१६५०२	४९३	५६	२२०६	१७२	३४
—	—	—	१६७५२	५४५	६९	२२७३	१७८	३६

१८ द्यद्य	—	—	—	—	—	२७	३	—
२९ द्यद्य	—	—	—	—	—	२६	३	—
४० द्यद्य	—	—	—	—	—	३६	४	—
५३ द्यद्य	१ द्यद्य	—	—	—	—	३४	३	—
५१ द्यद्य	१ द्यद्य	—	—	—	—	३५	४	—
५४ द्यद्य	१ द्यद्य	—	—	—	—	३५	४	—
३	१	—	—	—	—	२	१	—
६	—	—	—	—	—	३	१	—
६	—	—	३	२	—	३	१	—

द्य—इसमें सभी गजटेड क्लास १ अफसर सम्मिलित हैं।

द्यद्य—इसमें सभी छोटा स्टाफ क्लास २ (नान-गजेटेड) तथा क्लास ३ शामिल हैं।

× इसमें सभी क्लास २ के गजेटेड और नान-गजेटेड स्थान शामिल हैं।

ह्य—मंत्रालय/कार्यालय केवल १९५५ से चालू हुआ।

ऋ—इसमें रक्षा डिविजन सम्मिलित नहीं है।

परिशिष्ट

तालिका नं०

केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में १९५१ से १९५६ तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के प्रतिनिधित्व

(अस्थायी सरकारी कर्मचारी)

मंत्रालय/कार्यालय का नाम	अन्त होने वाला वर्ष	क्लास १			क्लास २ (गजेटेड)		
		कुल संख्या	अनुसूचित जातियाँ	अनुसूचित आदिम-जातियाँ	कुल संख्या	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम-जातियाँ
१	२	३	४	५	६	७	८
वाणिज्य तथा उद्योग	३१-१२-५१	८४	१	—	९६	१	—
	३१-१२-५२	८३	—	—	१०८	—	—
	३१-१२-५३	९१	—	—	११२	१	—
	३१-१२-५४	३०३	—	—	११५	१	—
	३१-१२-५५	१४६	—	—	१००	१	—
	३०- ९-५६	१७७	—	—	१२१	२	—
संचार	३१-१२-५१	४३	—	—	१५५	५	—
	३१-१२-५२	४४	—	—	१८३	४	—
	३१-१२-५३	३९	—	—	१९२	६	—
	३१-१२-५४	४६	५	—	२२·	२२	—
	३१-१२-५५	६०	१	—	२४४	५	—
	३०- ९-५६	——————सूचना प्राप्त नहीं हुई——					
विदेशी मामले	३१-१२-५१	२४	—	१	५७	—	४
	३१-१२-५२	३०	—	१	६६	—	७
	३१-१२-५३	३३	—	२	७३	—	११
	३१-१२-५४	३९	—	२	७७	—	१२
	३१-१२-५५	५०	—	३	८९	—	१२
	३०- ९-५६ श्र	८७	—	११	१८९	३	२६
शिक्षा	३१-१२-५१	७९	१	—	३७	—	—
	३१-१२-५२	७०	३	—	३२	—	—
	३१-१२-५३	६५	१	—	३९	१	—
	३१-१२-५४	८२	—	—	५७	—	—
	३०- ९-५५	१०४	—	—	६८	—	—
	३०- ९-५६	——————सूचना प्राप्त नहीं हुई——					
वित्त (रक्षा)	३१-१२-५१	२९	—	—	७	—	—
	३१-१२-५२	२५	—	—	७	—	—
	३१-१२-५३	२०	—	—	१७	—	—
	३१-१२-५४	२०	—	—	६	—	—
	३१-१२-५५	२३	—	—	१२	—	—
	३०- ९-५६	२३	—	—	११	—	—

३३

२

में प्राप्त प्रगति को प्रदर्शित करनेवाली तालिका

क्लास २ (नान-गजेटेड)			क्लास ३			क्लास ४ (भंगियों और मैला उठाने वालों को छोड़कर		
कुल संख्या	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम-जातियां	कुल संख्या	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम-जातियां	कुल संख्या	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम-जातियां
९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
२५१	१	—	३५५८	७७	—	९३८	१०१	१
३४१	२	—	३२८०	८२	१	१०१८	१०९	१
३३२	१	—	२९४४	८५	२	९२१	११२	२
२८८	१	—	२३३५	९७	४	९०७	९१	३
२८५	१	—	२५५९	११५	१२	८५८	१०२	७
११६	४	—	२८६९	१६५	२१	८९३	१२१	७
५८	२	—	२२११८	१०९६	६७	९६७३	११७८	११४
५४	३	—	२४६१०	१३३६	१४०	१०१४८	१५१५	१४१
८३	३	—	२९१७६	२११६	२०४	११२३५	२११७	२३८
६९	२	३	३२८३६	२९९३	३४९	१२४५१	२४६५	२८५
८५	२	—	३२२८८	३४३२	४१८	१२९४२	२६१८	५४२
१५९	—	—	६९७	१४	१३७	३८१	१०	६१
१८६	१	—	९८०	१८	२९३	५९२	१०	२०१
१९०	१	—	१३१०	३५	४५३	७१३	३४	३४७
१९६	१	१	१६६७	३७	६२७	८३८	५८	४९२
२००	१	१	१८८७	४७	६९३	१०७८	४४	५९९
२१४	—	—	३०१५	७२	९०६	१७७८	७२	६४७
९४	—	—	४७०	९	—	४८९	५४	२
१०४	२	—	४६१	१२	—	४६९	६६	२
१२३	२	—	५९३	१९	३	५६३	७९	८
१८०	२	—	८८५	३३	२	८१३	१०५	११
२२२	१	—	११०९	५९	५	९०९	१०१	१७
११६	—	—	५६९०	८१	—	५१६	६९	—
९७	—	—	५६५२	१४३	१	५३४	८९	—
८६	—	—	५६७४	१७३	३	५५९	९५	—
१३३	—	—	५३७२	२५१	७	४४१	७६	१
१४४	—	—	५५९३	३४३	१५	५३९	९७	४
१६७	२	—	४२९५	३५४	१८	१०३६	१५२	१०

१	२	३	४	५	६	७	८
वित्त (आर्थिक मामलों का विभाग)	३१-१२-५१	४	—	—	३	—	—
	३१-१२-५२	४	—	—	७	—	—
	३१-१२-५३	६	—	—	५	—	—
	३१-१२-५४	१२	—	—	४	१	—
	३१-१२-५५	१२	—	—	८	—	—
	३०- ९-५६	सूचना प्राप्त नहीं हुई					
वित्त (कम्पनी कानून व्यवस्था विभाग)+	३१-१२-५५	११	—	—	५	—	—
	३०- ९-५६	१३	—	—	८	—	—
वित्त (व्यय का विभाग)	३१-१२-५१ से ३१-१२-५५	पांच वर्ष की सूचना प्राप्त नहीं है					
	३०- ९-५६	२	—	—	६	—	—
वित्त (आय का विभाग)	३१-१२-५१ से ३१-१२-५५	पांच वर्ष की सूचना					
	३०- ९-५६	१६२	२	१	४२०	३३	७
खाद्य तथा कृषि	३१-१२-५१	१७०	—	—	१९०	१	—
	३१-१२-५२	१९१	—	—	२०७	२	—
	३१-१२-५३	२१८	—	—	२३९	१	—
	३१-१२-५४	२३८	२	—	२५४	२	—
	३१-१२-५५	२५१	—	—	२६५	२	—
	३०- ९-५६	१५४	—	—	१८८	६	—
गृह मामले	३१-१२-५१	१२	—	—	२१	—	—
	३१-१२-५२	१२	—	—	२१	—	—
	३१-१२-५३	११	—	—	२२	—	—
	३१-१२-५४	१४	—	—	२६	—	—
	३१-१२-५५	२०	—	—	२७	—	—
	३०- ९-५६	६९	१	५	६७	—	—
सूचना तथा प्रसार	३१-१२-५१	९२	—	—	१४४	१	—
	३१-१२-५२	९२	—	—	१२८	१	—
	३१-१२-५३	१०९	—	—	१५३	१	—
	३१-१२-५४	१३२	—	—	१६३	१	—
	३१-१२-५५	१२८	—	—	२०६	१	—
	३०- ९-५६	१३६	—	—	२२९	२	—

९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
५९	—	—	४०९	१७	—	२५३	८१	१
७०	१	—	४८५	२७	—	४३४	९२	१
८९	९	—	४८८	३१	२	४५७	९५	२
१०९	१	—	५५९	४६	—	४६०	९०	४
९६	१	—	४५५	३८	३	३१४	३८	१
२९	—	—	२४३	३	—	९४	७	—
२६	५	—	३५४	२६	—	१२१	१५	—
२१०	—	—	२३७	३२	२	२३०	२३	३

जो भेजी गई वह निर्धारित फार्म पर नहीं है ——

९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
८५	—	—	१३०५२	१४००	१३९	९६११	११७१	२४२
३६४	२	—	३३२४	५८	—	१८५६	१८५	—
३८१	३	—	३४४८	७६	—	१९५४	१७५	—
३९३	४	—	३८८१	१०२	—	१९०७	१७१	—
४१३	४	—	४७३७	१७४	—	२५३६	२२८	—
३८२	१	—	६४७०	२३९	३	४७३१	४३८	६
३१४	२	—	४००२	२०५	४	१९४१	२६९	२
७२	—	—	९४७	२०	—	९००	४८	२५
६४	—	—	११०५	२२	३६	१०३२	८१	३०
८४	—	—	११६८	२६	२२	११३५	७७	४४
२०६	३	—	१५८३	८६	२९	११७४	८२	४६
२८२	१	१	१९००	१३१	३४	१३८३	१४०	६२
२३४	७	१	३६१७	२७५	५२	२२८३	२८१	९९
७४०	७	१	१५९९	३५	४	१०२९	१११	१
७४६	८	१	१५५५	४२	३	९७५	११२	१
७८६	९	१	१७१२	५९	५	१२४५	१७१	५
८३५	१०	१	२१०८	९७	११	१३४२	२०५	९
८२६	१०	१	२५३५	१५७	१४	१४६९	२१९	२१
८०७	१३	१	२८७४	२२७	२७	१३३२	२९९	३२

१	२	३	४	५	६	७	८
सिंचाई तथा विद्युत शक्ति	३१-१२-५१	१०८	४	—	९०	१	—
	३१-१२-५२	१०६	२	—	१२१	१	—
	३१-१२-५३	१०४	३	—	१५२	—	—
	३१-१२-५४	११७	३	—	२०५	१	—
	३१-१२-५५	१४६	२	—	२३९	—	—
	३०- ९-५६	१६८	२	—	२५९	३	१
लोहा तथा इस्पात@	३०- ९-५६	९	—	१	—	—	—
	३०. ९-५६	७३	१	—	३७	—	—
श्रम	३१-१२-५१	६२	६	—	३२४	२४	—
	३१-१२-५२	६२	६	—	३२८	२८	१
	३१-१२-५३	५९	५	—	३४५	२७	२
	३१-१२-५४	५२	४	—	३४२	३०	२
	३१-१२-५५	६५	८	—	३४४	२८	३
	३०- ९-५६	१०८	८	—	४३४	२६	३
कानून	३१-१२-५१	२०	—	—	—	—	—
	३१-१२-५२	२२	—	—	—	—	—
	३१-१२-५३	१६	—	—	—	—	—
	३१-१२-५४	२०	—	—	३	—	—
	३१-१२-५५	३१	—	—	५	—	—
	३०- ९-५६	४०	—	—	६	—	—
प्राकृतिक साधन तथा वैज्ञानिक शोध	३१-१२-५१	२४	—	—	१५	—	—
	३१-१२-५२	२२	—	—	१४	—	—
	३१-१२-५३	२५	—	—	१७	—	—
	३१-१२-५४	४७	—	—	१३	—	—
	३१-१२-५५	५५	—	—	१९	१	—
	३०- ९-५६	१०२	—	—	११६	२	२
उत्पादन	३१-१२-५१	८	—	—	८	१	—
	३१-१२-५२	७	—	—	७	१	—
	३१-१२-५३	४	—	—	६	१	—
	३१-१२-५४	३	—	—	११	१	—
	३१-१२-५५	४	—	—	७	१	—
	३०- ९-५६	——सूचना निर्धारित फार्म पर नहीं भेजी गई——					

९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
—	—	—	९८४	१२	—	४७६	२७	१
४४	—	—	१४५९	१४	—	६२७	२८	—
४५	—	—	२०४१	१४	३	७६६	५३	९
५७	—	—	१९२४	३४	३	७५८	५७	७
५८	—	—	२३९२	४८	३	९३४	७९	१२
६८	—	—	२५९४	७८	३	१०३३	९८	१४
७	—	—	८९	१	—	५४	३	१
८८	—	—	४७८	७	—	१८५	१२	३
५९	६	३	२७१६	१८९	११	१४८६	२७१	१८
५८	८	२	२७३६	१७८	१५	१५७८	२७७	१५
५६	५	२	२७२०	१८३	१६	१५२४	२८२	१९
५९	२	२	२७९५	१९३	२१	१४८३	२७८	२०
६६	३	२	३०३५	२१३	३१	१५३७	२४७	३२
२०	—	—	२४३९	१७५	५५	१०८६	१९८	२१
२५ ×	१ ×	—	९३	—	—	९६	१५	—
३५ ×	१ ×	—	९६	४	१	१०३	१५	—
३९ ×	२ ×	—	८९	६	१	६४	१०	—
३८	२	—	९४	१०	१	६८	१३	१
५२	४	१	१३७	१३	२	१०९	२३	१
७२	६	१	१५०	१५	२	१२०	२४	१
४५	—	—	१४४०	५५	५	१२४६	१९५	२
२७	—	—	११८२	८५	१३	१२०६	१८०	३
३७	—	—	१०८२	१००	१७	१२२३	१८१	७
३३	—	—	१४०६	१७४	३५	१४६९	२३६	१२
३५	—	—	१३७६	१८७	३०	१६९७	२६७	२०
४६	—	—	२१४४	२६१	३९	१७१८	२६७	२५
—	—	—	४०६	५	—	३१७	१५	—
—	—	—	३९९	४	—	३३८	१६	—
१	—	—	२६०	४	—	३३०	१६	—
२	—	—	२६५	६	—	२५९	३२	—
२	—	—	३०४	१२	—	२७३	३५	—

१	२	३	४	५	६	७	८
रेलवे (रेलवे बोर्ड)	३१-१२-५१	१६९	—	—	३१	—	—
	३१-१२-५२	१५६	—	—	४२	—	—
	३१-१२-५३	१७३	१	—	३९	—	—
	३१-१२-५४	२३२	—	—	३६	—	—
	३१-१२-५५	२०८	१	—	५४	—	—
	३०—९-५६	सूचना निर्धारित फार्म पर नहीं भेजी गई					
पुनर्वास	३१-१२-५१	५४	१	—	३८१	—	—
	३१-१२-५२	५८	१	—	२८३	—	—
	३१-१२-५३	५५	१	—	१०४	—	—
	३१-१२-५४	५७	१	—	१८६	—	—
	३१-१२-५५	३८	१	—	१९५	२	१
	३०- ९-५६	सूचना प्राप्त नहीं हुई					
कारखाने, भवन-निर्माण तथा संभरण	३१-१२-५१	१२४	—	—	२७९	३	—
	३१-१२-५२	११४	—	—	२९२	२	—
	३१-१२-५३	११०	—	—	२९४	३	—
	३१-१२-५४	११८	१	—	३३८	३	—
	३१-१२-५५	१४१	१	—	३८१	४	—
	३०- ९-५६	सूचना प्राप्त नहीं हुई					
संसदीय मामलों का विभाग	३१-१२-५१	—	—	—	१	—	—
	३१-१२-५२	—	—	—	१	—	—
	३१-१२-५३	१	—	—	—	—	—
	३१-१२-५४	१	—	—	१	—	—
	३१-१२-५५	१	—	—	१	—	—
	३०- ९-५६	१	—	—	१	—	—
राष्ट्रपति का सचिव	३१-१२-५१	१	—	—	१	—	—
	३१-१२-५२	१	—	—	१	—	—
	३१-१२-५३	२	—	—	२	—	—
	३१-१२-५४	२	—	—	१	—	—
	३१-१२-५५	२		—	१	—	—
	३०- ९-५६	१	—	—	१	—	—

९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
—	—	—	५६१२१	२७२३	२५	११२९६४	२१७३८	६५७
—	—	—	६१७५२	२८५६	६०	११८०६०	२३२६३	१६६५
—	—	—	६२०३६	३०८९	१३३	११२०१०	२१५३९	२३२८
—	—	—	६३९५५	३४६१	२१५	१०८६६४	२१३५०	१९६२
—	—	—	६६०३३	३४७५	२१८	११८००१	२४०६६	२२४२
१३२	—	—	१५४८	१६	—	८६४	३०	२
१२४	—	—	१८७४	२९	—	९६२	४८	१
१३४	—	—	१८२१	४९	—	८८५	५६	१
१५४	—	—	१९०७	४७	—	७७९	५०	२
१४२	—	—	२६२९	११५	३	९७३	६७	७
२९६	—	—	५३३३	३१०	४	३५९२	२६६	६
२०७	—	—	४५४३	२२३	५	३३९८	६१७	६
१६०	—	—	४८७७	२८५	१६	३५७४	३४१	१४
५७	—	—	५३५८	३६७	३८	३४२१	४२०	३७
१३६	—	—	६२१०	५४६	५४	३४४८	४६६	६९
५	—	—	६	—	—	१०	—	—
५	—	—	६	—	—	१०	—	—
६	—	—	६	१	—	१०	—	—
७	—	—	८	१	—	१०	—	—
८	—	—	८	१	—	११	—	
८	—	—	८	२	—	१२	—	—
३	—	—	३	—	—	१	—	—
३	—	—	३	—	—	—	—	—
१	—	—	६	—	—	१	—	—
१	—	—	३	—	—	१	—	—
४	१	—	४	—	—	२	—	—
५	१	—	५	—	—	६	—	—

१	२	३	४	५	६	७	८
राष्ट्रपति का फौजी सचिव	३१-१२-५१	२	—	—	—	—	—
	३१-१२-५२	२	—	—	—	—	—
	३१-१२-५३	२	—	—	—	—	—
	३१-१२-५४	२	—	—	—	—	—
	३१-१२-५५	१	—	—	—	—	—
	३०- ९-५६	—	—	—	—	—	—
प्रधान मन्त्री का सचिवालय	३१-१२-५१	—	—	—	५	—	—
	३१-१२-५२	—	—	—	५	—	—
	३१-१२-५३	—	—	—	४	—	—
	३१-१२-५४	—	—	—	६	—	—
	३१-१२-५५	—	—	—	२	—	—
	३०- ९-५६	—	—	—	४	—	—
कैबिनट सचिवालय	३१-१२-५१	१	—	—	७	—	—
	३१-१२-५२	२	—	—	६	—	—
	३१-१२-५३	१	—	—	५	—	—
	३१-१२-५४	३	—	—	५	—	—
	३१-१२-५५	५		—	५	—	—
	३०- ९-५६	—सूचना प्राप्त नहीं हुई—					
विभाजन सचिवालय	३१-१२-५१	—	—	—	—	—	—
	३१-१२-५२	—	—	—	—	—	—
	३१-१२-५३	—	—	—	—	—	—
	३१-१२-५४	—	—	—	—	—	—
	३१-१२-५५	—	—	—	—	—	—
	३०- ९-५६	—	—	—	—	—	—
चुनाव कमीशन	३१-१२-५१	—	—	—	—	—	—
	३१-१२-५२	—	—	—	१	—	—
	३१-१२-५३	—	—	—	१	—	—
	३१-१२-५४	—	—	—	२	—	—
	३१-१२-५५	—	—	—	—	—	—
	३०- ९-५६	५	—	—	२	—	—
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन	३१-१२-५१ से ३१-१२-५५	—पांच वर्षों के लिए सूचना प्राप्त नहीं है—					
	३०- ९-५६	—	—	—	—	—	—

९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
२	—	—	११	—	—	२	—	—
२	—	—	११	—	—	२	—	—
२	—	—	१०	—	—	२	—	—
२	—	—	५	—	—	२	—	—
२	—	—	४	—	—	२	—	—
२	—	—	४	—	—	२	—	—
१६	—	—	२७	२	—	३२	४	—
१०	—	—	२५	१	—	३२	४	—
१०	—	—	२८	२	—	३०	४	—
७	—	—	२८	२	—	३२	५	—
१३	—	—	३३	२	—	३६	६	—
१४	—	—	३३	२	—	३६	६	—
२२	—	—	६३	१	—	८४	५	—
२१	—	—	६७	३	—	८१	६	—
२१	—	—	६६	३	—	५४	५	—
३०	—	—	७०	३	—	५८	५	—
३५	—	—	७७	३	—	७०	८	—
४	—	—	७	—	—	८	—	—
४	—	—	७	—	—	८	—	—
४	—	—	७	१	—	७	१	—
४	—	—	६	१	—	६	१	—
५	—	—	६	१	—	६	१	—
४	—	—	५	१	—	६	२	—
१६	—	—	२३	—	—	११	२	—
३०	१	—	४१	—	—	३१	५	—
२३	१	—	३८	२	—	१५	२	—
२६	१	—	३४	३	—	११	१	—
१०	१	—	२६	१	—	१७	२	—
४	—	—	२२	१	—	२१	४	—
८९	१	—	२२४	१६	१	६४	१२	—

१	२	३	४	५	६	७	८
कन्ट्रोलर तथा आडिटर जनरल	३१-१२-६१	—	—	—	—	—	—
	३१-१२-५२	—	—	—	—	—	—
	३१-१२-५३	—	—	—	—	—	—
	३१-१२-५४	—	—	—	—	—	—
	३१-१२-५५	—	—	—	—	—	—
	३०- ९-५६	—	—	—	—	—	—
राष्ट्रीय सैम्पिल सर्वे का	३१-१२-५१	१	—	—	१८	—	—
डायरेक्टरेट	३१-१२-५२	१	—	—	१८	—	—
	३१-१२-५३	२	—	—	२१	—	—
	३१-१२-५४	८	—	—	२४	—	—
	३१-१२-५५	७	—	—	२३	—	—
	३०- ९-५६		———सुचना प्राप्त नहीं हुई———				
भारत का उच्च न्यायालय	३१-१२-५१	४ ऋ	—	—	—	—	—
	३१-१२-५२	३ ऋ	—	—	—	—	—
	३१-१२-५३	४ ऋ	—	—	—	—	—
	३१-१२-५४	५ ऋ	—	—	—	—	—
	३१-१२-५५	४ ऋ	—	—	—	—	—
	३०-[९-५६	३ ऋ	—	—	—	—	—
अनुसूचित जातियों तथा	३१-१२-५४	६	२	१	१	—	—
आदिमजातियों के कमिश्नर का	३१-१२-५५	५	२	१	३	१	—
कार्यालय	३१-१२-५६	६	२	१	२	—	—

९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
—	—	—	९२९७	२२७	४	१५२२	१३२	११
—	—	—	१०३८३	२८६	३१	१६७१	१४२	२३
—	—	—	१०३८१	२९४	५०	१६७८	१९१	२३
—	—	—	११३५०	३९४	६२	१७४४	२०५	३६
—	—	—	११७३९	५२७	६९	१९९६	३१०	४३
—	—	—	११३०५	४९९	८८	१९६८	२५७	३९
—	—	—	४०७	६	२	१११०	—	१
—	—	—	४५८	६	२	१२२	३	—
१	—	—	५५५	१३	२	१४९	४	२
६	—	—	६०५	१९	१	१७०	१५	१
९	—	—	७८२	४०	३	१९१	३६	२
१८ ऋऋ	१ ऋऋ	—	—	—	—	३२	४	—
२८ ऋऋ	१ ऋऋ	—	—	—	—	३१	५	—
१९ ऋऋ	१ ऋऋ	—	—	—	—	२५	७	—
३१ ऋऋ	—	—	—	—	—	३४	१०	—
२९ ऋऋ	—	—	—	—	—	३७	१०	—
३० ऋऋ	—	—	—	—	—	४४	१०	—
१०	३	३	२५	४	६	२१	९	४
१२	१	१	६४	१४	६	३६	१२	७
१७	३	३	६५	१२	५	४५	१०	११

ऋ इसमें सभी गजेटेड क्लास १ अफसर सम्मिलित हैं।

ऋऋ इसमें सभी छोटा स्टाफ, क्लास २ (नान-गजेटेड) तथा क्लास ३ शामिल हैं।

× इसमें सभी क्लास २ के गजटेड और नान-गजेटेड शामिल हैं।

श्र इसमें उत्तर पूर्वी सीमान्त प्रदेश शामिल है।

\+ इसमें डिफेंस डिविजन सम्मिलित नहीं है।

@ मंत्रालय/कार्यालय केवल १९५५ में चालू हुआ।

परिशिष्ट

तालिका नं०

१-१०-५५ से ३०-६-५६ तक केन्द्रीय सरकार की सेवाओं तथा नौकरियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित

क्लास १					
मंत्रालय/कार्यालय	भर्ती किये हुए व्यक्तियों की कुल संख्या, जिनमें वे भी शामिल हैं, जो सुरक्षित स्थानों के प्रति भरे गये हैं	अनुसूचित जातियाँ		अनुसूचित आदिमजातियां	
		इस समय में खाली हुए सुरक्षित स्थनों की संख्या	सुरक्षित स्थानों के प्रति की गई नियुक्तियों की संख्या	इस समय में खाली हुए सुरक्षित स्थानों की संख्या	सुरक्षित स्थानों के प्रति की गई नियुक्तियों की संख्या
१	२	३	४	५	६
वाणिज्य तथा उद्योग	७३	६	—	—	३
संचार	——सूचना नहीं दी गई——				
विदेशी मामले ॠ	१३	१	—	१	—
शिक्षा	——सूचना नहीं दी गई——				
वित्त (रक्षा)	५	—	—	—	—
वित्त (आर्थिक मामलों का विभाग)	——सूचना नहीं दी गई——				
वित्त (कम्पनी कानून व्यवस्था विभाग) ×	१४	१	१	१	१
वित्त (व्यय का विभाग)	—	—	—	—	—
वित्त (आय का विभाग)	१७	—	१	—	—
खाद्य तथा कृषि	४०	२	—	१	—
गृह मामले	४	—	—	—	—
सूचना तथा प्रसार	३५	१	—	२	—
सिंचाई तथा विद्युत शक्ति	९	१	—	—	—
लोहा तथा इस्पात	७४	३	२	२	१
श्रम	१६	३	—	१	—
कानून	८	२	—	—	—
प्राकृतिक साधन तथा वैज्ञानिक शोध	५४	अप्राप्त	२	अप्राप्त	—
उत्पादन	——सूचना निर्धारित फार्म पर नहीं दी गई——				
पुनर्वास	——सूचना नहीं दी गई——				

३३

३

आदिमजातियों की संख्या तथा सीधे भर्ती किये हुए व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करने वाली तालिका

क्लास २ (गजेटेड)

भर्ती किये हुए व्यक्तियों की कुल संख्या, जिनमें वे भी शामिल हैं, जो सुरक्षित स्थानों के प्रति भरे गये हैं	अनुसूचित जातियाँ		अनुसूचित आदिमजातियाँ	
	इस समय में खाली हुए सुरक्षित स्थानों की संख्या	सुरक्षित स्थानों के प्रति की गई नियुक्तियों की संख्या	इस समय में खाली हुए सुरक्षित स्थानों की संख्या	सुरक्षित स्थानों के प्रति की गई नियुक्तियों की संख्या
७	८	९	१०	११
१०	४	१	१	—
२३	१	—	१	१
—	—	—	—	—
१२	१	१	१	—
—	—	—	—	—
२३	—	९	१	३
४७	६	२	३	—
८	—	—	—	—
५८	१०	—	३	—
३३	५	३	२	१
३२	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
२२	—	—	—	—
—	—	—	—	—
२२	४	३	२	१

क्लास—२ (नान—गजेटेड)

मंत्रालय। कार्यालय	भर्ती किये हुए व्यक्तियों की कुल संख्या, जिनमें वे भी शामिल हैं, जो सुरक्षित स्थानों के प्रति भरे गये हैं	अनुसूचित जातियाँ		अनुसूचित आदिमजातियाँ	
		इस समय में खाली हुए सुरक्षित स्थानों की संख्या	सुरक्षित स्नानों के प्रति की गई नियुक्तियों की संख्या	इस समय में खाली हुए सुरक्षित स्थानों की संख्या	सुरक्षित स्थानों के प्रति की गई नियुक्तियों की संख्या
	१२	१३	१४	१५	१६
वाणिज्य तथा उद्योग	११	३	१	२	—
संचार		——सूचना नहीं दी गई——			
विदेशी मामले ऋ	११	२	—	१	—
शिक्षा		——सूचना नहीं दी गई——			
वत्त (रक्षा)	—	—	—	—	—
वित्त (आर्थिक मामलों का विभाग)		——सूचना नहीं दी गई——			
वित्त (कम्पनी कानून व्यवस्था विभाग) ×	१	—	—	—	—
वित्त (व्यय का विभाग)	२४	२	—	१	—
वित्त (आय का विभाग)	—	—	—	—	—
खाद्य तथा कृषि	७	१	—	१	—
गृह मामले	३	—	—	—	—
सूचना तथा प्रसार	७०	७	३	६	—
सिंचाई तथा विद्युत शक्ति	१	—	—	—	—
लोहा तथा इस्पात	८३	१	—	१	—
श्रम	४	—	—	—	—
कानून	१९	५	१	१	१
प्राकृतिक साधन तथा वैज्ञानिक शोध	४	१	—	—	—
उत्पादन	——सूचना निर्धारित फार्मों पर नहीं भेजी गई——				
पुनर्वास	——सूचना नहीं दी गई——				

क्लास ३

भर्ती किये हुए व्यक्तियों की कुल संख्या जिनमें वे भी शामिल हैं, जो सुरक्षित स्थानों के प्रति भरे गये हैं	अनुसूचित जातियां		अनुसूचित आदिमजातियां	
	इस समय में खाली हुए सुरक्षित स्थानों की संख्या	सुरक्षित स्थानों के प्रति की गई नियुक्तियों की संख्या	इस समय में खाली हुए सुरक्षित स्थानों की संख्या	सुरक्षित स्थानों के प्रति की गई नियुक्तियों की संख्या
१७	१८	१९	२०	२१
१०७३	१६९	९७	६७	१६
३८०	२७	१५	८१	१०८
४६९	१०६	९८	६६	७
१२७	२६	२४	३	—
९३	१६	१५	४	२
५४७२	८३४	६७६	४२०	७६
५५६	१६८	६३	६४	९
१३४१	२२१	१५७	६६	१९
७९७	२२६	१२८	६९	२४
४७४	८४	३३	२९	३
२५३	१५	१०	७	३
६२४	७१	५५	३१	१६
३३	५	९	१	१
१०१४	अप्राप्त	११७	अप्राप्त	१७

मंत्रालय । कार्यालय					
वाणिज्य तथा उद्योग	—	—	—	—	—
संचार	————————				
विदेशी मामले ॠ	—	—	—	—	—
शिक्षा	————————				
वित्त (रक्षा)	—	—	—	—	—
वित्त (आर्थिक मामलों का विभाग)	————————				
वित्त (कम्पनी कानून व्यवस्था विभाग) ×	—	—	—	—	—
वित्त (व्यय का विभाग)	—	—	—	—	—
वित्त (आय का विभाग)	—	—	—	—	—
खाद्य तथा कृषि	—	—	—	—	—
गृह मामले	—	—	—	—	—
सूचना तथा प्रसार	—	—	—	—	—
सिंचाई तथा विद्युत शक्ति	—	—	—	—	—
लोहा तथा इस्पात	—	—	—	—	—
श्रम	—	—	—	—	—
कानून	—	—	—	—	—
प्राकृतिक साधन तथा वैज्ञानिक शोध	—	—	—	—	—
उत्पादन	————————				
पुनर्वास	————————				

क्लास ४				
भर्ती किये हुए व्यक्तियों की कुल संख्या जिनमें वे भी शामिल हैं, जो सुरक्षित स्थानों के प्रति भरे गये हैं	अनुसूचित जातियाँ		अनुसूचित आदिमजातियाँ	
	इस समय में खाली हुए सुरक्षित स्थानों की संख्या	सुरक्षित स्थानों के प्रति की गई नियुक्तियों की संख्या	इस समय में खाली हुए सुरक्षित स्थानों की संख्या	सुरक्षित स्थानों के प्रति की गई नियुक्तियों की संख्या
२२	२३	२४	२५	२६
२६६	४९	६७	१८	४
२८३	१९	२०	७१	५८
११७	२४	२३	१०	—
५३	८	९	२	१
५९	१०	१३	३	२
२५३१	३८९	४३५	२०१	१३०
३५४	७३	५३	३७	८
३१३	९०	१०१	२२	४
३९०	६४	७९	३३	१७
१४०	२१	३२	१२	४
१५४	८	८	३	३
२२५	२५	२६	११	९
३२	६	९	२	—
२२५	अप्राप्त	५०	१	१

१	२	३	४	५	६
रेलवे	——सूचना निर्धारित फार्मों पर नहीं भेजी गई——				
परिवहन	१५	१	—	—	१
कारखाने, भवन-निर्माण तथा संभरण	——सूचना नहीं दी गई——				
संसदीय मामलों का विभाग	—	—	—	—	—
राष्ट्रपति का सचिव	—	—	—	—	—
राष्ट्रपति का फौजी सचिव	—	—	—	—	—
प्रधान मंत्री का सचिवालय	—	—	—	—	—
कैबिनेट सचिवालय	——सूचना नहीं दी गई——				
विभाजन सचिवालय	—	—	—	—	—
चुनाव कमीशन	—	—	—	—	—
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन	—	—	—	—	—
कन्ट्रोलर तथा आडिटर जनरल	२३	२	१	१	—
राष्ट्रीय सैम्पिल सर्वे का डायरेक्टरेट	——सूचना नहीं दी गई——				
भारत का उच्च न्यायालय	——अनु०जातियों तथा अनु० आदिमजातियों के लिये——				
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातिया के कमिश्नर का कार्यालय	१	—	—	—	—

	१२	१३	१४	१५	१६
रेलवे	———सूचना निर्धारित फार्मों पर नहीं भेजी गई———				
परिवहन	९	—	—	१	—
कारखाने, भवन-निर्माण तथा संभरण	———सूचना नहीं दी गई———				
संसदीय मामलों का विभाग	—	—	—	—	—
राष्ट्रपति का सचिव	—	—	—	—	—
राष्ट्रपति का फौजी चिसव	—	—	—	—	—
प्रधान मंत्री का सचिवालय	३	—	—	—	—
कैबिनेट सचिवालय	———सूचना नहीं दी गई———				
विभाजन सचिवालय	—	—	—	—	—
चुनाव कमीशन	—	—	—	—	—
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन	—	—	—	—	—
कन्ट्रोलर तथा आडिटर जनरल	—	—	—	—	—
राष्ट्रीय सैम्पिल सर्वे का डायरेक्टरेट	—	———सूचना नहीं दी गई———			
भारत का उच्च न्यायालय	———अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिये संरक्षण नहीं है———				
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के कमिश्नर का कार्यालय	—	—	—	—	—

१७	१८	१९	२०	२१
४४६	५७	४५	२८	९
३	१	१	—	—
७	१	१	१	—
—	—	—	—	—
६	१	१	—	—
३	—	—	१	—
१०	२	१	—	—
९८	१७	१८	६	१
३७१२	६४०	२७५	३५२	६०
२१	४	६	१	१

रेलवे					
परिवहन	—	—	—	—	—
कारखाने, भवन-निर्माण तथा संभरण	—	—	—	—	—
संसदीय मामलों का विभाग	—	—	—	—	—
राष्ट्रपति का सचिव	—	—	—	—	—
राष्ट्रपति का फौजी सचिव	—	—	—	—	—
प्रधान मंत्री का सचिवालय	—	—	—	—	—
कैबिनेट सचिवालय	—	—	—	—	—
विभाजन सचिवालय	—	—	—	—	—
चुनाव कमीशन	—	—	—	—	—
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन	—	—	—	—	—
कन्ट्रोलर तथा आडिटर जनरल	—	—	—	—	—
राष्ट्रीय सैम्पिल सर्वे का डायरेक्टरेट	—	—	—	—	—
भारत का उच्च न्यायालय	—	—	—	—	—
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के कमिश्नर का कार्यालय	—	—	—	—	—

२२	२३	२४	२५	२६
२४८	३६	५६	१५	१६
—	—	—	—	—
५	१	१	—	—
१	—	१	—	—
१	—	—	—	—
४	१	१	—	—
१२	२	१	—	—
२८	५	२	२	—
५७९	९५	१०७	६७	१३
२६	५	१०	१	३

ऋ—इसमें नेफा सम्मिलित है।

×—१-८-५५ से ३०-९-५६ तक।

परिशिष्ट

तालिका नं०

सन् १९५१ से १९५५ तक केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित

अस्थाई तथा स्थाई सरकारी कर्मचारी

वर्ष	क्लास १			क्लास २		
	कुल संख्या (अनुसूचित जातियों व आदिमजातियों समेत)	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम-जातियां	कुल संख्या (अनुसूचित जातियों व आदिमजातियों समेत)	अनुसूचित जातियां	अनुसूचितआदिम जातियाँ
१	२	३	४	५	६	७
१९५१	१६३७	९	१	४०५३	३४	८
१९५२	१६९७	८	२	४६८८	४६	११
१९५३	१७९५	१०	३	४९३०	५३	१४
१९५४	१८३९	१६	३	५६५६	८१	३५
१९५५	२१७९	१०	३	६२६२	६५	१८

३३

४

आदिमजातियों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में पूरी स्थिति प्रदर्शित करने वाली तालिका

क्लास ३			क्लास ४		
कुल संख्या (अनुसूचित जातियों व आदिमजातियां समेत)	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिमजातियां	कुल संख्या (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों समेत)	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिमजातियां
८	९	१०	११	१२	१३
१२८०३२	४०३१	५५४	४६४१६	४३४८	४५१
१४२६०८	४८४६	९४१	५२५३९	६०५०	६४८
१५५९८३	६४९८	१२५६	५२६३२	६२४४	९९९
१६४५०४	२२७५	१७३६	६०७८१	७२०४	१३०५
१७९०७९	९९५०	२०२९	६३०००	८३५०	१८३२

नोट :—उपरोक्त आंकड़ों में केवल निम्नलिखित मन्त्रालयों/कार्यालयों की सूचना सम्मिलित है :—

संचार मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय, वित्त (रक्षा) मन्त्रालय, वित्त (आर्थिक मामलों का विभाग) मन्त्रालय, खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसार मन्त्रालय, सिंचाई तथा विद्युत शक्ति मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, प्राकृतिक साधन तथा वैज्ञानिक शोध मन्त्रालय, उत्पादन मन्त्रालय, संसदीय मामलों का मन्त्रालय, राष्ट्रपति का सचिवालय, राष्ट्रपति का फौजी सचिवालय, प्रधान मन्त्री का सचिवालय, विभाजन सचिवालय, चुनाव कमीशन, कण्ट्रोलर तथा आडिटर जनरल और भारत का उच्च न्यायालय।

परिशिष्ट

तालिका नं०

१९५१ से १९५६ तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के प्रतिनिधित्व

(स्थायी सरकारी

राज्य का नाम	अन्त होनेवाला वर्ष	क्लास २			क्लास २ (गजेटेड)		
		कुल संख्या	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम-जातियाँ	कुल संख्या	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिमजातियाँ
१	२	३	४	५	६	७	८
आसाम ×	३१-१२-५१	३३	प्राप्त नहीं	४	४४	२	५
	३१-१२-५२	३९	प्राप्त नहीं	४	७४	—	७
	३१-१२-५३	४०	प्राप्त नहीं	२	९२	३	६
	३१-१२-५४	४५	प्राप्त नही	४	१२०	४	७
	३०- ९-५५	४५	प्राप्त नहीं	५	१२६	२	११
	३०- ९-५६	४१	२	३	१०६	४	२
बिहार ×	३०- ९-५६	१५	—	—	१८९	—	१
बम्बई ×	३१-१२-५१	२०७	३	—	५३१	३	—
	३१-१२-५२	२०४	२	—	५५२	२	—
	३१-१२-५३	२२१	२	—	६०७	२	—
	३१-१२-५४	२३९	३	—	६०१	—	—
	३०- ९-५५	२४७	३	—	६१०	—	—
	३०- ९-५६	३९	१	—	३६	—	—
उड़ीसा ×	३१-१२-५१	३	२	—	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नही
	३१-१२-५२	२	२	—	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
	३१-१२।५३	२	२	—	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
	३१-१२-५४	४	२	१	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
	३०- ९-५५	४	२	—	प्राप्त नही	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
	३०- ९-५६	सूचना नहीं दी गई					
पंजाब	३१-१२-५१	२०६	—	—	४२२	२	—
	३१-१२-५२	२२९	—	—	३३०	२	—
	३१-१२-५३	२२३	—	—	३४५	६	—
	३१-१२-५४	२३७	—	—	३९५	८	—
	३०- ९-५५	२२५	—	—	४४८	९	—
	३०- ९-५६×	१२६	—	- -	३२८	८	—

३४

१

तथा राज्य सरकारों के अन्तर्गत कर्मचारियों की कुल संख्या को प्रदर्शित करनेवाली तालिका
कर्मचारी)

क्लास २ (नान-गजेटेड)			क्लास ३			क्लास ४		
कुल संख्या	अनुसूचित जातियां	अनु० आदिम जातियां	कुल संख्या	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिमजातियां	कुल संख्या	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिमजातियाँ
९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१०७	६	२४	१३८४	४४	३०४	६५२	२६	८१
१८२	३१	३०	१३८४	५२	३९३	७५८	३१	९५
१८९	२९	३४	१३९४	६७	३५९	७२५	३५	९९
१७०	२७	३४	२४६९	१३३	५४१	११८९	४३	१२५
२०४	२९	३३	२९५४	१९८	८४१	११९९	५३	१०७
२१	—	—	२०६८	१४९	३५६	१०३२	५९	१११
५	—	१	२०६८	४१	६८	५२०	८१	७३
८०	१	—	६४११९	३१६३	१५७५	५०१३	५६०	३३८
७०	—	—	५२६३४	३३३४	१६४८	५१३१	६१३	३२९
८६	—	—	४३२००	३५१६	१७८२	४९४३	६१९	३५१
९४	—	—	६०२६९	३५७२	१८१६	५२२९	६८२	३४८
१०४	—	—	६१३४४	४०४२	१९३९	५५४६	७४१	४१६
२०	—	—	१९७९	४५	४०	६४२	११८	८०
प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	२८	१८९	१	१२	१०९	४	अप्राप्त
प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	२८	१८०	१	१३	१०३	४	,,
प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	२८	१९२	२	१३	१०८	४	,,
प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	२८	२०७	३	१३	१२८	११	,,
प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	२९	२१५	३	१३	१२७	१०	,,
२५०	—	१४	११७२७	२३५	४	३६३६	११७	७
२२१	—	—	१२८२४	२९८	५	४५२८	२६७	६
२५०	—	—	११३९७	३४८	३	९८६५	३६०	१०
२७५	—	—	१३११९	५३४	२५	४८१३	४१३	२५
२९६	—	—	१४३७४	४५७	२१	५२४०	४१६	३८
७०	१	—	८९०९	३४३	२६	५६६३	२२६	५२

१	२	३	४	५	६	७	८
उत्तर प्रदेश	३१-१२-५१	३४२	३	—	८८०	२९	—
	३१-१२-५२	३७९	२	—	९०५	३२	—
	३१-१२-५३	३८८	२	—	८४०	३६	—
	३१-१२-५४	४२८	४	—	९१२	३४	—
	३०- ९-५५	४००	३	—	९९२	४८	—
	३०- ९-५६	सूचना नहीं दी गई					
पश्चिमी बंगाल	३१-१२-५१ से ३१-१२-५५	सूचना नहीं दी गई					
	३०- ९-५६	३००८ ह्य	९७ ह्य	७ ह्य	—	—	—
सौराष्ट्र	३१-१२-५१	४१	९	—	९१	—	—
	३१-१२-५२	४३	९	—	४५	—	—
	३१-१२-५३	४२	९	—	९७	—	—
	३१-१२-५४	५०	९	—	१२४	१	—
	३०- ९-५५	५५	८	—	१३४	१	—
	३०- ९-५६	५५	—	—	२२१	७	—
अजमेर	३१-१२-५१	६	—	—	३०	—	—
	३१-१२-५२	४	—	—	१५	—	—
	३१-१२-५३	५	—	—	१७	—	—
	३१-१२-५४	३	—	—	२२	—	—
	३१-१२-५५	४	—	—	५७	—	—
	३०- ९-५६	सूचना नहीं दी गई					
भोपाल	३१-१२-५१	१५	—	—	८८	—	—
	३१-१२-५२	१९	—	—	१०२	—	—
	३१-१२-५३	२०	—	—	१०९	—	—
	३१-१२-५४	२५	—	—	११७	—	—
	३०- ९-५५	२८	—	—	१७१	—	—
	३०- ९-५६	सूचना नहीं दी गई					
कुर्ग	३१-१२-५१	१	—	—	३	—	—
	३१-१२-५२	१	—	—	३	—	—
	३१-१२-५३	१	—	—	५	—	—
	३१-१२-५४	१	—	—	१७	—	—
	३०- ९-५५	३	—	—	१८	—	—
	३०- ९-५६	सूचना नहीं दी गई					

९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
२११	४	—	१२१५६	२८२	—	३२६८	३२४	—
१०५	४	७	४३६१	२६०	—	३५६७	३८४	—
१३९	७	४	४९७१	३२१	—	२५१९	४१७	—
२५०	८	३	५१८७	३३७	—	३६२४	४९८	—
२७६	८	—	५३६६	३४३	—	२२०८	८	—
५८२८९ द्य	२४०९ द्य	१८०२ द्य	—	—	—	८८२२	१०४८	८५
२२	—	—	७९४३	२१०	७२	२८४६	३७	१८७
९	—	—	८०३९	२१४	६४	२८८७	४१	१४४
१०	—	—	८३८५	२५६	७२	२७२४	५५	१६३
११	—	—	७५१०	३१८	९७	२७६०	८९	१५५
२२	—	—	१०९५३	४५२	१२३	२८८९	११९	१७३
९६	—	—	१०१६३	१६०	१२४	२९२३	१५१	१७३
—	—	—	२२४४	१५	—	६३८	४	—
—	—	—	१५८९	९	—	४१२	५	—
—	—	—	१८६४	१६	—	३९८	१०	—
२	—	—	२०६८	२५	—	५११	२१	—
—	—	—	२७२७	२४	—	८६३	२७	—
—	—	—	९९२	७	१०	३०६१	८४	१३
—	—	—	१७४४	१५	१२	३०७५	१०५	७०
—	—	—	१८८५	१६	४०	३३१०	१२९	७१
—	—	—	२८३७	१७	५०	३३१०	२०९	१०७
—	—	—	३५४८	२४	५९	४११४	२५१	११६
२०	—	—	७६२	—	—	२९८	७	३
२२	—	—	८०६	२	—	३०६	८	२
२५	—	—	८७०	४	—	३९१	१२	२
२८	—	—	८९२	२	—	३९८	१३	५
३०	—	—	९८४	३	—	९८४	११	३

१	२	३	४	५	६	७	८
दिल्ली	३१-१२-५१	१८	—	—	४०	—	—
	३१-१२-५२	१९	—	—	४२	—	—
	३१-१२-५३	२२	—	—	६१	—	—
	३१-१२-५४	१७	—	—	५१	—	—
	३०- ९-५५	२६	—	—	६८	—	—
	३०- ९-५६				सूचना नहीं दी गई		
हिमाचल प्रदेश	३१-१२-५१	२२	—	१	६४	—	—
	३१-१२-५२	२६	—	१	६७	—	—
	३१-१२-५३	२५	—	१	६५	—	—
	३१-१२-५४	२५	—	१	६६	—	—
	३०- ९-५५	२४	—	१	६६	—	—
	३०- ९-५६				सूचना नहीं दी गई		
कच्छ	३१-१२-५१	८	—	—	३१	—	—
	३१-१२-५२	८	—	—	३८	—	—
	३१-१२-५३	१०	—	—	३९	—	—
	३१-१२-५४	१०		—	५१	—	—
	३०- ९-५५	१०	—	—	५२	—	—
	३०- ९-५६	१०	—	—	५३	—	—
मणीपुर	३१-१२-५१	५	—	—	३७	—	३
	३१-१२-५२	६	—	१	३९	—	३
	३१-१२-५३	६	—	१	३९	—	३
	३१-१२-५४	६	—	१	४१	१	३
	३०- ९-५५	७	—	१	६९	—	४
	३०- ९-५६				सूचना नहीं दी गई		
त्रिपुरा	३१-१२-५१	७	—	३	१०१	१	१२
	३१-१२-५२	७	—	३	९७	१	१२
	३१-१२-५३	८	—	३	८९	१	१२
	३१-१२-५४	८	—	१	७९	१	१२
	३०- ९-५५	८	—	३	११३	१	१४
	३०- ९-५६	१३	—	५	१३२	१	११
विन्ध्य प्रदेश	३१-१२-५१	—	—	—	—	—	—
	३१-१२-५२	—	—	—	—	—	—
	३१-१२-५३	—	—	—	—	—	—
	३१-१२-५४	५६	—	—	२१६	—	१
	३०- ९-५५	५९	—	—	२२५	—	१
	३०- ९-५६				सूचना नहीं दी गई		

९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
४	—	—	५४७	५	१	४४३	२०	५
४	—	—	५७५	७	१	४६४	१९	५
५	—	—	७६८	६	१	४९५	२०	५×
५	—	—	७०८	८	१	५५४	२६	६
५	—	—	७२७	११	—	५६४	३०	६
९	—	—	२२७५	८७	२२	१३४३	६६	६
१०	—	—	२४१५	१००	२४	१५१७	८६	५
१०	—	—	२५६१	११०	२८	१४७२	८७	८
११	—	—	२७११	१२०	२५	१५७९	११३	८
१३	—	—	२९८१	१३३	३०	१६२८	१४१	८
—	—	—	१३१३	५	—	२२१३	३४	३३
—	—	—	१२००	५	—	२८९०	५५	८५
—	—	—	१३०१	५	—	२५५५	२७	३५
—	—	—	१२८०	५	—	२३९६	३५	६८
—	—	—	१३०२	५	—	२५६२	३६	६०
—	—	—	१७००	९	—	२४००	३७	५४
१	—	—	८४२	१	२६१	५०२	—	९४
४	—	—	८६१	१	२६१	४८७	—	९०
१	—	—	८८०	२	२७५	४४८	—	८८
१	—	—	९४३	२	२८०	४७०	—	९८
१०	—	—	१२९७	२	२९२	११९०	२	२६६
—	—	—	१७१६	४२	२९२	१८६२	११२	२९५
—	—	—	१७६९	४३	२९९	२२०७	१८२	४८६
—	—	—	१७९७	४३	३२७	२२७७	१७९	५५५
—	—	—	१८२३	४३	३६४	२३८०	१९९	५९०
—	—	—	१८२५	४३	३६५	२३८७	२०३	५८६
—	—	—	१८५०	४२	३७९	२३९४	२०८	५९१
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	१२९९६	१	१	८७०५	१३	२५
—	—	—	१३२१७	२५	१०	९३१२	५५	६३

×—सूचना पूरी नहीं है ।
ह्म—इसमें गजेटेड पद क्लास १ और २ सम्मिलित हैं ।
ह्य—इसमें चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर सभी नान-गजेटेड पद सम्मिलित हैं ।

परिशिष्ट

तालिका नं०

१९५१ से १९५६ तक अनुसूचित जातियों, तथा अनुसूचित आदिमजातियों के प्रतिनिधित्व तथा राज्य सरकारों के अन्तर्गत

(अस्थायी सरकारी कर्मचारी)

राज्य का नाम	अन्त होने वाला वर्ष	क्लास १			क्लास २ (गजेटेड)		
		कुल संख्या	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियाँ	कुल संख्या	अनुसूचित जातियाँ	अनुसूचित आदिमजातियाँ
१	२	३	४	५	६	७	८
आसाम[1]	३१-१२-५१	२५	अप्राप्त	अप्राप्त	९३	३	४
	३१-१२-५२	२७	अप्राप्त	१	९०	२	५
	३१-१२-५३	२५	१	—	१२०	३	८
	३१-१२-५४	३०	१	४	१४३	५	९
	३०- ९-५५	३५	२	३	१६७	६	१०
	३०- ९-५६	७	—	३	२३१	२३	५४
बिहार[1]	३०- ९-५६	४	—	—	२२	—	—
बम्बई[1]	३१-१२-५१	८३	—	—	३४७	१	—
	३१-१२-५२	८२	—	—	३५४	१	—
	३१-१२-५३	७१	—	—	४६९	३	—
	३१-१२-५४	७८	—	—	४९२	५	—
	३०- ९-५५	८५	१	—	५२३	३	—
	२०- ९-५६	२१	—	—	७०	—	—
उड़ीसा[1]	३१-१२-५१	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	१	३	प्राप्त नहीं	१
	३१-१२-५२	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	१	३	प्राप्त नहीं	१
	३१-१२-५३	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	१	३	प्राप्त नहीं	१
	३१-१२-५४	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	१	३	प्राप्त नहीं	१
	३०- ९-५५	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	१	३	प्राप्त नहीं	१
	३०- ९-५६	सूचना नहीं दी गई					
पंजाब	३१-१२-५१	११५	—	—	२२५	४	—
	३१-१२-५२	५९	—	—	२७४	४	—
	३१-१२-५३	८४	—	—	९११	८	—
	३१-१२-५४	४२	—	—	४११	१०	—
	३०- ९-५५	४५	—	—	४३४	८	—
	३०- ९-५६[1]	३१	—	—	१५७	१२	—

३४

२

कर्मचारियों की कुल संख्या को प्रदर्शित करने वाली तालिका

क्लास २ (नान-गजेटेड)			क्लास ३			क्लास ४		
कूल संख्या	अनुसूचित जातियाँ	अनुसूचित आदिमजातियाँ	कुल संख्या	अनुसूचित जातियाँ	अनुसूचित आदिमजातियाँ	कुल संख्या	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिमजातियाँ
९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
६९	१	१५	२०१६	१२०	४९३	१४२१	५५	२२३
५९	९	१५	२२००	१२७	४०२	१७५१	६०	२६०
५३	१०	६	२६५४	१५२	५४९	१७६८	६७	४४०
६३	१३	२४	३६२०	१९०	८७१	१९७६	१२६	२८७
१११	४५	२२	२०१६	२२२	१०८६	१९४५	१८२	३७४
४४	६	६	४६१०	२३२	९३७	२३४८	१६४	३६५
३	—	१	१६५४	१०२	४५	१२३५	२१९	१५२
४६	६	—	२९३३१	१४६७	५७४	५७४३	७५१	४९०
६५	२	—	२८३५७	१५२६	५६२	५६०८	७९५	४३०
५०	१	—	२७२७६	१५८८	५१२	६५५१	९८१	६२३
४१	—	—	२५३८४	२०६८	४२७	७४६४	१२५१	७३२
५४	—	१	२३०१६	१७७३	४७५	७८००	१३३४	६९८
१४	१	—	३५४५	१६०	१२१	२३८७	४०१	३६
प्राप्त नहीं	—	१३	२८५	८	५३	१६९	१३	३३
प्राप्त नहीं	—	१८	३१८	८	५३	२४९	१६	३९
प्राप्त नहीं	—	२१	३८१	१७	५८	२७२	१८	५४
प्राप्त नहीं	—	२२	५००	१६	८०	३४६	३५	५७
प्राप्त नही	—	३४	५६८	३५	१०८	४०६	४५	८२
७८	—	३	९३५८	३३९	२४	४३६०	३४०	१५
५५	—	५	९९६८	४६४	२१	४८७७	४८९	१८
६५	—	६	१०९०३	५९६	२८	७०९५	७४८	३६
८५	—	—	२०८९३	१३३७	३९	६८३५	१०७१	४०
११८	२	८	१३२०४	१०७३	४७	८९१५	१८३५	७४
२१	—	—	५८८५	४८१	२४	२८५०	५९५	३७

१	२	३	४	५	६	७	८
उत्तर प्रदेश	३१-१२-५१	२१	—	—	३०९	२	—
	३१-१२-५२	१६	—	—	२९६	३	—
	३१-१२-५३	१७	—	—	३८४	३	—
	३१-१२-५४	१९	—	—	३५३	४	१९
	३१-१२-५५	२३	—	—	३६१	३	९
	३०- ९-५६	——सूचना नहीं दी गई——					
पश्चिमी बंगाल	२८- २-५६	११८६[2]	१५[2]	३[2]	—	—	—
सौराष्ट्र	३१-१२-५१	१	—	—	२	—	—
	३१-१२-५२	९	—	—	३	—	—
	३१-१२-५३	९	—	—	३	—	—
	३१-१२-५४	६	—	—	५	२	—
	३०- ९-५५	२३	—	३	४८	३	—
	३०- ९-५६	६	—	—	४४	—	—
अजमेर	३१-१२-५१	४	—	—	१९	—	—
	३१-१२-५२	७	—	—	२४	—	—
	३१-१२-५३	८	—	—	२३	—	—
	३१-१२-५४	६	—	—	२८	१	—
	३१-१२-५५	३	—	—	४०	१	—
	३०- ९-५६	——सूचना नहीं दी गई——					
भोपाल	३१-१२-५१	४	—	—	२५	—	—
	३१-१२-५२	६	—	—	३६	—	—
	३१-१२-५३	६	—	—	५६	—	—
	३१-१२-५४	८	—	—	५९	—	—
	३०- ९-५५	१४	—	—	७४	—	—
	३०- ९-५६	——सूचना नहीं दी गई——					
कुर्ग	३१-१२-५१	—	—	—	८	—	—
	३१-१२-५२	—	—	—	१२	—	—
	३१-१२,५३	—	—	—	१८	—	—
	३१-१२-५४	—	—	—	१३	—	—
	३०- ९-५५	—	—	—	१२	—	—
	३०- ९-५६	——सूचना नहीं दी गई——					

९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
२८१	—	३	७७६१	२६८	—	३०९५	३४६	—
७२१	२००	३	७८३६	२९९	—	५१३५	४३३	—
प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	७९९३	३२६	—	५३२१	५११	—
,,	,,	,,	७९२६	४१२	—	६३१८	५७१	—
,,	,,	,,	९६६२	४२८	—	५६२१	६४०	—
५१००७^{3}	१५४०^{3}	१५०^{3}	—	—	—	३५४५०	५६४४	६०३
—	—	—	५४	—	८	२४	—	—
—	—	—	३७	३	४	३५	—	७
—	—	—	४२	४	४	३३	—	७
—	—	—	७२	५	७	३६	४	९
—	—	—	९३१	१३	१५	२८१	५१	१७
४	—	—	१६१९	११२	१४	३१३	७६	१७
४	—	—	९६९	१८	—	४१३	२५	—
४	—	—	१३०५	३०	—	४८२	३५	—
४	—	—	८८९	२१	—	४२९	३३	१
२	—	—	८५८	२०	—	३३९	३२	१
२	—	—	९५९	२९	—	३८४	४५	१
—	—	—	६९१	७	८	५९३	२५	२०
—	—	—	७२३	१२	१०	५९९	३३	२६
—	—	—	८१३	१३	१२	६०३	३८	३३
—	—	—	९१५	३६	१४	७०८	५५	४५
—	—	—	१४८२	६२	३१	१५७४	१८८	१८४
५	—	—	४१७	३	—	२९८	१३	९०
३	—	—	४८४	५	—	३१४	१५	९०
३	—	—	६३५	८	—	२९१	२५	९०
७	—	—	८४०	५	—	४०३	२२	९०
६	—	—	९६८	५	—	५५७	३४	१०५

१	२	३	४	५	६	७	८
दिल्ली	३१-१२-५१	१०	—	—	७२	—	—
	३१-१२-५२	१५	—	—	१००	—	—
	३१-१२-५३	१९	—	—	१०२	—	—
	३१-१२-५४	१८	—	—	१३२	—	—
	३०- ९-५५	१७	—	—	१५५	—	—
	३०- ९-५६			—सूचना नहीं दी गई—			
हिमाचल प्रदेश	३१-१२-५१	—	—	—	४	—	—
	३१-१२-५२	१	—	—	७	—	१
	३१-१२-५३	—	—	—	९	—	—
	३१-१२-५४	१	—	—	११	—	—
	३०- ९-५५	—	—	—	१२	—	—
	३०- ९-५६			—सूचना नहीं दी गई—			
कच्छ	३१-१२-५१	१	—	—	२	—	—
	३१-१२-५२	१	—	—	८	—	—
	३१-१२-५३	४	—	—	१८	—	—
	३१-१२-५४	१	—	—	२३	—	—
	३०- ९-५५	३	—	—	२७	—	—
	३०- ९-५६	३	—	—	३५	—	—
मणीपुर	३१-१२-५१	—	—	—	१	—	—
	३१-१२-५२	—	—	—	१	—	—
	३१-१२-५३	५	—	२	७	—	१
	३१-१२-५४	५	—	२	१०	—	१
	३०- ९-५५	६	२	२	१७	—	४
	३०- ९-५६			—सुचना नहीं दी गई—			
त्रिपुरा .	३१-१२-५१	१	—	—	१४	—	—
	३१-१२-५२	१	—	—	१४	—	—
	३१-३२-५३	१	—	—	३०	—	२
	३१-१२-५४	३	—	—	४७	१	—
	३०- ९-५५	३	—	—	८९	—	—
	३०- ९-५६	९	—	—	९५	६	—
विन्ध्य प्रदेश	३१-१२-५१			—सूचना नहीं दी गई—			
	३१-१२-५२			—सूचना नहीं दी गई—			
	३१-१२-५३			—सूचना नहीं दी गई—			
	३१-१२-५४	—	—	—	१६	—	—
	३०- ९-५५	—	—	—	३२	—	—
	३०- ९-५६			—सूचना नहीं दी गई—			

९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१	—	—	३७७७	२४	—	११४७	८१	५
१८	--	—	४७३४	३२	—	१३१७	१०९	८
१२	—	—	५२३८	५१	—	१५१२	१५८	९
१५	—	—	५७४५	५६	—	१७०९	१६१	९
१४	—	—	५८३०	७७	—	१९३५	२२४	७
—	—	—	१७४	३६	२	३५०	५८	३
—	—	—	२३१	३९	१	४०८	६८	४
—	—	—	२४६	४८	१०	५३२	८८	८
—	—	—	४१८	५८	१०	४६९	८३	८
—	—	—	५५१	११६	११	५४२	८५	१०
—	—	—	१४३	—	—	१२२	७	—
—	—	—	२२५	१	—	१९७	२४	२
—	—	—	५७०	१४	१	६८८	३८	३
—	—	—	७३४	१४	१	७५१	२६	८
—	—	—	११४९	२३	१	९५०	४०	१२
—	—	—	१२६५	१२	२	७३६	३८	१४
—	—	—	८८	—	९	५१	—	२४
१	—	—	३७०	—	१२६	५९	—	२८
१	—	—	५७३	—	१६२	९८	—	३७
१	—	—	७२८	—	१९८	१८२	—	४५
१	—	—	१०५४	—	२४८	३४६	२	६०
—	—	--	४८८	१५	२०	१७१	६	८
—	—	—	९७५	३९	१२६	२१७	१३	१९
—	—	—	११८३	५३	१४१	३०८	२४	३६
—	—	—	२२५४	९०	१८७	६१४	५१	७७
—	—	—	२५५३	१५८	२३३	७४५	७४	६९
—	—	—	४२३५	२१४	५९०	१०३४	१६०	१५०
—	—	—	६३३	१	१	१७७	१५	१
—	—	--	७७२	५	७	१९२	२५	११

१. सूचना पूरा नहीं है।
२. इसमें सभी गजेटेड क्लास १ और २ के पद सम्मिलित हैं।
३. इसमें अन्तिम ग्रेड को छोड़कर सभी नान-गजेटेड पद सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट

तालिका नं०

३०-९-५५ और ३०-९-५६ को राज्य सरकारों के अन्तर्गत पुलिस विभाग में कर्मचारियों की

(स्थायी तथा अस्थायी

क्र० सं०	राज्य का नाम	अन्त होने वाला वर्ष	क्लास १			क्लास २ (गज़ेटेड)		
			कुल संख्या	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम-जातियां	कुल संख्या	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम-जातियां
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	आंध्र	३०-९-५५	२१	—	—	७८	२	—
		३०-९-५६	५०	—	—	१४९	२	—
२	आसाम	३०-९-५५	२७	—	३	४१	२	४
		३०-९-५६	सूचना नहीं दी गई					
३	बिहार	३०-९-५५	४६	—	—	४३३	१	२
		३०-९-५६	५३	—	—	४३३	३	४
४	बम्बई	३०-९-५५	५१	१	—	१४४	—	—
		३०-९-५६	५६	—	—	४१२	—	—
५	मध्य प्रदेश	३०-९-५५	३३	१	—	७८	१	—
		३०-९-५६	सूचना नहीं दी गई					
६	मदरास	३०-९-५५	१०७[1]	८[1]	१[1]	—	—	—
		३०-९-५६	१२४[1]	९[1]	१[1]	—	—	—
७	उड़ीसा	३०-९-५५	सूचना नहीं दी गई					
		३०-९-५६	३१	—	—	३८	—	—
८	पंजाब	३०-९-५५	३०	१	—	४१	—	—
		३०-९-५६	सूचना नहीं दी गई					
९	उत्तर प्रदेश	३०-९-५५	सूचना नहीं दी गई					
		३०-९-५६[2]	११८	१	—	२९७	७	—
१०	पश्चिमी बंगाल	२८-२-५५	५८४[1]	७[1]	४[1]	—	—	—
		२९-२-५६	५९५[1]	८[1]	४[1]	—	—	—

३४

३

कुल संख्या तथा अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिमजातियों के प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करने वाली तालिका

सरकारी कर्मचारी

क्लास २ (नान गजेटेड)			क्लास ३			क्लास ४ (भंगियों और मैला उठाने वालों को छोड़कर)		
कुल संख्या	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम-जातियां	कुल संख्या	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम-जातियां	कुल संख्या	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम-जातियां
१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
—	—	—	१४१५९	११९९	१३	१२५	७३	१
—	—	—	३४०९९	२१८१	५४	९०७	१७८	११
९३	१	६	२०५४	८२	३३६	१०४६९	३९६	२५५२
—	—	—	३०४६८	४६०	१५०३	१७२	४५	३
—	—	—	३०८५८	६८०	१४४०	४२१	११३	६
—	—	—	६४६९९	४४०३	१८११	६८७	१०२	२१
२०	—	—	५९४८१	४४२७	२०५१	१०२५	१३१	२५
१९८	—	—	३२६६	१०५	४२	१३६४४	१०५४	६१५
३३७८८[3]	२६२०[3]	१३[3]	—	—	—	९९[4]	९[4]	—
३४८७९[3]	३२३१[3]	३[3]	—	—	—	७७[4]	११[4]	—
१५१	१	—	३४७९	१०७	१०६	९८१३	८६०	५६८
—	—	—	२०८८०	१३७५	१३	८८४	३१	८
४७६	—	—	६०८७३	१६४१	—	२२५९	२६४	—
४०७२२[3]	१२९०[3]	१७४५[3]	—	—	—	—	—	—
४०२४४[3]	१३६७[3]	१८०३[3]	—	—	—	—	—	—

१	२	३	४	५	६	७	८	९
११	हैदराबाद	३०-९-५५	११९	—	—	९	१	—
		३०-९-५६	सूचना नहीं दी गई					
१२	जम्मू तथा काश्मीर	३०-९-५५ ३०-९-५६	सूचना नहीं दी गई					
१३	मध्य भारत	३०-९-५५	८	—	—	५३	—	—
		३०-९-५६	सूचना नहीं दी गई					
१४	मैसूर	३०-९-५५	सूचना नहीं दी गई					
		३०-९-५६	५१[1]	१[1]	—	—	—	—
१५	पेप्सू	३०-९-५५	३४[1]	—	—	—	—	—
		३०-९-५६	सूचना नहीं दी गई					
१६	राजस्थान	३०-९-५५	सूचना नहीं दी गई					
		३०-९-५६	४४	—	—	१७९	४	—
१७	सौराष्ट्र	३०-९-५५	१८	—	—	५५	—	—
		३०-९-५६	सूचना नहीं दी गई					
१८	त्रावणकोर-कोचीन	३०-९-५५	३	—	—	३०	—	—
		३०-९-५६	११	—	—	८४	२	—
१९	अजमेर	३०-९-५५	२	—	—	५	—	—
		३०-९-५६	२	—	—	५	—	—
२०	भोपाल	३०-९-५५	४	—	—	५	—	—
		३०-९-५६	सूचना नहीं दी गई					
२१	कुर्ग	३०-९-५५	—	—	—	१	—	—
		३०-९-५६	सूचना नहीं दी गई					
२२	दिल्ली	३०-९-५५	१०	—	—	२१	—	—
		३०-९-५६	१०	—	—	२२	—	—
२३	हिमाचल प्रदेश	३०-९-५५	५	—	—	५	—	—
		३०-९-५६	सूचना नहीं दी गई					
२४	कच्छ	३०-९-५५	—	—	—	३	—	—

१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
—	—	—	२१३४८	१७२०	१६२	२९१	२४४	४७
—	—	—	२०९०३	४३४^{६}	—	१३२८२	३६७२^{६}	—
२७२७^{५}	१५०^{५}	३^{५}	—	—	—	९५७७^{७}	१३०१^{७}	२४^{७}
—	—	—	११६१	९	—	४५९१	४२६	—
२७५२८	६४८	१३२४	४९६	४	२	८८१	१००	१२
७	—	—	५४०२	३०	२३२	७५	१	—
७४	२५	६	५५५	१०५	१	६७८४	१७१	१
२२६	१	—	३७९०	१४६	४३	३८७६	१२०	—
—	—	—	१७४९	२३	—	३३	७	—
—	—	—	१७४०	१३	—	२४	३	—
—	—	—	१८४	१	—	२११०	४०	१२
—	—	—	५२	—	—	१९७	५	—
५०	—	—	९८७२	३१८	—	३९४	७६	—
५५	—	—	९७५८	३२६	—	३७८	७०	—
११	—	—	१८०५	१०३	३३	२५	११	१
—	—	—	७९	—	—	२०३६	६	४८

१	२	३	४	५	६	७	८	९
		३०-९-५६	१	—	—	२	—	—
२५	मणीपुर	३०-९-५५	१	—	—	९	—	—
		३०-९-५६	१३	—	—	११	—	१
२६	त्रिपुरा	३०-९-५५	२	—	१	२०	—	१
		३०-९-५६	२	—	१	१९	—	१
२७	विन्ध्य प्रदेश	३०-९-५५	१३	—	—	१५	—	—
		३०-९-५६	सूचना नहीं दी गई					

सारांश

	अन्त होने वाला वर्ष	क्लास १	क्लास २ (गजेटेड)	क्लास २ नान-(गजेटेड)	क्लास ३	क्लास ४
नौकरियों की कुल संख्या	३०-९-५६	१,१६१	१,६५१	१,०६,४८६	१,९५,३७८	३२,६६५
अनुसूचित जातियों की कुल संख्या		१९	१८	५,३९८	९,५२७	३,२९९
अनुसूचित आदिम-जातियों को कुल संख्या		६	६	३,१३३	३,७६७	१,३१०

१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
—	—	—	३९१	—	—	१३१५	५	४६
—	—	—	९१	—	४	३१४	—	४३
—	—	—	१३३	—	९	६९०	—	१७१
—	—	—	२३१	१	६०	१३२४	११०	४५३
—	—	—	२८०	२	६२	१४२२	१४३	४४७
—	—	—	११८०	४	१	३२५५	७९	२७

[१]—इसमें सभी गजेटेड पद सम्मिलित हैं।

[२]—इसमें सभी क्लास ४ के पद सम्मिलित हैं।

[३]—सूचना पूरी नहीं है।

[४]—इसमें नान-गजेटेड उच्च पद सम्मिलित हैं।

[५]—इसमें क्लास ४ को छोड़कर सभी नान-गजेटेड पद सम्मिलित हैं।

[६]—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों का सम्मिलित।

[७]—इसमें नान-गजेटेड छोटे पद सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट

तालिका नं०

३०-९-५५ तथा ३०-९-५६ को राज्य सरकारों के अन्तर्गत न्याय विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या तथा
(स्थायी तथा अस्थायी

क्र०सं०	राज्य का नाम	अन्य होनेवाला वर्ष	क्लास १			क्लास २ (गजेटेड)		
			कुल संख्या	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिमजातियां	कुल संख्या	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिमजातियां
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१.	आंन्ध्र	३०-९-५५	११	—	—	१०६	१	—
		३९-९-५६	—सूचना नहीं दी गई—					
२.	आसाम	३०-९-५५	१४	—	२	१५	—	—
		३०-९-५६	१३	—	१	१४	—	—
३.	बिहार	३०-९-५५	४५	—	—	१४	—	—
		३०-९-५६	३२	—	—	२६१	—	—
४.	बम्बई	३०-९-५५	१११	३	—	३६९	१	—
		३०-९-५६	१२४	३	—	३४०	१	—
५.	मध्य प्रदेश	३०-९-५५	१८	—	—	५३६	२	—
		३०-९-५६	—सूचना नही दी गई—					
६.	मद्रास	३०-९-५५	२४८×	४×	—	—	—	—
		३०-९-५६	२५३×	९×	१×	—	—	—
७.	उड़ीसा	३०-९-५५ ऋ	९×	—	—	८	—	—
		३०-९-५६	२६	—	—	३२	—	—
८.	पंजाब	३०-९-५५	४२	—	—	२८	२	—
		३०-९-५६	७१	—	—	१३८	३	—
९.	उत्तर प्रदेश	३०-९-५५	—सूचना नहीं दी गई—					
		३०-९-५६ऋ	४६	—	—	२६५	५	—
१०	पश्चिमी बंगाल	२८-२-५५	२०३×	६×	—	—	—	—
		२९-२-५६	२४१×	८×	—	—	—	—

३४

४

अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिमजातियों के प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करने वाली तालिका

सरकारी कर्मचारी)

क्लास २ (नान-गजेटेड)			क्लास ३			क्लास ४ भंगियों और मैला उठाने वालों को छोड़ कर		
कुल संख्या	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिमजातियां	कुल संख्या	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिमजातियां	कुल संख्या	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिमजातियां
१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१९३	—	—	२१८६	३५	२	१८०२	५३	—
२	१	—	१२६	१	४	९१	३	२
१	—	—	१४५	७	४	११३	११	४
—	—	—	४१०	५	३	१६०	८	२
—	—	—	३१४	२	२	१२२	५	४
३	—	—	५८५२	२६५	५८	२०७३	२५५	११८
—	—	—	५४८१	२९१	६७	१८८६	२४८	११६
—	—	—	१२५९	५२	१	१०८५	९७	५५
४३६९ द्य	८४ द्य	१ द्य	—	—	—	३१३२ श्र	१०४ श्र	३ श्र
४५४५ द्य	१०१ द्य	३ द्य	—	—	—	३०६६ श्र	७६ श्र	१ श्र
१	—	—	२५५	५	—	३७३	१६	८
१	—	—	अप्राप्त	५	१	अप्राप्त	२५	१८
—	—	—	४५२	१५	—	७०५	१०९	—
४	—	—	६८४	१९	४४	११५१	७७	३
—	—	—	२०५६	८८	—	२४५०	२८८	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

१	२	३	४	५	६	७	८	९
११.	हैदराबाद	३०-९-५५	५०	—	—	१३६	—	—
		३०-९-५६				सूचना नहीं दी गई		
१२.	जम्मू तथा काश्मीर	३०-९-५५ ३०-९-५६				सूचना नहीं दी गई		
१३.	मध्य भारत	३०-९-५५	१६	—	—	१३२	१	—
		३०-९-५६				सूचना नहीं दी गई		
१४.	मैसूर	३०-९-५५				सूचना नहीं दी गई		
		३०-९-५६	१०	१	—	१४७	२	—
१५.	पैप्सू	३०-९-५५	१०३×	—	—	—	—	—
		३०-९-५६				सूचना नहीं दी गई		
१६.	राजस्थान	३०-९-५५				सूचना नहीं दी गई		
		३०-९-५६	१४८	—	—	३	—	—
१७.	सौराष्ट्र	३०-९-५५	१३	—	—	६६	—	—
		३०-९-५६				सूचना नहीं दी गई		
१८.	त्रावणकोर-कोचीन	३०-९-५६				सूचना नहीं दी गई		
		३०-९-५५	२४	४	—	६६	१	—
१९.	अजमेर	३०-९-५५	२	—	—	६	—	—
		३०-९-५६	१	—	—	७	—	—
२०.	भोपाल	३०-९-५५	४	—	—	१७	—	—
		३०-९-५६				सूचना नहीं दी गई		
२१.	कुर्ग	३०-९-५५	२	—	—	२	—	—
		३०-९-५६				सूचना नहीं दी गई		
२२.	दिल्ली	३०-९-५५	—	—	—	—	—	—
		३०-९-५६	—	—	—	२	—	—

१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१३३५	५	—	—	—	—	६५६	११	—
—	—	—	१२३४	७	—	१०४८	५८	—
२८९	६	—	१८२८	८६	५	१४७५	५६	—
—	—	—	३१७	१०	—	३३१	१३७	—
—	—	—	६९३	३	—	११८६	१५	१
५	—	—	५६७	४	१	४२२	३	४
२४३	३५	१	१०११	५६	—	९६९	७४	—
—	—	—	८१	—	—	७३	३	—
—	—	—	७८	—	—	६४	५	—
—	—	—	१२५	१	—	१३१	७	२
—	—	—	१८	—	—	२७	—	—
—	—	—	१५२	१	—	१६३	१३	—
—	—	—	१५२	२	—	१६२	१३	—

१	२	३	४	५	६	७	८	९
२३.	हिमाचल प्रदेश	३०-९-५५	४	—	—	७	—	—
		३०-९-५६	—	—	—	६	—	—
२४.	कच्छ	३०-९-५५	२	—	—	१४	—	—
		३०-९-५६	३	—	—	१५	—	—
२५.	मणीपुर	३०-९-५५	१	—	—	५	—	—
		३०-९-५६	२	—	—	६	—	—
२६.	त्रिपुरा	३०-९-५५	२	—	—	७	—	३
		३०-९-५६	२	—	—	११	—	१
२७.	विन्ध्य प्रदेश	३०-९-५५	४	—	—	३३	—	—
		३०-९-५६	सूचना नहीं दी गई					

सारांश

	अन्त होनेवाला वर्ष	क्लास १	क्लास २ (गजेटेड)	क्लास २ (नान गजेटेड)	क्लास ३	क्लास ४
कुल पदों की संख्या	३०-९-५६	९९६	१३१३	५०८४	१३०२७	१३०४०
अनुसूचित जतियों की कुल संख्या		२५	१२	१४२	५६१	९२४
अनुसूचित आदिमजातियों की कुल संख्या		२	१	४	१२९	१६०

१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
—	—	—	६६	—	—	१५०	११	—
—	—	—	७१	—	—	१८३	१४	१
—	—	—	११४	१	—	११५	१	—
—	—	—	१३६	—	—	१२६	२	—
—	—	—	१३०	—	—	२८	—	—
१	—	—	३३	—	१	३१	—	—
—	—	—	३६	—	४	४६	१९	९
—	—	—	४५	२	५	५६	१५	१२
—	—	—	१८१	—	—	२२४	—	—

× इसमें सभी गजेटेड पद सम्मिलित हैं ।

द्य—क्लास ४ को छोड़ कर सभी नान-गजेटेड पद सम्मिलित हैं ।

श्र—इसमें सभी क्लास ४ के पद सम्मिलित हैं ।

ऋ—सूचना अधूरी है ।

परिशिष्ट ३४

तालिका नं०५

राज्य सरकारों के अधीन पुलिस तथा अदालती नौकरियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिए राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत विशेष रियायतों का विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	सुरक्षित पद	विशेष सुविधाएं
१	२	३	४
१	बिहार		प्रत्येक नई नियुक्ति के अवसर पर सभी सम्भव सुविधाएं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के प्रार्थियों को सदा दी गई हैं। फिर भी यह पाया गया कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के प्रार्थना-पत्र बहुत कम होते हैं और कभी-कभी तो बिल्कुल ही नहीं होते। यद्यपि नियुक्ति कार्यालय (एम्पलायमेंण्ट एक्सचेंज) सैनिक मण्डल, हरिजन कल्याण कार्यालय तथा अन्यान्य इस प्रकार की संस्थाओं से सदा निश्चितरूप से सहायता प्राप्त की जाती है, यह पाया गया कि साधारण लिखित परीक्षाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के प्रार्थियों का परिणाम असन्तोषजनक होता है। कुछ स्थितियों में पुलिस नौकरियों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजातियों की नियुक्ति की संख्या बढ़ाने के हेतु उनके स्वास्थ्य में निर्धारित स्तर से नीचा होने पर इस वर्ग के प्रार्थियों को नियुक्त कर दिया गया।
२	उड़ीसा		आरक्षक नौकरियों के लिये नियुक्ति हेतु प्रामाणिक माप शिथिल कर दिया गया है। फिर भी कठिनाई यह है कि आवश्यकता के अनुसार अधिक संख्या में वे आगे नहीं आते क्योंकि वे अपना घर छोड़ना नहीं चाहते। अनुसूचित क्षेत्रों में नियुक्त आरक्षक अधिकारियों को आदिमजाति भाषाओं के सीखने के लिए प्रेरित करने हेतु विशेष प्रयत्न किया गया है, जो कि इन लोगों से निकटतम सम्पर्क रखने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। अनुसूचित क्षेत्रों में भ्रमण करने के अवसर पर उच्च अधिकारी वर्ग अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति की आवश्यकताओं को बारीकी से देखते हैं तथा आरक्षक समूह (पुलिस फोर्स) में सम्मिलित होने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। वर्तमान समय में राज्य की दूसरी श्रेणी की अदालती नौकरियों के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजातियों में से योग्य व्यक्तियों के नहीं मिलने के कारण कुछ काल तक इन जातियों में से प्रशंसापूर्ण संख्या में लोगों को नियुक्त करना शायद सम्भव न हो सके। फिर भी यथासम्भव अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के लोगों को नियुक्त करने के लिए आवश्यक ध्यान दिया जाता है।
३	पंजाब		पद-आरक्षक की श्रेणी में पदों की सुरक्षा २१ प्रतिशत से ५० प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है तथा ऊंचाई एवं सीने के नाप में १ इंच की छूट दी गई है। आरक्षक विभाग की अन्यान्य नौकरियों की सुरक्षा २१ प्रतिशत है। विभिन्न अदालती नौकरियों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को सिफारिश भेजते समय माननीय न्यायाधीशगण राज्य सरकार के आदेशों पर ध्यान देते हैं। अधीनस्थ न्यायाधीश के पदों पर नियुक्ति का जहां तक सम्बन्ध है, परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की सूची जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन तैयार करती है, उसी क्रम से नियुक्ति के लिए उम्मीदवार चुने जाते हैं। परन्तु अनुसूचित जाति की स्थिति में, उसने परीक्षा में क्या स्थान प्राप्त किया है, इसका विचार किये बिना, जिन उम्मीदवारों ने केवल परीक्षा पास कर ली है, उसमें से योग्यता के अनुसार किसी को चुन लेने का अधिकार सरकार को है।

१	२	३	४
४	उत्तर प्रदेश		राज्य आरक्षक नौकरियों की नियुक्ति मे अधिकाधिक अवसर देने के हेतु, नौकरियों में सुरक्षा तथा आयु-सीमा में छूट की साधारण सुविधाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को कुछ अन्य सुविधायें भी दी गई हैं। वास्तव में कुछ स्थितियों में चुनाव के लिए निर्धारित स्तर को इन लोगों के पक्ष में शिथिल किया गया है, फिर भी इन सुविधाओं के होने पर भी इन जातियों में से आवश्यक संख्या में योग्य उम्मीदवार नहीं आते, क्योंकि अपेक्षाकृत इनमें शिक्षा की योग्यता तथा शारीरिक क्षमता का स्तर नीचा होता है।
५	मणीपुर	प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के लिए यह भारत सरकार द्वारा निश्चित है। तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हेतु २० प्रतिशत है।	

परिशिष्ट ३५

राज्य सरकार के अधीन पदों और नौकरियों में अधिक से अधिक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजातियों को लेने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अपनाये गये विशेष उपायों का वर्णन

बिहार

पहले सुरक्षित नौकरियों में से खाली बचे हुए पदों को केवल एक साल तक रखा जाता था, जिसके बाद उन रखे हुए खाली पदों का अतीतक्रम हो जाता था। अब बिहार सरकार ने आदेश निकाला है कि इस प्रकार के रिक्त पद न केवल एक वर्ष के लिए बल्कि दो वर्षों के लिए रखे जायें तथा उस अवधि के समाप्त होने पर केवल उन रिक्त पदों को असुरक्षित कर दिया जाये। पहले उन्नति के विषय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिए कोई विशेष विचार नहीं किया जाता था। संशोधित आदेश के अनुसार श्रेष्ठता तथा क्षमता के आधार पर होने वाली सभी तरक्कियों की स्थिति मे, अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिए विशेष विचार किया जाता था तथा जहाँ उन्नति के लिए निर्धारित परीक्षा की शर्त है, वहां इन जातियों के सदस्यों के लिए ऐस परीक्षाओं का स्तर नीचा कर दिया गया है। इन जातियों तथा आदिमजातियों के सरकारी कर्मचारियों की उन्नति में अतिक्रमण की स्थिति में प्रत्येक विषय पर अब सम्बन्धित विभाग पुर्नविचार करेगा।

बम्बई

विभिन्न पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु-सीमा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के हेतु पांच वर्षों के लिए छूट दी गई है। राज्य सरकार के अधीन नौकरियों और पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिए जिस प्रतिशत में नौकरियां सुरक्षित थीं, वही प्रतिशत राज्य के अन्तर्गत स्थानीय नौकरियों तथा जिन संस्थाओं को राज्य सरकार की सहायता मिलती है, उनके अधीन नौकरियों और पदों में सुरक्षा के लिए निश्चित किया गया है।

केरल

राज्यों के पुनर्गठन तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिमजातियों की लिस्ट के संशोधन के बाद ही राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिए सभी प्रकार की नौकरियों में १० प्रतिशत सुरक्षा के लिए आदेश निकाल दिया है, जब कि पुराने विधान के अनुसार केवल न्यून तथा मध्यम वर्ग की नौकरियों में सुरक्षा होती थी, जिसमें पुराने स्तर के अनुसार १७५) प्रति मास से अधिक वेतन नहीं था तथा नये स्तर के अनुसार २००) प्रति मास से अधिक वेतन नही था। इसके अतिरिक्त वर्तमान नियम के अनुसार जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के लोग खुली प्रतियोगिता द्वारा नियुक्त होंगे उनकी गिनती सुरक्षित नौकरियों में नहीं की जायेगी। असुरक्षित करने से पहले तीन वर्षों तक नौकरियों को सुरक्षित रखा जाता है। नियमों के अनुसार इसकी भी व्यवस्था की गई है कि नियुक्तिकर्त्ता कर्मचारी सुरक्षित खाली जगहों को भरने का विवरण प्रति मास राज्य सरकार को दें।

मध्य प्रदेश	अनुसूचित जातिओं तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिए १५ प्रतिशत नौकरियों में सुरक्षा सुविधा तथा अन्यान्य सुविधाएं जो उन्हें मिली हैं, उन सुविधाओं को उन लोगों के लिए भी उपलब्ध किया है, जो संविधान (अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिमजाति) आदेश १९५० में उल्लिखित किसी भी जाति अथवा आदिमजाति के सदस्य हों तथा भले ही ऐसी जाति तथा आदिमजाति के साथ उल्लिखित स्थानों से भी विभिन्न स्थानों में रहते हों।
मदरास	पहले सरकारी नौकरियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में ५ वर्षों की छूट केवल उन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के प्रार्थियों को दी जाती थी, जिनकी पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम शिक्षा योग्यता से अधिक योग्यता होती थी। राज्य सरकार ने अब इस शर्त में शिथिलता कर दी है तथा आयु सीमा की छूट सभी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिए दी गई है।

परिशिष्ट ३६

तालिका नं० १

१९५० से १९५६ तक एम्पलायमेंट एक्सचेंजों में दर्ज किये और नौकरी दिलाये गये अनुसूचित जातियों के प्रार्थियों की संख्या को प्रदर्शित करने वाली तालिका

वर्ष	अनुसूचित जातियों के रजिस्टर हुए कुल प्रार्थी	नौकरी पर लगाये गये अनुसूचित जाति प्रार्थियों की संख्या						
		केन्द्रीय सरकार	कुल नौकरियों में केन्द्रीय सरकार में रखे गये व्यक्तियों का प्रतिशत	राज्य सरकार	कुल नौकरियों में राज्य सरकारों में रखे गये व्यक्तियों का प्रतिशत	दूसरे कामों में लगाने वाले	कुल नौकरियों में रक्खे गये व्यक्तियों में से दूसरे कामों में लगे हुओं का प्रतिशत	नौकरियों में लगे हुए कुल अनुसूचित जाति प्रार्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१९५०	१०९२४६	प्राप्त नहीं	—	प्राप्त नहीं	—	प्राप्त नहीं	—	४५१४५
१९५१	१४६१२४	१२९३६	२२.८	६१०८	१०.८	३७६५६	६६.४	५६७००
१९५२	१५१४११	१२८०४	२५.९	७५८४	१५.३	२९१००	५८.८	४९४८८
१९५३	१४६७५८	१२१२८	४३.२	६४२०	२२.९	९४९२	३३.९	२६०४०
१९५४	१५८२२४	११००८	४४.७	६५२८	२६.५	७०८०	२८.८	२४६१६
१९५५	१७६९४५	१२२३६	४५.३	९२६४	३४.३	५५०७	२०.४	२७००७
१९५६	१७८२१०	१३१६५	४०.८	८७०४	३०.९	६२१८	२२.१	२८०८७

परिशिष्ट ३६

तालिका नं० २

१९५२ से १९५६ तक एम्पलायमेंट एक्सचेंजों में दर्ज किये और नौकरी दिलाये गये अनुसूचित आदिमजातियों के प्रार्थियों की संख्या को प्रदर्शित करनेवाली तालिका

वर्ष	अनुसूचित आदिम-जातियों के रजिस्टर हुए कुल प्रार्थी	नौकरी पर लगाये गये अनुसूचित आदिमजाति प्रार्थियों की संख्या						
		केन्द्रीय सरकार	कुल नौकरियों में केन्द्रीय सरकार में रखे गये व्यक्तियों का प्रतिशत	राज्य सरकार	कुल नौकरियों में राज्य सरकारों में रखे गये व्यक्तियों का प्रतिशत	दूसरे काम में लगने वाले	कुल नौकरियों में रखे गये व्यक्तियों में से दूसरे काम में लगाये गये व्यक्तियों का प्रतिशत	नौकरियों में लगाये हुए कुल अनुसूचित आदिमजाति प्रार्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१९५२	१४४८४	७२३	१०.९	६३९	९.६	५२६१	७९.५	६६२३
१९५३	१३७४२	६७१	२०.९	३९१	१२.२	२१४१	६६.९	३२०३
१९५४	१७८०७	११२१	३४.२	८८३	२६.९	१२७३	३८.९	३२७७
१९५५	१९०७५	११४६	३८.६	८७४	२९.५	९४६	३१.९	२९६६
१९५६	४१६६८	१३३४	२७.७	९३०	१९.३	२५४९	५२.९	४८१३

परिशिष्ट

तालिका नं०

१९५६ में अनुसूचित जाति प्रार्थियों के लिए किये गये कार्य को

क्र० सं०	राज्य/संघीय प्रदेश का नाम	वर्ष में रजिस्टर हुए अनुसूचित जाति प्रार्थियों की संख्या	वर्ष में नौकरियों में लगाये अनुसूचित जाति प्रार्थियों की संख्या	वर्ष के अन्त में रजिस्टर किये हुए अनुसूचित जाति प्रार्थियों में से बची हुई संख्या
१	२	३	४	५
१.	आंध्र प्रदेश	१२१८०	१३४४	४५४२
२.	आसाम	२०९७	३०६	७७०
३.	बिहार	९५१५	१५६१	४५०४
४.	बम्बई	३२७४४	३९३५	१३९१२
५.	केरल	१२३४	४७६	९५६
६.	मध्य प्रदेश	४७०९	६२३	१८६६
७.	मदरास	१६९४३	२८४९	८०१५
८.	मैसूर	४५२३	७०३	२२१५
९.	उड़ीसा	१०३८	१७३	२४०
१०.	पंजाब	२७१३९	५८२४	६१९०
११.	राजस्थान	४०५६	३९८	१७०१
१२.	उत्तर प्रदेश	३७९६८	५२१८	१५२५३
१३.	पश्चिमी बंगाल	१३३१८	२३९८	७९४८
	संघीय प्रदेश			
१४.	दिल्ली	१००८१	२२०३	५६४२
१५.	हिमाचल प्रदेश	६६५	७६	१६१
	योग	१७८२१०	२८०८७	७३९१५

१९५६ में जम्मू एवं काश्मीर, अण्डमान निकोबार, लकादीव तथा मिनिकोय द्वीप, मणीपुर और त्रिपुरा में कोई एम्पलायमेंट एक्सचेंज नहीं था।

३६

३

प्रदर्शित करने वाली तालिका

वर्ष में काम लगाने वालों के पास भेजे हुए अनुसूचित जाति प्रार्थियों की संख्या	वर्ष में अनुसूचित जातियों के लिए घोषित स्थानीय रिक्तियों की संख्या			
	केन्द्रीय सरकार विभागों द्वारा	राज्य सरकार विभागों द्वारा	दूसरे और सब काम में लगाने वालों द्वारा	योग
६	७	८	९	१०
५५०९	१४३	८०	९	२३२
११३१	२६४	—	—	२६४
७२३९	४७२	१४९	२५	६४६
२०७९२	१९४४	१०९	१५२	२२०५
१५८२	७३	१४६	१२	२३१
२७७५	२७६	८७	२०	३८३
१४५७६	४६२	१५३	४८	६६३
३२६१	१०७	३५	४	१४६
१६६६	७०	२	—	७२
१९५६८	४८१	४९२	७५	१०४८
३०३३	१३५	४१	९	१८५
२५६०५	७४५	९४९	४७	१२४१
११६१२	१६०२	२६	५	१६३३
१०२२७	२०१६	१९	३	२०३८
४९९	५	३७	१	४३
१२९०७५	८७९५	१८२५	४१०	११०३०

परिशिष्ट

तालिका नं०

१९५६ में अनुसूचित आदिमजाति के प्रार्थियों

क्रम सं०	राज्य/संघीय प्रदेश का नाम	वर्ष में रजिस्टर हुए अनुसूचित आदिमजाति प्रार्थियों की संख्या	वर्ष में नौकरियों में लगाये गये अनु० आदिमजाति प्रार्थियों की संख्या	वर्ष के अन्त में रजिस्टर किये हुए अनुसूचित आदिम-जाति प्रार्थियों में से बची हुई संख्या
१	२	३	४	५
१	आंध्र प्रदेश	४३९	७३	२१६
२	आसाम	१३६४	१७८	४८२
३	बिहार	३०९७९	३१०६	१३१३१
४	बम्बई	३६२४	५०१	१५८७
५	केरल	८	५	३
६	मध्य प्रदेश	५६७	४१	१२२
७	मदरास	२४०	९३	१०६
८	मैसूर	६९	१३	१८
९	उड़ीसा	२१०८	४००	४९१
१०	पंजाब	४४	३०	१०
११	राजस्थान	२४७	४६	७७
१२	उत्तर प्रदेश	४	३	१
१३	पश्चिमी बंगाल	१८२२	२०८	७२१
	संघीय प्रदेश			
१४	दिल्ली	१५०	११४	३२
१५	हिमाचल प्रदेश	३	२	१
	योग	४१६६८	४८१३	१६९९८

१९५६ में जम्मू एवं काश्मीर, अण्डमान नीकोबार, लकादीव तथा मिनिकौय द्वीप, मणिपुर और त्रिपुरा में कोई एम्पलायमेंट एक्सचेंज नहीं था।

३६

४

के लिए किये गये कार्य को प्रदर्शित करने वाली तालिका

वर्ष में काम में लगाने वालों के पास भेजे हुए अनु० आदिमजाति प्रार्थियों की संख्या	वर्ष में अनुसूचित आदिमजातियों के लिए घोषित स्थानीय रिक्तियों की संख्या			
	केन्द्रीय सरकार विभागों द्वारा	राज्य सरकार विभागों द्वारा	दूसरे और सब काम में लगाने वालों द्वारा	योग
६	७	८	९	१०
४३९	६३	७	१	७१
८१४	२४७	—	—	२४७
९४८५	१६५	४४	—	२०९
३००७	१३२१	२२	२२	१३६५
२२	५	—	—	५
२४२	१२३	२३	—	१४६
५७५	३०४	१	२	३०७
६३	३६	२	१	३९
१८२९	४४	—	—	४४
७३	८४	११	—	९५
५०८	२०	—	—	२२
५	१७४	—	—	१७४
२४६४	८३०	३	—	८३३
			—	—
१०४९	७४५	—	३	७४८
३	—	—	—	—
२०५७८	४१६१	११३	३१	४३०५

परिशिष्ट-३६

तालिका नं० ५

१९५६ में विभिन्न राज्यों में एम्पलायमेंट एक्सचेंजों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित-आदिमजातियों के लिए सुरक्षित तथा भरी गई रिक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करनेवाली तालिका

क्र०सं०	राज्यों/संघीय प्रदेशों का नाम	एम्पलायमेंट एक्सचेंजों को बताई गई रिक्तयों की संख्या			सुरक्षित रिक्तियों की संख्या		भरी गई सुरक्षित रिक्तियों की संख्या	
		केन्द्रीय सरकार विभाग	राज्य सरकार विभाग	अन्य सब काम में लगाने वाले	अनुसूचित जातियाँ	अनुसूचित आदिम-जातियाँ	अनुसूचित जातियाँ	अनुसूचित आदिम-जातियों
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	आंध्र प्रदेश	२४०३	१३०८४	४६५२	२३२	७१	१९०	२७
२	आसाम	३८६९	१२४१	७१७	२६४	२४७	८५	१०३
३	बिहार	५०६७	८९५०	३१४०२	६४६	२०९	३४६	९२
४	बम्बई	१९१७४	१९८४०	६४८७	२२०५	१३६५	९७७	२४०
५	केरल	२४८३	७१३३	८६३	२३१	५	७०	१
६	मध्य प्रदेश	५०१७	४७८१	१३५३	३८३	१४६	१७१	२८
७	मदरास	३५९२	१७३२२	७३८९	६६३	३०७	४५१	६५
८	मैसूर	२२१८	३४१५	८२३	१४६	३९	१५१	१०
९	उड़ीसा	१४२५	२२६१	४५४३	७२	४४	१४	८
१०	पंजाब	१०४३६	११३७८	८००४	१०४८	९५	५८५	६
११	राजस्थान	२१७८	७५२२	६९०	१८५	२२	११५	१
१२	उत्तर प्रदेश	१२४३९	१९४१७	१६७०२	१२४१	१७४	७४८	१४
१३	पश्चिमी बंगाल	१०१५३	१९०१	१२१४५	१६३३	८३३	७८०	१५९
	संघीय प्रदेश							
१४	दिल्ली	१६०४९	१२५४	३०५६	२०३८	७४८	१४६६	११३
१५	हिमाचल प्रदेश	५६	१६७८	५६	५३	—	२६	—
	योग	९६५५९	१२११७७	७८८८२	११०३०	४३०५	६१७५	८६७

१९५६ में जम्मू तथा काश्मीर, अण्डमान-निकोबार, लकादीव-मिनिकौय, मणिपुर तथा त्रिपुरा में कोई एम्पलायमेंट एक्सचेंज नहीं था।

परिशिष्ट ३६

तालिका नं० ६

व्यवसाय तथा वैज्ञाणिक योग्यता के अनुसार ३१ दिसम्बर, १९५६ को एम्पलायमेंट एक्सचेंजों में दर्ज काम चाहनेवाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रार्थियों की संख्या को बतानेवाली तालिका

क्र०सं०	व्यवसायिक श्रेणी	शैक्षणिक योग्यता के अनुसार रजिस्टर में दर्ज अनुसूचित जाति प्रार्थियों की संख्या				शैक्षणिक योग्यता के अनुसार रजिस्टर में दर्ज अनुसूचित आदिमजाति प्रार्थियों की संख्या			
		नान-मैट्रिक	मैट्रिक	ग्रेजुएट	योग	नान-मैट्रिक	मैट्रिक	ग्रजुएट	योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	डाक्टर	—	८	४	१२	—	—	—	—
२	इंजनीयर	—	—	६	६	—	१	—	१
३	टाइपिस्ट	७	५२	—	५९	४	—	—	४
४	स्टेनो-ग्राफर	—	१४	—	१४	—	२	—	२
५	सहायक/क्लर्क	५६०	६२८९	३५२	७२०१	५०	३५३	१८	४२१
६	शिक्षक	८०१	२१७	५	१०२३	११२	३७	२	१५१
७	उद्योग-विशेषज्ञ	३४७७	८२	६	३५६५	१८९	—	—	१८९
८	अपवीण आफिस कर्मचारी	२१५८९	१०९	३	२१७०१	२०५०	—	—	२०५०
९	आफिस कर्मचारियों के अतिरिक्त अपवीण कर्मचारी	२८५०९	६	—	२८५१५	१३४५३	१	—	१३४५४
१०	अन्य	११११३	५५४	१५२	११८१९	७१३	४	९	७२६
	योग	६६०५६	७३३१	५२८	७३९१५	१६५७१	३९८	२९	१६९९८

परिशिष्ट ३७

विभिन्न राज्यों तथा संघीय प्रदेशों में आंग्ल-भारतीयों की जनसंख्या तथा विधान सभाओं में उनके प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करने वाली तालिका।

राज्य/संघीय प्रदेश का नाम	आंग्ल भारतीयों की जनसंख्या	राज्य विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व
१	२	३
आंध्र प्रदेश	५,५०२	कुछ नहीं
आसाम	१,०५५	कुछ नहीं
बिहार	४,३७९	१[1]
बम्बई	७,८५७	१
केरल	१४,९४७	१
मध्य प्रदेश	२,१७३	१
मद्रास	२२,२७७	१
मैसूर	११,५६९	१
उड़ीसा	४८५	कुछ नहीं
पंजाब	१,१७४	कुछ नहीं
राजस्थान	१,०३८	कुछ नहीं
उत्तर प्रदेश	६,३४३	१
पश्चिमी बंगाल	३१,९२२	२

राज्य/संघीय प्रदेश का नाम	आंग्ल भारतीयों की जन-संख्या	राज्य विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व
१	३	३
दिल्ली	८१२	—
हिमाचल प्रदेश	१०	—
मणीपुर	कुछ नही	—
त्रिपुरा	९४	—
लकादिव, मिनीकौय और आमिनदिवि द्वीप	कुछ नहीं	—
अण्डमान और नीकोबार द्वीप	कुछ नहीं	—
जोड़	१,११,६३७	९

[१]—बिहार विधान सभा में एक आंग्ल-भारतीय प्रतिनिधि का ८ नवम्बर १९५६ कों देहान्त हो गया और रिपोर्ट के वर्ष में उनके स्थान पर कोई नामजद नहीं हुआ है।

परिशिष्ट

आंग्ल भारतीयों के उन नौकरियों में प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करने वाला विवरण जो

(स्थायी)

मंत्रालय/विभाग सम्बन्धित कार्यालय का नाम	वर्ष	क्लास १		क्लास २		क्लास ३	
		स्थायी सरकारी नौकरों की कुल संख्या आंग्ल भारतीय सहित)	नौकरियों में आंग्ल भारतीयों की संख्या	स्थायी सरकारी नौकरों की कुल संख्या (आंग्ल-भारतीयों सहित)	नौकरियों में आंग्ल-भारतीयों की संख्या	स्थायी सरकारी नौकरियों की कुल संख्या (आंग्ल-भारतीयों सहित)	नौकरियों में आंग्ल-भारतीयों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७	८
१. चुंगीघर, कलकत्ता	१९४७-४८	—	—	२५	९	१६०	९९
	१९५०	—	—	२७	६	१५०	७६
	१९५१	—	—	२२	४	१४३	६८
	१९५२	—	—	३४	१०	१२८	६०
	१९५३	—	—	३४	८	१६३	६२
	१९५४	—	—	२८	८	१५८	६१
	१९५५	—	—	२८	६	१५५	५७
	१९५६(३१-१०-५६)	—	—	३४	५	१९०	६७
२. चुंगीघर, बम्बई	१९४७-४८	—	—	३०	कुछ नहीं	५८	२२
	१९५०	—	—	३१	कुछ नहीं	५५	१८
	१९५१	—	—	३५	१	५७	१८
	१९५२	—	—	३६	१	९१	२७
	१९५३	—	—	३३	१	८९	२५
	१९५४	—	—	३०	कुछ नहीं	८४	२४
	१९५५	—	—	३९	१	८५	२४
	१९५६(३१-१०-५६)	—	—	३३	१	८९	२३
३. चुंगीघर, मदरास, तथा कोचीन	१९४७-४८	—	—	१६	कुछ नहीं	१३	६
	१९५०	—	—	१०	कुछ नहीं	९	४
	१९५१	—	—	८	कुछ नहीं	९	४
	१९५२	—	—	१७	३	१६	७
	१९५३	—	—	१९	३	२१	६
	१९५४	—	—	१७	३	१८	५
	१९५५	—	—	१७	३	१६	५
	१९५६(३१-१०-५६)	—	—	२२	३	७३	१५

३८

उनके लिए विशेषरूप से संविधान के अनुच्छेद ३३६ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है

(अस्थायी)

क्लास १		क्लास २		क्लास ३	
अस्थायी सरकारी नौकरियों की कुल संख्या (आंग्ल-भारतीयों सहित)	नौकरियों में आंग्ल-भारतीयों की संख्या	अस्थायी सरकारी नौकरों की कुल संख्या (आंग्ल-भारतीयों सहित)	नौकरियों में आंग्ल-भारतीयों की संख्या	अस्थायी सरकारी नौकरों की कुल संख्या (आंग्ल-भारतीयों सहित)	नौकरियों में आंग्ल-भारतीयों की संख्या
९	१०	११	१२	१३	१४
—	—	३	कुछ नहीं	७२	३०
—	—	१४	२	१४३	४६
—	—	१४	२	१४१	४६
—	—	१	कुछ नहीं	१५०	५२
—	—	५	कुछ नहीं	१२७	५५
—	—	६	कुछ नहीं	१२४	५२
—	—	४	कुछ नहीं	१३३	५१
—	—	३	कुछ नहीं	११५	५१
—	—	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	३९	१२
—	—	४	कुछ नहीं	४६	१३
—	—	५	कुछ नहीं	३९	११
—	—	५	कुछ नहीं	१०	२
—	—	१०	कुछ नहीं	११	२
—	—	१५	१	१३	४
—	—	५४	कुछ नहीं	१८४	५
—	—	७५	कुछ नहीं	१९२	८
—	—	४	कुछ नहीं	११	६
—	—	५	कुछ नहीं	१८	८
—	—	५	कुछ नहीं	१८	८
—	—	२	कुछ नहीं	३२	१२
—	—	४	कुछ नहीं	२९	१३
—	—	३	कुछ नहीं	३१	१३
—	—	३	कुछ नहीं	३४	१४
—	—	२	कुछ नहीं	२२	१५

१	२	३	४	५	६	७	८
४. केन्द्रीय कर कलेक्टरेट,	१९४७-४८	—	—	—	—	कुछ नहीं	कुछ नहीं
दिल्ली[1]	१९५०	—	—	—	—	३२	कुछ नहीं
	१९५१	—	—	—	—	१२२	कुछ नहीं
	१९५२	—	—	—	—	१७२	कुछ नहीं
	१९५३	—	—	—	—	१८०	कुछ नहीं
	१९५४	—	—	—	—	१८३	कुछ नहीं
	१९५५	—	—	—	—	१८५	कुछ नहीं
	१९५६(३१-१०-५६)	—	—	—	—	१८५	कुछ नहीं
५. केन्द्रीय कर कलेक्टरेट	१९४७-४८	—	—	—	—	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कलकत्ता	१९५०	—	—	—	—	२००	कुछ नहीं
	१९५१	—	—	—	—	४६७	कुछ नहीं
	१९५२	—	—	—	—	४७४	कुछ नहीं
	१९५३	—	—	—	—	४७६	कुछ नहीं
	१९५४	—	—	—	—	४७७	कुछ नहीं
	१९५५	—	—	—	—	४७७	कुछ नहीं
	१९५६ (३१-१०-५६)	—	—	—	—	४७७	कुछ नहीं
६. केन्द्रीय कर कलेक्टरेट	१९४७-४८	—	—	—	—	कुछ नहीं	कुछ नहीं
बड़ौदा	१९५०	—	—	—	—	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	१९५१	—	—	—	—	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	१९५२	—	—	—	—	७७	कुछ नहीं
	१९५३	—	—	—	—	१३६	कुछ नहीं
	१९५४	—	—	—	—	१३६	कुछ नहीं
	१९५५	—	—	—	—	१३६	कुछ नहीं
	१९५६ (३१-१०-५६)	—	—	—	—	१५७	कुछ नहीं
७. केन्द्रीय कर कलेक्टरेट,	१९४७-४८	—	—	—	—	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
मदरास	१९५०	—	—	—	—	४०७	४
	१९५१	—	—	—	—	६९७	२५
	१९५२	—	—	—	—	७१४	२५
	१९५३	—	—	—	—	७१९	२५
	१९५४	—	—	—	—	७२५	२५
	१९५५	—	—	—	—	७२६	२५
	१९५६(३१-१०-५६)	—	—	—	—	७२६	२५

९	१०	११	१२	१३	१४
—	—	—	—	कुछ नहीं	कुछ नहीं
—	—	—	—	२५१	कुछ नहीं
—	—	—	—	१७४	कुछ नहीं
—	—	—	—	१२५	कुछ नहीं
—	—	—	—	११७	कुछ नहीं
—	—	—	—	१३४	कुछ नहीं
—	—	—	—	१६१	कुछ नहीं
—	—	—	—	१७५	कुछ नहीं
—	—	—	—	४७०	कुछ नहीं
—	—	—	—	४४१	कुछ नहीं
—	—	—	—	१८६	कुछ नहीं
—	—	—	—	१८८	कुछ नहीं
—	—	—	—	१८१	कुछ नहीं
—	—	—	—	२१८	कुछ नहीं
—	—	—	—	४०४	कुछ नहीं
—	—	—	—	५०८	कुछ नहीं
—	—	—	—	कुछ नहीं	कुछ नहीं
—	—	—	—	कुछ नहीं	कुछ नहीं
—	—	—	—	कुछ नहीं	कुछ नहीं
—	—	—	—	४१३	कुछ नहीं
—	—	—	—	३७९	कुछ नहीं
—	—	—	—	४६२	कुछ नहीं
—	—	—	—	५२१	कुछ नहीं
—	—	—	—	६१४	कुछ नहीं
—	—	—	—	९१८	२८
—	—	—	—	५५२	२४
—	—	—	—	२२५	३
—	—	—	—	२३२	४
—	—	—	—	२२७	४
—	—	—	—	२२१	४
—	—	—	—	२२०	४
—	—	—	—	२३९	६

१	२	३	४	५	६	७	८
८. केन्द्रीय कर क्लेक्टरेट, शिलांग	१९४७-४८	—	—	—	—	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	१९५०	—	—	—	—	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	१९५१	—	—	—	—	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	१९५२	—	—	—	—	१४५	कुछ नहीं
	१९५३	—	—	—	—	१९९	कुछ नहीं
	१९५४	—	—	—	—	२१०	कुछ नहीं
	१९५५	—	—	—	—	२२७	कुछ नहीं
	१९५६ (३१-१०-५६)	—	—	—	—	२३९	कुछ नहीं
९. केन्द्रीय कर क्लेक्टरेट, पटना	१९४७-४८ १९५०	यह क्लेक्टरेट १९-४-५१ से आरम्भ हुआ					
	१९५१	—	—	—	—	३	कुछ नहीं
	१९५२	—	—	—	—	८५	कुछ नहीं
	१९५३	—	—	—	—	१५७	कुछ नहीं
	१९५४	—	—	—	—	१८२	कुछ नहीं
	१९५५	—	—	—	—	२००	कुछ नहीं
	१९५६(३१-१०-५६)	—	—	—	—	२३६	कुछ नहीं
१०. केन्द्रीय कर क्लेक्टरेट, हैदराबाद	१९४७-४८	—	—	—	—	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	१९५०	—	—	—	—	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	१९५१	—	—	—	—	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	१९५२	—	—	—	—	३७२	कुछ नहीं
	१९५३	—	—	—	—	३७२	कुछ नहीं
	१९५४	—	—	—	—	५४१	कुछ नहीं
	१९५५	—	—	—	—	५४१	कुछ नहीं
	१९५६ (३१-१०-५६)	—	—	—	—	५९९	कुछ नहीं

९	१०	११	१२	१३	१४
—	—	—	—	१७१	कुछ नहीं
—	—	—	—	३१०	कुछ नहीं
—	—	—	—	३१३	कुछ नहीं
—	—	—	—	३४८	कुछ नहीं
—	—	—	—	३५६	कुछ नहीं
—	—	—	—	३६३	कुछ नहीं
—	—	—	—	३६७	कुछ नहीं
—	—	—	—	३७६	कुछ नहीं
—	—	—	—	३३२	कुछ नहीं
—	—	—	—	२४७	कुछ नहीं
—	—	—	—	१९३	कुछ नहीं
—	—	—	—	१६०	कुछ नहीं
—	—	—	—	१६२	१
—	—	—	—	१०४	१
—	—	—	—	कुछ नहीं	कुछ नहीं
—	—	—	—	कुछ नहीं	कुछ नहीं
—	—	—	—	कुछ नहीं	कुछ नहीं
—	—	—	—	२९५	कुछ नहीं
—	—	—	—	३१५	कुछ नहीं
—	—	—	—	१६७	कुछ नहीं
—	—	—	—	१५३	कुछ नहीं
—	—	—	—	१६८	कुछ नहीं

१	२	३	४	५	६	७	८
११. रेलवे मन्त्रालय, उससे	१९४७-४८	४२८	२५	२३२	५६	७०३०३	२०३२
संलग्न तथा अधीनस्थ	१९५१	५०६	३४	३१६	५४	८६०३८	१८१६
कार्यालय[२]	१९५२	४८८	२७	१६८	३२	८७६०९	१९४२
	१९५३	५१८	२५	१६८	२३	९३५४२	१७५५
	१९५४	५१९	२३	१३१	१८	९७६१५	१७०८
	१९५५	४६०	१९	१२०	२०	९४४८०	१७५४
	१९५६	४७६	२५	१४१	१६	१०२३००	१७०६
१२ डाक तथा तार	१९४७-४८	—	—	—	—	२०००	४७४
विभाग	१९५०	—	—	—	—	२४०४	४१२
	१९५१	—	—	—	—	२५०३	४३३
	१९५२	—	—	—	—	२७३१	४०८
	१९५३	—	—	—	—	२८९०	४१९
	१९५४	—	—	—	—	२९४१	४१२
	१९५५	—	—	—	—	२८१७	३५८
	१९५६	स्थान सुरक्षित नहीं				२९१२	३३७

९	१०	११	१२	१३	१४
६८	६	१०	१	२५१६७	१७९
१०४	१०	३६	२	२२८१४	१२४
५५	१७	१९	कुछ नहीं	२१२३२	९१
७९	८	१२	कुछ नहीं	२०११५	१०६
१०६	६	८	कुछ नहीं	१९८३६	११४
७७	६	९	कुछ नहीं	१७४०७	९४
१०१	१	२१८	८	२१९५७	६३
—	—	—	—	९००	१०४
—	—	—	—	७५६	१३३
—	—	—	—	५२३	४१
—	—	—	—	३६४	३६
—	—	—	—	४०६	३१
—	—	—	—	५८४	४२
—	—	—	—	६४८	४८
स्थान सुरक्षित नहीं				७४५	६२

१. ये आंकड़े केवल इन्सपेक्टरों के पद के लिए हैं ।

२. इसमें उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे, उत्तर-पूर्वी रेलवे तथा चितरंजन लोकोमोटिव की नौकरियों के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं, क्योंकि उनसे सूचना प्राप्त नहीं हुई

परिशिष्ट

तालिका नं०

१९५६ में आंग्ल भारतीयों के लिए एम्पलायमेंट एक्सचेंजों द्वारा किये गये कार्य

क्र० सं०	राज्य/प्रदेश का नाम		वर्ष में रजिस्टर हुए आंग्ल भारतीयों की संख्या	वर्ष में काम पर लगाये गये आंग्ल भारतीयों की संख्या	वर्ष में रजिस्टर में दर्ज शेष आंग्ल भारतीय प्रार्थियों की संख्या
१	२		३	४	५
१.	आंध्र	—	१०७	१२	४२
२.	आसाम	—	—	—	—
३.	बिहार	—	२३	३	४
४.	बम्बई	—	९५	९	३०
५.	केरल	—	९०	८	७७
६.	मध्य प्रदेश	—	२५	७	४
७.	मद्रास	—	३०३	४५	१४१
८.	मैसूर	—	१०६	७	२४
९.	उड़ीसा	—	५	—	२
१०.	पंजाब	—	१	—	—
११.	राजस्थान	—	५	—	२
१२.	उत्तर प्रदेश	—	४४	७	९
१३.	पश्चिमी बंगाल	—	१४६	१५	५२
	संघीय प्रदेश				
१४.	दिल्ली	—	५	१	१
१५.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—
	कुल योग		९५५	११४	३८८

३६

१

को प्रदर्शित करने वाली तालिका

वर्ष में काम देनेवालों के पास भेजे गये आंग्ल भारतीयों की संख्या	वर्ष में आँग्ल भारतीयों के लिए घोषित स्थानीय रिक्तियों की संख्या			
	केन्द्रीय सरकार विभागों द्वारा	राज्य सरकार विभागों द्वारा	अन्य दूसरे काम देनेवालों द्वारा	योग
६	७	८	९	१०
५३	—	—	—	—
—	—	—	—	—
१२	—	—	—	—
७४	२०	—	—	२०
६६	३	—	—	३
२०	—	—	—	—
२७३	८	—	—	८
४२	८	—	—	८
१	—	—	—	—
—	—	—	—	—
१	—	—	—	—
२३	—	—	—	—
१०४	५१	—	—	५१
४	१३	—	—	१३
—	—	—	—	—
६७३	१०३	—	—	१०३

परिशिष्ट ३९

तालिका नं० २

सन् १९५२ से १९५६ तक एम्पलायमैंट एक्सचेंजों में दर्ज तथा उनमें से काम पर लगाये गये आंग्ल भारतीयों की संख्या को प्रदर्शित करने वाली तालिका

वर्ष	आंग्ल भारतीयों की रजिस्टर में दर्ज संख्या	काम में लगाये गये आंग्ल भारतीय						काम में लगे हुये कुल आंग्ल भारतीयों की संख्या
		केन्द्रीय सरकार	कुल काम में लगे हुओं में से केन्द्रीय सरकार में लगे हुओं का प्रतिशत	राज्य सरकार	कुल काम में लगे हुओं में से राज्य सरकारों में लगे हुओं का प्रतिशत	अन्य काम देनेवाले	कुल काम में लगे हुओं में से अन्य कामों में लगे हुओं का प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१९५२	२०६२	१४७	४३.१	८३	२४.३	१११	३२.६	३४१
१९५३	१७०२	१४५	६४.२	३१	१३.७	५०	२२.१	२२६
१९५४	१२०४	१०६	५८.६	३३	१८.२	४२	२३.२	१८१
१९५५	११०७	६२	५४.४	२४	२१.०	२८	२४.६	११४
१९५६	९५५	७५	६५.८	२३	२०.२	१६	१४.०	११४

परिशिष्ट ३९

तालिका नं० ३

व्यवसायिक तथा शैक्षिक योग्यता के अनुसार ३१-१२-५६ को एक्सचेंजों के रजिस्टरों में काम चाहनेवाले शेष रहे आंग्ल भारतीयों की संख्या को प्रदर्शित करनेवाली तालिका

व्यवसायिक श्रेणी	शैक्षिक योग्यता के अनुसार रजिस्टर में दर्ज आँग्ल भारतीय प्रार्थियों की संख्या			
	नान-मैट्रिक	मैट्रिक	ग्रैजुएट	यो
१	२	३	४	५
डाक्टर	—	—	—	—
इंजिनियर	—	१	—	१
टाइपिस्ट	२	८	—	१०
स्टेनोग्राफर	३	४	—	७
सहायक/क्लर्क	२२	१२५	२	१४९
शिक्षक	—	—	१	१
उद्योग विशेषज्ञ	४०	३	—	४३
अप्रवीण आफिस कर्मचारी	४६	२	—	४८
आप्रवीण श्रमी (आफिस कर्मचारियों को छोड़कर)	४०	—	—	४०
अन्य	३६	५०	३	८९
योग	१८९	१९३	६	३८८

परिशिष्ट ४०

संविधान के अनुच्छेद ३३७ के अनुसार आँग्ल-भारतीयों के शैक्षिक उत्थान के लिए राज्य सरकारों द्वारा दिये गये अनुदानों को प्रदर्शित करने वाली तालिका

राज्य का नाम	१९४७-४८ (बजट)	१९५०-५१ (वास्तविक)	१९५१-५२ (वास्तविक)	१९५२-५३ (वास्तविक)	१९५३-५४ (वास्तविक)	१९५४-५५ (वास्तविक)	१९५५-५६ (वास्तविक)	१९५६-५७ (बजट)	१९५६-५७ (वास्तविक)
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
आंध्र	९१५२४	९७११९	१०१२९७	१०३६००	९५३३०	८०५७२	६९६१५	७५१००	अप्राप्त
आसाम	१८४००	१८४००	१८४००	१८४००	१८४००	१८४००	१८४००	१८४००	अप्राप्त
बिहार	८५६००	९१३२७	७८०६६	८०३५५	७३८४३	७४१२६	८६९१२	८५६००	अप्राप्त
बम्बई	५६११००	६१५००९	५८६९४५	५९३८१०	७०५३२०	५९९९७०	६०४८३८	५६८७३६	अप्राप्त
मध्य प्रदेश	१८०४३७	१६३८४५	१८०१२०	१८८२७०	२२०६१४	१८८५६६	२५०४७२	२४४८३१	अप्राप्त
मदरास	अप्राप्त	अप्राप्त	१११५९९८	१६६५७०	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
उड़ीसा	१६१५४	१५६१०	१५४७३	१५७८५	१५९६७	१६१५४	१५५३१	अप्राप्त	अप्राप्त
पंजाब	अप्राप्त	७३०९२	८८१११	७१९६६	७७६४५	७०१८७	६६८३०	७०१९०	६०१५०
उत्तर प्रदेश	९६९१००	७०७२७१	७२५०८८	७२२०८२	७६४२१०	७७९६७७	७९१२६६	७८६८००	अप्राप्त
पश्चिमी बंगाल	६८८८००	६३३८६२	६०४३४४	६४३३८०	६२७१४०	६२०१८८	७५५२८३	६३११८०	अप्राप्त
हैदराबाद	अप्राप्त	अप्राप्त	१५१०३४	११८६५१	११३०४९	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
मैसूर	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	१६७४५२	अप्राप्त	५८७८४	अप्राप्त	७१०१२
त्रावणकोर-कोचीन	अप्राप्त	६७७८८	५९३२३	६११५१	२११७६	६४९३९	३१६७०	अप्राप्त	अप्राप्त
अजमेर	५६६१५	अप्राप्त	१०३७४०	८०६९४	९३१४९	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
दिल्ली	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	४८५०

परिशिष्ट ४१

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त द्वारा १९५६ में किये गये प्रवासों की रिपोर्टों का सारांश

उत्तर प्रदेश (लखनऊ और अलमोड़ा जिले)—९ से १५ जनवरी १९५६ तक

राज्य सरकार ने हाल में विमुक्त जातियों के लिए भटपुरवा में एक नयी बस्ती आरम्भ की है जिसे मैंने देखा। करवाल लोगों के ७० परिवार वहां बसाये जा चुके हैं तथा ४० परिवार और बसाये जायेंगे। लगभग ५७५ एकड़ भूमि प्राप्त की गई है और उसे ट्रेक्टर से जोत दिया गया है। ४०० एकड़ के लगभग भूमि में बुवाई हो गई है। ७० घर बना दिये गये हैं और एक नलकूप लगा दिया गया है। सिंचाई के लिए एक और नलकूप लगाने की आवश्यकता है। दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की व्यवस्था करने के लिए एक बहुमुखी सहकारी समिति आरम्भ की गई है। इन परिवारों को प्रथम ६ मास के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रति परिवार ४०) मासिक मिलते हैं। यह सहायता कुछ अधिक समय तक जारी रहनी चाहिये। उन लोगों की सामान्य दशा काफी सन्तोषप्रद है। मुझे मालूम हुआ कि उन लोगों ने चोरी की आदत छोड़ दी है। मेरा सुझाव है कि इन लोगों के बालकों को इनसे अलग एक छात्रावास में रखा जाय ताकि वंश-परम्परागत चोरी की आदत समाप्त हो सके। एक ऐसे अच्छे समाज सेवक को वहां नियुक्त किया जाना चाहिए जो इस समस्या को अधिक वैज्ञानिक ढंग से देख सके। वह बस्ती में ही रहे और वहां पंचायतघर में संगीत और नाटक का कार्यक्रम चलायें तथा प्रौढ़ों के लिए रात्रि-शाला चलाई जाये। उसे अच्छा वेतन दिया जाना चाहिए। ट्रेक्टर चलाने वालों और दूसरे सरकारी अधिकारियों के रहने के लिए वहां कोई मकान नहीं है। वहाँ जो पंचायत घर बनाया जाने वाला है, उसी में इस बस्ती के कार्यकर्त्ता रह सकते हैं। भैषजिक सुविधाओं की व्यवस्था करना भी आवश्यक है। मुर्गी और सूअर पालन के धन्धे इस इलाके में अच्छे चल सकते हैं और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

कानपुर के निकट जो कल्याणपुर नामक बस्ती है उसे दर्जी काम के लिए सरकारी काम काफी नहीं दिया जाता है। गोरखपुर में जो बस्ती है उसने विक्री की कठिनाइयों के कारण बुनाई का काम बन्द कर दिया है। सरकार को चाहिये कि वह ऐसी संस्थाओं को अपना काम दे और उसकी मजदूरी भी अधिक दे। हरिजन सहायक विभाग को इस विषय की जांच करनी चाहिए।

अलमोड़ा की अनुसूचित जातियों की तीन मुख्य समस्याऐं हैं :—

१—कृषि के लिए भूमि

२—गृहोद्योगों के लिए कर्ज बांटना

३—सेवाएं (नौकरी)

कुमाऊं पहाड़ियों का जहां तक सम्बन्ध है, भूधारण कानून अभी बीच में ही लटक रहा है और इसके फलस्वरूप अनुसूचित जातियों के गरीब किसानों के सामने कठिनाइयाँ पैदा हो गई हैं। इस प्रदेश की भूमि समस्या की बारीकी से जांच करने के लिए कुमाऊं पहाड़ियां कमिटी, नामक एक समिति नियुक्त की गई और इसीलिए मैदानी इलाके के भूधारण कानून और ऋण राहत कानून इस इलाके में लागू नहीं किये गये। भूमि देते समय राज्य सरकार को चाहिए कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता दे और किसी भी स्कीम के अधीन जिन व्यक्तियों को भूमि से वेदखल कर दिया गया है, उन्हें नकद मुआविजा देने की बजाय दूसरी जमीन देनी च हिए।

अलमोड़ा का सहायता प्राप्त छात्रावास मैंने देखा। इसका मकान इस काम के लिए अनुपयुक्त है। मेरा सुझाव है कि अलमोड़ा में प्रतिरक्षा मन्त्रालय की जो खाली बारकें हैं, वे उचित किराये पर इस छात्रावास को दी जायें।

बाल्मीकी बस्ती को भी मैंने देखा। अलमोड़ा नगरपालिका के भंगी नौकर इसमें रहते हैं। नगरपालिका घाटे में चल रही है, इसलिए वह अपने कर्मचारियों के लिए आवास सुविधाओं का प्रबन्ध करने में समर्थ नहीं है। इसके कर्मचारियों को आवास सुविधाओं का प्रबन्ध करने के लिए राज्य सरकार ने २५,०००) की सहायता स्वीकार की है, परन्तु यह रकम अपर्याप्त है। इन भंगी भाइयों के मकानों की स्थिति शोचनीय है। राज्य सरकार को चाहिए कि नगरपालिका को अपने हाथ में ले ले और उसकी व्यवस्था को मजबूत नींव पर रख दे और वाल्मीकियों के मकानों की स्कीम भी शुरू करे। बाल्मीकी जाति का शायद एक भी छात्र ऐसा नहीं था जो आठवीं या ऊपर की श्रेणियों में पढ़ता हो।

अलमोड़ा जिले में जो भोटिया लोग रहते हैं वे जौहर इत्यादि सीमान्त इलाकों से आये हैं और उनकी जनसंख्या करीब ३०,००० है। चूंकि तिब्बत से उन्हें ऊन बिल्कुल नहीं मिलती, इसलिए व्यापार में मन्दी के कारण वे काफी कष्ट सह रहे हैं। उन्होंने मांग की कि सड़कों का निर्माण किया जाय और उनके माल को बेचने की सुविधाएं पैदा की जायें। उन्होंने यह भी मांग की कि प्राथमिक पाठशालायें खोली जायें, छात्रवृत्तियां दी जाय और पुस्तकों की सहायता भी दी जाय। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीमान्त विकास अधिकारी नामक एक विशेष अधिकारी इन इलाकों अर्थात पौड़ी, अलमोड़ा, टिहरी गढ़वाल के विकास के लिए नियुक्त किया है और भारत सरकार ने भी इस उद्देश्य के लिए अनुदान दिया है। मेरा सुझाव है कि तेजान से मुन्नारियो, मुन्नारियो से मैलाई और मैलाई से उत्तधुरा तक सड़कों का निर्माण किया जाय।

अलमोड़ा के शिल्पकार लोगों के ताँबे और पीतल के बर्तन बनाने के गृहोद्योगों की हालत अच्छी नहीं है, यद्यपि इस जिले से प्रतिवर्ष करीब २,००,०००) के बर्तन बाहर भेजे जाते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि केवल कारीगरों की सहकारी समिति बनाई जाय, उसमें व्यापारी और दूसरे धनी व्यक्ति न लिए जांय। उनके तैयार बर्तनों को रखने और बेचने की सुविधायें करनी चाहिएं। इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

एक सुझाव यह भी है कि भागेश्वर मेले के अवसर पर, जब लगभग ५०,००० व्यक्ति एकत्र होते हैं, सफाई व्यवस्था की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

अलमोड़ा की उद्योग प्रशिक्षण संस्था देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। वहाँ २० विभिन्न उद्योगों का २५० छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उद्योग ये हैं:—सुई धागा आदि छोटा सामान, फल संरक्षण, बागवानी, मधुमक्खी पालन, मिठाई बनाना, लकड़ी के खिलौने बनाना, खेल का सामान तैयार करना, वेंत का काम इत्यादि। झुलोकोट की महिला मंगल संस्था में आठवीं और दसवीं पास कन्याओं को नौ मास का ग्राम-सेविका का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद इन कन्याओं को ३५) मासिक पर ग्राम-सेविका नियुक्त किया जाता है। यह वेतन बहुत ही कम है। इन कार्यकर्त्ताओं को वेतन और भत्ता मिला कर कम से कम कुल ७५) मासिक तो देना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों के बारे में मुख्य मन्त्री तथा शिक्षा मन्त्री से सामान्य चर्चा की। मेरे सुझाव के अनुसार राज्य सरकार ने एक सहायक सचिव को नियुक्त किया है जो हरिजन सहायक विभाग से संलग्न होगा और जो विभाग का डायरेक्टर भी होगा। हर जिले में एक जिला कल्याण अधिकारी रखने का विचार है।

भोपाल राज्य (जो अब मध्य प्रदेश में विलीन हो गया है)—२२ से २३ जनवरी १९५६ तक

भोपाल राज्य में आदिवासी सम्मेलन में भाग लिया। इसे भोपाल राज्य आदिवासी सेवा संघ ने संगठित किया था। सम्मेलन बहुत सफल रहा। करीब ५,००० अनुसूचित आदिमजाति लोगों ने इसमें भाग लिया। इनमें ज्यादातर गोंड और कुछ कोरकू थे। भोपाल के अनुसूचित आदिमजाति लोगों की ओर से सम्मेलन में निम्नलिखित मुख्य मांगें पेश की गईं :—

१—जंगलों के नजदीक गांवों में सरकारी बंजर भूमि उन्हें दी जाय।

२—पीने के पानी की व्यवस्था की जाय।

३—ऋण समझौता बोर्डों की स्थापना की जाय।

४—स्कूल, अस्पताल और दवाखानों की व्यवस्था की जाय।

५—सिर पर जितना ईंधन चल सके, उतना ईंधन मुफ्त ले जाने की अनुमति दी जाय।

६—मकान बनाने के लिए इमारती लकड़ी दी जाय।

७—अनुसूचित आदिमजाति खेतिहर मजदूरों की निम्नतम मजदूरी निश्चित की जाय।

मेरी अध्यक्षता में हुए सम्मेलन ने राज्य सरकार के सम्मुख यह सुझाव रखा कि जंगल कामगार सहकारी समितियां बनाई जांय, जिन्हें सरकार अल्पिष्ट कोश मूल्य पर कूप दे। अनुसूचित आदिमजातियों की आर्थिक समस्यायें ऐसी समितियां सामान्यरूप में सुलझा देंगी।

भोपाल और सेहोर की अनुसूचित जातियों की बस्तियों को मैं ने देखा। यहां पर भंगियों के लिए मकान तथा अन्य सुविधाओं को देखकर सन्तोष हुआ। वांछनीय यह है कि ऐसी बस्तियों में पंचायत घर का प्रबन्ध ऐसे व्यक्तियों के हाथों में हो, जिनकी समाज सेवा करने की योग्यता और रुचि हो, ताकि वे गरीब हरिजनों का बेहतर जीवनमान की दिशा में मार्ग-दर्शन कर सकें और उनकी बुरी आदतें छुड़ाने को प्रोत्साहन दे सकें।

भोपाल सरकार गिल्लोर में सामूहिक कृषि सहकारी समिति का प्रयोग सफलतापूर्वक कर रही है। इसके ५८ सदस्य हैं जिनमें से १५ अनुसूचित आदिमजातियों के हैं और १३ अनुसूचित जाति के। यहां पर, जंगल के उस भाग का कुछ अंश सदस्यों ने स्वयं साफ कर लिया है जो पहले शिकार के लिए सुरक्षित था, और १,००० एकड़ भूमि तोड़ कर उस पर कृषि की जाने लगी है। उसका बड़ा अच्छा परिणाम हुआ है। एक पंचायत घर और एक कूंआ भी यहां बनाया जा चुका है। मुर्गीपालन का प्रक्षेत्र आरंभ कर दिया है और एक छात्रावास खोलने का विचार है। मकान बनाने के लिए आवश्यक इमारती लकड़ी के अनुमति-पत्र दे दिये गये हैं। सेमलपानी और मानसा में दो और ऐसी सामूहिक कृषि सहकारी समितियां शुरू की गई हैं और मेरा सुझाव है कि गिल्लोर से मिला हुआ जंगली प्रदेश साफ कर दिया जाय और उसे कृषियोग्य बना कर एक नई समिति को दिया जाय, ताकि बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके, भोपाल राज्य में ६५,००० एकड़ भूमि पिछड़े वर्गों को जिनमें अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिमजातियां भी शामिल हैं, खेती के लिए दी गई है। भोपाल सरकार के सीमित क्षेत्र को देखते हुए वास्तव में भोपाल सरकार ने यह बड़ा सराहनीय काम किया है।

बम्बई प्रदेश (पंचमहाल और सूरत जिले)—८ से १५ फरवरी १९५६ तक

मैंने बोरखेड़ी (बारदोली तालुके) में हुए गांधी मेले की अध्यक्षता की। लगभग २०,००० लोग वहां इकट्ठे हुए थे, जिनमें से अधिकांश अनुसूचित आदिमजातियों के थे। अनुसूचित आदिमजातियों के २० भूमिहीन व्यक्तियों को भूदान में प्राप्त ज़मीन बांटी गई। आदिवासियों और गांवों के लोगों के उपयुक्त रचनात्मक काम की समस्याओं पर विचार करने के लिए रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं का दो दिन तक का एक सम्मेलन हुआ। बोरखेड़ी जाते समय, पंचमहाल ज़िले के झालोद नामक स्थान पर, जो आदिवासियों का अनुसूचित क्षेत्र है, मातृ और बाल कल्याण केन्द्र का मैंने उदघाटन किया। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिए कल्याण योजनाओं और आश्रम स्कूलों के बारे में राज्य के अधिकारियों से चर्चा की।

कलकत्ता और आंध्र राज्य—१५ से २१ मार्च १९५६ तक

कलकत्ते में, घासखली और सुन्दरवन के अदिवासियों की शिकायतों के बारे में जो जांच की जा रही थी, उसके बारे में जो आदिवासी कल्याण मंत्री से मैंने चर्चा की। राज्य सरकार ने जो विशेष अधिकारी अब नियुक्त किया है, वह घासखली और सुन्दरवन के आदिवासियों के लिए कल्याण योजनाएं बना रहा है।

आंध्र प्रदेश में विशाखापटनम, पूर्व गोदावरी और श्रीकाकुलम जिलों के एजेंसी क्षेत्रों का जहां आदिवासी कल्याण योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है, मैंने दौरा किया। १९५५-५६ में आदिवासी कल्याण योजनाओं के लिए २०,९४,०००) मंजूर किये गये थे जिनमें से ८,९३,०००) सड़क-निर्माण के लिए रखे गये थे, ३,००,०००) अनुसूचित आदिमजातियों, वित्त और बिक्री निगम, गोदामों का निर्माण तथा निगम के लिए गाड़ियां खरीदने के लिए स्वीकृत किये गये थे। कल्याण स्कीमों के आधीन जो सड़कें बनाई जा रही थीं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सड़कों को मैंने देखा। जंगली इलाके में सड़कों के लिए बन विभाग को जो दो जीप गाड़ियां दी गई हैं उनके लिए कोई सार्थक कारण नहीं मालूम होता। सड़क-निर्माण में स्थानीय मज़दूरों को नहीं रखा गया है। उनकी बजाय मैदानी इलाकों से ट्रकों में भर कर मज़दूर लाये जा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि ऐसे कामों के लिए स्थानीय मज़दूरों को रखा जाय और उन्हें उस काम का प्रशिक्षण दिया जाय। उस हालत के अतिरिक्त जब कि कुशल मज़दूर आवश्यक हों। आंध्र प्रदेश के एजेंसी इलाकों के आदिवासियों के आर्थिक विकास के लिए जो वित्त और बिक्री निगम की स्कीम आरंभ की गई है, वह अपने ढंग की नई स्कीम है। उस स्कीम के अधीन, विभिन्न स्थानों पर गोदाम बनाये गये हैं, जहां आदिवासियों का उत्पादित माल जमा रखा जाता है और आदिवासियों को उधार रुपया दिया जाता है, ताकि वे जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं ठीक दामों पर खरीद सकें। इनमें से कुछ गोदाम मैंने भी देखे। मेरा सुझाव है कि आदिवासियों की उपज को इन केन्द्रों और उपकेन्द्रों में संग्रहीत करने का प्रोत्साहन देने के लिए आदिबासियों को सहायता दी जाय। एजेंसी इलाकों में बिचौलियों द्वारा जो शोषण चलता है, उसे इस स्कीम द्वारा समाप्त करने की आशा है। इस स्कीम के संबंध में मुख्य कठिनाई यह रहेगी कि उन आदिवासियों की उपज को कैसे संग्रहीत किया जायगा जिसके मठदारी मुखियों, व्यापारियों और साहूकारों से युगों पुराने सम्बन्ध चले आ रहे हैं और जिनके साथ उनके भावनात्मक संबन्ध बने हुए हैं। ये व्यापारी आदि लोग इनका प्रतिदिन शोषण कर रहे हैं। अनुसूचित आदिमजाति वित्त और विक्री निगम संपूर्णतया सरकारी धन से चलता है, जनता या आदिबासियों का उसनें कोई हिस्सा नहीं होता। इस संस्था की प्रगति को सावधानी से देखना चाहिए।

विभिन्न जिलों और तालुकों के कुछ दवाखाने भी मैंने देखे। अराकू के दवाखाने म बहुत ही कम रोगी आते हैं और इसलिए जो २३,०००) की रकम इस दवाखाने को दी गई है उसका पूरा उपयोग नहीं हो सका। ऐसी आशा है कि जब जल्दी ही राष्ट्रीय विस्तार सेवा ब्लाक में यह क्षेत्र आयेगा, स्थानीय आदिवासी इस दवाखाने से पूरा लाभ उठायेंगे। अराकू के लिए एक मलेरिया-विरोधी स्कीम, स्वीकृत की जा चुकी है और १९५५-५६ तक ६२५ गांवों पर यह स्कीम लागू हो चुकी है। इस समय तो वहां पर्याप्त कर्मचारी हैं, परन्तु मेरा सुझाव है कि मैडिकल अधिकारी को अपनी पत्नी को, जो स्वयं एक डाक्टर है, वहां रखने की अनुमति दी जाय और वह भी वहीं काम करे। इससे दवाखाने की कार्यकुशलता बढ़ जायेगी। विश्व-स्वास्थ्य संगठन की सहायता से के० डी० पोटा में मलेरिया टुकड़ी अच्छा कार्य कर रही है। के० डी० पोटा के दवाखाने को, जो इस समय किराये के एक मकान में है, अच्छे मकान में स्थानान्तरित कर देना चाहिए। इसी प्रकार अडाथीगाला के एल० एफ० दवाखाने को भी उस इलाके में स्थानान्तरित कर देना चाहिए, जहां केन्द्र द्वारा दिये गये अनुदान में से हस्पताल और डाक्टरों आदि के लिए मकान बनाये जा रहे हैं। यौन रोग से पीड़ित व्यक्तियों की चिकित्सा करके विश्व स्वास्थ्य संगठन भी अच्छा कार्य कर रहा है।

अराकू, एलविनपेटा और अडाथीगाला के छात्रावासों का निरीक्षण मैंने किया। गत दो वर्षों में एलविनपेटा के छात्रावास में काफी सुधार हुआ है, किन्तु अराकू का छात्रावास ठीक नहीं चल रहा है। स्कूल और छात्रावास दोनों के मकानों की हालत खराब है। अडाथीगाला के छात्रावास का वर्तमान मकान उपयुक्त न होने के कारण उसके लिए अच्छे मकान की आवश्यकता है। मडुगुला के छात्रावास के लिए इस समय १५ छात्र स्वीकृत हैं। अब उसके लिए २५ छात्रों की स्वीकृति मिलनी चाहिए, क्योंकि इस छात्रावास में दाखिल होने के लिए अधिक आदिवासी छात्र प्रार्थनापत्र भेज रहे हैं।

इसी समय मैंने अराकू, अडाथीगाला लम्मासिंगी और एलविनपेटा के महिला कल्याण केन्द्रों का भी निरीक्षण किया। अडथीगाला का कल्याण केन्द्र सब से अच्छा था। बालकों की देखभाल यहां बहुत अच्छी की जाती है और महिलाओं को सिलाई और ऊनी कपड़े बनाने का काम सिखाया जाता है। शिशु-पालन की शिक्षा भी दी जाती है। किन्तु इस केन्द्र के लिए एक अच्छे मकान की आवश्यकता है। इन महिला कल्याण केन्द्रों के लिए राज्य सरकार को भैषजिक सुविधाओं की व्यवस्था करना चाहिए। एलविनपेटा का महिला कल्याण केन्द्र भी सन्तोषप्रद काम कर रहा है, किन्तु अराकू केन्द्र के बारे में यही बात नहीं कही जा सकती।

कृषि और रेशम के कीड़े पालने के कार्य, विशेषरूप से अराकू का फार्म, अच्छी प्रगति कर रहे हैं। चिन्तापल्ली में एक पशु पालन फार्म खोलने का विचार है। मेरा सुझाव है कि अराकू के फार्म जैसा, एक कृषि-फार्म भी, इस पशु पालन फार्म के साथ संलग्न किया जाय। इसके अतिरिक्त, चिन्तापल्ली में शहतूत के पेड़ों का एक रेशम फार्म है। मेरा सुझाव है कि जो आदिवासी इस फार्म में बेचने के लिए रेशम के कोये लाते हैं उन्हें उनकी कीमत तुरन्त चुका देनी चाहिए, बजाय इसके कि जब कोये पाले जायेंगे और उनकी रेशम बिक जायेगी तब तक के लिए उन्हें टाल दिया जाय। चिन्तापल्ली का मुर्गी पालन फार्म भी लोकप्रिय होता जा रहा है। इस फार्म पर काम करने वाले अधिकारियों के रहने के लिए मकानों का प्रबन्ध करना चाहिए।

दुर्भाग्य से, भूतकाल में इस एजेंसी इलाके की इतनी उपेक्षा की गई है कि इन गांवों में न तो कभी सर्वे हुआ और न जमीन का बन्दोबस्त, न वन प्रदेशों में काम करने की कोई योजनाएं ही हैं। मठदारों की मार्फत लगान संग्रह करने की बजाय सरकार स्वयं ही लेती है। आन्ध्र सरकार ने आदिवासियों के आर्थिक विकास की जो स्कीम बड़े उत्साह से शुरू की है, यदि सफल हो गई, तो मठदारी प्रथा को पूर्णरूप से समाप्त किया जा सकेगा। किन्तु मेरा सुझाव है कि इस उपेक्षित इलाके में नियुक्त सरकारी अधिकारियों को विशेष भत्ता मिलना चाहिए और उनके आवास की व्यवस्था होनी चाहिये।

ऐसा मालूम हुआ है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार द्वारा काफी देर में भेजी गई पूरक स्कीमों के लिए जो अनुदान स्वीकृत किये हैं, राज्य सरकार उनका उपयोग नहीं कर सकेगी। इसलिए मैं सिफारिश करता हूं कि प्रति वर्ष राज्य सरकारें जो सशोधित या नई स्कीमें अनुदान के लिए ३१ दिसम्बर के बाद केन्द्र के पास भेजें उन पर विचार न किया जाय!

उत्तरप्रदेश (इलाहाबाद जिले में सहासों गांव)—६ अप्रैल १९५६।

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के सहासों गांव में कार्यकर्त्ताओं की एक सभा होने वाली थी। उसमें भाग लेने के लिए मुझे निमन्त्रित किया गया। प्रधान मन्त्री ने कार्यकर्त्ताओं की उस सभा में भाषण दिया। गांव के लोगों ने यहां हरिजनों के लिए जो मकान बनाये हैं, वे मैंने देखे। केन्द्रीय अनुदान में से उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक मकान के लिए ५००) की सहायता दी है। मकान अच्छे बनाये हैं। ऐसा प्रतीत हुआ कि इस इलाके के ग्रामीण लोगों ने छूआछूत के दुष्ट रिवाज का त्याग कर दिया है।

राजस्थान (जयपुर)—१६ अप्रैल १९५६

टोंक से २५ मील दूर गान्धीग्राम में समाज सेवा विभाग के कार्यकर्त्ताओं के एक शिविर का उद्घाटन करने को मुझे आमन्त्रण दिया गया। यह गांव एक नया गाँव है जहां भूदान में प्राप्त भूमि पर अधिकतया हरिजनों को बसाया गया है। लगभग २,००० बीघे भूमि हरिजनों में बांटी जा चुकी है और ४४ परिवारों को बसाया जा चुका है। केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों में से १० मकान बनाये गये हैं। यहां एक प्राथमिक स्कूल, एक पुस्तकालय और एक अम्बर चर्खा केन्द्र है और यह गांव अच्छी प्रगति कर रहा है। जब सिंचाई की सुविधायें मिलने लगेंगी तो इसकी समृद्धि और भी तेजी से बढ़ेगी।

टोंक तहसील के कुछ गाँवों के चमारों और रेगड़ों ने मुर्दार पशुओं को उठाना छोड़ दिया है और फलतः राज्य सरकार को पंचायतों के द्वारा किसी बाहरी संस्था को मुर्दार पशु उठाने के ठेके देने पड़े। फलस्वरूप हरिजन बेकार हो गये। इससे उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मैंने कलक्टर से चर्चा की।

इस इलाके में एक तेल की मिल शुरु की जा रही थी, इसके कारण इस काम में लगे लगभग २०० तेलियों के बेकार होने की संभावना है, इसे रोकने के प्रयत्न जारी हैं।

समाज सेवा विभाग के मंत्री और डायरेक्टर से मैंने केन्द्र द्वारा पुरस्कृत स्कीमों के सम्बन्ध में चर्चा की।

मध्य प्रदेश और बम्बई—२१ अप्रैल १९५६ से ८ मई १९५६ तक।

मध्य प्रदेश—मध्य प्रदेश के छिन्दवाड़ा स्थान पर भारतीय आदिमजाति सेवक संघ के द्वारा आदिमजाति कल्याण विचार गोष्ठी संगठित की थी। उसकी अध्यक्षता करने के लिए मैं वहां गया। इस विचार गोष्ठी में प्रसिद्ध मानव शास्त्रियों और आदिमजाति कल्याण के विशेषज्ञों ने भाग लिया। विचार गोष्ठी में कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया, किन्तु आदिमजाति कल्याण के विभिन्न पहलुओं पर पूर्णरूप से चर्चा की गई और काफी लम्बे विचार के बाद कुछ मूलभूत बातों के संबन्ध में सब लोग सहमत हो गए, जैसे आदिमजाति सांस्कृतिक शोध संस्थाओं का इस संबन्ध में क्या काम होना चाहिए, प्रशिक्षित व्यक्तियों के एक केन्द्र की स्थापना, आदिमजाति कल्याण कार्य के लिए दक्ष संगठन तैयार करना और आदिमजाति विकास के समग्र कार्यक्रम का निर्माण। विचार गोष्ठी बहुत उपयोगी सिद्ध हुई क्योंकि उसके कारण क्षेत्र-कार्यकर्ताओं ने शोध और आदिमजाति समस्याओं के सम्बन्ध में वैज्ञानिक दृष्टि को अपनाने की आवश्यकता महसूस की। विचार गोष्ठी की राय में आदिमजातियों के कल्याण का कोई भी कार्यक्रम आरम्भ करने से पहले आदिमजातियों के इलाके की भौगोलिक विशेषताओं, उनकी अर्थ व्यवस्था पर उस कार्यक्रम की प्रतिक्रिया, उनकी सांस्कृतिक तथा सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन और विश्लेषण कर लेना चाहिये। एक सुझाव यह भी दिया गया कि शोध संस्थाओं से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के विभागों को चाहिये कि वे बुनियादी तथ्य एकत्रित करने के लिये समन्वित ढंग के संघठित सर्वे करें ताकि आदिमजाति विकास कार्यक्रम को वैज्ञानिक आधार पर तैयार किया जा सके। इस सम्बन्ध में गैर-सरकारी संस्थाऐं भी काफी सहायक सिद्ध हो सकती हैं, यदि वे अपने कार्य-क्षेत्रों में सर्वे करें। विचार गोष्ठी की यह भी राय थी कि आदिवासी क्षेत्रों में जंगल अर्थ-व्यवस्था और शिकार को पुनर्जीवित करने, तराई में चराई-भूमि अर्थ व्यवस्था को प्रोत्साहन देने, समुद्र-तट पर मछली पकड़ने के धंदे को विकसित करके तट-अर्थ व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का संघठित कार्यक्रम तैयार किया जाय और आदिमजाति लोगों में कल्याण कार्यक्रम को इस ढंग से किया जाय कि उनकी साँस्कृतिक विशिष्टताओं को हानि पहुंचाये बिना आदिमजातियों का समन्वित विकास हो सके। गोष्ठी की राय में, सब राज्यों में जंगल कामगार सहकारी समितियों की स्थापना सही दिशा में अग्रसर होना है। ग्राम कल्याण मंडल की स्थापना का सुझाव भी दिया गया जिसमें निम्नलिखित समूहों के दो प्रतिनिधि होंगे (१) स्थानीय पंचायत (२) महिलाऐं, (३) युवक, और (४) बालक। गोष्ठी ने उन लोगों के प्रशिक्षण और चुनाव के ढंग को जो आदिवासी लोगों में कल्याण कार्य करते हैं, काफी महत्वपूर्ण बताया। प्रशिक्षण काल में व्यवहारिक काम पर जोर देना चाहिये। विश्वविद्यालयों के विभागों को स्नातकों के लिये व्यवहारिक डिप्लोमा कोर्स का संगठन करना चाहिये ताकि वे लोग जो ऐसी नौकरियों में जाना चाहते हैं, जिनकें लिये आदिवासी मामलों का ज्ञान आवश्यक है, वहां प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। गोष्ठी ने शिफारिश की कि भारतीय सरकार और राज्य सरकारें उन गैर-सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देती रहें जो आदिवासी कल्याण के क्षेत्र में उपयोगी कार्य कर सकें।

इस प्रवास में मैंने नागपुर से करीब १८ मील दूर, तकली में स्थित भंसाली आश्रम को देखा। यहां अनुसूचित आदिमजातियों में ६० बालक, बालिकाऐं दूसरे बालकों के साथ, जिनमें हरिजन भी हैं, एक छात्रावास में रहते हैं। यहां बुनियादी ढंग की शिक्षा दी जाती हैं और आश्रमवासियों को खेती और गृहोद्योगों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

बम्बई—बम्बई में ५ मई १९५६ को बम्बई एन्थ्रोपोलोजीकल सोसाइटी और गुजरात रिसर्च सोसाइटी के सम्मिलित तत्वावधान में एक सम्मेलन हुआ। उसमें मैंने 'पश्चिमी भारत में आदिवासी कल्याण कार्य' नामक निबन्ध पड़ा। बम्बई सरकार के साथ, पिछड़े वर्गों की उनकी पंच वर्षीय योजना के बारे में मैंने चर्चा की।

६ मई १९५६ को दोहद में भील-सम्मेलन की अध्यक्षता की ओर अगले दिन भील सेवा मंडल के कार्यकर्ताओं के सम्मुख मैंने भाषण दिया।

जन्मू व काश्मीर राज्य तथा हिमाचल प्रदेश (चम्बा जिला)—१५ मई से ४ जून, १६५६ तक।

जम्मू व कश्मीर राज्य—श्रीनगर के अपने अल्पावकाश में, मैंने जम्मू प्रदेश का दौरा किया ताकि हरिजनों की स्थिति को देख सकूं और राज्य सरकार ने केन्द्रीय अनुदान की सहायता से १९५४-५५ और १९५५-५६ में जो विभिन्न कल्याण योजनाऐं शुरू कीं उनकी प्रगति को देख सकूं।

आवास योजना के अन्तर्गत, बन्दोवाल में ३२ हरिजन परिवारों के लिये मकान बनाए गए हैं। जमीन, इमारती सामान और कुशल मजदूर सरकार ने दिये हैं और अकुशल मजदूरी का सारा काम हरिजनों ने सामहिक रूप से स्वयं किया है। एक सामूहिक पशु-बोर्ड और एक पंचायत घर बनाने का इरादा है। एक कमरे के एक मकान पर कुल ५००) रुपये खर्च होंगे। मेरा विचार है कि प्रत्येक मकान में २ कमरे होने चाहिएं और भारत सरकार को इसके लिए सहायता को बढ़ाकर १,०००) कर देना चाहिए।

जम्मू की भंगी-बस्ती में साँस्कृतिक केन्द्र के लिए एक सुन्दर भवन बनाया गया है। इस केन्द्र में एक शिशु-सदन भी शुरू किया गया है जहां काम करने वाली भंगी स्त्रियां प्रातः अपने बच्चों को छोड़ जाती हैं और शाम को उन्हें ले जाती हैं। इस केन्द्र में, एक बाल-वाड़ी, वाचनालय और पुस्तकालय भी हैं यद्यपि इस सांस्कृतिक केन्द्र पर भारी खर्च हो रहा है, तो भी भंगी बस्ती में इसके काम के प्रभाव को देखकर मुझे सन्तोष हुआ। बिजली और इस केन्द्र के उद्यान के मध्य में एक फव्वारा लगाने के लिए १६,०००) खर्च होंगे। इसका प्रवन्ध कर देना चाहिए।

जम्मू शहर के गुम्मट मोहल्ले की भंगी-बस्ती में एक छोटा सेवा सदन चल रहा है, मैंने उसे भी देखा। इसमें प्रतिदिन लगभग १०० बालक-बालिकाऐं आते हैं। सब बच्चों को दूध दिया जाता है और ५ वर्ष से छोटे शिशुओं के लिए एक बालवाड़ी का प्रबन्ध है। इस केन्द्र में एक प्रशिक्षित परिचारिका है जो मोहल्ले के प्रसव केसों की देखभाल करती है। मेरी सिफारिश यह है कि इस समाज सेविका को जिसने वस्तुतः स्तुत्य सेवा की है, उपयुक्त पारिश्रमिक मिलना चाहिए और उसे नियमित नौकरी में ले लेना चाहिए। मेरा एक सुझाव यह भी है इस केन्द्र को एक और कमरा देना चाहिये और वहां पंचायत घर खोलना चाहिए।

पीने के पानी के कुएं बनाने की योजना के अन्तर्गत, मैंने रामगढ़ गांव और साहबा तहसील के दो कुओं और एक तालाब को देखा। इन तीनों के बनाने में १०,५००) खर्च हुए हैं। इससे इस इलाके में पानी की कमी को दूर करने और करीब २०० कनाल भूमि की सिंचाई करने में, जो अधिकाँश हरिजनों की ही थी, बहुत सहायता मिली। रामगढ़ गाँव के हरिजनों ने कहा कि उन्हें घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, क्योंकि उनमें से अधिकाँश पाकिस्तान से आये हैं। मानसर झील के निकट के कुछ चमार परिवारों ने भी माँग की कि सीमा पर एक उत्पादन और प्रशिक्षण केन्द्र खोलना चाहिए, क्योंकि वे अपने माल को स्वयं आसानी से बेच नहीं सकते।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन योजना आयोग ने जो स्कीमें स्वीकृत की हैं, उनको कार्यान्वित करने के बारे में मैंने राज्य के मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री तथा अन्य वरिष्ट अधिकारियों से चर्चा की। अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण की स्कीमें तैयार करने और राज्य के प्रतिनिधियों ने योजना आयोग से जो चर्चा की, उसके अनुसार विभिन्न स्कीमों की प्राथमिकता निश्चित करने के लिए राज्य में दो कमेटियाँ स्थापित की गई हैं। मैंने राज्य सरकार को यह सलाह भी दी कि अपने कार्य की प्रगति की रिपोर्ट नियमितरूप से भेजते रहें और सहायता अनुदान के अपने अन्तिम प्रस्ताव भारत सरकार के पास भेजें।

कथुआ जिले के दफ्तर में मुझसे हरिजन काफी संख्या में मिले। उन्होंने मेरे सामने कुछ माँगें रखीं, जिनमें से मुख्य ये हैं :—

१. नौकरियों में संरक्षण निश्चित करना।

२. भूमिहीन हरिजन परिवारों को भूमि दी जाय और कृषि औजारों के लिए कर्ज दिया जाय।

३. प्राथमिक और हाई स्कूल के छात्रों को योग्यता और स्थिति के अनुसार छात्रवृत्तियाँ दी जायें।

४. ऊधमपुर और कथुआ में छात्रावासों का निर्माण किया जाय।

५. बुनाई, बाँस और चमड़े का धंधा करने वाले हरिजन परिवारों को छोटे ऋण देने की व्यवस्था की जाय।

राज्य सरकार से मेरी सिफारिश है कि उपयुक्त मागों पर उचित विचार किया जाय।

अपने छोटे से प्रवास में मैंने जो कुछ देखा उससे मुझे विश्वास है कि राज्य में हरिजन कल्याण कार्य अच्छी प्रगति कर रहा है। तो भी इस बात की बहुत सख्त आवश्यकता है, कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में जो विभिन्न कल्याण स्कीमें प्रारम्भ की जायेंगी उनका समन्वय करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रशासकीय तंत्र हो।

हिमाचल प्रदेश (चम्बा जिला)—चम्बा में हिमाचल प्रदेश की सरकार और भारतीय आदिमजाति सेवक संघ ने मिलकर एक गूजर सम्मेलन किया। गृह मंत्रालय के मंत्री श्री बी० एन० दातार ने इस सम्मेलन का उदघाटन किया और मैंने इसकी अध्यक्षता की। सम्मेलन में गूजरों की काफी संस्थाओं ने भाग लिया और राज्य सरकार के अधिकारियों ने भी गूजर जाति के ११ प्रतिनिधियों और कुछ समाज सेवकों की एक कमेटी बनाई। गूजरों के कल्याण की योजना तैयार करने के लिए श्री दातार ने सुझाव दिया कि जो मुख्य स्कीम तैयार की जाय उसमें नये गांव बसाने और दुग्धशालाओं के प्रोत्साहन का स्थान अवश्य हो। सब ने इस सुझाव का स्वागत किया और राज्य सरकार से कहा गया कि वह उपयुक्त स्कीमें तथा शिक्षा, जनस्वास्थ्य की स्कीमें तैयार करे जिसमें पशु-पालन निरीक्षकों की व्यवस्था की जाय और जब ये स्कीमें तैयार हो जायं तो १९५६—५७ के वर्ष में शुरू की जाने वाली योजनाओं में इन स्कीमों को प्राथमिकता दी जाय।

बिहार—११ से १८ जून १९५६ तक

आदिमजाति सेवा मंडल, राँची ने अपने कार्यकर्त्ताओं और स्कूलों के शिक्षकों का एक सम्मेलन सोसई विद्यालय में किया, जिसकी अध्यक्षता के लिए मुझे निमंत्रित किया गया और इसी संबंध में मुझे बिहार राज्य का प्रवास करने का मौका मिला। इस सम्मेलन का उद्‌घाटन बिहार राज्य के राज्यपाल ने किया। इसी अवसर पर मुझे आदिमजाति सेवा मंडल, राँची द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं को देखने का मौका मिला। यह संस्था गत १५ वर्षों से बिहार के छोटा नागपुर (डिवीजन) के आदिवासियों में सेवा कार्य कर रही है। इस समय इस संस्था के अधीन, ४४२ प्राथमिक स्कूल, २१ माध्यमिक स्कूल और ९ हाई स्कूल चल रहे हैं जहाँ २०,२९६ छात्रों को शिक्षा दी जा रही है। इसके अतिरिक्त मण्डल ३५ छात्रावास चला रहा है जिनमें १,४९० आदिवासी लड़के लड़कियाँ रहते हैं। १९५५-५६ में स्कूलों पर ४,३१,११९) और छात्रावासों पर १,०३,२७०) खर्च किये गये। दवा बाँटने के ९ केन्द्र हैं जहाँ १३,१७८ रोगियों की चिकित्सा की जा चुकी है। ५०,०००) लगाकर गृहोद्योगों के तीन केन्द्र खोले गये हैं। छोटा नागपुर डिवीजन में आदिवासी कल्याण की योजनाओं के बारे में जिन्हें ठक्कर बापा योजनाएं कहते हैं, इस गैर-सरकारी संस्था को बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सौंप कर बिहार सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है।

जहां पर सम्मेलन हुआ वह सोसई विद्यालय मण्डल द्वारा १९५२ से चलाया जा रहा है। इसके पास २३ एकड़ भूमि है और कृषि, लोहारगीरी, बुनाई और कताई का प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ एक हाई स्कूल है जिसमें २१६ छात्र पढ़ते हैं। स्कूल के साथ ही एक छात्रावास है जिसमें ७५ छात्र रहते हैं, जिनमें से ५२ आदिवासी, ८ हरिजन और १५ अन्य जातियों के हैं। मण्डल सफलता के साथ एक जंगल कामगार सहकारी समिति और एक कर्मचारी समिति चला रहा है।

इसी अवसर पर लोहरडग्गा के कस्तूरबा बाल विद्यालय को भी देखा। इस विद्यालय के छात्रावास में रहने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था है जिसमें ३० हरिजन बालिकाएं, ९९ आदिवासी १ पिछड़े वर्ग की बालिका और ८ ब्राह्मण बालिकाएं शिक्षा पाती हैं। इस विद्यालय के पास ५ एकड़ भूमि है जहां लड़कियाँ खेती करती हैं। दो वर्ष पहले जब मैंने विद्यालय को देखा था तब से इसने निश्चितरूप से प्रगति की है। लेकिन अभी यहाँ और मकान बनाने की आवश्यकता है तथा कुछ अन्य सुविधाओं की भी, जिनका प्रबन्ध, मझे आशा है, सरकार कर देगी।

बिरहोर बिहार की एक पिछड़ी अनुसूचित आदिमजाति है, उसे बिशनुपुर में बसाने की योजना अच्छी प्रगति कर रही है। यहाँ १५ परिवार बसाये जायेंगे और १९५६-५७ के लिए ३५,६०६) स्वीकृत किए गए हैं। इस बस्ती में प्रत्येक परिवार को एक मकान दिया जायगा, तथा एक पंचायतघर, एक स्कूल और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र बनाने की व्यवस्था की जा रही है। एक प्रशिक्षण और उत्पादन केन्द्र खोलने का विचार है जहाँ बिरहोरों को रस्सी बनाने का प्रशिक्षण दिया जायगा और पड़ोस के इलाके के पानी की व्यवस्था करने के लिए एक छोटी सिंचाई योजना को कार्यान्वित करने का भी विचार है।

नेतरहाट नामक इलाके में असुर नामक एक दूसरी पिछड़ी अनुसूचित आदिमजाति रहती है । मेरे सुझाव देने पर, आदिमजाति सेवा मंडल यहां एक आवास स्कूल चला रहा है । असुर जाति की कल्याण योजना के लिए बिहार सरकार ने १९५६-५७ में २१,३५० रु० स्वीकृत किये हैं । कुछ असुर काम के लिए चाय के बागानों में आसाम गए । वहां व्यापारियों ने उनका शोषण किया और उनका स्वास्थ्य गिर गया । मेरा सुझाव है कि इस इलाके में अमरूद और पपीते जैसे फलदार पेड़ लगाये जायें और मुर्गी-पालन का विकास किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त मेरा सुझाव यह भी है कि यद्यपि राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड यहाँ बाद में भी आरंभ किये जा सकते हैं, अभी नेतरहाट के इलाके को भारत सरकार के केन्द्रीय-पुरस्कृत कार्यक्रम की बहुमुखी योजना में शामिल कर लिया जाय ।

मैंने नेतरहाट का पब्लिक स्कूल भी देखा । इसमें अनुसूचित जातियों के लिए ११ प्रतिशत और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए ४० प्रतिशत का संरक्षण निश्चित कर दिया गया है । स्कूल को बड़ी कुशलता से चलाया जा रहा है, यद्यपि प्रत्येक छात्र पर खर्च बहुत अधिक पड़ता है—१२५) मासिक । टट्टी साफ करने, बर्तन धोने आदि का काम छात्र स्वयं करते हैं । इस प्रकार उन्हें प्रत्येक कार्य स्वयं करने का प्रशिक्षण दिया जाता है । पास के कुछ आदिवासी किसानों ने मुझसे शिकायत की कि इस स्कूल के अधिकारी उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे थे ताकि वे जल प्राप्ति के लिए संलग्न भूमि प्राप्त कर सकें । उसके लिए वे इन किसानों की जमीनों पर अनुचित कब्जा करते हैं । आशा है कि बिहार सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि इन किसानों को इनकी जमीनों से तब तक बेदखल नहीं किया जायेगा जब तक कि उन्हें दूसरी ज़मीनें न दी जायें । रांची से १२ मील दूर स्थित ब्रह्मवेकुष्ठ व शोध संस्था भी मैंने देखी । यहाँ रोगियों के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, ७५ चारपाईयों की व्यवस्था की जायेगी। इस समय वहाँ केवल १५ रोगी थे जिनमें से ५ आदिवासी और पिछड़े वर्गों के थे । इस समय यह संस्था सैनिक बारकों में है। इन बारकों की मरम्मत करने की आवश्यकता है। इस कुष्ट-आश्रम से संलग्न १० नियंत्रण केन्द्र है।

समाज शिक्षा संगठकों को प्रशिक्षण केन्द्र को सामूहिक योजना प्रशासन ने विकास अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र के साथ-साथ प्रारंभ कर दिया है। १९५५-५६ में इस केन्द्र के लिए १,०८,८०० रू० की रकम स्वीकृत की गई । प्रशिक्षण केन्द्र के अधिकारियों के विचार में ३ मास का प्रशिक्षण कोर्स अपर्याप्त है । इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि कोर्स को ५-६ मास का कर दिया जाय ताकि व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए अधिक समय दिया जा सके ।

१९५३ से बिहार सरकार ने आदिवासी शोध संस्था प्रारंभ की है । दुर्भाग्य से इस समय तक इस संस्था ने कोई विशेष प्रगति नहीं की है, क्योंकि मार्च, १९५६ में आकर उसके डायरेक्टर की नियुक्ति की जा सकी है । यदि सामूहिक योजना प्रशासन द्वारा संचालित समाज शिक्षा संगठक प्रशिक्षण केन्द्र को इस संस्था से संबंधित कर दिया जाय, तो इससे प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त व्यक्ति प्राप्त करने की कठिनाई हल हो जायेगी और सामूहिक योजना प्रशासन द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्र इस संस्था के पुस्तकालय, संग्रहालय और कार्यकर्त्ताओं से लाभ उठा सकेगा । इस प्रकार अनावश्यक दोहरा खर्च बचाया जा सकता है । राज्य सरकार को इस प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए ।

मैंने गोरीखाना, रांची की हरिजन उद्योगशाला भी देखी । कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया कि चार थानों में लोग किसी न किसी रूप में अस्पृश्यता अभी मानते हैं, परन्तु बाकी थानों में अस्पृश्यता सर्वथा समाप्त हो गई है क्योंकि हरिजनों के लिए सब मन्दिर और कुएं खुले हैं ।

इस हरिजन उद्योगशाला के साथ एक स्कूल भी है जिसमें हरिजनों, आदिवासियों और दूसरे सवर्णों के बच्चे शिक्षा पाते हैं। नगरपालिका के मलवाहक कर्मचारियों के लिए जो अधिकतर हरिजन हैं, एक सहकारी समिति प्रारम्भ की गई है । समिति सन्तोषजनक ढंग से नहीं चल रही है और उसके सदस्य साहूकारों के पंजों में फंस गये हैं । चमड़े का काम करने वाले हरिजनों ने शिकायत की कि उनकी दो वर्ष पुरानी शिकायत राज्य सरकार ने अब तक दूर नहीं की है और कच्चा माल प्राप्त करने में उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे बाटा और फ्लेक्स कम्पनियों के साथ प्रतियोगिता में नहीं ठहर सकते और ये कम्पनियां बाजार में से सारा कच्चा माल, चमड़ा और खालें खरीद लेती हैं । रांची नगरपालिका के मलवाहक कर्मचारियों ने भी शिकायत की कि उनका मासिक वेतन भत्ता मिला कर २७ रूपये से ३० रूपये कर दिया जाय । उनकी यह मांग भी सही थी कि उन्हें स्थायी कर दिया जाय और प्रसव के समय उनकी औरतों को सवेतन २ मास की छुट्टी दी जाय । मलवाहक कर्मचारियों के लिए न मकानों की व्यवस्था है और न दवा-दारू की । नगरपालिका के अध्यक्ष ने बताया कि इसका कारण रूपये की कमी है । उसने यह भी बताया कि हरिजनों के लिए १३ घर बनाये जा चुके हैं और भविष्य में और बनाये जायेंगे ।

पटना निगम के सफैयों और मलवाहक कर्मचारियों के आवास की स्थिति तो राँची से भी बदतर मैंने पायी। इस बस्ता की स्थिति और निगम ने जो एक कमरे वाले मकान बनाये हैं उन्हें देखकर मुझे बहुत दुःख हुआ। पटना निगम को चाहिए कि वह अपने मलवाहक कर्मचारियों और उनके लिए जो मकान बनाये हैं उनकी हालत में सुधार करे। मुझसे इस बात की शिकायत की गई कि नगरपालिका को भंगियों के मकानों के लिए अनुदान दिया गया, परन्तु उसने उनके मकान नहीं बनाये और कई बार उस रूपये को दूसरे कामों पर खर्च कर दिया गया। मेरा सुझाव है कि रहने के मकान यदि नगरपालिकायें नहीं बना पातीं तो सरकार ही उनका निर्माण करे और उन पर किये खर्च को नगरपालिकाओं से वसूल कर ले।

दामोदर घाटी निगम के मैथोन प्रदेश के आदिवासिओं के पुनर्वास के संबंध में मैंने सिंचाई विभाग के सचिव से चर्चा की। कुछ ऐसी भी शिकायतें पायी गई कि अनुसूचित आदिमजाति छात्रों को आय-प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कठिनाई होती है। कुछ ईसाई स्कूलों को अनुदान नहीं दिया गया और सिन्दरी खाद कारखाने के लिये प्राप्त की गई भूमि के लिए अनुसूचित आदिमजातियों को मुआविजा नहीं दिया गया। टाटा आइरन और स्टील कम्पनी से प्रार्थना की जाय की वह अपने कारखानों में और अधिक आदिवासियों को नौकर रखें।

मध्य प्रदेश और बम्बई राज्य—१२ से १६ जुलाई १९५६ तक

मध्य प्रदेश—इस राज्य का प्रवास मैंने उस शिविर के प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र देने के लिए किया जो गुरूदेव सेवा मंडल, गुरूकुंज, मोझरी, जिला अमरावती के राष्ट्र सन्त तुकड़ोजी महाराज ने विशेषरूप से अनुसूचित आदिमजाति छात्रों के लिए लगाया था। गुरूदेव सेवा मंडल का कार्य सारे भारत में फैला हुआ है—मध्य प्रदेश, गुजरात, बम्बई, खान्देश, हैदराबाद, मध्य भारत, बिहार आदि के विभिन्न ग्रामों में इसकी लगभग ४०,००० शाखाऐं काम करती हैं। इस संस्था की मुख्य प्रवृतियाँ हैं : सामूहिक प्रार्थना, ग्राम सफाई, ग्राम सुधार, अन्न भण्डार खोलना, ग्रामोद्योग शुरू करना, आयुर्वेदिक औषधालय, हाई स्कूल, प्राथमिक स्कूल, आदि खोलना। इस संस्था के कार्य को देख कर मध्य प्रदेश की सरकार ने ६ मास का एक शिविर खोलना स्वीकार किया, जहाँ आदिवासी छात्रों को ग्राम प्रचारकों का प्रशिक्षण दिया जाय। राज्य सरकार ने जो ५२,५९० रु० का अनुदान स्वीकृत किया उससे पाँच मकान, छात्रावास, प्रार्थना मन्दिर, स्कूल, रसोई और स्नानागार समेत बनाये जा चुके हैं। यहां प्रशिक्षणार्थियों को मिडिल तक की शिक्षा दी जाती है और उनके पाठ्यक्रम में ये चीजें भी हैं : शरीर श्रम, उद्योग शिक्षा, आयुर्वेदिक शिक्षा, संगीतवाद्य शिक्षा, चटाई और निवाड़ बुनना, दरी बनाना, बागवानी, इत्यादि। यह संस्था सारे भारत के छात्रों को इस प्रकार का प्रशिक्षण देने के लिए अनुकुल और साधन सम्पन्न मालूम होती है और आदिवासी युवकों को ग्राम सेवकों की शिक्षा देने के लिए इसे अखिल भारतीय संस्था के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। इन ग्रामसेवकों को बाद में सरकारी नौकरियों में समावेश कर लेना चाहिए। मेरा सुझाव है कि इस संस्था को प्रशिक्षण केन्द्र चलाने के लिए शुरू में ५,००० रुपये की रकम दी जाय।

अमरावती की कुष्ट-बस्ती भी मैंने देखी। इसमें कुछ अनुसूचित आदिमजाति और हरिजन कुष्ट रोगी इलाज करा रहे हैं। बस्ती का प्रबंध बहुत अच्छा है।

मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा अन्य संबन्धित मंत्रियों तथा राज्य अधिकारियों से मैंने अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण क लिए राज्य सेक्टर के अन्तर्गत शुरू की जाने वाली तथा केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा की। वनवासी सेवा मण्डल ने यह इच्छा व्यक्त की कि एक बहुधंधी ब्लाक में योजना को कार्यान्वित करन का भार उसे सौंपा जाय।

बम्बई राज्य—बड़ौदा जिला पिछड़े वर्ग सेवा मण्डल, बम्बई राज्य, के देहात में विशेषरूप से आदिवासियों और हरिजनों में कल्याण कार्य कर रहा है। बम्बई सरकार ने जो दो आश्रम स्कूल स्वीकृत किये हैं, उनके मकान रंगपुर और बघाच में बनकर तैयार हो गये हैं और वे मकान स्कूल संचालक के लिए इस संस्था को दे दिये गये हैं। सरकार से इन स्कूलों को अनुदान मिलेगा। इन स्कूलों से छोटा उदयपुर और नसवाडी की अनुसूचित आदिमजातियों की शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। ये राज्य में सब से पिछड़े हैं। इस संस्था के अधीन संखेडा में एक पिछड़ा वर्ग छात्रावास शुरू किया गया है। बम्बई सरकार को चाहिए कि वह इस छात्रावास को मान्यता दे और उपयुक्त अनुदान भी दे क्योंकि यह एक ऐसे इलाके में शुरू किया गया है जहां ऐसा छात्रावास शुरू करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। बड़ौदा में अन्य १० संस्थाओं का निरीक्षण किया गया जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों में कल्याण कार्य कर रही हैं।

इन संस्थाओं में बड़ौदा जिला ग्रामोद्योग सहकारी मंडल विशष उल्लेखनीय है। यह एक सहकारी समिति है, ६० इसके सदस्य हैं। चमार जाति के और जूता, चप्पल आदि बनाने के लिए इसके १० कार्यकर्त्ता हैं। यह समिति अपनी एक दुकान बड़ौदा शहर में बड़ी सफलता से चला रही है। यह हरिजनों को काम देती है और चमड़े के काम को बढ़ावा दे रही है। यहां तीन आवास सहकारी समितियां भी देखीं। ये पिछड़े वर्गों के लिए योग्यतापूर्वक संचालित की जा रही हैं। बड़ौदा नगरपालिका ने अपने हरिजन नौकरों के लिए फतेहपुरा में हाथीखाना के निकट २४ मकान बनाये हैं। प्रत्येक मकान की अनुमानित लागत २,००० रुपये है, और प्रत्येक भंगी से आठ आना मासिक किराया लिया जाता है। मकान बहुत अच्छे बनाये हैं और मलवाहक कर्मचारियों के मकानों को कैसा बनाना चाहिए इसका दूसरी नगरपालिकाओं के लिए यह बस्ती एक बहुत अच्छा नमूना है।

पश्चिमी बंगाल—२५ जुलाई से ४ अगस्त १९५६ तक

इस प्रवास में मैंने इस राज्य के चार जिले-बर्दवान, बाँकुरा, मिदनापुर और नदिया, देखे। बर्दवान का जिला अब औद्योगिक इलाका बन रहा है। इस जिले में कोयले की खानें काफी हैं और अनुसूचित आदिमजातियों के लोग खानों में मजदूरी करते हैं। अल्यूमीनियम और इस्तपात के उद्योगों का विकास हो रहा है। इससे आदिवासियों का जीवन बदल रहा है। बाँकुरा जिले में सदा अकाल पड़ा करते हैं। इसलिए इस जिले के आदिवासी और हरिजन बहुत गरीब और असहाय हैं। मिदनापुर जिले के झाँगरान नामक इलाके में अधिकांश सन्थाल रहते हैं। इस प्रवास में मैंने राज्य द्वारा विभिन्न शीर्षकों के अधीन जो आदिवासी कल्याण कार्य किया जा रहा है, उसे देखा—शिक्षा, जन स्वास्थ्य, कृषि और पशु-पालन, सहकारिता, गृहोद्योग, और सांस्कृतिक शोध संस्था। मैंने ३ प्राथमिक और ८ हाई स्कूल बर्दवान और बांकुरा जिले में, १ हाई स्कूल मिदनापुर जिले में, और ७ छात्रावास बांकुरा और मिदनापुर जिलों में देखे। जोरछीरा के जूनियर हाई स्कूल की छत फूंस की है और उसके लिए पक्का मकान बनाने को धन की आवश्यकता है। पीयरदोवा जूनियर स्कूल में काफी लड़कियाँ पढ़ रही हैं। यह देखकर मुझे आनन्द हुआ। इस स्कूल में छात्रों को शारीरिक शिक्षा दी जाती है। यहां आठ मील के घेरे में करीब २५ प्राइमरी स्कूल हैं। इनमें से सब छात्र इसी स्कूल में उच्च शिक्षा के लिए आते हैं। परन्तु इतनी जगह स्कूल में है नहीं। झारग्राम का सेवासदन हाई स्कूल एक रात्रि स्कूल भी चला रहा है। १९५६ में इस संस्था को ५ गाँवों में ५ रात्रिशाला व प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए राज्य सरकार ने अनुदान दिया। अमरकानन में "संथाल छात्र सदन" के नाम से जो छात्रावास है, वह दूसरे छात्रों के छात्रावासों से अलग है, यह ठीक नहीं है। ५ आदिवासी लड़कों को अलग कमरे देकर अलग रखा जाता है। मैंने राज्य सरकार से कहा कि इन पांचों आदिवासी छात्रों को दूसरे छात्रों के साथ ही रखा जाय। खतरा छात्रावास के आदिवासी छात्रों के बारे में यह शिकायत की गई कि वे न तो बर्तन साफ करते हैं और न अपने कपड़े ही धोते हैं। मैंने कहा कि यह सब काम उन्हें अपने हाथ से ही करना चाहिए। पीयरदौवा जूनियर हाई स्कूल के साथ एक छात्रावास भी है जो किराये के मकान में है। मिदनापुर जिले में झारग्राम कुमुद कुमारी संस्था उस तहसील का प्रमुख स्कूल है।' इसमें ५७३ छात्र पढ़ते हैं जिनमें से ३८ संथाल और मुंडा हैं, ४ हरिजन और ८८ महतो और दूसरी पिछड़ी जातियों के हैं। आदिवासी छात्रों के लिए अलग छात्रावास १९५४ में बनाया गया था। इसमें आदिवासी छात्र १६ हैं। मैंने राज्य सरकार से सिफारिश की कि आदिवासी छात्रों को इस प्रकार अलग रखना नहीं चाहिए और दूसरी जातियों के छात्रों को भी इस छात्रावास में रखना चाहिए ताकि आदिवासी छात्र सब के साथ घुल-मिल सकें।

यद्यपि छात्रावासों के निर्माण के लिए काफी रकम दी गई है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजाति छात्र इनमें रहने के लिए कम संख्या में ही आते हैं। इसका कारण यह है कि छात्रावास में रहने की जो छात्रवृति दी जाती है वह इतनी अपर्याप्त है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजाति छात्र इन छात्रावासों की ओर खिंचते ही नहीं। इसलिए मेरा सुझाव है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत छात्रावासों के मकान बनाने के लिए जो धन राशि रखी गई है उसे आधा कर दिया जाय और छात्रावासों के मकान साधारण बनाये जायें। इस प्रकार जो बचत होगी उसका उपयोग आदिवासी और हरिजन छात्रों को छात्रवासों में रहने के लिए अधिक छात्रवृत्तियां देने में किया जाय क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे उन्हें शिक्षा प्राप्त करने को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

इसी अवसर पर मैंने बाँकुरा जिले की कुष्ट रोगियों की दो बस्तियाँ देखीं। "बांकुरा कुष्ट सदन" को एक मिशन चलाता है। इसमें २३६ कुष्ट रोगी थे जिनमें से १०० रोगी आदिवासी और हरिजन थे। दूसरी बस्ती जिसे मैंने देखा वह थी गौरीपुर की कुष्ट रोगी बस्ती, जिसे राज्य सरकार चला रही है। इसका वार्षिक बजट-व्यय ३,५०,००० रुपये है। हस्पताल में ४१२ रोगी थे जिनमें से २३ सन्थाल थे। रोगियों की इतनी अधिक संख्या होने पर भी अस्पताल में केवल २ डाक्टर थे। कम से कम दो और डाक्टर और २अधिक नर्सें होनी ही चाहिऍं, तभी यह कुष्ट रोगी बस्ती अच्छी तरह चल सकती है।

बांकुरा और मिदनापुर जिले में आदिवासी कल्याण विभाग ने पांच कुंए बनाये हैं, उन्हें मैंने देखा। मैंने देखा कि हरिजन सेवक संघ ने बनाये हैं, वे सस्ते हैं और वनकर जल्दी तैयार हो गये हैं, बनिस्पत उनके, जो सरकारी निरीक्षण में ठेकेदारों ने बनाये हैं। कृषि और पशुपालन योजना के अधीन संचालित निम्नलिखित चार केन्द्रों को भी देखा :

१—विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र, बर्दवान,

२—बीज उत्पादन प्रक्षेत्र, बर्दवान,

३—चौकन कल्याण केन्द्र, चौकन, बांकुरा

४—पशु व मुर्गी प्रदर्शन, पीयरदोवा, जिला बांकुरा।

बर्दवान के बीज उत्पादन, प्रदर्शन, क्षेत्र का नक्शा बड़ा सुन्दर है। बांकुरा जिले की बिशनुपुर तहसील में चौकन कल्याण केन्द्र के पास सब्जी पैदा करने को एक छोटा प्रदर्शन प्रक्षेत्र है। ग्रामीण लोगों ने सब्जी का उत्पादन आरंभ कर दिया है और क्योंकि पास में ही सब्जी के लिए अच्छा बाजार है इसलिए उनकी आय काफी बढ़ गई है। मुर्गियाँ भी यहां पाली जाती हैं। लगभग १,०२० मुर्गियां बाँटी गईं। इस योजना से लगभग २,३०० परिवारों को लाभ पहुंचा है। आदिवासियों में हरियाना नस्ल के ३० सांड और ३० मन ज्वार बीज के लिए बांटी गई है।

गृहोद्योग स्कीम के अधीन, बांकुरा जिले के खतरा नामक स्थान पर बीज-लाख का प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र चलाया जा रहा है। खतरा की जन-संख्या में २०,००० आदिवासी और ४०,००० हरिजन हैं। केन्द्र में, सलाई लाख से बीज-लाख बनाने, लाख की विभिन्न किस्में तैयार करने, विभिन्न प्रकार के रोगन तैयार करने में लाख का उपयोग, मोहर वाला लाख बनाने, बर्तनों पर रोगन करने, "कीरी" और "पेरा" से लाख तैयार करने, बोबिन किस्म की मीनाकारी और काला अंग्रेजी चमड़े का रोगन तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों को १०) मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है जो अपर्याप्त रहती है। इसे बढ़ाकर १५) मासिक कर देना चाहिए। चूंकि यहां कुसुम और पलाश के काफी पेड़ हैं इसलिए लाख-उद्योग के विकास के लिए काफी अवसर है। इस उद्योग के विकास से आदिवासियों को काफी सहायता मिलेगी। व्यापारी लोग आदिवासिओं का शोषण करते हैं और लाख बहुत सस्ता प्राप्त कर लेते हैं। सरकार को चाहिए कि वह आदिवासियों से सारा लाख खरीदने की व्यवस्था करे। मेरा सुझाव है कि इस केन्द्र का विस्तार करके स्वास्थ्य कर स्थान पर मकानों का निर्माण किया जाय और छात्रों को वहां छात्रावास में रहने को तैयार किया जाय। जब उनका प्रशिक्षण समाप्त हो जाय, छात्रों को सहकारी समिति बनाने की अनुमति दी जाय ताकि वे इस केन्द्र के अधिकारियों के टेक्निकल मार्ग दर्शन में विभिन्न प्रकार का लाख तैयार कर सकें। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक विशिष्ट स्कीम शामिल करनी चाहिए और दूसरी मदों में से धन निकाल कर इस स्कीम को चलाना चाहिए।

विशनुपुर का औद्योगिक स्कूल भी देखा। यहाँ आदिवासियों को बढ़ईगीरी और बुनाई की शिक्षा दी जाती है। इस स्कूल को मान्यता देनी चाहिए और बुनाई, लुहारगीरी और सिलाई का शिक्षण काल १ वर्ष और बढ़ईगीरी का २ वर्ष कर देना चाहिए। इस केन्द्र और छात्रावास के लिए नया मकान बनाना बहुत आवश्यक है।

बर्दवान जिले के दोमोहनी तथा झन्टी पहाड़ी नामक स्थानों पर सहकारी अन्न भण्डार देखे। दोमोहनी का अन्न भण्डार वहां के कुल निवासी ७,००० आदिवासियों में से केवल २५१ को ही सदस्य बना पाया है। झन्टी पहाड़ी का अन्न भण्डार बड़ा लोकप्रिय है और उसके सदस्यों की संख्या ४,४८६ है। सूद की दर २५ प्रतिशत, दूसरे वर्ष १२½ प्रतिशत और उसके बाद ६¼ प्रतिशत होनी चाहिए। इस अन्न भण्डार की एक बहुधंधी समिति है। इसलिए इसे कोयला, मिट्टी का तेल, चीनी आदि दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की सप्लाई का काम भी शुरू करना चाहिए। जंगल सहकारी समिति भी बनाई जा सकती है, जो दूसरे राज्यों के समान, इमारती लकड़ी, ईंधन, कोयला तथा अन्य छोटी जंगली वस्तुओं के उत्पादन का काम अपने हाथ में ले ले।

अस्पृश्यता निवारण की समस्याओं की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए, मैंने गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित कुछ केन्द्र देखे। पश्चिमी बंगाल में अस्पृश्यता निवारण की समस्या उतनी पेचीदा नहीं हैं जितनी दूसरे राज्यों में। सहभोजों में यहां सैकड़ों सवर्ण हिन्दु हरिजनों के साथ बैठकर भोजन करते हैं। तो भी, बावरी, डोम और मोची जो मुर्दार पशुओं की खाल उतारते हैं, अछूत माने जाते हैं। औरों की क्या बात, अनुसूचित जातियां भी उन्हें अस्पृश्य मानती हैं।

इस राज्य की नगरपालिकाओं के नौकरों की स्थिति, जो अधिकाँश अनुसूचित जाति के हैं, दूसरी जगह से बेहतर नहीं है। खास कलकत्ता में ही मैंने गरचा बस्ती की बारकें देखीं और पाया कि कारपोरेशन ने इस बस्ती के अपने नौकरों को मानवी सुविधाएं देने के लिए कुछ नहीं किया है। बस्ती में कुल ६०० व्यक्ति रहते हैं। सब मकान टूटे-फूटे हैं, न बिजली और न पीने के पानी की व्यवस्था। कलकत्ता कारपोरेशन, जो काफी धन खर्च कर सकती है, को चाहिए कि वह अपने हरिजन नौकरों के लिए अच्छे मकान बनाने के काम को प्राथमिकता दे जो इतने बड़े शहर को साफ और स्वच्छ रखते हैं।

इस राज्य में हरिजनों को उतनी सुविधायें और रियायतें नहीं दी जातीं जितनी आदिमजातियों को दी जाती हैं। यह बात शायद इसलिए भी हो कि उनकी जनसंख्या ४७ लाख बहुत बड़ी है परन्तु राज्य सरकार को चाहिए कि हरिजनों को फीस माफ करने, छात्रावासों में रहने की वृत्ति और पुस्तक खरीदने आदि जैसी अधिक सुविधाएँ दे। कम से कम निम्नलिखित अनुसूचित जातियों को, जो अत्यन्त गरीब हैं, ये रियायतें देने में तरजीह दी जानी चाहिए :—

बागड़ी, बावरी, बेड़िया, भईमाली, चमार, डोम, दुसाध, पहाड़ी, काओरा, मेहतर, मोची और मुसहर:

इन अनुसूचित १२ जातियों की इस राज्य में कुल संख्या २०.५० लाख है और चूंकि ये जातियां बहुत गरीब और अपढ़ है, इसलिए मेरी सिफारिश है कि इन जातियों के प्रत्येक छात्र को माध्यमिक स्तर पर फीस के लिए ५० रुपये वार्षिक और भोजन के लिए १५०) वार्षिक दिये जायें। कुल खर्च करीब ५ लाख रुपये होगा। अस्पृश्यता-निवारण का कार्य अधिकतर गैर-सरकारी संस्थाएं करती हैं। वे केन्द्र चलाती हैं जिनमें से कुछ मैंने देखे। ऐसी संस्थाओं में हरिजन सेवक संघ का कार्य सर्वोत्तम, एवं सन्तोषजनक है और मितव्ययता के साथ किया जाता है।

हरिजन सेवक संघ चन्द्रा में एक छात्रावास चलाने के लिए चन्द्रा कल्याण संघ को ४,०००) वार्षिक अनुदान के तौर पर देता है, छात्रों को कताई और बुनाई सिखाई जाती है। पांच प्रचारक रखे गये हैं जो गाँवों में घूमकर अस्पृश्यता-निवारण के लिए प्रचार कार्य करते हैं। खेद की बात है कि इन कार्यकर्ताओं का भत्ता ६०) मासिक से घटा कर ४०) मासिक कर दिया है। छात्रावास भी एक जर्जरित मकान में है। इस छात्रावास को बड़ा सस्ता चलाया जा रहा है, मकान मरम्मत के लिए विशेष सहायता देनी चाहिए। बर्दवान जिले में रसूलपुर की अनाज समिति भी अस्पृश्यता–निवारण का बहुत अच्छा काम कर रही है। अमरकानन रामकृष्ण सेवा दल एक और संस्था है जो कृषि और उद्योग प्रशिक्षण के लिए शिक्षण संस्थाऐं पुस्तकालय, और खैराती औषधालय स्थापित करके बहुत अच्छी सेवा कर रही है। हरिजन सेवक संघ भी औलीगेरिया में विमुक्त जातियों की एक बस्ती बड़ी सफलतापूर्वक चला रहा है। अब तक २६ परिवारों को पुनः बसाया जा चुका है। बस्ती के सब निवासी बड़े सन्तुष्ट, सुखी दिखाई देते थे और आवश्यक सब वस्तुओं की बस्ती मे ही व्यवस्था है। झारग्राम तहसील, मिदनापुर जिले में भी खेड़ियाओं की एक ऐसी ही बस्ती शुरु की गई है। २६ परिवारों के पुनर्वास के लिए हरिजन सेवक संघ को राज्य सरकार ने २६,०००) अनुदान के रूप में दिये हैं। चूंकि यहां आवारा लोगों को सभ्य जीवन बिताना सिखाया जा रहा है, इसलिए इस बस्ती को २,०००) प्रति परिवार के हिसाब से और देने चाहिएं।

केन्द्रीय सरकार ने जो केन्द्र द्वारा संचालित कार्यक्रम मंजूर किया है उसके अधीन ऐसे लोगों को बसाने की स्कीम को प्राथमिकता देनी चाहिए। चूंकि पश्चिमी बंगाल में अनुसूचित इलाका नहीं है, इस स्कीम के अधीन कोई बहुधंधी योजना शुरु नहीं की जा सकी, यद्यपि इस राज्य में ११ लाख आदिवासी हैं। परन्तु हरिजन सेवक संघ जैसी उपनिवेशन स्कीमों का प्रयोग कर रहा है, वैसी स्कीमों के लिए धन लिया जा सकता है। मैंने रचनात्मक काम करने वाली दूसरी संस्थाओं को भी देखा जिन्हें राज्य सरकार अनुदान दे रही है। बलरामपुर के कई तालीमी संघ का काम सन्तोषप्रद नहीं था। जिला मिदनापुर के कालाझारिया में हिन्दू मिशन होम आदिवासी तथा पिछड़े वर्ग के लड़के-लड़कियों को कुछ उद्योगों का प्रशिक्षण दे रहा है। कालाजारिया आश्रम लड़कों के लिए है और झारग्राम आश्रम लड़कियों के लिए। इस संस्था को स्कूल का भवन बनाने के लिए ४,०००) की सहायता दी गई। परन्तु हाल के

तूफान ने इस मकान को काफी नुकसान पहुंचाया है। इस मकान की मरम्मत के लिए दूसरी बार सहायता प्रदान करनी चाहिए। कृष्णनगर में 'हरिजन समिति' नामक एक भंगी-बस्ती है। मकान गन्दे और मैले हैं और उनकी छतें ऐसी हैं कि वर्षा की बूंद-बूंद घर के अन्दर आ सकती है। पीने के पानी की व्यवस्था भी उचित नहीं है। नगरपालिका को इधर ध्यान देना चाहिए और हरिजनों के लिए और अच्छे मकान बनाकर उनके जीवनमान में सुधार करना चाहिए।

कृष्णनगर के चमारपाड़ा का निरीक्षण हरिजन सेवक संघ के कार्यकर्ता कर रहे हैं। इस बस्ती में ११० चमार रहते हैं। मेरा सुझाव है कि इनकी सहकारी समिति बना दी जाय और उन्हें सीने की मशीन जैसे औजार दिये जाँय ताकि वे अधिक कमा सकें इस बस्ती के स्कूल का मकान कुछ छोटा है। इस मकान को बड़ा बनाने के लिए सहायता देनी चाहिए। इस काम के लिए हरिजन सेवक संघ को जो सहायता दी जा रही है, वह बहुत ही थोड़ी है।

कलकत्ता के हरिजनों में रामकृष्ण मिशन बहुत अच्छा सेवा कार्य कर रहा है। यह कल्याण केन्द्र, बुनियादी स्कूल, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र और प्रशिक्षण-उत्पादन केन्द्र चला रहा है। बेंत और बांस का काम करने वालो की वह एक सहकारी समिति भी चला रहा है। इस संस्था को राज्य सरकार ने ३०,३५०) की सहायता प्रदान की और ६२,०००) चन्दे के रूप में जमा किये गये। मेरी सिफारिश है कि इस संस्था को काफ़ी बड़ी रकम दी जाय ताकि वह अपनी विभिन्न प्रवृत्तियों को बढ़ा सके।

कलकत्ता की सांस्कृतिक शोध संस्था का आरम्भ शुभ हुआ है और वह आदिवासी लोगों की विशिष्ट समस्याओं की शोध का काम शुरु करके अच्छा काम कर रही है। आदिवासी भाषाओं मे पाठ्य पुस्तके तैयार करने के बारे में उपयुक्त कार्यक्रम बनाने और नीति निर्धारण करने के लिए इस राज्य में कमेटी बनाई गई है। आदिवासी जीवन पर डाक्यूमेंटरी फिल्म तैयार करने के लिए भी एक संयुक्त मंडल स्थापित कर दिया गया है।

बर्दवान, बांकुरा, झारग्राम (मिदनापुर) और कृष्णनगर में मैंने जिला अधिकारियों से बातचीत की जिसमें स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय करने की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछड़े वर्गों सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं की प्रगति के बारे में झारग्राम के एस० डी० ओ० ने एक बहुत अच्छी पुस्तिका तैयार की थी। मेरा सुझाव है कि विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित की हुई विभिन्न स्कीमों की ६ माही प्रगति के संबन्ध में ऐसी पुस्तिकाएँ तैयार की जायें ताकि कितना काम हुआ है और कितना शेष है, इसका स्पष्ट चित्र सामने आ सके।

गौरीपुर की कुष्ट रोगी बस्ती में और अधिक डाक्टर और परिचारिकाओं की व्यवस्था करने, खतरा के प्रशिक्षण-उत्पादन केन्द्र (बीज लाख) और कलकत्ता कारपोरेशन के भंगियों की बस्ती में सुधार के संबंध में मैंने मुख्य मंत्री से भी चर्चा की।

पश्चिमी बंगाल की सरकार ने जो नया भूमि कानून पास किया है उससे आदिवासियों तथा हरिजन किसानों या खेतिहर मजदूरों को सन्तोष नहीं हुआ है। किसी न किसी बहाने से उन्हें बेदखल किया जा रहा है और चूँकि नया बन्दोबस्त कार्य जिलों में चल रहा है, जोतदार यह प्रयत्न कर रहे हैं कि हरिजनों और आदिवासियों के नाम कागजों में न चढ़ें, यद्यपि यह लोग बहुत दिनों से इन जमीनों को जोतते आ रहे हैं। चूंकि आदिमजातियों और हरिजनों के पास कोई लिखित सबूत नहीं होता, इसलिए उन्हें बेदखल कर दिया जाता है और नये बन्दोबस्त में उनके नाम काग़ज़ात में नहीं चढ़ाये जाते। राज्य सरकार को इस प्रश्न की बड़ी सावधानी से जांच करनी चाहिए ताकि गरीब खेतिहर मज़दूरों को कष्ट झेलना न पड़े।

आदिवासी कल्याण विभाग के सचिव और राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय निम्नलिखित अन्य बातों पर मैंने चर्चा की :—

(१) यह मान लिया गया कि प्रति छात्र छात्रावास-व्यय १०) मासिक से बढ़ा कर १५) मासिक कर दिया जाय। इस प्रकार जो खर्च बढ़ेगा उसे राज्य-योजना में छात्रावास-मकान निर्माण पर किये जाने वाले व्यय को ५०) प्रतिशत कम करके पूरा किया जाना चाहिए।

(२) यह निश्चय किया गया कि जो हरिजनो छात्र गरीब हों उनके लिए माध्यमिक स्कूलों में फीस माफ करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। केन्द्रीय सहायता से इस स्कीम पर खर्च को पूरा किया जा सकता है।

(३) ओलीगेरिया में लोगों के पुनर्वास के बारे में, यह अनुभव किया गया कि प्रति परिवार १,०००) की सहायता से इन लोगों को उचित रूप से बसाना संभव नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रति परिवार १,०००) और हरिजन सेवक संघ को दिये जायें और यह रकम केन्द्र द्वारा संचालित कार्यक्रम के अधीन जो १,००,०००) की व्यवस्था की गई है, उसमें से ली जाय।

(४) इसी प्रकार, खेड़िया लोगों के पुनर्वास की स्कीम के अधीन वर्तमान स्वीकृत स्केल अपर्याप्त हैं और इसलिए प्रति परिवार बाढ़ा कर २,०००) कर देना चाहिए तथा राज्य योजना के अधीन व्यवस्था को तदनुसार ठीक किया जाना चाहिए।

(५) केन्द्र द्वारा संचालित योजना में १ लाख रुपये के प्रोविजन में से गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता देने के लिए फंड अलग रखना चाहिए ताकि गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा किया गया कार्य तथा शासन द्वारा संपन्न कार्य की तुलना की जा सके।

(६) राज्य सरकार को चाहिए कि बांकुरा जिले के खतरा में लाख बनाने तथा मार्केटिंग व्यवस्था करने की एक योजना बनाये। इस योजना के लिए केन्द्र से ही प्रावीजन दिया जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश (इलाहाबाद), पश्चिमी बंगाल (कलकत्ता), त्रिपुरा और मणीपुर राज्य

उत्तर प्रदेश (इलाहाबाद):—ईश्वर शरण आश्रम इलाहाबाद के स्थापना दिवस के समारोह में मैंने तारीख २५ और २६ अगस्त १९५६ को भाग लिया। आश्रम द्वारा संचालित विविध प्रवृतियों का देखने का मुझे अच्छा अवसर मिला। आश्रम द्वारा एक प्राईमरी स्कूल चलाया जाता है जिसमें २१९ छात्र हैं तथा एक इंटरमिजिएट कालेज है जिसमें ४६६ छात्र अध्ययन कर रहे हैं। यह आश्रम इसके अतिरिक्त एक जूनियर हाई स्कूल, प्रयाग में एक नागरिक सिविल इंजिनियरिंग स्कूल, एक औद्योगिक विभाग, कालेज छात्रावास, तथा सिविल इंजिनियरिंग छात्रावास, ईश्वर शरण विश्वविद्यालय छात्रावास, एक लड़कियों का छात्रावास और ४ छात्रावास इंजिनियरिंग छात्राओं के लिए चला रहा है। बोर्डिंग में रहने वाली ४८ लड़कियों में से ४० लड़कियां हरिजन हैं। विश्वविद्यालय छात्रावास में १४५ लड़के पढ़ रहे हैं, जिनमें से १२० हरिजन हैं। हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों को स्वावलम्बन की शिक्षा देने के लिये हस्त-उद्योग की पढ़ाई शुरू की गई है। आश्रम का अपना एक प्रेस भी है जिसमें अस्पृश्यता निवारण के विज्ञापन पत्र छापे जाते हैं। आश्रम के द्वारा एक चमड़े का कारखाना चलाया जाता है जहां जूते, सूटकेस तथा अन्य चमड़े का सामान बनाया जाता है। आश्रम अच्छे साधनों से संपन्न एक अस्पताल चला रहा है जिसमें उच्च शिक्षण प्राप्त कर्मचारी हैं। आश्रम के पास ५० एकड़ कृषि योग्य भूमि है और उसमें कृषि की जाती है। पास के ग्राम में रहने वाले लोगों में आश्रम के प्रचारक अपना संपर्क स्थापित कर हरिजनों की तथा पिछड़े वर्ग के लोगों की सर्वांगीण उन्नति के लिये उपयुक्त वातावरण निर्माण करते हैं।

मैं अनुसूचित जाति के कुछ छात्रों से मिला जिनमें से बहुत से स्नातक भी थे। वे सूअर पालना, तेल घानी इत्यादि कुछ स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहते थे। मुझे बताया गया कि सहकारी समितियां प्रारम्भ करने के मार्ग में आने वाली अनेकों अड़चनों में से एक अड़चन यह भी थी कि उद्योग संचालक से प्रमाणपत्र मिलने के अभाव में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से अनुदान प्राप्त करना कठिन होता है। राज्य सरकार कुछ ऐसा उपाय उत्पन्न करे कि जिसमें इन उपर्युक्त कार्य करने वाली सहकारी समितियों को समय पर खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से अनुदान मिलने के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त हो सके। मैंने इलाहाबाद के राजापुर हरिजन छात्रावास को देखा। वहां पर ३२ छात्र आई० ए०, बी० ए०, एम० ए० आदि कक्षाओं में पढ़ते थे। उन्हें सरकारी छात्रवृतियां मिलती हैं। मैंने देखा कि छात्रावास को प्रतिवर्ष पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए १,०००) का अनुदान मिलता है। यह एक अच्छा उदाहरण है जिसका अन्य राज्य सरकारों द्वारा अनुसरण किया जाना चाहिए।

इलाहाबाद से ३० मील की दूरी पर शंकरगढ़ स्टेशन के पास पत्थर निकालने वाले खदानों में मैं ३ साल के बाद गया। लगभग ५००० मजदूरों यहाँ किसानी मौसम के अतिरिक्त काल में कार्य करते हैं और स्थाई मजदूर की संख्या ५०० से कम नहीं होगी। खदान का ठेका प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसलिए ठेकेदार, मजदूरों के लिए मकान की तथा पीने के पानी की सुविधा नहीं कर सकते। मेरा सुझाव है कि यह ठेके कम से कम १० वर्षों के लिए इस शर्त पर दिये जाये कि ठेकेदार कम से कम मजदूरों के लिए मकान की सुविधा, पीने के पानी की व्यवस्था और धूप में काम करते समय मजदूरों के लिए शेड निर्माण की व्यवस्था करेंगे। पीने के पानी के तालाब से जहाँ रेलवे लाईन है पाइप लाईन बढ़ा सकते हैं और मजदूरों के निवास स्थान तक ले जाकर उन्हें पीने का पानी मिल सकता है। काम कठिन होने के कारण वैद्यकीय सहायता की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। रेलवे अधिकारियों को चाहिए कि काम के आधार पर निम्नतम

वेतनमान निर्धारित करने की शर्त प्रधानतः ठेकेदारों के लिए रखी जाए। इन मजदूरों में अनुसूचित जाति या विन्ध्य प्रदेश की अनुसूचित आदिमजाति के कोला लोग हैं।

पश्चिमी बंगाल (कलकत्ता)—त्रिपुरा और मणिपुर जाते समय नृतत्वशास्त्र विभाग के कलकत्ता केन्द्र को देखने मैं अचानक गया। इस विभाग में काम की दृष्टि से व्यवस्था सांख्यकीय, सामाजिक नृतत्वशास्त्र इत्यादि विभाग किये गए हैं और गत दो वर्षों से इस विभाग द्वारा ३ विवरण पत्र छपाये गये, जिसमें विभाग द्वारा किए गये कई अनुसंधान कार्यों के विषय में लेख निकाले गये। एक भारत का आदिवासी सम्पन्धी नकशा भी १९३१ तथा १९४१ की जनगणना के आँकड़ों के आधार पर छपाया गया। अच्छा होता कि यदि राष्ट्रपति के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आदेशों के लिए जिनमें इन जातियों की नामावली प्रकाशित की गई, अपना प्रकाशन, कुछ दिन रोक दिया गया होता। नृतत्वशास्त्र विभाग ने नागपुर तथा अन्डमान द्वीप में केन्द्र स्थापित किए हैं। यह आवश्यक है कि इस विभाग के कार्य जो कि दिल्ली से दूर तक फैले हुए हैं राज्य सरकारों द्वारा संचालित सांस्कृतिक संस्थाओं की प्रवृतियों से समन्वय कर दिए गये कार्यों को मार्गदर्शन दिया जाय। यह मेरे दिल्ली के कार्यालय की एजेन्सी द्वारा अच्छी तरह हो सकता है। अनुसूचित जातियों के नाम बढ़ाने या उनको कम करने के लिए भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों को हमारा मार्ग दर्शन चाहिये। यह दुर्भाग्य की बात है कि अनुसूचित जातियों की सूची में सुधार करने को प्रेसीडैन्ट के आदेश के सम्बन्ध में पालियामेन्ट में विधेयक रखा जा चुका है, किन्तु राज्य सरकारों को अथवा केन्द्रीय सरकार को इस विधेयक के विषय में कोई भी सुझाव इस विभाग द्वाराम पेश नहीं किया गया।

त्रिपुरा—१९५१ की जनगणना के आधार पर त्रिपुरा राज्य की जनसंख्या ६,४५,७०७ है और राज्य का क्षेत्रफल ४,११६ वर्ग मील है। नीचे दी गई तालिका में राज्य सरकार से १९४१ और १९५१ में और १९५६ में अंकित की गई कुल आबादी, और अनुसूचित आदिमजातियों की जन-संख्या नीचे दी गई है—

वर्ष	कुल जनसंख्या	अनुसूचित आदिमजातियों की जनसंख्या
१९४१	५,१३,०१०	२,५७,९७१
१९५१	६,४३,७०७	२,३७,९५३
१९५६ (अनुमानित)	८,५०,०००	२,४७,०००

इससे पता चलता है कि १९५१ में १९४१ की तुलना में अनुसूचित आदिमजातियों की जनसंख्या घट गई है। १९५६ की अनुमानित जनसंख्या के आंकड़े १९४१ की जनगणना के आँकड़ों से भी कम हैं। मेरे प्रवास में अनेकों जाति के प्रतिनिधियों से मेरी बात-चीत हुई जिसमें उन्होंने इस अस्वाभाविक बात पर विरोध प्रदर्शित किया। मुझे बताया गया कि १९५१ की जनगणना के समय इस राज्य के अन्दर अव्यवस्थित परिस्थिति के कारण जनगणना अधिकारी उन क्षेत्रों में जा नहीं सके, जिससे जनगणना में अनुसूचित जातियों की संख्या कम हो गई। १९४८ में पूर्वी पाकिस्तान से जो शरणार्थियों का प्रवाह चालू हुआ था, वह अभी भी जारी है और कुछ ही दिनों पहले २ लाख से अधिक शरणार्थियों को राज्य के विभिन्न भागों में बसाया गया।

इस क्षेत्र के आदिमजाति के लोग कृषि के लिए झुमिंग-प्रणाली अपनाते हैं। राज्य सरकार को इन झूमिया तथा भूमिहीन आदिमजातियों को अच्छा कृषि योग्य भूमि देकर बसाना चाहिये। निम्नलिखित आँकड़ों से पुर्ननिवास की योजना के प्रति आदिवासियों का अविश्वास हो गया है :—

(१) शरणार्थियों को स्थानीय आदिवासियों से अधिक धन तथा पुर्ननिवास की अन्य उपयुक्त सुविधाएं दी गईं।

(२) १९५३ में त्रिपुरा के स्वर्गीय महाराजा ने १९५० वर्ग मील भूमि अपने अन्यान्य उप-विभागों में ५ प्रकार के झूमिया लोगों को सघन खंड में बसाने के उद्देश्य से तथा उनका जीवन स्तर उंचा करने के लिए अलग रखी थी। किन्तु १९५५ में राज्यपालिका माता महारानी महादेवी ने इस सुरक्षित भाग में से ३०० वर्ग मील भूमि, लगान की पूर्ति के लिये तथा पुर्ननिवास की समस्या सुलझाने के लिये छोड़ देने की आज्ञा दी। आदिवासी सोचते हैं कि अलग रक्खी हुई भूमि का यही खंड अत्युत्तम था और इसे छोड़ देने से उनके पुर्ननिवास में बाधा आ गई।

(३) मेरे देखने में कतिपय ऐसे उदाहरण आये हैं जिससे प्रतीत होता है कि शायद आदिवासियों से इन शरणार्थियों ने जमीन खरीद ली है।

(४) अनुसूचित आदिमजातियों तथा शरणार्थियों की जनसंख्या के सही आंकड़ों के अभाव में तथा कृषि योग्य जमीन का क्षेत्रफल जो कि उपलब्ध नहीं है, जंगल विभाग में अलग रखा गया क्षेत्र, जिस भूमि में आदिवासियों का पुनर्निवास अभी तक किया गया है और अभी तक जिस क्षेत्र का निरीक्षण हो चुका है, इत्यादि की जानकारी के अभाव में राज्य की भूमि की समस्या का योग्य अध्ययन अधूरा रह जाता है। भारत के सर्वे नक्शे के आधार पर जंगल विभाग द्वारा कंटूर बन्धों का अध्ययन करके धान योग्य भूमि की उपादेयता आंकी गयी और इससे निष्कर्ष निकाला गया कि सम्पूर्ण राज्य में १,१०० एकड़ धान की जमीन मिलने योग्य है जिसमें ७०० वर्ग मील जमीन रिवैन्यु विभाग को बसाहत के लिये दी गई और २०० वर्ग मील जमीन पर अनधिकार कब्जा किया गया। यह सब पैदल घूम-घूम कर सर्वे करने से पता चलेगा और अनधिकार कब्जा करने की खोज लग सकेगी। इस प्रकार २०० वर्ग मील धान की जमीन प्राप्त है और यह सम्पूर्ण राज्य के लिए है। बड़े-बड़े साधन क्षेत्र जो कि बसाहत के रूप में उपयोग में आ सकें, स्टेट के इस भाग में हैं, जहां आवागमन कठिनाई से होता है। वे भाग तो आज उत्पादन के लिये उपयुक्त हो नहीं सकेंगे। आदिवासी विभाग में कृषि उत्पादनमान कम हो जाने से और धान की खेती की जमीन की कमी के कारण मुझे लगता है कि यहां शरणार्थियों को बसाने के लिए पर्याप्त स्थान है। मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय शरणार्थियों को बसाने के पूर्व तुरन्त अमल में लाये जायें :—

(१) सन् १९४८ से इस राज्य में बसे हुए शरणार्थियों की और अनुसूचित आदिमजातियों की आबादी समझने के लिए एक नयी गणना होनी चाहिए।

(२) शरणार्थी और झूमिया लोगों के बसाहत के लिये निरीक्षण होना चाहिये कि कितनी जमीन कृषि योग्य है और इसके बाद झूमिया लोगों के पुनर्निवास को अग्रिम स्थान देना चाहिए। आदिवासी लोगों के हित का संरक्षण करने के लिये राज्य सरकार द्वारा बनाया गया १९५५ का त्रिपुरा भूमि सुधार विधेयक इन लोगों के संरक्षण में पर्याप्त रहेगा।

राज्य सैक्टर में संशोधित योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों के लिये ६० लाख रुपये की रकम रखी गई है और राज्य सरकार ने इस हेतु पूर्ति के लिये (अनुदान के रूप में) १२ लाख रुपये की मांग की है। परन्तु मैं सिफारिश करता हूं कि ५०० रु० प्रति परिवार के हिसाब से १२०० झूमिया प्रणाली से काम करने वाले परिवारों को बसाने के लिये ६० लाख रुपया राज्य सरकार को देना चाहिये। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिये कर्मचारियों की कमी है। भारत के शेष भागों से यह प्रदेश अलिप्त रहने का प्रमुख कारण यही है कि यहां यातायात के साधनों का अभाव है। मेरा सुझाव है कि अगरतला करीमगंज रोड जो अच्छी ऋतु में कामयाब होती है, राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया जाय। भारत सरकार को भी कलकत्ता से चान्दपुर को जहाज में धान भेजने की सम्भावना के विषय में मार्ग खोजने चाहियें। इस उपाय से अनाज के भावों मे कमी हो सकेगी। यह आवश्यक है कि आदिमजातियों की भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखना शुरू किया जाय और उसी समय राज्य में हिन्दी को प्रोत्साहित किया जाय। यह आवश्यक है कि आदिवासी क्षेत्र में नियुक्त किये गये शिक्षकों को आदिवासी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए।

मैंने अगरतला में गैर-सरकारी तौर पर चलाये जाने वाला एक छात्रावास देखा। यहां १५ छात्र रहते हैं। इस बोर्डिंग को सरकार से आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। इसी तरह आदिवासी छात्रों के लिये एक और भी छात्रावास की आवश्यकता अनुभव होती है। अतः मेरा सुझाव है, कि एक पक्का भवन निर्माण किया जाय जिसमें अगरतला के स्कूल में तथा कालेज में पढ़ने वाले ५० छात्रों के निवास की व्यवस्था हो। त्रिपुरा में हजारों परिवारों द्वारा एक सहायक उद्योग के तौर पर हाथकरघा उद्योग अपनाया गया है। बहुत से लोगों के पास पुराने किस्म का हाथकरघा होने से छोटा सा टुकड़ा भी बुनने के लिये काफी समय लगता है। अतः यह वांछनीय है कि जहां सम्भव हो, वहां पुराने हाथ करघों के स्थान पर नये फ्लाई शटल करघे बदल दिये जांय। राज्य सरकार को चाहिये कि आदिवासी लोगों को नयी पद्धति से परिचित कराने के लिये प्रदर्शन केन्द्र स्थापित करे। आदिवासी लोगों को नये करघे खरीदने तथा अपने फायदे के लिये नयी प्रणाली को अपनाने के लिये आवश्यक आर्थिक सहायता भी दी जाये।

मैंने जिरानिया सामुदायिक विकास खंड के बुनाई प्रशिक्षण शिविर को देखा। यहां बुनाई की शिक्षा लेने वाले ८ प्रशिक्षणार्थी हैं। यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र के कपड़े के प्रारम्भिक नमूनों का अध्ययन करने के हेतु कुछ लोगों को नियुक्त किया जाय ताकि वे उसमें सुधार करें और उसको उन्नत करें।

छोटे-छोटे कुटीर उद्योग जैसे चमड़े की रंगाई, चर्मउद्योग, लुहारगीरी, बांस का काम तथा बेंत का काम इत्यादि उद्योग को सुधारने के लिये बहुत क्षेत्र है। यह सुझाव दिया जाता है कि इन क्षेत्रों में कार्य करने वाले कारीगरों को सहकारी तौर पर संगठित किया जाय। इसके लिये केन्द्रीय हाट समिति होनी चाहिये जो सब में आवश्यक सामन्जस्य स्थापित करके उन्हें आर्थिक तथा कला सम्बन्धी सहायता प्रदान करे। इस संगठन द्वारा जूट उत्पादन की सम्भावना तथा उसकी उचित हाट-व्यवस्था संबंधी मार्ग भी खोजना चाहिये। छतरियों के हैंडिल बनाने का उद्योग भी सहकारी तत्वों पर आधारित कर सुधारा जा सकता है। मैंने जिरानिया सामुदायिक विकास खंड को देखा। इस खंड में लगभग १५० मील के ग्रामीण रास्ते अब तक बनाये गये हैं जो १६६ वर्गमील के क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन रास्तों को यदि मिट्टी से नहीं बनाया गया या नाले पुलिया आदि उन पर नहीं बनाई गई तो वर्षा ऋतु में सब रास्ते बह जाने की संभावना है। मैंने चंपकनगर में सरकारी सीनियर बेसिक स्कूल देखा जिसमें छात्रों को चमड़ा रंगाई, लुहारगीरी, बढ़ईगीरी इत्यादि विषय पढ़ाये जाते हैं। इस स्कूल के साथ एक छात्रावास भी है जिसमें ८० आदिवासी छात्र पढ़ रहे हैं। मैंने देखा कि पाठशाला के साथ पर्याप्त जमीन नहीं रखी गई है, जिससे छात्र कृषि की शिक्षा पा सकें। अगरतला से २५ मील की दूरी पर हवाईबाड़ी में मैं ग्राम के प्रतिनिधियों से मिला। वहां एक अल्पनिवास शिविर है, जहां पूर्व पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों को कुछ समय के लिये आश्रय दिया जाता है। यहां से उन्हें राज्य के अन्य भागों में भेज दिया जाता है। आदिवासी इन शरणार्थियों को उनकी जमीन आदि दिये जाने के बारे में कुछ शंकित थे। कुछ शरणार्थियों ने आदिवासियों से भूमि भी खरीद ली है, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है। मेरा सुझाव है कि आदिवासियों की जमीन चाहे वह उनकी सुरक्षित जमीन के अन्दर अथवा बाहर कहीं भी हो, दूसरे आदमियों को देना तुरन्त ही बंद कर देना चाहिये।

मैंने अगरतला में इन्दरनगर भंगियों का उपनिवेश देखा। मुझे कहा गया कि इन लोगों की सब चीजें कुछ ही समय पहले आई हुई बाढ़ में बह गई हैं। मैं चाहता हूं कि नगरपालिका अपने कर्मचारियों के लिए जमीन देकर उस पर उनके लिए मकान बनवाये।

मैंने चीफ कमिश्नर, परामर्शदाताओं तथा अन्य प्रमुख लोगों से इस प्रदेश के आदिवासियों के कल्याण के विषय में चर्चा की।

मणिपुर—मैंने इम्फाल की आदिमजाति टेक्निकल इन्स्टीट्यूट देखी। यह भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, दिल्ली द्वारा संचालित की जाती है। इस संस्था द्वारा द्विवर्षीय ओवरसियर का पाठ्यक्रम, सिविल इंजिनियरिंग में तथा द्विवर्षीय बुनाई का प्रमाणपत्र का कोर्स शुरु किया किया गया है। अभी तक ३५ छात्रों ने इस दो प्रकार के पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाया है। यह सोचा गया है कि द्विवर्षीय मिकैनिकल इन्जिनियरिंग तथा इलैक्ट्रिकल इन्जिनियरिंग पाठ्यक्रम भी शीघ्र शुरु किया जाये। इस संस्था को आदिवासियों तथा स्थानीय जनता ने अच्छा बतलाया है। मुझे गैर-आदिवासियों द्वारा सुझाव दिया गया कि इस संस्था के प्रत्येक पाठ्यक्रम में ५ गैर-आदिवासियों को भी स्थान दिया जावे, जो अपनी फीस दे सकें और जिनको छात्रावस में रहने की आवश्यकता न हो। चूंकि इस प्रकार की व्यवस्था से अधिक खर्च नहीं होगा, ५ गैर-आदिवासी छात्रों को इस संस्था में एक शर्त पर प्रवेश दिया जा सकेगा। वह शर्त यह है कि निम्नतम निर्धारित पात्रता होने वाले किसी भी आदिवासी प्रवेशार्थी को इस संस्था में प्रवेश देने से वंचित न किया जाय। राज्य की दूसरी पंचवर्षीय योजना के कुल खर्च में ७.५० लाख रुपये का प्रोविजन इस संस्था के लिए रखा गया है। केन्द्रीय सरकार ने इसमें से ५ लाख रुपया १९५६-५७ में अनुदान के रूप में दिया है। इसमें से ५ लाख रुपया एक लेबोरेटरी के भवन निर्माण तथा अन्य साधन खरीदने के लिए भारत सरकार ने स्वीकृत किया है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्र द्वारा संचालित योजना के अन्तर्गत ७५ लाख का प्रोवीजन रखा गया है जिसमें १५ लाख रु० की लागत से ५ प्रशिक्षण केन्द्र शुरु करना है। ये संस्थाएँ आसाम, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और मणीपुर में होंगी। किन्तु ७॥ लाख रुपये का प्रोविजन मणीपुर सरकार की पंचवर्षीय योजना में पहले ही रखा गया है। अतः केन्द्रीय संचालित योजनाओं में से प्रशिक्षण विद्यालय के खर्च में १५ लाख रुपया बचेगा जिसका उपयोग अन्य स्थान में संस्था खोलने के लिए या इन ५ संस्थाओं पर विशेष खर्च करने के लिए किया जा सकेगा।

इस संस्था के प्रतिदिन के आवर्तक खर्च के लिए कुछ कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मणीपुर सरकार ने इस आवर्तक खंड के लिए कोई रकम मंजूर नहीं की। मैंने परामर्शदात्री कमिटी के सदस्यों से इस विषय में बातें कीं। केन्द्रीय सरकार की अनुदान की रकम जो इस संस्था के लिए थी, राज्य सरकार को दे दी गई है। इस स्थिति की पूरी जाँचकर यह देखना चाहिए कि क्या यह सम्भव हो सकता है कि इस संस्था के लिए अनुदान बजाय राज्य सरकार के भारतीय आदिमजाति सेवक संघ को सीधे मिल सके।

मैं कांगपोकपी में जो इम्फाल से २८ मील की दूरी पर है, तेंगनौपाल रोड के निर्माण कार्य को देखने गया । यह रास्ता इस क्षेत्र की आदिमजातियों को यातायात की दृष्टि से बड़ा उपयुक्त सिद्ध होगा । मैंने सरकारी सिविल अस्पताल जो कि कांगपोकपी में है, देखा । मैंने देखा कि यह अस्पताल भली प्रकार नहीं चल रहा है । इतना ही नहीं वहां का डाक्टर अवकाश पर था, और कम्पाउंडर रोगियों को दवाई आदि देता था । मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार को चाहिए कि इन रोगियों का जीवन अनपढ़ कम्पाउन्डर के हाथ में छोड़ देना ठीक नहीं होगा तथा रसीदों और दवाई वितरण का हिसाब ठीक ठीक रखा जाय ।

मैंने मोटबंग में एन० ई० स्कूल देखा जो कि इम्फाल से १३ मील दूर है । इस स्कूल म एक छात्रावास भी सलंग्न है, जिसमें ५० छात्र हैं । ग्रामीणों ने भी एक अपना प्राईवेट स्कूल चलाया है । मैंने सुना कि वह प्रतिमास ४७५ रु० मासिक प्रधान अध्यापक तथा अन्य दो शिक्षकों के वेतन के लिए खर्च करते हैं । इससे यह प्रतीत होता है कि आदिमजाति के लोगों में उच्च शिक्षा लेने की तीव्र अभिलाषा उत्पन्न हो रही है । मैंने आदिमजाति शिक्षा आश्रम का चुराचाँदपुर का छात्रावास देखा जिसमें ५० आदिवासी छात्र रहते हैं जिन्हें मुफ्त भोजन तथा निवास की सुविधा दी जाती है । मैंने काँगलाटोंगी अनाथालय देखा । यह अनाथालय केन्द्रीय सोशल वैलफेयर बोर्ड द्वारा चलाया जाता है । इसमें ३७ बालक बालिकाएं तथा ७ छोटे बच्चे रहते हैं । उनकी व्यवस्था ठीक है । मैं नैंथोनमापन नामक यैंथिबी ग्राम में गया । यह इम्फाल से १८ मील दूर है । ग्राम में एक मंदिर तथा एक मंडप बनवाया जा रहा है । इसके लिए राज्य सरकार द्वारा १,८०० रु० अनुदान माँगा गया । राज्य सरकार इस मंडप में अन्तर्जातीय सहभोज इत्यादि कार्यक्रम रखना चाहती है ।

मुझे इम्फाल में आदिवासी परामर्शदाताओं से मिलने का मौका मिला है । मैंने परामर्शदाताओं को बतलाया कि आदिवासी भाषाओं को समृद्ध कर शनैः शनैः देवनागरी लिपि में लाने की राज्य सरकार की नीति होनी चाहिए । इसलिए राज्य सरकार को चाहिये कि आदिमजातियों की बोलियों की उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें को देवनागरी लिपि में लाने के लिए शीघ्र कदम उठाये ।

मध्य भारत और बम्बई प्रदेश—१५ सितम्बर से ६ अक्तूबर १९५६ तक

मध्य भारत (अभी मध्य प्रदेश में मिलाया गया)—राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद की इच्छानुसार तथा पूर्व मध्य भारत शासन के बुलाने पर मैं पूर्व मध्य भारत शासन द्वारा भीलसा में आयोजित सहरिया सम्मेलन में उपस्थित हुआ । अनुसूचित क्षेत्र के बाहर रहने वाले सहरिया लोगों की दशा दयनीय है । यदि उनको कृषि योग्य भूमि देने की तथा जंगल सहकारी समिति स्थापित करने की सुविधाओं के अलावा अच्छे उपनिवेश में बसाया जाय तो उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है । मैंने शिवपुरी से ६० मील की दूरी पर एक कल्याण केन्द्र देखा । सामुहिक विकास कार्य के अन्तर्गत राज्य सरकार कल्याण कार्य अन्य विभागों के समन्वय से किया जा रहा है । पाठशाला में बढ़ईगीरी तथा ईंटें बनाना सिखाने की व्यवस्था की गई है । राज्य सरकार को चाहिए कि इस पाठशाला में हस्तकला के रूप में बुनाई को शुरू करने की सम्भावना पर विचार करे । इन्दौर से ६० मील की दूरी पर सुन्दरेल ग्राम में मैंने सुना कि जंगल के ठेकेदार गरीब आदिवासियों का शोषण करते हैं । अतः यह आवश्यक है कि जंगल सहकारी समितियां मध्यम वर्ग लोगों के इस शोषण को दूर करने के लिए स्थापित की जायें । मैं महेश्वर तहसील के बड़लाई ग्राम में गया जो अनुसूचित क्षेत्र में है और जहां आदिवासी विकास केन्द्र है । मैंने १९५२ में भी इस केन्द्र को देखा था । मैं यह देखकर प्रसन्न हुआ कि छात्रों द्वारा इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए लकड़ी के केस भी यहां तैयार किये जाते हैं । बहुउद्देशीय सहकारी समिति जो कि १९४८ में स्थापित हुई थी, अभी १०,००० रु० से २०,००० रु० तक का लेनदेन कर रही है । आदिवासी केन्द्र की एक शिक्षिका कस्तूरबा ग्राम से प्रशिक्षित होकर आयी है और वह अपने काम में रुचि लेकर काम करती है । दूसरे एक शिक्षक का जो कि दूर के इस देहात में रहने को इच्छुक नहीं है यहां से अन्य स्थान पर तबादला कर देना अच्छा होगा । मंडलेश्वर से बड़लाई जोड़ने का रास्ता जहां तक हो, जल्दी पक्का बनवाना चाहिए । इस ग्राम में बालकों के लिए भी एक आश्रम शुरू करना आवश्यक है ।

नीमाड़ जिले में मैंने निवाली में कस्तूरबा बनवासी कन्या आश्रम देखा, और इस आश्रम का सन्तोषजनक कार्य देखकर मुझे प्रसन्नता हुई । इस आश्रम में ४ कार्यकर्त्रियां तथा एक कार्यकर्त्रियाँ काम कर रहे हैं । आश्रम बहुत ही छोटा है और इस आश्रम के साथ एक आरोग्य केन्द्र और एक बालवाड़ी है । आश्रम प्रौढ़ वर्ग भी चलाता है । पलसूद में मैंने एक छात्रावास देखा जिसमें २५ भील, बरेला, तड़वी, जाति के छात्रों को प्रवेश दिया गया है । पूर्व मध्य भारत शासन ने नियम बनाया था कि ५ मील के बाहर से आने वाले तथा जहां पाठशालायें नहीं ह, ऐसे ग्रामों के छात्रों को ही छात्रावास में प्रवेश मिल सकेगा, हालांकि मैंने देखा कि

जहां स्कूल हैं ऐसे गांव के भी लड़के इस छात्रावास में दाखिल किए गए थे। प्रधान अध्यापक ने आश्वासन दिया है कि उपरोक्त कानून के अन्तर्गत आने वाले छात्रों के विषय में वह सब शालाओं को उन्हें अपने अपने गांव की शाला में प्रवेश दिलाने के सम्बन्ध में लिखेगा।

राज्य सरकार द्वारा सेलवाड़ा में जो अनुसूचित क्षेत्र में है, एक सामुदायिक कल्याण केन्द्र खोला गया। मैंने देखा कि वहां २० बालक तथा ७ बालिकायें छात्रावास में रहती हैं। भीलों के निम्नतर श्रेणी के नायकड़ा लोगों के बालक उसमें नहीं हैं। यह वांछनीय है कि कम से कम ५ नायकड़ा बालक बालिकाएं इस छात्रावास में दाखिल किये जांय।

मैंने चिचलगुड़ा का सामुदायिक कल्याण केन्द्र देखा जो झाबुआ में है। यह केन्द्र सन्तोषजनक कार्य नहीं कर रहा है। मन मध्य भारत हरिजन सेवक संघ से प्रार्थना की कि वह इन लोगों की स्थिति की जांच कराने के हेतु एक सामाजिक कार्यकर्त्ता नियुक्त करे। मैंने भंगी लोगों के कल्याण कार्य को बढावा देने के लिए भी उन्हें एक योजना सुझाई। बाग नामक स्थान में मैंने देखा कि भील सेवा मंडल द्वारा पाठशाला चलाने की कोई जरूरत नहीं है और यदि सरकार सरकारी छात्रावास में कुछ जगह बढ़ा दे, तो छात्रावास की भी आवश्यकता नहीं है। छात्रावास में मैंने देखा कि ४०० रु० के मूल्य के नक्शे पड़े हुए हैं। वे दूसरी संस्थाओं के हैं। अतः वें रखना अच्छा नहीं है। टांडा में छात्रावास भवन बढ़ाना चाहिए और बालकों को बुनाई सिखानी चाहिए। सरदारपुर में मैंने कन्या छात्रावास का निरीक्षण किया और यह देखा कि यहां कमरे बहुत ही छोटे छोटे हैं तथा प्रत्येक कमरे में लगभग ५ कन्यायें रह सकती हैं। मेरा सुझाव है कि लड़कियों को बड़े कमरे में दूसरी अच्छी व्यवस्था होने तक रखा जाये।

मध्य भारत की पूर्व रियासत में जाति भेद तथा पुराण प्रियता उसी कठोरता के साथ चलायी जा रही है। भीलसा में मैंने कबीर रविदास हरिजन छात्रावास देखा। इसमें २ कमरों वाले छात्रावास में २० लड़के रहते हैं जो सब चमार जाति के हैं। राज्य सरकार ने नियम बनाया कि ५ मील या उससे अधिक दूर से आने वाले छात्र छात्रावास में दाखिल किये जा सकते हैं। मैंने सुझाया कि यह नियम भंगी लोगों के बारे में लागू नहीं किया जाना चाहिए ग्वालियर में ३ वर्ष के पूर्व स्थापित हरिजन छात्रावास को मैंने देखा। इस छात्रावास में इस समय शाला में आने वाले १९ छात्र हैं। ग्वालियर जैसे बड़े शहर में स्कूल व कालेज में पढ़ने वाले कम से कम ५० छात्रों की व्यवस्था हरिजन छात्रावास में होना अच्छा होगा। हरिजन सेवक संघ ने स्थानीय कालिज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए कोई भी छात्रावास नहीं चलाया। मध्य भारत हरिजन सेवक संघ को चाहिए कि बम्बई प्रदेश के सतारा जिले में भाउराव पाटिल द्वारा संचालित बाल आश्रम प्रणाली का अध्ययन तथा निरीक्षण करने के लिए किसी कार्यकर्त्ता को नियुक्त करे। हरिजन लड़कियों के लिए ग्वालियर में एक छात्रावास चलाना अच्छा होगा। भींड जिले के गोहद में मैंने देखा कि हरिजन सेवक संघ द्वारा शाला भवन के लिए ५ रु० का नाममात्र अनुदान दिया गया है। सरकार जो गोहद के माध्यमिक शाला के ऊपर खर्च कर रही है, हरिजन सेवक संघ द्वारा संचालित पाठशाला का भी किराया दिया जाना चाहिए।

मुझे बतलाया गया कि आज भी मोरेना तथा भींड जिले के कुछ दूर अन्दर वाले ग्रामों में हरिजनों को छाता लेकर चलना, घोड़े पर बैठना आदि मना है और उन्हें जबरदस्ती बेगार करनी पड़ती है और उन्हें मृत पशुओं को उठाना पड़ता है। उनकी स्त्रियां पैर के चांदी के आभूषण नहीं पहन सकतीं, क्योंकि यह उच्च कहलाने वाली जातियों का अधिकार माना जाता है। मेरे आने के पूर्व ही तेलारी के मन्दिर में ऐसी घटना हुई कि हरिजनों ने भगवान शिवजी को पवित्र गंगा जल अर्पण करने का प्रयत्न किया था। ऐसा पता चलता है कि ता० ४-८-१९५६ को तेलारी के मन्दिर में बराई ग्राम के चार हरिजनों ने भगवान शिवजी को पवित्र गंगा जल अर्पण करने का प्रयत्न किया था। कुछ गड़बड़ी की आशंका से हरिजन सेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को इत्तला दे दी थी। आशंका के अनुसार लगभग १००० सवर्ण हिन्दुओं ने हरिजनों पर मंदिर के आंगन में ही हमला किया और बुरी तरह से उन्हें पीटा। लगभग ४८ सवर्ण हिन्दू पकड़े गये। इस दबाव को दूर करने के लिए हरिजन सेवक संघ द्वारा विजयपुर व सेवलगढ़ में सभायें की गईं और राज्य सरकार भी प्रतिष्ठित व्यक्तियों, पंचो, क्षेत्र के पटवारियों की एक सभा परिस्थिति को काबू में लाने के लिए तथा हरिजनों में विश्वास पैदा करने के लिए आयोजित कर रही है। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में मैंने गांधी ग्राम की एक हरिजन लोगों की बस्ती का निरीक्षण किया। ३५० एकड़ जमीन पर १८ चमार परिवारों को बसाया गया। प्रत्येक परिवार को बैलों की जोड़ी खरीदने के लिए २५०) दिये गये हैं। मैंने देखा कि इस ग्राम में सहकारी तत्वों पर आधारित एक भी कार्य शुरू नहीं किया गया। इस बस्ती में निवास के लिए जो व्यक्तियों का चुनाव किया गया, वह कुछ सदोष था। यह आवश्यक है कि चमारों को टट्टी से खाद बनाना सिखाना चाहिए तथा उनके पुराने धंधे को निपुण निरीक्षण के अन्तर्गत फिर से सुसंघटित किया जाना चाहिए। शाजापुर जिले के बछी ग्राम में हरिजनों से कृषि योग्य भूमि के बारे

में मेरे पास एक प्रतिनिधी मण्डल आया था। राज्य सरकार को प्रत्येक किसान के लिए कृषि योग्य भूमि रखने के बारे में एक मर्यादा रखनी चाहिये और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के लोगों को आवश्यकतानुसार कृषि योग्य जमीन दिलाने के प्रश्न की जांच की जानी चाहिए। देवास में मैंने हरिजन छात्रावास का निरीक्षण किया और देखा कि उसका कार्य सन्तोषपूर्ण चल रहा है। छात्रों को अपने घर से अनाज के रूप में या पैसों के रूप में कुछ रकम लाने को कहना चाहिए ताकि वे जान सकें कि उनके प्रयत्नों में सरकार उनकी पूर्ति कर रही है। यह जानकर उनको सन्तोष होगा। इसका परिणाम यह होगा कि छात्र अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। देवास में लड़कियों का एक छात्रावास भी शुरू किया जाना चाहिए। उज्जैन में मैंने श्री जाल छात्रावास का निरीक्षण किया जिसमें कुल ४५ छात्र हैं, जिनमें से ३ सवर्ण भी हैं। श्री जाल छात्रावास प्रतिवर्ष लगभग ६ से ७ हजार तक का खर्च अपनी जेब से छात्रावास चलाने के लिए कर रहा है। मैंने सुझाव दिया कि छात्रों को टाइप स्टैनोग्राफी सिखायी जानी जाहिए ताकि मैट्रिक उत्तीर्ण होने के बाद उन्हें आसानी से रोजगार मिल सके। हरिजन सेवक संघ ने अस्पृश्यता निवारण के लिए काफी प्रचार करके बहुत अच्छा कार्य किया है। इस प्रचार कार्य के लिए खचरोद तहसील के ५५ ग्राम चुने गये थे। संघ के पास ३६ कार्यकर्त्ता हैं जो देहातों में जाकर कार्य करते हैं। संघ को कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिरता कायम करने के लिए वेतनमान निश्चित करने की ओर ध्यान देना चाहिए। १ अप्रैल १९५५, से ३१ मार्च १९५६ तक संघ द्वारा १९ अधिवेशनों का आयोजन किया गया, १३८ मन्दिर खोले गए, १३६ सार्वजनिक कुंए खोले गये, ४६ नाई की दुकानें, १८ छात्रावास खोले गये। संघ द्वारा भूमिहीन हरिजनों को भूमि भी दी गई। सन् १९५५-५६ में संघ को अस्पृश्यता निवारण कार्य का प्रचार करने के लिए १ लाख रुपये के अनुदान की स्वीकृति दी गई और संघ को २० प्रतिशत धन जमा करने की विशेष छूट दी गई। मुझे बताया गया कि स्वीकृत अनुदान में से सिर्फ ४००० रुपये १९५५-५६ में व्यय हुये। संचालक का कहना है कि स्वीकृत राशि में से शेष धन १९५६-५७ में संघ द्वारा व्यय किया जाय।

पूर्व मध्य भारत हरिजन सेवक संघ, इन्दौर, रतलाम, धार और ग्वालियर में ४ छात्रावास चला रहा है। संघ कालिज के विद्यार्थियों के लिए एक भी छात्रावास नहीं चला रहा है। संघ को चाहिए कि कालेज के छात्र-छात्राओं के लिये शीघ्र ही छात्रावास शुरू करे।

पूर्व मध्यभारत की नगरपालिकायें हरिजनों के लिए अच्छे निवास स्थान बनाने की तरफ ध्यान दें। यदि राज्य सरकार स्थानीय चर्मकारों द्वारा बनाई गई चीजों पर से बिक्री कर हटा देगी, तो अच्छा होगा।

नीमाड़ जिले के मंडलेश्वर में मैंने १९५२ में स्थापित एक छात्रावास का निरीक्षण किया। इस वर्ष छात्रावास में ५९ छात्र रहते हैं, जबकि यह संख्या पिछले वर्ष ८० थी। नीमाड़ जैसे बड़े जिले में छात्रावास में छात्रों को बहुत संख्या में प्रवेश मिलने पर विचार करना चाहिए। राज्य सरकार की तरफ से छात्रावास के कुछ भाग पर छत डालने के लिए टीन दिये जाने चाहिएं। छात्रावास के साथ ९ एकड़ भूमि भी संलग्न है जिसका उपयोग छात्रों को शास्त्रीय पद्धति से सामुदायिक कृषि शिक्षा देने के लिए किया जाना चाहिए।

महेश्वर में मैंने शासकीय हाथ करघा मिल देखा और यह देखा कि कारखाने की नीचे की जमीन कच्ची थी, ऊपर प्रकाश भी नहीं था और बिजली का भी कुछ प्रबन्ध नहीं था। राज्य सरकार को शासकीय कारखाने के हाथ करघे पर बनवाई हुई साड़ियों तथा शहरों में काम करने वाली सहकारी समितियों को बिक्री कर से मुक्त करने की सम्भावना पर विचार करना चाहिये।

धार में बसोड़ जाति के कई युवक मुझे मिले जिन्होंने अनुरोध किया कि सूअर पालन के विकास के लिए सहकारी समिति स्थापित की जाय। राज्य सरकार इस प्रार्थना पर विचार करे। यदि सम्भव हो तो सहकारी समिति स्थापित करने में उन्हें सहायता दे।

अलोत तहसील के ताल ग्राम में अस्पृश्यता निवारण का संघ द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया है ऐसा मैंने देखा। दालोदा में मैंने देखा कि सवर्ण लोग अस्पृश्यता को समूल नष्ट करने के प्रयत्न में सहायता नहीं दे रहे थे। हरिजनों के साथ मैं जिस मन्दिर में गया था, वहां मुझे दिखाई दिया कि सवर्ण हिन्दुओं ने और पुजारियों ने भी मन्दिर छोड़ दिया है। मुझें लगता है कि मन्दिर प्रवेश का प्रचार कार्यकर्त्ताओं द्वारा पहले से चालू होना चाहिए। रतलाम में मैं दो हरिजन बस्तियों में गया था। मुझे नगरपालिका द्वारा मिली हुई जमीन भी दिखाई गई, जिस पर इन लोगों को शायद बसाया जायेगा।

मैं नागदा से ४ मील की दूरी पर रूपेटा ग्राम में गया था। वहां २५० परिवार रहते हैं, जिनमें से ३० चमार तथा ३० बलाई परिवार हैं। मैंने हरिजनों तथा सवर्ण हिन्दुओं में जो सौजन्यतापूर्ण व्यवहार देखा उसके लिए हरिजन सेवक संघ के लोग बधाई के पात्र हैं। मैंने देखा कि नाभु नामक चमार जनरल सीट से ग्राम पंचायत में चुना गया। मैंने सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को यह सूचित किया है कि ऐसा एक प्रयत्न किया जाय कि सवर्णों की स्त्रियों के साथ हरिजन महिलायें मंदिर में इकट्ठा होकर भजन कीर्तन करें।

विमुक्त जातियाँ—ग्वालियर से लगभग २० मील दूरी के मोरेना ग्राम के बेड़िया अधिवेशन के अवसर पर भाषण देने में गया था। इस जाति की महिलाओं ने वेश्यावृत्ति अपनाई थी। इन लोगों में कल्याण कार्य चलाने में मुख्य अड़चन यह है कि यहाँ प्रशिक्षित महिलाओं का अभाव है। इस जाति के लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है कि वे अपना अनैतिक जीवन छोड़कर सभ्य जीवन वितायेंगे, यदि उन्हें उनके निर्वाह के लिए जमीन दी जाय।

मुझे बताया गया कि गूना में २०० पारधी लोगों के परिवारों को सोशल वैलफेयर बोर्ड द्वारा बसाने की योजना पर विचार हो रहा है। यह वांछनीय है कि ५० प्रतिशत अनुदान की रकम आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा दी जाय। राज्य सरकार द्वारा विमुक्त जातियों के कल्याण के लिए स्थापित ३ केन्द्रों में से मैंने २ केन्द्र देखे—एक विचोरा में और दूसरा नरसिंहगढ़ में। इन केन्द्रों में इन जातियों में उनका नेतृत्व पैदा किया जायगा और इनमें ही उनकी समस्याओं का अन्तिम हल निकलेगा। तहसील अलोत के ताल ग्राम को जाते समय कंजर जाति की कुछ महिलाओं ने पुलिस लोगों के द्वारा किये गये अत्याचारों के विषय में कहा। इस शहर की सरहद पर कंजर जाति के १७ परिवार रह रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने मुझे बतलाया कि इन जातियों के लोगों ने कई डकैती की हैं और वे लापता हैं। मैंने देखा कि इन लोगों के पास जमीन अथवा जीवनयापन के लिए कोई साधन नहीं है। मुझे पता है कि राज्य सरकार इन लोगों के पुनर्स्थापन के लिए एक उपनिवेश बसाने का विचार कर रही है।

बम्बई राज्य—भड़ोच जिले का राजपिपला क्षेत्र

इस दौरे का आयोजन मुख्यतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों की कल्याण कार्य की प्रगति जो हुई है, देखने के लिए किया गया था।

बम्बई सरकार द्वारा अस्पृश्यता निवारण की योजना के अन्तगत खोले गये दो संस्कार केन्द्र—एक मांगरोल में और दूसरा राजपिपला में—मैंने देखे। इन दोनों केन्द्रों का संचालन गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जिन्हें राज्य सरकार का अनुदान प्राप्त है। संस्कार केन्द्रों द्वारा बालवाड़ी केन्द्र, महिलाओं के लिए सिलाई केन्द्र, साधारण दवाईयों का वितरण, प्राथमिक उपचार तथा चिकित्सा केन्द्र, प्रौढ़ों के लिए सामाजिक शिक्षा केन्द्र, तथा नाटक, खेलकूद इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन मुख्यतया किया जाता है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि यदि सवर्णों को दवाई की आवश्यकता होती थी तो उन्हें माँगरोल केन्द्र में आना पड़ता था, जो हरिजन निवास में स्थापित था। यह अच्छी कल्पना है क्योंकि सवर्ण लोग जोकि पुरातन विचारवादी हैं उन्हें कम से कम इस कारण से हरिजन निवास में जाना पड़ता था। उन केन्द्रों का काम भली-भाँति चल रहा है, ऐसा दिखाई पड़ा। फिर भी अधिक सवर्ण लोगों को केन्द्रों की तरफ आकर्षित करना जरूरी समझ कर यह सुझाया गया कि खेल कूद तथा मनोरंजन के साधारण कार्यक्रमों का कभी-कभी आयोजन किया जाय ताकि गाँव के सवर्ण लोगों को ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थित होने के लिये बुलाया जाय। केन्द्रों के कार्यकर्ताओं ने शिकायत की है कि राज्य सरकार से उन्हें साल में एक बार ही अनुदान प्राप्त होता है, और पर्याप्त फंड के अभाव से उन्हें साल भर संस्कार केन्द्रों का कार्य चलाना कठिन हो जाता है। उनकी प्रार्थना है कि यदि सम्भव हो तो उन्हें हर तीन महीने के बाद अग्रिमधन अनुदान दिया जाय।

हरिजनों की प्रत्यक्ष क्या कठिनाइयां हैं, यह जानने के लिये उनकी एक सभा आयोजित की गयी थी।

मैंने झगड़िया के ग्राम पंचायत के आफिस को देखा और पंचायत के कार्य की जानकारी प्राप्त की। इस ग्राम म हरिजनों की जनसंख्या ४०० है, जबकि आदिवासियों की जनसंख्या इस ग्राम की कुल ६,००० आबादी में से २,००० है। इस पंचायत में १५ सदस्य हैं, जिनमें से एक हरिजन और पांच सुरक्षित सीटों में से ४ आदिवासी हैं।

झगड़िया में मैंने बणकर तथा खालपा हरिजन बस्तियों को देखा। इस उपनिवेश में २५ बणकर परिवार हैं जिनमें से प्रत्येक को ५ से ७ एकड़ तक जमीन दी गई है। बस्ती में बहुत घिचपिच होने से यह जरूरी था कि उन्हें अधिक प्लाट मकान बनाने के लिये दिये जांय। इन देहातों में खालपा लोगों के ५०-६० मकान हैं। प्रायः सबके पास जमीन थी, और वे किसानी कार्य करते थे। खालपा लोगों ने सहकारी गृह निर्माण समिति स्थापित की है। इस समिति को मकान बनाने के लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त नहीं हुआ। भड़ोच जिलाधीश से जो हमारे साथ उपस्थित थे, प्रार्थना की गई कि वे स्वयं बणकर लोगों के गृह निर्माण के लिए उपयुक्त जमीन दिलाने का प्रयत्न करें।

मैंने अपने राजपिपला, माँगरोल और झगड़िया के प्रवास में अस्पृश्यता के व्यवहार के बारे में पूछताछ की। यद्यपि राज-पिपला में अस्पृश्यता का पालन कट्टरता से नहीं किया जाता, तो भी माँगरोल में तथा झगड़िया में उसका व्यवहार कुछ तीव्णरूप से

विराजमान है। यद्यपि झगड़िया के वणकर और चमार बताते हैं कि उन्हें सार्वजनिक कुओं से पानी लेने के लिए मना नहीं किया गया तो भी यह ज्ञात होता है कि उन्होंने उन सार्वजनिक कुओं से पानी लेने का कभी प्रयत्न नहीं किया जिनका उपयोग सवर्ण लोग करते थे। बैकवर्ड क्लास वेलफेयर आफिसर ने कहा कि उन्होंने झगड़िया गाँव में एक बार हरिजनों के मन्दिर प्रवेश के विषय में प्रयत्न किया था किन्तु इसके पश्चात् हरिजन किसी भी मंदिर में नियमित रूप से नहीं जाते थे। इससे यह प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में अस्पृश्यता निवारण के लिए सामूहिक प्रयत्न की आवश्यकता है।

अनुसूचित आदिमजातियाँ—रामपुर में बसा हुआ राजपिपला विभाग सत्यधाम सर्वोदय संघ केन्द्र मैंने जाकर देखा। यह केन्द्र यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए बहुरूपी कार्य करता है जैसा कि शराब बन्दी, सहकारिता, खादी कार्य इत्यादि। मैंने अपने प्रवास में इस क्षेत्र में कई स्थानों पर अनुसूचित जातियों के लिए चलाये जाने वाले दो प्राइमरी स्कूल तथा ४ छात्रावास देखे। माँगरोल के प्राइमरी स्कूल में ४ शिक्षक थे जिनमें एक हरिजन था। इस स्कूल में पीने के पानी की सुविधा नहीं थी। प्रधान अध्यापक को कहा गया कि वह इस सुविधा की तरफ ध्यान दे। पाठशालाओं तथा छात्रावासों का कार्य आम तौर पर ठीक चल रहा था। पिछड़े वर्ग के लिए एक छात्रावास उमखा में जून १९५५ में शुरू किया गया था किन्तु उसे अभी तक मान्यता नहीं मिली है। देहातों के लोग भी अपने फंड में से एक हाई स्कूल चला रहे थे और उन्हें छात्रावास चंदे से चलाना कठिन हो रहा था। इसलिये छात्रावास की देखभाल करने वाली समिति के सदस्यों ने मुझसे प्रार्थना की कि इस छात्रावास को मान्यता दिलाने के लिये राज्य सरकार को मैं अपनी सिफारिश भेजूं। मैंने राजपिपला के सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की एक सभा की और उस क्षेत्र में चलने वाली कल्याण कार्य की प्रवृतियों के बारे में तथा अनुसूचित आदिमजातियों और हरिजनों की साधारण स्थिति के विषय में पूछताछ की। मेरे समक्ष दो महत्व-पूर्ण बातें उपस्थित की गईं :—

(१) जंगल विभाग द्वारा कुछ आदिवासियों को बिना आज्ञा जंगल की जमीन जोतने के कारण गिरफ्तार किया गया था और उनपर १० रुपये से ५० रुपये तक जुर्माना किया गया था। कुछ घटनाओं में तो १०० रुपये तक भी जुर्माना किया गया। उस जमीन पर खड़ी हुई झोपड़ियों को हटाया गया तथा जमीन का कब्जा ले लिया गया। कुछ आदिवासियों को जमीन और घर रहित कर दिया गया।

(२) इस क्षेत्र में यातायात के साधन बहुत कम हैं और पूरे विभाग में वर्षा ऋतु में इधर-उधर घूमना असम्भव हो जाता है।

पहली बात पर राजपिपला के विभागीय जंगल अधिकारी ने मुझे बतलाया कि जंगल की भूमि बढ़ाने की शासन की नीति के कारण उन्हें जंगल की भूमि में अनाधिकारी कृषि की रोकथाम के लिए विशेष निगरानी करनी पड़ती है। यह भी सुना गया कि लगभग ६ हजार एकड़ जमीन उपनिवेश में आदिवासियों द्वारा जोती जा रही थी। दूसरी बात के बारे में मैंने प्रांत अधिकारी से सुना कि राज्य शासन ने इस विभाग में आवश्यक मार्ग तैयार करने की स्वीकृति दी थी और काम भी चालू किया गया था। परन्तु इस सब-डिवीजन में पूरी यातायात की सुविधा होने में लगभग तीन वर्ष लगेंगे। पहली बात पर मैं यह कह सकता हूँ कि राज्य सरकार ने लगभग ६,००० एकड़ जमीन जंगल विभाग से आदिवासी लोगों को जंगल में बसाने के लिये दी थी। इसमें कुछ एकड़ जमीन यदि आदिवासियों ने जोत भी ली तो उससे जंगल विभाग में कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। आदिवासियों के बारे में अधिक उदार बनना अच्छा होगा क्योंकि उनके पास उपयोग के लिये दूसरी जमीन नहीं थी। मैं इस प्रश्न को बम्बई प्रदेश के जंगल विभाग के मंत्री के समक्ष पेश करूंगा।

इस दौरे में मांगरोल के एक मन्दिर के अहाते में आयोजित अनुसूचित जातियों की सभा में मैं उपस्थित था। यहां आसपास के देहातों से तथा माँगरोल से आदिवासी इकट्ठे हुए थे जिन्होंने निम्नलिखित कठिनाईयाँ मेरे समक्ष रक्खीं :—

(१) मांगरोल के १० मील के क्षेत्र में एक भी दवाखाना नहीं था। अतः आदिवासियों को बहुत कठिनाई भुगतनी पड़ती थी। राजपिपला से डाक्टर को बुलाने में बहुत खर्च पड़ता था। अतः माँगरोल में एक अस्पताल खोलना अच्छा होता।

(२) यद्यपि जंगल में पड़ी हुई लकड़ी को दीमक खा जाती थी या वह बह जाती थी तो भी आदिवासी लोगों को उसका उपयोग करने की मंजूरी नहीं मिली। आदिवासियों को ऐसी लकड़ी उपयोग में लाने की मंजूरी, यदि मिल जाय, तो अच्छा होगा।

(३) पहले तो असागी (बीड़ी) के पत्ते एकत्र करने के लिए लाइसेंस था, किन्तु यह पद्धति बंद कर दी गई और जंगल विभाग अब उसका प्रतिवर्ष नीलाम करता है। पुरानी पद्धति फिर से शुरू करनी चाहिये।

(४) जंगल तथा पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी बहुत ही गरीब हैं। अतः उनके लिये किसी कुटीर उद्योग की व्यवस्था करना अच्छा होगा।

(५) इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को गलत मार्ग पर लाया जाता है। राज्य सरकार को चाहिए कि इन लोगों को अच्छी तरह मार्ग दर्शन कराया जाने के लिये कुछ प्रचार कार्यकर्ता नियुक्त करे।

मैंने अपने सामने रक्खे गये प्रश्नों की तरफ ध्यान देने का वायदा किया।

इसके बाद मैंने राजपिपला में समशेरपुरा विकास खंड जंगल उद्योग मजदूर उत्पादक सहकारी समिति देखी। कुल २४६ सदस्यों में से २४५ आदिवासी सदस्य हैं। गत दो वर्षों में समिति ने २,२१५ तथा ३,४६१ रुपये का लाभ उठाया है। समिति को चालू वर्ष में दो खंड दिये गये हैं। मैं जीतगड़, जूनाराज, धरोली देहातों में भी गया और इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों की स्थिति के बारे में पूछताछ की। धरोली ग्राम की कुल आबादी २,००० है, जिसमें से ५० प्रतिशत बसात्रा भील हैं। इस ग्राम के लिए पंचायत मंजूर हो गई है और वहां ९ सदस्य हैं जिनमें से २ अनुसूचित जातियों के हैं। इस देहात में बालकों की पाठशाला है जो कृषि का विषय लेकर बुनियादी तौर पर चलाई जाती है। पाठशाला में कुल २०१ लड़के हैं, जिनमें से ७७ भील लड़के हैं। वहां लड़कियों के लिए भी एक पृथक् पाठशाला चलाई जाती है जिसमें १०२ छात्रायें पढ़ती हैं जिनमें से १५ आदिवासी लड़कियां हैं। सरपंच तथा अन्य लोगों ने मुझसे शिकायत की कि सामूहिक योजना (कम्युनिटी प्रोजेक्ट) खतम हो रही है और धरोली के पशु अस्पताल में नियुक्त किये हुए स्टाकमैन को हटाया जा रहा है। उन्होंने प्रार्थना की कि मैं राज्य सरकार को लिखूं कि उनके खर्च से स्टाकमैन को वहां रखें। मजदूर लोग स्टाकमैन के लिए, यदि आवश्यकता हो, तो मकान बना देंगे।

राजपिपला के अस्पताल के निरीक्षण में मैंने आदिवासी लोगों की सर्वसाधारण बीमारियों के बारे में पूछताछ की। मुझे यह बताया गया कि इस क्षेत्र के कई आदिवासी क्षय के शिकार बने हुए हैं और इस रोग की रोकथाम करने के लिए कुछ विशेष उपाय करने की आवश्यकता है। मैंने यह भी सुना कि धरोली व राजपिपला अस्पताल में दवाईयों का पर्याप्त संग्रह नहीं है। दवाईयों के लिए अधिक प्रोविजन होना जरूरी है।

इस दौरे में मैंने जिले के अत्यन्त पिछड़े हुए क्षेत्र के विषय में जानकारी प्राप्त की। यहाँ सघन विकास योजना केन्द्रीय संचालित कार्यक्रम में शुरू की जानी चाहिये। सागवाड़ा क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा हुआ है। सब लोग मानते हैं कि यहाँ विकास खंड की आवश्यकता है। देदियापाड़ा तालुक यद्यपि उतना ही पिछड़ा है किन्तु सघन विकास के लिये अभी योग्य नहीं है क्योंकि यहां आबादी दूर दूर पर बसी है।

मैं झगड़िया में आदिवासी तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की साधारण सभा में उपस्थित था। यहाँ मैंने एक सार्वजनिक बाल मंदिर देखा। ३० बालकों को यहां शिक्षा मिल रही है। आदिवासी बालक हरिजन बालकों को मंदिर में नहीं जाते। मैंने मैनेजिंग कमेटी के लोगों को सुझाव दिया कि कुछ आदिवासी तथा हरिजन बालकों को आवश्यक फ्रीशिप देकर प्रवेश दिया जाये। इस काम के लिए मैंने उनसे कहा कि मैं सोशल वेलफेयर बोर्ड से इस संस्था के लिये १,००० रु० का अनुदान देने की सिफारिश करूंगा। कस्तूरबा प्रसूति गृह, झगडिया का मैंने निरीक्षण किया। यह प्रसूतिगृह जो पिछड़े वर्ग तथा अन्य सभी वर्गों के लिए है, अच्छा काम कर रहा है। राजपिपला विभाग में जो अत्यन्त पिछड़ा हुआ है, आदिवासियों में प्रचार करने तथा प्रदेश सरकार द्वारा जमीन सुधार कानून जो अभी राज्य विधान सभा द्वारा बनाया गया है, तथा अन्य रियायतें और सुविधाएं जो आदिवासियों को राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही है और सरकारी कर्मचारियों के समक्ष अपनी शिकायतें तकलीफें पेश करने के लिये प्रचारकों की आवश्यकता है। मैंने धरोक में मंगलोर खपरैल प्रशिक्षण केन्द्र को देखा। यह केन्द्र सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत खोला गया है। इस केन्द्र का कार्य अच्छा चल रहा है। इसमें ९ प्रशिक्षणार्थी थे, जिनमें ३ पिछड़े वर्ग के थे। यहाँ मंगलोर खपरैल बनाने के लिए योग्य जमीन होने से यह उद्योग अच्छी तरह से वृद्धि कर सकता है।

मध्य प्रदेश, मद्रास, बम्बई—१९ अक्तूबर से ५ नवम्बर १९५६ तक

मध्य प्रदेश (१९ अक्तूबर १९५६)—इस दौरे में सोशल वेलफेयर के इन्चार्ज मंत्री की अध्यक्षता में हुई सार्वजनिक सभा में मैं उपस्थित था जिसमें ८ चुने हुए देहातों को पुरस्कार वितरण का कार्य करने को मुझे कहा गया। अस्पृश्यता उन्मूलन कार्य में यह ग्राम सफल रहे थे।

मद्रास (२०-२३ अक्तूबर १९५६)—उटकमंड में नीलगिरी आदिवासी कल्याण समिति के उपलक्ष में द्वितीय आदिमजाति सम्मेलन तथा प्रदर्शनी का उद्‌घाटन करने के लिए मुझे इस प्रान्त में जाने का अवसर मिला। आदिवासी लोगों का विशाल जनसमूह यहां इकट्ठा हुआ था और अनेकों आदिवासियों को खेलकूद, सभी उम्र वाले व्यायाम, कुश्ती, हस्तकला में सफल आदिवासियों को पुरस्कार वितरण किये गये। टोडा महिलाओं को जिनके पिछले वर्ष बच्चे पैदा हुए थे उनके अपने लिये तथा उनके बच्चों के लिये ऊनी कपड़े दिये गये। सर्वेन्ट्स आफ इण्डिया सोसायटी द्वारा निरगासीमंड में संचालित आवासीय टोडा स्कूल को मैंने देखा। यहाँ एक सूतिकागृह सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटी द्वारा चलाया जाता है। किन्तु यहाँ उस समय तक केवल २ ही प्रसूतिकायें दाखिल हुई थीं। अतः यह केन्द्र सफलता से चल नहीं रहा है, क्योंकि आदिवासी उटकमेंड अस्पताल में जाना पसन्द करते हैं जहाँ उनके लिए ७ पलंग रखे गये हैं। अतः मेरा सुझाव है कि इस केन्द्र को बन्द कर दिया जावे और भवन का उपयोग छात्रावास के लिए किया जाये। परन्तु इस भवन को बढ़ाने की आवश्यकता है। निरगासीमेंड के इस सूतिकागृह के अतिरिक्त यहाँ और २ केन्द्र आगल में कोटा लोगों के लिए और कुंचपनाई में इरूला लोगों के लिये हैं। ये प्रधानमंत्री के ३०,००० रु० के अनुदान में से अच्छी तरह से चलाये जा रहे हैं।

कुनूर में मैंने सदगुरू सर्व समरस संघ, कुनूर के उपलक्ष में नीलगिरी जिला पहाड़ी आदिवासियों के द्वितीय सम्मेलन का उद्‌घाटन किया। सम्मेलन में सब आदिमजातियों के लोग उपस्थित थे। वे टोडा, कोटा, इरूला, कुरुमन, पुलयन, पलियन, कादर आदि थे। मैंने श्री सदगुरू संघम द्वारा संचालित बोर्डिंग तथा आदिवासी आवासी पाठशाला देखी। इस समय इसमें ४४ कुरुमन बालक पढ़ते हैं। कुरुमन लोगों की संख्या ५० तक बढ़ाने और २० छात्राओं के लिये भी व्यवस्था करने का विचार है। मैंने राज्य सरकार द्वारा संसर्ग जन्य रोग, यौन के उन्मूलन के लिये चलायी जाने वाली चलती फिरती गाड़ी का निरीक्षण किया। इस चलती फिरती गाड़ी को शुरू करने से प्रतिवर्ष बालकों की जनसंख्या बढ़ रही है। कुल जनसंख्या १९५३ से १९५६ तक प्रति वर्ष ३० के हिसाब से बढ़कर लगभग १२० हो गई है। मैंने अनुसूचित जातियों के लिये स्थापित ठक्कर बापा औद्योगिक स्कूल देखा। मद्रास में मैंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में राज्य सरकार की योजनाओं पर विचार विमर्श किया।

बम्बई राज्य (२५ अक्तूबर से ५ नवम्बर)—हरिजन विद्यार्थी सहायक मंडल, पूना द्वारा निर्मित छात्रावास भवन का मैंने उद्‌घाटन किया। पूना मंडल ने इस संस्था के लिये अच्छी बस्ती में जमीन दी है और बम्बई सरकार ने ११,५०० रु० इस भवन के निर्माण के लिये अनुदान में दिये हैं। इस छात्रावास के भवन पर २५,००० रु० के ऊपर खर्च हुआ है। यह छात्रावास भवन केवल अनुसूचित जाति के आधे बालकों के लिये पर्याप्त होगा और यदि राज्य सरकार आर्थिक सहायता दे तो इस भवन के विस्तार के बारे में विचार है और इसके लिये उन्होंने अधिक धन एकत्र करने को सोचा है। बम्बई सरकार को छात्रावास भवन के निर्माण के लिये २५,००० रु० से ५०,००० रु० तक अपना अनुदान बढ़ाने के बारे में लिखना चाहिये ताकि यह संस्था अपनी बिल्डिंग बढ़ाने के लिये इस अनुदान का लाभ उठा सके।

मैंने पूना में विमुक्त जातियों की मुडवा की सर्वोदय सहकारी कृषि समिति देखी। यह समिति भली भांति नहीं चल रही है। गत ३ वर्षों के अनुभव से यह स्पष्ट हो गया है कि सामूहिक तौर पर इस संस्था को चलाना अव्यवहार्य होगा। चूंकि प्रत्येक सदस्य अपने कृषि कार्य में दिलचस्पी लेकर काम करेगा। अतः टेनेंट के रूप में जमीन देकर यह काम चलाना अधिक लाभदायक होगा। पानी के करों की शेष रकम तथा जमीन का लगान आदि केन्द्रीय शासन के अनुदान में से दिया गया जब कि यह सहायता इस उद्देश्य के लिये नहीं थी। आदिवासी सेवा मंडल, थाणा द्वारा चलाई गई संस्थाओं को मैंने देखा। इस संस्था द्वारा २५ सहकारी समितियाँ अच्छी तरह से चलाई जा रही हैं। इन संस्थाओं का शेयर धन ४०,००० रु० है तथा रिजर्व (सुरक्षित धन) १,२४,००० रु० तथा अन्य फंडों की रकम ३,००,००० रु० है। चूंकि उन्होंने बैंकों से उधार नहीं लिया, अतः यह उनके लिये श्रेयस्कर है। माल की बिक्री की रकम १७,९५,००० रु० और ३०-९-५६ को हाथ में स्टाक १,१५,००० रु० का था। उन्होंने १,६६,३६० रु० का मुनाफा दिखाया। मैंने सर्वोदय केन्द्र कासा देखा और कोसबाद का कृषि फार्म भी जो आदिवासियों के लिये एक आदर्श कृषि फार्म है।

मैं तलबाड़े के आश्रम स्कूल और अस्पताल को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। दोनों ही स्कूल तथा अस्पताल अच्छी तरह से चल रहे हैं। कोसबाद का कृषि फार्म आदिवासियों के लिये जनता कालिज में परिवर्तित किया जा सकता है। इस फार्म द्वारा इस क्षेत्र के आदिवासियों की कृषि पद्धति के विकास में काफी सुधार करने में सहयोग दिया गया है। कैनाद का केन्द्र भी श्री नागोलकर तथा उनकी पत्नी द्वारा सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। वह आदिवासियों में सहकारी कृषि समिति को विकसित कर रहे हैं और आदिवासी कल्याण के लिये उन्होंने विविध कार्य शुरू किये हैं।

मैंने जंगल विभाग के मंत्री, उपमंत्री, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा पिछड़े वर्ग के उपमंत्री से भी विचार विमर्श किया।

हिमाचल प्रदेश—६ नवम्बर से १२ नवम्बर १६५६ तक

रामपुर बुशहर हिमाचल प्रदेश के महासू जिले में है। वहाँ पर भारतीय आदिमजाति सेवक संघ की तरफ से हरिजन और आदिवासियों के अधिवेशन की व्यवस्था की गई थी। इसी सिलसिले में मैंने तीन दिन के लिये वहाँ दौरा किया। गृह मंत्रालय के मंत्री, श्री बी० एन० दातार द्वारा इस सम्मेलन का उद्‌घाटन किया गया।

शिमला में मैंने अनुसूचित जातियों के लड़कों के लिये खोली गई शिक्षा संस्था देखी जहाँ अधिकतर मेहतर जाति के और शिमला म्युनिसिपेलिटी के सफाई विभाग वालों के लड़के ही थे। इस संस्था में ३२ लड़के और लड़कियाँ पढ़ रही थीं और उनकी देखभाल अच्छी तरह से की जा रही थी। इस संस्था को राज्य सरकार से प्रोत्साहन मिलना चाहिये। १३,००० रुपयों की मंजूरी मिलने पर भी नारकण्डा में पानी की सुविधा के लिये नल लगाने का काम बहुत ही धीरे चल रहा है। लोक-विभाग कार्य के अधिकारियों को जहाँ तक हो सके जल्दी से जल्दी यह काम पूरा करने के लिये कहा जाना चाहिये। लावी मेले में आये हुये, अनुसूचित जाति के किन्नर और गद्दी लोगों से मिलने का मुझे अवसर मिला जो भीतरी और सीमान्ती क्षेत्रों से आये हुए थे। कुल्लू और स्पिति घाटियों में से भी आदिवासी आये थे। लावी मेले में १००० मन पश्मीने तथा २००० मन तक ऊन का क्रय विक्रय होता है। सूखे फलों की भी बहुत बिक्री होती है। इस मेले में ऊन और पश्मीने से तैयार चीजों की एक छोटी सी प्रदर्शनी लगाई गई थी। कुछ वस्तुओं में कला और नमूना बहुत ही सुन्दर था। यह सब देखकर मुझे ऐसा लगा कि वहाँ की सूखी मेवा और तैयार की गई चीजों से वहाँ के लोगों को यथायोग्य सीमा तक अच्छा लाभ हो, यदि रामपुर बशहर में एक सहकारी समिति खोल दी जाये। यातायात की सुविधाओं की कमी होने के कारण चीनी प्रदेश में चिलगोजा बहुत ही सस्ता बेचा जाता है और अंगूर, नाशपाती जैसे ताजे फलों का सर्वनाश होता है। किसी भी प्रकार रामपुर से सरहान तक का मार्ग तैयार करने का काम चल रहा है और उस मार्ग को अगले दो वर्षों में चीनी तक बढ़ा देने का विचार है। फल उत्पत्ति को प्रोत्साहन देकर उनके माल को बाहर ले जाने के लिये यातायात की सुविधाएं उत्पन्न करना ही एक बहुत प्रभावकारी उपाय है, जिससे इन पहाड़ियों पर और किनारे पर रहने वाली अनुसूचित आदिमजातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। कूल्ह से नल लगाकर और कुएं खोदकर पीने के पानी की सुविधायें भी उन्हें देनी चाहियें। चीनी प्रदेश में कूल्हों का निर्माण भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय बहुत एकड़ जमीन, पूरा पानी न मिलने के कारण इन लोगों के उपयोग में नहीं आ रही है।

रामपुर बुशहर की जिला योजना समिति की सभा में मैं उपस्थित था। वहां पर बहुत सी योजनाओं को कार्यान्वित करने में जो देरी होती है, उन अड़चनों का विवरण दिया गया। मैं यह विषय अलग ही भारत सरकार के सामने रख रहा हूँ और शिफारिश कर रहा हूं कि प्रत्येक वर्ष के जनवरी मास के आखिर तक अनुदान की मंजूरी राज्य सरकारों को मिलनी चाहिये क्योंकि राज्य सरकारों का कार्यमौसम जो सिर्फ अप्रैल से अक्टूबर तक ही, विशेषतः पांगी और चीनी क्षेत्र में रहता है, अपने लक्ष्यों को पूरा करने में समर्थ हो सकें। दूसरी अड़चन कर्मचारियों की कमी की थी। मेरा यह अनुभव है कि यदि द्वितीय योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारना आवश्यक होगा। मैंने सुझाव दिया कि बम्बई और उड़ीसा सरकारों के स्कूल की तौर पर दो आश्रम पाठशालाएँ अनुसूचित आदिमजातियों के लिये पांगी और चीनी क्षेत्र में अनुसूचित आदिमजातियों के लिये खोली जावें और यदि ये सफल हो जावें तो अगले वर्ष में इनकी संख्या बढ़ा दी जाये। सिंचाई के लिये पानी देने की ग्रामीण योजना के बारे में मैंने सरकार को २,००,००० रुपयों की अधिक रकम सहायता पूरे प्लान के लिये देने की सिफारिश की है। यह धन "ट्रेनिंग कम-उत्पादन केन्द्र" के मदों में जो बचत होगी उसमें से दिया जाय क्यों इसके लिये पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षणार्थी नहीं आ रहे हैं।

राज्य के महासू जिले में सब से अधिक अनुसूचित जाति के लोग हैं। मुझे देखकर खुशी हुई कि रामपुर बुशहर तहसील के आसपास के अनेकों मंदिर हरिजनों के लिये खोल दिये गये और हरिजन सेवक संघ द्वारा किये जाने वाले प्रचार को सफलता मिली है। फिर भी ग्रामों के कुछ स्थानों में कुंओं से पानी लेना हरिजनों को मना है। हरिजन सेवक संघ को चाहिये कि इस क्षेत्र के लिये एक या दो और प्रचारकों के नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार करे।

मैंने देखा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में टेक्निकल कार्यकर्ताओं की कमी है और आवश्यक मजदूर भी सड़कों तथा अन्य कार्यों के लिये मिल नहीं रहे हैं। इसका का कारण यही है कि यहाँ मजदूरी के भाव कम हें जिसका केन्द्रीय निर्माण विकास द्वारा विचार किया जाना चाहिए। अत्यन्त अंदरूनी क्षेत्रों में जो कर्मचारी काम करते हैं, उन्हें पर्याप्त भत्ता मिलना चाहिये जो पंजाब सरकार द्वारा लाहौल और स्पिति में दिया जाता है राज्य सरकार द्वारा अनाज की दुकानें खोलने के लिये उचित अनुदान भी देना चाहिये। अधिकारियों

तथा मजदूरों के लिये जो कि यातायात के प्रमुख भागों से दूर हैं तथा जनवरी-मार्च में जब आवागमन के साधन बंद हो जाते हैं, उस समय पर उन्हें अनाज मिल सके, ऐसी दुकानें खोलने के लिये उचित अनुदान भी दिया जाना चाहिये ।

मेरा सुझाव है कि अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े हुये क्षेत्र का प्रतिनिधि परामर्शदात्री परिषद् में नामजद किया जाना चाहिये । इससे सीमान्तवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों में आवश्यक विश्वास उत्पन्न होगा ।

बम्बई प्रदेश—७ दिसम्बर से २० दिसम्बर १९५६ तक

छोटा उदयपुर और जाबूग्राम के दो तालुक आश्रम स्कूल तथा उचापन ग्राम की एक पाठशाला मैंने देखी । दुर्भाग्य से इस सम्पूर्ण क्षेत्र में एक मिडिल स्कूल है । परन्तु यहां बहुत सी प्राइमरी पाठशालाएं खोली जा रही हैं, जिससे यह कहा जा सकता है कि यहां मिडिल स्कूल की ही नहीं, बल्कि हाई स्कूल की भी आवश्यकता है जिसके साथ एक आदिवासी छात्रावास भी खोला जाये । श्री जेतपुर डूगरवंत विभाग जंगल मजदूरों की समिति लिमिटेड नामक जंगल सहकारी समिति एक बोर्डिंग स्कूल रामपुर ग्राम में चला रही है जिसे अभी शिक्षा विभाग से मान्यता नहीं मिली है । इसे अभी दस एकड़ भूमि की जरुरत है जिससे स्कूल को आवास स्कूल में परिणत किया जायेगा तथा वह कृषि आधार पर चलेगा । मैं सिफारिश करता हूं कि यह जमीन स्कूल के लिये दी जाये । छोटा उदयपुर तालुके में जोज नामक एक ग्राम है वहां के एक दूसरे बोर्डिंग स्कूल को देखने मैं गया था । यह बड़े सुन्दर मकान में स्थित हैं । इसकी कुल ९ एकड़ जमीन है और एक कुंआ भी साथ में है । एक छोटी सी फुलवाड़ी और सब्जियों की बाड़ी भी ठीक ढंग से लगाई गई है । बोर्डिंग में रहने वाले लड़के जमीन में खेती करने में मदद करते हैं । मैं सुझाव देता हूं कि इस स्कूल के एक मील के क्षेत्र में आने वाले प्राइमरी स्कूल बंद किये जायें और बच्चों के माता पिता से अपने लड़के इस स्कूल में भेजने का आग्रह करना चाहिये जो बेसिक शिक्षा के आधार पर चलेगा । रंगपुर के आश्रम स्कूल को भी अधिक जमीन की जरुरत है और उसे मिलनी भी चाहिये, क्योंकि यहाँ पर लड़कों के लिए कृषि बेसिक शिक्षा का मुख्य धंधा बनेगा । इस स्कूल का मकान बहुत ही अच्छा बना हुआ है यद्यपि उसमें स्टेट गवर्नमेंट से मंजूर हुई सहायता में से ९,००० रु० ज्यादा खर्च हुआ है । इस आश्रम स्कूल को अधिक खर्च का ५० प्रतिशत भी राज्य सरकार को देना चाहिये ।

इन पिछड़े हुए क्षेत्रों की जंगल सहकारी समितियां सन्तोषकारक रूप से चल रही हैं, जैसा कि जेतपुर डुंगरवंत विभाग जंगल मजदूर सहकारी समिति ने बड़ा मुनाफा ४५,००० रु० का किया है । परन्तु इसमें से १७,००० रु० अनुसूचितजाति के ५८० उम्मीदवारों में वितरित किये गये हैं । उम्मीदवारों में से अधिकतर अनुसूचित जाति के कोली और नायक हैं । पीतल के बर्तन तथा अन्य वस्तुएं बनाने वाले मजदूरों को ४,००० रु० बोनस दिया गया है । तो भी बम्बई सरकार ने अभी तक के दो वर्ष (१९५५-५६ और १९५६-५७) के लिये समिति को दी गई कूपों की निर्धारित कीमत निश्चित नहीं की है । निर्धारित कीमत निश्चित करने के लिये शीघ्र कदम उठाये जाने चाहियें, जिससे समिति का पिछले दो वर्ष का हिसाब ठीक हो सके । १९५० और १९५४ वर्ष के बीच छोटा उदयपुर तालुक में सात मजदूर सहकारी समितियाँ संयोजित की गई हैं । ठेकेदारों को मुक्त कर दिया गया है और अनुसूचित जातियों के शोषण का काम बहुत हद तक खतम कर दिया गया है । इस समिति के सभासदों की पूरी संख्या लगभग १३५० है और उसमें लगभग ३०,००० आदिवासी मजदूरों को काम प्रदान किया गया है । यहां मेज़ कुर्सियां तैयार होती हैं और जनता को सीधी बेची जाती हैं । वहाँ एक लकड़ी चीरने का कारखाना समिति ने चालू कर दिया है । मैं सुझाव देता हूं कि आदिवासी लड़कों को कारखाने की उद्योगशाला में बढ़ई का काम सिखलाया जाना चाहिये ।

मुझे छोटा उदयपुर में आदिवासी क्षेत्र देखने का मौका मिला था । यह सन्तोष की बात है कि, कान्त ग्राम में एक पानी के लिये हौज बनाया गया है जहां पर आवश्यक आरोग्यकारी ओषधियों की भी व्यवस्था की गई है । छोटा उदयपुर में अधिकतर अनुसूचित क्षेत्र से आये हुये अध्यापिकों को शिक्षा देने के लिये शिक्षण केन्द्र शुरू किये गये हैं । ऐसे और तीन केन्द्र खोलने का विचार किया गया है ।

राजस्थान—२८ दिसम्बर से ३० दिसम्बर १९५६ तक

जयपुर में जब सामाजिक कार्य की इंडियन कौंसिल की उपसमिति की सभा में मेरा नाम नियुक्त किया गया, तो मैंने भी वहां एक छोटा सा दौरा किया । इस उपसमिति में गैर-सरकारी संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान या आर्थिक सहायता के नियमों के विषय में चर्चा की गई । मैं भी ग्रुप समिति की सभा में नियुक्त किया गया था जो समाजकल्याण विषय पर चर्चा करने के लिये थी ।

——

SJ ९८ (५७)—विश्व भारतीय प्रेस, नई दिल्ली—२५००